

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE
------------------	----------	-----------

# सामाजिक विचारक

[ SOCIAL THINKERS ]

वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा  
भूतपूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग  
वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय  
वनस्थली

पंचशील प्रकाशन, जयपुर

© लेखक

संस्करण : पचम, 2001

मूल्य : अस्सी रुपये मात्र

प्रकाशक :

पंचशील प्रकाशन  
फिल्म कॉलोनी, चौडा रास्ता,  
जयपुर—302 003

शब्द-संयोजक :

गीतांजलि कम्प्यूटर्स  
टोक फाटक, जयपुर

मुद्रक :

शीतल प्रिन्टर्स  
फिल्म कॉलोनी, जयपुर

## आमुख

वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर अनेक अन्वेषण किये गये हैं, जिनके आधार पर अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है। प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों—विशेष रूप से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का निर्माण कम हो पाया है। समाजशास्त्र में ज्ञान के विकास और सिद्धान्तों के निर्माण के अध्ययन के पूर्व सामाजिक विचारकों का गहन अध्ययन अत्यावश्यक है। समाजशास्त्र के विचारकों में पाश्चात्य विचारक इमाडल दुर्खीम, मैक्सवेबर और कार्ल मार्क्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतवर्ष में रामाकृष्ण मुकुर्जी और डॉ पी मुकुर्जी का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समाजशास्त्र विषय को भली-भाँति समझने के लिए इन विचारकों का अध्ययन करना विद्यार्थियों के लिए अत्यावश्यक है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने सामाजिक विचारक नामक प्रश्न-पत्र को समाजशास्त्र के स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए अपने पाठ्यक्रम में समाहित किया है। इन विचारकों की अवधारणाओं, तथ्यों, अध्ययन-पद्धतियों व सिद्धान्तों आदि से सम्बन्धित विचारों का अध्ययन करने से समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता मिलेगी। प्रस्तुत पुस्तक इस लक्ष्य को पूर्ति का प्रथम प्रयास है। पुस्तक की भाषा सरल, सुस्पष्ट एवं सुगम है।

पुस्तक में लेखन में इन विचारकों की मूल कृतियों की सामग्री ज्यों की त्यों किन्तु सशुद्ध और सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है साथ ही अन्य विद्वानों की कृतियों का भी सहयोग लिया गया है। उनके प्रति लेखक अपना हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता है।

पुस्तक के अतिशीघ्र प्रकारान के लिए श्री मूलगन्द गुप्ता हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। पुस्तक के सम्बन्ध में यदि रचनात्मक सुझाव विद्वान् साधियों से प्राप्त होते ह तो लेखक उनके प्रति अभारी रहेगा।

—लेखक

# विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

1. इमाइल दुर्खीम : जीवन चित्रण एवं मुख्य रचनाएँ  
(Emile Durkheim Life Sketch and Major Works)  
प्रस्तावना, दुर्खीम का जीवन चित्रण, दुर्खीम की प्रमुख रचनाएँ, दुर्खीम के विचारों पर अन्य विद्वानों का प्रभाव, दुर्खीम का समाजशास्त्र में योगदान : सिद्धान्त, अवधारणाएँ, कार्य-प्रणाली, प्रारूप, समाजशास्त्र के विकास में योगदान, दुर्खीम के अधिगृहीत, पद्धतिशास्त्र समाज में विभाजन, आत्महत्या का सिद्धान्त, धर्म का सिद्धान्त, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक तथ्य, इमाइल दुर्खीम : एक संक्षिप्त परिचय। 1-20
2. दुर्खीम : सामाजिक तथ्य  
(Durkheim Social Fact)  
प्रस्तावना, सामाजिक तथ्य का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक तथ्य की विशेषताएँ, सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियम, सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम, सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम, निष्कर्ष, आलोचनात्मक मूल्यांकन। 21-42
3. दुर्खीम : श्रम-विभाजन  
(Durkheim Division of Labour)  
प्रस्तावना, श्रम-विभाजन का प्रकार्य, प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा, सभ्यता के विकास के प्रकार, श्रम-विभाजन के प्रकार्य कानून-एकता का माप, दमनकारी कानून एवं यांत्रिक एकता, प्रतिकारी कानून एवं सावयवी एकता, यांत्रिक एकता : प्रस्तावना, विशेषताएँ, सावयवी एकता, प्रस्तावना, एवं सावयवी एकता में अन्तर, दुर्खीम का उद्विकासीय सिद्धान्त, श्रम-विभाजन के कारण, श्रम-विभाजन के परिणाम, श्रम-विभाजन के असामान्य स्वरूप, आलोचनात्मक मूल्यांकन। 43-68
4. दुर्खीम : आत्महत्या  
(Durkheim Suicide)  
प्रस्तावना, आत्महत्या की परिभाषा, आत्महत्या से सम्बन्धित असामाजिक कारण, मनोवैविकीय कारण और आत्महत्या, प्राकृतिक अथवा भौगोलिक दशाएँ और आत्महत्या, आत्महत्या का वास्तविक आधार सामाजिक क्रिया, अनुकरण और आत्महत्या, आत्महत्या के प्रकार : अहवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदरहीन आत्महत्या, घातक आत्महत्या, व्यावहारिक निष्कर्ष, समालोचनात्मक मूल्यांकन, संक्षिप्त परिचय। 69-96

- 5 **मैक्स वेबर : जीवन-चित्रण एवं प्रमुख रचनाएँ** 97-110  
(Max Weber Life Sketch and Major Works)  
प्रस्तावना, मैक्स वेबर का जीवन चित्रण, मैक्स वेबर का जीवन सघर्ष, मैक्स वेबर की प्रमुख रचनाएँ, मैक्स वेबर पर अन्यो का प्रभाव, समाजशास्त्र के विकास में योगदान, सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त, पद्धति-शास्त्र, आदर्श प्रारूप, वेबर के पद्धति-शास्त्र की विशेषताएँ, धर्म का सिद्धान्त, पूँजीपति समाज में नौकरशाही व्यवस्था, मैक्स वेबर : एक सक्षिप्त परिचय।
- 6 **मैक्स वेबर : सामाजिक क्रिया** 111-127  
(Max Weber Social Action)  
प्रस्तावना, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का महत्त्व, सामाजिक क्रिया का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ, क्रिया के सिद्धान्त के अभिप्राय, सामाजिक क्रिया के प्रकार, आलोचना, सारांश।
7. **मैक्स वेबर : नौकरशाही** 128-139  
(Max Weber Bureaucracy)  
प्रस्तावना, नौकरशाही की परिभाषा, नौकरशाही-तन्त्र की विशेषताएँ : प्रशासकीय नियम, सस्तरण, विशेषता, साधन, लिखित दस्तावेज, प्रशिक्षण, अधिकारी की विशेष स्थिति, कार्यालय का प्रवन्ध, नौकरशाही में अधिकारियों की विधम स्थिति, नौकरशाही के कारण, नौकरशाही-तन्त्र के स्थायी लक्षण, नौकरशाही संगठन के तकनीकी लाभ, नौकरशाही व्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक परिणाम, नौकरशाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन, सारांश।
8. **मैक्स वेबर : धर्म** 140-163  
(Max Weber Religion)  
प्रस्तावना, धर्म का समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र की विषय-वस्तु, धर्म के प्रकार, धर्म एवं सघर्ष, धर्म से सम्बन्धित अवधारणाएँ, धार्मिक अधिकारियों के प्रकार एवं कार्य, सामाजिक धर्मों की धार्मिक अभिवृत्तियाँ, वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण, धर्म सम्बन्धी विचार, प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियाँ एवं पूँजीवाद, पूँजीवाद और प्रोटेस्टेण्ट नीति का सम्बन्ध, ससार के धर्मों की आर्थिक नीति, चीन का कन्फ्यूशियस धर्म, कन्फ्यूशियस और प्रोटेस्टेण्ट धर्म में अन्तर, चीन में आधुनिक पूँजीवाद के अभाव के कारण, भारत का हिन्दू धर्म, हिन्दू सामाजिक व्यवस्था, वेबर के निष्कर्ष, प्राचीन यहूदी धर्म, धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनो का निष्कर्ष, आलोचना।

9. **कार्ल मार्क्स : जीवन चित्रण एवं प्रमुख रचनाएँ** 164-185  
(Karl-Marx Life Sketch and Major Works)  
प्रस्तावना, कार्ल मार्क्स का जीवन-चित्रण, कार्ल मार्क्स की रचनाएँ, मार्क्स के विचारों पर अन्यो के प्रभाव, हीगल के दर्शन का प्रभाव, फ्रांसोसी समाजवादियों का प्रभाव, ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव, कार्ल मार्क्स के मूल समाजशास्त्रीय विचार, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की भूमिका, कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र के वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त, मार्क्स के उद्देश्य, अभिग्रह, पद्धतिशास्त्र और प्रारूप।
10. **कार्ल मार्क्स : द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद** 186-205  
(Karl-Marx Dialectical Materialism)  
प्रस्तावना, द्वन्द्ववाद का अर्थ एवं परिभाषा, हीगल का द्वन्द्ववाद, कार्ल मार्क्स का द्वन्द्ववाद भौतिकवाद, प्रस्तावना, मार्क्स-द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएँ, मार्क्स तथा हीगल के द्वन्द्ववाद की तुलना, मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद में समानताएँ, मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद में असमानताएँ, मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन।
11. **कार्ल मार्क्स : वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष** 206-234  
(Karl-Marx Class and Class-Struggle)  
प्रस्तावना, वर्ग का अर्थ एवं परिभाषाएँ, वर्ग की विशेषताएँ, वर्ग-विभाजन के आधार। कार्ल मार्क्स : वर्ग के सम्बन्ध में विचार प्रस्तावना, वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा, वर्ग की विशेषताएँ, वर्गों के प्रकार, वर्ग की उत्पत्ति, विभिन्न समाजों में वर्ग। कार्ल मार्क्स : वर्ग-संघर्ष प्रस्तावना, महत्वपूर्ण अवधारणाएँ—शोषक-वर्ग, शोषित-वर्ग संघर्ष, पूँजीवाद एवं वर्ग-संघर्ष, समाजवाद की स्थापना के तरीके, समाजवाद की स्थापना-की विधि, पूँजीवाद के विनाश के कारण, वर्ग-संघर्ष की आलोचना। कार्ल मार्क्स : अलगाव प्रस्तावना, अलगाव की परिभाषा एवं अर्थ, अलगाव की उत्पत्ति, अलगाव के स्वरूप-उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, स्वयं के प्रति अलगाव, मानव-जाति से अलगाव, व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव, सामान्य निष्कर्ष।
12. **राधाकमल मुकुर्जी : सामाजिक मूल्य, सामाजिक विज्ञान का सिद्धान्त** 235-263  
(Radhakamal Social Values Theory of Social Science)  
प्रस्तावना, जीवन चित्रण एवं रचनाएँ, सामाजिक विज्ञान का सिद्धान्त—अवधारणाओं की परिभाषाएँ, समाज का सामान्य सिद्धान्त, समाज एक सुवर्त व्यवस्था, समाज के प्रकार, समाज का महाविज्ञान। सामाजिक मूल्य प्रस्तावना, सामाजिक मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषाएँ,

सामाजिक मूल्यों का उद्द्विकास, मूल्य एवं नैतिकता के उद्द्विकास के आयाम, मूल्यों का वर्गीकरण, सामाजिक मूल्यों को विशेषताएँ, मूल्यों का मोपान व सरस्तरण, मूल्यों के नियम, मूल्य और व्यक्तित्व, सामाजिक मूल्यों का महत्त्व, सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्य और मूल्य, मूल्य और विमूल्य, सामाजिक परिस्थिति विज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक पुनर्निर्माण।

13. **राधाकमल मुकर्जी : सामाजिक पारिस्थितिकी** 264-273  
(Radhakamal Mukerjee Social Ecology)  
प्रस्तावना, पुस्तक का उद्देश्य, सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र, प्रमुख अवधारणाएँ : सामाजिक पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी, व्यावहारिक पारिस्थितिकी, अध्ययन की इकाई, सामाजिक पारिस्थितिकी के कार्य, पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन, मानव समाज में पारिस्थितिकी प्रक्रियाएँ : वितरण, श्रम का विभाजन, गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग, स्तरीकरण, अनुक्रमण एवं आक्रमण, सामाजिक सन्तुलन, निष्कर्ष।
14. **डी. पी. मुकर्जी : परम्पराओं का द्वन्द्व** 274-296  
(D P Mukerji Dialectic of Traditions)  
प्रस्तावना, जीवन चित्रण, रचनाएँ, सामाजिक विचार, भारत के समाजशास्त्र में योगदान। परम्पराओं का द्वन्द्व : प्रस्तावना, परम्पराओं के द्वन्द्व के अध्ययन का महत्त्व, परम्पराओं के द्वन्द्व का अर्थ एवं परिभाषा, परम्परा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ, द्वन्द्व की अवधारणा, परम्पराओं का द्वन्द्व, परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूप, भारतीय परम्पराओं का द्वन्द्वात्मक अध्ययन—आन्तरिक परम्पराओं से द्वन्द्व, बाह्य परम्पराओं से द्वन्द्व, निष्कर्ष।
15. **डी. पी. मुकर्जी : कला तथा साहित्य का विकास** 297-312  
(D P Mukerji Development of Art and Literature)  
प्रस्तावना, भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र, साहित्य का विकास—संस्कृत साहित्य, इस्लाम का प्रभाव, भक्ति एवं साहित्य का विकास, पार्श्वत्त्व प्रभाव, भारतीय साहित्य में समान तत्वों का विकास, मिथ्या व्यक्तिवाद का विस्तार, भारतीय साहित्य में सामान्य सामाजिक विश्वास, साहित्यिक विश्वासों का विकास, विशिष्ट सन्दर्भ—हिन्दी साहित्य, उर्दू साहित्य, बंगला साहित्य, कला का विकास, निष्कर्ष।
16. **जी. एस. घुर्ये** 313-336  
(G S Ghurye)  
जीवन-चित्रण, घुर्ये की प्रमुख रचनाएँ, जाति-व्यवस्था, वर्ग-व्यवस्था, वर्ग तथा उसकी भूमिका, व्यवसाय, अवधारणाओं की परिभाषाएँ, अल्पसंख्यकों के प्रमुख अधिकार।



## अध्याय-1

# इमाइल दुर्खीम : जीवन चित्रण एवं प्रमुख रचनाएँ (Emile Durkheim : Life Sketch and Major Works)

अनेक सामाजिक विचारकों : आगस्ट, कॉम्ट, हरजर्ट स्पेन्सर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर आदि ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित एवं पिकसित करने में उत्तरेखनीय योगदान दिया है। जहाँ, आगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, वहाँ दुर्खीम एक प्रमुख विचारक तथा प्रतिपादक हैं। फ्रांस के सामाजिक विचारकों में दुर्खीम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खीम के सम्यन्ध में यह कहा जाता है कि ये कॉम्ट के समान ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा से सर्वथा परे रहे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करने में जागरूक एवं सचेष्ट रहे। अपने वैज्ञानिक अध्ययनों पद्धतियों को समाज के अध्ययन का मूल आधार बनाया। आधुनिक समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि जहाँ कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, वहाँ दुर्खीम ने इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया।

समाजशास्त्र के इतिहास में दुर्खीम ही पहिले सामाजिक विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को व्यवस्थित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन-पद्धति, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं विषय-वस्तु प्रदान की। इससे पूर्व किसी भी सामाजिक विचारक ने समाज का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित अध्ययन करने का अनुकरणीय प्रयास नहीं किया। दुर्खीम ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भौतिक विज्ञान की विधियों—अवलोकन, तथ्य संकलन, वर्गीकरण व परीक्षण आदि पर जोर दिया। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञानों के अध्ययन के समान प्रयोगों के आधार पर किया जाना चाहिए। वे किन्हीं विषय में अपनी निश्चित धारणा तब तक व्यक्त नहीं करते थे, जब तक उस विषय से सम्बन्धित समस्त तथ्यों को वैज्ञानिक कसौटी पर न कस लेते थे। काल्पनिक आधार पर किसी घटना की व्याख्या करना उनकी दृष्टि में अनुचित था। दुर्खीम समाज का विश्लेषण एवं व्याख्या वास्तविक अवलोकनों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों के आधार पर करते थे किन्तु सामाजिक घटनाओं की उत्पत्ति में सामूहिक चेतना, धारणा एवं भावनाओं को महत्वपूर्ण मानते थे। इसी को 'सामूहिक प्रतिनिधित्व' (Collective Representation) का सिद्धान्त कहा जाता है। समाजशास्त्रीय विचारधारा में आपका महत्वपूर्ण और प्रमुख योगदान माना जाता है। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत 'सामाजिक श्रम का सिद्धान्त', 'धर्म का सामाजिक सिद्धान्त', 'आत्महत्या का सिद्धान्त' आदि सामूहिक चेतना के तथ्य से निर्वन्त एवं निर्देशित होते हैं, अतः इन्हें सामाजिक अध्ययन की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार दुर्खीम समूहवादी विचारधारा के समर्थक थे, व्यक्तिवादी विचारधारा के नहीं। इसी कारण टार्डे ने सामाजिक अन्तःक्रिया के जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया उससे

दुर्खीम सन्तुष्ट थे। दुर्खीम सामाजिक घटनाओं के लिए समूह या समाज को उत्तरदायी मानते थे। फ्रांस की सामाजिक विचारधारा में डी बोनाल्ड और डी मैस्ट्रे समूहवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। ये दोनों ही यह मानते थे कि समूह के सदस्यों से अलग भी समूह का अस्तित्व होना है।

प्रत्यक्षवाद और समूहवाद के समन्वय का प्रयास करने वाले आगस्ट कॉम्ट प्रथम विचारक थे। दुर्खीम ने इस समन्वय को दृढ़ रूप में स्थापित किया। इस प्रकार दुर्खीम ने फ्रांस के समाजशास्त्रीय चिन्तन में तीन महत्त्वपूर्ण योगदान दिए—(i) इन्होंने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद में समन्वय स्थापित किया, (ii) सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया, और (iii) समाजशास्त्र से सम्बन्धित पुस्तकों व पत्रिकाओं आदि का सम्पादन किया। इन्हीं कारणों से दुर्खीम समाजशास्त्रीय जगत् की एक महत्त्वपूर्ण निधि तथा विचारक माने जाते हैं। इनके सिद्धान्तों व विचारों के अध्ययन के पूर्व इनकी जीवनी व कृतियों का अध्ययन करना आवश्यक है।

### दुर्खीम : एक जीवन चित्रण (Durkheim : A Life Sketch)

इमाइल दुर्खीम फ्रांस के सुविख्यात समाजशास्त्रीय विचारक एवं दार्शनिक थे। आपके जन्म 15 अप्रैल, सन् 1858 में फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र में स्थित एपोनल नामक एक कस्बे में हुआ था। आपके माता-पिता यहूदी थे। इनके पूर्वज यहूदी दर्शन रैबी शास्त्रकार के रूप में सुप्रसिद्ध रहे। अतः फ्रांस के अन्य भागों में यहूदियों पर अनेक अत्याचार होते रहने के उपरान्त भी इस क्षेत्र में उनके प्रति दया व सहिष्णुता का व्यवहार किया जाता रहा था। आपने अपने परिवार से ही यहूदी दर्शन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। पारिवारिक पृष्ठभूमि के फलस्वरूप वे प्रारम्भ से ही प्रतिभाशाली, मेधावी और योग्य विद्यार्थी रहे। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान ही एक ईसाई शिक्षिका ने उन्हें हिब्रू शिक्षा प्रदान की। एपोनल की इसी स्थानीय शिक्षण शाला में उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की।

उच्च अध्ययन के लिए वे फ्रांस की राजधानी पेरिस में चले गये। वहाँ उन्होंने गुप्रसिद्ध सस्था इकोल नार्मेल अकादमी में प्रवेश लिया, जो उस समय सम्पूर्ण विश्व की प्रतिष्ठित सस्था थी। इस सस्था में फ्रांसीसी, लैटिन व ग्रीक दर्शन का अध्ययन कराया जाता था और केवल उच्च प्रतिभा के धनी ही इस सस्था के छात्र हो सकते थे।

दुर्खीम प्रखर बुद्धि वाले होते हुए भी तीन बार प्रयास करने के उपरान्त ही इसमें प्रवेश पा सके। इस समय कई विद्वान् जैसे—बांगल, ट्यूवर्ट, एस. पिनास, ग्रेनेट व डेवो आदि इस सस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् वर्गसन उनसे एक वर्ष आगे थे। इकोल अकादमी के पाठ्यक्रम में दुर्खीम को अधिक रुचि नहीं आई क्योंकि वहाँ पर परम्परावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को महत्ता प्रदान की जाती थी, जबकि दुर्खीम प्रत्यक्षवादी एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाले थे। वे समाज की राजनैतिक, बौद्धिक और सामाजिक दशाओं के अध्ययन में अपनी रुचि अधिक रखते थे अतः उनके लिए परम्परावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण व्यर्थ था, क्योंकि वह उस समय की राजनैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करता था। इसी कारण दुर्खीम का उस सस्था के वातावरण से सामञ्जस्य नहीं हो सका। कभी-कभी तो वे अपने अध्यापकों से भी विद्रोह

कर देते थे। दुर्खीम का मानना था कि किसी भी ज्ञान या दर्शन में यदि वर्तमान राजनैतिक, बौद्धिक और सामाजिक समस्याओं को नहीं देखा जाता तो उस ज्ञान या दर्शन की कोई उपादेयता नहीं है। किसी भी सामाजिक व राजनैतिक घटना के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के साथ-साथ दार्शनिक औचित्य भी उनके मन में आवश्यक था।

दुर्खीम की रचि प्रारम्भ से ही शिक्षक बनने की थी, अतः सन् 1882 में 'इकोल नार्मेल अकादमी' को छोड़कर वे पेरिस के पास तीन स्थानीय क्षेत्रीय हाइस्कूलों—सेन्म, मेण्ट क्युन्टिन और ट्रायज में दर्शनशास्त्र के अध्यक्ष पद पर पाँच वर्षों तक कार्य करते रहे— वे एक कुशल शिक्षक माने जाते रहे थे।

उन्होंने इन विद्यालयों में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम भी लागू कराया। बाद में वे उच्च अध्ययन के लिए एक वर्ष का अवकाश लेकर जर्मनी चले गए। जर्मनी यूरोप का शैक्षणिक केन्द्र रहा है। दुर्खीम ने वहाँ पर अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानवशास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। वहाँ पर उन्होंने आगस्ट कॉम्ट के लेखों का गहराई से अध्ययन किया और कॉम्ट के विचारों व सिद्धान्तों से प्रेरित होकर उन्होंने समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद (Sociological Positivism) को जन्म दिया। जर्मनी में अध्ययन के समय उन्हें लेपजिग व बर्लिन नगर में भी रहना पड़ा। लेपजिग में उनका सम्पर्क प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुण्ट (Wundt) से हुआ। जर्मनी में उन्होंने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए—एक दर्शनशास्त्र पर और दूसरा प्रत्यक्षवादी नीतिशास्त्र पर। इन्हीं दोनों प्रतिवेदनों के कारण वे सम्पूर्ण फ्रांस में प्रसिद्ध हो गए।

सन् 1887 में दुर्खीम जर्मनी से पेरिस वापस आ गए और 'बोर्डिं वेक्स विश्वविद्यालय' में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। इस विश्वविद्यालय में उनके लिए विशेष रूप से 'सामाजिक विज्ञान' का एक नवीन विभाग खोला गया। सन् 1896 में दुर्खीम इसी विभाग में समाजशास्त्र के अध्यक्ष बना दिए गए। इस प्रकार वे फ्रांस के सर्वप्रथम प्रोफेसर बने। इस विश्वविद्यालय में उन्होंने समाजशास्त्र के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण विषय—जैसे सामाजिक एकता का पारिवारिक समाजशास्त्र, आत्महत्या, शिक्षा, मनोविज्ञान, अपराध का समाजशास्त्र, समाजवादी सिद्धान्त तथा दण्ड जैसे विषयों का अध्ययन किया। धर्म, कानून और नैतिकता जैसे विषय भी अपने पढ़ाए। सन् 1893 में 'पेरिस विश्वविद्यालय' द्वारा आपको फ्रांसोमी भाषा में आपके द्वारा लिखे गए शोधग्रन्थ "De la division du travail social" पर डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। दो वर्ष उपरान्त 1895 में दुर्खीम ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण ग्रन्थ *Les regles de la methode sociologique* का लेखन किया और पुन. दो वर्षों के उपरान्त अपना तीसरा ग्रन्थ "Le suicide" लिखा जिन्के कारण उनको विश्व का प्रमुख दार्शनिक व समाजशास्त्री माना जाने लगा। दुर्खीम के उपर्युक्त प्रमुख तीनों ग्रन्थ हिन्दी में इस प्रकार हैं—

- (1) समाज में श्रम-विभाजन, 1893
- (2) समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, 1895
- (3) आत्महत्या, 1897

1898 में दुर्खीम ने "L'année sociologique" नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1910 तक वे इस पत्रिका के सम्पादक बने रहे। समाजशास्त्र विषयक यह पत्रिका फ्रांस

में अत्यधिक सम्माननीय रही। अनेक महान् बुद्धिजीवियों, जैसे—साइमण्ड, लेवी स्ट्रास एवं जॉर्ज डेनी आदि के लेख इस पत्रिका में प्रकाशित हुए। इस प्रकार अनेक विद्वानों से उनका सम्पर्क इस पत्रिका के माध्यम से हुआ और अनेक विचारकों के सहयोग से दुर्छोमवादो सम्प्रदाय की स्थापना समाजशास्त्र के जगत् में हुई।

दुर्छोम ने बोर्डियेक्स विश्वविद्यालय में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त की—उसी समय उनका विवाह लुई ड्रेक के साथ हो गया। उनके दो सन्तानें—एक पुत्री मेरी और पुत्र आन्ध्रे हुए। पारिवारिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल रहीं। उनकी पत्नी उनके अध्ययन एवं लेखन में भरपूर सहयोग देती थी। पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के साथ-साथ दुर्छोम की लिखित सामग्री के सम्पादन, संशोधन, पाण्डुलिपि के पठन एवं पत्र-व्यवहार आदि के कार्यों में अपनी पत्नी सहयोग करती थी, उनका व्यक्तित्व एवं पारिवारिक जीवन संतुलित एवं सुखी रहने का मुख्य कारण उनकी पत्नी का पूरा सहयोग था।

दुर्छोम पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा 1902 में 'शिक्षा शास्त्र' के आचार्य के पद पर आमन्त्रित किए गए। वहाँ उन्होंने व्यूसो के रिक्त पद को सम्भाला और वे 1906 में इस पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किए गए। 1913 में दुर्छोम ने 'शिक्षाशास्त्र' विषय का नाम बदल कर 'शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग' कर दिया। इस समय तक समाजशास्त्र को एक पृथक् विषय के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। दुर्छोम ने पेरिस विश्वविद्यालय में नीतिशास्त्र, धर्म की उत्पत्ति, नैतिकता, विवाह और परिवार समाजशास्त्र, कॉन्ट व सेन्ट साइमन का समाजदर्शन आदि विषयों का अध्यापन किया। दुर्छोम की निष्ठा, लगन और परिश्रम ने उन्हें अपने विद्यार्थियों में बहुत सम्माननीय बनाया। 1912 में दुर्छोम ने अपनी एक महत्वपूर्ण रचना 'Les formes elementaires de la vie religieuse' ( धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक रूप) का प्रकाशन कराया। दुर्छोम ने सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने 1897 के बाद 'समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र' पर भी कई निबन्ध लिखे। 1898 में 'इण्डिविजुअल एण्ड कलेक्टिव रिप्रेजेन्टेशन' नाम से इन नियन्त्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ। इस प्रकार दुर्छोम देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहे। सामाजिक समस्याओं के हल के लिए वे वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देते रहे। उन्होंने फ्रांस और यूरोप के जन-जीवन का भी अध्ययन किया।

सन् 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ। उस समय भी दुर्छोम 'पेरिस विश्वविद्यालय' में ही कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र आन्ध्रे को समाज-सेवा के लिए प्रस्तुत किया और स्वयं भी अपने लेखों व भाषणों के द्वारा देशवासियों को सम्बोधित कर उनका मनोबल बढ़ाते रहे। अपने मित्र हेनरी बर्गोसा के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध से सम्बन्धित प्रचार कार्य को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभाया। इसी समय दुर्छोम को 'युद्ध के अध्ययनों व प्रपत्रों की प्रकाशन समिति' का मंत्री बनाया गया। उन्होंने युद्ध के समय फ्रांसीसी जनता को अपना मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा दी, आक्रमण से त्रस्त सैनिकों को धैर्य प्रदान किया। उन्होंने फ्रांसीसी जनता को 'धैर्य, प्रयत्न, विश्वास' का नारा दिया, जो आज भी फ्रांस में अमर हैं। उन्होंने फ्रांस के लोगों के साथ इतना सहयोग किया कि अपने इकलौते प्रिय पुत्र आन्ध्रे को भी युद्ध के मैदान में भेज दिया। वहाँ पर वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया और धीरे गति को प्राप्त हो गया। दुर्छोम आन्ध्रे की मृत्यु का समाचार सुनकर

अन्दर से बिल्कुल टूट गए किन्तु शान्त, गम्भीर और सहनशील दुर्खीम अपनी इस अपार व्यथा को मन-ही-मन छिपाते रहे, क्योंकि आन्ध्रे एक होनहार नवयुवक ही नहीं, उनका परमप्रिय इकलौता पुत्र और शिष्य भी था। वह भाषा विज्ञान का प्रकाशमान व योग्य छात्र भी था। सन् 1916 में दुर्खीम को यक्षायक गम्भीर बीमारी ने जकड़ लिया, फिर भी 1917 में ये 'नीतिशास्त्र' (Ethics) पर एक पुस्तक लिखने के लिए ग्रीष्म-ऋतु में फाउन्टेनवैल्यू गए किन्तु 15 नवम्बर, 1917 में 59 वर्ष की आयु में वे काल के ग्रास बना दिए गए। इस प्रकार छोटी-सी अवस्था में असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व और सामाजिक विचारक का अस्तित्व ससार से उठ गया।

### दुर्खीम की प्रमुख रचनाएँ (Main Works of Durkheim)

इमाइल दुर्खीम ने अपने जीवनकाल में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेख फ्रांसीसी भाषा में लिखे तथा एक समाजशास्त्रीय पत्रिका का सम्पादन भी किया। कुछ कृतियाँ तो उनके जीवन-काल में ही प्रकाशित हो चुकी थीं किन्तु कतिपय रचनाएँ उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी एवं मित्रों के सहयोग से प्रकाशित हुई थीं। आपकी प्रमुख रचनाएँ निम्न हैं—

1. द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी—1893  
(समाज में क्रम-विभाजन)
2. द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड—1895  
(समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम)
3. द स्युसाइड—1897  
(आत्महत्या)
4. द एलिमेंट्री फार्म ऑफ द रिलिजियस लाइफ—1912  
(धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक रूप)
5. एजुकेशन एण्ड सोशियोलॉजी—1922  
(शिक्षा और समाजशास्त्र)
6. सोशियोलॉजी एण्ड फिलोसॉफी—1924  
(समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र)
7. मोरल एजुकेशन—1925  
(नैतिक शिक्षा)
8. सोशियोलॉजी एण्ड सेंट साइमन—1925  
(समाजशास्त्र और सन्त साइमन)
9. द सोशियलिज्म—1928  
(समाजवाद)
10. प्रेगमेटिज्म एण्ड सोशियोलॉजी—1955  
(व्यवहारवाद और समाजशास्त्र)
11. 'द ऐनो सोशियोलॉजी' समाजशास्त्रीय पत्रिका के सस्थापक तथा सन् 1898 से 1910 तक प्रमुख सम्पादक रहे।

### विद्यार्थी जीवन में लेखन कार्य (Writing Work in Student Life)

- 1 मोण्टेस्क्यू पर शोध-प्रबन्ध—1892
- 2 'दा आर्ई' पर लेख  
(मैं)
- 3 'ज्यूस इन रोमन अम्पायर' पर लेख  
(रोमन साम्राज्य में यहूदी)

दुर्खोम की रचनाओं में कुछ ग्रन्थ अति महत्त्वपूर्ण हैं जिनके विषय में सक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना अत्यावश्यक है। ये महत्त्वपूर्ण रचनाएँ निम्न प्रकार से हैं—

(1) दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी (1893)—फ्रांसीसी भाषा में लिखित इस पुस्तक का नाम 'De la division du travail social' अर्थात् 'समाज में श्रम-विभाजन' है, जो दुर्खोम की सर्वप्रथम कृति थी। यह पुस्तक दुर्खोम का शोधकार्य था जिस पर उन्हें डॉक्ट्रेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसे अतिमहत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है क्योंकि इस पर उनको विश्वविख्यात प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। पुस्तक में सामाजिक श्रम के विभाजन का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक वास्तव में श्रम-विभाजन का अध्ययन नहीं करती, बल्कि इसे सामाजिक परिणामों की विवेचना कहा जा सकता है। पुस्तक के दो खण्ड हैं—(1) प्रथम खण्ड सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित श्रम-विभाजन के कार्य और प्रभावों को विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है, और (2) द्वितीय खण्ड श्रम-विभाजन की प्रकृति और कारणों को विवेचना करता है। इस रूप में पुस्तक की विषयवस्तु अर्थशास्त्रीय न होकर समाजशास्त्रीय अधिक है।

(2) दा रूल्स ऑफ सोसियोलॉजिकल मैथड (1895)—प्रथम पुस्तक के अनन्तर दुर्खोम की दूसरी कृति फ्रांसीसी भाषा में 'Les regles de la methode sociologique' प्रकाशित हुई जिसका हिन्दी में नाम 'समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम' था। यह कृति समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों के प्रतिपादन से ही सम्बन्धित थी। पुस्तक में इस तथ्य पर विशेष आग्रह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र से कल्पना और स्वपराक विवेचना को पूर्णरूप से हटा देना चाहिए और सामाजिक घटनाओं के सम्पूर्ण अध्ययन आवश्यक रूप से वास्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। एक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र के अध्ययन-कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग बलपूर्वक किया जाना चाहिए। इस कृति में दुर्खोम ने 'सामाजिक तथ्य' को समाज के विश्लेषण एवं अध्ययन की पद्धति के रूप में स्वीकारा है।

(3) दा स्युसाइड (1897)—दुर्खोम की तृतीय महत्त्वपूर्ण कृति फ्रांसीसी भाषा में 'Le Suicide' अर्थात् 'आत्महत्या' प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का उद्देश्य उन सामाजिक प्रक्रियाओं व कारकों का विश्लेषण करना है जिनके कारण आत्महत्याएँ होती हैं। इस प्रकार यह कृति आत्महत्या के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है। इस कृति में आत्महत्या से सम्बन्धित अनेक तथ्यों को एकत्र किया गया है और उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आत्महत्या तत्र की जाती है जब उस व्यक्ति का सामाजिक जीवन विघटित हो जाता है और इस विघटन का कारण भी सामाजिक प्रभाव ही होते हैं। इस प्रकार आत्महत्या का प्रधान कारण समाज अथवा समूह ही बताया गया है।

(4) दा एलीमेन्टी फार्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ (1912)—दुर्खीम की चौथी कृति फ्रेंचोसी भाषा में 'Les forms elementaire de la vie religieuse' अर्थात् 'धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक रूप' उनकी तृतीय कृति के करीब पन्द्रह वर्षों के उपरान्त प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में धर्म के शुद्ध समाजशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। इसमें रागस्त धर्मों की उत्पत्ति का मूल स्रोत 'समाज' को बताया गया है। इस पुस्तक में दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से धर्म का विश्लेषण किया है। उन्हे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया है। यह पुस्तक दुर्खीम की विचारधारा का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें विचारों की क्रम-बद्धता एवं एकरूपता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है।

### विभिन्न विचारकों का दुर्खीम पर प्रभाव (Impact of Various Thinkers on Durkheim)

कहा जाता है कि 'साहित्य समाज का दर्पण होता है'। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विचार अथवा विचारक अपने समय के समाज और उसकी परिस्थितियों से पूर्णरूपेण प्रभावित होता है। इसी कारण उसकी रचनाओं में तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। दुर्खीम भी अपने युग की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। उनको कृतियाँ भी फ्रांस और जर्मनी की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित हैं। दुर्खीम पर भी विभिन्न विद्वानों व परिस्थितियों के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं—

दुर्खीम एक यहूदी परिवार से सम्बन्धित थे। उनके पूर्वज भी यहूदी दर्शन (रैवी दर्शन) में ख्यातिप्राप्त विद्वान रहे थे। बचपन से ही उन्होंने एक ईसाई शिक्षक से 'हिब्रू' शिक्षा ग्रहण की। यहूदी और ईसाई धर्मों के ज्ञान के कारण उनके सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिकता का महत्त्व अधिक रहा। दुर्खीम के समय में यूरोप और फ्रांस परिवर्तन के दौर में थे। औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रभावों हो रहा था और धर्म से उसका सघर्ष चल रहा था, पुरानी नैतिक मान्यताएँ विलीन हो रही थीं और नई विज्ञानाधारित मान्यताएँ जन्म ले रही थी—दुर्खीम इन सब परिस्थितियों से प्रभावित हुए और उन्होंने समाजशास्त्र को एक नवीन नैतिकता की स्थापना करने वाले विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

दुर्खीम पर मोण्टेस्क्यू के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। मोण्टेस्क्यू जनीतिशास्त्र से सम्बन्धित राज्य व कानून आदि की अवधारणाओं को महत्त्वपूर्ण मानते थे और सभी घटनाओं को परस्पर सम्बन्धित भी मानते थे। इसी से प्रेरित होकर दुर्खीम ने भी अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि चूँकि सभी विज्ञानों की विषय-वस्तु में अन्तर्निर्भरता आई जाती है, इसलिए सभी विज्ञान परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। आपने अपने एक लेख 'मोण्टेस्क्यू की 'समाज-विज्ञान की सम्भावना का अनुभव करने वाला प्रथम विचारक' कहा है। दुर्खीम रूसो से भी प्रभावित थे। रूसो एक फ्रांसीसी विद्वान् थे और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के विषय में 'सामाजिक समझौते का सिद्धान्त' प्रस्तुत किया था। रूसो के मत में समाज की स्थिति व्यक्ति से बड़ी है, दुर्खीम ने भी अपनी रचनाओं में इसी विचार को ग्रहण किया है। दुर्खीम के विचारों पर समाजशास्त्र के जनक आगस्ट कॉम्ट का भी प्रभाव पड़ा। अपने कॉम्ट से विज्ञानवाद, प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्रीयवाद ग्रहण किया। दुर्खीम ने रीक्षण, परोक्षण, व वर्गीकरण जैसे विज्ञान के तत्वों को सामाजिक घटनाओं और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए अनिवार्य माना। दुर्खीम ने कॉम्ट से नैतिकता के विचार ग्रहण किये और एक नवीन विचार 'नैतिकता का समाजशास्त्र' प्रस्तुत किया।

हर्बर्ट स्पेन्सर से भी दुर्खीम प्रभावित रहे। उन्होंने डार्विन के उद्द्विकास को समाज पर भी लागू किया था और बताया था कि जैसे— जीवों का विकास सरलता से जटिलता, समानता से भिन्नता और अमम्बद्धता से सम्बद्धता की ओर होता है, ठीक उसी क्रम से उद्द्विकास की प्रक्रिया समाज, समूह और सामाजिक संस्थाओं में पाई जाती है। दुर्खीम ने उद्द्विकास की धारणा को प्रस्तुत करते हुए बताया कि समाज का उद्द्विकास 'यात्रिक दृढ़ता से सावयवी दृढ़ता' की ओर हुआ है। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत यह 'यात्रिक एवं सावयवी' एकता वाले समाजों का वर्गीकरण—टर्नीज द्वारा वर्णित समूह और समाज के वर्गीकरण—जेमोनशाफ्ट और जेसोलशाफ्ट से भी प्रभावित है।

दुर्खीम समूहवादी विचारक थे। समूहवाद को जन्म देने का श्रेय डी बोनाल्ड और डी मैस्ट्रे (De Bonald and De Maistre) को है—इनके मत में समूह के सदस्यों से अलग भी समूह का अस्तित्व होता है। अर्थात् व्यक्ति से पूर्व समूह विद्यमान होता है, जो उसकी संस्कृति और मूल्यों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। इसी विचार से प्रेरित होकर दुर्खीम भी सामाजिक घटनाओं का कारण समूह या समाज को मानते थे—चोरी, अपराध, हत्या को दर कम अथवा अधिक होने का मुख्य कारण उनके मत में 'समूह या समाज' ही है।

दुर्खीम के विचारों पर फ्रांसीसी विद्वान टार्डे कृत 'अनुकरण का सिद्धान्त' का भी प्रभाव पड़ा। टार्डे का मत था कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तियों के अनुकरण का परिणाम है। दुर्खीम ने इसे सशोधित करते हुए कहा था कि व्यक्ति का व्यवहार सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होता है। दुर्खीम का 'सामूहिक प्रतिनिधित्व' और 'सामूहिक चेतना' टार्डे से ही गृहीत है। दुर्खीम पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुण्ट का भी प्रभाव पड़ा। वुण्ट ने मानसिक जीवन का अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल दिया था। उसी भाँति दुर्खीम ने भी भौतिक विज्ञान की पद्धति को समाजशास्त्र में अपनाने पर बल दिया।

विद्यार्थी जीवन में दुर्खीम का परिचय प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री 'ब्रोटेक्स' और इतिहासकार 'फस्टेल डी कोलन्जेन्स' में हुआ। ब्रोटेक्स की मानवीय व्यवहार की व्याख्या को दुर्खीम ने समूह और समाज के आधार पर प्रस्तुत किया। ब्रोटेक्स के कहने पर मोण्टेस्क्यू पर शोध-प्रबन्ध लिखा। बाद में अपने शोध-ग्रन्थ 'समाज में श्रम-विभाजन' को भी दुर्खीम ने ब्रोटेक्स को ही समर्पित किया। कोलन्जेन्स से वे अत्यधिक प्रभावित रहे। बाद में बोर्डिंगक्स विश्वविद्यालय में वे अलफ्रेड एम्पियन्स के सम्पर्क में आये और उनके 'समूह भस्तिष्क' के सिद्धान्त से प्रभावित हुए। सामूहिक चेतना सम्बन्धी दुर्खीम के विचार उन्हीं से प्रभावित हैं। दुर्खीम प्रसिद्ध विचारक चार्ल्स रिनाडवीर से भी प्रभावित रहे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दुर्खीम के विचारों पर यूरोप और फ्रांस के अनेक विचारकों का प्रभाव पड़ा था।

### दुर्खीम का समाजशास्त्र में योगदान (Durkheim's Contribution in Sociology)

'समाजशास्त्र' के प्रमुख विचारक दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान का रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने उपर्युक्त वर्णित लेखों, शोध-प्रबन्धों, विनिबन्धों तथा पुस्तकों के द्वारा समाजशास्त्र की बड़ी सेवा की है। आपने इस नवीन-विषय



समाजशास्त्र को निम्नलिखित सिद्धान्त, अवधारणाएँ, कार्य-प्रणाली एवं प्रारूप प्रदान किये हैं—

### 1. सिद्धान्त (Theory)

1. समाज में धर्म के विभाजन का सिद्धान्त,
2. आत्महत्या का सिद्धान्त,
3. धर्म का सिद्धान्त,
4. मूल्यों का सिद्धान्त,
5. नैतिकता का सिद्धान्त, और
6. ज्ञान का समाजशास्त्र।

### 2. अवधारणाएँ (Concepts)

1. सामाजिक तथ्य,
2. सामूहिक चेतना,
3. सामूहिक अन्तर्विभेक,
4. सामूहिक प्रतिनिधान,
5. सामाजिक एकता,
6. प्रकार्यवाद,
7. आत्महत्या,
8. आदर्शहीनता,
9. यात्रिक तथा जैविक एकता, और
10. कानून, अपराध तथा दण्ड की अवधारणाएँ।

### 3. कार्य-प्रणाली (Methodology)

1. 'सामाजिक तथ्य' वस्तुएँ हैं जो मापे जा सकते हैं,
2. प्रस्थापनाएँ तथ्यात्मक सामग्री पर आधारित होती हैं,
3. तुलना, और
4. सहचरता विचरण द्वारा प्रमाण।

### 4. प्रारूप (Typology)

यात्रिक एवं जैविक एकात्मकता।

## समाजशास्त्र के विकास में योगदान (Contribution in the Development of Sociology)

आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र विषय का नामकरण किया तथा अपना अधिक समय इसे एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया। दुर्खीम ने कॉम्ट के धार्य को आगे बढ़ाया। दुर्खीम ने भी समाजशास्त्र को एक पृथक् सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थान दिलवाने के लिए अनेक कार्य किये। आपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किये। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें समाजशास्त्रीय तथ्यों को वस्तुओं का दर्जा प्रदान करने के लिए व्याख्याएँ और विवेचनाएँ कीं।

दुर्खीम का प्रमुख लक्ष्य 'सामाजिक घटनाओं' और 'सामाजिक समस्याओं' पर विधि-कारकों के प्रभावों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना था। आपने इस बात

पर भी विशेष जोर दिया कि सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक व्याख्या तथा मनोवैज्ञानिक ज्ञान को कोई आनश्यकता नहीं है। आपने भी कॉम्ट की इस बात का समर्थन किया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मरचना आदि को समझने के लिए समाजशास्त्र को मनोविज्ञान विषय की सहायता नहीं चाहिए बल्कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र के ज्ञान पर आधारित है। आपने समाजशास्त्र को 'सामूहिक मानसिक घटनाओं' का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार समूह में नियन्त्रित रहते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों तथा ऑकड़ों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को भी निश्चित किया जो समाजशास्त्रीय सन्दर्भ में इनका विश्लेषण कर सके। इस प्रकार दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक नूतन तथा विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो एक वास्तविक और स्वतन्त्र विषय के रूप में समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है।

**दुर्खीम के अभिगृहीत (Assumptions of Durkheim)**—दुर्खीम निम्नलिखित बातों को मानते थे जिन्हें विद्वानों ने इनके अभिगृहीत कहा है—

- (1) समाज में सामूहिक अन्तर्विवेक (चेतना) विद्यमान होता है।
- (2) पूर्ण योग से अधिक होता है।
- (3) सामाजिक तथ्य यथाथ होते हैं।
- (4) अनुरूपता से सयुक्तता आती है।
- (5) श्रम-विभाजन से सयुक्तता आती है।
- (6) मना सामूहिक विचारों पर आधारित होती है।
- (7) सामाजिक तथ्य समाजीय आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- (8) जनसंख्या के आकार, सामाजिक घनत्व और श्रम-विभाजन में परिवर्तन आता है।
- (9) विसमानता समाज के लिए प्रकार्यत्मक होती है।

### **पद्धतिशास्त्र (Methodology)**

दुर्खीम ने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम' में समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विस्तार से वर्णन और व्याख्या की है। कॉम्ट की तरह आपने भी समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों की तरह निश्चिन्त, यथार्थ, आनुभविक, प्रयोगसिद्ध तथा प्रमाणित विज्ञान का स्तर प्राप्त कराने का सुनिश्चित प्रयास किया। उन्होंने समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर ही बल नहीं दिया बल्कि व्यवस्थित प्रक्रिया का वर्णन भी किया है। उन्होंने अपने विनिबन्धों—'समाज में श्रम-विभाजन', 'आत्महत्या' और 'धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरूप' में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके प्रमाणित कर दिखाया कि इन पद्धतियों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय अध्ययन में करना सम्भव है।

दुर्खीम की मान्यता रही कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किये जाते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र के

अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। किसी विषय की वैज्ञानिकता उसकी अध्ययन पद्धति, दृष्टिकोण, मान्यताओं, नियमों आदि पर निर्भर करती है। समाजशास्त्र विषय को वैज्ञानिक रूप को मान्यता दिलवाने के लिए आपने इसकी अध्ययन पद्धति में अनेक विशेषताओं को स्पष्ट किया। आपने सिद्ध किया कि समाजशास्त्रीय तथ्य भी उसी प्रकार से यथार्थ हैं जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्य हैं। आपने कहा कि सामाजिक तथ्य भी वस्तुओं के रूप में अध्ययन के विषय हो सकते हैं, इनको एकत्र करने की पद्धति पर भी आपने प्रकाश डाला है।

दुर्खीम ने कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विषय, इसकी अध्ययन पद्धति, दृष्टिकोण, विषय सामग्री, अध्ययन के क्षेत्र आदि का विस्तार से अध्ययन किया तथा कॉम्ट के कार्यों और उद्देश्यों को विज्ञान जगत् में उचित स्थान दिलवाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य पद्धतिशास्त्र से सम्बन्धित विशेषताओं का वर्णन और व्याख्याएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(1) समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का अनुकरण (Imitation of methods of Natural Sciences in Sociology)—दुर्खीम कॉम्ट से प्रभावित थे। अतः कॉम्ट के समान आपने अनुसन्धान के समय कल्पना, भावना, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत रुचि आदि में स्वतंत्र रहने का सुझाव दिया। कॉम्ट ने समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर विशेष जोर दिया। दुर्खीम ने कॉम्ट के इस आग्रह को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसन्धान के आधार पर सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध किया। दुर्खीम ने सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों (जैसे—अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, तुलना और विश्लेषण) का प्रयोग करने का सुझाव दिया। आपने अपने अध्ययनों में इन विधियों का प्रयोग करके इनकी उपयोगिता और व्यावहारिकता को भी सिद्ध कर दिया। कॉम्ट की तरह आप समाजशास्त्र के पद्धतिशास्त्र में यथार्थता, वास्तविकता, प्रत्यक्षवाद आदि पर बल देते हैं। इनके अलावा दुर्खीम ने और भी अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है।

(2) सामाजिक तथ्य वस्तु के रूप में (Social facts in the forms of things)—दुर्खीम समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान सिद्ध करना चाहते थे तथा आप सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसे मानते थे। इसके लिए इन्होंने यह सिद्ध किया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं के रूप में किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से वस्तुओं का अवलोकन और मापन हो सकता है उसी भाँति सामाजिक तथ्यों का भी अवलोकन और मापन किया जा सकता है। आपने सामाजिक तथ्यों को दो विशेषताएँ—बाह्यता और वाध्यता बताई हैं। आपका मानना है कि इन दो विशेषताओं ने सामाजिक तथ्यों को भौतिक वस्तुओं की भाँति अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण आदि करने के लिए सम्भव बना दिया है।

(3) वस्तुनिष्ठता (Objectivity)—दुर्खीम तथा उनके समर्थकों एव शिष्यों ने समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता पर विशेष जोर दिया है। आपने कहा कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में समाजशास्त्रियों को स्वयं की भावना, विचार, मूल्य तथा पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र रहना चाहिए। तथ्यों का सकलन, वर्णन और व्याख्या निष्पक्ष रहकर करनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता से

तात्पर्य है कि तथ्यो एव घटनाओ का अध्ययन उसी रूप में करना चाहिए जिस रूप में वे सामने आती हैं। घटना तथा तथ्यो का अध्ययन "क्या है?", "क्यों है?", "कैसे है?" तथा "क्या होगा?" के अनुसार करते हैं तो ऐसा अध्ययन वस्तुनिष्ठ कहलाता है। अगर अध्ययन में "क्या होना चाहिए?" सम्मिलित हो जाता है तो वह अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं होकर मानवतावादी अथवा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन हो जाता है।

(4) कारण-प्रभाव सम्बन्ध (Cause-effect Relation)—दुर्खीम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए सुझाव दिया और कहा कि समाजशास्त्रीय घटनाओं में कारण और प्रभावों के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन करना चाहिए तथा घटनाओं से सम्बन्धित सिद्धान्त बनाने चाहिए। आपने कारण-प्रभावों के परस्पर सम्बन्धों के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख किया है, जैसे—सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध, विपरीत सम्बन्ध आदि। जैसे आपने स्वयं के विनिबन्धों में सामाजिक तथ्यों के निर्धारण-कारकों की खोज पूर्व के सामाजिक तथ्यों में की थी उसी प्रकार से आपने सुझाव दिया कि सम्बन्धित पूर्व के सामाजिक तथ्यों का सकलन, परीक्षण और विश्लेषण होना चाहिए।

(5) तुलनात्मक विधि (Comparative Method)—दुर्खीम ने समाजशास्त्र में मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तुलनात्मक विधि के प्रयोग पर जोर दिया। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों, आँकड़ों तथा जानकारी की परस्पर तुलना करनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तविकता का पता चलेगा। तुलनात्मक अध्ययन दो या अधिक समाजों का हो सकता है अथवा एक ही समाज के दो या अधिक कालों का हो सकता है आदि-आदि। तुलनात्मक विधि विज्ञान में तथ्यों के परस्पर कारण-सम्बन्ध देखने की प्रणाली है जिसका समाजशास्त्र में भी प्रयोग होना चाहिए।

(6) सामूहिक चेतना (Collective consciousness)—दुर्खीम ने समाजशास्त्र में सामूहिक चेतना के अध्ययन द्वारा मानव समाज को समझने का सुझाव दिया है। अनेक व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना के सम्मेलन से सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। यह सामूहिक चेतना व्यक्ति से बाहर होती है तथा व्यक्ति पर नियन्त्रण रखती है। यह व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है।

(7) सामूहिक प्रतिनिधान (Collective Representation)—दुर्खीम के मत में सामूहिक प्रतिनिधान ही समाजशास्त्र की विषय-वस्तु है अतः आपने सामूहिक प्रतिनिधानों के अध्ययन पर जोर दिया है। इन्हे समाज के सभी सदस्य बिना किसी आशका के स्वीकार करते हैं। दुर्खीम के अनुसार लोगों के मन में जिन विचारों और व्यवहारों के सम्बन्ध में भावनात्मक संयुक्तता और मानसिक स्वीकृति उत्पन्न हो जाती है, वे सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं।

(8) अवलोकन (Observation)—दुर्खीम ने पद्धतिशास्त्र के अन्तर्गत अवलोकन पर विशेष जोर दिया है। आपने अपनी कृति "समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम" के अध्याय-दो में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की विवेचना की है। आपने पहिला नियम यहाँ दिया है कि 'सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा मानो'। वस्तुपरक अवलोकन के लिए घटना की विशेषताओं का विवेचन किया जाना चाहिए न कि घटना से सम्बन्धित विद्यमान विचारों का। समाजशास्त्री जब भी किसी सामाजिक तथ्य का

अन्वेषण करे तो उम्मे घटना में आने वाले लक्षणों, तथ्यों तथा वास्तविकताओं का अग्रलोकन तथा अध्ययन करना चाहिए तथा इन्हें व्यक्ति के पूर्वाग्रह से स्वतन्त्र होना चाहिए।

### समाज में श्रम-विभाजन (The Division of Labour in Society)

दुर्खोम ने अपनी प्रथम कृति 'समाज में श्रम-विभाजन' में कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया है जिनका दूर विज्ञान के विकास पर प्रभाव पड़ा है। आपने इस कृति में श्रम-विभाजन के कारणों, प्रकारों, परिणामों तथा प्रभावों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से वर्णन और व्याख्या की है। इसके साथ-साथ आपने सामाजिक एकता के कारणों, प्रकारों तथा प्रभावों का भी विश्लेषण किया है। इन दोनों विषयों (श्रम-विभाजन तथा सामाजिक एकता) के साथ-साथ आपने सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य समाज से सम्बन्धित बातों की व्याख्या भी की है।

दुर्खोम ने सर्वप्रथम श्रम-विभाजन के कारणों का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष दिया कि श्रम-विभाजन का कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना है। आपने श्रम-विभाजन के आर्थिक कारण को सही नहीं माना। आपने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो वह समाज में अनेक आवश्यकताओं को जन्म देती है। उनको पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के सदस्य आपस में श्रम को बाँटें तथा अपना अस्तित्व बनाये रखें। अगर सभी एक प्रकार का कार्य या व्यवसाय करेंगे तो कठिनाई होगी। इसलिए दुर्खोम ने निष्कर्ष दिया कि जब-जब जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है, तब-तब समाज में एकता बनाये रखने के लिए श्रम का विभाजन होता है।

दुर्खोम ने आलोच्य पुस्तक में समाजों को दो वर्गों में बाँटा है—पहिले, वे समाज जिनमें श्रम-विभाजन बहुत अल्प है अथवा नहीं है तथा दूसरे, वे समाज जिनमें श्रम-विभाजन है। जिन समाजों में श्रम-विभाजन होता है उनमें विशेषीकरण की मात्रा बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप उनमें पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्याश्रितता बढ़ जाती है। दुर्खोम के मत में पारस्परिक निर्भरता के कारण सदस्य परस्पर सहयोग करते हैं, इससे समाज में साव्यधी या जैविक एकता पैदा हो जाती है। इस प्रकार दुर्खोम ने अपने अध्ययन में पाया कि जनसंख्या में वृद्धि से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया यांत्रिक एकता से साव्यधी एकता की ओर परिवर्तित होती है जो निम्न प्रकार से अप्रसिद्ध होती है—

(1) यांत्रिक एकता (Mechanical Solidarity)—यांत्रिक एकता व्यक्तियों की सजातीय एकता पर आधारित होती है। जब जनसंख्या कम होती है तो समाज के सदस्यों में परस्पर श्रम-विभाजन का अभाव होता है अथवा श्रम-विभाजन नहीं के बराबर होता है। विशेषीकरण भी नहीं होता है। उनमें परस्पर मानवीय-व्यवहार, बौद्धिक-आचार एव सामाजिक सजातीयता होती है। उनके विश्वास, विचार, आचरण, व्यवहार आदि एक से होते हैं। परम्परा का प्रभुत्व होता है। वैयक्तिकता और व्यक्तिवाद का अभाव होता है। सामाजिक चेतना में सजातीयता होती है। पवित्रकारी कानून का प्रभुत्व होता है। इनको परस्पर एक सूत्र में बाँधने वाली कड़ी सर्वसम्मत जनमत होता है जो व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक सजातीयता पर आधारित होता है। आदिम समाज तथा छोटे ग्रामीण समाज में यांत्रिक एकता होती है।

( 2 ) सावयवी एकता (Organic Solidarity)—दुर्खीम ने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जब समाज में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि समाज में श्रम का विभाजन हो अर्थात् अलग-अलग लोग भिन्न-भिन्न कार्य और व्यवसाय करें। अगर सभी एक ही व्यवसाय करेंगे तो परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा जीविकोपार्जन कठिन हो जायेगा। इस प्रकार जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे-वैसे श्रम का विभाजन होता है। श्रम के विभाजन से विशेषीकरण बढ़ता है। अलग-अलग लोग समाज की आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग कार्य करते हैं। व्यक्ति कोई एक कार्य सम्पूर्ण समाज के सदस्यों के लिए करता है तथा स्वयं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। दुर्खीम ने तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम का विभाजन भी बढ़ता है। जो जिस काम को करता है उससे उसमें विशेषीकरण आ जाता है। लोगों की परस्पर एक-दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप वे परस्पर एक-दूसरे से सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनमें एकता पैदा हो जाती है। इस प्रकार से विकसित एकता को दुर्खीम ने सावयवी एकता कहा है। समाज में जनसंख्या की वृद्धि के कारण यान्त्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर परिवर्तन होता रहता है। नगरो तथा महानगरो में सावयवी एकता होती है।

समय के साथ-साथ श्रम का विकास होता है। दुर्खीम के अनुसार यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति है। जब श्रम का विभाजन अधिक हो जाता है तब वह सामाजिक घटनाओं में निम्नलिखित परिवर्तनों को लाता है—व्यक्तियों में बौद्धिक और नैतिक समानता लुप्त हो जाती है। उनमें वैयक्तिकता और व्यक्तिवाद बढ़ जाता है। उनकी रुचियों, विश्वासों, मनो, आचारी आदि में बहुत कम समानता रह पाती है। विशेषीकरण से परम्परा का प्रभाव कम हो जाता है। जाति के प्रतिबन्ध शिथिल हो जाते हैं। सामान्य सामाजिक चेतना में कमी आ जाती है। व्यक्तियों में सजातीयता नहीं रहती है। सामाजिक बन्धनों की भूमिका भी शिथिल हो जाती है। अगर कोई नूतन बन्धन नहीं हो तो समूह की एकता नष्ट हो जाए। श्रम का विभाजन उस नूतन बन्धन की भूमिका को निभाता है। समूह की ठोस एकता अब व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता और विषम-जातीयता पर आधारित होती है। यह सब श्रम के विभाजन के कारण होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के केवल एक विशिष्ट हिस्से के कार्य को पूरा करता है, इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहता है इसलिए सभी एक-दूसरे से सहयोग करते हैं। इस प्रकार यान्त्रिक-एकता सावयवी-एकता में परिवर्तित हो जाती है।

### आत्महत्या का सिद्धान्त (Theory of Suicide)

दुर्खीम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त अपनी पुस्तक 'आत्महत्या' (The Suicide), 1897 में दिया था। इनके द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धान्त समाजशास्त्र विषय में महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान है। इस अध्ययन में आपने आत्महत्या के कारणों, प्रकारों, अन्य सिद्धान्तों आदि का अनेक प्रकार से परीक्षण, निरीक्षण वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण आदि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया है। इस अध्ययन में आपने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि आप एक महान् समाजशास्त्री हैं। आपने निष्कर्ष दिया कि आत्महत्या के कारणों और व्याख्याओं को समाज में खोजना चाहिए।

सर्वप्रथम आपने उन सब कारणों और सिद्धान्तों की जाँच की जो आपके समय में विद्यमान थे। आपने सर्वेक्षण द्वारा सिद्ध किया कि आत्महत्या का कारण मनोविकृति, प्रजाति, वंशानुसंक्रमण, भौगोलिकता, अनुकरण, अन्य विशुद्ध मनोवैज्ञानिक कारक, गरीबी, असफल प्रेम तथा अन्य वैयक्तिक प्रेरक नहीं होते हैं। इन्होंने इन सब कारकों की आँकड़ों के आधार पर जाँच की और पाया कि इनमें से कोई भी कारक आत्महत्या का कारण नहीं है। इसके बाद दुर्खीम ने स्पष्ट किया कि महत्त्वपूर्ण आत्महत्याओं के प्रकार—अहंमन्यवादी, परार्थवादी और अप्रतिमानित आत्महत्याओं के कारण पूर्ण रूप से सामाजिक हैं। इसलिए इनके कारणों को भी समाज में ही खोजना चाहिए। आपने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया है। यह व्यक्तिगत या निजी क्रिया नहीं है। यह समाज के दबाव के कारण की जाती है। आपके अनुसार आत्महत्या के कारणों, प्रकारों, परिणामों, तथ्यों आदि का अन्वेषण तथा व्याख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करनी चाहिए। अब हम दुर्खीम द्वारा वर्णित आत्महत्या के तीन प्रमुख प्रकारों की विवेचना करेंगे।

(1) अहंमन्यवादी आत्महत्या (Egoistic Suicide)—दुर्खीम के मत में अहंमन्यवादी आत्महत्या का कारण व्यक्ति का सामाजिक अकेलापन तथा अलग-थलग पड़ जाना होता है, सामाजिक समूह से लगाव की मात्रा का कम हो जाना है। व्यक्ति का स्वयं को समाज से उपेक्षित और कटा-कटा-सा महसूस करना है। यही कारण है कि एकाकी और तलाकशुदा व्यक्तियों में आत्महत्या की दर या प्रतिशत विवाहित लोगों की तुलना में अधिक होती है। विवाहित लोगों को पारिवारिक बन्धन अकेलापन अनुभव नहीं होने देते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म कट्टरपन्थी होता है, वह अपने धर्मावलम्बियों को एकता में बाँधे रखता है। उनमें आत्महत्या की दर कम होती है। प्रोटेस्टेण्ट धर्म खुले विचारों वाला होता है, उनमें बन्धन कठोर नहीं होते हैं। उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है। दुर्खीम ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जब अकेलापन बढ़ता है तो आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ता है तथा जब सामाजिक बन्धन कठोर होते हैं तथा अकेलापन न्यून होता है तो आत्महत्या का प्रतिशत भी घट जाता है।

(2) परार्थवादी आत्महत्या (Altruistic Suicide)—दुर्खीम का मानना है कि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वह समूह का बन जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णरूप से समूह अथवा समाज में लीन हो जाता है। उसका अपना व व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। उसके स्वयं के कोई हित, इच्छा या उद्देश्य नहीं होते हैं। यह अपना जीवन समाज अथवा समूह को समर्पित कर देता है। अवसर आने पर वह अपना जीवन समाज, समूह, देश, जाति आदि के लिए बलिदान कर देता है। दुर्खीम बलिदान को ही परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सैनिकों द्वारा देश के लिए जीवन का बलिदान, राजपूत वीरगणनाओं द्वारा जौहर तथा जनजातियों में गान्धिक एकता के फलस्वरूप व्यक्ति का समाज के लिए जीवन समर्पित करना इस प्रकार की आत्महत्या के उदाहरण हैं।

(3) अप्रतिमानित आत्महत्या (Anomic Suicide)—अप्रतिमानित अथवा आदर्शहीन आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब सामाजिक सन्तुलन आकस्मिक रूप से तुरन्त नष्ट हो जाता है, जब समाज की नैतिक संरचना का यकायक क्रम बिगाड़ने का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वह अपने को सन्तुलित नहीं रख पाता है और आत्महत्या कर बैठता है तो

ऐसी आत्महत्या को दुर्खीम ने अप्रतिमानित आत्महत्या कहा है। आपका कहना है कि आर्थिक सकट और बैंको के असफल या दिवाला पिट जाने के प्रभाव से पीड़ित लोग आत्महत्या करते हैं वह इसी प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है।

दुर्खीम का मानना है कि यह आत्महत्या असन्तुलन के कारण होती है। अगर असन्तुलन आकस्मिक खुशहाली से उत्पन्न होता है तब भी लोग आत्महत्या करते हैं। आपने अपने अध्ययन में यह भी निष्कर्ष दिया कि सामान्यतया यह मानना गलत है कि आत्महत्या का कारण गरीबी का बढ़ना है क्योंकि अनेक गरीब लोग, समाज और वर्ग हैं कि वे आत्महत्या जैसी बात जानते तक नहीं हैं। आत्महत्या से सम्बन्धित दुर्खीम का एक नियम यह भी है कि सामाजिक असन्तुलन से आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ता है।

### धर्म का सिद्धान्त (Theory of Religion)

दुर्खीम ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त अपने तीसरे विनिबन्ध 'धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरूप', 1912 में प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में आपने धर्म को प्रकृति, स्रोत, स्वरूप, प्रभाव और धर्म में भिन्नताओं का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आपने धर्म की सामान्य और प्रचलित परिभाषा—'ईश्वर में विश्वास अथवा पारलौकिक शक्तियों में विश्वास' की कटु आलोचना की है तथा धर्म की निम्न परिभाषा दी है, "धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों और आचरणों की संगठित व्यवस्था है, कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा जाता है तथा उन पर निषेध लगा दिए जाते हैं—वे विश्वास और आचरण जो एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं तथा वे सभी जो उससे जुड़े होते हैं, गिरजाघर कहलाता है।" दुर्खीम ने उपर्युक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए सभी वस्तुओं और घटनाओं को दो वर्गों में बाँटा है—धार्मिक और लौकिक। धर्म अपने मतावलम्बियों को यह भी सिखाता है कि इन दोनों वर्गों को नहीं मिलारें। ऐसा करना पाप है। पवित्र वस्तुएँ धर्म के अन्तर्गत आती हैं। साधारण क्रियाएँ, वस्तुएँ आदि लौकिक के अन्तर्गत आती हैं।

आपने धर्म को भी सामाजिक तथ्य बताया है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति का स्रोत भी समाज को माना है। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के विषय में टायलर, स्पेंसर, मैक्स मूलर आदि के सिद्धान्तों की कटु आलोचना की है। आपने धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरूपों का अध्ययन करने के बाद धर्म की उत्पत्ति का स्वयं का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त दिया। धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक बातें और विशेषताएँ समाज की विशेषताएँ ही होती हैं। ईश्वर समाज का ही मानवीकरण होता है। धर्म के यथार्थ कार्य समाज के निर्माण, पुनर्स्थापना और समाज की एकता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। आपके अनुसार धर्म की उत्पत्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है। धर्म समाज में सामाजिक नियन्त्रण बनाए रखने का कार्य करता है। धार्मिक जीवन सम्पूर्ण सामूहिक जीवन की सार रूप में अभिव्यक्ति है। धार्मिक शक्तियाँ एक प्रकार से मानवीय और नैतिक शक्तियाँ हैं। आपने धर्म के अध्ययन द्वारा एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आप प्रत्येक घटना का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। आप प्रत्येक घटना या समस्या की उत्पत्ति, विकास, कारण, प्रभाव, प्रकृति, प्रकार आदि को समाज में खोजते हैं।



## सामूहिक चेतना (Collective Consciousness)

दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का विवेचन अपनी प्रथम कृति 'समाज में श्रम-विभाजन' में किया है। आपने सामूहिक चेतना की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

"एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाये जाने वाले सम्पूर्ण विश्वास और भावनाएँ सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती हैं।"

दुर्खीम ने लिखा है कि व्यक्तिगत-चेतना सामूहिक-चेतना से भिन्न होती है। ये भिन्न-भिन्न तत्वों से मिलकर बनती हैं। व्यक्ति की मानसिक क्रियाएँ, भावनाएँ और विचारों का योग मिलकर व्यक्ति को व्यक्तिगत चेतना बनाती है। सामूहिक चेतना का निर्माण एक ही समाज के अधिकांश लोगों की व्यक्तिगत चेतना से मिलकर होता है। दुर्खीम के अनुसार व्यक्तिगत चेतना का योग जिस पूर्ण का निर्माण करता है वह योग से अधिक होता है। यह व्यक्ति पर नियन्त्रण रखता है।

जब अनेक व्यक्ति परस्पर अन्तःक्रिया करते हैं तब उनमें परस्पर विचारों और नैतिकता का आदान-प्रदान होता है। धीरे-धीरे ये व्यक्तिगत चेतनाएँ परस्पर घुलमिल जाती हैं तथा सामूहिक चेतना के रूप में विकसित हो जाती हैं। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से भिन्न, स्वतन्त्र और अधिक शक्तिशाली होती है। इनका अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है। व्यक्ति जब इनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है तब उसे सामूहिक चेतना के दबाव तथा नियन्त्रण का ज्ञान होता है। व्यक्ति इन्हे सामाजिककरण के द्वारा सीखता है। सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर तथा व्यक्ति पर नियन्त्रण रखने का कार्य करती है।

## सामूहिक प्रतिनिधान (Collective Representation)

समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्थान दिलाने के लिए दुर्खीम ने अनेक अवधारणाएँ, सिद्धान्त तथा पुस्तकें लिखीं। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का निर्माण उनके प्रमुख योगदानों में से एक है। आपके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार अथवा विचार होते हैं जो सारे समाज में फैले होते हैं तथा ये सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्तियों पर सामाजिक नियन्त्रण रखते हैं। आपने सामूहिक प्रतिनिधान को समाजशास्त्र की प्रमुख अध्ययन वस्तु बताया है। सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक चेतना के द्वारा बनते हैं। ये वे व्यवहार अथवा विचार होते हैं जिनके प्रति लोगों के मन में मानसिक और भावनात्मक लगाव उत्पन्न हो जाते हैं। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। व्यक्तिगत चेतना की अन्तःक्रिया से सामूहिक चेतना बनती है तथा सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। दुर्खीम के अनुसार, धार्मिक विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, सम्स्कार, ज्ञान की श्रेणियाँ, सामय, स्थान आदि का वर्गीकरण सामूहिक प्रतिनिधान हैं। किसी देश का झण्डा, धार्मिक ग्रन्थ जैसे—बाइबिल, रामायण, गीता, गुरु ग्रन्थ, धार्मिक स्थान—मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद, मठ आदि सामूहिक प्रतिनिधानों के उदाहरण हैं। दुर्खीम का मानना है कि किसी समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने के लिए उसके सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना परम आवश्यक है।

## सामाजिक तथ्य (Social Fact)

दुर्खीम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्तर प्रदान करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए उनमें से सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रमुख स्थान रखती है। आपने कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार समाजशास्त्र को भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। आपने कहा कि सामाजिक तथ्य वस्तुएँ हैं तथा इनकी दो विशेषताएँ हैं—बाह्यता और बाध्यता।

बाह्यता से अर्थ है कि सामाजिक तथ्य का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है तथा ये व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। बाध्यता के विषय में दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक तथ्य समूह की चेतना के द्वारा बनते हैं इसलिए वे व्यक्ति पर नियन्त्रण रखते हैं।

दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। आप सभी मानवीय व्यवहारों, विचारों, भावनाओं, सामूहिक प्रतिनिधानों आदि को सामाजिक तथ्य मानते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की निम्न परिभाषा दी है, "सामाजिक तथ्य व्यवहार (विचार, अनुभव या क्रिया) का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुपरक रूप से सम्भव है और जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को मजबूर करता है।" आपका कहना है कि जिस प्रकार से वस्तु का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण सम्भव है उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों का भी सम्भव है क्योंकि आप सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानते हैं।

दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण त्रिनिदन्धों—'समाज में श्रम का विभाजन', 'आत्महत्या' और 'धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरूप' को प्रस्तुत किया है। आपका कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धान्तों का निर्माण करने के लिए तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाज से सम्बन्धित सिद्धान्तों का निर्माण करने के लिए किया जाना अत्यावश्यक है।

### इमाइल दुर्खीम : एक संक्षिप्त परिचय

( 1858-1917 )

#### 1. जीवन-चित्रण (Background)

- 1 फ्रांस के यहूदी परिवार में जन्म—1858।
- 2 कानून एवं निरवयवतात्मक दर्शन में प्रशिक्षित।
- 3 ज्ञान प्राप्ति का प्रचलन।
- 4 फ्रांस में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अव्यवस्था।

#### 2. उद्देश्य (Aims)

मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं की तुलना में सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं पर इनके प्रभावों को समझना।

#### 3. अभिग्रह (Assumptions)

1. सामूहिक अन्तर्विवेक (चेतना) विद्यमान होता है, पूर्ण योग से अधिक होता है।
2. सामाजिक तथ्य वास्तविक होते हैं।

- 3 अनुरूपता या सादृश्यता से निबद्धता आती है।
- 4 श्रम के विभाजन से निबद्धता आती है।
- 5 शक्ति सामूहिक विचारों पर आधारित होती है।
- 6 सामाजिक तथ्य सामाजिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 7 जनसंख्या-आकार, सामाजिक घनत्व और श्रम के विभाजन में परिवर्तन।
- 8 विपथगमन समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है।

#### 4. कार्य प्रणाली (Methodology)

- 1 'सामाजिक तथ्य' वस्तुएँ हैं जो मापे जा सकते हैं।
- 2 प्रस्थापनाएँ तथ्यात्मक सामग्री (इतिहास) पर आधारित होती हैं।
- 3 तुलना।
- 4 सहवर्ती विचरण द्वारा प्रमाण।

#### 5. प्रारूप (Typology)

यान्त्रिक एवं जैविक एकात्मकता।

#### 6. समस्याएँ (Issues)

- 1 'सामूहिक अन्तर्विवेक' का अस्तित्व।
- 2 जनसंख्या प्रभाव की प्रासंगिकता।
- 3 'सामाजिक तथ्य' का मापन।
- 4 'सामाजिक तथ्य' किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 इमाइल दुर्खीम के जीवन एवं कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- 2 इमाइल दुर्खीम के समाजशास्त्रीय योगदान की विवेचना कीजिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

- 1 इमाइल दुर्खीम के विचारों पर अन्य विद्वानों का प्रभाव
- 2 समाज में श्रम-विभाजन
- 3 धर्म का सिद्धान्त
- 4 सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा
- 5 सामूहिक चेतना की अवधारणा
- 6 सामाजिक तथ्य की अवधारणा
- 7 अद्वैतहत्या का सिद्धान्त
- 8 दुर्खीम की प्रमुख कृतियों में से किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 दुर्खीम किस देश के निवासी थे?  
 (अ) जर्मनी (ब) अमेरिका  
 (स) फ्रांस (द) इंग्लैंड  
 [उत्तर- (स)]
- 2 'आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त' किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है?  
 (अ) स्पेन्सर (ब) मार्क्स  
 (स) वेबर (द) दुर्खीम  
 [उत्तर- (द)]
- 3 'दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसायटी' पुस्तक के रचयिता कौन हैं?  
 (अ) मर्टन (ब) दुर्खीम  
 (स) आगस्ट कॉम्ट (द) मैक्स वेबर  
 [उत्तर- (ब)]
- 4 'सामाजिक तथ्य' की अवधारणा किस विद्वान ने दी है?  
 (अ) दुर्खीम (ब) मैकीवर  
 (स) युर्वे (द) श्रीनिवास  
 [उत्तर- (अ)]
- 5 'यात्रिक एव सावयवी एकता' की अवधारणा के निर्माता कौन हैं?  
 (अ) दुबे (ब) योगेन्द्र सिंह  
 (स) डी पी मुकर्जी (द) इमाइल दुर्खीम  
 [उत्तर- (द)]
- 6 निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाइए  
 (1) दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसायटी (क) 1992  
 (2) दा रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड (ख) 1893  
 (3) दा म्युमाइड (ग) 1897  
 (4) दा एलांमेन्टी फार्म्स ऑफ द रिलिजियस लाइफ (घ) 1895  
 [उत्तर- (1) ख, (2) घ, (3) ग, (4) क]
- 7 दुर्खीम का जन्म कब हुआ था?  
 (अ) 1858 (ब) 1818  
 (स) 1864 (द) 1838  
 [उत्तर- (अ)]
- 8 दुर्खीम का देहान्त कब हुआ था?  
 (अ) 1885 (ब) 1920  
 (स) 1917 (द) 1912  
 [उत्तर- (स)]

## अध्याय-2

# दुर्खीम : सामाजिक तथ्य (Durkheim : Social Fact)

दुर्खीम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्तर प्रदान करने के लिए अनेक सिद्धान्त, अवधारणाएँ, कार्य-प्रणाली तथा प्रारूप आदि प्रतिपादित किये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा प्रतिपादित 'सामाजिक तथ्य' की अवधारणा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिकशास्त्र तथा रसायनशास्त्र आदि विज्ञानों का स्थान है, उसी प्रकार से आपने सामाजिक विज्ञानों में 'सामाजिक तथ्य' की अवधारणा को सहायता से समाजशास्त्र को वैसा स्थान तथा महत्त्व दिलवाने का प्रयास किया। आपने इस अवधारणा के द्वारा समाजशास्त्र को एक विशिष्ट, स्वतन्त्र तथा सुनिश्चित विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का जीवनपर्यन्त प्रयास किया। आपकी विभिन्न पुस्तकों तथा लेखों से स्पष्ट होता है कि आपने समाजशास्त्र के विषय-क्षेत्र तथा विषय-सामग्री पर भी विशेष प्रकाश डाला है। आपके अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषयवस्तु सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से अपनी विश्वविख्यात कृति—'दा रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1895 में प्रकाश डाला है। इसका हिन्दी अनुवाद—'समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम' है। दुर्खीम ने इस पुस्तक को उस समय लिखा था जब समाजशास्त्र की विषय-सामग्री तथा वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली सुनिश्चित नहीं थी। आपने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान का प्रतिष्ठित स्थान तथा सम्मान दिलवाने के लिए इस पुस्तक में समाजशास्त्र की विषय-सामग्री तथा वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार से वर्णन किया है। दुर्खीम ने इस पुस्तक में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय-वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसके कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जो इस पुस्तक के निम्न वर्णित अध्यायों से स्वयं स्पष्ट हो जाता है—

### अध्याय

### विषय

- I सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं?
- II सामाजिक तथ्यों के प्रेक्षण के विषय
- III सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम
- IV सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण करने के नियम
- V सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम
- VI समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना में सम्बन्धित नियम
- VII निष्कर्ष

सामाजिक तथ्य से सम्बन्धित उपर्युक्त पृष्ठभूमि, इतिहास, सामान्य परिचय तथा महत्त्व के बाद अब सामाजिक तथ्य का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ, अवलोकन के नियम, वर्गीकरण, प्रकार तथा प्रमाणों के नियम आदि की विवेचना की जाएगी।

कार्यव्यो आदि की घाट दिलाते हैं तथा कहते हैं कि उसे उनका पालन करना चाहिए। इन्हीं को दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य कहा है जो व्यक्ति के बाहर विद्यमान होते हैं।

सामाजिक तथ्य की इस बाधता को दुर्खीम ने निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया है। आपका कहना है कि चेतना को दो भागों में बाँटा जा सकता है—वैयक्तिक चेतना और सामूहिक चेतना। दुर्खीम का मत है कि वैयक्तिक चेतना का भौतिक आधार संवेदनाएँ हैं। अनेक स्नायुकोषों की परस्पर क्रियाओं के द्वारा संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं। आपका मानना है कि प्रसार और संयोग की क्रियाओं के कारण तत्वों की संरचना और स्वरूप बदल जाता है। संवेदनाओं के प्रसार और संयोग से प्रतिभाओं का जन्म होता है। प्रतिभाओं के प्रसार और संयोग अथवा सम्मिलन और सगठन से व्यक्ति के विचार जन्म लेते हैं।

व्यक्ति के विचार ही वैयक्तिक चेतना बन जाते हैं, जब व्यक्ति भाषा के द्वारा वैयक्तिक चेतना (विचारों) को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाता है। दूसरों के वैयक्तिक विचारों (चेतनाओं) को सुनता है। समाज के विभिन्न सदस्यों में परस्पर वैयक्तिक चेतनाओं का स्थानान्तरण, प्रसार और संयोग होता है जिसके परिणामस्वरूप एक नवीन चेतना का जन्म होता है। इसी नवीन चेतना को दुर्खीम सामूहिक चेतना कहते हैं, जो व्यक्ति के बाहर होती है। क्योंकि सामूहिक चेतना सामाजिक तथ्य हैं इसलिए सामाजिक तथ्य भी व्यक्ति के बाहर ही विद्यमान होते हैं।

(2) बाध्यता (Constraint)—दुर्खीम के अनुसार बाध्यता सामाजिक तथ्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाध्यतामूलक प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति और समूह के व्यवहार समाजसम्मत बने रहते हैं। दुर्खीम ने निम्न शब्दों में सामाजिक तथ्य की बाध्यता की इस विशेषता को व्यक्त किया है, “एक सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति से पहिचाना जाता है।”

सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखते हैं। दुर्खीम के अनुसार, “एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह पत्येक तरीका है... जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है।” व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का पालन करने के लिए मजबूर होता है। अगर व्यक्ति सामूहिक चेतना के परिणाम—सामाजिक तथ्यों का पालन नहीं करे तो समाज उसे दण्ड देता है। इसलिए सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर नियन्त्रण, दबाव तथा प्रभाव रखते हैं। सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तिगत चेतना से नहीं होता है। ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। इसी कारण ये तथ्य व्यक्ति पर प्रभाव एवं दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों की विशेषता सामाजिक दबाव, प्रभाव या नियन्त्रण है जो व्यक्ति से सर्वोपरि तथा श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति को इनका पालन करना होता है।

समाज के कानून, आचार, नैतिकता, प्रथाएँ, परम्पराएँ आदि सामाजिक तथ्य हैं। जब व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तब उसे इनकी बाध्यता या दबाव का अनुभव होता है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की बाध्यता की विशेषता निम्न प्रकार से स्पष्ट की है, “इस प्रकार के विचार तथा व्यवहार व्यक्ति के बाह्य मात्र ही नहीं होते हैं अपितु अपनी दबाव शक्ति के कारण, व्यक्ति की इच्छा से स्वतन्त्र वे अपने आपको उस पर लागू करते हैं। निस्सन्देह जब मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ और उनके अनुरूप आचरण करता हूँ, तब यह दबाव कम प्रतीत होता है।” दुर्खीम ने आगे लिखा है, “तथापि यह दबाव इन तथ्यों की अतर्निहित विशेषता

होती है और इसका परिणाम यह होता है कि जब मैं इनका विरोध करने का प्रयास करता हूँ तो ये अपना और भी अधिक दबाव डालते हैं।"

कानून एक सामाजिक तथ्य है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा-पूर्ति कानून का उल्लंघन करके करता है तो उस व्यक्ति को बीच ही में ऐसा करने से रोका जायेगा। कार्य पूरा हो जाता है तो कानून के उल्लंघन द्वारा हानि को पूरा करने के लिए व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है। दुर्खीम ने अनेक उदाहरण देकर सामाजिक तथ्य की बाध्यता की विरोधता को बार-बार समझाया है। आपने लिखा है कि जो नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं, उन पर वेबू प्रतिबन्ध लगाती है। उल्लंघन करने पर दण्ड भी दिया जाता है। यदि व्यक्ति अपने समाज की परिपाटियों का उल्लंघन करता है, अपनी वेश-भूषा, प्रचलित रीति-रिवाजों को मानता है तो उसका उपहास होता है, उसकी आलोचना की जाती है तथा उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। ये सब कुछ अप्रत्यक्ष दबाव होते हैं, लेकिन प्रभावपूर्ण होते हैं जिनके कारण सामाजिक तथ्यों का पालन किया जाता है। व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का विरोध तथा उल्लंघन करने में भले ही सफलता प्राप्त करले परन्तु उसके लिए उसे सर्वदा सधर्ष करना पड़ता है।

दुर्खीम लिखते हैं, "यदि मैं इन नियमों से अपने आपको स्वतन्त्र कर भी लेता हूँ तथा सफलता से इनका उल्लंघन करता हूँ तो भी मैं सर्वदा इनसे सधर्ष कर के लिए बाध्य किया जाता हूँ। अन्त में निष्प्रभावित होकर भी वे अपने दबाव का अपने प्रतिरोध द्वारा हमें अनुभव करा देते हैं।" आपने सामाजिक तथ्य की यह विशेषता एक बार फिर निम्न शब्दों में व्यक्त की है, "इनमें (सामाजिक तथ्यों में) कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके शामिल हैं, जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियन्त्रित करते हैं।"

दुर्खीम का मानना है कि दबाव सामाजिक तथ्य की अपरिहार्य विशेषता है। यह दबाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। आप लिखते हैं, "एक सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति में पहचाना जाता है जिसका प्रयोग यह व्यक्ति पर करता है या व्यक्तियों पर प्रयोग कर सकने के योग्य है और इस शक्ति की उपस्थिति इसके लिए विशिष्ट अनुमति में या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के प्रतिरोध से जानी जाती है।"

दुर्खीम ने सामाजीकरण और शिक्षा के द्वारा सामाजिक तथ्य की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाध्यता को स्पष्ट किया है। आपका कहना है कि सामाजीकरण और शिक्षा के द्वारा बच्चे को जन्म से ही धीरे धीरे एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। उसे मानव समाज की संस्कृति सिखाई जाती है। समाज की परम्पराएँ, रीति-रिवाज, नियम, व्यवहार करने के तरीके, समय पर खाना-पीना, सोना-बैठना आदि सिखाया जाता है, बच्चा इनको धीरे-धीरे सीख लेता है। उसके व्यवहार प्रतिबन्धित हो जाते हैं। सामाजीकरण के द्वारा बच्चे का ऐसा विकल्प किया जाता है कि बड़ा होने पर वह समाज के नियमों का पालन करता है। धीरे-धीरे ये सब कुछ सीखे हुए व्यवहार काय करने के तरीके, आधार आदि उसकी आदत बन जाती हैं। ये सब कुछ सीखे हुए मूल्य आदर्श परम्पराएँ, नियम, रीति-रिवाज आदि जो सामाजिक तथ्य हैं बच्चे के बड़े होने पर उसके कार्य करने के तरीकों को नियन्त्रित करते हैं। उस पर समाजसम्मत कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं। ये दबाव प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष, औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जब व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तब उसे इन सामाजिक तथ्यों के दबाव का अनुभव होता है। यह दबाव बहुत प्रभावशाली होता है।

सामाजिक तथ्य की उपर्युक्त दो विशेषताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ और भी विशेषताएँ हैं, जिनकी विवेचना इसको समझने के लिए आवश्यक है।

(3) अधि-वैयक्तिक (Super-Individual)—सामाजिक तथ्य में सामाजिकता का गुण निहित होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति, विकास तथा निरन्तरता आदि समाज पर आधारित होती हैं। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है। इन तथ्यों का सम्बन्ध व्यक्तिगत चेतना से नहीं होकर समाज, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, सामूहिक अन्तर्विवेक आदि से होता है। दुखीम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति और वैयक्तिक चेतना से उच्च और बाहर माना है क्योंकि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के जीवन को नियन्त्रित और निर्देशित करते हैं। सामाजिक तथ्यों के अनुसार ही व्यक्ति को समाज में अपना जीवन यापन करना होता है। सामाजिक तथ्य किसी एक व्यक्ति के नहीं होते अपितु सम्पूर्ण समाज के होते हैं। यद्यपि सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तियों की सचेतनाओं, उनके प्रसार और संयोग की क्रियाओं से होता है। इसके उपरान्त भी सामाजिक तथ्यों की निरन्तरता तथा निर्भरता व्यक्ति-विशेष पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि यह तो सम्पूर्ण समाज की धरोहर है जो व्यक्ति की चेतना तथा सामाजिक क्रियाओं को नियन्त्रित तथा निर्देशित करती है। प्रथाएँ, रूढ़ियाँ परम्पराएँ आदि सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा नहीं, अपितु सम्पूर्ण समूह द्वारा निर्मित होती हैं। यह बात भले ही है कि किसी का अनुभव, सहयोग इन्हे आगे बढ़ाने में सहायक रहा हो। लेकिन यह अक्षरशः सत्य है कि सामाजिक तथ्य अनेक व्यक्तियों की अन्त क्रिया एवं विचार-विनिमय के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते हैं। सामाजिक तथ्यों का निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन एवं परिवर्धन होना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसे नियन्त्रित करने की क्षमता किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती। इसी में दुखीम ने सामाजिक तथ्यों को अधिवैयक्तिक कहा। वे इनको पूर्ण रूप से सामाजिक हैं तथा मनोवैज्ञानिकता से स्वतन्त्र।

(4) सामाजिकता (Sociability)—चूँकि सामाजिक तथ्य मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं, साथ ही वे समाज की उपज होते हैं, अतः सामाजिक तथ्यों की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति-विशेष के नहीं होते हैं, वरन् वे सम्पूर्ण समाज के होते हैं। वे समाज की सम्पूर्ण जीवन-विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप होता है। जनरीति, प्रथा, रूढ़ियाँ, संस्थाएँ, कानून, आधार, नैतिकता, धर्म, परम्पराएँ आदि सामाजिक तथ्य के उदाहरण हैं। ये समाज की विशेषताओं को प्रकट करते हैं, इसलिए दुखीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत नहीं हैं, अपितु इनमें सामाजिकता का गुण निहित होता है।

(5) सार्वभौमिकता एवं विशिष्टता (Universality and Uniqueness)—सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता इनकी सार्वभौमिकता का लक्षण है जिससे तात्पर्य है कि समाज में जहाँ-जहाँ मानव समाज है, वहाँ-वहाँ सामाजिक तथ्य भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये सम्पूर्ण समाज तथा सभी समूहों में विद्यमान होते हैं। शिक्षा तथा सामाजिकरण



की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक तथ्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी सिखाये जाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक तथ्य व्यक्तियों तथा समूहों के बीच पाये जाते हैं जो समाज में सन्तुलन, समन्वय, एकता तथा व्यवस्था पैदा करते हैं तथा उमें नियन्त्रित और मंचालित करते हैं। दुर्खोम के अनुसार सामाजिक तथ्य सम्पूर्ण मानव समाज में विद्यमान होते हैं अर्थात् सार्वभौमिकता सामाजिक तथ्य को एक विशिष्ट विशेषता है।

(6) कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं (Ways of acting, thinking and feeling)—सामाजिक तथ्य को एक विशेषता यह है कि ये समाज तथा समूह के सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। दुर्खोम के अनुसार, "सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं।" मानव समाज एक ऐसा समाज है, जिसके पास सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और उद्देश्य, उनको पूरा करने के सस्थागत साधनों आदि को निश्चित करते हैं। समाज में व्यक्ति के सांस्कृतिक लक्ष्य तथा सस्थागत साधनों को सामाजिक तथ्य ही निश्चित करते हैं कि क्या उचित है? क्या अनुचित है? क्या समाजसम्मत है? तथा क्या बुरा या समाज-विरोधी है? व्यक्ति सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा काम करने, सोचने तथा अनुभव करने के तरीके सीखता है। व्यवहार करना सीखता है। समाज की प्रथाएँ, नियम, कानून, परम्पराएँ, संस्थाएँ आदि व्यक्ति तथा समूह के काम करने, सोचने, अनुभव करने आदि को मंचालित, नियन्त्रित तथा निर्देशित करते हैं। क्योंकि ये सब सामाजिक तथ्य हैं।

(7) सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं (Social facts are learned)—दुर्खोम का मानना है कि सामाजिक तथ्य (सामाजिक प्रतिनिधान) सामाजिकीकरण के द्वारा सीखे जाते हैं। इससे सामाजिक तथ्य की यह विशेषता स्पष्ट होती है कि सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं, ये शारीरिक विशेषताओं के समान वशानुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होते। मनुष्य जन्म के समय किसी भी सामाजिक तथ्य को नहीं जानता। दुर्खोम के अनुसार व्यक्ति का धीरे-धीरे सामाजिकीकरण होता है और वह अपने समाज के व्यवहार-प्रतिमानों को सीखता है और सीखे हुए व्यवहार-प्रतिमान ही सामाजिक तथ्य हैं। दुर्खोम इन्हे सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, सामूहिक अन्तर्विवेक आदि नामों से पुकारता है। सामाजिक तथ्य केवल ये सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्विकृत तथा मान्यता-प्राप्त होते हैं। दुर्खोम ने सामाजिक तथ्यों के सीखने की विशेषता के संदर्भ में एक सामाजिकीकरण का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है जो समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिनिधानों के सिद्धान्त के नाम से विख्यात है।

दुर्खोम के अनुसार प्रथाएँ, परम्पराएँ, मूल्य, व्यवहार प्रतिमान तथा सामाजिक मानदण्ड सामूहिक प्रतिनिधान इसलिए हैं कि ये सम्पूर्ण समूह तथा समाज द्वारा निर्मित होते हैं और समाज का प्रत्येक सदस्य इनका पालन करता है। दुर्खोम के अनुसार सामाजिक प्रतिनिधान सामाजिक तथ्य हैं। व्यक्ति सामाजिक प्रतिनिधानों अर्थात् सामाजिक तथ्यों को सीखता रहता है और उसके सामाजिकीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। दुर्खोम के अनुसार सामाजिक प्रतिनिधानों का आन्तरीकरण ही सामाजिकीकरण है। निष्कर्षतः दुर्खोम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विशेषता इनका सीखा जाना है।

सामाजिक तथ्यों की प्रमुख समाजशास्त्रीय विशेषताएँ—बाह्यता, नाध्यता, अधि-वैयक्तिकता, सामाजिकता, सार्वभौमिकता आदि हैं। दुर्खोम के अनुसार सामाजिक तथ्य

समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करना आना चाहिए। दुर्खीम ने इसके निम्न नियम बताये हैं।

## II. सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम (Rules for the Observation of Social Facts)

दुर्खीम ने 'सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम' अपनी पुस्तक— 'समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम' के द्वितीय अध्याय में दिये हैं। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दुर्खीम का मत था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता जब तक यह वैज्ञानिक विधियों को नहीं अपनाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आपने कहा कि हमें अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समस्या का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के अनुसार अध्ययन या अनुसन्धान करना चाहिए। ऐसा करने पर ही समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित वस्तुपरक अध्ययन करने वाला विज्ञान बन पायेगा।

दुर्खीम ने समाजशास्त्र को तथ्यों पर आधारित विज्ञान बनाने के लिए ही समाजशास्त्र की अध्ययन-वस्तु सामाजिक तथ्य बताई। सामाजिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणित अध्ययन पर जोर दिया। परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि से सम्बन्धित नियम तथा अनुमन्वान की प्रक्रिया एवं चरणों को सुनिश्चित तथा स्पष्ट किया। आपने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न पक्षों को बताया ही नहीं बल्कि अपने विनिबन्धों तथा अध्ययनों में उनका पालन करके व्यावहारिक पक्ष की सत्यता को भी सिद्ध किया। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा बनाने के लिए समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य की विवेचना करने के बाद इन तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण आदि करने के लिए निम्नांकित नियम प्रतिपादित किये हैं। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन या प्रेक्षण करते समय निम्न चार नियमों का पालन करना चाहिए तभी समाजशास्त्र एक विज्ञान की श्रेणी में आ पायेगा—

- 1 सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझे
- 2 सभी पूर्व-धारणाओं का उन्मूलन
- 3 विषय-सामग्री की परिभाषा
- 4 वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथक्ता।

अब हम एक-एक करके इनका सक्षिप्त अध्ययन करेंगे।

1 सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझें (Consider Social Facts as Things)—दुर्खीम ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए अध्ययन पद्धति में तथ्यों के अवलोकन पर विशेष जोर दिया है। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के सम्बन्ध में आपने पहिला नियम "सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझे" बताया है। पुस्तक के दूसरे अध्याय 'सामाजिक तथ्यों के प्रेक्षण (अवलोकन) के नियम' की पहली पंक्ति में दुर्खीम ने लिखा है, "प्रथम तथा सर्वाधिक भौतिक नियम है—सामाजिक तथ्यों पर

वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए।" आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन भौतिक तथ्यों की तरह से करना चाहिए। आप चाहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, तभी समाजशास्त्र में वस्तुपरक तथा वास्तविक अध्ययन सम्भव हो पायेगे। दुर्खीम के समय तक समाजशास्त्र की विषय-वस्तु को विचार तथा अवधारणा मानकर अध्ययन किया जाता था। रॉबर्ट थोरस्टीड ने इसी सत्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, "अभी तक अर्थात् दुर्खीम के समय तक समाजशास्त्र वस्तुओं की अपेक्षा अवधारणाओं से सम्बन्धित रहा है।" दुर्खीम का मत है कि जब तक समाजशास्त्री समाजशास्त्र की अध्ययन-सामग्री का अध्ययन विचार या अवधारणा मानकर करेगा, तब तक वह वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर सकता।

दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर अध्ययन करने का आग्रह केवल इसलिए किया था जिससे अध्ययन वास्तविक तथा वस्तुपरक बन जाए और वैज्ञानिक के विचारों और मानसिक क्रियाओं का प्रभाव समाप्त हो जाए। आपने लिखा है, "ज्ञान के वे सभी विषय 'वस्तु' हैं जो कि केवल मानसिक क्रियाओं द्वारा नहीं जाने जा सकते, बल्कि उनको मालूम करने के लिए हमें निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा मस्तिक के बाहर से आँकड़े प्राप्त करने होंगे।"

दुर्खीम का मत है कि जब हम सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर अवलोकन तथा विश्लेषण करेंगे तो वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों तथा मूल्यों का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से ही समाजशास्त्रीय अध्ययन तटस्थ, निष्पक्ष तथा वस्तुपरक हो पाएँगे और समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में स्थापित हो पाएगा। दुर्खीम के अनुसार वस्तु निम्न है, "वह सब जो दिया हुआ है, वह सब जिसका अवलोकन किया जा सकता है, उसमें एक वस्तु की विशेषताएँ हैं।"

दुर्खीम का सदैव इस वास्तविकता पर विशेष जोर तथा आग्रह रहा है कि सामाजिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से नहीं समझना चाहिए। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा व्यक्तिगत चेतना से स्वतन्त्र रखकर अध्ययन करना चाहिए। दुर्खीम सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत चेतना से स्वतन्त्र मानते हैं और इसलिए इन्होंने सामाजिक तथ्य की दो विशेषताओं—बाह्यता और बाध्यता पर जोर दिया है। इन दो विशेषताओं के आधार पर ही आपने सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने, देखने, अवलोकन करने तथा निष्कर्ष निकालने पर जोर देते हुए समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा वस्तुनिष्ठ, वाम्बविक, पक्षपातरहित विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रीगणेश किया था। आप चाहते थे कि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री को अपनी सभी पूर्व-धारणाओं से स्वतन्त्र होना चाहिए यह तभी हो सकता है जब वह प्राकृतिक वैज्ञानिकों की तरह से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करे तथा स्वयं की पूर्व-धारणाओं, विचारों, मतों से स्वतन्त्र रहे। इसको दुर्खीम ने निम्न नियम के अन्तर्गत स्पष्ट किया है।

## 2. पूर्व-धारणाओं का उन्मूलन (Eradication of Pre-conception)—

सामाजिक अध्ययनों में एक आधारभूत कठिनाई यह होती है कि अध्ययनकर्ता, वैज्ञानिक तथा अध्ययन की वस्तु दोनों मानव होते हैं। जब वैज्ञानिक (जो एक मानव है) समाज तथा

व्यक्तियों का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक मानव को स्वयं की कुछ पूर्व धारणाएँ, संस्कृति, विश्वास, धर्म, मूल्य आदि हैं, बीच में आ जाते हैं। ये उसे सामाजिक अध्ययन को निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप से अध्ययन नहीं करने देते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक अपनी संस्कृति, समाज तथा धारणाओं के सन्दर्भ में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण तथा विरलेपण करता है जो अवैज्ञानिक तथा पक्षपातपूर्ण है। इसी सन्दर्भ में दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्री तथा सामाजिक वैज्ञानिकों को समाज का अध्ययन करते समय विषय-वस्तु से सम्बन्धित जितनी भी धारणाएँ, मान्यताएँ, पूर्वाग्रह, कल्पनाएँ आदि उसके मस्तिष्क में हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। दुर्खीम ने, "सभी पूर्व-धारणाओं का उन्मूलन" अवलोकन के दूसरे नियम के अन्तर्गत विस्तार में स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करते समय समाजशास्त्रियों को अपनी व्यक्तिगत पूर्ण धारणाओं से सतर्क रहना चाहिए। दुर्खीम का मत है कि समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने में जितना अधिक अपने को पूर्व-धारणाओं से स्वतन्त्र रखेगा उतना ही अधिक वह सामाजिक तथ्यों का अवलोकन वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप से कर पाएगा। अवलोकन करते समय वैज्ञानिक के विचार, धर्म, नैतिकता आदि से जितना अधिक सम्बन्धित और प्रभावित रहेगे उतना ही अधिक ये विचार तटस्थ अध्ययन तथा वस्तुनिष्ठ अवलोकन में कठिनाई पैदा करेंगे। दुर्खीम ने यह बात निम्न शब्दों में व्यक्त की है, "यह भावनात्मक प्रकृति तथ्यों को समझने और उनकी व्याख्या करने की हमारी विधि को दूषित कर देती है।"

दुर्खीम लिखते हैं कि व्यक्तिपरक दृष्टि से बचने के लिए सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु मानकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए तभी सत्य सामने आएगा तथा वास्तविकता स्पष्ट होगी। उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मान्यताओं तथा सत्य को ही महत्त्व देना चाहिए। आपका कहना है कि मानव का स्वभाव है कि जिन विषयों से उसका लगाव होता है उनके विरोध में वह कुछ भी देखना, सुनना तथा जानना नहीं चाहता है। चूँकि वैज्ञानिक भी एक मानव है इसलिए उसे इस प्रकार के स्वाभाविक लक्षणों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इसलिए दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का दूसरा नियम 'पूर्व-धारणाओं का उन्मूलन' बताया है।

3. विषय-सामग्री की परिभाषा (Definition of the Subject-matter) — दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का तीसरा नियम विषय-सामग्री अथवा विषय-वस्तु की परिभाषा बताया है। समाजशास्त्री जिस तथ्य या सामग्री का अवलोकन करना चाहता है उसकी सुनिश्चित, स्पष्ट तथा सीमित परिभाषा देनी चाहिए तभी वह वस्तुपाक और वैज्ञानिक अवलोकन कर पाएगा। दुर्खीम ने इस नियम के सम्बन्ध में लिखा है, "अतः समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा देना होना चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है ताकि उसकी विषय-सामग्री का पता लग जाए। वह सभी प्रमाणों तथा पुनर्परीक्षाओं को सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक अपरिहार्य दशा है।"

दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्री अपने अध्ययन को सामग्री जैसे सामाजिक तथ्यों तथा वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा दे जो उसके शोध से सम्बन्धित हैं तथा जिनका वह अवलोकन करना चाहता है य' अध्ययन करना चाहता है। आपका आग्रह है कि वैज्ञानिक परिभाषा देते समय बाहरी विशेषताओं पर विशेष ध्यान दे। परिभाषा में उन विशेषताओं का

स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनको देखा, परखा तथा जाँचा जा सके। ऐसा करने से वैज्ञानिक कम समय में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन कर सकेगा तथा इधर-उधर भटकने से बचेगा। दुर्खीम का कथन है कि पूर्व-परिभाषाएँ वैज्ञानिक के अनुसन्धान में मार्गदर्शन करती हैं। वैज्ञानिक केवल यथार्थ और प्रमाणित तथ्यों का अवलोकन करेगा। वैज्ञानिक इच्छाएँ और पूर्व-धारणाएँ भी अध्ययन को प्रभावित नहीं करेगी। आपका सुझाव है कि सभी सामाजिक विज्ञानों को अध्ययन की घटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए तथा अध्ययन और अवलोकन के क्षेत्र को सुनिश्चित तथा निर्धारित करना चाहिए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दुर्खीम ने अध्ययन की सामग्री की परिभाषा का नियम स्पष्ट करके अनुसन्धान के लिए कई लाभ प्रदान किए हैं, जिससे वैज्ञानिक के लिए अध्ययन की घटना, तथ्य, क्षेत्र तथा बाहरी विशेषताएँ सुनिश्चित हो जाती हैं। वस्तुनिष्ठ अध्ययन के अवसर बढ जाते हैं। वैज्ञानिक को पूर्व-धारणाओं का अध्ययन में प्रवेश प्रतिबन्धित हो जाता है तथा अध्ययन पक्षपात रहित होता है।

4. वैयक्तिक तथा सामाजिक तथ्यों की पृथक्ता (Separation of Individual and Social Facts)—दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से सम्बन्धित चौथा और अन्तिम नियम "सामाजिक तथ्यों का वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतन्त्र अनुसन्धान" का दिया है। दुर्खीम ने इस नियम को निम्न प्रकार से दिया है, "जब-जब समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की किसी व्यवस्था को अन्वेषण के लिए स्वीकार करे तब-तब उसका यह प्रयास होना चाहिए कि वह ऐसे पहलू से विचार करे जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतन्त्र हों।" यह सर्व विदित है कि जब वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के सन्दर्भ में तथ्यों की व्याख्या कर बैठता है। यह मानव की कमजोरी है जो वैज्ञानिक बनने पर भी बनी रहती है। दुर्खीम सामाजिक वैज्ञानिकों को इस कमजोरी से अवगत कराना चाहते हैं, सतर्क रहने को कहते हैं। इसीलिए आपने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से सम्बन्धित एक नियम प्रतिपादित करके सामाजिक वैज्ञानिकों को आगाह किया है कि वे अवलोकन, वर्णन, व्याख्या तथा विश्लेषण करते समय व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, धारणाओं, भावनाओं आदि को अलग रखें। उन्हें अन्वेषण में कोई स्थान नहीं दें। सामाजिक घटनाएँ, सामाजिक तथ्य आदि जिस प्रकार के हैं उनका प्यो-का प्यो अवलोकन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करें। इस प्रकार से अध्ययन करने पर ही सामाजिक अन्वेषणों में वैज्ञानिकता आ सकती है। वैज्ञानिक को पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में उसकी व्यक्तिगत विशेषताएँ, जैसे—दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श, जीवन चित्रण आदि वैयक्तिक अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर जाती है। इसीलिए दुर्खीम ने इस नियम को प्रतिपादित किया है।

दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से सम्बन्धित उन नियमों को प्रतिपादित किया है जो अध्ययन की वस्तु तथा वैज्ञानिक के मानव होने के कारण वस्तुनिष्ठ अध्ययन की सम्भावना में वृद्धि करते हैं। वैज्ञानिक की पूर्व-धारणाओं का उन्मूलन, वैयक्तिक अभिव्यक्ति को अलग रखना, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा तथा बाह्य विशेषताओं का अवलोकन सभी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक अनुसन्धान में वैज्ञानिक मानव होता है जो मानव से सम्बन्धित समाज का अध्ययन करते समय अनेक व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित रहता है।

तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर पाता है। दुर्खीम का कथन है कि अगर वैज्ञानिक उपर्युक्त नियमों का कड़ाई से पालन करे तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा।

### III. सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम (Rules for Distinguishing between the Normal and the Pathological Facts)

दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के निर्धारण के पश्चात् तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के दो प्रकारों—सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद या अन्तर करने के नियमों की विवेचना की है जो इस प्रकार है। दुर्खीम का कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करते समय दो प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। कुछ तथ्य वे होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं। इन समाज-समस्त तथ्यों को दुर्खीम ने सामान्य तथ्य की संज्ञा दी है। इन सामान्य तथ्यों के विपरीत अवलोकन के समय कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो सामाजिक प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं जिन्हें दुर्खीम ने 'असामान्य' या 'व्याधिकीय तथ्य' की संज्ञा दी है।

(1) सामान्य तथ्य (Normal Facts)—दुर्खीम ने सामान्य तथ्यों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सामान्य तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं। आपने आगे लिखा है कि सामान्य तथ्य सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं।

(2) व्याधिकीय तथ्य (Pathological Facts)—दुर्खीम के अनुसार असामान्य तथ्य या व्याधिकीय तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं। व्याधिकीय तथ्य जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है ये समाज में व्याधि पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

दुर्खीम का मत है कि समाजशास्त्र की विषय-वस्तु की परिभाषा करते समय इन दोनों प्रकार के तथ्यों को इसलिए सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि सामान्य तथ्य सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं तथा व्याधिकीय तथ्य समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इन दोनों प्रकार के तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण आवश्यक है।

दुर्खीम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में अन्तर करने के निम्नलिखित नियम दिए हैं—

1. व्यापकता (Extensiveness)—दुर्खीम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में अन्तर करने का पहिला नियम व्यापकता का बताया है। आपके अनुसार व्यापकता अन्तर करने का वैज्ञानिक मापदण्ड है। जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से या अधिकता से विद्यमान हैं वे सामान्य तथ्य होते हैं। दुर्खीम के अनुसार, "हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक हैं और दूसरी को अस्वस्थ या व्याधिपूर्ण।" किसी सामाजिक तथ्य की सामान्यता का लक्षण उसकी व्यापकता से मापा जा सकता है। जब कोई तथ्य समाज के लिए विशेष उपयोगी होता है, तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है। ऐसा तथ्य ही सामान्य तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। दुर्खीम ने लिखा है कि व्यापकता का गुण

समाज के तथ्यों की सामान्यता का लक्षण होता है। आपने स्पष्ट किया है कि जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से पाए जाते हैं वे तथ्य ही सामान्य तथ्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। सामाजिक घटनाएँ अनेक बातों में अलग-अलग रूपों में प्रकट होती हैं। ऐसा होने के उपरान्त भी इनके मौलिक गुण बने रहते हैं। आपका कहना है कि इनमें परिवर्तन भी बहुत कम होते हैं। समय तथा स्थान के कारण इनमें यदा-कदा परिवर्तन हो भी सकता है। दुर्खीम का मत है, "हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सबसे अधिक व्यापक हैं तथा दूसरी को अस्वस्थ अथवा व्याधिपूर्ण।"

दुर्खीम के अनुसार, तथ्य की व्यापकता का गुण समय तथा स्थान मापेक्ष भी होता है। एक सामाजिक व्यवहार एक समाज में एक काल में मान्य हो सकता है तथा वही व्यवहार दूसरे काल में अमान्य हो सकता है। इसी प्रकार से एक स्थान पर कोई व्यवहार उचित तथा दूसरे स्थान पर अनुचित करार दिया जा सकता है। स्वतन्त्रता-प्राप्त से पहिले जाति व्यवस्था में विवाह, व्यवसाय आदि वंशानुगत थे। कोई व्यक्ति परम्परागत व्यवसाय छोड़ नहीं सकता था। आज ऐसा नहीं है। युद्ध में दुरमनो की हत्या करना पाप नहीं है। जो तथ्य व्यापक होते हैं जिनकी आवृत्ति अधिक होती है, समाज द्वारा मान्य होते हैं, स्वीकृत प्रतिमानों के अनुसार होते हैं, वे सामान्य तथ्य होते हैं, तथा वे तथ्य व्यापक या व्याधिकीय होते हैं जिनकी आवृत्ति न्यून होती है, समाज द्वारा अस्वीकृत होते हैं, स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं।

2. उपयोगिता (Utility)—जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी अथवा लाभदायक होगा। ऐसा भी है कि जो तथ्य जितना उपयोगी होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता और उपयोगिता दोनों ही गुण सामान्य तथ्य के लक्षण हैं जो सामान्यतया साथ-साथ मिलते हैं। परन्तु ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। दुर्खीम का कहना है कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है। इसी प्रकार अधिक आवृत्ति का होना भी तथ्य को महत्वपूर्ण बना देता है। दुर्खीम ने व्यापकता, उपयोगिता तथा आवृत्ति के सम्बन्ध में निम्न सम्भावनाएँ भी व्यक्त की हैं—

1. सामान्य तथ्य अधिक व्यापक होते हैं।
2. सामान्य तथ्य अधिक उपयोगी होते हैं।
3. कभी-कभी प्रकट होने वाले व्याधिकीय तथ्य कम उपयोगी होते हैं।
4. यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से अधिक उपयोगी हो।
5. यह भी आवश्यक नहीं है कि जो तथ्य उपयोगी हो वे सामान्य तथ्य हो।

दुर्खीम ने ये विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किए हैं, "यदि यह सत्य है कि जो कुछ सामान्य है वह आवश्यक हुए बिना उपयोगी हो तो यह सत्य नहीं है कि जो कुछ उपयोगी है वह सब सामान्य है।"

3. घटना-क्रम का नियम (Law of Course of Events)—दुर्खीम ने सामान्य तथा व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम घटनाक्रम बताया है। इस नियम के अनुसार आपका कहना है कि सामान्य तथ्य की पुष्टि करना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य को प्रमाणित करना

चाहिए। दुर्खीम का कहना है कि जो घटना किसी समाज में भूतकाल में घटी हो उस घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण के निष्कर्षों के आधार पर अध्ययन करना चाहिए कि क्या वे भूतकाल की परिस्थितियाँ तथा कारण वर्तमान में भी विद्यमान हैं? अगर वे परिस्थितियाँ वर्तमान में विद्यमान हैं तो उन तथ्यों को सामान्य तथ्य मानना चाहिए। यदि वे परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो उनको व्याधिकीय तथ्य समझना चाहिए। दुर्खीम के अनुसार पूर्व में घनी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य को पुष्टि करना अनिवार्य है। इसे घटनाक्रम के निष्कर्षों का नियम भी कह सकते हैं।

4. समाज के विकास का आधार (Basis of Development of Society)—दुर्खीम ने एक नियम सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में अन्तर बरने के लिए समाज के विकास के आधार से सम्बन्धित बताया है। इस नियम के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि जिस समाज में जो सामाजिक तथ्य विद्यमान हैं उस समाज का विकास कितना हुआ है? दुर्खीम का कथन है कि एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के विशिष्ट स्तर से सम्बन्धित होता है। आपका कहना है कि जब कोई तथ्य समाज के विकास के स्तर के अनुरूप होता है तो वह सामान्य तथ्य है और अगर उसके अनुरूप नहीं है तो व्याधिकीय तथ्य कहलाएगा।

इस प्रकार से दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के दोनो क्षेत्रों—सामान्य तथा व्याधिकीय के नियमों की व्याख्या की है। आपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध पर भी प्रकारा डाला है। आपने तथ्यों का सम्बन्ध समाज के विकास के आधार पर समाज के विभिन्न प्रकारों से भी बताया है। इसलिए तथ्यों के अध्ययन में समाज के वर्गीकरण का भी महत्त्व बढ़ जाता है। इसकी भी दुर्खीम ने विवेचना की है।

#### IV. सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम (Rules for the Classification of Social Types)

दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक के चौथे अध्याय में सामाजिक प्रकारों (समाजों) के वर्गीकरण करने के नियमों की विवेचना निम्न प्रकार से की है। आपका कहना है कि सामाजिक अन्वेषण में वर्गीकरण का विशेष महत्त्व होता है। इसी महत्त्व के कारण आपने समाजों के विकास के आधार पर इनके वर्गीकरण के नियमों को प्रतिपादित किया है। आप समाजों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक् इकाइयाँ मानते हैं। आपका यह भी मत है कि समाजों की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं। दुर्खीम का कहना है कि समाजों के अध्ययन के आधार पर सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं। आप समाजों की विशिष्टताओं को भी मान्यता प्रदान करते हैं।

1. वर्गीकरण की पद्धति (Method of Classification)—दुर्खीम ने समाजों के वर्गीकरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार बताई है। आपका कहना है कि सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के समाजों की प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का अवलोकन तथा अध्ययन करना चाहिए। समाजों के महत्त्वपूर्ण लक्षणों को चुनना चाहिए तथा सामान्य विशेषताओं के अध्ययन में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दुर्खीम ने समाजों के वर्गीकरण में विशेषताओं के महत्त्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

“अतः हमें अपने वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषताओं का चयन करना चाहिए।”



दुर्खीम ने सभी समाजों की समस्त विशेषताओं के स्थान पर समाज के प्रकारों की विशिष्ट विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार निश्चित किया है। आपका कथन है कि वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण का विशेष महत्त्व होता है जो अध्ययन को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करता है। इसलिए समाजों के अध्ययन में भी समाजों की समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण करना चाहिए। दुर्खीम ने समाजों की आवश्यक विशेषताओं के अध्ययन का आधार भी वर्णित किया है तथा समाजशास्त्र में इनके अध्ययन के लिए एक विशिष्ट शाखा 'सामाजिक रचनाशास्त्र' (Social Morphology) का सुझाव भी दिया है। आपने लिखा है, "समाजशास्त्र का वह भाग जिसका कार्य सामाजिक प्रारूपों की रचना और वर्गीकरण का अध्ययन करना है 'सामाजिक रचनाशास्त्र' कहा जा सकता है।"

आपका कहना है कि समाज की रचना कुछ अगों से मिलकर होती है। ये विभिन्न अंग जिन लक्षणों तथा प्रकृति के होते हैं उन्हीं के अनुसार समाज की रचना तथा प्रकृति बनती है। आपने समाजों के वर्गीकरण का आधार सरलता माना है।

**वर्गीकरण का आधार — सरलता (Basis of Classification— Simplicity)**— दुर्खीम ने स्पेन्सर की तरह समाजों के वर्गीकरण का आधार सरलता माना है। स्पेन्सर ने कहा है कि वर्गीकरण को सरलतम समाजों से प्रारम्भ करना चाहिए। लेकिन आपने सरलतम समाज की परिभाषा नहीं दी। दुर्खीम ने समाजों का वर्गीकरण सरलतम समाजों से प्रारम्भ करने का सुझाव दिया है तथा सरल समाज की निश्चित परिभाषा भी दी है। आपने सरलता के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया है, जो निम्न चार प्रकार के हैं—

1. सरल समाज (Simple Society)—दुर्खीम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसमें इकाइयाँ भिन्न-भिन्न नहीं होती हैं। इन समाजों को इकाइयों में समानता होती है। श्रम का विभाजन, विशेषीकरण आदि नहीं होते हैं। वह स्वयं में पूर्ण इकाई होते हैं। ये समाज जीवों की सरचना जैसे होते हैं। दुर्खीम के शब्दों में, "अतः सरल समाज वह समाज है जिसमें उससे और अधिक सरल समाज उसमें विद्यमान नहीं होते हैं और जिसके वर्तमान स्वरूप में न केवल एक ही खण्ड विद्यमान होता है, बल्कि उसमें पहिले से भी किसी प्रकार के उपखण्डों की उपस्थिति के निशान नहीं मिलते हैं।" इन समाजों को और छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये आत्म-निर्भर तथा एक पूर्ण इकाई होते हैं। दुर्खीम ने ऐसे समाजों का उदाहरण—'गोत्र-समूह' दिया है। ये मिलकर बहुखण्डीय या अटिल समाजों का निर्माण करते हैं।

2. बहुखण्डीय सरल समाज (Simple Polysegmental Society)—जब कई गोत्र-समूह मिलकर किसी समाज का निर्माण करते हैं तो ऐसे समाज को दुर्खीम बहुखण्डीय सरल समाज कहते हैं। इनको मिश्रित समाज भी कहा जा सकता है। इनका निर्माण करने वाले प्रत्येक खण्ड (गोत्र-समूह) सरल समाज होते हैं। दुर्खीम ने आस्ट्रेलिया की जनजातियों, इराक़ी जनजातियों, प्राचीन एथेन्स के समूहों को ऐसे समाज बताया है। कई गोत्र-समूह में उप-जाति तथा उप-जातियों से जाति-व्यवस्था वाले समाज—ग्रामों का निर्माण होता है, उन्हें भी बहुखण्डीय सरल समाज कह सकते हैं।

3. साधारण मिश्रित बहुखण्डीय समाज (Simple Compounded Polysegmental Society)—जब कुछ बहुखण्डीय सरल समाज परस्पर मिलकर एक

जटिल मिश्रित समाज का निर्माण करते हैं तो इससे जो अधिक विकसित समाज बनता है, उसे दुर्खीम साधारण मिश्रित बहुखण्डीय समाज कहते हैं। क्वाइलो जनजातियाँ इसके उदाहरण हैं। दुर्खीम ने उन जनजातियों को जिन्होंने रोम के नागरिक राज्य का निर्माण किया था, साधारण मिश्रित बहुखण्डीय समाज की श्रेणी में रखा है।

4. दोहरे मिश्रित बहुखण्डीय समाज (Doubly Compounded Polysegmental Society)—दुर्खीम ने इन समाजों को जटिलतम समाज बताया है। ये समाज के विकास के क्रम में उच्चतम श्रेणी के समाज हैं। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखण्डीय समाजों के मिश्रण या योग से होता है। बड़े-बड़े नगर, महानगर, राजधानियाँ ऐसे समाजों के उदाहरण हैं।

## V. सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम (Rules for the Explanation of Social Facts)

अपनी आलोच्य पुस्तक के पाँचवें अध्याय में दुर्खीम ने 'सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम' की विवेचना की है। इसमें समाजशास्त्रीय अध्ययन के चरणों में वर्गीकरण के चरण के बाद तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या के चरण को रखा है। तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या तथ्यों के वर्गीकरण पर आधारित होता है। वर्गीकरण के द्वारा तथ्यों का परस्पर गुण सम्बन्ध, मंगल, कारणीय प्रभाव आदि का विश्लेषण किया जाता है। इनकी सहायता से तथ्यों का वर्णन और व्याख्या सरल तथा तार्किक हो जाती है।

व्याख्या के द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। उन्हें समझने का प्रयास किया जाता है। कुछ विद्वान तथ्यों को व्याख्या के अन्तर्गत तथ्यों के लाभो तथा उपयोगिताओं पर प्रकाश डालते हैं। वॉन्ट ने विकास की व्याख्या कल्याणकारी और सुधारत्मक प्रभावों के आधार पर की है। स्पेन्सर ने व्याख्या के अन्तर्गत परिवार, सरकार इत्यादि के लाभो का वर्णन किया है। दुर्खीम के अनुसार तथ्यों के लाभ या उपयोगिता पर प्रकाश डालना तथ्यों की व्याख्या नहीं है। आपके अनुसार तथ्यों की व्याख्या के अन्तर्गत तथ्यों की उत्पत्ति और प्रकृति का कारणीय वर्णन करना चाहिये। समाजशास्त्री को तथ्यों की व्याख्या सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में करनी चाहिए। दुर्खीम के कथनानुसार तथ्य को उत्पन्न करने वाले कारणों तथा कारणों का अन्वेषण करना चाहिए। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों का कारणीय सम्बन्ध सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ होता है जिसे दुर्खीम सामाजिक प्रकार्य कहते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के सम्बन्ध में अपने विचार निम्न रूप से व्यक्त किये हैं—

“अतः जब किसी सामाजिक घटना की व्याख्या की जाती है तो हमें उसकी उत्पत्ति के मुख्य कारक तथा उसके द्वारा सम्पन्न होने वाले प्रकार्य की अलग-अलग खोज करनी चाहिये।” दुर्खीम ने कारण एवं प्रकार्य में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध बताया है, जो इन्होंने निम्न कथन में स्पष्ट किया है—“परिणामतः किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने में केवल उस कारण को स्पष्ट करना ही पर्याप्त नहीं है, जिस पर वह निर्भर करता है, हमें अधिकतर मामलों में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में इसके प्रकार्यों को भी स्पष्ट करना चाहिए।”

दुर्खीम के द्वारा तथ्यों की व्याख्या के लिए दिये गये नियम सार रूप में निम्नलिखित हैं—

- 1 किसी सामाजिक तथ्य के निर्णायक कारण का अन्वेषण उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं में नहीं।
- 2 किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य वा अन्वेषण किसी सामाजिक लक्ष्य के साथ उसके सम्बन्ध में किया जाना चाहिए।
- 3 किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की सर्वप्रथम उत्पत्ति का अन्वेषण सामाजिक समूह की आन्तरिक संरचना में किया जाना चाहिए।

## VI. समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से सम्बन्धित नियम (Rules Relative to Establishing Sociological Evidences)

दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक के छठे अध्याय में समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से सम्बन्धित नियमों की विवेचना की है। समाजशास्त्रीय अन्वेषण का यह अन्तिम चरण है जिसमें सामाजिक नियमों या निष्कर्षों की स्थापना की जाती है। अन्वेषण में ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और तुलनात्मक विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। दुर्खीम समाजशास्त्रीय नियमों की स्थापना के लिए विधि को उपयुक्त मानते हैं तथा ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक विधियों को अनुपयुक्त। दुर्खीम तुलनात्मक विधि को 'अप्रत्यक्ष प्रयोगात्मक विधि' भी कहते हैं। आपके अनुसार तुलनात्मक विधि भौतिक विज्ञानों को प्रयोगात्मक विधि के समकक्ष है और इसके द्वारा वस्तुपरक निष्कर्षों को प्रतिपादित किया जा सकता है। आपका कहना है कि तुलनात्मक विधि में 'सदैव ही एक विशिष्ट परिणाम से सम्बन्धित एक विशिष्ट कारण होता है' नियम का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी एक परिणाम के कई कारक हैं अथवा एक कारक के कई परिणाम हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययन में कहीं कोई कमी है अथवा उनमें पूर्ण गुण सम्बन्ध की खोज करना शेष है।

आप लिखते हैं कि अगर आत्महत्या के कई कारण हैं तो इसका अर्थ यह भी हो सकता कि आत्महत्या भी कई प्रकार की हैं जिनका तुलनात्मक विधि से ही पता लगाया जा सकता है। आपने तुलनात्मक विधि का समाजशास्त्रीय अन्वेषण में महत्व निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

“हम देख चुके हैं कि समाजशास्त्रीय व्याख्या के अन्तर्गत केवल कारणत्व के सम्बन्धों की स्थापना की जाती है, यह किसी घटना को उसके कारण से या किसी कारण को उसके परिणामों से सम्बन्धित करने का कार्य है। इसके अतिरिक्त क्योंकि सामाजिक घटना स्पष्ट रूप से परीक्षणकर्ता के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होती है, तुलनात्मक विधि ही समाजशास्त्र के लिए एकमात्र उपयुक्त विधि है।”

## VII. निष्कर्ष (Conclusion)

दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक के सातवें अध्याय 'निष्कर्ष' में सामाजिक तथ्य से सम्बन्धित सभी पूर्व उ- अध्यायों के आधार पर निम्न तीन निष्कर्ष दिये हैं—

1 स्वतन्त्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण (Construction of Independent Scientific Method)—दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक 'समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम' में

समाजशास्त्र के लिए एक स्वतन्त्र वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिपादित किया है। अपने समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से अलग करके इसे भौतिक विज्ञान के समान विज्ञान बनाने का प्रयास किया है।

2. वस्तुनिष्ठ पद्धति (Objective Method)—दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक में समाजशास्त्र के लिए जिस अध्ययन पद्धति का निर्माण किया है, वह वस्तुनिष्ठ है। इसमें पक्षपात आने की सम्भावनाएँ नहीं हैं। ऐसा करने के लिए ही आपने सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं के रूप में मानकर अध्ययन करने का आग्रह किया है। वैज्ञानिक द्वारा पूर्व-धारणाओं के उन्मूलन पर जोर दिया है। तथ्यों का अध्ययन चाह्यता तथा चाध्यता के अवलोकन द्वारा करने की यत्नात की है।

3. समाजशास्त्रीय पद्धति (Sociological Method)—दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा, विशंगताएँ, अवलोकन के नियम, प्रकार, वर्गीकरण, व्याख्या के नियम आदि के द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है। आपने समाजशास्त्रीय अध्ययन और व्याख्या को मनोवैज्ञानिक आधार तथा व्याख्या से स्वतंत्रता प्रदान की है। आपने सामाजिक तथ्य की व्याख्या को सामाजिक आधार प्रदान किया है तथा पूर्व के मनोवैज्ञानिक आधारों से स्वतंत्रता प्रदान की है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री को ना दुर्खीम ने स्पष्ट किया है; आपने समाजशास्त्र की विषय सामग्री सामाजिक तथ्य बताये हैं। आपका कहना है कि अब समय आ गया है जबकि समाजशास्त्र को यथार्थ एवं वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। दुर्खीम ने जो समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति विकसित की थी उसे उन्होंने इस पद्धति के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन भी समाजशास्त्र को प्रदान किये हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)—दुर्खीम ने 'समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम' पुस्तक में समाजशास्त्र विषय के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाल कर इस विषय को विज्ञान जगत में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करवाया है। आपकी यह कृति समाजशास्त्र विषय की एक अनमोल कृति है, फिर भी अनेक समाजशास्त्रियों—टाई, सोरोकिन, रेमण्ड, एरन, योरस्टीड, वाइन, रेनल्फ आदि ने आपके द्वारा प्रतिपादित अवधारणाओं, वर्गीकरणों, व्याख्याओं, नियमों आदि की कटु आलोचनाएँ की हैं, जो निम्न हैं—

1. गेब्रिल टाई—आपका मत है कि दुर्खीम ने अपने अध्ययनों में केवल समाज को महत्वपूर्ण माना है व्यक्ति की उपेक्षा की है। आपका तथा सोरोकिन का मत है कि व्यक्ति के चिन्ता समाज की कल्पना करना असम्भव है। इस सम्बन्ध में सोरोकिन ने टाई के आलोचनात्मक कथन को उद्धृत किया है, जो निम्न है—

“मैं मानता हूँ कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी वस्तु शेष रह जायेगी। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग कर दिया जाये तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त भी शेष कुछ रह जायेगा।”

2. सोरोकिन—सोरोकिन भी टाई के मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं, “संक्षिप्त में दुर्खीम की यह वाम्निविकता वैज्ञानिकतानुसार गलत है तथा इसे त्याग देना चाहिए, यह कुछ नहीं है केवल एक अनुचित रहस्यवाद है।”

टाई और सोरोकिन को उपयुक्त आलोचनाएँ एक सीमा तक उपयुक्त हो सकती हैं। वास्तविकता यह है कि दुर्खीम ने मानव को समाज से बिल्कुल पृथक् नहीं किया है। उनका कथन तो यह है कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, परन्तु समाज व्यक्तियों का मात्र योग नहीं है बल्कि योग से अधिक है।

3. रेमण्ड एन—रेमण्ड एन, जो टाई तथा अनेक समाजशास्त्रियों ने दुर्खीम को 'बाध्यता' अवधारणा की कटु आलोचना की है। एन ने बाध्यता शब्द की निम्न शब्दों में आलोचना की है—

“दुर्खीम ने 'बाध्यता' शब्द का प्रयोग अत्यन्त दोषपूर्ण रूप से किया है। कभी-कभी तो यह समझने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है कि क्या केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का सारतत्त्व है, या केवल उनकी बाह्य विशेषता है जो कि उन्हें समझने में सहायता करती है।”

4. टाई—आपने भी 'बाध्यता' शब्द पर आपत्ति उठाई है। आपका कहना है कि स्वतन्त्र सहयोग, स्वतन्त्र अनुकरण, स्वतन्त्र समझौता आदि में बाध्यता या दबाव नहीं है। ये सब सामाजिक तथ्य हैं, परन्तु इनकी विशेषता स्वतन्त्रता है बाध्यता या दबाव नहीं है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य की विशेषता बाध्यता का होना आवश्यक नहीं है। स्वतन्त्रता भी सामाजिक तथ्य की विशेषता होती है।

5. एमिल बेनीयत—स्मुलियन—आपका कहना है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को वस्तु मानने का आग्रह किया है लेकिन 'वस्तु' शब्द का दुर्खीम ने कभी भी स्पष्ट, सुनिश्चित तथा सीमित अर्थ नहीं बताया है। आपने इसे चार भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है। एमिल बेनीयत—स्मुलियन ने इसकी निम्न शब्दों में आलोचना की है—

“इस सूत्र का इच्छित अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि दुर्खीम ने 'वस्तु' शब्द को चार भिन्न अर्थों में, जो कि एक-दूसरे के बहुत निकट नहीं हैं, प्रयोग किया है।”

6. कैटलिन—आपने दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित 'सामूहिक चेतना' की अवधारणा की आलोचना की है। कैटलिन का कहना है कि दुर्खीम ने अपने मनमाने तरीके से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को सामूहिक चेतना की अवधारणा के आधार पर पृथक् किया है तथा इनके क्षेत्र अलग दिये हैं। मनमाने ढंग से पृथक् करना अवैज्ञानिक है।

7. रेमण्ड एन—आपका कहना है कि दुर्खीम ने जो सामान्य तथ्य तथा व्याधितीय तथ्य का भेद किया है, वह झुटिपूर्ण है। दुर्खीम विशुद्ध वैज्ञानिक बन रहना चाहते थे। वैज्ञानिक वह जो 'क्या है?', 'क्यों है?', 'कैसे है?' और 'क्या होगा?' का अध्ययन करता है। तार्किक दुर्खीम इस बात पर भी आग्रह करते थे कि “क्या होना चाहिए?” का भी अध्ययन समाजशास्त्री को करना चाहिए। 'क्या होना चाहिए?'—का अध्ययन उपयोगितावादी करते हैं। इस प्रकार दुर्खीम भी उपयोगितावादी बन गये। एन ने यह वस्तुस्थिति अग्रलिखित रूप में व्यक्त की है—

“इस अन्तर का महत्त्व दुर्खीम की सुधारवादी योजना से सम्बन्धित है, जैसा कि हम जानते हैं, वह विशुद्ध वैज्ञानिक होना चाहता था, परन्तु यह विचार उसे यह कहने से नहीं रोक सका कि समाजशास्त्र एक घण्टे के परिश्रम के योग्य भी नहीं होगा, यदि उसके द्वारा हम समाज को सुधारने में समर्थ नहीं होते। वह इस वैषयिक और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर व्यावहारिक योजनाएँ बनाने की आशा रखता था।”

8. वाइन—आपने दुर्खीम के सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों की कठु आलोचना निम्न शब्दों में की है—“अन्य सभी प्रकार की सामग्री की उपेक्षा करके सामाजिक तथ्यों की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्यों के द्वारा करने के प्रयत्न का असफल होना निश्चित है।” वाइन का मत है कि अन्य कारक भी प्रभाव डालते हैं जिनको दुर्खीम अवहेलना करते हैं।

9. रेनल्फ—रेनल्फ का मत है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की तथा उनमें सम्बन्धित सूचना एकत्र करने के लिए कोई निश्चित, विश्वसनीय और प्रमाणित विधि स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की है। आपका कहना है कि दुर्खीम ने अनुमान या कल्पना का प्रयोग करने पर बल दिया। कल्पना के आधार पर सामाजिक तथ्यों की दूसरे सामाजिक तथ्यों के द्वारा व्याख्या करना वैज्ञानिकता नहीं है।

10. समाज का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (Faulty Classification of Society) —अनेक समाजशास्त्रियों ने दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित समाज के वर्गीकरण को त्रुटिपूर्ण तथा अवैज्ञानिक बताया है। दुर्खीम ने इस वर्गीकरण में सामाजिक विकास के इतिहास तथा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से असहमति रखते हुए मध्यम मार्ग स्वीकार किया है।

11 सामान्य तथ्य की त्रुटिपूर्ण व्याख्या (Faulty explanation of General Facts) —एरन तथा अनेक समाजशास्त्रियों ने दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित सामान्य तथ्य की व्याख्या पर आपत्ति उठाई है। दुर्खीम ने सामान्य तथ्य के लिए कहा है कि वे समाज के लिए उपयोगी हैं तथा साथ ही आपने अपराध को भी एक सामान्य तथ्य बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। जहाँ दुर्खीम अपराध को समाज में नैतिकता, कानून और एकता के विकास में सहायक मानते हैं, वहीं अनेक समाजशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं। दुर्खीम के अनुसार तो समाज में चोरी, हिंसा, बेईमानी, काला बाजारी आदि को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे समाज में नये-नये कानून बनेंगे, इस मत से शायद ही कोई सहमत होगा। दुर्खीम की सामान्य एवं व्याधिक्रीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या, आलोचनाओं और आक्षेपों को प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य के विभिन्न पक्षों की आलोचना के उपरान्त भी दुर्खीम ने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति के विकास को ठोस आधार प्रदान करने में अमूल्य योगदान दिया है। आपने अपने समकालीन तथा वर्तमान समय के सामाजिक वैज्ञानिकों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित आनुभविक अन्वेषण की पद्धति तथा सिद्धान्त प्रदान किये हैं। आपने समाजशास्त्र को विषय-वस्तु, सामाजिक तथ्य, अवलाकन विधि, वर्गीकरण, व्याख्या, प्रमाणों की स्थापना आदि से सम्बन्धित नियम

देकर इस विषय की सेवा की है। रॉबर्ट बीस्टिट ने दुर्खीम के इस योगदान की निम्न शब्दों में प्रशंसा की है—

“दुर्खीम, वास्तविक अर्थ में, समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दिशा में विश्वव्यापी आन्दोलन का प्रणेता था और पद्धति पर उसकी पुस्तक एक घोषणा-पत्र थी जिसने समस्त पाठकों के समक्ष घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल सम्भव ही नहीं था, बरन् यह आवश्यक भी था।”

### अभ्यास प्रश्न

#### नियन्त्रात्मक प्रश्न

1. दुर्खीम के अनुसार ‘सामाजिक तथ्य’ की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2. दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम कौन-कौन से बताये हैं? विवेचना कीजिए।
3. सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम कौन-कौन से हैं? प्रकाश डालिए।
4. सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम एवं सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों पर प्रकाश डालिए।
5. दुर्खीम द्वारा सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित निष्कर्षों की विवेचना कीजिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

1. सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। परिभाषित कीजिए।
2. सामाजिक तथ्य की प्रमुख दो विशेषताएँ बताइए।
3. दुर्खीम द्वारा बताए गए तथ्यों की व्याख्या के चार नियम बताइए।
4. सामाजिक तथ्य के अवलोकन के किसी एक नियम का वर्णन कीजिए।
5. दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की कोई दो कमियों का वर्णन कीजिए।

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है?
 

(अ) मार्क्स	(ब) मर्टन
(स) दुर्खीम	(द) रेमण्ड एरन

[उत्तर- (स)]
2. ‘दा रूल्स ऑफ सोशिपोलॉजिकल मेथड’ के लेखक कौन हैं?
 

(अ) श्रीनिवास	(ब) दुर्खीम
(स) वेबर	(द) मार्क्स

[उत्तर- (ब)]

3 निम्नांकित में से सत्य कथन का चयन कीजिए—

- (1) सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं।
- (2) सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर दबाव नहीं डालते हैं।
- (3) मेक्स वेबर ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है।
- (4) सामाजिक तथ्य सोखे जाते हैं।
- (5) सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, और अनुभव करने के तरीके हैं।
- (6) सामाजिक तथ्य की प्रकृति सामाजिक नहीं होती है।

[उत्तर- (1), (4), (5)]





## अध्याय-3

# दुर्खीम : श्रम-विभाजन (Durkheim : Division of Labour)

'दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसायटी' दुर्खीम जी विश्वविख्यात प्रथम कृति है। इसमें आपने श्रम के विभाजन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है। सर्वप्रथम यह ग्रन्थ फ्रांसीसी भाषा में 1893 में 'De la division du travail social' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 'The Division of Labour in Society' शीर्षक में हुआ है। यह विनिबन्ध दुर्खीम ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए लिखा था। दुर्खीम ने इस पुस्तक में श्रम-विभाजन से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणाएँ, प्रारूप, सिद्धान्त, वर्गीकरण आदि प्रतिपादित किए हैं। इसमें प्रस्तुत विचारों तथा निष्कर्षों का प्रभाव आपकी याद की कृतियों तथा विचारों में भी देखा जा सकता है। रेमण्ड ऐरन का मत है कि दुर्खीम के समाजशास्त्रीय चिन्तन में प्रमुख केन्द्र श्रम-विभाजन की समस्या ही रहा है। 'समाज में श्रम-विभाजन' विनिबन्ध में श्रम-विभाजन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों की विवेचना 17 अध्यायों में की गई है। इस पुस्तक की पाठ योजना निम्नानुसार है—

(I) प्रस्तावना (Introduction)—सर्वप्रथम दुर्खीम ने 'प्रस्तावना' शीर्षक के अन्तर्गत समस्या की व्याख्या की है। आपने समाज में श्रम-विभाजन के विकास का संक्षिप्त इतिहास और समस्या का वर्णन किया है। पुस्तक की पाठ योजना भी दी है।

(II) खण्ड प्रथम—श्रम-विभाजन का प्रकार्य (The Function of the Division of Labour)—इस प्रथम खण्ड में सात अध्याय हैं। इन अध्यायों में आपने कार्य को निर्धारित करने की विधि, यान्त्रिक एकता, जैविक एकता और जैविक एकता का विकास आदि का वर्णन किया है। जैविक एकता, सविदात्मक एकता की व्याख्या की है। इसमें आपने मुख्य रूप से सामाजिक एकता और श्रम-विभाजन के सम्बन्धों की व्याख्या की है।

(III) खण्ड द्वितीय—कारण एवं दशाएँ (Causes and Conditions)—इस खण्ड के पाँच अध्यायों में आपने श्रम-विभाजन और सुख, श्रम-विभाजन के कारण, द्वितीयक कारक, वशानुक्रमण और परिणाम आदि का वर्णन और व्याख्या की है।

(IV) खण्ड तृतीय—असामान्य स्वरूप (Abnormal Forms)—पुस्तक के तीसरे खण्ड में कुल तीन अध्याय हैं। जिनमें आपने श्रम-विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है।

(V) निष्कर्ष (Conclusion)—इस कृति के अन्तिम भाग में आपने प्रस्तावना में जो व्यावहारिक समस्याएँ उठाई थीं उनका हल प्रस्तुत किया है। आपने अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। दुर्खीम ने प्रस्तावना में लिखा है कि हमें श्रम-विभाजन का अध्ययन

वस्तुपरक तथ्य मानकर करना चाहिए। इनका अवलोकन तथा तुलना करना चाहिए तथा हम देखेंगे कि इन अवलोकनों के परिणाम उन अर्थों से भिन्न मिलेंगे जो हमको बताए गए हैं। अब हम दुर्खीम के दृष्टिकोण से श्रम-विभाजन को समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों, जानकारियों, व्याख्याओं, निष्कर्षों आदि का अध्ययन करेंगे।

## I. श्रम-विभाजन के प्रकार्य (The Functions of the Division of Labour)

दुर्खीम ने सर्वप्रथम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम-विभाजन के प्रकार्यों पर प्रकाश डाला है। आपने श्रम-विभाजन को सामाजिक तथ्य बताया है। पुस्तक के प्रथम खण्ड में श्रम-विभाजन के प्रकार्य, प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा, श्रम-विभाजन का सम्बन्ध के साथ सम्बन्ध, नवीन समूहों का निर्माण, सामाजिक एकता तथा इसके प्रकार—यात्रिक एवं सावयवी एकता तथा इनके लक्षणों, भिन्नताओं आदि पर प्रकाश डाला है। इस खण्ड के अन्त में श्रम-विभाजन के विभिन्न प्रभावों तथा परिणामों की भी विवेचना की है।

**प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा (Sociological Definition of Function)**—दुर्खीम ने 'प्रकार्य' शब्द के निम्न दो अर्थ स्पष्ट किए हैं। (1) प्रकार्य का अर्थ गति-व्यवस्था से है अर्थात् क्रिया से है, और (2) प्रकार्य का दूसरा अर्थ क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से है। इस पुस्तक में आपने प्रकार्य की अवधारणा का दूसरा अर्थ लगाया है। इन्होंने प्रकार्य को सामान्य अर्थ अर्थात् प्रभाव या परिणाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है। आपने लिखा है, "हम इस अवधारणा का प्रयोग दूसरे अर्थ में करेंगे।" आपके अनुसार श्रम-विभाजन के प्रकार्य से अर्थ है कि श्रम-विभाजन की प्रक्रिया समाज के लिए किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दुर्खीम ने लिखा है कि, जीव में पावन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती हैं। इसी प्रकार हम श्रम-विभाजन के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में अध्ययन करेंगे। आपने 'प्रकार्य' शब्द का यही अर्थ लगाया है।

**श्रम-विभाजन एवं नैतिकता (Division of Labour and Morality)**—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन और नैतिकता में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध बताया है। आप समाज को एक नैतिक वास्तविकता मानते हैं। समाज की व्यवस्था, एकता, निरन्तरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को अत्यावश्यक मानते हैं। नैतिकता के अभाव में समाज विघटित हो जाता है। समाज का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था पर टिका होता है। दुर्खीम का मत है कि सभी सामाजिक तथ्यों का मौलिक प्रकार्य नैतिक होना चाहिए।

दुर्खीम ने लिखा है कि नैतिकता व्यवहार के वे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं और जिनके साथ समूह की अभिमत जुड़ी हुई होती है। आपका मत है कि नैतिक तथ्य मानव के आचरण से सम्बन्धित होते हैं। क्योंकि श्रम-विभाजन की प्रकृति नैतिक है इसी कारण श्रम-विभाजन का प्रकार्य समाज में नैतिक तथ्यों को उत्पन्न करना तथा नैतिक कार्यों को सम्पन्न करना है। आपने लिखा है, "नैतिकता न्यून अपरिहार्य है, अत्यावश्यक है, प्रतिदिन का भोजन है, जिसके बिना समाज बना नहीं रह सकता है।"

### सभ्यता का विकास— श्रम-विभाजन का प्रकार्य नहीं—

दुर्खीम का मत है कि श्रम-विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है। आपका कहना है कि श्रम-विभाजन सभ्यता के विकास का स्रोत है। श्रम-विभाजन का अर्थ प्रकार्य के रूप में लगाना त्रुटिपूर्ण है। अन्य विद्वान् यह मानते हैं कि श्रम-विभाजन से सभ्यता का विकास होता है। वे कहते हैं कि श्रम-विभाजन से समाज में विशेषीकरण आता है। इससे उत्पादन-शक्ति में विकास तथा वृद्धि होती है। भौतिक विकास होता है। सुख-सुविधाओं की वृद्धि होती है। इसके साथ-साथ बौद्धिक प्रगति तथा ज्ञान का प्रसार होता है। दुर्खीम का मत है कि बौद्धिक तथा भौतिक प्रगति आदि श्रम-विभाजन के स्रोत से उत्पन्न होते हैं। ये इस प्रक्रिया के परिणाम हैं। आपका कहना है कि न तो स्रोत का अर्थ ही प्रक्रिया है और न ही परिणाम का अर्थ प्रक्रिया। अतः श्रम-विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है।

सभ्यता के विकास के प्रकार (Types of the Development of the Civilization)—इमाइल दुर्खीम ने सभ्यता के निम्न तीन प्रकार के विकास घटाए हैं—

- 1 औद्योगिक या आर्थिक विकास,
- 2 कलात्मक विकास और
- 3 वैज्ञानिक विकास।

1. औद्योगिक या आर्थिक विकास (Industrial or Economic Development)— अधिकतर समाजशास्त्री सभ्यता का प्रमुख लक्षण आर्थिक विकास को मानते हैं। मोटर, रेल, तार तथा अन्य मशीनें आजकल बहुत उपयोगी वस्तुएँ मानी जाती हैं। दुर्खीम इसे नैतिकता का तत्त्व नहीं मानते हैं। आपका मत है कि आर्थिक तथा औद्योगिक विकास से बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र विकसित होते हैं। जहाँ आत्म-हत्याएँ और अपराधों में वृद्धि हो जाती है। वहाँ नैतिक उन्नति नहीं होती है।

2. कलात्मक विकास (Artistic Development)—कला का विकास सभ्यता से सम्बन्धित अवश्य है परन्तु कला से नैतिकता का विकास नहीं होता है। दुर्खीम के अनुसार कला विलासिता तथा उद्देश्यहीन श्रम है जो रागात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करती है। आप कला को नैतिक तथ्य न मानकर नैतिक संकट मानते हैं। आप मानते हैं कि कलाकृतियों के द्वारा नैतिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जा सकता है लेकिन कला स्वयं नैतिक तथ्य नहीं हो सकती है। आप कला का विकास उत्तेजक विकास का पर्याय ही मानते हैं।

3. वैज्ञानिक विकास (Scientific Development)—समाज में प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह ज्ञान और बुद्धि का विकास करे तथा वैज्ञानिक सत्य की खोज करे। इस अर्थ के फलस्वरूप दुर्खीम विज्ञान को नैतिकता का तत्त्व मानते हैं। लेकिन इसे भी केवल आशिक मानते हैं। दुर्खीम सभ्यता के इन तीनों प्रकारों—औद्योगिक या आर्थिक, कलात्मक और वैज्ञानिक विकास को नैतिक विकास नहीं मानते हैं, जबकि नैतिकता को समाज के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं जो आपके निम्न कथन से स्पष्ट होता है—

“नैतिकता सबसे न्यून अपरिहार्य, अत्यन्त आवश्यक है, दैनिक भोजन है जिसके बिना समाज बना नहीं रह सकता है।”

## श्रम-विभाजन के प्रकार्य (Functions of the Division of Labour)

दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के दो महत्वपूर्ण प्रकार्य बताए हैं जो समाज की निरन्तरता और अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक हैं—(1) समाज में नवीन समूहों का निर्माण करना, तथा (2) समूहों में सामाजिक एकता पैदा करना।

1. नवीन समूहों का निर्माण (Creation of New Groups)—दुर्खीम का मत है कि श्रम-विभाजन से समाज में अनेक नए-नए समूहों का निर्माण होता है। आपका कहना है कि समाज में जनसंख्या की वृद्धि होती है। सर्वप्रथम जनसंख्या की वृद्धि से श्रम का विभाजन होता है। इससे विशेषीकरण आता है। विशेषीकरण समाज में नए-नए व्यावसायिक तथा विशेषीकृत समूहों का निर्माण करता है। समाज परिवर्तनशील है। उसमें परिवर्तन होते हैं। इससे आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। इनको पूरा करने के लिए नए-नए समूह बन लेते हैं। समाज में जनसंख्या की वृद्धि से नए-नए समूहों का निर्माण होना अवश्यभावी है। श्रम-विभाजन ही इन समूहों में एकता पैदा करता है।

2. नवीन समूहों में एकता पैदा करना (To Create Unity in New Groups)—दुर्खीम श्रम-विभाजन का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य नवीन समूहों में एकता पैदा करना मानते हैं। आपका मत है कि नए-नए समूहों में परस्पर एकता का होना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। श्रम-विभाजन ही नए समूहों के निर्माण के साथ-साथ परस्पर एकता पैदा करता है जो समाज की व्यवस्था तथा सन्तुलन को बनाए रखता है। दुर्खीम के अनुसार इन विभिन्न नवीन समूहों में परस्पर एकता एक नैतिक आवश्यकता है जो श्रम-विभाजन द्वारा पूर्ण की जाती है।


श्रम-विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य नैतिक एकता उत्पन्न करना है। आपका कहना है कि विभिन्न नवीन समूह विशिष्ट कार्य करते हैं। वे अन्य कार्यों के लिए अन्य विशिष्ट समूहों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे समूहों में परस्पर निर्भरता बढ़ जाती है। बाध्य होकर उन्हें परस्पर सहयोग करना पड़ता है। यह सहयोग सामाजिक समूहों में परस्पर नैतिक एकता पैदा करता है। दुर्खीम के अनुसार श्रम-विभाजन ही नवीन समूहों का निर्माण तथा उनमें एकता पैदा करने का कार्य करता है।

दुर्खीम ने लिखा है कि समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण के कारण होते हैं। ये कारण श्रम-विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा एकता पैदा करते हैं। आपने लिखा है कि हम उनसे मित्रता रखते हैं जो हमसे समानता रखते हैं तथा उनसे भी जो हमारे से भिन्न हैं। आपने लिखा है, "एक से परों वाली चिड़ियाँ एक झुण्ड बना कर रहती हैं।" "चोर-चोर मौसेरे भाई", 'चोर का साथी गिरहकट', 'Like seeks like' आदि उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि समानता में एकता होती है। दुर्खीम ने असमानता से भी एकता पैदा होने के उदाहरण दिये हैं। स्त्री-पुरुष में प्रेम तथा विवाह जो वैवाहिक एकता का उदाहरण है जिसका कारण लिंग भेद पर आधारित श्रम-विभाजन है। आपके अनुसार श्रम-विभाजन का उद्देश्य समाज के कार्यों को व्यवस्थित करके एकता पैदा करना तथा उसे बनाए रखना है।

## कानून—एकता का मापन (Law—Measurement of Solidarity)

दुर्खीम ने लिखा है कि सामाजिक एकता पूर्णरूप से नैतिक घटना है जिसका प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित रूप से न तो अवलोकन ही कर सकते हैं और न ही माप सकते हैं। लेकिन सामाजिक एकता का मापन श्रम-विभाजन के प्रकार तथा इससे सम्बन्धित कानून व्यवस्था के प्रकार एवं इनको तुलना के द्वारा किया जा सकता है। हमें नैतिक अमूर्त तथ्यों की कुछ बाहरी प्रत्यक्ष विशेषताओं को आधार के रूप में लेना होगा। दुर्खीम ने लिखा है, ये दिखाई देने वाले प्रतीक कानून हैं। आपने सामाजिक एकता को मापने के लिए प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में वैधानिक कानून का चयन किया है। वैधानिक कानून सम्बन्धित समाज के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यक्त करते हैं। दुर्खीम ने समीकरण दिया है कि सदस्यों में जितने अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होंगे उनके समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। आपने ये भी लिखा है कि कानूनों-व्यवस्था का रूप सामाजिक एकता को व्यक्त करता है। कानून बाहरी लक्षण है जिसको मापा जा सकता है। आपके अनुसार कानून और सामाजिक एकता सीधे सम्बन्धित हैं। किसी समाज में जिस प्रकार की सामाजिक एकता होगी उसी प्रकार की उस समाज में कानून व्यवस्था भी होगी। दुर्खीम ने कानून का वर्गीकरण किया है। साथ-साथ सामाजिक एकता का भी वर्गीकरण किया है। इनमें परस्पर सह-सम्बन्ध का अध्ययन करके स्पष्ट किया है कि जितने प्रकार की कानून व्यवस्था होती है उतने ही सामाजिक एकता के प्रकार भी होते हैं। समाज के कानून की माप ही समाज की एकता की माप है।

दुर्खीम ने कानून के प्रमुख दो प्रकार—(1) दमनकारी कानून तथा (2) प्रतिकारी कानून बताए हैं। कानून के प्रकारों में सम्बन्धित क्रमशः एकता के भी दो प्रकार बताए हैं—(1) यांत्रिक एकता और (2) साव्यवी एकता। ये परस्पर सम्बन्धित हैं। इन्हे अग्र चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।



1. दमनकारी कानून एवं यांत्रिक एकता (Repressive Law and Mechanical Solidarity)—दुर्खीम ने लिखा है कि जिस समाज में दमनकारी कानून होते हैं वहाँ पर सामाजिक एकता का प्रकार यांत्रिक होता है। इनमें आपने निम्न परस्पर सम्बन्ध बताया है। आपका कहना है कि दमनकारी कानून वे सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यवस्थित रखते हैं। इस कानून व्यवस्था में समाज तथा समूह के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। दुर्खीम ने दमनकारी कानून के दो प्रकार बताए हैं। (i) दण्डकारी कानून (Penal law) का कार्य समाज में कष्ट देने, नुकसान या हानि पहुँचाने, हत्या बरने तथा स्वतन्त्रता आदि का हनन करना है। ये कानून यांत्रिक एकता वाले समाजों में पाये जाते हैं। (ii) व्याप्त कानून (Diffused law) नैतिकता के आधार पर सम्पूर्ण समाज में व्याप्त होते हैं।

दुर्खीम ने कहा है कि समाज में जैसी कानून व्यवस्था होती है उसी के अनुसार समाज में सामाजिक एकता का प्रकार भी होता है। इसी नियम के अनुसार अपने बताया कि जिस समाज में दमनकारी कानून व्यवस्था होती है उन समाजों में सामाजिक एकता का प्रकार यांत्रिक एकता का होता है। दमनकारी कानून व्यवस्था वाले समाजों की जीवन-शैलियों विचारों, विश्वासों आदि में समानता मिलती है। ऐसे समाजों में सामुदायिक सम्पत्ति, परम्परा का प्रभुत्व तथा जनमत में एकरूपता आदि मिलती है। ये सभी लक्षण दमनकारी कानून तथा यांत्रिक एकता को प्रकट करते हैं।

2. प्रतिकारी कानून एवं सावयवी एकता (Restitutive Law and Organic Solidarity)—दुर्खीम ने कानून का दूसरा प्रकार प्रतिकारी कानून बताया है। प्रतिकारी कानून वह कानून है जो समाज के सदस्यों के सम्बन्धों में उत्पन्न असन्तुलन को सामान्य स्थिति प्रदान करता है। यह सामूहिक हित की रक्षा करने के लिए नहीं होता है बल्कि यह स्थिति को सामान्य रखने का प्रयास करता है। इस प्रतिकारी कानून के कई उप-प्रकार हैं, जैसे—दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, सर्वैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून आदि। प्रतिकारी कानून जिस समाज में होता है उन समाजों में सावयवी एकता होती है। प्रतिकारी कानून श्रम-विभाजन और विभिन्नताओं से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार श्रम-विभाजन सावयवी एकता का स्रोत है। दुर्खीम ने दोनों प्रकार के कानूनों के साथ-साथ यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की विवेचना की है जो अप्रलिखित है।

### यांत्रिक-एकता (Mechanical Solidarity)

दुर्खीम ने प्रथम प्रकार की एकता को 'यांत्रिक एकता' कहा है जो प्राचीन, सरल, सादे, छोटे, अविकसित, आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएँ पाई जाती हैं जो सामाजिक एकता का आधार होती हैं। ये समाज में छोटे होते हैं। अर्थात् इनकी जनसंख्या एवं जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। ये छोटे-से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। इनकी आवश्यकताएँ बहुत सीमित होती हैं तथा एक जैसी होती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतन्त्र नहीं होता है। वह समूह के व्यक्तित्व में घुल-मिल जाते हैं। इनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होता है। इसलिए दुर्खीम ने एकरूपता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया है। इन समाजों में श्रम के विभाजन के अभाव अथवा न्यूनतम या अल्प होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता होती है।

यांत्रिक एकता की विशेषताएँ (Characteristics of Mechanical Solidarity)—दुर्खीम ने श्रम के विभाजन के अभाव अथवा अल्पता के कारण इन आदिम समाजों की यांत्रिक एकता की जो विशेषताएँ बताई हैं उन्हें निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में देखा जा सकता है।

1. मानव व्यवहार और मनोविज्ञान (Human Behaviour and Psychology)—यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों के व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में एकरूपता व्याप्त होती है। उनके विश्वास, धारणाएँ, मूल, तरीके, व्यवहार आदि-आदि सब कुछ एक जैसे होते हैं। दुर्खीम ने लिखा है कि इन यांत्रिक

एकता वाले समाजों के व्यक्तियों में भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। इन आदिम समाजों में परम्परा का प्रभुत्व होता है। वैयक्तिकता और व्यक्तिवाद का पूर्णतः अभाव पाया जाता है।

2. कानून, नैतिकता और सामाजिक नियन्त्रण (Law, Morality and Social Control)—दुर्खीम का मत है कि यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अन्तर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होती है। यह शक्तिशाली, सर्वसम्पन्न तथा अव्यक्तियादी होती है। सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य समूह के नैतिक मूल्यों तथा नैतिक अन्तर्विवेक को पुनः स्थापित करना होता है। न्याय का उद्देश्य भी यही होता है तथा वह अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्त की क्षति पूर्ति नहीं करवाता है।

3. एकात्मता और सामाजिक बन्धन (Solidarity and Social Ties)—इन समाजों में जनमण्डल के अल्प होने तथा श्रम-विभाजन की अल्पता के फलस्वरूप इनमें यांत्रिक एकता मिलती है। यह व्यक्तियों की सादृश्यता या सजातीयता पर आधारित होती है। बन्धन जो इनको एक सुदृढ़ एकता में बाँधते हैं, वे सशक्त जनमत की सर्व-सम्पत्ति होती है। यह भी व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक एकरूपता पर आधारित होती है।

4. राजनैतिक शासन-प्रणाली (Political Regime)—इन समाजों में सभी महत्त्वपूर्ण न्याय के कार्य तथा सामाजिक मामले सारा समाज मिलकर निपटाता है। शासन करना, नियम बनाना आदि कार्य सम्पूर्ण समूह अपने सदस्यों की सार्वजनिक सभा में मिलकर करते हैं। यह पचायत के रूप में संगठित होते हैं। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत नहीं होता है। उसकी चर्चा तथा मामले का निर्णय सामूहिक रूप से तय किया जाता है।

5. आर्थिक संगठन (Economic Organisation)—इनकी आर्थिक सभरणात्मक होती है। व्यक्ति मुश्किल से ही अपनी आवश्यक आवश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति कर पाता है। सम्पत्ति सामूहिक होती है। विशेषीकरण का अभाव होता है। उत्पादन में श्रम के विभाजन का अभाव होता है। सभी परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी कार्य करते हैं। धर्म नहीं होते हैं। सभी समान होते हैं। मालिक-मजदूर के सम्बन्ध नहीं मिलते हैं। सम्पत्ति सामुदायिक होती है।

6. धर्म एवं विचारधारा (Religion and Ideology)—दुर्खीम ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि इन आदिम समाजों में यांत्रिक एकता का मुख्य कारण धर्म एवं इनकी विचारधारा है। इन समाजों के लोग अवैयक्तिक टोटम शक्तियों में विश्वास करते हैं। ये सामूहिक होती हैं। टोटम व्यक्तित्व और वैयक्तिकता से स्वतन्त्र होती है। इनमें स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद मिलता है। सदस्यों में वैयक्तिकता का अभाव होता है। इसे पवित्र शक्ति में विश्वास तथा अभिव्यक्ति में देखा जा सकता है।

दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून में परस्पर सम्बन्ध है। आपने इनके परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या की है जिसमें 'अपराध', 'दण्ड', और 'सामूहिक-चेतना' पर अलग से प्रकाश डाला है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून का प्रभुत्व होता है।

और उनमें यात्रिक एकता होती है। इसी सन्दर्भ में दुर्खीम ने अपराध तथा दण्ड की निम्न व्याख्या प्रस्तुत की है—

1. अपराध (Crime)—दुर्खीम ने अपराध की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सभी समाजों में अपराध के लिए दण्ड दिया जाता है। अपराध को सामूहिक चेतना का उल्लंघन माना जाता है। इसे सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध आचरण माना जाता है। यात्रिक एकता वाले समाजों में अपराध का निर्धारण दमनकारी कानून व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। इन कानूनों के पीछे समूह की मान्यता होती है। दुर्खीम ने इन समाजों में अपराध किसे कहते हैं? यह समझाया है। आपका कहना है कि ये लोग अपराध उन कार्यों को मानते हैं जिसे समूह के सदस्य अनुचित समझते हैं तथा वे कार्य जो सामूहिक भावना को चोट पहुँचाते हैं। आपने निम्न शब्दों में अपराध की परिभाषा दी है—

“एक क्रिया अपराध है, जब वह सामान्य अन्तर्विवेक की शक्तिशाली और निश्चित अवस्थाओं पर आघात करती है।”

दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना, सामूहिक भावना, सामूहिक अन्तर्विवेक आदि के विरुद्ध कोई भी असामाजिक क्रिया अथवा कृत्य अपराध है।

2. दण्ड (Punishment)—जब कोई व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य करता है तो समाज उसे दण्ड देता है। दुर्खीम का मत है कि दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना है। अपराध को यो भी परिभाषित किया जा सकता है कि जिस कार्य के लिए समाज दण्ड देता है वही कार्य अपराध कहलाता है। जब व्यक्ति समाज के मूल्यों या समाजसम्मत नियमों अथवा अपेक्षित व्यवहार का उल्लंघन करता है तो वह दण्डनीय कार्य है जिसकी समाज कभी भी स्वीकृति नहीं देता है बल्कि प्रतिशोध लेता है, जो दण्ड का रूप ले लेता है। आदिम समाजों में दण्ड का उद्देश्य समाज के मूल्यों को पुनः स्थापित करना तथा अपराधी को कुचलना है। अपराध तथा अपराधी दोनों का दमन करना है।

दुर्खीम ने अपराध के विघटनकारी कार्यों के अतिरिक्त उसके अप्रत्यक्ष सगठनात्मक कर्मों पर भी प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि अपराध की उपयोगिता यह है कि इसके विरुद्ध समूह के लोग सगठित होकर इसका विरोध करते हैं। लोगों में मानसिक एकता शक्तिशाली हो जाती है। दुर्खीम ने लिखा है, “अपराध उत्तेजित अन्तर्विवेक को एक-दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र कर देता है।” दण्ड सामूहिक अन्तर्विवेक को पुष्ट करता है। दण्ड के द्वारा सामूहिक चेतना तथा सामाजिक व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। उसे बल मिलता है। दूसरों की कानून के विरुद्ध कार्य करने को हिम्मत नहीं होती है। दुर्खीम ने यात्रिक एकता तथा दमनकारी कानून के घनिष्ठ सम्बन्धों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, “एक ऐसी सामाजिक एकता का अस्तित्व है जो अन्तर्विवेक की उन निश्चित अवस्थाओं में से उत्पन्न होती है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए सामान्य है। इसी को वास्तव में दमनकारी कानून व्यक्त करता है, कम-से-कम उस सीमा तक जहाँ तक कि यह अनिवार्य है।”



इसी को दुर्खीम यात्रिक एकता कहते हैं जो दमनकारी कानून से सम्बन्धित है। आपने दमनकारी कानून के बिल्कुल विपरीत प्रतिकारी कानून बताया है तथा यात्रिक एकता से बिल्कुल भिन्न सावयवी एकता को प्रतिपादित किया है जिसकी विवेचना प्रस्तुत है।

### सावयवी एकता (Organic Solidarity)

दुर्खीम ने द्वितीय प्रकार की एकता को 'सावयवी एकता' कहा है जो यात्रिक एकता से बिल्कुल विपरीत होती है। यह सावयवी एकता जटिल, विकसित, आधुनिक और प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती है, जैसे—नगर, महानगर, औद्योगिक केन्द्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण श्रम-विभाजन और विशेषीकरण का होना है। ये सावयवी एकता वाले समाज आकार में बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या तथा जनसंख्या का घनत्व यात्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। इन समाजों के सदस्यों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं तथा भिन्न-भिन्न होती हैं। सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्तियों का स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है। इससे सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना आदि का प्रभाव कम हो जाता है। विभिन्न व्यक्ति एक-दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर निर्भर और सम्बन्धित होते हैं।

दुर्खीम का मत है कि यात्रिक एकता से सावयवी एकता का विकास निम्न क्रम में होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज के सदस्यों में श्रम विभाजन होता है। श्रम-विभाजन सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। श्रम-विभाजन के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। जो जिस कार्य को बार-बार करता है तो वह उस कार्य को करने में दक्ष हो जाता है। समाज में विशेषीकरण का विकास होता है। व्यक्ति समाज के सदस्यों की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है तथा अपनी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहता है। इससे सभी सदस्यों की एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। दुर्खीम ने लिखा है कि यही निर्भरता सदस्यों को परस्पर एक-दूसरे से सहयोग करने के लिए बाध्य करती है। यह सहयोग ही जटिल समाजों में सावयवी एकता पैदा करता है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। यह विशिष्ट प्रकार की सावयवी एकता जटिल जीव-प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों में मिलती है। जीवों के बने रहने तथा जीवित रहने के लिए विभिन्न अंगों में श्रम-विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता तथा सहयोग मिलता है। शरीर के विभिन्न अंग—आँख, नाक, मुँह, पेट, तिर, फेफड़े दिल तथा पैर आदि शरीर के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। सम्पूर्ण शरीर इन विभिन्न अंगों पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक अंग सम्पूर्ण शरीर पर तथा परस्पर एक-दूसरे पर आश्रित रहता है। यह सावयवी एकता कहलाती है। दुर्खीम उन समाजों की एकता को सावयवी एकता कहते हैं, जिनमें श्रम-विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता तथा सहयोग के गुण मिलते हैं। आपने समाज की सावयवी एकता को स्पष्ट करने के लिए उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है, जो अप्रतिष्ठित हैं—

1. मानव व्यवहार और मनोविज्ञान (Human Behaviour and Psychology)—सावयवी एकता वाले जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का लोप हो जाता है। समाज के सदस्यों की वैयक्तिकता और विशिष्टता में वृद्धि हो जाती है। उनके विश्वास, धारणाएँ, मत, तरीके, पसन्द, नैतिकता में कम-से-कम समानता पाई जाती है। दुर्खोम के अनुसार इस वैयक्तिकता का कारण श्रम-विभाजन है। विशेषीकरण के कारण परम्पराओं में कमी आ जाती है। व्यक्तियों की भूमिका तथा प्रस्थिति के निर्धारण में आनुवंशिकता का महत्त्व बहुत कम हो जाता है। समाज में प्रस्थिति प्रदत्त से अर्जित में परिवर्तित हो जाती है। व्यवसाय और सामाजिक स्थिति पिता से पुत्र को हस्तान्तरित करने तथा जाति के प्रतिबन्धों में परिवर्तन हो जाता है। परम्परागत बन्धन टूट जाते हैं। उनको तोड़ने में श्रम-विभाजन सहायक सिद्ध होता है।

2. कानून, नैतिकता और सामाजिक नियन्त्रण (Law, Morality and Social Control)—दुर्खोम का मत है कि श्रम-विभाजन के प्रभाव से सार्वजनिक तथा सामान्य सामाजिक चेतना तथा सामाजिक अन्तर्विवेक की एकरूपता में कमी आ जाती है। अपराधी क्रियाओं को अब समाज-विरोधी नहीं माना जाकर केवल व्यक्ति की हानि समझा जाने लगता है। समाज के सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, विचारों, विश्वासों में कमी आने लग जाती है। कानून में दमनात्मक लक्षणों में दिन-प्रतिदिन कमी आती है। अब सम्पूर्ण समूह के नैतिक अन्तर्विवेक तथा चेतना को दण्ड के द्वारा पुनः स्थापित करने पर जोर नहीं दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप दमनात्मक दण्ड में कमी आ जाती है। अब अपराधी केवल हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति की हानि को पूर्ति करता है। सामाजिक नियन्त्रण, सामूहिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण शिथिल हो जाते हैं। इनकी कठोरता में कमी आ जाती है। परिवर्तन के फलस्वरूप केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवहार ही निश्चित रह पाते हैं। अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से निजी क्षेत्रों में, प्रत्येक सदस्य को इच्छानुसार व्यवहार करने की स्वतन्त्रता होती है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता में अपार वृद्धि हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप समझौते के कानून में भी वृद्धि हो जाती है। विभिन्न व्यक्ति परस्पर सम्बन्धों को स्वतन्त्र सविदा या समझौते के अनुसार स्थापित करते हैं।

3. एकात्मकता और सामाजिक बन्धन (Solidarity and Social Ties)—दुर्खोम लिखते हैं कि सावयवी एकता वाले समाज में व्यक्तियों में एकरूपता तथा सजातीयता विद्यमान नहीं होती है। इसलिए एकरूपता पर आधारित सामाजिक एकता तथा सामाजिक बन्धन भी शिथिल हो जाते हैं। सामाजिक बन्धन की भूमिका एकरूपता नहीं निभाती है। आप लिखते हैं कि अगर समाज में इन बन्धनों को निभाने की भूमिका को दूसरा नहीं लेता है तो, समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। समूह की एकता नष्ट हो जाती है। दुर्खोम के अनुसार श्रम-विभाजन ही वह नया बन्धन है, जो व्यक्तियों में एकता बनाये रखने की भूमिका निभाता है। अब समूह की सुदृढ़ एकता का आधार व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता है। यह श्रम के विभाजन का परिणाम ही है जिसके कारण विशेषीकरण में वृद्धि होती है। प्रत्येक को एक-दूसरे की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक विशिष्ट कार्य ही सम्पन्न करता है। कार्य सभी के सहयोग से सम्पन्न होते हैं। इसलिए सभी

परस्पर सहयोग करते हैं। दुर्खीम का मत है कि इस प्रकार से श्रम-विभाजन के परिणामस्वरूप यांत्रिक एकता का रूपान्तरण सावयवी एकता में हो जाता है।

4. राजनैतिक शासन-प्रणाली (Political Regime)—सावयवी एकता वाले समाजों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें राजनैतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न राजनैतिक कार्यों को सम्पन्न किया जाता है। अब राजनैतिक पद पिता से पुत्र की वंशानुगत के रूप में हस्तान्तरित नहीं होते हैं। वंशानुगत राजनैतिक पदों की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। सरकार तथा नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध समझौतों के अनुसार निर्धारित होते हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि अब सार्वजनिक सभा में समूह के सभी सदस्य राजनैतिक कार्यों को मिलकर नहीं करते हैं। सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में विकसित हो जाती है जो सावयवी एकता वाले समाज की विशिष्टता है।

5. आर्थिक संगठन (Economic Organisation)—सावयवी एकता की विशेषता सम्भरणत्मक आर्थिकी से आर्थिकी अधिशेष में परिवर्तन होना भी है। इसे बचत की आर्थिकी भी कहते हैं। परम्परागत व्यवसायों के महत्त्व में कमी आ जाती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का महत्त्व बढ़ जाता है। आर्थिक व्यक्तिवाद में वृद्धि हो जाती है। 'बन्द-अर्थ-व्यवस्था' के स्थान पर 'खुली अर्थ-व्यवस्था' का विकास हो जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार योग्यता, कार्य-कुशलता, ईमानदारी के आधार पर कोई भी व्यवसाय कर सकता है। दुर्खीम ने लिखा है कि श्रम-विभाजन के कारण वंशानुगत सामाजिक प्रस्थिति तथा वंशानुगत विशिष्ट क्षमताओं का ह्रास हो जाता है।

6. धर्म एवं विचारधारा (Religion and Ideology)—श्रम-विभाजन का प्रभाव धर्म तथा विचारधारा की अनेक विशेषताओं पर पड़ता है। इनमें अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। बहु-ईश्वरवाद तथा एक-ईश्वरवाद का संक्रमण हो जाता है। इन महावाणीय तथा जटिल समाजों में ईश्वर का वैयक्तिकीकरण तथा निजीकरण हो जाता है। धर्म का क्षेत्र भी लघु से बृहद् हो जाता है तथा धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय समाजों में विद्यमान स्थानीय तथा जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास हो जाता है। समाज के स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। इस प्रकार विचारधारा में विश्व के स्तर की भावनाओं का विकास हो जाता है।

### यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में अन्तर (Difference between Mechanical Solidarity and Organic Solidarity)

इमाइल दुर्खीम ने लिखा है कि जिन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव अथवा अल्पता होती है, उन समाजों में यांत्रिक एकता होती है। श्रम-विभाजन की इस कमी के प्रभाव उन समाजों के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं। इसी प्रकार आपका कहना है कि समय के साथ-साथ श्रम का विभाजन बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है। आप आगे लिखते हैं कि यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया है। जब श्रम का विभाजन अधिक हो जाता है तब सावयवी एकता का विकास हो जाता है। श्रम-विभाजन के प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर

पड़ते हैं। दुर्खॉम का मानना है कि सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक एकता है। यह एक नैतिक तथा परिवर्तनशील सामाजिक तथ्य है। यह दो प्रकार की होती है, जिसकी विस्तार से विवेचना उपर्युक्त पृष्ठों में की जा चुकी है। दुर्खॉम के अनुसार यात्रिक एकता तथा सावयवी एकता में सामाजिक घटनाओं और क्षेत्रों में अग्रलिखित अन्तर मिलते हैं, जो सलग्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

अन्तर के आधार (Basis of Difference)	यात्रिक एकता (श्रम-विभाजन का अभाव या अल्पता)	सावयवी एकता (श्रम-विभाजन की अधिकता)
<p>1. मानव व्यवहार और मनोविज्ञान (Human Behaviour and Psychology)</p> <p>कानून, नैतिकता और सामाजिक नियन्त्रण (Law, Morality and Social Control)</p>	<p>व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता। उनके विश्वास, धारणाएँ, मत, तरीके, व्यवहार आदि-आदि एक जैसे होते हैं। भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। परम्परा का प्रभुत्व, वैयक्तिकता और व्यक्तिवाद का अभाव।</p> <p>सामाजिक अन्तर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता का आधार है जो शक्तिशाली, सर्वसम्मत तथा अव्यक्तिवादी है। अपराध वह क्रिया है जो शक्तिशाली तथा गहरी सामाजिक अन्तर्विवेक के विरुद्ध है तथा इसके लिए कठोर दमन आवश्यक है। फौजदारी कानून-दमन और दण्ड का प्रभुत्व दीवानी कानून पर होता है। न्याय का उद्देश्य समूह के नैतिक अन्तर्विवेक को पुनःस्थापित करना होता है न कि अपराधी द्वारा क्षति-</p>	<p>व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का लोप। उनकी वैयक्तिकता और विशिष्टता में वृद्धि। उनकी पसन्द, विश्वास, मत, नैतिकता में कम-से-कम समानता। श्रम का विशेषीकरण वैयक्तिकता का कारण। विशेषीकरण से परम्पराओं में कमी। आनुवंशिकता भूमिका के निर्धारण में कम-से-कम महत्त्वपूर्ण। यह व्यवसाय और सामाजिक स्थिति को पिता से पुत्र को हस्तान्तरित करने तथा जाति के बन्धनों को तोड़ने में सहायक होते हैं।</p> <p>सार्वजनिक तथा सामान्य सामाजिक चेतना तथा अन्तर्विवेक में कमी। अपराधों के विरोध में कमी होना जिससे सामान्य सामाजिक अन्तर्विवेक में भी कमी। अपराधी क्रियाओं को केवल सदस्यों की हानि समझना। उनमें धार्मिक लक्षणों की गिरावट। इसके फलस्वरूप कानून में दमनात्मक लक्षणों की दिन-प्रतिदिन कमी होना। अब सम्पूर्ण समूह के नैतिक अन्तर्विवेक को दण्ड द्वारा पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण दण्ड में भी कमी। अपराधी केवल क्षतिग्रस्त की हानि की पूर्ति करता है। सामाजिक नियन्त्रण न्यून कठोर तथा अधिक शिथिल। केवल</p>

प्रस्त की क्षति-पूर्ति करना।

3 एका-  
त्मकता  
और  
सामाजिक  
बन्धन  
(Solidarity  
and Social  
Ties)

“यात्रिक एकात्मकता”  
व्यक्तियों की सादृश्यता  
(सजातीयता) पर आधारित  
होती है। ये बन्धन जो  
इनको एक सुदृढ एकता में  
बाँधते हैं, यही सशक्त  
जनमत की सर्वसम्पत्ति होती  
है जो व्यक्तियों की  
मानसिक और नैतिक  
एकरूपता पर आधारित होते  
हैं।

4. राजनैतिक  
शासन-  
प्रणाली  
(Political  
Regime)

सभी महत्वपूर्ण सामाजिक  
मामले एवं न्याय के कार्य,  
जैसे—नियम बनाना, शासन  
करना आदि सम्पूर्ण समूह  
द्वारा अपने सदस्यों को  
सार्वजनिक सभा में किये  
जाते हैं।

5. आर्थिक  
संगठन  
(Econo-  
mic  
Organisa-  
tion)

सामुदायिक सम्पत्ति।

कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवहार  
निश्चित। अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक को  
इच्छानुसार व्यवहार की स्वतन्त्रता।  
वैयक्तिक स्वतन्त्रता और सविदा कानून  
में वृद्धि तथा सम्बन्धों का आधार पक्षों  
में स्वतन्त्र सविदा का होना।

क्योंकि व्यक्तियों में अब  
सजातीयता विद्यमान नहीं होती है  
इसलिए वह अब सामाजिक बन्धन की  
भूमिका नहीं निभाती है। अगर समाज  
में कोई नया बन्धन नहीं होता तो समूह  
की एकता भी नष्ट हो जाती। श्रम का  
विभाजन ही वह नया बन्धन है। अब  
समूह की सुदृढ एकता का आधार  
विजातीय व्यक्तियों की अनात्म-  
निर्भरता है, जो श्रम के विभाजन का  
परिणाम है। प्रत्येक को एक-दूसरे की  
आवश्यकता है और बिना सहयोग के  
उनका जीना असम्भव क्योंकि हर कोई  
काम का केवल एक विशिष्ट कार्य ही  
करता है। इस प्रकार से यात्रिक एकता  
का रूपान्तरण जैविक एकता में हो जाता  
है।

राजनैतिक कार्यों का विशेषीकरण,  
वशानुगत राजनैतिक पदों की प्रवृत्ति में  
कमी। सरकार तथा नागरिकों के  
समझौतों के सम्बन्ध।

व्यक्तिगत सम्पत्ति, आर्थिक  
व्यक्तिवाद, सविदागत सहयोग, “खुली  
अर्थव्यवस्था” प्रणाली जिसमें प्रत्येक  
कोई भी व्यवसाय कर सकता है। श्रम  
के विभाजन के कारण वशानुगत सामा-  
जिक प्रस्थिति तथा वशानुगत विशिष्ट  
क्षमताओं का हास।

6. धर्म एवं  
विचार-  
धारा  
(Religion  
and  
Ideology)

अवैयक्तिक टोटम शक्तियों में विश्वास जो व्यक्तिव या वैयक्तिकता से स्वतन्त्र होती हैं। सदस्यों में वैयक्तिकता का अभाव होता है जो पवित्र शक्ति में वैयक्तिकता के अभाव के द्वारा अभिव्यक्त होता है। स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद।

बहु-ईश्वरवाद तथा एक ईश्वर-वाद का सक्रमण। ईश्वर का वैयक्तिकीकरण तथा निजीकरण के साथ-साथ धर्म का सार्वभौमिकीकरण। स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद का हास और विश्ववाद या अन्तर्राष्ट्रीयवाद में वृद्धि।

स्रोत : पिटिरिम सोरोकिन : कॉन्टेम्पोररी सोशियोलॉजिकल थ्योरिज, पृ 468-

470

पूर्वोक्त तालिका में वर्णित अन्तरे को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. श्रम-विभाजन (Division of Labour)—यात्रिक एकता वाले समाज में श्रम-विभाजन का अभाव होता है अथवा यह अल्प मात्रा में होता है, जबकि सावयवी एकता में समय के साथ-साथ श्रम का विभाजन बढ़ता जाता है। यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य सभी क्षेत्रों में विकास और प्रभावों में वृद्धि होती है।
2. विशेषीकरण (Specialization)—यात्रिक एकता वाले समाज में विशेषीकरण का अभाव अथवा अल्पता होती है। सावयवी एकता में विशेषीकरण अधिक होता है जो श्रम-विभाजन के कारण विकसित होता है।
3. निर्भरता (Interdependence)—यात्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होते हैं, सावयवी एकता समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।
4. एकता का आधार (Basis of Solidarity)—यात्रिक वाले समाज एकता का आधार समाज के सदस्यों की सभी क्षेत्रों में समरूपता या एकरूपता है, जबकि सावयवी एकता का आधार विशेषीकरण और निर्भरता पर आधारित सहयोग जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। यात्रिक एकता का आधार समानता है तथा सावयवी एकता का आधार विशिष्टता तथा भिन्नता है।
5. कानून (Law)—यात्रिक एकता में दमनकारी कानून का प्रभुत्व होता है तथा सावयवी एकता समाज में प्रतिकारी कानून का। दमनकारी कानून सामूहिक चेतना को पुनः स्थापित करता है। प्रतिकारी कानून क्षतिग्रस्त की हानि को पूर्ण करवाता है।
6. व्यक्ति के समाज से सम्बन्ध (Relation of Man with Society)—यात्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति का समाज से सीधा सम्बन्ध होता है तथा समाज के उद्देश्यों, मूल्यों, चेतना, प्रतिनिधान, विचारधारा से भी व्यक्ति का सीधा व प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। व्यक्ति अपनी क्रियाओं में समाज का प्रत्यक्ष ध्यान रखता है। सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में परस्पर सम्बन्ध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। विशेषीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्ति एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

7. व्यक्ति का विकास (Development of the Individual)—यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति का अस्तित्व महत्त्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति के विकास में यह एकता बाधक होती है। परम्पराएँ, रूढ़ियाँ, सामान्य भावनाएँ आदि व्यक्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं। व्यक्ति अपना जीवन समाज के लिए जीता है। सावयवी एकता वाले समाज में व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र होता है। वह जैसे चाहे वैसे विकास कर सकता है। व्यक्तित्व के गुणों को महत्त्व दिया जाता है।

8. सादृश्यता (Analogy)—दुर्खीम ने यांत्रिक एकता को असावयवी या वस्तु तथा सावयवी एकता को जीवों के समान माना है। आपका कहना है कि जिस प्रकार से असावयवी और अचेतन वस्तुओं की संरचना तथा संगठन का निर्माण विभिन्न लेकिन एक-से तत्वों के परस्पर एक-दूसरे में घुल-मिल जाने पर होता है। इन निर्जीव तत्वों का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता है। श्रम-विभाजन नहीं होता है। उनमें क्रिया साथ-साथ होती है। उसी के सादृश्य पर यांत्रिक एकता वाले सामाजिक संगठन में सभी सदस्य घुले-मिले होते हैं। उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता है। वे सब एक से होते हैं। उनमें श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण नहीं होता है।

9. अपराध (Crime)—यांत्रिक एवं सावयवी एकता में एक बड़ा अन्तर अपराधों के स्वरूप तथा अपराधों को सख्ता में मिलता है। यांत्रिक एकता-अपराधों के प्रकार अधिक होते हैं। व्यक्ति के समाजसम्मत आचरण से मामूली अत्याचार भी अपराध माना जाता है। इनमें अपराधों की संख्या अधिक होती है। सावयवी एकता वाले समाजों में छोटी-मोटी भूल पर कोई ध्यान नहीं देता है। धार्मिक अपराध तो लगभग समाप्त हो जाते हैं। परिवार तथा विवाह में सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन ही अपराध माना जाता है। सावयवी एकता में अपराधों के प्रकार यांत्रिक एकता से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यांत्रिक एकता में अपराध समाज विरोधी होते हैं तथा सावयवी एकता में व्यक्ति-विरोधी।

10. सामाजिक संरचना (Social Structure)—यांत्रिक एकता वाले समाजों की सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी—विवाह, रक्त और गोद सम्बन्धों पर आधारित होता है, जैसे—परिवार, संयुक्त-परिवार, वंश-समूह, गोत्र-समूह आदि। वे बहिर्विवाही और अन्तर्विवाही समूह होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सब समान होते हैं। सावयवी एकता वाले समाजों में सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी पर कम आधारित होता है तथा द्वैतीयक समूहों पर अधिक आधारित होता है। समाज में विशेषीकरण के फलस्वरूप संरचना का आधार अर्जित विशेषता पर आधारित होता है। समाज में वर्ग-व्यवस्था होती है। आर्थिक भिन्नता अधिक मिलती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की सामाजिक संरचना समानता पर आधारित होती है तथा सावयवी एकता में भिन्नता तथा निर्भरता प्रमुख आधार होते हैं।

11. धर्म (Religion)—यांत्रिक एकता वाले समाज धर्म प्रधान होते हैं। समाज तथा व्यक्ति को सभी बातों का निर्देशन, संचालन, नियन्त्रण आदि धर्म करता है। धर्म उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्रियाओं का निर्धारण करता है। सावयवी एकता वाले समाजों में धर्म का प्रभाव लगभग बहुत कम हो जाता है। इसका स्थान दूसरी विशिष्ट सम्प्राणें तथा समितियाँ ले लेती हैं।

12. भावना/नियम (Feelings/Law)—यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति की सभी क्रियाओं में सामूहिक भावनाओं का प्रभुत्व होता है। भावनाओं का प्रभाव उनका

अधिक होता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत-जीवन सामूहिक-जीवन बन जाता है। वह समुदाय के लिए जीता है। सावयवी एकता वाले समाजों में सामूहिक भावना का स्थान नियम ले लेते हैं। व्यक्ति का जीवन नियमों पर आधारित होता है न कि भावना पर।

**13. समाजों के प्रकार (Types of Society)**—यांत्रिक एकता वाले समाजों के उदाहरण हैं—कबीले, आदिम समाज, घुमन्तू समाज, गिरिजन समाज, जनजातियाँ, चारागाहों समाज, आखेटक एवं भोजन एकत्र करने वाले समाज। यांत्रिक एकता वाले समाजों के उदाहरण हैं—कस्बाई समाज, नगरीय समाज, महानगरीय समाज, औद्योगिक समाज आदि।

इन उपर्युक्त वर्णित भिन्नताओं के अतिरिक्त और भी अनेक लक्षण तथा आधार हैं जो यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता में भिन्नता स्पष्ट करते हैं, जैसे— शिक्षा-संचार तथा यातायात के साधन, व्यवसाय, आर्थिक उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सामाजिक प्रस्थिति—प्रदत्त तथा अर्जित, सम्पत्ति, वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय, संस्कृति आदि। यांत्रिक एकता वाले समाजों में अशिक्षा, यातायात तथा संचार के साधनों का अभाव, परम्परागत व्यवसाय, परिवार उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय की इकाई, सामूहिक सम्पत्ति की प्रधानता, वस्तु विनिमय का प्रचलन तथा नकद मुद्रा का अभाव आदि विशेषताएँ मिलती हैं। इसके विपरीत सावयवी एकता वाले समाज में साक्षरता, उन्नत यातायात तथा संचार के साधन, अर्जित प्रस्थिति पर आधारित व्यवसाय, व्यक्तिगत सम्पत्ति, परिवार केवल उपभोग की इकाई नकद मुद्रा विनिमय का प्रचलन आदि विशेषताएँ मिलती हैं।

### दुर्खीम का उद्विकासीय सिद्धान्त (Durkheim's Evolutionary Theory)

दुर्खीम ने समाज के उद्विकास की व्याख्या श्रम-विभाजन और सामाजिक एकता के प्रकारों के आधार पर की है। आपका मत है कि समाज का विकास यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर क्रम में होता है। इस विकास का कारण श्रम-विभाजन है। प्रारम्भ में समाज में श्रम-विभाजन का अभाव होता है। समाज की जनसंख्या भी कम होती है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है। धीरे-धीरे समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है। उसके घनत्व में भी वृद्धि होती है। समाज के सदस्यों की आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं। प्रारम्भ में समाज सरल, सादे तथा सीधे होते हैं। उनमें यांत्रिक एकता होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की सभी विशेषताओं की प्रधानता होती है, जैसे—दमनकारी कानून का प्रचलन होता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। यांत्रिक एकता से समाज सावयवी एकता की विशेषताओं वाले समाजों में परिवर्तन तथा विकास एक ऐतिहासिक तथ्य है। दुर्खीम स्पेन्सर की भाँति यह मानते हैं कि समाज सरलता से जटिलता में विकसित होता है। समाज के विभिन्न गुणों में समानता से विभिन्नता में परिवर्तन होता है। आत्मनिर्भरता से पारस्परिक निर्भरता में परिवर्तन होता है। इस प्रकार समाज यांत्रिक एकता से सावयवी एकता श्रम-विभाजन की वृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक कालक्रमिक प्रक्रिया है। इसमें समय के साथ-साथ श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है। दुर्खीम इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं। श्रम-विभाजन के कारण विशेषीकरण आता है, जो समाज में परिवर्तन लाता है। विशेषीकरण से समाज की विभिन्न इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है जो समाज को सावयवी एकता वाले समाज में विकसित और परिवर्तित कर देती है।



दुर्खीम के अनुसार श्रम-विभाजन आदि सामाजिक तथ्य हैं। इनका सामाजिक परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है। आपका मत है कि श्रम-विभाजन से मानव के सुख में वृद्धि होती है। आपके अनुसार सामाजिक परिवर्तन समाज के विभिन्न गुणों, जो यांत्रिक एकता वाले समाज में पाए जाते हैं, में होता है। समाज के यांत्रिक एकता वाले गुणों से साव्यवी एकता के गुणों में परिवर्तन का प्रदर्शन सलग्न चार्ट 'यांत्रिक एकता और साव्यवी एकता में अन्तर' में किया गया है। यही दुर्खीम का सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धान्त है।

### श्रम-विभाजन के कारण (Causes of Division of Labour)

दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के कारणों की विवेचना अपनी पुस्तक के द्वितीय खण्ड में की है। आपने श्रम-विभाजन के दो कारण माने हैं। ये निम्न हैं—

- (1) प्राथमिक कारण—1.1 जनसंख्या में वृद्धि, और
- (2) द्वितीय कारण—
- 2.1 सामूहिक चेतना का ह्रास, और
- 2.2 पैतृकदा का घटता प्रभाव।

1.1 जनसंख्या में वृद्धि (Population Growth)—दुर्खीम का मत है कि श्रम-विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। आपने जनसंख्या की वृद्धि दो प्रकारों की बताई है—(1) जनसंख्या के आकार में वृद्धि, तथा (2) जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। आपने अपने निम्न कथन में स्पष्ट किया है कि जनसंख्या और श्रम-विभाजन किस प्रकार परस्पर सम्बन्धित हैं—

“श्रम-विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरन्तर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं।”

आपने लिखा है कि जनसंख्या के बढ़ने या घटने का समाजों के श्रम-विभाजन के बढ़ने या घटने के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। घनत्व बढ़ेगा तो समाजों की जटिलता भी बढ़ेगी। यह बढ़ने की प्रक्रिया समाजों के विकास के साथ-साथ निरन्तर चलती रहती है। आपने यह भी बताया है कि जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि के कारण खण्डात्मक समाज मिश्रित समाज में बदल जाते हैं। यातायात के साधनों की सुविधा का प्रभाव भी समाज की जटिलता तथा विशेषीकरण पर पड़ता है। लोगों को आने-जाने की सुविधा मिलने से वे एक स्थान पर केन्द्रित होने लगते हैं। इसी सन्दर्भ में दुर्खीम ने जनसंख्या के घनत्व के दो प्रकार बताए हैं—(1) भौतिक घनत्व तथा (2) नैतिक घनत्व। शारीरिक दृष्टि में लोग एक स्थान पर केन्द्रित होते हैं उससे जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है उसे आप भौतिक घनत्व कहते हैं। इसको बढ़ाने में यातायात के साधनों का प्रभाव पड़ता है। आपका मत है कि नैतिक घनत्व में समाज के सदस्यों के सम्बन्धों, सामाजिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की वृद्धि को देखा जाता है। यह भौतिक घनत्व के बढ़ने से बढ़ता है। जब नैतिक घनत्व बढ़ता है तो समाज की जटिलता भी बढ़ती है। सरासरीतः यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं जिससे समाज सरल अवस्था तथा यांत्रिक एकता से जटिल अवस्था तथा साव्यवी एकता में परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से अस्तित्व के

लिए सघर्ष, श्रम का विभाजन, भौतिक घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि आदि तथा समाज की सामाजिक संरचना में जटिलता में वृद्धि होती है।

**द्वितीयक कारक (Secondary Factors)**—ये दो प्रकार के होते हैं। दुर्खीम ने इनकी निम्न व्याख्याएँ की हैं—

**2 1. सामूहिक चेतना का ह्रास (Decline in the Collective Consciousness)**—दुर्खीम का मत है कि सामूहिक चेतना के कम होने से व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है जो श्रम-विभाजन में वृद्धि करती है। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना को श्रम-विभाजन का द्वितीयक कारक बताया गया है जो श्रम-विभाजन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सामूहिक चेतना प्रबल होगी तो श्रम-विभाजन में वृद्धि नहीं होगी। सामूहिक चेतना के घटने और कमजोर पड़ने पर श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है। इन गुण सम्बन्धों को अपने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

“यह देखा जा सकता है कि श्रम-विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी, जितनी सशक्त और निश्चित सामूहिक चेतना होगी। इसके विपरीत, यह उतनी ही तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है।”

**2 2. पैतृकता का घटता प्रभाव (Decreasing Influence of Hereditary)**—दुर्खीम ने पैतृकता को दूसरा द्वितीयक कारक बताया है। आपने कहा कि पैतृकता जब प्रभावशाली होती है तो सामाजिक परिवर्तन की गति कम होती है। आपका पैतृकता से तात्पर्य है कि समाज में व्यवसाय कार्यों का बँटवारा आदि प्रदत्त होते हैं। व्यक्ति के जन्म के आधार पर निश्चित होते हैं। अर्थात् व्यक्ति वही व्यवसाय करता है जो उसके पिता तथा पूर्वज करते आए हैं। इस प्रकार समाज में पैतृकता के कठोर होने के कारण व्यवसाय तथा कार्यों का बँटवारा प्रतिबन्धित होता है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है। इससे श्रम-विभाजन में वृद्धि नहीं होती है। दुर्खीम ने इन्हीं वारंशिकताओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिए हैं। आपका मत है कि पैतृकता जितनी अधिक प्रभावशाली होगी समाज में श्रम-विभाजन में वृद्धि तथा परिवर्तन उतना ही कम होगा। पैतृकता के घटने तथा कमजोर होने पर परिवर्तन तीव्र होगा। लागू परम्परागत व्यवसाय त्याग कर अन्य व्यवसाय करेंगे। श्रम-विभाजन में वृद्धि भी नजी से होगी। आधुनिकीकरण भी पैतृकता के प्रभाव को घटाता है। निष्कर्षतः दुर्खीम का मत है कि पैतृकता के प्रभाव के घटने से श्रम-विभाजन नहीं बढ़ता है तथा पैतृकता के घटने से श्रम-विभाजन बढ़ता है। इनमें परम्परा विपरीत सम्बन्ध है। एक के घटने से दूसरा बढ़ता है।

### श्रम-विभाजन के परिणाम

#### (Consequences of Division of Labour)

दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के प्रमुख आठ परिणामों का उल्लेख किया है जो निम्न हैं—

**1. प्रकार्यात्मक स्वतन्त्रता एवं विशेषीकरण (Functional Freedom and Specialization)**—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह बताया है कि इसके द्वारा कार्यों का विभाजन होता है, उससे विशेषीकरण में वृद्धि होती है। व्यक्ति कार्यों के चुनाव करने के लिए भी स्वतन्त्र होता है। इस पर पैतृकता का बन्धन नहीं रहता है। आपने उस परिणाम के निम्न चार कारण बताए हैं। व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। अपनी शारीरिक

क्षमता का विशिष्ट कार्य करने के लिए जितना अधिक उपयोग करता है उसकी क्षमता में उतना अधिक निखार आता है। एक शारीरिक क्षमता तो परिष्कृत हो जाती है तथा शेष शारीरिक क्षमताएँ शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति जब निश्चित कार्य करता है तो उसके प्रकार्य का एक निश्चित रूप बन जाता है। उसकी क्रिया का विशेषीकरण हो जाता है। व्यक्ति कार्य का चुनाव करने तथा त्यागने के लिए स्वतन्त्र होता है। उसे इस नए समाज में परम्परागत बन्धन से मुक्ति प्राप्त होती है। वह जब चाहे इच्छानुसार व्यवसाय चुने या त्यागे। दुर्खीम के अनुसार प्रकार्य सामाजिक सरपना से स्वतन्त्र होते हैं। व्यवसायो को चुनने तथा त्यागने की स्वतन्त्रता होती है जिससे गतिशीलता बढ़ जाती है। श्रम-विभाजन के कारण प्रकार्यो में विशिष्टता आ जाती है। दुर्खीम ने निष्कर्ष निकाला कि वे सब श्रम-विभाजन के परिणाम समाज की प्रगति के प्रतीक हैं। आप स्मेन्सर की भाँति इस मत के हैं कि प्रकार्यात्मक जटिलता ही प्रगति की आधारशिला है। आपने इसे समाज तथा संस्कृति के विकास से सम्बन्धित पाया है।

2. सभ्यता का विकास (Development of Civilization)—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम सभ्यता का विकास बताया है। आपने लिखा है कि जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि से समाज में श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है जिसका परिणाम सभ्यता का विकास होता है। आपने यह परिणाम निम्न कथन में स्पष्ट किया है, "सभ्यता स्वयं उन परिवर्तनों का आवश्यक परिणाम है जो समाजों के आकार तथा घनत्व में उत्पन्न होते हैं।" जनसंख्या की वृद्धि से व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध जटिल हो जाते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करता है। इसी के फलस्वरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। दुर्खीम के अनुसार सभ्यता श्रम-विभाजन का लक्ष्य नहीं है। सभ्यता तो श्रम-विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

3. सामाजिक प्रगति (Social Progress)—परिवर्तन अवश्यम्भावी है। समाज हमेशा गतिशील रहता है। समाज कोई वस्तु नहीं है। यह तो एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। दुर्खीम का मत है कि परिवर्तन से ही समाज की प्रगति होती है। आपने श्रम-विभाजन को परिवर्तन का कारण माना है तथा परिवर्तन को प्रगति का कारण। इस प्रकार प्रगति श्रम-विभाजन का परिणाम है। दुर्खीम लिखते हैं कि श्रम-विभाजन में वृद्धि नहीं होगी तो परिवर्तन रुक जाएगा। परिवर्तन रुक जाएगा तो समाज की प्रगति भी रुक जाएगी। इस प्रकार से श्रम-विभाजन का परिणाम प्रगति है जो अवश्यम्भावी है।

4. सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन (Social Change and Individual Change)—दुर्खीम ने सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन की व्याख्या श्रम-विभाजन के आधार पर की है। आपका मत है कि जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या के आकार में वृद्धि से जो परिवर्तन आते हैं वे श्रम-विभाजन में वृद्धि करके समाज की संरचना और सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन करते हैं। इसके प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ते हैं। व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, व्यवसाय को चुनने की स्वतन्त्रता, व्यक्तिवाद की भावना आदि में भी परिवर्तन आते हैं। परन्तु वे परिवर्तन श्रम-विभाजन के परिणाम हैं क्योंकि श्रम-विभाजन तो विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता आदि का कारण है। ये कारण समाज तथा व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए श्रम-विभाजन के परिणाम कहलाते हैं। दुर्खीम के अनुसार यह

चौथा परिणाम है जो समाज तथा व्यक्ति का विकास भी है। सामाजिक परिवर्तन से ही व्यक्ति में भी परिवर्तन आते हैं।

5. नवीन समूहों की उत्पत्ति और अन्तर्निर्भरता (Origin of New Groups and Interdependence)—दुर्छोम ने श्रम-विभाजन का एक और महत्वपूर्ण परिणाम समाज में नए-नए समूहों की उत्पत्ति तथा उन समूहों में परस्पर निर्भरता बताया है। आपने लिखा है कि श्रम-विभाजन से समाज में विशेषीकरण आता है। एक विशेष कार्य को करने के लिए विशेष व्यक्तियों का समूह संगठित होकर उस कार्य को सम्पन्न करता है। इस प्रकार से समाज में जितना अधिक श्रम-विभाजन होगा उतने ही अधिक विशिष्ट समूह समाज में बन जाते हैं। क्योंकि ये समूह समाज में अलग-अलग कार्य करते हैं इसलिए जो विशिष्ट कार्य एक विशिष्ट समूह करता है उस पर अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए अन्य सभी विशिष्ट समूह निर्भर हो जाते हैं तथा वह समूह अपनी सभी अन्य आवश्यकताओं के लिए अन्य समूहों पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार से श्रम-विभाजन के प्रभाव के परिणामस्वरूप समाज में अनेक नए-नए समूहों का निर्माण होता है और उनमें परस्पर निर्भरता भी बढ़ती जाती है।

6. व्यक्तिवादिता का विकास (Development of Individualism)—दुर्छोम ने श्रम-विभाजन के अनेक परिणाम बताए हैं उनमें से एक परिणाम व्यक्तिवादी विचारधारा बताया है। श्रम-विभाजन से समाज में सामूहिक चेतना तथा सामूहिक प्रतिनिधान का प्रभाव शिथिल होता जाता है तथा व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व का महत्त्व बढ़ता है। समूहवाद का हास होता है। व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण तथा स्वतन्त्रता बढ़ती है। इन सबका परिणाम व्यक्तिवादी विचारधारा को उन्नत तथा विकसित करने में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

7. प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव (Restitutive law and Moral Pressure)—श्रम-विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून के परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। जब समाज में श्रम-विभाजन का अभाव होता है अथवा अल्प श्रम-विभाजन होता है तब समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है तथा सामूहिक चेतना का वर्चस्व होता है। लेकिन जब श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों में विशेषीकरण बढ़ता है। इसके कारण समझौते के सम्बन्धों का विकास होता है। पारस्परिक सम्बन्ध जटिल बन जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। व्यक्तिवाद का महत्त्व बढ़ जाता है। व्यक्तियों के सम्बन्धों तथा अपराधों को नियन्त्रित, निर्देशित तथा संचालित करने के लिए दमनकारी कानून का स्थान प्रतिकारी कानून ले लेता है। सामूहिक हितों से सम्बन्धित नैतिकता का भी विकास होता है इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वार्थ आदि पर नियन्त्रण रखा जाता है। इस प्रकार से श्रम-विभाजन का एक परिणाम प्रतिकारी कानून का महत्त्व बढ़ना तथा नैतिकता का विकास होना है।

8. सावयवी सामाजिक एकता (Organic Social Solidarity)—दुर्छोम ने श्रम-विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम समाज में सावयवी एकता की स्थापना बताया है। वास्तविकता तो ये है कि श्रम-विभाजन के सारे परिणामों को व्याख्या इस एक परिणाम 'सावयवी एकता' के अन्तर्गत की जा सकती है, जो इस प्रकार है। आपका मत है कि श्रम-विभाजन के अभाव अथवा अल्पता की स्थिति में समाज में यांत्रिक एकता होती है। जैसे-जैसे श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है वैसे-वैसे समाज में विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता,

अन्योन्याश्रितता तथा सहयोग बढ़ता है। इसी सहयोग के परिणामस्वरूप समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है जिससे समाज के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों या अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता, संगठन एवं सहयोग मिलता है। इसी को दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का परिणाम सावयवी सामाजिक एकता कहा है।

### श्रम-विभाजन के असामान्य स्वरूप (Abnormal Forms of Division of Labour)

दुर्खीम ने आलोच्य पुस्तक के तीसरे और अन्तिम खण्ड में श्रम-विभाजन के तीन महत्वपूर्ण असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है। आपका मत है कि जहाँ श्रम-विभाजन के अनेक संगठनात्मक परिणाम हैं वहाँ कुछ व्याधिक्रीय परिणाम भी हैं। दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के व्याधिक्रीय परिणाम उनको कहा है जो समाज में एकता पैदा नहीं करते हैं। आपने निम्नांकित श्रम-विभाजन के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है—

- 1 आदर्शहीन श्रम-विभाजन,
- 2 चलात् श्रम-विभाजन, और
- 3 व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता।

1. आदर्शहीन श्रम-विभाजन (Idealless Division of Labour)—जब समाज में श्रम-विभाजन विभिन्न सामाजिक कार्यों में तालमेल तथा परस्पर सामंजस्य स्थापित नहीं करता है तब वह एक-दूसरे के कार्य तथा विकास में बाधाएँ उत्पन्न करता है। दुर्खीम के अनुसार ऐसा विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों तथा विज्ञान के क्षेत्रों में अव्यवस्थित श्रम-विभाजन के फलस्वरूप होता है। दुर्खीम ने उस श्रम-विभाजन को आदर्शहीन श्रम-विभाजन कहा है जो श्रम-विभाजन विभिन्न प्रकारों में असामंजस्य उत्पन्न करता है। यह आदर्शहीन श्रम-विभाजन आर्थिक क्षेत्र तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में पाया जाता है।

1.1. आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम-विभाजन (Idealless Division of Labour in Economic Field)—जब उत्पादन के संगठनों, औद्योगिक केन्द्रों, कारखानों आदि में श्रम-विभाजन होता है तो उससे विशेषीकरण आता है जो उत्पादन में लगे मालिक और मजदूरों में सघर्ष पैदा कर देता है। इनमें परस्पर, व्यापारिक तथा अन्य झगड़े होते हैं। इस प्रकार श्रम-विभाजन आर्थिक क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक इकाइयों में तनाव, संघर्ष तथा असन्तुलन पैदा कर देता है। लाभ के स्थान पर हानि होती है। सामाजिक सावयवी एकता पर आघात लगता है। सहयोग का स्थान पारस्परिक सघर्ष, हठताल, तालाबन्दी आदि ले लेते हैं। इसी को दुर्खीम ने आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम-विभाजन कहा है।

1.2. वैज्ञानिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम-विभाजन (Idealless Division of Labour in Scientific Field)—दूसरा आदर्शहीन श्रम-विभाजन आपने वैज्ञानिक क्षेत्र में बताया है। पहिले सभी विज्ञान परस्पर सम्बन्धित थे। अलग-अलग नहीं थे। परन्तु अब विज्ञानों में श्रम-विभाजन के फलस्वरूप बहुत अधिक विशेषीकरण आ गया है। एक वैज्ञानिक अब केवल एक विज्ञान अथवा उसकी भी एक शाखा मात्र से जुड़ा हुआ है। इसने विज्ञानों में परस्पर दूरियाँ बढ़ा दी हैं। सावयवी एकता स्थापित नहीं होने के कारण विभिन्न विज्ञानों के सम्बन्ध टूट गए हैं। दुर्खीम के अनुसार श्रम-विभाजन ने विज्ञान में सघर्ष, तथा दूरियाँ बढ़ा दी हैं।

2. बलात् श्रम-विभाजन (Forced Division of Labour)—दुर्खीम का मत है कि बाहर से थोपा गया श्रम-विभाजन बलात् श्रम-विभाजन है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य को चुनने तथा त्यागने की स्वतन्त्रता नहीं होती है। उससे शक्ति से काम लिया जाता है। वह पूर्व निश्चित कार्यों को करने के लिए बाध्य रहता है। आपका मत है कि श्रम-विभाजन से एकता स्थापित करना सरल कार्य नहीं है। यह तभी स्थापित हो सकती है जब समाज के सभी लोगों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, रुचि आदि के अनुसार व्यवसाय मिले जो जाति-व्यवस्था तथा वर्ग-व्यवस्था में भी नहीं मिलता है। यह श्रम-विभाजन का दुष्कार्य है जिसे बलात् श्रम-विभाजन भी कहते हैं।

3. व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता (Insufficiency of Individual Work)—दुर्खीम के अनुसार श्रम-विभाजन का तीसरा असामान्य कार्य समाज के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्रदान नहीं कर पाता है। श्रम-विभाजन समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता जब तक कि कार्य करने वालों को काफी काम न दिया जाए। व्यक्ति को क्रियाओं के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। श्रम-विभाजन के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक समस्याओं में श्रम का विभाजन ठीक से नहीं होता है। लोगों में असन्तोष होता है। अनुपयोगी कार्यों की अधिकता होती है। कार्यों का विभाजन अनुपयोगी होता है। इससे व्यवस्था स्थापित न होकर अव्यवस्था बनी रहती है। जब श्रम-विभाजन अव्यवस्था और असन्तुलन पैदा करता है और सावयवी एकता पैदा नहीं कर पाता है तो यह व्यक्तिगत कार्य को अपर्याप्तता कहलाती है। श्रम-विभाजन आवश्यक नहीं है कि एकता तथा सगठन ही पैदा करे। यह असगठन, असन्तुलन तथा अव्यवस्था भी फैलाता है।

### आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)

'समाज में श्रम-विभाजन' दुर्खीम की प्रथम कृति है। इसमें कमियो का होना स्वाभाविक है। इस विनिबन्ध की आलोचना विभिन्न समाजशास्त्रियों—गिन्सबर्ग, बीरस्टेड, मर्टन, बोगार्डस, रेमण्ड एन आदि ने की है। इन विभिन्न विद्वानों ने दुर्खीम के इस शोध प्रबन्ध का कई बिन्दुओं—तथ्यों, अवधारणाओं, पद्धति, वर्गीकरण, कारणों, प्रभावों, सिद्धान्त तथा निष्कर्षों के आधार पर मूल्यांकन तथा आलोचना की है, जो निम्न प्रकार है—

1. अस्पष्ट तथ्य (Vague Facts)—दुर्खीम ने दावा किया है कि आपका अध्ययन समाजशास्त्रीय है तथा इसमें जो तथ्य दिये गये हैं, वे समाजशास्त्रीय हैं। परन्तु अनेक समाजशास्त्रियों का कहना है कि आप स्पष्ट रूप से सामाजिक तथ्यों तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों में अन्तर नहीं कर पाये हैं। दुर्खीम के एकता तथा सामाजिक एकता का अन्तर अवैज्ञानिक है। एकता एक मानसिक सत्य तथा तथ्य है। एकता भावात्मक तथ्य है न कि समाजशास्त्रीय।

2. अस्पष्ट अवधारणाएँ (Vague Concepts)—दुर्खीम द्वारा इस अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणाएँ—प्रकार्य, एकता, खण्डात्मक समाज, सामूहिक चेतना आदि की मर्टन, रेमण्ड, एन आदि ने आलोचनाएँ की हैं। मर्टन का मत है कि दुर्खीम ने उद्देश्य के स्थान पर प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है, वह अनुपयुक्त है। इसी प्रकार एकता की अवधारणा को दुर्खीम ने विकसित किया है तथा इसे सामाजिक तथ्य कहा है। वास्तव में यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। आपने यान्त्रिक एकता वाले समाजों को खण्डात्मक समाज कहा है। एन ने आपत्ति उठाई

है और कहा है कि आदिम समाजों तथा यात्रिक एकता वाले समाजों को खण्डात्मक समाज कहना अवैज्ञानिक तथा त्रुटिपूर्ण है; जाति-व्यवस्था तथा वर्ग-व्यवस्था वाले समाज खण्डात्मक समाज हैं।

सामूहिक चेतना की अवधारणा की भी समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है। सामूहिक-चेतना समूह-मन का पर्यायवाची है तथा यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है न कि समाजशास्त्रीय अवधारणा है।

3. अव्यावहारिक अध्ययन पद्धति (Unworkable Method of Study)—मर्टन और बर्गेस दुर्खोम द्वारा काम में ली गई अध्ययन पद्धति से असहमत हैं। आप दोनों की आपत्ति है कि दुर्खोम ने श्रम-विभाजन और सांपाजिक एकता के अध्ययन में भौतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है, वह अवैज्ञानिक तथा अविश्वसनीय तथा अप्रमाणित प्रयोग है।

4. त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण (Faulty Perspective)—एमिल बेनौयत—स्मुलियन, मर्टन आदि समाजशास्त्रियों ने दुर्खोम के समूहवादी दृष्टिकोण की कटु आलोचना की है। इन्होंने कहा कि दुर्खोम अपने इस सम्पूर्ण विनिबन्ध में यह सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास करते हैं कि समाज सब कुछ है, सर्वोपरि है। समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिए कुछ नहीं है। यह धारणा तथा दृष्टिकोण अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन है। टार्डे ने आपत्ति उठाई है कि दुर्खोम का यह दृष्टिकोण अतिवादी है तथा धामक है। टार्डे ने लिखा है, "मैं मानता हूँ कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु शेष रह जायेगी। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग कर दिया जाये तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त भी कुछ शेष रह जायेगा।"

सोरोकिन, टार्डे के मत का समर्थन करते हैं तथा लिखते हैं, "संक्षिप्त में दुर्खोम की यह वास्तविकता वैज्ञानिकतानुसार गलत है तथा इसे त्याग देना चाहिए, यह कुछ नहीं है, केवल एक अनुचित रहस्यवाद है।" मर्टन आदि अनेक विद्वानों ने भी दुर्खोम के इस दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण बताया है।

5. अतार्किक वर्गीकरण (Illogical Classification)—मर्टन, स्मुलियन, बीरस्टीड आदि समाजशास्त्री दुर्खोम द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरणों को अनुचित, अतार्किक और अस्पष्ट मानते हैं।

5.1. मर्टन तथा स्मुलियन दुर्खोम द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत नैतिकता तथा सामूहिक नैतिकता के वर्गीकरण को अस्पष्ट मानते हैं तथा लिखते हैं कि नैतिकता तो नैतिकता है उसको व्यक्तिगत तथा सामूहिक में बाँटा नहीं जा सकता है। जो कुछ व्यक्ति के प्रति नैतिकता का कर्तव्यपूर्ण आचरण है वह अन्ततोगत्वा व्यक्ति को समाज के प्रति ही तो नैतिकता को प्रकट करता है।

5.2. बीरस्टीड ने दुर्खोम के प्राचीन तथा आधुनिक समाजों के किये गये वर्गीकरण पर आपत्ति उठाई है। बीरस्टीड का विरोध यह है कि इन दोनों प्रकार के समाजों के वर्गीकरण के आधार—समानता तथा विभेद उचित नहीं हैं। आपका मत है कि सभी समाजों में समानता और भिन्नता के लक्षण कुछ मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं।

5.3. मर्टन तथा स्मुलियन को आपत्ति है कि दुर्खीम ने कानून और एकता के विभिन्न प्रकारों या वर्गीकरणों में विश्वसनीय सम्वन्ध स्थापित नहीं किया है। यह दुर्खीम की कमी रही है।

5.4. अनेक समाजशास्त्रियों की आपत्ति है कि दुर्खीम ने यात्रिक एकता एवं सावयत्री एकता को जो विशेषताएँ बताई हैं वे विकसित तथा ग्रामीण समाजों में भी मिलती हैं। इसलिए इनका 'एकता के दो प्रकार' या स्वरूप भी पूर्ण स्पष्ट नहीं हैं।

6. कारणों पर आपत्ति (Objection on Causes)—अनेक समाजशास्त्रियों—सोरोकिन, मर्टन, एरन, गिन्सबर्ग, थोगार्डस और स्मुलियन आदि ने दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित श्रम-विभाजन के सिद्धान्त के कारणों पर आपत्ति उठाई है। इन विद्वानों का मत है कि दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व में वृद्धि को माना है लेकिन ये कारण जैविक हैं। इस प्रकार से इन जैविक कारणों पर आधारित व्याख्या भी जीवशास्त्रीय व्याख्या हो जाती है न कि समाजशास्त्रीय। एमिल येनौयत-स्मुलियन ने निम्न शब्दों में अपनी आपत्ति व्यक्त की है—

“स्पष्ट रूप से यह (श्रम-विभाजन) समाजशास्त्रीय की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है।”

7. कारणों और परिणामों में अस्पष्टता (Vagueness in Causes and Result)—दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में श्रम-विभाजन के महत्वपूर्ण आठ परिणामों का उल्लेख किया है। लेकिन आपने स्पष्ट रूप में श्रम-विभाजन को विभिन्न परिणामों का कारण निश्चित करके व्याख्या को अस्पष्ट तथा अवैज्ञानिक बना दिया है। आप सभ्यता और प्रगति को श्रम-विभाजन का परिणाम मानते हैं, लेकिन कोई भी सम्प्रदाय इसको नहीं मानता है। सभ्यता और संस्कृति तथा समाज की प्रगति के अनेक कारण हैं। श्रम-विभाजन को इसका एकमात्र कारण मानना गलत है। सोरोकिन का मत है कि समाज से सम्वन्धित एक कारण को विभिन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराना अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में अनेक कारक परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। यही आलोचना श्रम-विभाजन के अन्य परिणामों—प्रकार्यात्मक स्वतन्त्रता, सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवर्तन, व्यक्तिवादी विचारधारा, प्रतिकारो कानून और नैतिक दबाव एवं सावयत्री सामाजिक एकता के सम्वन्ध में भी विद्वानों ने की है।

8. उद्विकासीय सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Evolutionary Theory)—मर्टन ने दुर्खीम के सामाजिक उद्विकासीय सिद्धान्त की आलोचना की है। आपका कहना है कि दुर्खीम ने विकास के क्रम में एक छोर पर प्राचीन या यात्रिक एकता वाले समाजों को रखा है तथा दूसरे छोर पर आधुनिक या सावयत्री एकता वाले समाजों को रखा है। दुर्खीम ने समाजों का उद्विकास रेखीय, सरल से जटिल, ममानता से विभिन्नता आदि के द्वारा समझाया है। इसका कारण श्रम-विभाजन बताया है। अनेक विद्वानों ने मत व्यक्त किया है कि सामाजिक परिवर्तन अनेक कारणों से होता है। मर्टन ने भी यही आपत्ति उठाई है। सोरोकिन का कथन है कि सामाजिक परिवर्तन का एक कारकीय सिद्धान्त हो ही नहीं सकता है। सामाजिक परिवर्तन श्रम-विभाजन के अतिरिक्त अनेक कारणों का परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या मैकीवर, मजूमदार, मदान, मैलिनोव्स्की,



रेडक्लिफ-ब्राउन आदि के अनुसार, उद्विकासीय सिद्धान्त से नहीं की जा सकती है, जो दुर्खीम ने की है। यह सत्य तथा प्रमाणित नहीं है।

दुर्खीम की उपर्युक्त आलोचनाओं का यह अर्थ कदापि नहीं लगा लेना चाहिए कि उनका श्रम-विभाजन का सिद्धान्त निरर्थक तथा अनुपयोगी है। आपको यह कृति समाजशास्त्र में एक अमूल्य योगदान मानी जाती रही है और भविष्य में भी मानी जाती रहेगी। इस सन्दर्भ में जॉर्ज सिम्सन का निम्न कथन विचारणीय है, आपने दुर्खीम की इस आलोच्य पुस्तक के आमुख में दिया है—

“उस व्यक्ति (दुर्खीम) की प्रथम महान् रचना है जिसने लगभग चौथाई शताब्दी तक फ्रांसीसी विचारधारा पर नियन्त्रण किया है और जिसका प्रभाव भी घटने के स्थान पर बढ़ रहा है, यह पुस्तक आज भी ऐतिहासिक और प्रसंग के दृष्टिकोण से उन सभी को पढ़नी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान तथा सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं।”

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 'समाज में श्रम-विभाजन' पर एक निबन्ध लिखिये। (राज 1993)
- 2 दुर्खीम के अनुसार 'श्रम-विभाजन' का अर्थ बताइये तथा श्रम-विभाजन के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
- 3 यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की विशेषताएँ बताइये।
- 4 दुर्खीम के 'श्रम-विभाजन' के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
- 5 दुर्खीम के 'यांत्रिक एकता' एवं 'सावयवी एकता' की अवधारणाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (राज वि 1996)
- 6 'यांत्रिक एकता और सावयवी एकता' पर लेख लिखिये।
- 7 दुर्खीम के अनुसार कानून किस प्रकार से एकता का माप है? व्याख्या कीजिये।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

- 1 दुर्खीम का उद्विकासीय सिद्धान्त
- 2 दुर्खीम के श्रम-विभाजन के सिद्धान्त की आलोचना
- 3 श्रम-विभाजन के प्राथमिक और द्वितीयक कारण
- 4 श्रम-विभाजन के परिणाम
- 5 श्रम-विभाजन के असामान्य स्वरूप
- 6 कानून एवं एकता
- 7 यांत्रिक एकता
- 8 सावयवी एकता
- 9 यांत्रिक एवं सावयवी एकता में कोई तीन अन्तर।

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1 'दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसायटी' के रचयिता कौन हैं?

(अ) कार्ल मार्क्स (ब) मैक्स वेबर

(स) इमाइल दुर्खीम (द) स्पेन्सर

[उत्तर- (स)]

2 समाज में श्रम विभाजन का अध्ययन दुर्खीम ने कब लिया?

(अ) 1893 (ब) 1895

(स) 1912 (द) 1897

[उत्तर- (अ)]

3 निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए—

(1) मार्क्स ने 'दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसायटी' लिखी है।

(2) दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का अध्ययन 1893 में किया था।

(3) 'यात्रिक एकता' श्रम-विभाजन के अभाव के कारण उत्पन्न होती है।

(4) श्रम-विभाजन की अधिकता के कारण यात्रिक एकता पैदा होती है।

(5) श्रम-विभाजन के अभाव या अल्पता वाले समाजों में सामुदायिक सम्पत्ति की व्यवस्था होती है।

(6) स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद श्रम-विभाजन के अभाव वाले समाजों में विद्यमान होता है।

[उत्तर- सत्य कथन—(2), (3), (5), (6)]



## अध्याय-4

### दुर्खीम : आत्महत्या (Durkheim : Suicide)

दुर्खीम की तीसरी विश्वविख्यात कृति आत्महत्या Le Suicide, 1897 है। इस ग्रन्थ में तीन खण्ड हैं। सर्वप्रथम 'प्रस्तावना' लिखी गई है जिसमें इसे वैषयिक आधार पर परिभाषित करते हुए वैषयिक और सामाजिक प्रकृति में अन्तर स्पष्ट किया गया है। अन्य विद्वानों के आत्महत्या के सिद्धान्तों की व्याख्या प्रथम खण्ड में की गई है। आत्महत्या के सामाजिक कारकों की व्याख्या द्वितीय खण्ड में की गई है। आत्महत्या के सामाजिक तत्त्व की व्याख्या, आत्महत्या के साथ सामाजिक घटनाओं का सम्बन्ध तथा कुछ व्यावहारिक परिणामों व समस्याओं की विवेचना कृति के तृतीय खण्ड में गई है।

एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस ग्रन्थ के लिखने का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर यह है कि दुर्खीम ने अपने प्रथम ग्रन्थ 'समाज में श्रम-विभाजन' में समाजशास्त्रीय क्षेत्र में कुछ नवीन सैद्धान्तिक प्रश्न उठाये हैं। दूसरी कृति "समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम" में सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं और पद्धतिशास्त्र के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त किया है। इन विचारों को पुष्टि के लिए किसी प्रमाणित तथ्य की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति 'आत्महत्या' द्वारा की गई है। दुर्खीम ने आत्महत्या की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है। आपकी मान्यता है कि आत्महत्या की वैज्ञानिक एवं प्रास्तयिक व्याख्या वैयक्तिक नैतिक कारणों जैसे—चरानुक्रमण निर्धनता, प्रेम में अमफलता, निराशा, मानसिक कारण आदि के आधार पर नहीं की जा सकती है क्योंकि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है इसलिए इसके कारकों की खोज भी समाज में ही की जानी चाहिए।

दुर्खीम का मानना है कि मनुष्य से अधिक शक्तिशाली शक्ति जो स्वयं मनुष्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है और नैतिक आधार पर मनुष्य को अनुशासित भी करती है वह केवल समाज है। समाज व्यक्ति का प्रेरणा-स्रोत है अतः जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए विलश होता है तो उस समय भी समाज ही दुःखी व्यक्ति की चेतना में उपस्थित रहता है। यह समाज है जो वैयक्तिक इतिहास से अधिक इस एकाकी क्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करता है।

समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। दुर्खीम वैज्ञानिक अनुसन्धान की व्यावहारिक उपयोगिता को महत्त्वपूर्ण मानते हैं और आत्महत्या व अन्य वैयक्तिक कारणों की उत्पत्ति को सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में मानते हैं और उनका उपचार भी सामाजिक जीवन में ही सम्भव मानते हैं।

इस प्रकार 'आत्महत्या' दुर्खीम की महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें एक ओर आत्महत्या की सामाजिक व्याख्या करके दुर्खीम की समाजशास्त्रीय मान्यताओं को सैद्धान्तिक आधार

प्रदान किया गया है साथ ही व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन को श्रेष्ठता प्रदान की गई है और दूसरी ओर उनके समाजशास्त्रीय पद्धति के उपयोग का सफल प्रदर्शन किया गया है। इस पुस्तक के महत्त्व को बीरस्टीड ने इस रूप में व्यक्त किया है, "यह समाजशास्त्रीय अनुसन्धान की महानतम कृतियों में से एक तथ्यपरक कृति है। समाजशास्त्र में अनुसन्धान का इतिहास, वास्तव में इस पुस्तक से प्रारम्भ होता है और यद्यपि इसके प्रकाशन के पश्चात् सत्तर वर्षों में इसके निष्कर्षों में परिष्कार किया गया है, इसका महत्त्व कम नहीं हुआ है।"

### आत्महत्या की परिभाषा (Definition of Suicide)

दुर्खीम ने अपनी कृति 'सुसाइड' में आत्महत्या को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है—

"आत्महत्या' शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिये प्रयुक्त किया जाता है, जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह (मरने वाला व्यक्ति) जानता है।" उपर्युक्त परिभाषा केवल 'मानव' से सम्बन्धित है, पशुओं की आत्महत्या से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस परिभाषा के आधार पर आत्महत्या से सम्बन्धित कुछ विशेषताएँ उभर कर आती हैं जो निम्नलिखित हो सकती हैं—

आत्महत्या की विशेषताएँ (Characteristics of Suicide)—( 1 ) क्रिया का परिणाम (Result of Action)—ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या की श्रेणी में रखा जायेगा जो मरने वाले व्यक्ति की क्रिया का परिणाम होती है। अर्थात् क्रिया और परिणाम में कार्यकारण सम्बन्ध होता है भले ही यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। क्रिया-सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है।

( 2 ) सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया (Positive and Negative Action)—सकारात्मक क्रिया से तात्पर्य इस प्रकार के कार्य से होता है, जो स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण हो, जबकि नकारात्मक क्रिया में मृत्यु का कारण अस्पष्ट रहता है। उदाहरणार्थ—यदि कोई देशभक्त दुश्मन के हाथों में जाने के पूर्व स्वयं आत्महत्या कर लेता है अथवा कुण्ठित व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। प्रथम आत्महत्या के उदाहरण में कारण स्पष्ट है, जबकि दूसरे में मृत्यु का कारण अस्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, प्रथम में क्रिया सकारात्मक है और दूसरे में क्रिया नकारात्मक है।

( 3 ) तार्किक क्रिया (Logical Action)—आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि यह तार्किक क्रिया है अर्थात् व्यक्ति आत्महत्या सोच-समझकर व इच्छापूर्वक करता है और अपनी क्रिया के परिणाम को भी जानता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति डूबने की इच्छा से पानी में गिरता है तो यह आत्महत्या का उदाहरण है किन्तु वह व्यक्ति अनजाने या धोखे से पानी में गिरकर डूब जाता है तो यह दुर्खीम के मत में आत्महत्या नहीं है। कहने का आशय यह है कि वही मृत्यु आत्महत्या की श्रेणी में आवेगी, जिसमें व्यक्ति क्रिया के परिणाम को जानते हुए भी आत्महत्या करता है। इसी कारण दुर्खीम ने बलिदानों को भी आत्महत्या में सम्मिलित किया है।

(4) क्रिया के परिणाम से अवगत (Acquainted with Consequences of Action)—आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि यदि व्यक्ति अपनी क्रिया के विषय में पहले से ही अवगत है और उसके उपरान्त भी वह अपने कार्यों को यथावत् करता रहता है तो यह भी आत्महत्या ही कहलायेगी। अर्थात् यदि व्यक्ति किसी क्रिया के परिणाम के विषय में पहले ही जानता है और फिर भी वह उसी घातक क्रिया को करता रहता है तो यह आत्महत्या ही है। उदाहरणार्थ—दुर्खीम के मत में यदि कोई विद्वान् अपने अध्ययन के प्रति अत्यधिक सचेष्ट रहने के कारण अपने भोजन की उपेक्षा करता है और अति-परिश्रम के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह भी आत्महत्या ही है क्योंकि अत्यधिक परिश्रम एवं भोजन की उपेक्षा ने उसे इतना अधिक थका दिया कि यह जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई।

(5) सामाजिक तथ्य (Social Fact)—आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या व्यक्तिगत-मनोवैज्ञानिक नहीं है, अपितु यह एक ऐसा तथ्य है, जो अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और जिसकी पृथक् प्रकृति है जो सामाजिक है। यह कोई व्यक्तिगत अथवा अघानक होने वाली घटना नहीं है। इसका उदाहरण देते हुए दुर्खीम की मान्यता है कि समाजों में होने वाली आत्महत्याओं की वार्षिक दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यह तो समाज की दशाओं से सम्बन्धित है। यह व्यक्तियों की आकस्मिक क्रियाओं से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि देश के राष्ट्रीय स्वभाव से सम्बन्धित है।

दुर्खीम ने आत्महत्या के अन्तर्गत उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया है जिनके कोई सामाजिक परिणाम अवश्य होते हैं। व्यक्तिगत दशाएँ भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती हैं किन्तु ये किसी बड़े समूह में आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म नहीं देतीं अर्थात् उनके कोई सामाजिक परिणाम नहीं होते हैं। अतः उन्हें मनोविज्ञान से सम्बन्धित माना जायेगा, समाजशास्त्र से उनका सम्बन्ध नहीं है। किन्तु जब आत्महत्या के कारण समूह को प्रभावित करते हैं तभी उनका अध्ययन समाजशास्त्र से सम्बन्धित होता है और समाजशास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए।

### 1. आत्महत्या से सम्बन्धित असामाजिक कारक (Non-Social Factors Related to Suicide)

दुर्खीम ने आत्महत्या से सम्बन्धित कुछ असामाजिक कारकों पर भी प्रकाश डाला है जिसमें उन्होंने 'मनोवैयक्तिकीय और प्राकृतिक' दो कारकों पर आधारित सिद्धान्तों की विवेचना की है और बताया है कि शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं—इनको विस्तार से निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है।

दुर्खीम ने असामाजिक कारकों को दो प्रकार का माना है—

(1) मनोवैयक्तिकीय कारक एवं (2) प्राकृतिक कारक।

मनोवैयक्तिकीय कारकों के दो प्रकार हैं—मनोविकृत दशाएँ और (2) सामान्य मनोवैयक्तिकीय दशाएँ। अब सर्वप्रथम मनोवैयक्तिकीय कारकों के प्रथम प्रकार, मनोविकृत दशाओं का वर्णन किया जा रहा है—

## 1.1 मनोविकृत अवस्थाएँ और आत्महत्या (Psychopathic States and Suicide)

दुर्खीम के मत में 'मनोविकृत अवस्थाएँ' आत्महत्या के असामाजिक कारक हैं क्योंकि आत्महत्या को प्रायः मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय कारकों के आधार पर ही देखा जाता है किन्तु कुछ विद्वानों के मत में 'प्राकृतिक पर्यावरण' भी आत्महत्याओं के लिए उत्तरदायी है। दुर्खीम का मानना है कि सम्भव है कुछ व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रत्यक्ष रूप से उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हो अथवा यह भी हो सकता है कि जलवायु, तापमान आदि पर्यावरण सम्बन्धी तत्व भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हो, किन्तु दुर्खीम के मत में मनोवैज्ञानिक व प्राकृतिक स्थितियों में आत्महत्या की वास्तविक प्रेरक शक्ति नहीं होती। वह प्रेरक शक्ति तो सामाजिक दशाओं में ही होती है। दुर्खीम ने 'मनोजैविकीय' कारकों में मानसिक विकृतियों और सामान्य जैविकीय कारकों का आत्महत्या के साथ सम्बन्धों को स्थापित करने वाले सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है, जो अग्रलिखित हैं।

### 1.1.1. उन्माद और आत्महत्या (Insanity and Suicide)

दुर्खीम के मत में उन्माद या पागलपन एक बीमारी है। इस रोग की मात्रा भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती है। उन्माद को मानसिक अलगाव (Mental Alienation) कहा जा सकता है। दुर्खीम ने आत्महत्या को उन्माद का परिणाम मानने वाले विद्वानों के सिद्धान्तों का परीक्षण किया। इनमें दो सिद्धान्त प्रमुख हैं—(1) एस्किवरोल ने कहा है, "आत्महत्या मानसिक अलगाव की सभी विशेषताओं को प्रकट करती है। एक व्यक्ति उन्माद की अवस्था में ही आत्महत्या का प्रयास करता है और आत्महत्या करने वाले मानसिक अलगाव के रोगी होते हैं।" जबकि (2) वार्डिन ने आत्महत्या को ही विशेष प्रकार का उन्माद कहा है। वार्डिन के अनुसार प्रत्येक आत्महत्या एक उन्माद है और प्रत्येक आत्महत्या करने वाला उन्मादी अथवा पागल है। दुर्खीम ने दोनों का परीक्षण किया है, जो निम्न है—

(i) आत्महत्या एक उन्माद (Suicide as Insanity)—दुर्खीम ने वार्डिन के कथन "आत्महत्या एक उन्माद" का परीक्षण करके बताया कि यदि आत्महत्या उन्माद का ही एक स्वरूप है तो यह एक ऐसा विशेष उन्माद है जो केवल एक क्रिया से ही सम्बन्धित है, क्योंकि शेष समस्त क्रियाओं में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सामान्य दिखाई देता है। अन्य समस्त क्रियाओं में सामान्य व्यवहार रखने वाला व्यक्ति यदि किसी एक विशेष क्रिया में असामान्य प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार के रोग को 'एक-विषयी उन्माद' कहा जाता है अर्थात् दुर्खीम के मत में, "एक-विषयोन्मादी वह रोगी है जिसका मस्तिष्क एक को छोड़कर शेष समस्त पक्षों में पूर्णतया स्वस्थ है। उसमें स्पष्ट रूप से स्थित केवल एक दोष होता है।" उदाहरण के लिए, सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने सभी सामान्य व्यवहारों को करता हुआ यदि चोरी करने में विशेष आनन्द की प्राप्ति करता है और बिना किसी विशेष कारण के चोरी करने में विशेष रूप से प्रवृत्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को "एक-विषयोन्मादी" (Monomaniac) कहा जायेगा। वार्डिन आदि के मत में

आत्महत्या भी एक ही विशिष्ट उन्माद है जिसमें व्यक्ति के मन में स्वयं को समाप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार 'एक-विषयोन्माद' एक ऐसा प्रबल संवेग है जो इतना तीव्र व प्रबल होता है कि किसी विशेष क्षण में मस्तिष्क इस संवेग के अधीन होकर क्रिया कर देता है। किन्तु दुर्खीम इस मत का खण्डन करते हुए तर्क देते हैं कि 'एक-विषयोन्माद' का रोगी अत्यधिक शिथिल और निराश रहता है और उसमें विचार और क्रिया के बीच का सन्तुलन समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति की सम्पूर्ण बौद्धिकता ही उससे प्रभावित हो जाती है और एक से अधिक संवेग उसे प्रभावित करते हैं, केवल एक संवेग ही नहीं। इस प्रकार एक पक्ष में भी पागलपन या उन्माद तभी दिखाई देता है जब सम्पूर्ण मानसिक जीवन उन्माद से प्रभावित हो। अतः 'एक-विषयोन्माद' कोई रोग है ही नहीं इस दृष्टि से आत्महत्या भी 'एक-विषयोन्मादी' नहीं हो सकती।

(ii) उन्माद के परिणाम के रूप में आत्महत्या (Suicide as a Result of Insanity)—यह सिद्धान्त उन्माद के परिणाम को आत्महत्या मानता है। इस सिद्धान्त के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति उन्मादी होते हैं। मानसिक अलगाव आत्महत्या का प्रमुख कारण है। एस्विबरोल इस मत के समर्थक हैं। दुर्खीम इस सिद्धान्त को भी अस्वीकार करते हैं। उनके मत में कुछ उन्मादी व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या कर लेने के आधार पर ही इसे सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता इसके लिए विशेष अध्ययन व परोक्षण करने आवश्यक हैं। अतः इस मत का भी खण्डन करते हुए दुर्खीम ने पागलपन अथवा उन्माद से सम्बन्धित आत्महत्याओं को निम्नलिखित चार प्रकार का बताया है।

उन्माद से सम्बन्धित आत्महत्याएँ—ये निम्नलिखित चार प्रकार की हैं—

1.1.1. उन्मत्त आत्महत्या (Hallucination Suicide)—इस प्रकार की आत्महत्या मतिभ्रम अथवा विभ्रान्ति के कारण होती है। रोगी किसी काल्पनिक भय या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। कभी-कभी व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि कोई रहस्यात्मक शक्ति या मायावी शक्ति उसे मरने की आज्ञा दे रही है और आदेश के पालनार्थ वह आत्महत्या कर लेता है। वास्तव में इस प्रकार की आत्महत्या उन्माद के रोग के कारण होती है। विभिन्न प्रकार की भावनाएँ रोगी के मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती हैं। इसी विचार शृंखला में आत्महत्या का विचार भी आता है, यदि आत्महत्या का विचार एक बार में सफल नहीं हो पाता तो व्यक्ति पुनः उस विचार को ही त्याग देता है। इस प्रकार उन्माद की स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या उन्माद का ही परिणाम है। वार्डिन ने एक व्यक्ति के विषय में बताया है कि वह उसी रोग के वशीभूत होकर आत्महत्या करने के लिए पानी में उतरा—पानी कम होने के कारण गहरे पानी की खोज करने लगा। तभी एक बस्टम अधिकारी ने उसे तुरन्त नदी से बाहर आने की धमकी दी अन्यथा वह उसे गोली मार देगा। बम, वह व्यक्ति तुरन्त बाहर निकला और उसने आत्महत्या का विचार ही त्याग दिया। विचार-परिवर्तन का यह बड़ा सटीक दृष्टांत है।

1.1.2. अवसादपूर्ण आत्महत्या (Melancholy Suicide)—अत्यधिक निराश शोक अथवा दुःख इस प्रकार की आत्महत्या का कारण होता है। रोगी स्वयं को सबसे अलग समझने लगता है, जीवन अन्धकारपूर्ण लगता है, किसी प्रकार को खुशी उसे प्रभावित नहीं करती। मन में बड़ा कष्ट अनुभव होता है—इस प्रकार के लक्षण वाले व्यक्ति बड़ी चतुराई से,

शान्ति व विचारपूर्वक आत्महत्या करते हैं—आत्महत्या करने में शीघ्रता नहीं करते। इनका रोग स्थाई होता है। दुर्खीम ने फ्लैट द्वारा प्रस्तुत एक लड़की का उदाहरण दिया है जो चौदह वर्ष तक अपने गाँव में रहने के बाद पढ़ने गई। वह वहाँ पर बड़ी उदास व खिन्न रहने लगी और मरने की इच्छा से नदी में डूबने को चल दी—किन्तु 'आत्महत्या एक अपराध है।' यह पता लगने के बाद वह रूक गई और पुनः एक वर्ष बाद उसने आत्महत्या करने के कई प्रयास किए।

**1.1.3. सम्मोहित अथवा बाध्यता-मनोग्रस्ति आत्महत्या (Obsessive Suicide)**—इस प्रकार की आत्महत्या में रोगी के मन पर हर समय आत्महत्या का विचार छाया रहता है। मृत्यु की इच्छा से उसका भस्तिष्क सम्मोहित रहता है। मरने का कोई कारण मम्मूख न होने पर भी मरने की इच्छा व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है। वह इस इच्छा को दबाने की कोशिश भी करता है और अत्यधिक दुःखी रहता है। अन्त में वह आत्महत्या कर लेता है। ग्रियरे डी बिसमॉंट ने एक ऐसे रोगी का उदाहरण दिया है जो शारीरिक, मानसिक व पारस्परिक स्थितियों से प्रसन्न होते हुए भी मृत्यु के विचार से निरन्तर ग्रस्त रहता था।

**1.1.4. आवेगपूर्ण अथवा स्वचालित आत्महत्या (Impulsive or Automatic Suicide)**—इस प्रकार की आत्महत्या का कोई वास्तविक अथवा काल्पनिक कारण नहीं होता है। इसमें मृत्यु का विचार अचानक एक आवेग के रूप में रोगी के मन में उत्पन्न हो जाता है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए तुरन्त ही वह आत्महत्या कर लेता है। यह सब कुछ ही पल में घट जाता है। किसी कब्र के समीप से गुजरने पर, तलवार या चाकू आदि को देखने पर अचानक ही व्यक्ति आत्महत्या की तीव्र इच्छा कर लेता है और आत्महत्या कर भी लेता है।

उपर्युक्त चारों प्रकार की आत्महत्याएँ बिना किसी वास्तविक प्रेरणा के होती हैं। दुर्खीम का मानना है कि अनेको आत्महत्याएँ इस प्रकार की होती हैं जो उपर्युक्त में से किसी प्रकार में सम्मिलित नहीं होतीं। अधिकांश आत्महत्या के साथ वास्तविक प्रेरणाओं का सम्बन्ध होता है। अतः उन्माद ही आत्महत्या का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता।

### स्नायुदोष और आत्महत्या (Neurasthenia and Suicide)

स्नायुदोष अथवा नाडी-दौर्बल्य भी एक मानसिक रोग है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें व्यक्ति न तो पूर्णतया मनोविकृत होता है और न ही पूर्णतया सन्तुलित। दुर्खीम इसे उन्माद का प्रारम्भिक स्वरूप कहते हैं जिसमें सामान्य-सौ घटनाओं पर ही रोगी उत्तेजित हो उठता है। सामान्य-सौ बात पर अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना तथा सामान्य घटना को अति आनन्ददायी मानना अर्थात् हर्ष और विषाद की अस्थिर उत्तेजनाएँ व्यक्ति के मानसिक सन्तुलन को विकृत कर देती हैं और रोगी अपने जीवन में बड़ी परेशानी का अनुभव करता है, अन्त में परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है।

उन्माद और स्नायुदोष के सिद्धान्तों की आलोचना (Criticism of the theories of Insanity and Neurasthenia)—दुर्खीम ने स्नायुदोष को आत्महत्या का मूल कारण नहीं माना है। उनके मत में स्नायुरोग आत्महत्या का कारण तभी बन सकता है, जब सामाजिक परिस्थितियाँ उसमें विशेष रूप से सहायक रही हों। दुर्खीम के मत में आत्महत्या



की घटनाओं, स्नायुदोष या मनोविकृति के रोगियों की संख्या के अनुपात में यदि समानता पाई जाए तभी मनोविकृति का आत्महत्या का कारण माना जा सकता है। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के अभाव में भी मनोविकृति की संख्या के अनुरूप आत्महत्या की दर घटती अथवा बढ़ती रहती है। तभी इन दोनों में सह-सम्बन्ध माना जा सकता है, किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। दुर्खीम ने धार्मिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता, आयु भिन्नता और देश-काल व परिस्थिति की भिन्नता के आधार पर आँकड़े एकत्र करके परीक्षण किया है और यह सिद्ध किया है कि आत्महत्या और उन्माद अथवा स्नायुदोष में कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है। दुर्खीम के मत में उन्मादी दोष से प्रभावित स्त्रियाँ अधिक होती हैं। कोच और मायर (Koch and Mayer) ने भी इस मत की पुष्टि करते हुए बताया है कि ग्यारह देशों के अध्ययन के आधार पर 1000 पुरुषों में 1.18 एवं 1000 स्त्रियों में 1.30 व्यक्ति उन्मादी अथवा स्नायुदोष से पीड़ित रहते हैं, किन्तु दुर्खीम ने 12 देशों के आँकड़े एकत्र करके प्रमाणित किया है कि आत्महत्या प्रमुखतया पुरुषों की क्रिया है। स्त्रियों और पुरुषों में आत्महत्या का अनुपात 1:4 है। निष्कर्ष निकलता है कि उन्माद अथवा स्नायुदोष आत्महत्या का मुख्य कारण नहीं है। दुर्खीम ने धर्म, आयु एवं कालक्रम के अनुसार परीक्षण करके भी इसकी पुष्टि की है। अतः दुर्खीम के मतानुसार, "स्नायुदोष स्वयं में एक बहुत सामान्य मनोभूमि है, जो किसी विशेष क्रिया को जन्म नहीं देती है, वरन् परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हो सकती है।"

### 1.1.3 मद्यपान और आत्महत्या (Alcoholism and Suicide)

कुछ विद्वानों द्वारा मद्यपान को आत्महत्या का कारण माना गया है, परन्तु दुर्खीम ने मद्यपान के अपराधियों की संख्या और आत्महत्या की व्याख्या का तुलनात्मक अध्ययन करके स्पष्ट किया है कि मद्यपान और आत्महत्या में कोई गुण-सम्बन्ध नहीं है। दुर्खीम ने जर्मनी और फ्रांस में इस प्रकार के अध्ययन किए हैं। उसने पोसेन (Posen) नामक प्रान्त का भी अध्ययन किया और बताया कि वहाँ सबसे कम आत्महत्याएँ होती हैं, जबकि सर्वाधिक शराब पीने का यहाँ प्रचलन है। जर्मनी के दक्षिण प्रान्त में लोग सबसे कम शराब पीते हैं, और आत्महत्या की दर भी वहाँ कम है। अतः आत्महत्या का कारण मद्यपान नहीं माना जा सकता।

आलोचना (Criticism)—दुर्खीम के विचार में आत्महत्या की व्याख्या मद्यपान की मनोविकृति के परिणामस्वरूप नहीं की जा सकती। न तो आत्महत्या स्वयं उन्माद का स्वरूप है और न ही मद्यपान की मनोवृत्ति आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि यह सम्भव है कि मद्यपान से उन्मात हो सकेगा किन्तु केवल मद्यपान ही प्रमुख कारण नहीं है। दुर्खीम के मत में, "वास्तव में समान परिस्थितियों में उन्मात व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा आत्महत्या के प्रति अधिक झुकता है, परन्तु ऐसा वह अनिवार्य रूप से अपनी दशा के कारण नहीं करता है। उसकी वह शक्ति अन्य कारकों के प्रभाव के माध्यम से ही क्रियशील होती है जिनकी खोज की जानी चाहिए।"

### 1.2. सामान्य मनोजैविकीय कारक और आत्महत्या (General Psycho-Biological Factor and Suicide)

आत्महत्या के असामाजिक कारकों में मानसिक रोग के अतिरिक्त दूसरे कारक सामान्य मनोजैविकीय भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। आत्महत्या मानसिक व्याधियों का

ही परिणाम नहीं हो सकती, बल्कि आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक मनोजैविकीय भी हो सकते हैं, जिनमें प्रजाति और पैतृकता भी माने जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है अतः वे लक्षण मनोजैविकीय हो सकते हैं। मनोजैविकीय कारक निम्नलिखित दो प्रकार के हैं—(1) प्रजाति और (2) पैतृकता। इनको क्रम से इस रूप में देखा जा सकता है—

### 1.2.1. प्रजाति और आत्महत्या (Race and Suicide)

प्रजाति को आत्महत्या का कारण मानने के पूर्व इसका अर्थ जानना आवश्यक है।

प्रजाति का अर्थ (Meaning of the Race)—दुर्खीम के अनुसार, "आधुनिक अर्थ में प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह है, जो सामान्य शारीरिक लक्षणों से युक्त हैं। ये सामान्य लक्षण यौन-सर्ग के आधार पर पैतृकता से प्राप्त होते हैं।"

क्वाटरेफेन, प्रिचर्ड और व्रोका आदि मनोपियों को प्रजाति सम्बन्धी परिभाषाओं के आधार पर दुर्खीम ने प्रजाति की दो प्रमुख विशेषताएँ बताई हैं—

(1) प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह है, जो एक-दूसरे के समान हैं, तथा

(2) प्रजाति से सम्बन्धित ये समानताएँ पैतृकता पर आधारित होती हैं।

दुर्खीम ने इन विशेषताओं के आधार पर प्रजाति को राष्ट्रीयता का समानार्थक बताया है। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के लोग भी पैतृक समानता रखते हैं क्योंकि वे बहुत समय से परस्पर घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। परस्पर सम्पर्क के कारण विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति इस प्रकार एक-दूसरे से मिल गए हैं कि अब कोई भी प्रजाति शुद्ध नहीं रह गई है। अतः आधुनिक समय में प्रजाति किसी निश्चित तथ्य का प्रतीक नहीं रह गई है अथवा यह कहा जा सकता है कि प्रजाति और राष्ट्रीयता दोनों समान हैं।

आलोचना (Criticism)—दुर्खीम ने मौरसेलि द्वारा बताई गई चार प्रजातियों का अध्ययन किया है—(1) जर्मन प्रजाति प्ररूप, (2) कैल्टो प्रजाति प्ररूप, (3) स्लाव प्ररूप और (4) यूराल प्रजाति प्ररूप। दुर्खीम ने पहले तीन प्रजाति समूहों का आत्महत्या की दर के आधार पर वर्गीकरण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि प्रजातीय लक्षणों के आधार पर आत्महत्या के सम्बन्ध को स्थापित नहीं किया जा सकता। आत्महत्या की दर का अन्तर राष्ट्रीयता के कारण होता है, न कि प्रजाति के कारण। दुर्खीम प्रजाति और आत्महत्या के सम्बन्ध को अस्वीकार करते हैं और आत्महत्या में कमी अथवा अधिकता का कारण लोगों की बाह्य परिस्थिति में अन्तर का आना मानते हैं। दुर्खीम ने कद के आधार पर अध्ययन किया और पाया कि यदि किसी प्रजाति में ऊँचे कद वाले लोगों की तुलना में नीचे कद वाले लोग कम या अधिक आत्महत्या करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में आत्महत्या की दर का कारण उन क्षेत्रों की सभ्यता, भौगोलिक पर्यावरण एवं इनकी सामाजिक परिस्थितियों का अन्तर माना जा सकता है। इस प्रकार दुर्खीम के मत में प्रजाति आत्महत्या का कारक नहीं है।

### 1.2.2. पैतृकता और आत्महत्या (Heredity and Suicide)

कुछ वैज्ञानिक पैतृकता को आत्महत्या का कारण मानते हैं। पैतृक-आत्महत्या से तात्पर्य यह है कि आत्महत्या करने वालों के बच्चे भी इसलिए आत्महत्या करते हैं, क्योंकि

उनके माता-पिता के आत्महत्या के लक्षण उनमें भी पैतृकता से आ जाते हैं। गाल तथा एस्क्विरोल आदि विद्वानों ने अपने इस तथ्य की पुष्टि में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। गाल के अनुसार पेरिस के एक धनी जमींदार ने आत्महत्या की और उसके सात बच्चे थे जो सभी आत्महत्या करके ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एस्क्विरोल ने भी ऐसा ही उदाहरण दिया है—एक व्यापारी के भी पाँच बच्चों में से चार ने आत्महत्या की और पाँचवें ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया।

**आलोचना (Criticism)**—दुर्खीम के मत में पैतृकता को आत्महत्या का कारण मानना ठीक नहीं है क्योंकि आत्महत्या के गुणों का हस्तान्तरण नहीं होता है। दुर्खीम का मानना है कि यदि पैतृकता ही आत्महत्या की प्रवृत्ति का आधार है तो स्त्री-पुरुष एवं प्रत्येक आयु के लोगों पर समान रूप से इसका प्रभाव पड़ना चाहिए किन्तु उन्होंने आयु और लिंग से सम्बन्धित आँकड़े प्रस्तुत करके इन दोनों के सम्बन्ध के सिद्धान्त का खण्डन किया है। आत्महत्या एक संक्रामक घटना है। उन्मादी अथवा स्नायुदोष का रोगी अपने परिवार वालों की आत्महत्या का स्मरण करके वैसा कर सकता है, किन्तु इसका कारण मानसिक दुर्बलता के कारण संक्रामक आक्रमण है, पैतृकता नहीं। एक अस्पताल में 15 रोगियों ने एक अन्धरे स्थान पर फाँसी लगाकर एक के बाद एक करके आत्महत्या की और जब वह फाँसी का फन्दा वहाँ से हटा लिया गया तो आत्महत्या भी नहीं हुई। इससे निष्कर्ष निकलता है कि न तो प्रजातीय लक्षण और न ही पैतृकता आत्महत्या का कारण है, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ भी सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती हैं।

## 2. प्राकृतिक अथवा भौगोलिक दशाएँ और आत्महत्या (Natural or Geographical Conditions and Suicide)

प्राकृतिक पर्यावरण भी विशेष प्रकार के रोगों को जन्म देता है। अतः प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव से भी आत्महत्याएँ हो सकती हैं। इनमें जलवायु और तापमान आत्महत्या का कारण हो सकता है। दुर्खीम के मत में भौगोलिक दशाएँ स्वयं में आत्महत्या के लिये उत्तरदायी नहीं हैं, किन्तु इन भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारकों का प्रभाव सामाजिक दशाओं पर पड़ता है और ये सामाजिक दशाएँ व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करती हैं। इन प्राकृतिक अथवा भौगोलिक दशाओं में जलवायु और तापमान को लिया गया है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है—

### 2.1. जलवायु और आत्महत्या (Climate and Suicide)

मौरिसिल ने आत्महत्या के लिए जलवायु को कारक माना है। उनके अनुसार 47° तथा 57° अक्षांश और 20° तथा 40° देशान्तरों के बीच का क्षेत्र आत्महत्या के लिये सर्वाधिक अनुकूल होता है। इस क्षेत्र में अधिकतर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो आत्महत्या के लिये उत्तरदायी है। इस प्रकार मौरिसिल आत्महत्या के लिये समशीतोष्ण जलवायु को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, किन्तु दुर्खीम इस विचार से सहमत नहीं हैं। वे इस तथ्य का खण्डन करते हैं।

**आलोचना (Criticism)**—दुर्खीम को मान्यता है कि आत्महत्याएँ सभी प्रकार की जलवायु में होती हैं। भारत में भी जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, किसी समय अधिक

आत्महत्याएँ होती रही हैं। इटली में जब रोमन साम्राज्य यूरोप की सभ्यता का केन्द्र था, तब वहाँ बहुत आत्महत्याएँ होती थीं। अतः समशीतोष्ण जलवायु आत्महत्या की दर का कारण नहीं है, अपितु इसमें विकसित होने वाली विशिष्ट सभ्यता और उसका वितरण ही आत्महत्या का कारण हो सकता है। उनका कहना है, "लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति के कारण की खोज जलवायु के रहस्यात्मक प्रभाव में नहीं, बल्कि इस सभ्यता की प्रकृति में, विभिन्न देशों में इसके वितरण की पद्धति में की जानी चाहिये।"

दुर्खॉम के मत में आत्महत्या की दर में कमी अथवा वृद्धि वास्तव में सामाजिक कारकों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि सन् 1870 तक इटली के उत्तरी भाग में अधिक आत्महत्याएँ होती थीं, परन्तु इसके पश्चात् केन्द्रीय भाग में अधिक आत्महत्याएँ होने लगीं, फिर दक्षिणी भाग में आत्महत्या की दर बढ़ गई। बाद में उत्तरी केन्द्रीय क्षेत्रों का अन्तर कम होकर पुनः एकबार केन्द्रीय क्षेत्र में ही सर्वाधिक आत्महत्याएँ होने लगीं। इस समस्त परिवर्तन का कारण जलवायु नहीं, वरन् सन् 1870 में रोम की विजय के बाद इटली की राजधानी का केन्द्रीय भाग में आ जाना था, जिसके फलस्वरूप सभी वैज्ञानिक, औद्योगिक और कलात्मक क्रियाएँ इस क्षेत्र में आ गईं और आत्महत्या की दरों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार आत्महत्या का कारण जलवायु न होकर सामाजिक है।


## 2.2. मौसमी तापमान और आत्महत्या (Seasonal Temperature and Suicide)

प्रायः मौसम को भी आत्महत्या का कारण माना जाता है और यह सोचा जाता है कि जब आकाश में अन्धेरा हो, तापमान बहुत कम हो, नमी अधिक हो, प्राकृतिक वातावरण में निराशा प्रतीत होती हो तो इस निराशापूर्ण वातावरण में मनुष्य के मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है, जो उसे जीवन के प्रति उदासीन बना देता है। मॉण्टेस्क्यू के मत में ठण्डे और कूदावृत्त देश आत्महत्या के अनुकूल होते हैं। अतः पतझड़ के मौसम में अधिक आत्महत्याएँ होनी चाहिए, परन्तु दुर्खॉम इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि, "अधिकतम आत्महत्या न तो सर्दियों में होती है और न पतझड़ में, बल्कि मधुर मौसम में होती है। जब प्रकृति सर्वाधिक मुस्कराती है और तापमान सर्वाधिक सौम्य होता है। मनुष्य जीवन को तब त्यागना पसन्द करता है, जब वह सबसे कम कठिन होता है।" गर्मियों में अधिक आत्महत्याएँ की जाती हैं। दुर्खॉम के मत में गमा और सर्दों की आत्महत्याओं का अनुपात 6 : 4 है।

आलोचना (Criticism)—दुर्खॉम ने सात प्रमुख रान्यों में ग्रीष्म, बसन्त, पतझड़ और शीत ऋतुओं में होने वाली आत्महत्याओं का अध्ययन किया है और बताया है कि प्रत्येक देश में विभिन्न ऋतुओं में सर्वाधिक संख्या में आत्महत्याएँ ग्रीष्म ऋतु में और सबके कम शीत ऋतु में होती हैं। फिर भी दुर्खॉम आत्महत्या का कारण गर्मी को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यदि गर्मी आत्महत्या का कारण है तो गर्म देशों में अधिक आत्महत्याएँ होनी चाहिये, परन्तु यूरोप के दक्षिणी भागों में आत्महत्याएँ उत्तरी देशों की तुलना में कम हैं। अतः थर्मामीटर के परिवर्तन और आत्महत्या में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित आत्महत्या के असामाजिक एवं प्राकृतिक अथवा भौगोलिक कारकों को एक तालिकाानुसार निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

आत्महत्या से सम्बन्धित असामाजिक कारक



आत्महत्या का वास्तविक आधार सामाजिक क्रिया है  
(The Real basis of Suicide is Social Activity)

सामाजिक क्रिया में होने वाले परिवर्तन ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। तापमान, मौसम और महीनों के अनुसार सामाजिक क्रिया की मात्रा एवं गति में परिवर्तन होता रहता है। जब दिन लम्बे होते हैं तो आत्महत्या अधिक होती है और दिन जब छोटे होने लगते हैं तो आत्महत्या की दर कम होती जाती है। दुर्खीम के मत में आत्महत्या और दिन की लम्बाई का कुछ सम्बन्ध है। मुख्यतः आत्महत्याएँ दिन में ही होती हैं अतः दिन की लम्बाई के बढ़ने के साथ-साथ आत्महत्या की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, किन्तु दिन में आत्महत्या अधिक होने का कारण तापमान नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि दिन में सामाजिक जीवन अधिक सक्रिय हो जाता है। इस तीव्रता और गहनता के कारण ही आत्महत्याएँ दिन में अधिक होती हैं। प्रातः व दोगहर के बाद सामाजिक क्रियाएँ अधिक होती हैं। इस कारण आत्महत्या भी इन्हीं समयों में होती है। रात्रि विश्राम का काल

होता है। अतः जीवन इस समय निष्क्रिय हो जाता है और तब आत्महत्याएँ भी कम होती हैं।

दुर्खॉम इस मान्यता को सप्ताह के आधार पर भी लेते हैं। ग्युरी (Guerry) ने जो सप्ताह सम्बन्धी विवरण दिया है उसके आधार पर दुर्खॉम ने निष्कर्ष निकाला है कि शुकवार को अच्छा दिन नहीं समझा जाता, क्योंकि इस दिन व्यापारिक जीवन में शिथिलता आ जाती है, सामाजिक क्रिया भी शिथिल हो जाती है। शनिवार की शाम तक यह शिथिलता बढ़कर, रविवार को पूर्णतया बढ़ जाती है और क्रियाएँ रुक जाती हैं। अतः रविवार को आत्महत्याएँ कम होती हैं, किन्तु रविवार को स्त्रियों को सक्रियता बढ़ जाती है अतः स्त्रियों में आत्महत्याएँ उस दिन अधिक होती हैं।

मौसम के अनुसार भी आत्महत्याएँ घटती-बढ़ती हैं। सर्दों के दिनों में सामाजिक जीवन निष्क्रिय हो जाता है, बसन्त के समय में सक्रियता बढ़ जाती है। अन्तःक्रिया तेज हो जाती है और जून और जुलाई में आत्महत्याओं की संख्या में और भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि इस मौसम में गाँवों में सक्रियता बढ़ जाती है। अगस्त में सामाजिक क्रिया कम होने से आत्महत्याएँ भी कम होती हैं।

अतः दुर्खॉम के मत में—आत्महत्या का घटना-बढ़ना भौगोलिक परिवर्तनों पर निर्भर नहीं है, वरन् सामाजिक क्रिया की तीव्रता एवं मंदता पर निर्भर करता है। यद्यपि सामाजिक क्रिया की ये दशाएँ भौगोलिक दशाओं से ही प्रभावित होती हैं।

### अनुकरण और आत्महत्या (Imitation and Suicide)

अनुकरण को एक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है जो व्यक्ति को दूसरों के समान क्रिया के लिए प्रवृत्त करती है।

अनुकरण को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है—

(1) अनुकरण का एक अर्थ तो यह होता है—जिसमें किसी समान कारण से प्रभावित होकर किसी सामाजिक समूह के लोग एक सगठित चेतना के रूप में समान रूप से सोचने या अनुभव करते हैं।

(2) इसका दूसरा अर्थ वह प्रेरणा है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित विचारों, प्रथाओं अथवा क्रियाओं के अनुरूप व्यवहार करता है।

(3) अनुकरण का तीसरा अर्थ वह है, जिसमें किसी देखी हुई अथवा जानी हुई घटना अथवा क्रिया को व्यक्ति स्वयं करता है।

दुर्खॉम ने तीसरे अर्थ को स्वीकार किया है जिसमें किसी क्रिया को देखकर व्यक्ति स्वयं उन्ही प्रकार की क्रिया करता है—जैसे—हँसते व्यक्ति को देखकर स्वयं हँस देना, रोते को देखकर रो देना आदि अनुकरण के उदाहरण हैं जिसमें अनुकरण के लिए ही अनुकरण किया जाता है। यह एक यान्त्रिक प्रवृत्ति है और मूल क्रिया की प्रतिध्वनि है जिसका कोई बाह्य कारण नहीं होता। इस रूप में अनुकरण एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और यदि व्यक्ति इसी अनुकरण के आधार पर आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या का आधार मनोवैज्ञानिक और असामाजिक भी हो सकता है—इसके लिए अनुकरण के सिद्धान्त की परीक्षा ली जा सकती है।

## अनुकरण सिद्धान्त का परीक्षण (Examination of Imitation Theory)

अनुकरण के सिद्धान्त का निम्नलिखित आधारों पर परीक्षण किया जा सकता है—

(i) आत्महत्या की संक्रामक प्रवृत्ति—अनुकरण को संक्रामक प्रकृति वाला माना जाता है—अर्थात् संक्रामक रोग के समान अनुकरण व्यक्तियों में फैलता है। पाइनेल ने इसके अनेक उदाहरण दिये हैं, जैसे—स्टेम्पसू के एक पुजारी ने आत्महत्या की तो कुछ दिन पश्चात् अन्य लोगों ने भी आत्महत्याएँ कीं। जेरुशलम के आक्रमण के समय अनेक यहूदियों ने आत्महत्या कर ली। इस आधार पर पाइनेल आत्महत्या को संक्रामक रोग के समान मानते हैं, किन्तु दुर्खीम इस सिद्धान्त का खण्डन करते हैं। उनका मानना है कि संक्रामक रोग सामूहिक रूप में फैलता है और एक से दूसरे को लगता है, किन्तु आत्महत्या की प्रकृति उस प्रकार की नहीं है, यह तो सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न सामूहिक मनःस्थिति का परिणाम होता है।

(ii) आत्महत्या का भौगोलिक वितरण और अनुकरण (Geographical Distribution of Suicide and Imitation)—दुर्खीम के मत में अनुकरण का प्रभाव तभी समझा जा सकता है, जब यह पता लग जाये कि किस क्षेत्र का अनुकरण हो रहा है। यदि आत्महत्या का कारण अनुकरण की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है तो एक क्षेत्र में होने वाली आत्महत्याओं की दर बढ़नी चाहिये, भले ही उनका सामाजिक पर्यावरण अलग रहा हो। अनुकरण-केन्द्र की स्थापना करने के लिये दुर्खीम ने तीन मापदण्डों का निर्धारण किया है—

(1) उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होनी चाहिये।

(2) इन क्षेत्रों की ओर आस-पास के लोगों का ध्यान निरन्तर बना रहना चाहिये।

(3) इस केन्द्र के निकटतम स्थान में आत्महत्या का अधिक अनुकरण होना चाहिये फिर प्रभाव कम होता जाना चाहिये।

दुर्खीम ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि आत्महत्या के अनुकरण में कोई निश्चित केन्द्र नहीं है। यदि किन्हीं क्षेत्रों में आत्महत्या की दर में निकटता आती है तो उसका कारण सामाजिक हो सकता है। इस प्रकार दुर्खीम यहाँ भी सामाजिक कारणों को महत्व देते हैं।

पाल ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि आत्महत्या उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है जिनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पहले से ही विद्यमान होती है। दुर्खीम ने भी आत्महत्या की संक्रामक-प्रकृति के विचार को अस्वीकृत किया है और यह माना है कि अनुकरण आत्महत्या का मौलिक कारण नहीं है। यह केवल उस अवस्था को प्रकट करता है, जो इस क्रिया का वास्तविक संचालक कारक है। निष्कर्षतः आत्महत्या अनुकरण का परिणाम नहीं है।

## आत्महत्या के प्रकार (Types of Suicide)

जैसा कि पूर्व पृष्ठों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को मनोवैज्ञानिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा

सकता है, अपितु यह एक सामाजिक घटना है, जिसका प्रकटीकरण व्यक्तिगत रूप में होता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक कारण आत्महत्याओं के लिये उत्तरदायी होते हैं। आत्महत्याओं की विशेषता की समानता एवं भिन्नता के आधार पर दुर्खीम ने उनके प्रकारों का निर्धारण किया है। उनके मन में आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण उनको उत्पन्न करने वाले सामाजिक कारकों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिये। इस दृष्टि से जितने प्रकार के सामाजिक कारक होंगे उतनी ही प्रकार की आत्महत्याएँ होंगी। दुर्खीम आत्महत्या के प्रकारों में धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि सामाजिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आगे के पृष्ठों में आत्महत्या के प्रकारों पर प्रकाश डाला जायेगा। दुर्खीम ने प्रमुख रूप से तीन प्रकार की आत्महत्याओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं—

- 1 अहंवादी आत्महत्या,
- 2 परार्थवादी आत्महत्या, तथा
- 3 आदर्शहीन आत्महत्या।

### ( 1 ) अहंवादी आत्महत्या (Egoistic Suicide)

दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक परिस्थितियाँ विशिष्ट भावात्मक स्थितियों को जन्म देती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आत्महत्या करता है। अहंवादी आत्महत्या का मूल कारण सामाजिक समूहों में विघटन का होना है। दुर्खीम का कहना है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में जब असन्तुलन हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ आवद्धित नहीं पाता है तो अतिशय वैयक्तिकता (Intense Individualization) की स्थिति आ जाती है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि कोई विशिष्ट सामाजिक समूह सगठित है, उसके सदस्यों की समूह के साथ एकात्मकता है, वे समूह के आदर्शों के अनुरूप आचरण करते हैं व सामूहिक जीवन के प्रति लगाव रखते हैं, तो उसके सदस्यों में परस्पर व समूह के प्रति प्रेम व रुचि बनी रहती है, किन्तु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि समूह के सदस्य सामूहिक गतिविधियों के प्रति उदासीन हो जायें, उसमें रुचि लेना छोड़ दें, उसके प्रति आकर्षण न रखें, तो सामाजिक समूह विखण्डित हो जाते हैं। उनमें असंगठन व विघटन की स्थिति हो जाती है और फिर उस समूह के व्यक्तियों का निजी जीवन के प्रति भी लगाव व झुकाव नहीं रहता, उस स्थिति में अधिक आत्महत्याएँ होती हैं।

दुर्खीम के मत में जब सामाजिक समूहों में एकीकरण होता है तो आत्महत्या की दर कम होती है और सामाजिक समूहों में विघटन होने पर आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। जब समूह में एकीकरण का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति समाज से अलग हटकर केवल अपने आप पर निर्भर हो जाता है अर्थात् समूह जितना दुर्बल होता है, व्यक्ति उस पर उतना ही कम आश्रित रहता है और स्वयं पर उतना ही अधिक निर्भर रहता है, ऐसी स्थिति में वह अपने निजी हितों की पूर्ति में महायत्न करने वाले आचरणों का ही पालन करता है। अतः दुर्खीम का मानना है, “यदि हम इस अवस्था को, जिसमें व्यक्तिगत अहम् की शक्ति सामाजिक अहम् की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, अहम्वाद कहने के लिये सहमत हों तो हम अतिशय व्यक्तिवाद से उत्पन्न होने वाली आत्महत्या के विशिष्ट प्रकार को ‘अहम्वादी आत्महत्या’ कह सकते हैं।”



सामूहिक शक्ति की प्रबलता के कारण व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों को भली-भाँति निभाता है व नियमों की पालना करता है। इससे सामूहिक एकीकरण बना रहता है किन्तु इसके अभाव में वह स्वतन्त्र होकर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है और अपना भाग्य निर्माता भी स्वयं बन जाता है और इसी से अपने जीवन को समाप्त करने का भी उसको अधिकार हो जाता है। सगठित समूहों में जो भावनाएँ व विचार सामूहिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, उनमें परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होता है और सामान्य भावनाओं व लक्ष्यों के आधार पर जीवन के प्रति व्यक्ति का जो लगाव होता है, वह असगठित सामाजिक समूहों में नहीं पाया जाता। असगठित समूह के सदस्य जीवन की कठिनाइयों को चुपचाप, अकेले रहकर सहन करने में सक्षम नहीं हो पाते। परिणामस्वरूप आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनका इनका कोई लक्ष्य नहीं रह पाता, उनको जीवन अलस लगने लगता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अतिशय व्यक्तिवादिता आत्महत्या का कारण है।

अहंवादी आत्महत्या का समाज से सम्बन्ध (Relation of Egoistic Suicide with Society)—दुर्खीम ने समाज और जीवन में सम्बन्ध स्थापित किया है। उनका मानना है कि सभ्य मनुष्य की क्रियाएँ सामूहिक जीवन से उत्पन्न होती हैं और इन क्रियाओं का उद्देश्य भी सामूहिक होता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ये क्रियाएँ समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। जितना अधिक व्यक्ति समाज से सबद्ध रहता है, वह उतना ही अधिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है और समाज से जितनी पृथक्ता होती है, जीवन के प्रति भी व्यक्ति का लगाव उतना ही कम हो जाता है। अर्थात् समाज ही व्यक्ति के जीवन का स्रोत है। मनुष्य में जीवन के प्रति सदेह या अलगाव उत्पन्न करने के कारण प्रमुखतया धार्मिक विश्वासों के प्रति सन्देह का होना, स्वयं अपने जीवन के प्रति सन्देह का होना तथा अपने परिवार और समुदाय से पृथक्ता का बढ़ना है। सामाजिक पक्ष के तिरोहित होते ही व्यक्ति अस्थिर प्रकृति का, उद्देश्य-विहीन और रिक्त हो जाता है, वह भोचता है कि अब उसका जीवित रहना व्यर्थ है। इस प्रकार असगठन, असन्तुलन, एकीकरण का अभाव, जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण आदि व्यक्ति को सामाजिक पृथक्ता के परिणाम हैं। जब व्यक्ति का अहम् उसे समाज से अलग कर देता है तो वह स्वयं को लक्ष्यविहीन मानकर आत्महत्या कर लेता है।

दुर्खीम के मत में इसे 'अहंवादी आत्महत्या' इसलिए कहा गया है, क्योंकि वैयक्तिकता, अहम् और सामाजिक पृथक्ता आत्महत्या के जन्मदाता हैं। इस प्रकार दुर्खीम के मत में अहंवादी आत्महत्या सामाजिक संगठन के अभाव में होती है। व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्यतया तीन सामाजिक समूह हैं— (1) धार्मिक समूह, (2) परिवार और (3) राजनैतिक समूह। दुर्खीम ने तीनों समूहों की सगठनात्मक स्थिति के आधार पर अहंवादी आत्महत्या के कारणों की व्याख्या की है। तीनों का अभाव आत्महत्या की दरो में वृद्धि का कारण होता है। इस सम्बन्ध में तीन निष्कर्ष भी प्रस्तुत किये हैं—

- (क) आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है।
- (ख) आत्महत्या पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है।

(ग) आत्महत्या राजनैतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है।

इन तीनों को व्याख्या निम्नांकित पक्तियों में की जा सकती है—

(1) धर्म और अहंवादी आत्महत्या (Religion and Egoistic Suicide)—  
दुर्खीम ने यूरोप के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के आँकड़ों को प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक होती है व एकीकरण कम होता है वहाँ आत्महत्याएँ अधिक होती हैं और जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत निर्णय की स्वतन्त्रता कम होती है, वहाँ एकीकरण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ आत्महत्याएँ कम होती हैं। इसे प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक धर्म का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक होने से एकीकरण की मात्रा कम होती है। अतः आत्महत्याएँ वहाँ अधिक होती हैं, जबकि कैथोलिक सम्प्रदाय में प्रोटेस्टेण्ट की तुलना में एकीकरण की अधिकता होती है। इस कारण आत्महत्याएँ वहाँ कम होती हैं, अतः दुर्खीम ने निष्कर्ष दिया है, “बिना किसी अपवाद के सब जगह अन्य धर्मावलम्बियों की तुलना में प्रोटेस्टेण्ट अधिक आत्महत्या करते हैं।” दुर्खीम ने बताया है कि यहूदियों में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति प्रोटेस्टेण्टों से कम होती है। प्रोटेस्टेण्टों और कैथोलिक दोनों ही नैतिक आधार पर आत्महत्या को दण्डनीय मानते हैं तथा इसे पाप कर्म मानते हैं फिर भी इन दोनों में आत्महत्या का अन्तर है, इसका कारण यह है कि प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय परम्परा और रुढ़ियों की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, वह नवीन विश्वासों व मान्यताओं को स्वीकार करता है जबकि कैथोलिक सम्प्रदाय प्राचीन विश्वासों, मान्यताओं से बँधा हुआ है। यह सम्प्रदाय रुढ़िवादी है, इसमें तर्क और परीक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है।

दुर्खीम के अनुसार—कैथोलिक चर्च की तुलना में प्रोटेस्टेण्ट चर्च कम दृढ़ता के साथ सगठित है जिसके परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेण्ट लोग अधिक आत्महत्याएँ करते हैं।

यहूदी लोगों के प्रति अन्य लोगों के मन में सामान्य विरोध है इससे वे अपना पृथक् जीवन जीते हैं, हर यहूदी के आचार-विचार समान हैं। उनमें न व्यक्तिगत भिन्नता है, न ही वे व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। उनमें धार्मिक सुदृढ़ता और नियन्त्रण अधिक है, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर कम होती है।

दुर्खीम ने फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क व स्पेन आदि देशों से सकलित आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय में शिक्षा का प्रसार अधिक है। इसलिए उनमें कैथोलिकों की तुलना में आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। इसका कारण यह है कि स्वतन्त्र निर्णय का आधार ज्ञान और शिक्षा है और शिक्षा से सामान्य विश्वास कमजोर हो जाते हैं। अतः शिक्षा और ज्ञान या बौद्धिक क्रिया—उच्च व्यवसाय और सम्पन्न वर्ग को भी जन्म देती है। मौरसेलि ने बताया है कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विद्यमान लोगों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी। स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में कम आत्महत्याएँ करती हैं क्योंकि वे पुरुषों से कम पढ़ी-लिखी होती हैं। उच्च वर्ग के व्यक्ति भी अधिक आत्महत्या करते हैं।

शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं इसका कारण यह हो सकता है कि शिक्षा परम्परागत विश्वासों को शिथिल बना देती है और नैतिक व्यक्तिवाद को जन्म देती है। शिक्षा का प्रसार बौद्धिक विचारों को स्वतन्त्रता को जन्म देता है जिसके कारण धार्मिक समाज का संगठन कमजोर हो जाता है, उनकी एकता विखंडित हो जाती है और यही कमजोरी या विखंडन वास्तव में अहंवादी आत्महत्या का वास्तविक कारण है।

दुर्खीम का कहना है, "मस्तिष्क की ये सामूहिक अवस्थाएँ जितनी अधिक और मजबूत होती हैं, धार्मिक समुदाय का संगठन उतना ही अधिक सुदृढ़ होता है और उतना ही अधिक उसका संरक्षणात्मक मूल्य होता है।"

अन्त में यह कहा जा सकता है कि अहंवादी आत्महत्या धर्म से सम्बन्धित है अर्थात् (1) जहाँ धार्मिक समाज में एकीकरण की मात्रा अधिक होती है व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कम होती है वहाँ आत्महत्या की दर कम होती है और जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक होती है और एकीकरण की मात्रा कम होती है वहाँ आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। (2) साथ ही शिक्षा व ज्ञान की अधिकता से आत्महत्या की दरों में वृद्धि होती है, तथा (3) उच्च वर्गों में आत्महत्याएँ अधिक होती हैं।

(2) परिवार और अहंवादी आत्महत्या—समाज का संगठन और एकीकरण व्यक्तियों को जीवित रहने की प्रेरणा देता है। जो परिवार जितना अधिक संगठित होता है उसमें आत्महत्या की दर उतनी ही कम होती है और विघटित परिवार, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने निजो अहम् पर जीता है, वहाँ आत्महत्या की दर ऊँची होती है। दुर्खीम ने विभिन्न देशों के आँकड़े एकत्र करके अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने वैवाहिक स्थिति, आयु व लिंग आदि के साथ आत्महत्या के सम्बन्ध को स्थापित किया है।

विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। अविवाहित व्यक्ति सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ भी कम होती हैं। परिणामस्वरूप आत्महत्या करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के अविवाहित कम आत्महत्या करते हैं इसका कारण उनकी अपरिपक्वता या अवयस्कता हो सकता है। दुर्खीम ने वैवाहिक स्थिति और आत्महत्या के सह-सम्बन्ध के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष दिये हैं—

(i) शीघ्र विवाह विशेषकर, पुरुषों के शीघ्र विवाह से आत्महत्या की दर बढ जाती है।

(ii) 20 वर्ष के बाद अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में विवाहित (पुरुष और स्त्री) व्यक्तियों में आत्महत्या की दरों में कमी आने लगती है।

उपर्युक्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की दर कम होती है। इसके दो कारण हो सकते हैं—(1) पारिवारिक वातावरण का प्रभाव और (2) जीवन-साथी का चुनाव। दुर्खीम का मानना है कि पारिवारिक पर्यावरण अधिक प्रभावपूर्ण कारण है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को विवाह का लाभ अधिक होता है। पारिवारिक जीवन स्त्री और पुरुष की नैतिक रचना पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। मॉरसेलि ने विधवा स्त्रियों के सम्बन्ध में भी आँकड़े प्रस्तुत किये हैं और बताया है कि विधवा स्त्रियाँ अधिक आत्महत्या करती हैं क्योंकि विधुओं की तुलना में उनकी स्थिति अधिक दयनीय होती है।

उनके समक्ष अनेक नैतिक व आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं। दुर्खीम का मत इससे कुछ भिन्न है। उनका मानना है कि विधवाएँ पुनर्विवाह के प्रति अनिच्छा रखती हैं जबकि त्रिधुर पुनर्विवाह में अधिक रुचि रखते हैं—यदि वैधव्यता स्त्रियों के लिए कष्टदायी होती तो उनमें भी स्वाभाविक रूप से पुनर्विवाह के प्रति रुचि होनी चाहिए थी अतः त्रैवाहिक चुनाव का सिद्धान्त पुरुष आर स्त्रियों दोनों पर लागू नहीं होता, वास्तव में विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की दर कम होने का कारण परिवार है जिसमें माता-पिता व बच्चे सम्मिलित रहते हैं।

आत्महत्या की दर तब कम हो जाती है, जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार पारिवारिक समूह आत्महत्या को रोकने में सहायक होते हैं। दुर्खीम का मानना है कि मनुष्यों का मूल्य सम्पत्ति के आधार पर नहीं आँका जा सकता। अतः परिवार के आकार का बढ़ना मनुष्यों की जीने की इच्छा को बढ़ाता है न कि मूसौबत को पैदा करता है। जब परिवार के सदस्य सम्मिलित होकर पारिवारिक गतिविधियों में निरन्तर भागीदार रहते हैं तो आत्महत्या से बचाव होता रहता है। परिवार जितनी अधिक दृढ़ता के साथ संगठित होगा, आत्महत्याएँ उतनी ही कम होंगी। निष्कर्षतः परिवार आत्महत्या के विरुद्ध एक शक्तिशाली सुरक्षा है। इस प्रकार आत्महत्या पारिवारिक संगठन की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है।

(ii) राजनैतिक समाज और आत्महत्या (Political Society and Suicide)—संगठन की एकता का आत्महत्या के साथ सम्बन्ध राजनीति के स्तर पर भी देखा जा सकता है। दुर्खीम के विचार में प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्येक समाज में बहुत कम आत्महत्याएँ होती हैं, किन्तु जैसे-जैसे समाज विकसित होता जाता है, उसमें असंगठन बढ़ता जाता है और उसमें आत्महत्या की दर भी बढ़ती जाती है। दुर्खीम ने इस सम्बन्ध में यूनान और रोम के समाजों के आधार पर इस कथन को पुष्टि की है। फ्रांस में क्रांति के समय सामाजिक अव्यवस्था हो गई थी, सांख्यिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, उस समय वहाँ अचानक आत्महत्या की दरों में वृद्धि हो गई थी। राजनैतिक उथल-पुथल आत्महत्या की दरों में वृद्धि कर देती है किन्तु मौरसेलि इस बात को नहीं मानते, उन्होंने इस तथ्य से सम्बन्धित अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत किया है कि आत्महत्या राजनैतिक उथल-पुथल का कारण नहीं है।

इस सम्बन्ध में दुर्खीम का मानना है कि सभी राजनैतिक मकद एक-सा प्रभाव नहीं छोड़ते। आत्महत्याओं की दर केवल ऐसी सकटपूर्ण घटनाओं में कम होती है जो भावनाओं को उत्तेजित करती हैं। किसी समुदाय के एकीकरण की मात्रा आत्महत्या की दर को निश्चित करती है। राजनैतिक सकट जन-मानस को उत्तेजित करते हैं और उम समय व्यक्ति सकटों से अपने आपको सुरक्षित करने के लिए और अधिक संगठित हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्याएँ कम होती हैं। इस प्रकार आत्महत्या की दर का कारण केवल क्रांति अथवा सकट नहीं है। राजनैतिक मकद तो आत्महत्याओं की दरों में कमी करते हैं। दुर्खीम कहते हैं, "बड़े-बड़े सामाजिक उपद्रव और बड़े-बड़े प्रतिद्वन्द्व युद्ध सामूहिक भावनाओं को जाग्रत करते हैं, दलगत भावना और देशभक्ति, राजनैतिक और राष्ट्रीय आस्था—दोनों को उत्तेजित करते हैं और एक ही लक्ष्य की दिशा में एकाग्रतापूर्ण

क्रिया अस्थाई रूप से ही सही, समाज में अधिक दृढ़ एकीकरण उत्पन्न कर देती है।" निष्कर्षतः; सकट से उत्पन्न एकीकरण की दृढ़ता के कारण आत्महत्या की दर को कम करने पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

## ( 2 ) परार्थवादी आत्महत्या (Altruistic Suicide)

जिस प्रकार जब मनुष्य समाज से पृथक् हो जाता है, तो उसे अपने अन्दर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है, उसी भाँति जब सामाजिक एकीकरण अत्यधिक सुदृढ़ हो जाता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं दिखाई देता, केवल समाज उसकी प्रत्येक क्रिया को यंत्र की भाँति निर्देशित करता रहता है उसके व्यक्तिगत हित, रुचियाँ या विचार पूर्णरूप से अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि व हितो का अनुसरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में होने वाली आत्महत्याओं को दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। इस प्रकार परार्थवादी आत्महत्या प्रथम प्रकार की अहम्वादी आत्महत्या का विपरीत रूप है। परार्थवादी आत्महत्या उस स्थिति में की जाती है जब व्यक्ति और समाज परस्पर इतनी घनिष्ठता से सम्बद्ध हो जाते हैं कि समाज या समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णतया मूल्यहीन कर देते हैं, वह जो कुछ क्रियाएँ करता है सब कुछ समाज या समूह की दृष्टि से बरता है, वह केवल समूह का सदस्य रह जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसे समूह के लिए अपने आपको त्यागना भी पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में दुर्खीम के मतानुसार, आत्महत्या ही एक विकल्प रह जाता है, जिसे परार्थवादी आत्महत्या कहा गया है।

दुर्खीम ने इस प्रकार की आत्महत्या के अनेक उदाहरण दिये हैं—भारत में सन्यासी प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाया करते थे। सती प्रथा के अन्तर्गत स्त्रियाँ पति की मृत्यु के उपरान्त स्वयं भी उसकी चिन्ता में जलकर मर जाया करती थीं। गाँव में किसी मुखिया की मृत्यु के पश्चात् उसके अनुयायी भी आत्महत्या कर लेते थे। डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर भरना अपमानजनक मानकर, उससे पूर्व ही आत्महत्या कर लेते थे। दुर्खीम के मत में भारतवर्ष तो परार्थवादी आत्महत्या का प्रमुख केन्द्र रहा है। यहाँ की संस्कृति में एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् और अपने कर्तव्यों से मुक्ति पा लेने के बाद व्यक्ति प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाता था। बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति के लिए आत्मदाह की स्वीकृति दी गई थी। बार्थ ने अपनी कृति 'भारत के धर्म' में लिखा है कि दक्षिण भारत के जैनियों में भूखे रहकर धार्मिक आत्महत्याएँ करने का प्रचलन था। बनारस में 'काशी करवट' की क्रिया प्रसिद्ध है जिसमें साधक मुक्ति पाने के उद्देश्य से आगे पर अपने शरीर को रख देता था और टुकड़े कट-कटकर गंगा की लहरों में समा जाते थे। यद्यपि दुर्खीम ने 'काशी करवट' की चर्चा नहीं की किन्तु उन्होंने गंगा के जल में आत्महत्या करके मुक्ति पाने की क्रिया के विषय में लिखा है। जापान अमिदा आदि स्थानों पर आत्मबलि की प्रथा है। 'बलि-प्रथा' भी परार्थवादी आत्महत्या ही है, हर समाज में यह प्रथा प्रचलित है। भीलों में शिव के समक्ष 'बलि' दी जाती है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि परार्थवादी आत्महत्या बहुत पहले से प्रचलित है जिसमें व्यक्ति अपने स्वत्व को भुलाकर समाज अथवा ईश्वर के समक्ष स्वयं को विलीन करके उसी में एकाकार हो जाता है।

दुर्खीम ने उस अवस्था को 'परार्थवादी अवस्था' कहा है जिसमें व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का पूर्ण अभाव होता है, सामूहिक पर्यावरण सामाजिक हित से प्रेरित होता है तथा सामाजिक संगठनों की अतिशय दृढ़ता होती है। इस अवस्था से उत्पन्न होने वाली आत्महत्याएँ ही परार्थवादी आत्महत्याएँ हैं। चूँकि इन आत्महत्याओं में कर्त्तव्य को प्रमुखता दी जाती है अतः इन्हें कर्त्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या कहा जायेगा। दुर्खीम का मानना है कि परार्थवादी मनोवृत्ति में अवैयक्तिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, परार्थवाद उग्र हो जाता है।

दुर्खीम इस प्रकार की आत्महत्या में शहीदों को भी सम्मिलित करते हैं। उन्हें आत्महत्या की इच्छा करने में बलिदान का सुख मिलता है अतः समाज बलिदानों को महत्व देता है। दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्याओं को तीन भागों में बाँटा है—

(अ) कर्त्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या (Duty prominent Altruistic Suicide)—इसमें व्यक्ति समाज के आदेश के सम्मुख नतमस्तक होकर, सामाजिक कर्त्तव्य को अनिवार्य समझकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है।

(ब) वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या—इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति बाध्य होकर आत्महत्या नहीं करता, वरन् समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से आत्महत्या करता है।

(स) उग्र या तीव्र परार्थवादी आत्महत्या—इसमें सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को मानवैतर शक्ति के समक्ष स्वत्वहीन कर देता है। वह एक महान् व्यक्तित्व में अपने को विलीन करने के लिए आत्महत्या करता है।

अहम्वादी और परार्थवादी आत्महत्या में अन्तर (Distinction Between Egoistic and Altruistic Suicides)—अहम्वादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या में निम्नलिखित अन्तर हो सकता है—

(1) अहम्वादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं करता, अपितु समाज में अलग्गव व्यक्ति को इतना अधिक निराश बना देता है कि मरने के अतिरिक्त वह और कुछ कर ही नहीं पाता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्षतः ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है, जो व्यक्ति को स्वयं को समाप्त करने के लिए बाध्य कर देती हैं। अर्थात् आत्महत्या उसके लिए कर्त्तव्य बन जाती है।

(2) अहम्वादी आत्महत्या का प्रमुख कारण अतिशय वैयक्तिकता है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या का मूल कारण अतिन्यून वैयक्तिकता है।

(3) अहम्वादी आत्महत्या इसलिए की जाती है क्योंकि समाज ने व्यक्ति को सामाजिक जीवन से पलायन कर जाने की छूट दे दी है। वह समाज की चिन्ता न करके, अपनी स्वतंत्र इच्छा का अनुगमन कर सकता है। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज पूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेता है, उसे अपना दास बना देता है।

(4) अहम्वादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए निराश और दुःखी होता है क्योंकि उसे अपने अतिरिक्त सत्कार में और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए निराशा और दुःखी होता है क्योंकि उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता है बल्कि समाज ही उसके लिए सब कुछ होता है।

(5) अहवादी आत्महत्या में क्रियारशीलता का मार्ग अवलम्बित हो जाता है, व्यक्ति में मानसिक झोझ और व्याकुलता छा जाती है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति तीव्र उत्साह और शक्ति के साथ इस जीवन-लीला को समाप्त कर सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् की ओर उन्मुख हो जाता है।

(6) अहम्वादी आत्महत्या में नैतिक चेतना का अभाव होता है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या नैतिक चेतना से सम्बन्धित होती है, उसमें त्याग और समर्पण की भावना रहती है।

(7) दुर्खीम ने दोनों की मन-स्थिति का विश्लेषण इस प्रकार किया है, "एक जीवन में इसलिए पृथक् है, क्योंकि ऐसा कोई लक्ष्य न देखकर, जिससे वह अपने को सम्बन्धित कर सके, वह स्वयं को व्यर्थ और उद्देश्यहीन अनुभव करता है, दूसरा इसलिए क्योंकि उसके सामने लक्ष्य होता है, परन्तु वह इस जीवन के बाहर कहीं होता है, जिसे प्राप्त करने में यह जीवन उसे एक बाधा प्रतीत होती है।" इसमें प्रथम स्थिति अहम्वादी की है और दूसरी परार्थवादी की।

**सैनिक जीवन और परार्थवादी आत्महत्या (Military-life and Altruistic Suicide)**—दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या का सम्बन्ध विशेष रूप से सैनिक जीवन से जोड़ा है। अनेक देशों के आँकड़ों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि नागरिकों की तुलना में सैनिकों में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। दोनों की आत्महत्या की दर की तुलना करके दुर्खीम ने यह सिद्ध किया है कि सेवा की अवधि बढ़ने के साथ आत्महत्या की दर बढ़ जाती है।

दुर्खीम सैनिकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति की अधिकता के निम्न कारण नहीं मानते हैं—(1) सैनिक अधिकारियों के अविवाहित होने को इसका कारण नहीं मानते हैं, (2) मद्यपान को इसका कारण नहीं मानते हैं, (3) सैनिक जीवन के साथ अनुकूलन की कठिनाई को भी वे आत्महत्या का कारण नहीं मानते हैं, (4) उनके मत में सैनिक जीवन की कठोरता और अनुशासन भी आत्महत्या का कारण नहीं है।

दुर्खीम के मत में वे सैनिक आत्महत्या करते हैं जिनकी रुचि इस सेवा में अधिक होती है व जो जीवन के लिए सर्वाधिक योग्य होते हैं। अतः सैनिकों में आत्महत्या का कारण उनकी सामाजिक दशाओं में खोजा जाना चाहिये, जिनमें वे रहते हैं और जिनके प्रभाव से उनकी मानसिक स्थितियों का निर्माण होता है। दुर्खीम के मत में सैनिकों का प्रथम गुण अवैयक्तिकता है। वे केवल अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं, सोच-विचार या तर्क-वितर्क के लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि है। सेवा में स्वतन्त्र क्रिया का अवसर सबसे कम होता है और अवैयक्तिकता की स्थिति अधिक होती है इसी कारण सैनिकों में परार्थवादी आत्महत्या की दर अधिक होती है। सेना के अधिकारी में भी यद्यपि समर्पण का भाव अधिक होता है किन्तु उसमें वैयक्तिकता अधिक होती है, अपने जीवन को वह अधिक मूल्यवान समझता है अतः उसमें बलिदान करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसी कारण अधिकारियों में अराजकप्रति अधिकारियों की तुलना में परार्थवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती है। दुर्खीम का मानना है कि नागरिकों में अतिशय व्यक्तिवाद के कारण आत्महत्याएँ होती हैं और

सैनिकों में परार्थवाद के कारण। सैनिकों में परार्थवादी आत्महत्या का मुख्य कारण सामाजिक पर्यावरण है।

अन्ततः परार्थवादी आत्महत्या उन क्रियाओ में व्यक्त होती है जिनकी प्रशंसा की जाती है, जिनके प्रति आदर व्यक्त किया जाता है। इसी कारण लोग इसे आत्महत्या न मानकर त्याग और बलिदान मानते हैं क्योंकि इनमें ईश्वर की प्राप्ति की भावना, निर्वाण की प्राप्ति, धर्मानुगत, आदर्श प्रेम व सामाजिक अपमान से बचाव आदि का भाव-निहित होता है, किन्तु दुर्खीम का मानना है कि चूँकि ये बलिदान त्याग और विरक्ति की भावना से किए जाते हैं, अतः इन्हें परार्थवादी आत्महत्या कहना ही उचित है।

### (3) आदर्शहीन आत्महत्या (Anomic Suicide)

प्रत्येक समाज में मनुष्यों के व्यवहारे को नियन्त्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट साधन या पद्धतियाँ विद्यमान हैं। प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक नियम होते हैं, प्रथाएँ व कानून होते हैं जो व्यवहार-नियन्त्रण के आधार-तत्व हैं। इन नियमों का पालन जब तक समाज भली-भाँति करता रहता है, तब तक समाज में व्यवस्था और एकरूपता विद्यमान रहती है, परन्तु जब सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरीके से करने लगते हैं, सामाजिक नियमों में शिथिलता आने लगती है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, इससे समाज पर अनेक संकट आ जाते हैं। समाज की ऐसी अवस्था, जिसमें समाज के सदस्यों के समक्ष कोई आदर्श नियम नहीं होते हैं, सामूहिक एकरूपता समाप्त हो जाती है, समाज के सदस्य दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं, समाज की उस स्थिति को दुर्खीम ने 'आदर्शहीनता' की स्थिति कहा है। इस आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के परिणामस्वरूप जो आत्महत्या की जाती है, दुर्खीम उन्हें 'आदर्शहीन आत्महत्या' कहते हैं।

(i) आर्थिक संकट और आत्महत्या (Economic Crisis and Suicide)— प्रायः यह देखा गया है कि आर्थिक संकटों की स्थिति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अनेक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि आर्थिक व व्यापारिक हानि अथवा दिवालियापन व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्याख्या को दुर्खीम स्वीकार नहीं करते हैं कि निर्धनता की वृद्धि आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। उनका मानना है कि यदि निर्धनता आत्महत्या की प्रेरणा देती है तो सुविधाएँ बढ़ने से आत्महत्या की दर कम होनी चाहिए, किन्तु अनेक अध्ययनों के आधार पर यह सत्य प्रतीत नहीं होता। उन्होंने सन् 1870 से 1889 तक की अवधि में रोम की आर्थिक प्रगति की व्याख्या करते हुए कहा कि जब आर्थिक क्रिया तीव्र हो जाती है, व्यापार बढ़ता है, औद्योगिक उन्नति होती है, तो लोगों का जीवन अधिक सुविधापूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में आत्महत्याएँ भी बढ़ जाती हैं। वाम्दव में आर्थिक परेशानी आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे सुरक्षा प्रदान करती है।

आर्थिक संकट और आर्थिक सम्पन्नता दोनों ही असामान्य अवस्थाएँ हैं अथवा संक्रांति के काल हैं। प्रत्येक संक्रांति काल में सामूहिक व्यवस्था में उथल-पुथल हो जाती है। अधिक सम्पन्नता अथवा अधिक विपन्नता दोनों ही स्थितियाँ आदर्शहीनता को जन्म देती हैं।



जो आत्महत्या को प्रेरित करती हैं। जब आदर्श सम्पन्न हो जाते हैं। सामाजिक दशाएँ असामान्य हो जाती हैं, तब उस वातावरण से प्रेरित आत्महत्याएँ दुर्खीम के मतानुसार आदर्शहीन आत्महत्याएँ हैं।

जब व्यक्ति की आवश्यकताएँ सीमित होती हैं और साधनों के अनुरूप होती हैं तो व्यक्ति सुखी रहता है। यदि आवश्यकताएँ साधनों को तुलना में बढ़ जाती हैं तो प्राणी को कष्ट का अनुभव होता है। अतः दुर्खीम का मानना है कि इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, किन्तु व्यक्ति का उन पर नियन्त्रण नहीं रहता अतः समाज को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का सामंजस्य स्थिति के साथ बना रहे। समाज ही एक ऐसी नैतिक शक्ति है जो व्यक्ति से श्रेष्ठ है, और व्यक्ति उसकी सलाह को स्वीकार करता है। जब व्यक्ति को अपनी स्थिति से सन्तोष हो जायेगा तो उसके मन में सुख व शान्ति हो जायेगी, किन्तु यह अनुशासन तभी लाभदायक हो सकेगा जब व्यक्ति इसे न्यायसंगत समझे। जबरदस्ती से लादा गया अनुशासन तो व्यक्ति में असन्तोष उत्पन्न करेगा। आकांक्षाओं पर व्यक्ति का नियन्त्रण न रहने से असन्तोष की वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप आत्महत्याओं में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत निर्धनता व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित कर देती है अतः वह व्यक्ति को आत्महत्या के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दुर्खीम निर्धनता को प्रभावकारी बताते हुए कहते हैं, "यह (निर्धनता) वास्तव में आत्मसंयम की शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। निरन्तर अनुशासन के लिए बाध्य करते हुए यह व्यक्ति को शान्ति से सामूहिक अनुशासन को स्वीकारने के लिए तैयार करता है, जबकि सम्पन्नता, व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए सदैव विद्रोह की भावना को जागृत कर सकती है जो अनैतिकता का स्रोत है।" क्योंकि निम्न वर्ग के मनुष्यों की इच्छाएँ सीमित होती हैं जबकि सम्पन्न व्यक्तियों की इच्छाएँ असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वह निरन्तर भागता रहता है इससे उसे निराशाएँ घेर लेती हैं जो आत्महत्या की ओर ले जाती हैं। अतः आदर्शहीन आत्महत्या नियन्त्रणहीनता और उससे उत्पन्न पीड़ा का परिणाम है।

(ii) वैवाहिक जीवन और आदर्शहीन आत्महत्या (Marital-life and Nomless Suicide)—दुर्खीम के अनुसार वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीनता की स्थिति आ जाती है। आपके अनुसार निम्न परिस्थितियों में आत्महत्या की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं—

(अ) वैधव्य (Widowhood)—जब पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में आदर्शहीनता आ जाती है। वैधव्यपूर्ण जीवन नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाता है।

(ब) विवाह-विच्छेद (Divorce)—वर्देलन ने विवाह-विच्छेद का आत्महत्या के साथ सम्बन्ध स्वीकार किया है। सैकिल दुर्खीम का कहना है कि विवाह-विच्छेद ही आत्महत्या का कारण नहीं है वास्तव में असन्तुलित पारिवारिक जीवन ही विवाह-विच्छेद और आत्महत्या की प्रेरणा देता है।

#### (4) घातक आत्महत्या (Fatalistic Suicide)

उपर्युक्त तीन प्रकार की आत्महत्याओं का वर्णन करने के उपरान्त दुर्खीम के मत में कुछ ऐसी आत्महत्याएँ हैं जो उपर्युक्त की कोटि में नहीं आतीं। निम्नलिखित आत्महत्याओं को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

विवाह (Marriage)—विशेष रूप से एक-विवाह के आदर्श के कारण नवयुवक पति और नि.सन्तान विवाहित स्त्री को आंतरिक कुण्ठा का शिकार होना पड़ता है। एक-विवाह का बन्धन पुरुष की काम-प्रवृत्ति को सीमित कर देता है जो उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित कर देता है। उसी भाँति सन्तानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है परन्तु एक-विवाह का बन्धन उसे अन्य व्यक्ति तक जाने नहीं देता (उस स्थिति में जब विवाहित पुरुष इस कार्य में असमर्थ हो), तब निराश होकर वह आत्महत्या की ओर उन्मुख हो उठती है। मालिक के अत्याचार से पीड़ित मजदूर भी आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। उपर्युक्त स्थितियों में व्यक्ति को आत्महत्या की ओर प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्व— (1) अत्यधिक नियन्त्रण, (2) अत्यधिक आदर्शवादिता एवं (3) कठोर नियमबद्धता है।

अत्यधिक कठोर नियन्त्रण, आदर्शवादिता एवं नियमबद्धता व्यक्ति को कुंठित बना देती है, वह उनसे स्वतन्त्र होना चाहता है और जब उससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं सूझता तो व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। दुर्खीम इस प्रकार की आत्महत्या को 'घातक आत्महत्या' कहते हैं। उनका कथन है, "यह आत्महत्या अतिशय नियन्त्रण के कारण उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, जिनके भविष्य दमनकारी अनुशासन के द्वारा निर्दयतापूर्वक अवरुद्ध कर दिए गए हैं, और जिनकी कामनाओं का गला उग्रता से दबा दिया गया है।"

### व्यावहारिक निष्कर्ष (Practical Conclusions)

दुर्खीम ने आत्महत्या की समस्या के व्यावहारिक निष्कर्षों पर विचार किया है। आधुनिक समाजो को आत्महत्या को असामान्य और व्याधिकीय तथ्य मानकर उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए अथवा उसे सामाजिक तथ्य समझकर चलते रहने देना चाहिए? इस सम्बन्ध में दुर्खीम ने अपने निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं—

आत्महत्या एक व्याधिकीय प्रघटना (Suicide is a Pathological Phenomenon)—प्रत्येक समाज में आत्महत्या के तीनों प्रकारों (अहवादी, पारार्थवादी और आदर्शहीन) में से कोई-न-कोई थोड़ी बहुत मात्रा में हर समय विद्यमान रहता है। ये तीनों एक सामूहिक विषाद को जन्म देते हैं। दुर्खीम के मत में अबाध आनन्द ही सामान्यता का लक्षण नहीं है। मनुष्य बिल्कुल शोकहीन होकर जीवन का आनन्द नहीं ले सकता। दुर्खीम का कहना है कि, "अत्यधिक हर्षपूर्ण नैतिकता अमर्यादित नैतिकता है।" (Too cheerful Morality is a loose Morality) सामाजिक जीवन में आशा और निराशा दोनों ही महत्त्वपूर्ण होती हैं। अधिक धर्मपरायण समाजों में आदिम समाजों की तुलना में आनन्द कम होता है, चिन्ताएँ अधिक होती हैं। यह चिन्ता एक सामूहिक मिजाज के रूप में विद्यमान रहती है, जिसको अभिव्यक्ति समाज के कुछ व्यक्तियों के माध्यम से होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में आत्महत्या का विचार शीघ्र पत्रपता है।

दुर्खीम के मत में आत्महत्या सार्वभौमिक, सार्वकालीन घटना होते हुए भी निरपेक्ष रूप से सामान्य तथ्य नहीं कही जा सकती। आत्महत्या उन व्याधिकीय दशाओं का परिणाम है जो प्रगति के साथ-साथ बढ़ती हैं, परन्तु यह उसकी आवश्यक दशा नहीं है। आधुनिक युग की व्याधिकीय सामाजिक दशाएँ ही वास्तव में आत्महत्या की वृद्धि का मुख्य स्रोत हैं।

## आत्महत्या के निराकरण के उपाय (Solutions for Eradicating Suicide)

दुर्खीम ने आत्महत्या के निराकरण के कतिपय सुझाव दर्शाए हैं—

(1) दुर्खीम का मत है कि आत्महत्या करने वाले को कठोरता से दण्डित करने के स्थान पर नैतिक दण्ड दिया जाना चाहिए। आत्महत्यारों को अन्तिम संस्कार से वंचित करके नागरिक, राजनैतिक और पारिवारिक अधिकार छीनकर आत्महत्याओं को कम किया जा सकता।

(2) मौरसेलि और फ्रेंक आदि के मत में आत्महत्या की दर को कम करने का सर्वोत्तम साधन शिक्षा हो सकती है। परन्तु दुर्खीम का मानना है कि शिक्षा स्वयं समाज के जीवन से सम्बन्धित होती है। यदि समाज का वातावरण दूषित है, तो स्कूल का कृत्रिम वातावरण इसमें सुधार नहीं कर सकता। अतः शिक्षा में सुधार के लिए समाज को सुधारना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा समाज का प्रतिरूप है।

(3) आत्महत्या को कम करने के लिए दुर्खीम के मत में सामाजिक समूहों को पर्याप्त निरन्तरता को पुनर्स्थापना करना है जिससे वे व्यक्ति पर पहले जैसा नियन्त्रण रख सके और उनमें स्वयं वह अपने को बना हुआ अनुभव को। किन्तु दुर्खीम के मत में यह कार्य न तो राजनैतिक सस्था कर सकती है और न धर्म, क्योंकि आधुनिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने इन्हें कमजोर बना दिया है। परिवार भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकता। इसमें तो केवल व्यावसायिक समूह का निगम सहायक हो सकता है, व उन्हें प्रभावित कर सकता है। दुर्खीम ने आत्महत्याओं की वृद्धि का कारण सामूहिक जीवन में उत्पन्न होने वाले दोषों को बताया है, जिन्हें दूर करके ही नैतिक शक्ति की प्रगति की जा सकती है।

निष्कर्षतः आत्महत्याओं को रोकने के लिए स्थानीय समूहों का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है जो स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए भी केन्द्रीय राजसत्ता के अधीन हो जिसे दुर्खीम ने विकेन्द्रीकरण कहा है। संक्षेप में आत्महत्या के निराकरण के उपायों में दुर्खीम विकेन्द्रीकरण को आवश्यक मानते हैं।

समालोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)—'आत्महत्या' को दुर्खीम को एक अनुपम कृति माना जा सकता है जो सैद्धान्तिक और पद्धतिशास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। इस कृति में सैद्धान्तिक रूप से वह सिद्ध करना चाहते थे कि सामाजिक तथ्य वैयक्तिक चेतना से ऊपर एक पृथक् और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। उन्होंने आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत तथ्य को भी सामाजिक तथ्य के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया, किन्तु दुर्खीम की इस कृति को भी कुछ विद्वानों द्वारा समालोचना की गई।

स्टेनमेटज ने लिखा है, "मैं जो आँकड़े एकत्र करने में सफल हुआ हूँ, उनमें यह प्रतीत होता है कि सभ्य लोगों की तुलना में वन्य मनुष्यों में आत्महत्या अधिक होती है।"

जिलबोर्ग ने एक लेख में लिखा है, "आत्महत्या के सांख्यिकीय आँकड़े जिस रूप में आज सकलित किए गए हैं, बहुत कम विश्वसनीय हैं।" जिलबोर्ग के अनुसार आत्महत्या इतनी पुरानी घटना है, जितनी मानव जाति। दुर्खीम के द्वारा यूरोपियन और अमेरिकन समाज के सांख्यिकीय आँकड़ों का भण्डार प्रस्तुत किए जाने के बाद भी यह कहना सरल है कि अनेक आत्महत्याओं का रिकॉर्ड कोष के बाहर था और अनेक आत्महत्याओं का रिकॉर्ड था ही नहीं।

अतः आत्महत्या की व्याख्या केवल आँकड़ों के आधार पर करना उतना सरल नहीं था, जितना दुर्खीम ने अनुभव किया था। जिलबोर्ग ने दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत 'सभ्यता के विकास' और 'आत्महत्या की वृद्धि' को भी पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष मानकर अमान्य सिद्ध किया है। उनका कहना है, "जहाँ तक आत्महत्या का सम्बन्ध है, आज का मनुष्य अपने पूर्वजों से वास्तव में कम है।"

हैरीवान्स के अनुसार, "आत्महत्या के सिद्धान्त में दुर्खीम ने व्यक्तिगत प्रेरणा और सांस्कृतिक कारकों को कोई महत्त्व नहीं दिया है जो आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं।"

दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धान्त के लिए कहा गया है कि इसमें मानव की जैविकीय प्रेरणाओं की उपेक्षा की गई है, इस कारण उनकी विवेचना सन्देहास्पद हो गई है। स्वयं इसके अनुवादक 'जार्ज सिम्पसन' ने भी लिखा है कि "दुर्खीम प्रेरणा-विश्लेषण और सवैगाल्मक जीवन की मौलिक विशेषताओं की व्याख्या से सम्बन्धित आधुनिक विकास से अनभिज्ञ थे।" किन्तु उन्होंने मनोव्याधिकीय तत्वों को आत्महत्या की प्रेरणा का आधार बताया है, अतः उपर्युक्त आरोप तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

रेमण्ड एन ने "मनोवैज्ञानिक-पृष्ठभूमि-समाजशास्त्रीय निर्धारण" सूत्र को दुर्खीम के विश्लेषण का मुख्य आधार बताया। इसके उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि दुर्खीम द्वारा वर्णित आत्महत्या की व्याख्या में सामूहिक चेतना एवं एक प्रत्यक्ष वास्तविकता के रूप में आवश्यक रूप से समाज का विश्लेषण किया गया।

वानेंस ने कहा है कि दुर्खीम ने सामाजिक कारकों की प्रधानता सिद्ध करने के प्रयत्न में अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण कारकों की अवहेलना करने के दोष का स्वयं को भागी बना लिया है, "आत्महत्या के सिद्धान्त में उसने व्यक्तिगत प्रेरणा तथा सांस्कृतिक कारकों को कोई महत्त्व नहीं दिया है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने को प्रेरित करते हैं।"

दुर्खीम की इस रूप में समालोचना की जाती है कि अनुभव-सिद्ध और तथ्यात्मक समाजशास्त्र की स्थापना करने की लगन में उन्होंने सामाजिक घटनाओं की अमूर्त प्रकृति को समझते हुए भी उन्हें गणनात्मक बनाने का प्रयास किया है और इस प्रयास के कारण वह अपने विषय को सम्पूर्णता की व्याख्या करने का दावा करने में अक्षम रहे हैं।

इस कृति के विषय में यह भी कहा जाता है कि यद्यपि आधुनिक समाज के नैतिक अभाव को चर्चा करना उपयुक्त है किन्तु आत्महत्या की सामाजिकता को सिद्ध करने के लिए समाज की प्रकृति, सामूहिक चेतना आदि अवधारणाओं की जो व्याख्या की गई है वह भाषा शैली और स्पष्टीकरण के वैशिष्ट्य गाम्भीर्य आदि के उपरान्त भी उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकी है।

दुर्खीम का यह ग्रन्थ इन उपर्युक्त समालोचनाओं के उपरान्त भी न केवल आत्महत्या की विवेचना करता है, अपितु समाजशास्त्र की अनेक समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। वीरसटेट का यह कथन है, "यह एक वास्तविकता है कि दुर्खीम का यह ग्रन्थ केवल आत्महत्या का अध्ययन नहीं, यह हमारा तथा उन समाजों का भी अध्ययन है जिनमें हम रहते हैं। यदि यह केवल आत्महत्या के विषय में है तो यह इस घटना के अध्ययन में प्रथम श्रेणी रखेगा। किन्तु यह ग्रन्थ मनुष्य और समाज के सम्बन्ध में और उसके पारस्परिक

सम्बन्धों के विषय में भी है और इसीलिए समाजशास्त्र के इतिहास में एक शास्त्रीय ग्रन्थ के रूप में इसका और भी ऊँचा स्थान है।" निष्कर्षतः यह ग्रन्थ समाजशास्त्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आधुनिकता में सभ्यता और प्रगति के व्याधिक्रम पर परिणामों की ओर सकेत करके व्यावसायिक समूहों के विकास के द्वारा सामूहिक जीवन का नियन्त्रण करके उन समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 आत्महत्या की परिभाषा दीजिए। इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
- 2 आत्महत्या से सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश डालिए।
- 3 आत्महत्या के प्राकृतिक कारणों की व्याख्या कीजिए।
- 4 आत्महत्या के असामाजिक कारणों को स्पष्ट कीजिए।
- 5 सिद्ध कीजिए कि आत्महत्या का वास्तविक आधार सामाजिक क्रिया है।
- 6 अहंवादी आत्महत्या का वर्णन कीजिए।
- 7 आत्महत्या के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए परार्थवादी आत्महत्या पर प्रकाश डालिए।
- 8 दुर्खोम के आत्महत्या विषयक ग्रन्थ का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

#### संक्षेपित्वात्मक प्रश्न

निम्न पर सक्षिपत टिप्पणियाँ लिखिए :—

- 1 आत्महत्या की परिभाषा दीजिए।
- 2 आत्महत्या की कोई दो विशेषताएँ बताइए।
- 3 उन्माद और आत्महत्या
- 4 स्नायुदोष और आत्महत्या
- 5 पैतृकता और आत्महत्या
- 6 अनुकरण और आत्महत्या
- 7 दुर्खोम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकार
- 8 धर्म और अहंवादी आत्महत्या
- 9 परार्थवादी आत्महत्या
- 10 आदर्शहीन आत्महत्या
- 11 घातक आत्महत्या

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. परार्थवादी आत्महत्या का सिद्धान्त किस वैज्ञानिक से सम्बन्धित है?  
 (अ) मार्क्स (ब) फुर्बे  
 (स) मर्टन (द) दुर्खोम  
 [उत्तर- (द)]

2 Le Suicide आत्महत्या शोध-ग्रन्थ का लेखक कौन है?

- (अ) दुर्खीम (ब) वेबर  
(स) मार्क्स (द) कोई नहीं

[उत्तर- (अ)]

3 निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए—

- (1) अतिशय व्यक्तिवादिता अहंवादी आत्महत्या का कारण है।
- (2) मार्क्स ने परार्थवादी आत्महत्या की अवधारणा प्रतिपादित की थी।
- (3) आदर्शहीन आत्महत्या का प्रकार दुर्खीम ने बताया था।
- (4) आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है।
- (5) दुर्खीम के अनुसार प्रोटेस्टेण्ट लोग कम आत्महत्या करते हैं।
- (6) पुरुषों के शीघ्र विवाह से आत्महत्या की दर घट जाती है।
- (7) निर्धनता की वृद्धि आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है।
- (8) आदर्शहीन आत्महत्या नियंत्रणहीनता और उससे उत्पन्न पीड़ा का परिणाम है।

[उत्तर- सत्य कथन— 1, 3, 4, 6, 8]



## अध्याय-5

# मैक्स वेबर—जीवन चित्रण एवं प्रमुख रचनाएँ (Max Weber—Life Sketch and Major Works) (1864-1920)

मैक्स वेबर सुविख्यात जर्मन समाजशास्त्री एवं राजनैतिक-अर्थशास्त्री हैं। प्रारम्भ से ही आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी और असाधारण रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति रहे हैं। आपकी चिन्तन शक्ति और वौद्धिक प्रतिभा का परिचय आपकी कृतियों से भलीभाँति हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपकी विशेषता मानी जाती रही है। इसी के कारण वे अपनी सामाजिक विचारधारा को तत्कालीन अन्य विद्वानों की तुलना में अधिक प्रभावशाली ढँग से सप्रेषित कर सके। उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन-पद्धति में 'आदर्श प्रारूप' के वैज्ञानिक सिद्धान्त को विकसित किया और "धर्म का समाजशास्त्र" नामक सामाजिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। आपने सामाजिक वर्ग और स्थिति के विषय में भी नवीन विचार प्रस्तुत किये। इस प्रकार विश्व की सामाजिक विचारधाराओं के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान रहा है।

मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। आपके विचार में समाजशास्त्र-सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध करने वाला विज्ञान है और समाज सामाजिक अन्तःक्रियाओं की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आजीवन प्रयास किया तथा सामाजिक वर्ग, सत्ता, सामाजिक क्रिया और अधिकारी तन्त्र आदि पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये। इस रूप में समाजशास्त्र में मैक्स वेबर को आजीवन स्मरण किया जाता रहेगा।

### मैक्स वेबर का जीवन-चित्रण (Life Sketch of Max Weber)

मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के बर्लिन प्रदेश में स्थित इरफर्ट श्रृंरिंगिया नामक प्रदेश में 21 अप्रैल, 1864 में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता तत्कालीन राजनीति में उदारदल के नेता के रूप में चर्चे रहे, साथ ही वे एक प्रतिष्ठित वकील और यज्ञ-व्यवसायी परिवार के थे। बर्लिन की नगर सरकार में भी वे कार्यरत रहे और न्यायाधीश के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। मैक्स वेबर को भी अपने पिता के समय के अनेक राजनीतिज्ञों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला था। अतः वे भी प्रारम्भ से ही राजनेताओं के आदर्शों, विचारों व प्रेरणाओं से बहुत कुछ सीखते व अनुभव करते रहे। वे अनेक नवीन स्थानों का भ्रमण सपरिवार करते रहे। इसमें उनको अनेक नवीन अनुभव होते रहे तथा बहुत कुछ सीखने को मिला।

वेबर की माता हेलेन फालनस्टेन एक उच्च घराने की महिला थीं। वे बड़े पवित्र विचारों वाली, सुसंस्कृत और धार्मिक दृष्टिकोण वाली थीं और पति के

विचार रखती थीं। माता ने वेबर का पालन-पोषण बड़ी सम्पन्नता के साथ किया। वेबर पर अपने परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ा और बाल्यकाल से ही आप कानून और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने लगे। जन्म के प्रथम तीस वर्ष मैक्स वेबर अपने माता-पिता के घर ही रहे। सन् 1882 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की और वे 'हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय' में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भर्ती हुए। 1883 में एक वर्ष के लिए सैनिक प्रशिक्षण के लिए वे स्ट्रासबर्ग गये। इसके पश्चात् सन् 1885, 87 और 1888 में पुनः सैनिक प्रशिक्षण के लिये गये। सन् 1886 में उन्होंने बर्लिन और गाटिंगन विश्वविद्यालयों में दो वर्ष पढ़ने के बाद सन् 1886 में कानून की परीक्षा पास की। वे प्रारम्भ से ही प्रतिभाशाली शिक्षार्थी रहे थे। वेबर ने 1889 में सर्वप्रथम "मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए देन" नामक शोध कार्य प्रस्तुत किया जिसमें अनेक कानून सिद्धान्तों की विवेचना की गई थी। इस शोध कार्य को समाप्त करने के उपरान्त वे जर्मनी की कचहरियों में वकालत करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण लेने लगे। बाद में वे बर्लिन विश्वविद्यालय में ही कानून के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। सन् 1891 में मैक्स वेबर ने "रोम का खेतिहर इतिहास तथा सार्वजनिक और वैयक्तिक कानून के लिये इसकी महत्ता" नामक ग्रन्थ की रचना की। उन्होंने रोम के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकारों का भी विश्लेषण किया। 'थियोडोर मोयसन', 'गोल्ड स्मिथ', 'साइवल', 'डिलथे' आदि प्रसिद्ध विद्वानों के सम्पर्क में भी वे रहे। विश्वविद्यालय जाने के पूर्व ही वे प्रमुख विचारक—काण्ट और स्पेइलोज के विचारों से भी अवगत हो चुके थे। सन् 1891 में उन्होंने 'मेरियन शिन्टजर' (Marianne Shintzer) के साथ विवाह किया और अपने माता-पिता का घर छोड़कर अन्यत्र रहने लगे। 1892 में उन्होंने 900 पृष्ठों की एक वृहद् पुस्तक लिखी जो 'एलबी नदी के पूर्वी प्रान्तों के खेतिहर मजदूरों के अध्ययन' से सम्बन्धित थी।

1894 में वेबर 'फ्रेलबर्ग विश्वविद्यालय' में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वहाँ पर 1895 में उनका उद्घाटन भाषण 'राष्ट्रीय राज्य और आर्थिक नीति' विषय पर हुआ। 1896 में उन्होंने 'हाइडेलबर्ग' की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया और प्रोफेसर के रूप में कार्य-भार संभाल लिया। सन् 1897 में 33 वर्ष की आयु में वेबर गम्भीर रूप से बीमार हो गये परिणामस्वरूप उनका बौद्धिक कार्य कुछ समय के लिए बिल्कुल छूट गया। 4 वर्ष तक वे अत्यन्त अस्वस्थ रहने के कारण गहन चिन्ता से पीड़ित रहे। अतः कभी-कभी वे किन्हीं भिन्न बातों में रुचि नहीं लेते थे और अकेले ही खिड़की के सहारे बैठकर अन्तरिक्ष की ओर निहारते रहते थे। करीब 4 वर्ष बाद धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तब उन्होंने हर प्रकार की पुस्तकों के पढ़ने का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। स्वस्थ होने के पश्चात् सन् 1901 में उन्होंने पुनः अपना बौद्धिक कार्य प्रारम्भ कर दिया। बीच-बीच में उन्हें यह कार्य छोड़ना भी पड़ता था। 1903 में वे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक कल्याण के 'अभिलेखागार' के सहायक सम्पादक बने और पुनः बौद्धिक जगत् से जुड़ गये। 1904 में उन्होंने सयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा और विश्व मेले के सम्बन्ध में आयोजित 'कांफ्रेंस ऑफ आर्ट्स एण्ड साइन्स' के निमन्त्रण को स्वीकारा।

वेबर नियमित रूप से अपनी बौद्धिक सेवाओं को देने में सक्षम न थे फिर भी शिक्षा मन्त्रालय से मिलकर 'हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय' ने उनके लिए उचित आर्थिक व्यवस्था की। आपने हालेण्ड, इटली, बेल्जियम और अमेरिका की यात्राएँ कीं। अमेरिका में



रहकर वे वहाँ की सभ्यता में प्रभावित हुए और अपने तीन महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्टेंट एथिक्स तथा पूँजीवाद, नौकरशाही एवं राजनैतिक संरचना में राष्ट्रपति की भूमिका आदि अनेक विषयों पर लेखन कार्य किया। 1907 में उत्तराधिकार में कुछ सम्पत्ति मिल जाने के कारण वे आत्मनिर्भर हो गए। सन् 1918 में उन्होंने पुनः 'विद्यया विश्वविद्यालय' में एक अतिथि आचार्य पद पर कार्य किया। 1919 में वे 'प्यूनिख विश्वविद्यालय' में 'सूजी ब्रेन्टानो' के उत्तराधिकारी के रूप में अर्थशास्त्र के नियमित आचार्य बन गये। वे 'चारसाई में जर्मन युद्ध विश्रान्ति आयोग' और 'वेमर संविधान' का मसविदा तैयार करने वाले 'आयोग के सलाहकार' भी इसी बीच रहे। मात्र 56 वर्ष की आयु में निमोनिया के कारण उनका देहावसान सन् 1920 की जून में हो गया।

### मैक्स वेबर का जीवन संघर्ष (Life Struggle of Max Weber)

मैक्स वेबर का जीवन बड़ा संघर्ष व तनावों से भरा हुआ था। ये तनाव उनके प्रत्येक क्षेत्र, जैसे—राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और घरेलू से सम्बन्धित थे। इन तनावों का प्रभाव उनकी कृतियों पर भी पड़ा। वेबर के तनावों का प्रमुख कारण अपने परिवार के साथ उनके सम्बन्ध थे। 4 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें मैनिनजाइटिस का आक्रमण पड़ा। उनके परिवार का वातावरण भी उत्तेजनापूर्ण था। पुस्तकों के प्रति उनके असौम्य लगाव ने उन्हें बाल्यावस्था से ही अपनी अन्य वस्तुओं से पृथक् कर दिया। वे अध्यापकों की अध्ययन-विधि का प्रारम्भ से ही विरोध करने लगे। घर में रहकर वे माता की व्यक्तिगत पवित्रता व पिता की सन्तोष की भावना से घृणा करने लगे तथा 13 वर्ष की आयु से ही ऐतिहासिक निबन्धों का लेखन करने लगे। बाद में वे दार्शनिक रचनाएँ भी लिखने लगे तथा उग्र और आलोचक बन गये। 18 वर्ष की आयु में 'हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय' में जर्मन छात्रों के दृष्ट के तरीकों, शॉक-मॉज शराब आदि के सेवन को उन्होंने भी अपना लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि दिखावट-पसन्द नवयुवक हो गये। घर आने पर उनकी माता उनके इस व्यवहार को देखकर अपना क्रोध न रोक सकी और उन्होंने वेबर पर हाथ उठा दिया। वेबर ऐसे वातावरण में रहते हुए अध्ययन के प्रति सजग रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया।

वेबर ने अर्टमेन्स हार्फन से मध्यकालीन इतिहास एवं क्यूनो फिशर से दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। इमान्यूएल नू वेबर द्वारा रोमन कानून और रोमन संस्थाओं का प्रारम्भिक ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। इस रूप में वेबर एक प्रतिष्ठा प्राप्त अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञानी, समाजशास्त्री एवं उच्च कौटिक के प्राध्यापक भी थे, किन्तु वे केवल 5 वर्ष ही नियमित रूप से अध्यापन कार्य कर सके। 27 वर्ष की आयु में ही वे कुशल विद्वान् बन गये थे। 33 वर्ष की आयु में बीमारियों के कारण उन्हें अपना कार्य छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसके उपरान्त भी अशकालिक रूप से शिक्षा जगत् में आने का वे समय-समय पर प्रयास करते रहे। वेबर जिन दिनों स्टामबर्ग में सेना की नौकरी में थे, तब अपने चाचा हरमन बॉमगर्टन जो इतिहासकार थे और उनकी पत्नी इडा जो मैक्स वेबर की माता की बहिन थीं—के सम्पर्क में आये। बॉमगर्टन एक उदारवादी व्यक्तित्व रखते थे और इडा धर्मपरायण, प्रभावशाली और ओजसवो महिला थीं, दोनों के व्यक्तित्व का प्रभाव वेबर पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे इडा के

- (6) एन्सिएण्ट जुडेइज्म।
  - (7) एसेज इन मोशियोलोजी।
  - (8) दा मैथेडोलॉजी ऑफ सोशियल साइंसेज।
  - (9) जनरल इकोनोमिक हिस्ट्री।
  - (10) दा रेशनल एण्ड सोशियल फाउन्डेशन ऑफ म्यूजिक।
- इसके अतिरिक्त वेबर ने कुछ और बौद्धिक कार्य किये हैं, जो निम्न हैं—
- (क) समाजशास्त्र का स्वरूप, अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन-विधि।
  - (ख) सामाजिक क्रिया।
  - (ग) धर्मों की सरचना, उनकी आधार पद्धति और पूँजीवादी चेतना।
  - (घ) सामाजिक आर्थिक संगठनों का सिद्धान्त (अधिकारी तन्त्र, आर्थिक संगठन और राजनैतिक दल इत्यादि)।
  - (ङ) सत्ता प्राधिकार और इसकी वैधता की धारणा।
- उपर्युक्त में से कुछ प्रमुख कृतियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है—

### (1) दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म (1905)

इस पुस्तक का शुभारम्भ 1903 में होकर यह 1905 में पूर्णता को प्राप्त हुई थी। इसमें मैक्स वेबर द्वारा पूँजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेण्ट धर्म के आचारों के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। आप पूँजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेण्ट धर्म के आधारों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानने के पक्ष में हैं। यही कारण था कि गैर-प्रोटेस्टेण्ट धर्म वाले देशों में पूँजीवाद वास्तविक रूप में विकसित न हो सका। इन्होंने कन्फ्यूशियन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, इस्लाम और हिन्दू इन छः धर्मों के अध्ययन को भी पस्तुत किया। किन्तु 'धर्म के समाजशास्त्र' का अध्ययन उनके जीवन के काल में पूरा नहीं हो सका था। अभी उसको तीन पुस्तकों में सम्पादित, अनुवादित और प्रकाशित कराया गया है— ये तीनों पुस्तकें निम्नलिखित हैं—

- (1) दा हिन्दू सोशियल सिस्टम (1950)
- (2) दा रिलिजन ऑफ चाइना—कन्फ्यूशियनिज्म और फासिज्म (1951)
- (3) एन्सिएण्ट जुडेइज्म (1952)

मैक्स वेबर द्वारा लिखित निबन्धों का सम्पादन अंग्रेजी भाषा में टालकॉट पार्सन्स ने 'दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड एकोनोमिक ऑर्गनाइजेशन' (1947) नाम से करवाया है। इसके अतिरिक्त वेबर के चुने हुए निबन्धों का संग्रह दो अन्य पुस्तकों में किया गया है— वे हैं—(1) फ्रॉम मैक्स वेबर—एसेज इन सोशियोलॉजी (1946) एवं (2) मैक्स वेबर इन दा मैथेडोलॉजी ऑफ दा सोशियल साइंसेज (1946)।

### विभिन्न विचारकों का मैक्स वेबर पर प्रभाव (Impact of Various Thinkers on Max Weber)

मैक्स वेबर पर भी तत्कालीन विद्वानों व उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। बाल्यावस्था से ही वेबर गणित, साहित्य और दर्शन में विशेष रुचि रखते थे। प्रारम्भिक शिक्षा

समाप्त होने के अनन्तर ही उन्होंने शेक्सपियर, गेटे, स्पिनोजा, कान्त और शापेनहावर आदि का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया था तथा मात्र चौदह वर्ष की आयु में ही सैमर, लोयो व वर्जिल जैसे विद्वानों के मूल ग्रन्थों को पढ़ लिया था। इन सभी की स्पष्ट छाप उनके मनोमस्तिष्क में बस गई थी। मैक्स वेबर 18वीं व 19वीं सदी के सभी विचारकों से प्रभावित रहे थे। वे मार्क्स से प्रभावित रहे। निर्णयवादी विचारधारा के विरोध में लिखने की प्रेरणा वेबर को मार्क्स से ही मिली थी। मार्क्स का यह कथन कि "मानव चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, अपितु उसका अस्तित्व चेतना को निर्धारित करता है।"—मैक्स वेबर द्वारा अत्यधिक माना गया और उन्होंने अपने प्रयोग-सिद्ध अध्ययनों में विचारों की आर्थिक व्यवस्था के रूप में और दिशा-निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्धारक की भूमिका को स्वीकारा। अपनी कृति "प्रोटेस्टेण्ट एथिक्स एण्ड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म" में उन्होंने इसी तथ्य को स्थापित किया है।

मैक्स वेबर पर रिकर्ट के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। उनके मत में सामाजिक घटनाएँ वैज्ञानिक पद्धति से देखी जा सकती हैं और व्यवस्थित सामान्यीकरण द्वारा सिद्धान्तों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार वेबर ने अपने समय में प्रचलित ऐतिहासिक स्कूलों की मान्यताओं का विरोध किया और रिकर्ट के विचारों का अनुकरण किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव है जबकि इतिहास "अद्वितीय घटनाओं की नैयतिकता से सम्बन्ध रखता है।"

वेबर पर डिल्थे, कार्ल यास्पर्स, सिमेज, टानीज व वर्नर सोम्बार्ट जैसे विचारकों का भी प्रभाव पड़ा था। इन विद्वानों के साथ-साथ वेबर तत्कालीन घटनाओं से भी प्रभावित हुए थे। रार्ट ए निस्वेट के अनुसार 19वीं सदी के समाजशास्त्र को दो क्रान्तियों ने मुख्यतया प्रभावित किया था—(1) औद्योगिक क्रान्ति तथा (2) फ्रांस की क्रान्ति। वेबर पर इनका प्रभाव पड़ा था। वे उदारवादी विचारक थे और आजीवन उनकी उदारवादी प्रवृत्तियों का दृढ़ संस्कृति और विचार के रूप में आधुनिकता के साथ चलता रहा क्योंकि उस समय यूरोप के साम्प्रतिक मूल्य ध्वस्त हो रहे थे। वेबर की रचनाओं में यह विपाद स्पष्टतया झलकता है। इस प्रकार वेबर अपने समय के विद्वानों व परिस्थितियों से पूर्णतया प्रभावित हुए थे।

## समाजशास्त्र के विकास में योगदान

### (Contribution in the Development of Sociology)

वेबर ने समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है जो निम्न है। आपके अनुसार, "समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिससे उसकी प्रक्रिया और प्रभावों को कारण सहित व्याख्या की जा सके।" इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वेबर समाजशास्त्र को केन्द्रीय अध्ययन की वस्तु सामाजिक क्रिया को ही मानते थे। वेबर को इस समाजशास्त्र की परिभाषा में अनेक महत्वपूर्ण तत्त्व विद्यमान हैं—व्याख्या और बोध प्रस्तुत करने का प्रयास, सामाजिक क्रिया पर विशेष ध्यान देना तथा इन घटनाओं की कारणीय व्याख्याएँ विकसित करने का प्रयास आदि। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेबर मुख्य रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिकता के अनुसार समझा जाए। आप समाजशास्त्र का केन्द्रीय लक्ष्य भी सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझना मानते थे। इसीलिए आप सामाजिक मूल्यों

को ऐतिहासिक सन्दर्भ में वस्तुपरक रूप से समझने पर विशेष ध्यान देते थे तथा उनका समाज पर समाजशास्त्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास भी करते थे।

## सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त (Theory of Social Action)

वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हुए लिखा है कि कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इन्हीं के शब्दों में, “किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह (क्रिया) दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनको गतिविधियाँ निर्धारित हो।”

वेबर ने सामाजिक क्रिया के निर्णय करने से सम्बन्धित चार बातें बताई हैं। पहली, सामाजिक क्रियाएँ भूतकाल, वर्तमान अथवा भावी व्यवहारों से प्रभावित हो सकती हैं। दूसरी, आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया ही हो। तीसरी, प्रत्येक प्रकार का सम्पर्क भी सामाजिक सम्पर्क हो तथा सामाजिक क्रिया ही हो। चौथी, वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का प्रभाव अर्थपूर्ण हो तथा एक-दूसरे को प्रभावित करने वाले व्यक्ति भी परस्पर सम्बन्धित होने चाहिए। वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना-अपना छाता खोलकर लगा लेते हैं। यह क्रिया अवश्य है परन्तु सामाजिक क्रिया नहीं है। यह क्रिया वर्षा से प्रभावित हुई है। व्यक्तियों ने परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित नहीं किया है।

वेबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का वर्णन किया है जो निम्नलिखित हैं—(1) तार्किक क्रिया, (2) मूल्य-अभिमुखी तार्किक क्रिया, (3) भावात्मक क्रिया, और (4) पारम्परिक क्रिया। इनकी विस्तार से व्याख्या आगे के अध्याय में की गई है।

## पद्धतिशास्त्र (Methodology)

वेबर ने समाजशास्त्र के लिए पद्धतिशास्त्र के विकास में योगदान दिया है। सर्वप्रथम आपने यह स्पष्ट किया कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में मौलिक अन्तर है। इसी भिन्नता का प्रभाव प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों की भिन्नता का निश्चय करता है। वेबर समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के विकास से निरन्तर सम्बन्धित रहे। आप बहुस्तरीय उपागम का विकास करना चाहते थे। इनमें दो प्रमुख पद्धतिशास्त्रीय प्रविधियाँ सन्निहित हैं—व्याख्यात्मक बोध तथा काल्पनिक परीक्षण। वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा में भी व्याख्यात्मक बोध पर विशेष जोर दिया है। इससे आपका तात्पर्य यह है कि व्यवहार की व्याख्या व्यक्तिगत और समूह के स्तर पर करनी चाहिए तथा सामाजिक अर्थ अथवा व्याख्या के आदर्श प्रारूप का निर्माण करना चाहिए। दूसरा उपागम काल्पनिक परीक्षण प्रथम उपागम का ही पूरक है। इस दूसरे उपागम में प्रेरणा की सम्भावित कड़ियों के सम्बन्ध में विचार करना आता है। इसमें सम्भावित सामाजिक अर्थों का अनुमान करना भी आता है। इन दोनों ही उपागमों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सामाजिक क्रिया के पीछे कौन-सी विशिष्ट प्रेरणा का प्रकार है? वेबर ने अपने अध्ययन में इन उपागमों का उपयोग किया था। आपने प्रोटेस्टेण्ट आचार को पूँजीवाद से जोड़ा था। इन्होंने प्यूरिटन

(अंग्रेजी ईसाई धर्म का एक ग्रन्थ) आचार को व्यक्तित्ववाद से और धार्मिक व्यक्तित्ववाद को नौकरशाही से सम्बन्धित करके अध्ययन किया। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेबर मुख्य रूप से प्रेरणाओं को सामाजिक क्रियाओं, मूल्यों तथा सामाजिक व्यवहार के साथ सम्बन्धित करने के इच्छुक थे।

वेबर का कहना था कि प्राकृतिक घटनाएँ सामाजिक क्रियाओं की तरह अर्थपूर्ण नहीं होती हैं। सामाजिक क्रियाओं के पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है जबकि प्राकृतिक घटनाएँ उद्देश्यविहीन होती हैं। अपने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न विधि अपनाई थी। सबसे पहिले उन्होंने घटनाओं को चुना। उन्होंने सामाजिक घटनाओं में से कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ चुनीं जिनका वे अध्ययन करना चाहते थे। दूसरे चरण में इन छोटी-छोटी घटनाओं में से उन घटनाओं को चुना जो परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित थीं। इस प्रक्रिया से पूर्ववर्ती घटनाओं का पता चल जाता है अर्थात् वे घटनाएँ चुनीं जो अन्य घटनाओं का कारण हैं। तीसरे चरण में वेबर ने घटनाओं को दो वर्गों में बाँटा—एक वे घटनाएँ जो पूर्ववर्ती थीं अर्थात् कारण थीं तथा दूसरी वे घटनाएँ जो परिणाम थीं।

वेबर ने पूर्ववर्ती घटना का पता लगाने को निम्न विधि बताई है। एक विशिष्ट पूर्ववर्ती घटना के महत्त्व को जानने के लिए हम उसकी अनुपरिस्थिति को मानकर घटनाक्रम देखना होगा। घटनाक्रम को बदल कर देखना होगा। अगर नई परिस्थिति में घटनाक्रम प्रभावित होता है तो हम यह कह सकते हैं कि परिणाम का कारण पूर्ववर्ती घटना थी। वेबर का यह कहना है कि पूर्ववर्ती घटना के उपयुक्त चुनाव से हमें इस बात का अन्तर करने में सहायता मिलेगी कि मानवीय निर्णय क्या है तथा बाह्य परिस्थितियाँ क्या हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम उन प्रक्रियाओं का पता कर सकते हैं जो मानव द्वारा विशेष रूप से की गई हैं जैसे मानव ने इतिहास का निर्माण कैसे किया।

वेबर ने अपने अध्ययनों द्वारा सिद्ध किया कि भौतिक घटनाओं में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। आपका कहना है कि सामाजिक घटनाएँ एक समय विशेष में होती हैं तथा विशिष्ट होती हैं। एक-जैसी प्राकृतिक घटनाएँ बार-बार होती हैं। सामाजिक घटनाएँ एक-जैसी बार-बार नहीं घटती हैं। इसलिए प्राकृतिक घटनाओं में सामान्यीकरण सम्भव है। सामाजिक घटनाओं में सामान्यीकरण तुलनात्मक अध्ययन के अभाव के कारण असम्भव है। सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण सम्भव करने के लिए वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन को सम्भव बनाया। इसके लिए इन्होंने पद्धतिशास्त्र को 'आदर्श-प्रारूप' प्रदान करके एक महान् योगदान किया है।

### आदर्श प्रारूप (Ideal Type)

वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रारूप का 1904 में निर्माण किया। सामाजिक सम्बन्धों में मानव की क्रियाओं के दो अर्थ लगाये जाते हैं—एक वास्तविक अर्थ और दूसरा अनुमानित अर्थ। प्रथम अर्थ से तात्पर्य है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है। दूसरा अर्थ अर्भूत वास्तविकता से सम्बन्धित होता है अर्थात् व्यक्ति को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए। वास्तविक और अपेक्षित

में अन्तर होता है। वेबर अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श प्रारूप कहते हैं। इसके द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है। वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग नौकरशाही व्यवहार के अध्ययन में किया था। यह वास्तविकता के आधार पर बनाया जाता है।<sup>2</sup> तुलनात्मक अध्ययनो में प्रयुक्त किया जाता है।

**वेबर के पद्धतिशास्त्र की विशेषताएँ (Characteristics of Weber Methodology)—**

(1) वेबर का कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र को भी अपनी अध्ययन विधियों को बनाकर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं हो सकता।

(2) आप तुलनात्मक विधि के अध्ययन करने पर जोर देते हैं। इस विधि के द्वारा दो या अधिक समाजों का अथवा एक ही समाज के विभिन्न कालों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक ही समाज का आदर्श प्रारूप द्वारा अध्ययन भी तुलनात्मक विधि पर आधारित होता है।

(3) आदर्श प्रारूप से सामाजिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रारूप की सहायता से वास्तविक घटनाओं की तुलना की जा सकती है।

(4) वेबर समाजशास्त्र में "क्या है?", "क्यों है?", "कैसे है?" आदि के अध्ययन पर जोर देते हैं। आपका कहना है कि समाजशास्त्र का "क्या होना चाहिए?" से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(5) आपका कहना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक दोनों प्रकार से करना चाहिए।

(6) वेबर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक कारणता को स्थान दिया है। घटनाओं और उनके क्रम में पूर्ववर्ती घटनाओं के द्वारा कारण प्रभाव मालूम करने की विधि प्रदान की है।

(7) वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध पर जोर दिया है।

मैक्स वेबर ने दुर्खीम की तरह समाजशास्त्र में अध्ययन की पद्धति का निर्माण किया तथा स्वयं ने उन विधियों द्वारा अध्ययन करके उनकी व्यावहारिकता सिद्ध भी की थी। विश्व के 6 महान् धर्मों तथा नौकरशाही का इन्हीं पद्धतियों से अध्ययन करके इन पद्धतियों की व्यावहारिकता को सिद्ध कर दिया है।

### धर्म का सिद्धान्त (Theory of Religion)

मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त अपनी पुस्तक 'दा प्रोटेस्टेंट एथिक एण्ड दा स्पिरिट ऑफ़ केपिटलिज्म' (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism) 1905 में दिया है। यह अध्ययन तुलनात्मक पद्धति से किया गया है। इसमें वेबर ने विश्व के छः धर्मों का अध्ययन किया है तथा यह मालूम करने का प्रयत्न

किया है कि धर्म आर्थिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है? आप मार्क्स के आर्थिक निर्णायकवाद को नहीं मानते हैं। वेबर का कहना है कि सामाजिक घटनाओं में अनेक कारक होते हैं। ये कारक एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं। परन्तु मार्क्स का यह कहना कि सभी परिणामों का कारण आर्थिक है—वेबर इसको नहीं मानते। वेबर का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन बहुकारकों से होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए किरती एक कारक को कारण मानकर अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन किरती एक कारक को निर्णायक कारक निर्धारित करना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गलत है। वेबर ने मार्क्स की प्राक्कल्पना की जाँच आर्थिक कारक के स्थान पर धार्मिक कारक को निर्णायक मानकर की तथा वे इसमें सफल भी हुए।

वेबर ने आधुनिक पूँजीवाद का कारण धर्म को मानकर अध्ययन किया। आपने विभिन्न धर्मों में विद्यमान धार्मिक मूल्यों, आचारों, उपदेशों आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा समाज की आर्थिक व्यवस्था के सन्दर्भ में इनका विश्लेषण किया। वेबर ने धार्मिक कारक को कारण माना तथा आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन आदि को परिणाम माना तथा यह विश्लेषण किया कि धर्म अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि संगठनों का कहाँ तक निर्णय करता है?

आपने निष्कर्ष दिए कि धर्म के जिस प्रकार के आदर्श, आचार, प्रवचन तथा नैतिक मूल्य होंगे उसके अनुसार ही समाज की आर्थिक व्यवस्था होगी। प्रोटेस्टेण्ट धर्म पूँजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ-जहाँ प्रोटेस्टेण्ट धर्म था वहाँ पूँजीवाद जल्दी पनपा तथा अन्य धर्म कैथोलिक, बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म पूँजीवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं वहाँ पूँजीवाद नहीं पनपा। वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार पर छः धर्मों के आदर्श प्रारूपों का केवल आर्थिक व्यवस्था के सन्दर्भ में विश्लेषण किया है।

आपका मानना है कि सामाजिक संगठन में धार्मिक और आर्थिक कारक परस्पर सम्बन्धित हैं तथा अन्योन्याश्रित हैं। मार्क्स का ये मानना उचित नहीं था कि आर्थिक कारक निर्णायक है। वेबर के अध्ययन में धार्मिक कारक निर्णायक सिद्ध हो गया परन्तु वेबर का कहना है कि सभी कारक परस्पर प्रभाव डालते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण माना जा सकता है। वेबर ने धार्मिक कारक को कारण माना तथा उसके प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत किया। यह वेबर की समाजशास्त्र को अध्ययन पद्धति के क्षेत्र में महान् देन है। वेबर बहुकारक के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे।

### पूँजीवादी समाज में नौकरशाही व्यवस्था (Bureaucratic System in Capitalistic Society)

वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। आपने इसकी उत्पत्ति, विशेषताओं, कार्यों तथा महत्त्व पर प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि व्यक्ति जो परम्परागत व्यवस्था को छोड़कर पूँजीवाद की ओर जाता है उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यवस्थित और योजनाबद्ध कार्य करे। उसे निश्चित संगठित व्यवस्था और अनुशासन में कार्य करना होगा। इसी के परिणामस्वरूप नौकरशाही व्यवस्था विकसित हुई। वेबर का कहना है कि नौकरशाही व्यवस्था पूँजीवादी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप विकसित हुई है। वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था की विशेषताओं का महान् अध्ययन किया था।

## नौकरशाही व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics of Bureaucratic System)

(1) नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। व्यक्तियों में परस्पर सम्बन्ध अवैयक्तिक होते हैं।

(2) इसमें सत्ता का विभाजन सस्तरण के आधार पर होता है जिसका नियन्त्रण केन्द्रीय संगठन द्वारा होता है।

(3) नौकरशाही व्यवस्था में कार्यों का बँटवारा तकनीकी आधार पर होता है। इसके लिए निश्चित तथा विशिष्ट योग्यता आवश्यक होती है।

(4) इस संगठन में कार्यकर्ता का जीवन कार्यालय और परिवार में अलग-अलग बँटा होता है। व्यक्ति की पारिवारिक भूमिका और कार्यालय की भूमिका में कोई सम्बन्ध नहीं होता है तथा उनमें कोई संघर्ष भी नहीं होता है।

(5) इसमें व्यापारिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति अलग-अलग होती है।

(6) आमदनी वेतन के रूप में भी होती है। वेतन कोई उपहार अथवा मजदूरी का मुआवजा नहीं होता है।

वेबर का कहना है कि पूँजीपति समाज में खुशहाली ज्यादा अच्छी और जल्दी आयेगी अगर वे नौकरशाही व्यवस्था को अपना लेंगे हैं। उनका यह भी कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर नौकरशाही हो वहाँ पर पूँजीवाद हो ही।

**शक्ति और सत्ता (Power and Authority)**—वेबर ने सत्ता और शक्ति पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। आपके अनुसार अगर किसी शक्ति के पीछे कानून, पद अथवा कोई और वैध आधार है तो वह सत्ता कहलायेगी। सत्ता व्यक्ति को वैध रूप से ऐसे अधिकार दे देती है जिनके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों, संगठनों आदि को नियन्त्रित कर सकता है। सत्ता को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक सत्ता तथा अनौपचारिक सत्ता में वर्गीकृत कर सकते हैं।

**सत्ता के प्रकार (Types of Authority)**—

वेबर ने सत्ता के निम्नलिखित तीन प्रकार बताये हैं—

(1) **चमत्कारिक सत्ता (Charismatic Authority)**—यह सत्ता उन व्यक्तियों के पास होती है जो सामान्य नागरिकों को अपने चमत्कार द्वारा प्रभावित करके उन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेते हैं। साधु-सन्तों, धर्म-गुरुओं और चमत्कारी पुरुषों में चमत्कारी सत्ता देखने को मिलती है।

(2) **कानूनी सत्ता (Legal Authority)**—इसे वैधानिक औपचारिक सत्ता भी कह सकते हैं। कानूनी सत्ता में विधान या कानून व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर देता है जिसका सामान्य लोगो को ध्यान रखना पड़ता है अगर सामान्य जन कानूनी-सत्ता का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दण्ड देने का प्रावधान होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सिपाही, न्यायाधीश आदि इस सत्ता के उदाहरण हैं।

(3) **परम्परागत सत्ता (Traditional Authority)**—जब सत्ता व्यक्ति को परम्परा के अनुसार प्राप्त होती है या जब सत्ता प्रदत्त होती है तो वह परम्परागत सत्ता



कहलाती है। जन-जातियो, जातियो, श्रामो, परिवारों आदि मे सत्ता एक व्यक्ति से दूरे व्यक्ति को परम्परा के आधार पर हस्तान्तरित होती है तो ऐसी सत्ता परम्परागत सत्ता कहलाती है। मुखिया का बेटा मुखिया, राजा का बेटा राजा बनता है। यह परम्परागत सत्ता कहलाती है।

मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के विकास मे अनेक प्रकार से योगदान दिया है। उन्होने सामाजिक वर्ग, औद्योगिकीकरण सामाजिक स्तरीकरण आदि में भी अमूल्य योगदान दिया है।

## मैक्स वेबर : एक संक्षिप्त-परिचय (Max Weber : A Brief Introduction)

(1864-1920)

### 1. जीवन-चित्रण (Background)

- 1 प्रोटेस्टेण्ट परिवार
- 2 अर्थशास्त्र, इतिहास, कानून, दर्शन, धर्मशास्त्र मे प्रशिक्षित
- 3 शैक्षिक और राजनैतिक गतिविधियाँ
- 4 जर्मन आदर्शवाद मे प्रशिक्षित से सम्बन्ध
- 5 बिस्मार्क राजनीति

### 2. लक्ष्य (Aim)

“..... सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध”

### 3. अभिग्रह (Assumptions)

- 1 क्रिया का व्यक्तिपरक अर्थ
- 2 अर्थ के प्रकार
- 3 तार्किकतानुसार सामाजिक व्यवहार मे परिवर्तन
- 4 सामाजिक व्यवहार के चार प्रकार
- 5 प्राकृतिक वरण से तार्किकीकरण
- 6 नीकरशाही तार्किकीकरण का परिणाम

### 4. पद्धतिशास्त्र (Methodology)

- 1 निम्न का व्याख्यात्मक बोध—
  - 1.1 वास्तविक अभिप्राय का अर्थ
  - 1.2 औसत या समूह अर्थ
  - 1.3 आदर्श प्रकार का उपयुक्त अर्थ
- 2 काल्पनिक परीक्षण का उपयोग

### 5. प्रारूप विज्ञान (Typology)

सामाजिक क्रिया और नीकरशाही के प्रारूप

### 6. बिन्दु (Issues)

1. प्रारूपात्मक भिन्नताओं की योग्यता
- 2 'प्रकृति-वरण' को समाज पर घटाना
- 3 सामान्य तार्किकीकरण

- 4 सामाजिक संरचना के मूल्य परिभाषित करते हैं।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 मैक्स वेबर की प्रमुख समाजशास्त्रीय कृतियों का वर्णन कीजिये।
2. मैक्स वेबर के जीवन एवं कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. समाजशास्त्र के विकास में मैक्स वेबर का क्या योगदान है? बताइए।
4. मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदानों की विवेचना कीजिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

- 1 मैक्स वेबर पर अन्य विद्वानों का प्रभाव
- 2 सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त
- 3 पद्धतिशास्त्र
- 4 वेबर के पद्धतिशास्त्र की विशेषताएँ
- 5 धर्म का सिद्धान्त
- 6 नौकरशाही व्यवस्था

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मैक्स वेबर किस देश के निवासी थे?  
(अ) अमरीका (ब) जापान (स) जर्मनी (द) फ्रांस  
[उत्तर- (स)]
2. मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था?  
(अ) 1864 (ब) 1818 (स) 1858 (द) 1869  
[उत्तर- (अ)]
3. वेबर का देहान्त कब हुआ था?  
(अ) 1885 (ब) 1928 (स) 1920 (द) 1895  
[उत्तर-(स)]
4. 'दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म' के लेखक कौन हैं?  
(अ) वेबर (ब) मार्क्स (स) दुर्खोम (द) सोरोकिन  
[उत्तर-(अ)]
5. निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए—  
(1) वेबर फ्रांस के समाजशास्त्री थे।  
(2) वेबर के अनुसार आधुनिक पूँजीवाद कैथोलिक धर्म की देन है।  
(3) आदर्श प्रारूप की अवधारणा वेबर ने प्रतिपादित की थी।  
(4) 'दा हिन्दू सोशियल सिस्टम' के लेखक वेबर नहीं हैं।  
(5) पूँजीवादी व्यवस्था में नौकरशाही का अध्ययन वेबर ने किया था।  
(6) 'दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म' के लेखक वेबर हैं।

[उत्तर- सत्य कथन— 3, 5, 6]

## अध्याय-6

### मैक्स वेबर : सामाजिक क्रिया (Max Weber : Social Action)

मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्रीय रूप प्रदान किया है। आपने सामाजिक क्रिया की परिभाषा, विशेषताएँ, अध्ययन करने के दृष्टिकोण, प्रकार आदि विभिन्न पक्षों का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या की है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा, सिद्धान्त तथा जो योजना दी है वे मुख्य रूप से आपकी पुस्तक "दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनोमिक ऑर्गनाइजेशन" अनुवादक ए. एम. हेन्डरसन तथा टेलकट पारसनस में है। इसके अतिरिक्त आपने अन्यत्र भी सामाजिक क्रिया के महत्त्व तथा विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त वेबर के समाजशास्त्रीय योगदानों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। बिना इसे समझे वेबर के विचारों को नहीं समझा जा सकता है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का समाजशास्त्र में विशिष्ठ स्थान है।

समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का महत्त्व (Importance of Social Action in Sociology)—मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु बताया है। आपके निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक क्रिया का समाजशास्त्र में विशेष महत्त्व है। वेबर ने "दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनोमिक ऑर्गनाइजेशन" में 'समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया की परिभाषाएँ' शीर्षक के अन्तर्गत इन दोनों की परिभाषाओं तथा इनके घनिष्ठ सम्बन्धों की विवेचना की है। आपने समाजशास्त्र की निम्न परिभाषा दी है—

"समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशा क्रम और परिणामों के कार्य-कारण विश्लेषण पर पहुँचने का प्रयास करता है।"

आपके अनुसार, सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। आपका कहना है कि सामाजिक क्रिया में विद्यमान कारणों तथा उनके परस्पर सम्बन्धों, प्रभावों आदि का विश्लेषण समाजशास्त्र को करना चाहिए। ऐसा करने पर ही सामाजिक क्रियाओं के सत्य तथा प्रमाणित परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। क्रिया में वेबर उन सभी मानवीय व्यवहारों को शामिल करते हैं जिनमें क्रिया करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के साथ व्यक्तिगत अर्थ जोड़ता है। इस सन्दर्भ में एलेक्स इंकलस कहते हैं कि वेबर सामाजिक व्यवहारों तथा कृत्यों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य मानते हैं। आपने वेबर का निम्न कथन उद्धरित किया है—

"समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक सम्बन्धों तथा कृत्यों का अध्ययन है।"

इन उपर्युक्त कथनों में स्पष्ट हो जाता है कि वेबर समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को कितना महत्त्वपूर्ण मानने हैं। आपके अनुसार, समाजशास्त्र की विषय-मामग्री, अध्ययन का दृष्टिकोण, अध्ययन पद्धति, सिद्धान्त आदि सामाजिक क्रिया के द्वारा ही निर्धारित, निर्देशित और संचालित होते हैं। वेबर के इन विचारों का प्रभाव अनेक समाजशास्त्रियों पर पड़ा है जिनमें से उल्लेखनीय समाजशास्त्री टेलकट पारसनस है। पारसनस ने मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खोम आदि विचारकों के सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या तथा समीक्षा की है तथा स्वयं का क्रिया का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है।

**सामाजिक क्रिया का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Action)**—वेबर ने 'सामाजिक क्रिया' शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समझे बिना वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा तथा इनके विचारों को भी नहीं समझा जा सकता है। आपने सामाजिक क्रिया की निम्न परिभाषा दी है—

"क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनके साथ क्रिया करने वाला व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जोड़ता है।"

इस परिभाषा के अनुसार वेबर ने सामाजिक क्रिया तथा विशेष मानवीय व्यवहारों को समान माना है। वे सभी मानवीय व्यवहार सामाजिक क्रियाएँ हैं जो व्यक्ति किसी अर्थ या उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है। वेबर के अनुसार, मानव की अर्थहीन क्रियाएँ सामाजिक क्रियाएँ अथवा मानवीय व्यवहार नहीं माने जाने चाहिये। आपने सभी अर्थपूर्ण व्यवहारों को सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत रखा है। आपने आगे लिखा है—

"इस अर्थ में क्रिया या तो बाह्य अथवा शुद्ध रूप से आन्तरिक या व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, इसमें एक परिस्थिति में सकारात्मक व्यवधान आ सकते हैं अथवा ऐसी परिस्थिति में व्यवधानों से विचारपूर्वक बचा जा सकता है या धैर्यपूर्वक उससे लाभ उठाया जा सकता है।"

वेबर ने सामाजिक क्रिया की उपर्युक्त परिभाषा में क्रिया के दो प्रकार—बाहरी क्रियाएँ और आन्तरिक क्रियाएँ बनाई हैं। आन्तरिक क्रिया से आपका तात्पर्य व्यक्तिनिष्ठ क्रिया से है। अर्थात् जो क्रियाएँ व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर करता है या अर्थ लगाता है वह व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ क्रियाएँ होती हैं।

मैक्स वेबर के अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है, तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इन्हीं के शब्दों में—

"किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है, जब व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाये गये व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह (क्रिया) दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनकी गतिविधियाँ निर्धारित हों।"

वेबर के मत में सामाजिक क्रिया और वैयक्तिक क्रिया अलग-अलग हैं, दोनों में काफी अन्तर है अर्थात् सामाजिक-क्रिया वैयक्तिक-क्रिया नहीं है। वेबर उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं और जिस मानव-व्यवहार का कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ निकले वह सामाजिक क्रिया की परिधि में नहीं आता है। वेबर उद्देश्यपूर्ण अर्थ से यह तात्पर्य लगाते हैं कि जो अर्थ स्वयं कर्ता अपनी क्रिया के विषय में लगाता है साथ ही दूसरों की भी उसी प्रकार की क्रिया के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये प्रेरित करता है।

इसे दूसरे रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में अनेक आवश्यकताएँ होती हैं। वह जो भी कार्य करता है, उसके पीछे कुछ-न-कुछ उद्देश्य अवश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसे आचरण करना होता है। अतः समाज में रहकर सामाजिक अन्तःक्रिया आवश्यक है और इन्हीं अन्तःक्रियाओं के परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं, किन्तु सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत मानव के वे ही व्यवहार सम्मिलित किये जाते हैं, जो अर्ध-पूर्ण होते हैं। इसी को मैक्स वेबर 'अर्धपूर्ण क्रिया' कहते हैं। अर्थात् जब व्यक्ति की क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान कर दिया जाता है तो वह सामाजिक क्रिया हो जाती है। इसके अतिरिक्त क्रिया का सम्बन्ध वर्तमान, भूत अथवा भविष्य किसी काल से भी हो सकता है तथा यह चाह्य भी हो सकती है और आन्तरिक अथवा मानसिक भी हो सकती है।

**सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ (Characteristics of Social Action)**—सामाजिक क्रिया को समझने के लिए इसकी विशेषताओं का अध्ययन करना अति-आवश्यक है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा देने के बाद इसको समझने के लिए क्रिया की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जो निम्न प्रकार हैं—

1. दूसरे के प्रति उन्मुख (Oriented towards others)—वेबर ने लिखा है, "सामाजिक क्रिया दूसरों के सम्भावित भूत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है।" आपका कहना है कि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिये। ये आपस में एक-दूसरे के व्यवहार को प्रभावित भी करे। सामाजिक क्रिया परिचित या अपरिचित के साथ हो सकती है। क्रिया भूत, वर्तमान या भावी अनुमानित व्यवहार के द्वारा भी प्रभावित हो सकती है। आपने उदाहरण दिया है कि क्रिया भूतकाल में किये गये हमले के कारण बदला लेने के लिए हो सकती है। वर्तमान में रक्षा के लिए हो सकता है तथा भविष्य में हमले से सुरक्षित रहने के लिए हो सकती है। आपने एक और उदाहरण द्वारा सामाजिक क्रिया की इस विशेषता को स्पष्ट किया है। आपका कहना है कि 'मुद्रा' विनिमय का साधन है, जिसे प्रत्येक कर्ता भुगतान के रूप में स्वीकार कर लेता है। क्योंकि उसे आशा है कि भविष्य में अपरिचित लोग अवसर आने पर मुद्रा को विनिमय में स्वीकार कर लेंगे।

2. प्रत्येक क्रिया 'सामाजिक' नहीं (Every Action is not 'Social')—वेबर ने सामाजिक क्रिया की दूसरी विशेषता निम्न शब्दों में व्यक्त की है, "प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ तक कि बाह्य क्रिया भी, वर्तमान चर्चा के अर्थ में 'सामाजिक' नहीं है।" आपने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बाह्य क्रिया यदि पूर्णरूपेण जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं के प्रति उन्मुख है तो वह असामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया की रचना व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण करता है, जब वह दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख होता है। आपने उदाहरण दिया है कि धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि यह केवल ईश्वर का ध्यान लगाने पर बैठे रहने या एकान्त में प्रार्थना, आराधना करने के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्ति को आर्थिक क्रिया तभी सामाजिक होगी, जब वह दूसरों के व्यवहारों का भी ध्यान रखे। भविष्य में लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर उत्पादन करना सामाजिक क्रिया है।

3. प्रत्येक प्रकार का मानवीय सम्पर्क सामाजिक नहीं (Every Type of Human Contact is not 'Social')—मैक्स वेबर ने लिखा है, "मानव प्राणियों का

प्रत्येक प्रकार का सम्पर्क सामाजिक लक्षण वाला नहीं होता है, वह उसी सीमा तक सामाजिक कहलायेगा, जहाँ तक कर्ता का व्यवहार अर्थपूर्ण तरीके से दूसरे के व्यवहार के प्रति उन्मुख है।" आपने इसे उदाहरण देकर समझाया है। अगर दो सार्दिकल चलाने वाले टकरा जाते हैं तो यह प्राकृतिक घटना जैसी बात है। यहाँ दो व्यक्तियों का सम्पर्क सामाजिक नहीं है। लेकिन एक-दूसरे से टक्कर से बचने के प्रयास, या टकरा जाने के बाद हाथपाई, गाली-गलौज, मारपीट या मित्रतापूर्ण बातचीत हो तो उसे 'सामाजिक क्रिया' कहेंगे।

4. सामाजिक क्रिया समरूप नहीं होती (Social Action is not Identical)—वेबर ने सामाजिक क्रिया की चौथी विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है, "सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक-सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है।" आपने उदाहरण दिया कि वर्षा हो जाती है और सड़क पर लोग छाता खोल लेते हैं। इस प्रकार की क्रिया सामाजिक नहीं कहलायेगी क्योंकि छाता खोलने वाले लोगों की क्रियाएँ एक-दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर रही हैं वो तो वर्षा से अपनी रक्षा कर रहे हैं, इसी कारण उनकी क्रियाएँ एक-सी हैं। उन लोगों ने वर्षा से प्रभावित होकर छाता खोला है न कि एक-दूसरे को देखकर। किसी ने भी किसी को भी अपनी क्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया। उनमें परस्पर अर्थपूर्ण क्रियाएँ नहीं हो रही हैं। इसलिए एक-सी या समरूप क्रियाएँ आवश्यक नहीं हैं कि सामाजिक क्रिया ही हो।

5. अनुकरणात्मक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं (Imitative Action is not Social Action)—मैक्स वेबर ने अपनी कृति में यह भी स्पष्ट किया है कि केवल दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण मात्र ही सामाजिक क्रिया नहीं हो सकता जब तक कि वह अन्य व्यक्ति को (जिसका कि अनुकरण किया जा रहा है) क्रिया से अर्थपूर्ण सम्बन्ध न रखता हो अथवा उसकी क्रिया द्वारा अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न होता हो। उदाहरणार्थ—नदी में तैरते समय कोई व्यक्ति सामने तैरने वाले किसी व्यक्ति को नकल करके तैरना सीखता है, तो यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलायेगी। क्योंकि नकल करने वाले का कार्य आगे तैरने वाले के व्यवहार या क्रिया से किसी रूप में सम्बन्धित नहीं है, किन्तु यदि तैरने का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति का अनुकरण करके तैरना सीखा जाये तो वह क्रिया सामाजिक-क्रिया कहलायेगी क्योंकि वह व्यक्ति उस प्रशिक्षक से अर्थपूर्ण ढंग से सम्बन्धित है।

मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की उपर्युक्त पाँच विशेषताओं का वर्णन किया है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त सामाजिक क्रिया को कुछ और विशेषताएँ भी हैं जो आपके विभिन्न लेखों तथा पुस्तकों के अध्ययन में मिलती हैं। आपके तथा आधुनिक समाजशास्त्रियों के अनुसार कोई भी क्रिया तब सामाजिक कहलाती है, जब निम्न तीन शर्तें पूर्ण हो—

6. कर्ता (ओं) और प्रतिकर्ता (ओं) का होना [Presence of Actor (s) and Reactor (s)]—सामाजिक क्रिया में एक या/और अनेक कर्ता तथा एक या/और अनेक प्रतिकर्ता होते हैं जो एक-दूसरे की उपस्थिति से अवगत होते हैं तभी क्रिया हो सकती है। इसके निम्न सम्भावित रूप हैं—(1) एक कर्ता—एक प्रतिकर्ता में; (2) एक कर्ताओं—अनेक प्रतिकर्ताओं में, (3) अनेक कर्ता—एक प्रतिकर्ता में, और (4) अनेक कर्ताओं—अनेक प्रतिकर्ताओं में परस्पर सामाजिक क्रियाएँ होना सम्भव है।

7. परिस्थिति (Situation)—सामाजिक क्रिया के लिए दूसरी महत्वपूर्ण शर्त ऐसी परिस्थिति का होना आवश्यक है जिसमें कर्ता (ओ) और प्रतिकर्ता (ओ) एक-दूसरे की क्रिया को प्रभावित करने से सम्बन्धित वस्तुओं और विशेषताओं की सुविधाओं से सुसज्जित हो तथा एक-दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों।

8. मूल्य, विश्वास तथा प्रतीक (Values, Beliefs and Symbols)—सामाजिक क्रिया के लिए तीसरी महत्वपूर्ण शर्त कर्ताओ और प्रतिकर्ताओ के बीच सामान्य मूल्य, विश्वास तथा प्रतीक होने चाहिए तथा उनमें आपस में आशाएँ और अपेक्षाएँ होने चाहिये।

ये शर्तें सामाजिक क्रियाओं में भिन्न-भिन्न मात्रा में तथा भिन्न-भिन्न अनुपात में देखी जा सकती हैं।

### क्रिया के सिद्धान्त के अभिग्रह (Assumptions of the Theory of Action)

मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अध्ययन को समाजशास्त्रीय दिशा प्रदान की है। आपका अनेक विद्वानों पर प्रभाव पड़ा है। टेलकट पारसनस पर इनका विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। आज समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त का विशिष्ट स्थान है। सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त के कुछ प्रमुख अभिग्रह (Assumptions) हैं जिनका निर्धारण मैक्स वेबर की 'दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन', एफ. वान. मिसम की 'ह्यूमन एक्शन' तथा टेलकट पारसनस की 'दा स्ट्रक्चर ऑफ सोशियल एक्शन' कृतियों के आधार पर किया जा सकता है। सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त के ये प्रमुख अभिग्रह निम्नांकित हैं जो किसी-न-किसी रूप में वेबर के साहित्य में मिलते हैं—

1. लक्ष्य-अभिमुखन  
(Goal-Oriented)
2. साधनों का चयन  
(Selection of Means)
3. लक्ष्यों में परस्पर सम्बन्ध  
(Relationship between Goals)
4. कर्ता की परिस्थिति  
(Actor's Situation)
5. कर्ता के अभिग्रह  
(Actor's Assumptions)
6. कर्ता का परिस्थिति का ज्ञान  
(Actor's Knowledge of the Situation)
7. संज्ञान के विचार और प्रकार  
(Ideas and Modes of Cognition)
8. भाव एवं भावनाएँ  
(Affects and Sentiments)
9. मानक और मूल्यों का महत्व  
(Significance of Norms and Values)

मैकम वेबर के विचारों तथा कथनों का विशेष रूप से सहारा लेते हुए इनका क्रम से संक्षिप्त वर्णन तथा व्याख्या की जाएगी।

1. लक्ष्य-अभिमुखन (Goal-Orientedness)—मानव क्रियाएँ लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। सामाजिक क्रिया में लक्ष्य को ध्यान में रखकर कर्ता क्रिया करता है। अनेक लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तथा उनको आसानी से जाना जा सकता है। अपनी आय बढ़ाना इसका उदाहरण है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यो को तो नहीं जानता है, परन्तु औरों के लक्ष्यो को जानता है। इसका उदाहरण है—स्वयं का सम्मान या सत्ता में वृद्धि करना। यह लक्ष्य आवश्यक नहीं है कि पूर्ण स्पष्ट तथा विशिष्ट हो। इसको प्राप्त करना तथा पहिचानना भी सरल नहीं है। समाजशास्त्री को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि सम्बन्धित कर्ता अपने-अपने लक्ष्यो को समान रूप से जानते हैं तथा पहिचानते हैं। इसी प्रकार लक्ष्यो को प्राप्त करना भी एक चर है। सामाजिक क्रिया इस प्रकार से लक्ष्य-अभिमुखन होती है।

2. साधनों का चयन (Selection of Means)—क्रिया में प्रायः लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का चयन किया जाता है। समाजशास्त्री यह मानता है कि अनुभवों तथा विश्लेषण के द्वारा साधन और लक्ष्यो में अन्तर कर सकते हैं। जब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक साधन या तरीके होते हैं, तब साधन और लक्ष्य में अन्तर करना सरल होता है। लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल एक साधन या तरीका उपलब्ध होता है, तब साधन और लक्ष्य में अन्तर करना कठिन होता है। मानवीय क्रियाओ में लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुएँ काम में लाई जाती हैं तब लक्ष्य और साधन में अन्तर करना सरल होता है तथा जब मानवीय क्रियाओ में लक्ष्य और साधनों को समाज के मूल्य प्रभावित तथा निश्चित करते हैं, तब इनमें अन्तर करना कठिन होता है।

3. लक्ष्यों में परस्पर सम्बन्ध (Relationship between Goals)—कर्ता के सामने हमेशा अनेक लक्ष्य होते हैं। किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो वह क्रिया करता है उसकी क्रियाओ का प्रभाव दूसरों पर तथा दूसरों के लक्ष्यो को प्राप्त करने के प्रभाव उस पर पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके मन में केवल एक लक्ष्य हो। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक लक्ष्य होते हैं तथा दूसरे उससे सम्बन्धित होते हैं। आत्म-सम्मान का लक्ष्य ऐसा है जिसकी प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य लोग साधन हैं। सम्पत्ति का संचय ऐसा लक्ष्य है जो अनेक रूपों में हो सकता है, जैसे—धन, आय आदि। इस प्रकार सम्पत्ति का संचय अनेक अन्य लक्ष्यो के रूप में पूर्ण होता है। इस प्रकार से लक्ष्य परस्पर सम्बन्धित होते हैं। लक्ष्य अनेक होते हैं। कुछ लक्ष्य अन्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लक्ष्यो में परस्पर तुलना करके कर्ता किसी एक लक्ष्य को एक समय में प्राप्त करने का प्रयास करता है। कर्ता और प्रतिकर्ताओ के लक्ष्य भी परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। सामाजिक क्रिया में लक्ष्यो का परस्पर सम्बन्ध महत्वपूर्ण होता है।

4. कर्ता की परिस्थिति (Actor's Situation)—लक्ष्यो को प्राप्त करने का प्रयास तथा साधनों का चयन सर्वदा परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है जो क्रिया के पथ को प्रभावित करते हैं। क्रिया को व्याख्या तभी की जा सकती है जब कर्ता की विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में स्थिति स्पष्ट हो। कर्ता विशिष्ट क्रियाएँ तब करता है जब परिस्थिति की दशाएँ सामाजिक सम्बन्धों तथा संस्कृति द्वारा विशेष रूप से नियन्त्रित तथा निश्चित होती हैं।



किसी सीमा तक अदमी अपनी परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य निश्चित करता है तथा प्राप्त करता है। कई बार लक्ष्यों को परिस्थितियाँ निश्चित करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा अनुकूल परिस्थितियाँ उसे अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त कराने में सहायक हो जाती हैं। व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि वह परिस्थिति को किस रूप में समझ पाता है। व्यक्तिगत गुण, जैसे—विचार, अनुभव, ज्ञान आदि परिस्थिति को समझने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभाव डालते हैं।

5. कर्त्ता के अभिग्रह (Actor's Assumptions)—कर्त्ता हमेशा अपने लक्ष्यों को प्रकृति तथा उनके प्राप्त करने की सम्भावनाओं से सम्बन्धित निश्चित अभिग्रहों का निर्माण करता है। अगर कर्त्ता यह अनुमान लगाता है कि एक निश्चित लक्ष्य को एक निश्चित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है या वह यह अनुमान लगाता है कि एक लक्ष्य पूरा हो सकता है या वह ये अनुमान लगाता है कि एक निश्चित क्रिया का पथ निश्चित परिणाम देगा तो वह इन अनुमानों या अभिग्रहों के अनुसार क्रिया कर सकता है चाहे वह सही हो अथवा गलत हो। ये अभिग्रह दो प्रकार के होते हैं—(1) आनुभाविक प्रयोगात्मक तथा (2) गैर-आनुभाविक। एक जादुई विश्वास कि पानी का छिड़काव वर्षा लाता है इसे परीक्षण द्वारा जाँचा जा सकता है। दूसरा एक धार्मिक विश्वास—प्रार्थना से मोक्ष की प्राप्ति होती है लेकिन इसकी जाँच नहीं की जा सकती है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक क्रिया में कर्त्ता के अभिग्रह होते हैं जो क्रिया को प्रभावित करते हैं।

6. कर्त्ता का परिस्थिति का ज्ञान (Actor's Knowledge of the Situation)—जैसी अवलोकनकर्त्ता (वैज्ञानिक) को परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं उनके आधार पर कर्त्ता के आचरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है क्योंकि 'कर्त्ता का परिस्थिति का ज्ञान' अवलोकनकर्त्ता के ज्ञान से भिन्न हो सकता है। कर्त्ता का ज्ञान ही कर्त्ता की परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित, निर्देशित और प्रभावित करता है। मैक्स वेबर ने इसी सदर्भ में सुझाव दिया है कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन दो दृष्टिकोणों के अनुसार करना चाहिए।  
 १. दृष्टिकोण निम्न हैं—

6.1. **व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन (Subjective Study)**—कर्त्ता सामाजिक परिस्थिति का क्या ज्ञान रखता है? वह किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्रिया करता है? वैज्ञानिक को इन तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। २. व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहलाता है।

6.2. **वस्तुनिष्ठ अध्ययन (Objective Study)**—वैज्ञानिक को सामाजिक परिस्थिति का वस्तुनिष्ठ अर्थात् जैसी वह दिखाई देती है वैसे ही अध्ययन करना चाहिए। अवलोकन द्वारा वैज्ञानिक को पक्षपात रहित होकर तथ्य एकत्र करने चाहिए। यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है।

वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में सत्य, प्रमापित तथा विश्वसनीय तथ्य एकत्र करने के लिए इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाना अत्यावश्यक है, अन्यथा अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकते। अगर सेनापति को सूचना मिलती है कि दुश्मनों की सेना उनसे बहुत छोटी है तो हो सकता है कि सेनापति तुरन्त हमला कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि सूचना पूर्ण सत्य हो अथवा अर्द्ध-सत्य हो। दुश्मन की सेना भले ही छोटी हो परन्तु एक विशेष स्थान या परिस्थिति में वह युद्ध करने में, नये-नये उपकरणों, गोला-बारूद तथा

आधुनिकतम हथियारो से पूर्ण सुसज्जित हो। इस प्रकार सेनापति को ही परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा वही सही निर्णय ले सकता है जो सही अथवा गलत हो सकता है। वेबर, पारसनस आदि के अनुसार क्रिया के सिद्धान्त में 'कर्त्ता का परिस्थिति का ज्ञान' एक महत्त्वपूर्ण अभिग्रह है।

7. सज्ञान के प्रकार और विचार (Ideas and Modes of Cognition)—कर्त्ता के निश्चित विचार या सज्ञान के प्रकार होते हैं जो उसके परिस्थिति सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। कर्त्ता जब परिस्थिति का अवलोकन करता है तथा जानकारी एकत्र करता है तो तथ्य सकलन की प्रक्रिया पर उसके विचारों का प्रभाव पड़ता है। सज्ञान की विधि या प्रकार का भी सूचनाओं के सकलन पर प्रभाव पड़ता है जो आगे चलकर उसके लक्ष्यो, साधनो यहाँ तक कि उसके आचरण को भी प्रभावित करते हैं। कर्त्ता के कई विचार तो ऐसे होते हैं जिनका उसको ज्ञान भी नहीं होता है और वह निश्चित प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार से मानव को अच्छा-बुरा, लम्बा-नाटा, निर्दयी-दयालु आदि में वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से गोल, चौकोर, त्रिकोण, चिकना, खुरदरा, हल्का-भारी आदि में वस्तु का वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति होती है ये सब विचारो के प्रकार, क्रम, विधि आदि को भाषा के द्वारा प्रभावित करते हैं। जिनका समाजशास्त्रीय अन्वेषण में महत्त्व होता है विशेष रूप से सामाजिक क्रिया के अध्ययन में।

8. भाव एवं भावनाएँ (Affects and Sentiments)—कर्त्ता की कुछ निश्चित भावनाएँ अथवा भावात्मक प्रकृति होती है जो उसकी परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण तथा लक्ष्यो के चुनावो को प्रभावित करती है। परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण तथा लक्ष्यो का चयन भावात्मक इच्छाओ से भी प्रभावित होता है। स्नेह, शत्रुता, ईर्ष्या, विरोध, स्पर्धा, डाह, भक्ति, सुरक्षा की आवश्यकता आदि भाव मिलकर कर्त्ता को एक के प्रति भक्ति तथा दूसरे के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए प्रभावित करते हैं। भाव तथा सज्ञान के प्रकारो में अन्तर करना कठिन है। ये आपस में घुल-मिलकर क्रिया को प्रभावित करते हैं। उनका निर्माण सामान्यतया परिस्थितियाँ ही करती हैं। सामाजिक क्रिया को ये लक्षण प्रभावित करते हैं। इसलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है।

9. मानक और मूल्यो का महत्त्व (Significance of Norms and Values)—कर्त्ता के निश्चित मानक और मूल्य होते हैं जिन्हे वह अपने समाज और सस्कृति में सीखता है। ये सीखे हुए मानक मूल्य, आदर्श आदि उसके लक्ष्यो के चयन का निर्धारण करते हैं। लक्ष्यो की प्राथमिकता का क्रम भी इन्हीं मूल्यो तथा मानको के अनुसार निर्धारित होता है। मानक समाज में आचरण को प्रचलित मापदण्डो के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, मूल्य प्राथमिकताओ तथा अपेक्षाओ की स्थिति के मामलो को व्यक्त करते हैं। मानक सास्कृतिक हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि वह सामाजिक ही हो। किसी विशिष्ट अवसर पर कोई क्या खायेगा, ये सास्कृतिक मानक हैं। विशेष अवसर पर कोई दूसरे निश्चित वर्ग के लोगो के साथ हिस्सा बाँट करके क्या खाता है, यह सामाजिक मानक है। मानक स्पष्ट करते हैं कि कौनसा साधन काम में लाया जा सकता है। मानक साधनो के प्रकारो को भी निश्चित करते हैं। मानक सिद्धान्त रूप में साधनो के विकल्प भी निश्चित करते हैं जिनको कर्त्ता अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए उपयोग में ला सकता है। जिन समाजो में निश्चित नगद मुद्रा

नहीं होती है वहाँ पर निश्चित वस्तुएँ वस्तु-विनिमय के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं यह उस समाज के मानक निश्चित करते हैं। मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ लक्ष्य प्राप्त होने के बाद साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं वहाँ मानक साधनों का भी निर्धारण कर सकते हैं। धनी होना कोई मानक नहीं है। यह मानक तब बन सकता है जब धनी होने को मूल्यवान तथा प्रतिष्ठा का साधन माना जाए। इस प्रकार कर्ता के मानक तथा मूल्य उसकी सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित साधन और लक्ष्यों को निर्धारित तथा नियन्त्रित करते हैं जिसको समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण अभिग्रह मानते हैं।

### सामाजिक क्रिया के प्रकार (Types of Social Action)

इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की स्पष्ट योजना अथवा सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जो मार्क्स से भिन्न है। क्रिया या आचरण व्यक्तिनिष्ठ रूप से पूर्ण होना चाहिए न व्यक्ति के अनुसार अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरों के आचरण को समझने के लिए केवल यह नहीं देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, बल्कि यह जानना चाहिए कि वे अपनी क्रियाओं के साथ क्या अर्थ जोड़ते हैं। यह अपने स्वयं के समाज को समझने में भले ही स्पष्ट न हो, जहाँ स्वयं अपने सन्दर्भ में क्रिया की प्रकृति का अवलोकन करते हैं। उदाहरण के लिए—अपने शयन कक्ष में प्रातः सात बजे यदि कोई व्यक्ति अपने पैर के पजों को छूता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति कसरत कर रहा है, न कि प्रार्थना कर रहा है। किन्तु किसी विदेशी समाज में जिमनास्टिक के समान कसरत को कर्मकाण्ड से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक उसके विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान न हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वेबर ने सामाजिक क्रिया के चार प्रकार बताये हैं जिनके वर्गीकरण की विवेचना आपकी विश्वविख्यात पुस्तक 'दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनॉमिक ऑर्गनाइजेशन' में मिलती है। मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदान में सामाजिक क्रिया को व्याख्या, प्रकार, विशेषताएँ तथा सिद्धान्त अति महत्वपूर्ण हैं। जब भी समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के प्रकारों का वर्णन और व्याख्या की जाती है सर्वप्रथम मैक्स वेबर के विचारों का, विशेष रूप से प्रकारों का अध्ययन अवश्य किया जाता है। आपने सामाजिक क्रिया के प्रकारों के वर्गीकरण में तार्किकता, मूल्य अभिमुखता, भावात्मकता और परम्परा के आधार लिए हैं। आपने सामाजिक क्रिया के निम्न चार प्रकार इसके अभिमुखन के प्रकारों के आधार पर किये हैं—

- 1 तार्किक क्रिया,
- 2 मूल्य-अभिमुखी तार्किक क्रिया,
- 3 पारम्परिक क्रिया, और
- 4 भावात्मक क्रिया।

मैक्स वेबर ने इन सामाजिक क्रियाओं की जो व्याख्या की है वह इस प्रकार है—

1. तार्किक क्रिया (Rational Action)—वेबर ने सामाजिक क्रिया का प्रथम प्रकार तार्किक क्रिया बताया है। इसे जर्मन भाषा में स्वेक्रेशयोनलिटैट (Zweckrationalität), आंग्ल भाषा में स्वेक्रेशयोनल (Zweckrational) या रेशनल एक्शन (Rational Action)

तथा हिन्दी भाषा में तार्किक-क्रिया या विवेको-क्रिया कहते हैं। मेक्स वेबर के अनुसार यह क्रिया तार्किक या विवेक-अभिमुखी होती है।

वेबर का मानना था कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। व्यक्ति के सामने लक्ष्य और साधन होते हैं। जब व्यक्ति तर्क द्वारा कोई लक्ष्य निश्चित करता है तथा साधन का उपयोग उसकी प्राप्ति के लिए योजना-बद्ध रूप से करता है तो इन सबसे सम्बन्धित उस व्यक्ति को क्रिया पूर्ण रूप से तार्किक क्रिया कहलाती है। वेबर ने तार्किक क्रिया की एक और विशेषता यह बताई है कि जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उस लक्ष्य के साधन के रूप में आने वाली आवश्यकताओं या उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में छात्र शिक्षक द्वारा दिया गया निबन्ध गृह-कार्य के रूप में लिखता है। निबन्ध लिखना लक्ष्य है। पुस्तक, पुस्तकालय, पैन आदि साधन हैं। निबन्ध तैयार हो जाता है। शिक्षक निबन्ध का मूल्यांकन करता है। बाद में छात्र उस निबन्ध का उपयोग वार्षिक परीक्षा के लिए करता है, उसे याद करता है। पहिले निबन्ध लिखना लक्ष्य था यहाँ वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए वही निबन्ध साधन बन जाता है। वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह लक्ष्य था जो पूर्ण हो गया। अब यही प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान नौकरी प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में छात्र काम में लेता है। वेबर ने इसे शुद्ध तार्किक क्रिया कहा है जिसमें लक्ष्य और साधन तर्कपूर्ण विचार द्वारा निश्चित किए जाते हैं तथा लक्ष्य प्राप्त होने पर भविष्य में वह लक्ष्य साधन के रूप में अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस क्रिया को जिसमें लक्ष्य प्राप्त होने पर वह साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, साधक तार्किकता (Instrumental Rationality) का नाम दिया है।

वेबर लिखते हैं, "क्रिया का तार्किक अभिमुखन व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्यों की व्यवस्था की ओर होता है जब लक्ष्य, साधन और द्वितीयक परिणाम सभी जाँचे तथा परखे जाते हैं।" आप इस कथन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि इसमें लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधनों के विभिन्न विकल्पों पर तार्किक विचार किया जाता है। यह भी किया जाता है कि उपलब्ध साधनों में से किस साधन से ऐसा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है जो आगे चलकर और अच्छे परिणाम दे सकता है। अर्थात् लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसे साधन के रूप में भविष्य में अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कर्ता विभिन्न सम्भावित लक्ष्यों के सापेक्ष महत्त्व का भी तार्किक मूल्यांकन करता है। इस तार्किक क्रिया का अन्य क्रियाओं—भावात्मक या पारम्परिक के साथ भेद करना बेमेल तथा असंगत है। इनकी आपस में तुलना करना व्यर्थ है क्योंकि तार्किक क्रिया में विवेक, विचार, बुद्धि आदि का प्रयोग साधन और लक्ष्य दोनों के चयन में किया जाता है जबकि पारम्परिक या भावनात्मक क्रिया में विवेक से काम नहीं लिया जाता है। तार्किक क्रिया में अनेक वैकल्पिक तथा विरोधी लक्ष्यों में से विचारपूर्वक चयन का चयन किया जाता है। चयन करने में शुद्ध मूल्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि परिणाम क्या आयेगा। इस प्रकार से क्रिया तर्कपूर्ण विधि से व्यक्ति की विभिन्न इच्छाओं की व्यवस्था की ओर उन्मुख होती है जिसमें केवल साधनों का ध्यान रखा जाता है। वेबर का कहना है कि दूसरी ओर कर्ता वैकल्पिक तथा विरोधी इच्छाओं के चुनाव के स्थान पर इच्छाओं को विपर्यय

आवश्यकताएँ मानकर क्रिया करता है। इन विषयक आवश्यकताओं को एक पैमाने पर क्रम से व्यवस्थित करता है तथा विचार करता है कि कौनसी आवश्यकता अन्यावश्यक है।

इस प्रकार से कर्ता अपनी क्रिया को इस पैमाने के अनुसार इस प्रकार योजनाबद्ध करता है कि प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताएँ क्रम से पूर्ण हो सकें। वेबर ने लक्ष्यो को क्रम से व्यवस्थित करने, उनको प्राथमिकता के अनुसार पैमाने पर क्रमबद्ध करने तथा आवश्यकतानुसार क्रम से उन्हें पूर्ण करने की क्रिया को 'सीमान्त उपयोगिता का नियम' नाम दिया है। सार रूप में यही वेबर की तार्किक क्रिया की व्याख्या है।

**2. मूल्य-अभिमुखी तार्किक क्रिया (Value-Oriented Rational Action)**—वेबर ने सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार मूल्य-अभिमुखी तार्किक क्रिया बताया है। इसे जर्मन भाषा में वेटररेशनलिटी (Wertrationalität), आंग्ल भाषा में वेटररेशनल (Wertrational) या वैल्यू ऑरियेन्टेड रेशनैलिटी (Value-Oriented Rationality) तथा हिन्दी भाषा में मूल्य-अभिमुखी तार्किकता कहते हैं। वेबर ने मूल्य-अभिमुखी तार्किक क्रिया का वर्णन और व्याख्या प्रथम क्रिया के सन्दर्भ में की है। आपका कहना है कि मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा साधन की क्षमता या सामर्थ्य का मूल्यांकन किया जा सके। इस क्रिया में भी लक्ष्य एव परिणाम हैं। लेकिन लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो इस प्राप्त लक्ष्य का उपयोग साधन के रूप में नहीं किया जाता है जैसाकि तार्किक क्रिया में कर्ता करता रहता है। वेबर ने इस क्रिया की परिभाषा देते हुए लिखा है, "मूल्य अभिमुखन तार्किक के मामले में, बिना कीमत के प्रसंग को ध्यान में रखे, साधन का चयन का अभिमुखन एक पूर्ण मूल्य को प्राप्त करना है।"

आपने इस परिभाषा में मूल्य को महत्वपूर्ण बताया है। कर्ता समाज के मूल्य को प्राप्त करना चाहता है। मूल्य को प्राप्त करना ही उसका अन्तिम लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए कर्ता कीमत की चिन्ता नहीं करता है। साधन का चयन मूल्य प्राप्ति के लिए है। मूल्य जो कि लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के बाद वह उस प्राप्त लक्ष्य को साधन के रूप में उपयोग करने की पहिले तथा बाद में नहीं सोचता है। लक्ष्य उसका अन्तिम उद्देश्य है। वेबर ने इस क्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कर्ता नीति, सौन्दर्य, धर्म आदि मूल्यों में सचेत विश्वास रखता है। इनको प्राप्त करने के लिए वह जो क्रिया करता है वे केवल स्वयं के लिए होती हैं। वह किसी अन्य बाहरी सफलता की सम्भावना की परवाह नहीं करता है। बाहरी सफलता की सम्भावना से वह स्वतन्त्र होता है। वेबर ने ये विशेषताएँ पूर्ण मूल्य के प्रति तार्किक अभिमुखन को ध्यान में रखकर निश्चित तथा वर्णित की हैं। इन विशेषताओं को वेबर ने निम्न शब्दों में कहा है, "पूर्ण मूल्य के तार्किक अभिमुखन के अनुसार देखे, तो इसमें नीति, सौन्दर्य, धर्म या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के मूल्यों में पूर्ण सचेत विश्वास मिलता है जो केवल स्वयं के लिए है तथा वह किसी भी बाहरी सफलता की सम्भावना से स्वतन्त्र होता है।"

इस प्रकार की क्रियाओं का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है। कर्ता वे क्रियाएँ करता है जो उसे कर्तव्य, सम्मान, धर्म, व्यक्तिगत भक्ति आदि के अनुसार करनी चाहिए। जब क्रिया का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है तब उसमें हमेशा 'हुकम' या 'आदेश' तथा 'अपेक्षाएँ' होती हैं जिनको पूरा करना कर्ता अपना अहोभाग्य समझता है। वह

इन कर्तव्यों आदि को पूरा करके गौरवान्वित होता है। यह तभी होता है जब व्यक्ति ऐसी अपेक्षाओं को बिना किसी शर्त के पूरा करते हैं। इसी को पूर्ण मूल्यों के प्रति अभिमुख्यन कहते हैं। यह अभिमुख्यन व्यक्तियों में व्यवहार में भिन्न-भिन्न मात्रा में मिलता है।

इस क्रिया में लक्ष्य एक अन्तिम परिणाम है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। किसी आत्मा ईश्वर के साथ रहस्यात्मक मिलन के लिए कोई अनुष्ठान या कर्मकाण्ड करना इस प्रकार की क्रिया का सटीक उदाहरण है। वेबर इसे मूल्य-अभिमुख्यी तार्किक क्रिया मानते हैं। क्योंकि इसमें यह मान्यता है कि साधन इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करवा देगा। लेकिन इस क्रिया में साधन और लक्ष्यों को अलग करना असम्भव है। रहस्यात्मक मिलन की प्राप्ति यह स्थिति है जिसमें मस्तिष्क अनुष्ठान की क्रियाके समय समागम की स्थिति में होता है।

ऐसा उदाहरण सोचना कठिन है जिम्में लक्ष्य अन्तिम परिणाम हो, अपने आप में मूल्य प्रधान हो। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि ऐसी क्रियाओं में साधनों के विकल्प होते हैं। एक और उदाहरण द्वारा इस क्रिया की विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के प्रेम पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो इसमें लक्ष्य अन्तिम मूल्य हो सकता है। इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि कर्ता विभिन्न साधनों की क्षमताओं का आकलन करे तथा उपयुक्त साधन का चयन करके लक्ष्य को प्राप्त करे। अगर लक्ष्य केवल प्रेम व्यक्त करना है न कि जीतना, तब क्रिया लगभग यैसी ही होगी जैसी कि रहस्यमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मकाण्ड किया जाता है। यहाँ पर लक्ष्य व्यक्तिनिष्ठ है जिसको केवल कर्ता ही पहचान सकता है कि यह उस रहस्यमय अवस्था में पहुँचा या नहीं। इसका अवलोकन करने के लिए कोई सरल विधि नहीं है जिससे साधन की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

कुल मिला कर यह स्पष्ट हो जाता है कि वेबर तार्किकता का प्रयोग आचरण के लिए करता है। लेकिन कभी-कभी वह इसका प्रयोग कर्ता के विश्वासों के लिए भी कर लेता है। अगर किसी विश्वास को करने का कारण स्पष्ट किया जा सकता है तब तो कर्ता के विश्वास तार्किक हैं।

कोई धार्मिक कर्मकाण्ड रहस्यमय अवस्था में पहुँचने के लिए करता है इसी प्रकार कोई आदमी जादुई कर्मकाण्ड वर्षा करवाने के लिए करता है तो यह इन अभिग्रहों के कारण नहीं बता सकता। अतः उनकी क्रियाएँ तो तार्किक हैं जहाँ तक उनके विश्वासों की बात है उनके विश्वास तार्किक नहीं हैं। वेबर ने इस प्रकार मूल्य-अभिमुख्यी-तार्किक क्रिया का विस्तार से वर्णन और व्याख्या प्रस्तुत की थी।

**3. भावात्मक क्रिया (Affectual Action)**—मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का तीसरा प्रकार भावात्मक क्रिया बताया है। इसे जर्मन भाषा में अफैक्चुअल (Affektuell), आंग्ल भाषा में अफैक्चुअल (Affectual) तथा हिन्दी भाषा में भावात्मक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया व्यक्ति विचारपूर्वक नहीं करता है। भावात्मक क्रिया को करने से पहिले कर्ता न तो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और न ही किसी साधन पर विचार करता है। वेबर का कहना है कि यह क्रिया प्रथम दो प्रकार की तार्किक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न क्रिया है। इस क्रिया में भावात्मक अभिमुख्यन होता है अर्थात् कर्ता भावावेश, संवेग या उद्वेग में आकर क्रिया कर

चेठता है। क्रोध, सहानुभूति आदि से प्रभावित होकर भावावेश में बहकर की गई उद्देगपूर्ण क्रियाएँ भावनात्मक क्रियाएँ कहलाती हैं।

भावनात्मक क्रियाओं वे होती हैं जिनका चयन तथा पूर्ण करने की प्रक्रिया आदि का निर्णय कर्ता की भावनाएँ और उद्देगों के द्वारा होता है। वास्तव में इस प्रकार की क्रियाओं की उत्पत्ति तथा पूर्ण करने के चरण भी भावनाएँ करती हैं। वे क्रियाएँ जिनकी उत्पत्ति, नियन्त्रण, निर्देशन तथा संचालन भी भावनाएँ करती हैं वे भावात्मक क्रियाएँ होती हैं। उदाहरण के रूप में 'अ' व्यक्ति ने 'ब' व्यक्ति को गली दी तथा 'ब' व्यक्ति ने 'अ' व्यक्ति के चोंटा मार दिया। उसने चोंटा बिना सोच-समझे उद्देग में मार दिया। लेकिन बाद में 'ब' व्यक्ति को बताया गया कि 'अ' व्यक्ति पागल है। तब 'ब' व्यक्ति को तर्क पूर्ण विचार करने पर स्वयं की क्रिया पर पछतावा होगा जो उसे पहिले नहीं हुआ था। तब वह आवेग में आकर क्रिया कर बैठा था। वेबर का कहना है कि प्रेम, घृणा, दया, ईर्ष्या, क्रोध, सहानुभूति आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाएँ भावात्मक क्रियाएँ हैं। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएँ बाह्य उद्देग के प्रति अनियन्त्रित प्रतिक्रियाएँ होती हैं। भावात्मक क्रियाएँ स्थानापन्न के उदाहरण हैं। जब भावात्मक तनाव भावनात्मक क्रियाओं द्वारा कम होते हैं तो इसको स्थानापन्न कहते हैं। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएँ व्यक्ति को भावनात्मक तनावों, क्रोध, प्रेम आदि से छुटकारा दिलाने वाली क्रियाओं का निर्णय करती हैं। आपका यह भी कहना है कि इन क्रियाओं में थोड़ा-सा विवेक या विचार का प्रभाव आने पर वे कभी-कभी तार्किक क्रिया का रूप भी ले लेती हैं। वेबर का मत है कि ये क्रियाएँ व्यक्ति को पुनः सन्तुलन में ले आती हैं। वेबर ने भावात्मक क्रिया की व्याख्या करने के बाद लिखा कि भावात्मक क्रिया के उदाहरण किसी से बदला लेना, इन्द्रिय सुख प्राप्त करना, किसी विचार या व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर सन्तोष प्राप्त करना आदि हैं।

4. पारम्परिक क्रिया (Traditional Action)—मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का चौथा और अन्तिम प्रकार पारम्परिक क्रिया बताया है। यह जर्मन तथा आंग्ल भाषाओं में ट्रेडिशनल (Traditional) तथा हिन्दी भाषा में पारम्परिक क्रिया कहलाती है। वेबर का कहना है कि पारम्परिक क्रियाओं का निर्धारण परम्पराएँ करती हैं। ये परम्परा-अभिमुखी क्रियाएँ हैं। आपने लिखा है, "दीर्घ अभ्यास की अभ्यस्तता के द्वारा इनका पारम्परिक अभिमुखन हो जाता है।"

पारम्परिक आचरण में वही क्रियाएँ की जाती हैं जो वर्षों से लोग समाज में करते आ रहे हैं। इन क्रियाओं में किसी विकल्प पर विचार नहीं किया जाता है। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएँ तार्किक नहीं होती हैं। कथौक कर्ता साधन और लक्ष्यो को बिना सोचे-विचार प्रहण कर लेता है। वह क्रिया के पथ का चयन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करता है।

पारम्परिक क्रियाएँ वे सामाजिक क्रियाएँ हैं जो आदतों तथा स्थापित परम्पराओं के प्रभाव या दबाव के फलस्वरूप लोग करते हैं। इस प्रकार की क्रियाएँ व्यक्ति सोच-विचार कर नहीं करता है। व्यक्ति औरों की देखा-देखी परम्परा मानकर इन क्रियाओं को करता है। जैसे आदिम समाज में विशेष पर्वों पर मुखिया को भेंट देने की क्रिया इसके अन्तर्गत आती है। जनसाधारण भेंट इसलिए देते हैं कि उन्होंने यह सीखा है कि भेंट देना उनकी परम्परा है। वे

यह जानते हैं कि प्राचीनकाल से लोग मुखिया को भेंट देते आये हैं। भेंट देना उनके समाज की प्रथा है, उसके अनुसार व्यवहार करना तथा अनुसरण करना आवश्यक है। वे ये मानते हैं कि ऐसा उनके पूर्वज करते आये हैं, इसलिए उनको भी मुखिया को भेंट देनी है। पारम्परिक क्रिया में प्रेम, दया, घृणा आदि सवेगो का कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्ति समाज की जनरोतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, परम्पराओं आदि के वशीभूत होकर इन क्रियाओं को करता है।

उपर्युक्त क्रियाओं के वर्गीकरण में प्रथम दो क्रियाएँ मानव तर्क द्वारा निर्धारित करता है, तीसरी उद्देग और भावना के द्वारा निर्धारित होती है; जबकि चौथी न तो तर्क और विचार द्वारा होती है न ही भावना द्वारा निश्चित होती है। केवल आदतें और परम्पराएँ उन्हें निश्चित करती हैं। वेबर के अनुसार उपर्युक्त चारों क्रियाओं के प्रकार सम्पूर्ण मानवीय सम्बन्धों की व्याख्या करने के लिए पूर्ण सक्षम हैं। आपने लिखा है कि इस वर्गीकरण की उपयोगिता अन्वेषण में सफलता के द्वारा ही जाँची जा सकती है।

आलोचना (Criticism)—पी. एस. कोहन, टोरेन आदि ने इस सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ की हैं—मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त का समाजशास्त्र में एक महान् योगदान है। इस सिद्धान्त ने समाजशास्त्र को अन्वेषण करने की एक विधि भी प्रदान की है। लेकिन वेबर के समर्थकों तथा आलोचकों दोनों ने ही वैज्ञानिक कर्तव्य का पालन करते हुए इस सिद्धान्त को निम्नांकित कमियाँ बताई हैं—

1. मनोविज्ञानपरता का दोष (Fallacy of Psychologism)—वेबर के क्रिया के सिद्धान्त की पहली आलोचना ये है कि इनके सिद्धान्त से मनोविज्ञानपरता का दोष है। आपने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं या शब्दों के द्वारा परिभाषित तथा वर्गीकृत किया है। आपने समाजशास्त्रीय प्रश्नों तथा तत्त्वों को मानव मस्तिष्क के लक्षणों तथा विशेषताओं से परिभाषित किया है। भावात्मक क्रिया का प्रकार इसका प्रमाण है। एक ही वाक्य में वेबर को मनोविज्ञानपरता को इस आधार पर त्यागा जा सकता है कि आपने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या मानसिक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट की है, लेकिन ये विशेषताएँ सामाजिक स्वरूपों के ही परिणाम हैं जिनकी व्याख्या करनी चाहिए थी न कि इनके आधार पर सामाजिक क्रिया की।

2. क्रिया का सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक है (Action Theory is Psychologistic)—कुछ कट्टर समाजशास्त्रियों का निष्कर्ष यह है कि मनोविज्ञानपरता को स्वीकार करे अथवा नहीं करें, लेकिन यह सत्य है कि क्रिया का सिद्धान्त आवश्यक रूप से मनोवैज्ञानिक है। कुछ आलोचकों को यह दलील है कि क्रिया के सिद्धान्त के अभिग्रह, विशेषताएँ तथा क्रिया की परिस्थितियाँ विशिष्ट प्रकार के समाज और संस्कृति में स्वतन्त्र रूप से विद्यमान होते हैं। ये लोग इन विशेषताओं को मानव मस्तिष्क की उपज बताते हैं। इस प्रकार सामाजिक क्रिया सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती है। वेबर के क्रिया के प्रकारों में व्यक्ति उसके मस्तिष्क, भावनाओं, आदतों को अधिक महत्त्व देकर मनोवैज्ञानिक दोष से शिकार हो गये हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सामाजिक क्रिया में दो सेट होते हैं—एक उन कारकों का सेट जो व्यक्ति के बाहर होते हैं तथा दूसरा कारकों का वह सेट जो व्यक्ति के अन्दर विद्यमान होते हैं। ये दोनों ही समाज की देन हैं। इसीलिए क्रिया में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन समाजशास्त्रीय है न कि मनोवैज्ञानिक। पारसनस ने अपने क्रिया के सिद्धान्त में इसे स्पष्ट भी किया है।



3. सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ (Unable to Explain Social Change)—एलेन टोरेन ने अपनी पुस्तक 'सोशियोलॉजी डी ल' एक्शन' में लिखा कि क्रिया का सिद्धान्त सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ है। वे क्रिया के सिद्धान्त में मानको में अनुरूपता मानते हैं और यह अपरिहार्य होता है जो न तो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकता है न ही यह स्पष्ट कर सकता है कि मानक किस प्रकार से स्थापित होते हैं? वे तो इनको दिया हुआ मानकर चलते हैं। लेकिन इनकी व्याख्या करना भी अत्यावश्यक है जो सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त नहीं करता है।

4. सामाजिक संरचना और संस्कृति की व्याख्या नहीं करती है (It does not explain Social Structure and Culture)—किसी भी सामाजिक अध्ययन में सामाजिक संरचना और संस्कृति का विशेष महत्त्व होता है। इन्हीं के सन्दर्भ में सामाजिक परिस्थितियों की सीमाओं को देखा जाता है। लेकिन सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त सामाजिक संरचना और संस्कृति के तत्वों को दिया हुआ मानकर अध्ययन करता है। यह इस सिद्धान्त की एक बड़ी कमी है।

5. यह एक विधि है (It is a Method)—सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त की यह आलोचना की जाती है कि यह बहुत थोड़ी व्याख्या करता है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया एक विधि है। यह सामाजिक अध्ययन के संज्ञान का एक प्रकार है। कुल मिलाकर क्रिया का सिद्धान्त सामाजिक क्रिया की परिस्थितियों और परिणामों से सम्बन्धित रहता है।

6. पारम्परिक क्रिया में तार्किकता (Rationality in Traditional Action)—कुछ समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानवशास्त्रियों का कहना है कि वेबर द्वारा वर्णित पारम्परिक क्रिया में कर्ता सोच-विचार नहीं करता, यह मानना त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक है। मुखिया को भेट देने के सम्बन्ध में कर्ता विचार करता है कि अगर अच्छी भेट दी जायेगी तो मुखिया भेटकर्ता को भविष्य में सहायता करेगा। अगर भेट नहीं देगा तो मुखिया ऐसे व्यक्तियों से रूठ हो जायेगा तथा भविष्य में भी तग कर सकता है। इस प्रकार से ही पारम्परिक क्रिया का प्रकार, वेबर द्वारा प्रतिपादित क्रिया का प्रकार निरर्थक, आधारहीन और त्रुटिपूर्ण है।

7. अपूर्ण वर्गीकरण (Incomplete Classification)—वेबर द्वारा निर्मित और प्रतिपादित सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण अपूर्ण है। यह सभी प्रकार की क्रियाओं के प्रकारों को अपने वर्गीकरण में समेटने में असमर्थ रहा है। यही कारण है कि वेबर ने एक स्थान पर स्वयं लिखा है कि क्रिया के और भी प्रकार बनाये जा सकते हैं। पारसनस ने सामाजिक क्रिया के प्रकार के अनेक आधार तथा प्रकार प्रतिपादित करके सिद्ध कर दिया है कि वेबर का वर्गीकरण अपूर्ण है।

8. अस्पष्ट वर्गीकरण (Ambiguous Classification)—मैक्स वेबर का क्रिया का वर्गीकरण अस्पष्ट तथा गत्यात्मक है। अपने तार्किक क्रिया, मूल्य-अभिमुखी क्रिया, भावात्मक क्रिया और पारम्परिक क्रिया की व्याख्याओं में बार-बार लिखा है कि एक प्रकार की क्रिया किस प्रकार से दूसरे प्रकार की बन जाती है। यह स्पष्ट करता है कि आपके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण स्थिर या स्थाई नहीं है जो इस वर्गीकरण की बड़ी भारी कमजोरी है।

9. व्याख्यात्मक सिद्धान्त नहीं है (Not an Explanatory Theory)—कोहन का कहना है कि क्रिया का सिद्धान्त व्याख्यात्मक सिद्धान्त नहीं है। आपका कहना है कि यह सिद्धान्त जो व्याख्या करता है, वह घुमावदार या पुनरुक्त है। सामाजिक क्रिया क्रिया का परिणाम है और क्रिया का संचालन परिस्थिति करती है। बात को सीधी-सपाट या स्पष्ट वर्णन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है। घुमावदार रूप में वर्णन किया गया है जो इसकी कमी है।

10. सामान्यीकरण करने में असमर्थ (Incapable to Generalize)—क्रिया का सिद्धान्त लघु-स्तरीय सिद्धान्त है। समाज की विशेषताएँ ऐसा सामान्यीकरण करने में बाधा पैदा करती हैं। मर्टन, कोहन आदि समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि समाज का सामान्यीकरण न तो लघु-स्तरीय सिद्धान्त कर सकते हैं और न ही वृहद् स्तरीय सिद्धान्त। इसी सन्दर्भ में मैक्स वेबर का क्रिया का सिद्धान्त लघु-स्तर पर तो सामान्यीकरण एक सीमा तक कर सकता है, परन्तु समाज का वृहद् स्तर पर सामान्यीकरण करने में इनका सिद्धान्त सक्षम नहीं है।

निष्कर्षतः मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त समाजशास्त्र को एक महान् देन है जिसने समाज को समझने, अध्ययन करने आदि में नये आयाम प्रस्तुत किये हैं।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

1. वेबर द्वारा 'प्रतिपादित सामाजिक क्रिया' सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
2. वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएँ बताइये।
3. सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त के प्रमुख अभिग्रहो (Assumptions) की व्याख्या कीजिए।
4. सामाजिक क्रिया के प्रमुख प्रकार मैक्स वेबर ने कौन-कौनसे बताये हैं? इनकी उदाहरण सहित विवेचना कीजिये।
5. मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाओं का वर्णन कीजिये।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

- 1 "समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक सम्बन्धो तथा कृत्यो का अध्ययन है।"
- 2 वेबर ने सामाजिक क्रिया के कौन-कौनसे प्रकार बताए हैं? किसी एक को व्याख्या कीजिए।
- 3 तार्किक क्रिया
- 4 मूल्य-अभिमुख तार्किक क्रिया
- 5 भावात्मक क्रिया
- 6 पारम्परिक क्रिया

7. वेबर का क्रिया का सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक है।

8 क्रिया के सिद्धान्त के किन्हीं दो अभिग्रहों का वर्णन कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनॉमिक ऑर्गनाइजेशन' किसने लिखी है?
 

(अ) मार्क्स	(ब) पारसन्स
(स) कोहन	(द) वेबर

[उत्तर- (द)]
2. "क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनके साथ क्रिया करने वाला व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जोड़ता है।"
 

उपर्युक्त कथन किसका है?

(अ) ए एम हेन्डरसन	(ब) पारसन्स
(स) मैक्स वेबर	(द) कोहन

[उत्तर- (ब)]
3. मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं?
 

(अ) दो	(ब) पाँच
(स) तीन	(द) चार

[उत्तर- (द)]
4. सामाजिक क्रिया के चार प्रकार—तार्किक, मूल्य-अभिमुखी तार्किक, पारम्परिक और भावात्मक क्रियाएँ किसने बताई हैं?
 

(अ) मार्क्स	(ब) दुर्खीम
(स) पारसन्स	(द) वेबर

[उत्तर- (द)]
5. निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए—
  - (1) 'दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनॉमिक ऑर्गनाइजेशन' के लेखक मार्क्स हैं।
  - (2) मैक्स वेबर ने क्रिया के प्रमुख चार प्रकार बताए हैं।
  - (3) तार्किक-क्रिया तार्किक या विवेक-अभिमुखी होती है।
  - (4) भावात्मक क्रियाएँ वे होती हैं जिनका चयन तथा पूर्ण करने की प्रक्रिया आदि का निर्णय कर्ता की भावनाओं और उद्देश्यों के द्वारा होता है।
  - (5) आलोचकों के अनुसार वेबर द्वारा प्रतिपादित क्रिया का पारम्परिक प्रकार निरर्थक, आधारहीन और त्रुटिपूर्ण है।
  - (6) तार्किक क्रिया में लक्ष्य एवं साधन दोनों का चयन तर्कपूर्ण होता है।

[उत्तर- सत्य कथन— 2, 3, 4, 5, 6]

## अध्याय-7

### मैक्स वेबर : 'नौकरशाही' (Max Weber : Bureaucracy)

मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्रीय लेखों में नौकरशाही को अत्यधिक महत्व दिया है। 19 वीं सदी के अन्य विद्वानों ने भी समय-समय पर नौकरशाही के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं किन्तु मैक्स वेबर ऐसे प्रथम विचारक थे, जिन्होंने अन्य विद्वानों के समान नौकरशाही को उत्पत्ति और कार्यों का मात्र विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि उसका व्यवस्थित अध्ययन भी प्रस्तुत किया। 'नौकरशाही' शब्द अंग्रेजी के ब्यूरोक्रैसी (Bureaucracy) तथा फ्रांसीसी भाषा के 'ब्यूरो' (Bureau) से निष्पन्न है, जो 'मेज' अथवा डेस्क (Desk) का अर्थ प्रदान करता है। 'ब्यूरो' का अंग्रेजी अर्थ 'कार्यालय' भी है और 'ब्यूरोक्रैसी' का अर्थ है, 'अधिकारी-तन्त्र' अथवा 'अधिकारियों का शासन'। इस प्रकार 'ब्यूरोक्रैसी' शब्द 'कर्मचारी-तन्त्र', 'संरक-तन्त्र' आदि अर्थों में भी प्रयुक्त होता है।

नौकरशाही के सम्बन्ध में अनेक विवाद मिलते हैं व पर्याप्त अस्पष्टता भी मिलती है। लोग इसे किसी अनुचित बान में सम्बन्धित मानते हैं किन्तु मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रशासनिक एवं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था माना है इसीलिए इनका अध्ययन विद्वतापूर्ण माना जाता है।

वास्तव में 'नौकरशाही' प्रशासन की एक ऐसी विधि है जिसमें कार्यों का स्पष्ट विभेदीकरण मिलता है अर्थात् इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर स्पष्ट तरीके से व्यक्तियों का चयन किया जाता है और विभिन्न पदों पर उन्हें सुशोभित किया जाता है और उस पद के अनुरूप भूमिका निर्वाह की उनमें अपेक्षा की जाती है। इन पदों में 'सम्तरणात्मक व्यवस्था' पाई जाती है। सभी अधिकारी अपने-अपने पद का निवाह उत्तरदायित्वपूर्ण भावना से करते हैं।

#### मैक्स वेबर का नौकरशाही तन्त्र (Max Weber's Bureaucracy)

'नौकरशाही' को अनेक विद्वानों द्वारा अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

नौकरशाही की परिभाषाएँ (Definitions of Bureaucracy)—

1. कोजर एवं रोजनवर्ग ने अपनी कृति 'सोशियोलॉजिकल थ्योरिज' में नौकरशाही को इस प्रकार परिभाषित किया है—“नौकरशाही को एक प्रकार के 'सम्तरणात्मक संगठन' के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासकीय कार्यों को चलाने के काम में अनेक व्यक्तियों के कार्यों को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। समाजशास्त्री 'नौकरशाही' शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की

सरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अन्तर्गत तर्कसंगत रूप में समन्वित असमानों (Rationally Co-ordinated Unequals) का एक विशिष्ट सगठन होता है।"

2. कार्ल फैड्रिक्स के मत में, "नौकरशाही-तन्त्र उन लोगों के पद-सोपान, कार्यों के विशेषीकरण एवं उच्च स्तरीय क्षमता में युक्त सगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए विशेषतः प्रशिक्षित किया जाता है।"

3. बर्नार्ड शा के मत में, "सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की समन्तशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है।"

4. जान. ए. वीका के शब्दों में, "नौकरशाही उन व्यक्तियों के लिए सामूहिक पद के रूप में प्रयुक्त होता है जो सरकार की सेवाओं में होते हैं।"

5. पीटर ब्लान्क के मत में, "कोई भी ऐसा सगठन जो विस्तृत आधार पर प्रशासकीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में चलाने के लिए बहुत-से व्यक्तियों के कार्यों के द्वारा समन्वित होता है, नौकरशाही कहलाता है।"

6. विक्टर थॉमसन के मतानुसार, "नौकरशाही सगठन में अत्यधिक स्पष्ट श्रम-विभाजन द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट सत्ता का पद-सोपान होता है।"

7. ब्लान्क और मेयर ने नौकरशाही सगठन में विशेषीकरण, सत्ता का पद-सोपान, नियमों की व्यवस्था एवं अवैयक्तिकता आदि विशेषताएँ बताई हैं।

8. ग्लेडन नौकरशाही को अधिकारियों का शासन मानते हैं।

9. मैक्स वेबर के शब्दों में नौकरशाही तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित है। इसमें अधिकार, सत्ता तथा उत्तरदायित्वों का सस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार के सगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें लिखित नियम होते हैं तथा इसमें विभिन्न व्यक्तियों से कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार वेबर का मत है कि नौकरशाही सगठन के विशुद्ध प्ररूप (Pure Type) की परिभाषा नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं में निहित है—ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर यह व्यवस्था कार्य करती है।

### नौकरशाही-तन्त्र की विशेषताएँ (Characteristics of Bureaucracy)

वेबर नौकरशाही-तन्त्र में तार्किक नियमों की व्यवस्था को स्वीकारते हैं। उनका यह भी मानना है कि जहाँ कानून का शासन पाया जाता है वहाँ नौकरशाही तन्त्र कुछ सिद्धान्तों से निर्देशित होता है। मैक्स वेबर द्वारा लिखित "ऐसेज इन सोशियोलोजी" (अनुवादक एच एच गर्भ) में नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएँ मानी गई हैं—

1. प्रशासकीय नियम (Administrative Law)—एक प्रशासकीय ढाँचे में प्रशासकों एवं कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र निश्चित तरीके से विभाजित कर दिए जाते हैं और सामान्यतः यह विभाजन प्रशासकीय नियमों के अनुरूप पूर्ण किया जाता है। इस प्रशासकीय सगठन के तीन तत्त्व हैं—

(11) प्रशासनिक-तन्त्र के लिए अनिवार्य नियमित कार्यक्षेत्रों को एक निश्चित ढंग से राजकीय-कर्तव्यों के रूप में विभाजित कर दिया जाता है अर्थात् कुछ विशिष्ट

प्रकार के कार्य करने के प्रत्येक अधिकारी के कार्यकलाप राजकीय कर्तव्य के रूप में विभक्त होते हैं।

(1.2) इन निर्धारित कार्यों को करने के लिए अधिकारी को आवश्यक सत्ता या अधिकार प्रदान किए जाते हैं अर्थात् एक अधिकारी की सत्ता नियमों द्वारा परिसीमित होती है कि वह किसी सीमा तक बल-प्रयोग आदि उपायों को काम में लेते हुए आवश्यक निर्देशों को परिपालना करा सकता है।

(1.3) इन कर्तव्यों के निरन्तर एवं नियमित रूप से पालन करने के लिए एक उचित व्यवस्था होती है और जो व्यक्ति कार्य करने की आवश्यक नियमानुसार योग्यता रखते हैं, उन्हें को नौकरी में रखा जाता है।

सरकारी क्षेत्र में उपर्युक्त तीनों तत्वों को सम्मिलित करके ही नौकरशाही सत्ता का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नौकरशाही की व्यवस्था का पूर्णतया विकसित स्वरूप केवल आधुनिक राज्यों में ही देखा जा सकता है।

2. संस्तरण-व्यवस्था (Hierarchical Order)—नौकरशाही संगठन का दूसरा सिद्धान्त यह होता है कि इसमें अधिकारी एवं उनकी सत्ता का एक संस्तरण देखने को मिलता है अर्थात् इसमें सत्ता का विभाजन एक निश्चित पद के अनुरूप होता है। उच्च अधिकारियों के अधीन निम्न कर्मचारी कार्यरत रहते हैं किन्तु इस व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न पदाधिकारियों के फैसले के विरुद्ध उच्च अधिकारियों के पास अपील की जा सकती है। इस प्रकार की संस्तरणात्मक अथवा उतार-चढ़ाव की व्यवस्था समस्त नौकरशाही संरचनाओं में पाई जाती है।

3. साधन (Means)—सभी अधिकारी अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के मालिक स्वयं नहीं होते हैं। सरकारी तंत्र द्वारा उन्हें साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिनका नियमानुसार प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी आय और व्यक्तिगत आय एक-दूसरे से अलग रखी जाती है।

4. लिखित दस्तावेज (Written Records)—नौकरशाही कार्यालयों का कार्य-संचालन फाइलों अथवा लिखित दस्तावेजों के माध्यम से किया जाता है जिन्हें पूर्णतया सुरक्षित रखा जाता है। इन कार्यों को करने के लिए व फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए क्लर्क, फाइल-कीपर आदि नियुक्त किए जाते हैं तथा विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग फाइलें बनाई जाती हैं।

5. प्रशिक्षण (Training)—आधुनिक नौकरशाही में कार्यालयों में कार्य विशेषीकृत रूप में होता है। इसलिए कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात् सभी कार्यालयों में (सरकारी अथवा निजी) काम-काज करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

6. अधिकारियों की विशेष-स्थिति (Special Status of Officers)—बड़े-बड़े कार्यालयों में काम को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अधिकाधिक काम करना पड़ता है, चाहे उनके कार्य करने की अवधि निश्चित ही क्यों न हो। यही कारण है कि बड़े-बड़े कर्मचारी निश्चित समय के उपरान्त भी कार्यालय में बैठे रहते हैं। यहाँ एक प्रकार से अपने से बड़े अधिकारी को अपने काम से खुश करके पदोन्नति प्राप्त करने का भी तरीका है।

7. कार्यालय का प्रबन्ध (Management of the Office)—कार्यालय का प्रबन्ध कुछ सामान्य नियमों के अनुसार होता है जिन्हे सीखा जा सकता है। कार्यालय के अधिकारीगण उस रूप में शिक्षित होते हैं।

वेबर के अनुसार इन उपर्युक्त वर्णित विशेषताओं के कारण नौकरशाही के अधिकारियों की स्थिति निम्न प्रकार की होती है—

**नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति (Special Status of Officials in Bureaucracy)**

1 कार्यालय का काम अधिकारियों के लिए एक पेशे की तरह होता है क्योंकि कार्यालय में कार्य करने के लिए वे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ पास करनी पड़ती हैं और इन योग्यताओं के आधार पर ही अधिकारियों की स्थिति निर्धारित होती है। वेबर का कहना है कि नौकरशाही संगठन में कार्य करने का अर्थ सुरक्षित जीवन के बदले में ईमानदारी के साथ प्रबन्ध के उत्तरदायित्व को ग्रहण करना है अर्थात् इसमें व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है।

2 नौकरशाही में अधिकारियों की व्यक्तिगत स्थिति इस प्रकार की होती है कि—

2.1. नौकरशाही में कर्मचारियों को साधारण लोगों की तुलना में अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

2.2. नौकरशाही में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को नियुक्ति उच्च पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। अतः कार्यालय में उन्हे उच्च अधिकारियों के अधीन कार्य करना होता है व उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। आवश्यक परीक्षा पास करने पर निम्न पदाधिकारी उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी पदाधिकारियों का चुनाव उनकी तकनीकी योग्यता के आधार पर न होकर उनकी पूर्व-सेवाओं के आधार पर होता है।

2.3. नौकरशाही-तन्त्र के अन्तर्गत प्रायः नौकरी स्थाई होती है। कुछ नियुक्तियाँ अस्थायी भी होती हैं जिसमें कर्मचारी को निश्चित अवधि के बाद कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। नौकरशाही में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण भी किया जा सकता है। साथ ही कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की कानूनी व्यवस्थाएँ भी होती हैं।

2.4. कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित अवधि—प्रायः एक माह के अनन्तर वेतन के रूप में निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। अवकाश ग्रहण करने पर वह पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी होता है। वेतन का निर्धारण पद के अनुरूप होता है।

2.5. नौकरशाही-तन्त्र में प्रत्येक कर्मचारी निम्नतम पद व वेतन से उच्चतम पद व वेतन पर पहुँच सकता है यह उसकी योग्यता व अनुभव पर निर्भर करता है।

2.6. नौकरशाही में कार्य को नियमित वेतन, पदोन्नति अथवा वेतन-वृद्धि के रूप में पुरस्कृत भी किया जा सकता है।

8. प्रशासन के साधनों का केन्द्रीयकरण (Centralization of Administrative Means)—वेबर ने केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय, सरकार, सेना,

राजनैतिक एव बड़े पैमाने के सगठनों में क्रियाशील बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही संगठनों का आकार बढ़ता जाता है इन सगठनों को भली-भाँति संचालित करने के लिए, उन्हें स्वतंत्र व्यक्तियों से छीनकर सत्ताधारी वर्ग के हाथों में सौंप दिया जाता है क्योंकि वे स्रोत व्यक्तियों की वित्तीय क्षमता से रहित होते हैं। पहले उत्पादन, प्रशासन एवं योग्यता सभी वैयक्तिक स्तर पर मान्य थे किन्तु केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया में उन्हें अलग कर दिया गया। अनुसन्धान सम्बन्धी सुविधाएँ विशिष्ट विद्वान से अलग हो गईं।

### 9. कुशल व्यक्तियों का प्रशासन (Administration by Efficient Persons)

—नौकरशाही को एक विशेषता यह होती है कि इसमें प्रशासन कुशल व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाता है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें वैयक्तिक स्तर पर अलग-अलग निर्णय नहीं लिए जाते। सत्ता का प्रयोग नियमानुसार किया जाता है और सभी व्यक्ति जो सत्ता से सम्बन्ध रखते हैं वैधानिक रूप से समान होते हैं। प्रायः नौकरशाही में दक्ष व्यक्तियों का प्रशासन होता है जो आज के समय में शैक्षणिक से जुड़ गया है क्योंकि अब नियुक्तियों का आधार शैक्षिक-प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों ने ले लिया है।

10. अवैयक्तिक (Impersonal)—आधुनिक समय में अधिकारी किसी विशेष तथ्य पर निर्णय लेते समय वैयक्तिकता पर ध्यान न रखकर अवैयक्तिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं—यह नौकरशाही की विशेषता है। इस प्रशासन की श्रेष्ठता की कसौटी यही है कि इसमें अधिकारी अपनी शक्ति को बनाए रखने के साथ-साथ उन्हें बढ़ाने के प्रति भी सदैव सचेष्ट रहते हैं क्योंकि इसमें अवैयक्तिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। यह विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।

11. तकनीकी श्रेष्ठता (Technical Superiority)—नौकरशाही-तन्त्र की यह भी विशेषता है कि इसका सगठन तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। इसकी कुछ विशेषताएँ, जैसे—लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरन्तरता, विवेक, कार्यसंचालन की सार्वभौमिकता आदि प्रशासन के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक श्रेयस्कर हैं। इसी कारण इसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

12. व्यावहारिक दृष्टि से नौकरशाही सत्ता स्थाई है (Bureaucratic Authority is Stable from Behaviouristic view-point)—वेबर ने इस तथ्य पर आग्रह किया है कि नौकरशाही का स्वरूप स्थाई तथा अविनाशी है। इसमें अधिकारी अपने साधियों के साथ इस रूप में सम्बद्ध रहता है कि नौकरशाही सगठन की निरन्तरता बनी रहती है। आज के समय में सार्वजनिक मामले कुशल प्रशिक्षण, विशेषीकरण एवं प्रशासनिक कार्यों के समन्वय पर टिके होते हैं इसीलिए राज्य में आज नौकरशाही के माध्यम से ही कार्य सम्पन्न हो रहा है। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि नौकरशाही का स्वरूप अविनाशी एव अपरिहार्य है।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नौकरशाही-तन्त्र में प्रशासनिक नियम होते हैं, सत्ता का विभाजन होता है, लिखित फाइल होती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, कानून के अनुसार कार्य होता है और पदाधिकारी अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं।



## नौकरशाही के कारण (Causes of Bureaucracy)

वेबर के मत में नौकरशाही कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है। ये कारण निम्नलिखित हैं—

(1) मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था नौकरशाही के विकास में पर्याप्त महायक रही है।

(2) मुद्रा-प्रचलन से पहले अधिकारियों को मुद्रा के बदले में वस्तुएँ दी जाती थीं किन्तु समय के साथ-साथ जैसे ही मुद्रा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा। मुद्रा के अधिक प्रचलन से सब अधिकारी अब वेतन-भोगी हो गए।

(3) प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के कारण तथा बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप भी नौकरशाही का विकास हुआ है।

(4) आधुनिक समय में प्रशासन के क्रिया-कलापों में अत्यधिक वृद्धि के कारण जटिलता आने लगी है, इसके कारण नौकरशाही में भी वृद्धि होने लगी है।

(5) गुणात्मक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रशासकीय-कार्यों का अत्यधिक विकास हो रहा है, जिनके लिए नौकरशाही-व्यवस्था का विकास भी स्वयं ही हो गया है।

(6) आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था का भी नौकरशाही के विकास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

## नौकरशाही-तन्त्र के स्थाई लक्षण (Permanent Characteristics of Bureaucracy)

(1) नौकरशाही-तन्त्र का एक प्रमुख लक्षण यह है कि एक बार इसके स्थापित हो जाने के उपरान्त पुनः इसे हटाना असम्भव है।

(2) जो व्यक्ति एक बार भी इस व्यवस्था का अंग बन चुका होता है, वह कभी भी इससे मुँह नहीं मोड़ सकता।

(3) कानूनों को परिपालना करना व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है।

(4) यह तन्त्र एक प्रकार से शक्ति के सम्बन्धों का मामाजीकरण करता है इस कारण यह एक सशक्त साधन बन जाता है।

(5) नौकरशाही-तन्त्र एक साधन है जो सामुदायिक क्रिया के रूप में सामाजिक-क्रिया पर विवेक अथवा कुशलता के साथ कार्य करता है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि यदि एक बार नौकरशाही की समूल स्थापना हो गई, तो इसे हटाना सम्भव नहीं है।

## नौकरशाही संगठन के तकनीकी लाभ (Technical Advantages of Bureaucracy)

(1) नौकरशाही संगठन तकनीकी दृष्टि से अन्य संगठनों की तुलना में अधिक श्रेयस्कर है।

(2) गति, स्पष्टता, फाइलो का ज्ञान, निरन्तरता, स्वेच्छा, स्पष्टता, कठोर अधीनस्थता, संघर्ष में कमी व एकता आदि इसके अनेक लाभ हैं जो अन्य संगठनों में नहीं मिलते हैं।

(3) इसमें विशिष्ट-प्रशासन पाया जाता है।

(4) इसमें जो विषय-विशेषज्ञ होते हैं वे निष्पक्ष कार्य करते हैं।

(5) नौकरशाही संगठन का कानून से भी सम्बन्ध होता है। नौकरशाही में औपचारिकता, समानता व योग्यता की परख आदि विशेष गुण होते हैं, जो कानून में भी पाये जाते हैं इस कारण कानून के साथ इसका अच्छा समीकरण बैठ जाता है। इसमें गणना योग्य कानून पाया जाता है।

(6) तकनीकी लाभ के अतिरिक्त नौकरशाही-तन्त्र का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसके द्वारा सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को समाप्त किया जा सकता है—नौकरशाही संगठन के विकास के कारण ही परम्परागत सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं में अब कुछ कमी होती जा रही है।

### नौकरशाही-व्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक परिणाम (Social and Economic Consequences of Bureaucracy)

मैक्स वेबर ने नौकरशाही-व्यवस्था के परिणामों को पाश्चात्य देशों के सन्दर्भ में ही देखा है किन्तु इसके परिणाम इस तथ्य पर अधिक निर्भर करते हैं कि उनका उपयोग किस दिशा में हो रहा है। वेबर इस तन्त्र को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और आज के युग में यह बहुत शक्तिशाली तन्त्र हो भी रहा है। नौकरशाही की यह विशेषता है कि इसमें पदाधिकारी विशेषज्ञ होते हैं इस कारण राजनैतिक व आर्थिक, सभी संगठन इसके समक्ष विवश हो जाते हैं। यह व्यावसायिक श्रेष्ठता को भी बनाए रखता है। यह सब प्रकार के सक्षम व समर्थ तन्त्र है।

नौकरशाही-तन्त्र के परिणाम आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों में स्पष्ट रूप से दृश्य हैं।

पूँजीवादी-व्यवस्था और नौकरशाही का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। आधुनिक बड़े-बड़े पूँजीवादी उद्योग-धन्धे नौकरशाही के ज्वलन्त उदाहरण हैं। मैक्स वेबर का यह मानना है कि शासन में प्रजातन्त्र व्यवस्था के परिणामस्वरूप नौकरशाही का विकास हुआ है, इस दृष्टि से प्रजातन्त्र और नौकरशाही घनिष्ठ रूप में परस्पर सम्बन्धित हैं। प्रजातन्त्र में सभी लोग समान माने गए हैं और ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त करने का सभी को अधिकार है। नौकरशाही की उत्पत्ति और विकास के लिए ये परिस्थितियाँ सहायक सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार उसका एक परिणाम यह निकला कि जैसे-जैसे राजनैतिक दलों का स्वरूप प्रजातन्त्रीय बनता गया, वैसे-वैसे उनकी संरचना भी नौकरशाही में परिवर्तित होती गई। नौकरशाही-तन्त्र के द्वारा प्रशासनिक कार्यों को सुचारुरूपेण चलाया जा सकता है इस दृष्टि से इसका एक परिणाम यह निकला है कि यह अन्य संगठनों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है।

मैक्स वेबर ने इस व्यवस्था की श्रेष्ठता को आधुनिक समाज के आर्थिक विकास में भी स्वीकारा है। नौकरशाही का आधार विवेक (Rationality) है और वेबर के विशेषीकरण के सम्प्रत्यय का महत्त्वपूर्ण प्रयोग नौकरशाही-व्यवस्था में देखने में आता है। नौकरशाही-व्यवस्था को वेबर की विवेकी क्रिया (Rational Action) का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। विवेकी क्रिया में साधन, लक्ष्य, नियम व तथ्य आदि की प्रमुखता रहती है, जो

इस तन्त्र की भी विशेषताएँ कही जा सकती हैं। इसी कारण इस तन्त्र का सर्वाधिक लाभ सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसने अविवेकपूर्ण दमन को समाप्त किया है। वेबर ने नौकरशाही संगठन के प्रकार्यात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया है और विशेषज्ञता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता व कार्यकुशलता आदि इसकी विशेषताएँ मानी हैं। इस प्रकार नौकरशाही-तन्त्र के लाभ सभी पक्षों में स्पष्टतया देखे जा सकते हैं।

### नौकरशाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Bureaucracy)

वेबर के नौकरशाही-संगठन के आधार पर प्रशासकीय कार्यों का भली-भाँति संचालन किया जा सकता है और इसे अन्य प्रशासनों की तुलना में श्रेयस्कर विधि कहा जाता है, फिर भी यह संगठन अपने अभीष्ट लक्ष्यों की पूर्ति करने में कहीं तक सफल हुआ है इस दृष्टि से इसका मूल्यांकन करना आवश्यक है।

रोबर्ट के. मर्टन ने अपनी कृति "सोशियल थ्योरी एण्ड सोशियल स्ट्रक्चर" में नौकरशाही व्यवस्था के अलाभकारी कार्यों (Dysfunctions of Bureaucracy) की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। नौकरशाही व्यवस्था में विशिष्टता और नियम-बन्धन लोगों को यत्रवत् कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं।

आधुनिक युग में नौकरशाही व्यवस्था अत्यधिक प्रचलित हो गई है। इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) प्रशिक्षित अयोग्यता (Trained Incapacity)—मर्टन ने वैबलेन की अवधारणा—प्रशिक्षित अयोग्यता का उल्लेख करते हुए कहा है कि नौकरशाही-व्यवस्था में विशिष्टता और नियम-बन्धन लोगों को योग्यता को अवरुद्ध कर देते हैं अर्थात् अधिकारों की क्षमताएँ उसकी कमियाँ बन जाती हैं। प्रशिक्षण प्राप्त निपुण व योग्य व्यक्ति जो कभी समस्त कार्यों को सफलता से पूर्ण किया करता था, वर्तमान परिस्थितियों में कुंठित हो जाता है। यह इसका एक अवगुण है।

(2) व्यावसायिक मनस्ताप या विकृति (Occupational Psychosis or Deformation)—मर्टन ने डेवी के विचार व्यावसायिक मनस्ताप एवं चारनांट की व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही का एक दुष्प्रभाव यह बताया है कि इस व्यवस्था में नियमों के बन्धन इतने कठोर हो जाते हैं कि लोगों को अपने व्यवसाय के प्रति मानसिक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है।

(3) रचनात्मक अतिसमरूपता (Structural Sources of Over-Conformity)—मर्टन ने रचनात्मक अतिसमरूपता से निम्न कमियों का भी उल्लेख किया है। नौकरशाही, ये, नियमों, की, कठोरता, से, पालना, की, जाती, है। इसका, परिणाम, यह, होता, है, कि अधिकारियों में उद्देश्य-विहीनता आ जाती है, वे परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं कर पाते और धीरे-धीरे दक्षता के स्थान पर उनमें अयोग्यता का विकास हो जाता है।

(4) औपचारिकता (Formality)—नौकरशाही में औपचारिकताओं पर ध्यान केन्द्रित रहता है जिनके कारण कार्य की गति धीमी हो जाती है और समय और वित्त का दुरुपयोग होता है। विशिष्ट परिस्थितियों के समय भी किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं होने से कभी-कभी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि नियमों के बन्धनों की औपचारिकता परिस्थितियों से समझौता नहीं करने देती।

(5) यंत्रवत् कार्य (Mechanical Work)—नौकरशाही की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती है कि इसमें पदाधिकारी एक ही पद पर बहुत समय तक कार्य करते-करते लकीर के फकीर हो जाते हैं। वे केवल यंत्रवत् कार्य करते रहते हैं और उनमें नए-नए प्रयोग करने की क्षमताएँ नष्ट हो जाती हैं। अधिकारीगण परिवर्तित परिस्थितियों से भी कोई अनुकूलन नहीं कर पाते, केवल बनाए गए प्रशासनिक नियमों के अनुसार कार्य करना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, परिवर्तित परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे अक्षम होते हैं।

(6) लचीलेपन का अभाव (Lack of Flexibility)—नौकरशाही का एक दुर्गुण यह है कि इसमें लचीलेपन का अभाव पाया जाता है। समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारी को जो पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, वह उसी को ध्यान में रखकर कार्यों को करता रहता है किन्तु कभी-कभी नवीन परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदलना भी पड़ता है लेकिन इसमें अधिकारी भूतकालीन प्रशिक्षण के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य रहता है। इस रूप में प्रशिक्षण उसकी असमर्थता बन जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसके अन्तर्गत अधिकारी नियमों का पालन इस सीमा तक करने लगता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में वह किसी नवीन नियम को स्वीकार नहीं करता है और अपने पूर्वकालीन प्रशिक्षण के आधार पर ही निर्णय लेता है इससे उसकी कार्यकुशलता समाप्त हो जाती है व नए प्रयोगों के करने की प्रवृत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं।

(7) लालफीताशाही (Red Tapism)—नौकरशाही का एक दोष यह भी है कि इसमें अधिकारीगण प्रक्रिया की औपचारिकताओं में विश्वास रखते हुए नियमों का कठोरता से पालन करते हैं इससे कार्यों की सम्पन्नता में बाधा पहुँचती है या पर्याप्त विलम्ब हो जाता है। इसमें औपचारिकताएँ इस सीमा तक महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि व्यक्ति लक्ष्य की चिन्ता न करके साधनों को महत्व देने लगता है। वास्तव में लालफीताशाही (Red Tapism) का जन्म निरिचत व्यवस्था, कार्य की निर्धारित गति, प्रगति का क्रम तथा नियमों के सम्पादन आदि के परिणामस्वरूप होता है— इसी कारण इसमें प्रत्येक क्रिया नियमों में अत्यधिक आवद्ध रहती है कि वह अपने अधीनस्थ की किसी प्रकार की सहायता करने में अक्षम रहता है।

(8) विभागीकरण (Departmentisation)—नौकरशाही में सरकार के कार्य पृथक्-पृथक् विभागों या खण्डों में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक विभाग अपने को स्वतन्त्र मानकर अपने अधिकार-क्षेत्र को अपना साम्राज्य मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि वह किसी बड़े समग्र का ही खण्ड है। इस प्रकार नौकरशाही में समाज से पृथक् रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को इन विभागों के सम्पर्क में रहना पड़ता है और ये विभाग अपने को बड़ा समझकर जनता के साथ ताल-मेल नहीं बिठाते हैं।

(9) रुचि का अभाव (Lack of Interest)—नौकरशाही में नियमों के बन्धन, औपचारिकता और परम्परा का समर्थन आदि व्यक्ति के जीवन व व्यवसाय में नीरसता को जन्म देते हैं, यंत्रवत्-कार्य करने से कार्य की प्रक्रिया बड़ी लम्बी और धीमी गति वाली हो जाती है, इस कारण व्यक्ति को कोई उत्साह नहीं रहता है। व्यक्ति में कार्य के प्रति नवीनता व आकर्षण भी समाप्त हो जाता है, उसमें कार्य में पहल करने की क्षमता भी नहीं रहती है और अन्ततः जीवन में नीरसता आ जाती है।

(10) रूढ़िवादिता (Traditionalism)—नौकरशाही-तन्त्र में औपचारिकताएँ एवं नियमबद्धता अधिक होती है जिसके कारण कार्य को परम्परागत तरीके से ही सम्पन्न किया जाता है। कार्यालय की गोपनीयता, प्रक्रियाएँ और परम्पराएँ आदि कार्य की प्रक्रिया को अति मद कर देते हैं। इन सब कारणों से इसके द्वारा जन-सामान्य को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ रूढ़िवादी हो जाती हैं। वे नवीनता व विकास के प्रति विरोधी विचार रखते हैं और परम्पराओं के निर्वाह करने की उनकी आदत हो जाती है।

(11) साध्य की तुलना में साधन का महत्त्व—नौकरशाही सगठन की आलोचना इस रूप में भी की जाती है कि अधिकारी वर्ग नियमों के बन्धन में इस सीमा तक बँध जाते हैं कि जो नियम किसी कार्य को करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे, कुछ समय उपरान्त वे स्वयं लक्ष्य या साध्य बन जाते हैं अर्थात् साधन ही साध्य बन जाते हैं।

(12) अकुशलता (Insufficiency)—नौकरशाही व्यक्ति की कार्यकुशलता को घटा देती है। कर्मचारी यन्त्रवत् कार्य करते-करते अपनी कार्य-कुशलता को दबा लेते हैं। नौकरशाही से सम्बन्धित अधिकारी सामान्य नियमों का जो अर्थ लगाते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं किन्तु कालान्तर में ये नियम अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाते और वह नियम लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं किन्तु अधिकारीगण इस अकुशलता को नहीं जान पाते। इस प्रकार नौकरशाही विशिष्ट स्थितियों में अकुशलता उत्पन्न करती है।

(13) शोध पर आधारित नहीं (Not Based on Research)—नौकरशाही-व्यवस्था का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। वेबर के नौकरशाही से सम्बन्धित विचार उनकी प्रवक्त्रत्व के रूप में हैं। जिस आदर्श प्ररूप का जिक्र वेबर ने किया था, यदि उस प्ररूप को प्यो-का-त्यो किसी सगठन में अपना लिया जाए तो भी सगठन की कार्य-कुशलता की वृद्धि होने में सन्देह है क्योंकि सगठन की कार्य कुशलता का निर्धारण उसके उद्देश्य, कार्यकर्ताओं के तकनीकी स्तर व सगठन के सामाजिक वातावरण आदि पर निर्भर करता है।

इस प्रकार नौकरशाही-तन्त्र की आलोचना अनेक कारणों से की जाती है। अनेक विद्वानों ने इस पर समय-समय पर काफी लिखा है फिर भी इसके सम्बन्ध में अनेक भ्रम लोगों में विद्यमान हैं। लॉर्ड हीवर्ट इसे नवीन निरकुराता का नाम देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण नागरिकों की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है, कुछ के मत में यह शक्ति की भूख होती है और धीरे-धीरे नीति-निर्माण के कार्य पर हावी होती जाती है। वास्तविकता यह है कि उस व्यवस्था में नियमबद्धता व औपचारिकताएँ अधिक होने से लोगों में उत्साह व पहल करने की क्षमता समाप्त हो जाती है व स्वतन्त्र होकर किसी कार्य को करने की भावना समाप्त हो जाती है और कुशलता के स्थान पर अकुशलता का विकास हो जाता है।

यद्यपि नौकरशाही तन्त्र की अनेक कमियाँ हैं फिर भी इसकी प्रकार्यात्मकता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक समय में नौकरशाही-व्यवस्था ने सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में अपना पर्याप्त सहयोग दिया है—उममें जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करके इस व्यवस्था को और कारगर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए नौकरशाही के समुचित विकास के लिए प्रशासन का उचित विकास किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों की कार्य-कुशलता का बढ़ावा मिलना चाहिए तथा परिस्थिति के अनुसार उनमें निर्णय लेने की योग्यता का विकास

किया जाना चाहिए। नौकरशाही संगठन में व्याप्त कमियों को दूर करके इस संगठन में सुचारुरूपेण परिचालन किया जाना चाहिए।

वास्तव में नौकरशाही-तन्त्र वेबर की कार्य-कुशलता का अनोखा प्रमाण है। इसका असाधारण बौद्धिक-योग्यता का भी प्रमाण मिलता है। यह व्यवस्था मौलिक रूप से विवेक पर आधारित है। इसने सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व राजनैतिक सभी क्षेत्रों अपना अपूर्व योगदान दिया है। यही नहीं, आपका यह योगदान क्षेत्र से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए पथ-प्रदर्शक बना रहेगा।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 कर्मचारी-तन्त्र क्या है? वेबर द्वारा दी गई कर्मचारी-तन्त्र की विशेषताओं और कारणों की विवेचना कीजिए।
- 2 नौकरशाही-तन्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए।
- 3 नौकरशाही-तन्त्र के कारणों पर प्रकाश डालिए।
- 4 नौकरशाही तन्त्र के सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बताइए।
- 5 नौकरशाही-तन्त्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
- 6 मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह आधुनिक सरकारी संगठनों को समझने में कहाँ तक सहायक है?

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-

- 1 नौकरशाही पर वेबर के विचार।
- 2 नौकरशाही की किन्हीं चार विशेषताओं को बताइए।
- 3 नौकरशाही की कोई दो परिभाषा दीजिए।
- 4 नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति।
- 5 नौकरशाही के चार प्रमुख कारण बताइए।
- 6 नौकरशाही-तन्त्र के चार स्थाई लक्षण बताइए।
- 7 नौकरशाही संगठन के चार तकनीकी लाभ बताइए।
- 8 नौकरशाही-व्यवस्था के चार सामाजिक-आर्थिक परिणाम बताइए।
- 9 लालफीतशाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 नौकरशाही पर सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय विचार किसने व्यक्त किए?
 

(अ) वेबर	(ब) मार्क्स
(स) दुर्खीम	(द) स्पेन्सर
- [उत्तर- (अ)]

- 2 नौकरशाही में कार्य किस प्रकार के प्रलेखों द्वारा किया जाता है?  
 (अ) लिखित प्रलेख (ब) अलिखित प्रलेख  
 [उत्तर- (अ)]
- 3 नौकरशाही में प्रशासन के साधनों का क्या होता है?  
 (अ) केन्द्रीयकरण (ब) विकेन्द्रीयकरण  
 [उत्तर-(अ)]
- 4 लालफीताशाही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?  
 (अ) पूँजीवाद (ब) नौकरशाही  
 (स) आधुनिकीकरण (द) किसी के लिए भी नहीं  
 [उत्तर-(ब)]
5. ब्यूरोक्रेसी का क्या अर्थ लगाया जाता है?  
 (अ) कर्मचारी-तन्त्र (ब) सेवक-तन्त्र  
 (स) दोनों (द) कोई-सा भी नहीं  
 [उत्तर-(स)]
- 6 निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए—  
 (1) नौकरशाही में पदों का सस्तरण होता है।  
 (2) नौकरशाही का आधुनिक पूँजीवाद के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।  
 (3) नौकरशाही में प्रशासन के साधनों का केन्द्रीयकरण होता है।  
 (4) लालफीताशाही का प्रयोग नौकरशाही के लिए नहीं किया जाता है।  
 [उत्तर सत्य कथन— (1), (3)  
 असत्य कथन— (2), (4)]



## अध्याय-8

### मैक्स वेबर : धर्म (Max Weber : Religion)

समाजशास्त्र में मैक्स वेबर के योगदानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आपने द्वारा किये गये धर्म सम्बन्धी अध्ययन को माना जाता है। आपने विश्व के प्रमुख छः धर्मों—हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी धर्म का गहन अध्ययन किया तथा इनकी समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है। वेबर द्वारा किए गए धर्म सम्बन्धी अध्ययन एवं व्याख्याएँ आपकी विश्वविख्यात कृतियों—(1) दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, (2) दा रिलिजन ऑफ चाइना, (3) दा रिलिजन ऑफ इण्डिया और (4) एन्शियण्ट जूडाइज्म में मिलते हैं। ये सभी कृतियाँ जर्मन भाषा में लिखी पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद हैं। आपने विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन धर्म तथा सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक गुण-सम्बन्ध को मालूम करने के लिए किया था। मैक्स वेबर का अनुमान था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में किसी एक कारक को अध्ययन की सुविधा के लिए कारण मान कर अध्ययन किया जा सकता है। परन्तु किसी एक कारक को (जैसा कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिकी को माना है) निर्णायक सिद्ध करना गम्भीर भूल करना है। वेबर के अनुसार समाज में विभिन्न कारक परस्पर एक-दूसरे से बहुत अधिक गुम्फित होते हैं और वे एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मार्क्स ने धर्म का निर्णायक कारक—आर्थिकी को बताया है। मैक्स वेबर ने मार्क्स के इस सामान्योक्ति पर एव निष्कर्ष का परीक्षण विश्व के छः प्रमुख धर्मों को आर्थिकी का कारण मान कर किया तथा सिद्ध कर दिया कि आर्थिक व्यवस्था का निर्णायक धर्म है।

वेबर का प्रमुख उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि समाज में विभिन्न कारक, घटनाएँ, विशेषताएँ आदि परस्पर एक-दूसरे से प्रभावित होती हैं तथा एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। सोरोकिन ने भी लिखा है कि मैक्स वेबर ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से भारत, चीन, प्राचीन विश्व, मध्य काल और वर्तमान समय के आर्थिक संगठनों के लक्षण अपने अपने सम्बन्धित धर्मों, जादू, परम्पराओं अथवा तर्कनापरकता की विशेषताओं से नियंत्रित, निर्देशित, संचालित तथा अनुकूलित होते हैं।

वेबर ने अपने अध्ययनों के आधार पर प्रमुख रूप से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आधुनिक पूँजीवाद सबसे पहिले पश्चिम के देशों में ही क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं आया? इसके लिए आपने विश्व के प्रमुख छः धर्मों के धार्मिक लक्षणों, विशेषताओं, आचार संहिताओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया और धर्म का प्रभाव सामाजिक संगठनों तथा आर्थिकी पर क्या पड़ा, इसका विश्लेषण किया।



## वेबर : धर्म का समाजशास्त्र (Weber : Sociology of Religion)

मैक्स वेबर ने पूर्वी जर्मनी में खेतिहर श्रमिकों और स्टॉक एक्सचेंज का आनुभविक अध्ययन किया। प्रोटेस्टेंट एथिक्स के अध्ययन का स्रोत भी यही था। आपने धर्म के समाजशास्त्र को तीन खण्डों में प्रकाशित किया था जिसमें उपर्युक्त वर्णित अध्ययन तथा कन्फ्यूशियस, हिन्दू, बौद्ध, ईसाई और यहूदी धर्मों का अध्ययन भी सम्मिलित किया है। वेबर द्वारा किए गए धर्मों का अध्ययन समाजशास्त्र में अग्रणी एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। आपका प्रारम्भ में उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का था लेकिन बाद में आपने धर्म के समाजशास्त्र को विकसित तथा स्थापित कर दिया। आपके धर्म के आनुभविक अध्ययन का उद्देश्य यह मालूम करना था कि विभिन्न सभ्यताओं के विकास में धर्म सम्बन्धी कारकों को क्या भूमिका है।

**धर्म के समाजशास्त्र की विषयवस्तु (Subject Matter of Sociology of Religion)**—प्रत्येक धर्म एक विशेष प्रकार के सामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। धर्म के द्वारा उत्पन्न तथा धर्म-जनित अन्तःक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषयवस्तु होती है।

जुलियेन फ्रेण्ड (Julien Freund) ने वेबर के धर्म के समाजशास्त्र की निम्न व्याख्या की है—जब कोई धर्मावलम्बी किसी धर्म के सन्दर्भ में अर्थपूर्ण व्यवहार करता है तो उसका अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र के अन्तर्गत आता है।" फ्रेण्ड लिखते हैं कि धर्म का समाजशास्त्र केवल धार्मिक व्यवहार का मानव को लौकिक गतिविधि के रूप में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र को विशेष प्राथमिकता अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में दी थी। आपने यह अन्वेषण करने का प्रयास किया था कि धार्मिक व्यवहार का प्रभाव आचार और अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है और कैसा पड़ता है। आपकी मान्यता थी कि धार्मिक व्यवहार में तर्कनापरकता और तार्किकता होती है। आपने धार्मिक व्यवहारों के द्वैतीयक प्रभावों को शिक्षा और राजनीति में भी देखने का प्रयास किया था। आपके अनुसार यही सब धर्म के समाजशास्त्र की विषयवस्तु है।

### धर्म के प्रकार (Types of Religion)

वेबर ने धार्मिक व्यवहारों के आधार पर धर्म के निम्न दो प्रकार बताए हैं—(1) मुक्ति धर्म और (2) कर्मकाण्डीय धर्म।

(1) **मुक्ति धर्म या विश्वास मूलकधर्म (Religion of Conviction or Salvation)**—वह व्यवहार जो मोक्ष से सम्बन्धित होता है तथा व्यवहार करने वाले धर्मावलम्बी को यह विश्वास होता है कि अमुक अमुक क्रियाएँ करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी—मुक्ति धर्म कहलाता है। वेबर के अनुसार मोक्ष मार्गीय धर्मावलम्बी निम्न तीन प्रकार की क्रियाएँ करते हैं—

1. मोक्ष मार्गीय धर्मावलम्बी कर्मकाण्डीय या अनुष्ठान सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं। इससे उनके व्यक्तिगत रहस्यो और करिश्मों में वृद्धि हो जाती है।

2. ये धर्मावलम्बी सभी के साथ भाईचारा रखते हैं, स्नेह से देखते हैं, नीतिपूर्ण व्यवहार करते हैं जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान बढ़ जाता है।

3 इन मुक्ति धर्मावलम्बियों का विश्वास होता है कि ऐसा करने से वह मोक्ष के निकट पहुँच जायेंगे। ये स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं। पूर्णता की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं।

वेबर इन मोक्ष प्राप्त करने वाले धर्मावलम्बियों को सामान्य जीवन से उच्च तथा असाधारण धार्मिक जीवन से निम्न अर्थात् मध्यम स्थिति वाला मानते हैं। ये अनुयायी न तो पूर्णरूप से संसार से पृथक् हो पाते हैं और न ही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति रहस्यपूर्ण या करिश्माई बन जाते हैं। वेबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए किए प्रयास एवं क्रियाओं के जो प्रभाव अर्थव्यवस्था, नैतिकता तथा राजनीति पर पड़ते हैं वे धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत आते हैं।

(2) कर्मकाण्डीय धर्म (Ritualistic Religion)—वेबर के अनुसार इस धर्म के अन्तर्गत लौकिक व्यवहार आते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्मकाण्डी होता है तथा दुनिया के क्रियाकलापों को स्वीकार करता है तथा उनसे अनुकूलन भी करता है। चीन का कन्फ्यूशियस धर्म कर्मकाण्डीय है। इस धर्म की परम्पराओं की बाध्यता इतनी कठोर होती है कि व्यक्ति की नैतिकता पूर्ण रूप से धार्मिक व्यवहारों तक सीमित होकर रह जाती है। इन अनुयायियों के लिए दुनिया का अर्थ द्वैतीयक हो जाता है एवं कर्मकाण्ड तथा लौकिक व्यवहार प्राथमिक हो जाते हैं। गैर धार्मिक लौकिक हो जाते हैं। धार्मिक संस्कार इनके लिए मात्र संस्कार होते हैं। ये धर्मावलम्बी धर्म के रहस्य को भूल जाते हैं। यहूदी धर्म में भी कर्मकाण्डीय व्यवहार देखे जा सकते हैं। कर्मकाण्डीय धर्म ऐसे हैं जो एक सम्प्रदाय की तरह से स्थापित होते हैं और इनके विश्वास तथा धारणाएँ रूढ़िवादी होती हैं।

## धर्म एवं संघर्ष (Religion and Conflict)

वेबर ने धर्म से उत्पन्न होने वाले संघर्षों के निम्न छः प्रकार बताए हैं—

(1) सामाजिक संघर्ष (Social Conflict)—मुक्ति धर्म के कारण समाज में संघर्ष पैदा हो जाते हैं क्योंकि यह धर्म अनुयायियों को पारलौकिक क्रिया एवं व्यवहार करने के लिए कहता है। यह धर्म अवतारी होता है। अपने बन्धु बान्धवों को त्यागने की सलाह देता है। अनुयायियों को सार्वभौमिक दान देने के लिए बाध्य करता है। ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों को ऐसा करने का आदेश दिया था। इससे मोक्ष धर्म पालक का अपने सम्बन्धियों तथा अन्य लोगों से मन-मुटाव तथा झगड़ा हो जाता है जो बाद में संघर्ष का रूप धारण कर लेता है।

(2) आर्थिक संघर्ष (Economic Conflict)—मुक्ति धर्म तथा अनेक धर्म आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष पैदा करते हैं। अनेक धर्म ब्याज लेना पाप मानते हैं। दान देने को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नतम आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए जीवन निर्वाह करने का प्रवचन देते हैं। धर्म अनेक व्यवसायों को करना पाप मानता है तथा उन्हें निषिद्ध कर देता है। इस प्रकार से आधुनिक समय में धर्म के ये निबन्ध तथा मान्यताएँ कदम-कदम पर संघर्ष पैदा कर देते हैं। वेबर के अनुसार हिन्दू, बौद्ध, कन्फ्यूशियस और इस्लाम धर्म आधुनिक पूँजीवाद का विरोधी है क्योंकि इन धर्मों के अनुसार ब्याज लेना, धन संचय करना आदि पाप है। ये मूल्य पूँजीवाद के विरोधी हैं।

(3) राजनैतिक संघर्ष (Political Conflict)—राजनैतिक संघर्ष का कई बार कारण धर्म होता है। अनेक धार्मिक युद्ध इसके प्रमाण हैं। साम्प्रदायिक झगड़े, भारत का विभाजन, हिन्दू-मुसलमानों का झगडा आदि इसके उदाहरण हैं।

(4) सांस्कृतिक संघर्ष (Cultural Conflict)—कला के क्षेत्र में धर्म के कारण संघर्ष पैदा हो जाते हैं। अनेक धर्म नृत्य, संगीत और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी होते हैं। जो धर्म मूर्ति-पूजक नहीं है वह मूर्ति-पूजक धर्मों से संघर्ष करते हैं। उनका विरोध करते हैं। मूर्ति-पूजक के साथ कुछ धर्म जैसे—इस्लाम धर्म विवाह नहीं करते हैं।

(5) वेबर ने कामवासना को एक संवेगात्मक शक्ति के रूप में देखा है। अपने धर्म के समाजशास्त्रीय विवेचन में यौन सम्बन्धों, कामुकता तथा कामवासना को संवेगात्मक शक्ति के रूप में विद्यमान पाया जो लोगों में तनाव तथा संघर्ष को उत्पन्न करती है।

(6) शैक्षिक संघर्ष (Educational Conflict)—वेबर ने धर्म के कारण ज्ञान के क्षेत्र में भी तनाव एवं संघर्ष को पाया। अपने कहां कि पुरोहितों ने समाज में प्रभावपूर्ण पद को प्राप्त करके ईश्वर और धर्मावलम्बियों के बीच मध्यस्थता की प्रभावपूर्ण भूमिका निभा कर जनता का शोषण किया है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि विभिन्न कालों में पुरोहितों ने जनसाधारण पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए हैं, तथा तनाव एवं संघर्ष पैदा किए हैं। हिन्दू धर्म में ब्राह्मण पुरोहितों ने अछूतों के लिए शिक्षा को निषिद्ध किया। निम्न जातियों को भी शिक्षा से दूर रखा। पिछड़े वर्ग या जातियाँ ऊपर नहीं उठ पाईं। इससे संघर्ष पैदा हुए हैं।

धर्म से सम्बन्धित अवधारणाएँ (Concepts related to Religion)—

वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र का विकास विश्व के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण करने के साथ-साथ धर्म से सम्बन्धित कुछ अवधारणाओं पर भी प्रकाश डाला है। धर्म के समाजशास्त्र को समझने के लिए निम्नांकित कतिपय अवधारणाओं का अर्थ जान लेना उपयोगी होगा।

(1) अलौकिक (Supernatural)—वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में अलौकिक शक्तियों, ईश्वर, देवी-देवता, लाभकारी एवं अनिष्टकारी आत्माओं की अवधारणाओं को महत्वपूर्ण माना है। आपक अनुसार इनके द्वारा ही किसी समाज के धर्म को ठोक से समझा जा सकता है। इन विभिन्न पारलौकिक शक्तियों के प्रभावों को समाज की विभिन्न घटनाओं, क्रियाकलापों, आपात स्थिति आदि में देख सकते हैं। इन अलौकिक शक्तियों की दो प्रथाएँ हैं, कुछ तो ससार के सभी समाजों में पूजे जाते हैं, जैसे—ईश्वर, भगवान तथा कुछ स्थानीय देवी-देवता होते हैं जो परिवार, नगर या गाँव के स्तर पर पूजे जाते हैं। वेबर ने स्पष्ट किया है कि हिन्दू धर्म बहु-ईश्वरवादी है तो कुछ धर्म, जैसे—इस्लाम एवं यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी धर्म हैं।

(2) प्रतीक (Symbol)—देवी-देवता, ईश्वर, अलौकिक शक्ति आदि के सम्बन्ध में मानना है कि ये घटनाओं, क्रियाकलापों आदि को प्रभावित करती हैं। ये शक्तियाँ अमूर्त और अदृश्य होती हैं जिनको समझने, आराधना करने आदि के लिए समाज उन्हें प्रतीकों के रूप में देता है। इसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों की सहायता ली जाती है। इसीलिए धर्मों में प्रतीकों का विशेष महत्व है।

(3) सामर्थ्य (Competence)—वेबर ने लिखा है कि अलौकिक शक्ति को सम्बन्धित धर्म वाले मानते हैं कि वह सर्वत्र विद्यमान है, सर्व शक्तिमान है। वह कुछ भी

कर सकने की सामर्थ्य रखती है। वही ससार की पालक तथा कर्ता है। इन पारलौकिक शक्तियों एवं सामर्थ्य के अनुसार सम्बन्धित धर्म के अनुयायी क्रमानुसार इनकी पूजा-पाठ करते हैं। देवी-देवताओं में उनका स्थान सर्वोच्च बताया है।

(4) जादुई तत्त्व (Magical Elements)—विश्व के सभी धर्मों में प्रार्थना, अर्चना, पूजा-पाठ आदि के अतिरिक्त जादुई तत्व भी होता है। जनसाधारण ये मानते हैं कि पूजा-पाठ से जो कार्य सिद्ध होते हैं उनको ईश्वर के द्वारा पुरोहित करवाता है। अगर कोई कार्य नहीं हो पाता है तो वह पुरोहित में कुछ कमी होने का परिणाम माना जाता है। धर्मावलम्बियों की धारणा होती है कि धर्म में कोई-न-कोई चमत्कारी शक्ति है जो असम्भव कार्य को जादुई शक्ति के द्वारा पूर्ण कर देती है। कार्य सिद्ध नहीं होने पर अनुयायी ईश्वर को दोष न देकर पुरोहित के द्वारा की गई किसी त्रुटि का दोष मानते हैं।

(5) पाप (Sin)—वेबर ने धर्म से सम्बन्धित पाप की अवधारणा पर प्रकाश डाला है। आपने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि पाप की अवधारणा के कारण धार्मिक सोच में परिवर्तन आया। अगर कोई धार्मिक नियमों, व्यवहारों, कृत्यों, सस्कारों का उल्लंघन करेगा तो उसे अलौकिक शक्ति के क्रोध को भोगना पड़ेगा। धर्म-विरुद्ध कार्य पाप है और उसका दण्ड मिलता है। हिन्दू धर्म में पिछले जन्म के कर्मों का फल इस वर्तमान जन्म में भोगना पड़ता है। अगर कोई पिछले जन्म में धर्म-विरुद्धी कर्म (पाप) करेगा तो इस जन्म में भुगतने पड़ेगा। इस जन्म के पाप पूर्ण कुकर्मों के फल अगले जन्म में भुगतने पड़ेगे। पाप की अवधारणा के फलस्वरूप अनुयायियों में भलाई-बुराई, सत कर्म, अच्छा-बुरा, हिंसा-अहिंसा आदि से सम्बन्धित चेतना, विश्वास, धारणाओं का विकास हुआ।

(6) निषेध (Taboo)—वेबर ने निषेध को धर्म से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अवधारणा माना है। धर्म को समझने के लिए निषेधों की व्याख्या तो नहीं की है परन्तु इसके गुण-दोषों तथा नैतिक और व्यावहारिक लक्षणों पर प्रकाश डाला है। सभी धर्मों में कुछ कार्यों या क्रियाओं को करने पर प्रतिबन्ध लगे होते हैं वही निषेध कहलाते हैं। हिन्दू धर्म में गाय को मारना पाप है। ब्राह्मणों में माँस खाना निषेध है। वेबर ने लिखा है कि एक समान निषेधों का पालन करने वालों में बन्धुत्व की भावना पैदा हो जाती है। निषेध के पीछे तर्कनापरकता या विवेकीकरण की प्रक्रिया कार्य करती है। धर्म की पहिचान निषेधों द्वारा भी की जा सकती है।

### धार्मिक अधिकारियों के प्रकार एवं कार्य

#### (Types and Functions of Religious Officials)

वेबर ने लिखा है कि सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति की आराधना तथा उपासना की क्रियाओं को करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे—पुरोहित, पादरी, ओझा, पैगम्बर आदि। आपने उल्लेख किया है कि धार्मिक गतिविधियाँ कौन-से धार्मिक अधिकारी किस प्रकार करते हैं। कुछ प्रमुख धार्मिक अधिकारी, उनकी विशेषताएँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) पुरोहित और ओझा (Priest and Sorcerer)—पुरोहित धर्म का व्यावसायिक अधिकारी होता है। उसका कर्तव्य ईश्वर की प्रतिष्ठा को स्थापित करना होता है। इसकी गतिविधियाँ नियमित होती हैं, जैसे—मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करवाना, तिलक और चन्दन लगाना, वस्त्राभूषण पहिनाना आदि-आदि। वह अपने कार्य में स्वतंत्र होता है। ओझा की प्रस्थिति और कार्य पुरोहित से भिन्न होते हैं। ओझा भूत-प्रेतों को भगाता तथा

उत्तरता है। वह उन पर नियंत्रण करने की विद्या जानता है। वेबर तथा कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों के अनुसार कुछ समाजों में ओझा और पुरोहित के कार्य एक ही व्यक्ति करता है। पुरोहित और ओझा में अन्तर अनुमानित होता है। वेबर ने लिखा है कि पुरोहित को अपने धर्म का ज्ञान होता है तथा यह सांख्यिक और बौद्धिक दृष्टि से उच्च स्तर का होता है। उसे धार्मिक परम्परा का ज्ञान होता है। कुछ धर्मों में ओझा भी ज्ञानी और विद्वान देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार पुरोहित भी अज्ञानी और अनपढ़ देखे जा सकते हैं। ओझा की जानकारी आनुभविक होती है तथा पुरोहित की तार्किक। पुरोहित अपने मठ या सम्प्रदाय का अधिकारी होता है। उसके अनुयायी सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। ओझा का जीवन, कार्य-प्रणाली, क्षेत्र, अनुयायी आदि व्यक्तिगत होते हैं। इसका कोई मठ या सामुदायिक संगठन नहीं होता है।

(2) पैगम्बर (Prophet)—पैगम्बर या भवतार लगभग सभी धर्मों में होते हैं। ईश्वर के आदेश पैगम्बर द्वारा अनुयायियों को प्राप्त होते हैं। ईश्वर अमूर्त और अदृश्य होता है जबकि पैगम्बर सशरीर होता है। वेबर के अनुसार पैगम्बर असाधारण विशेषताओं वाला होता है। उसमें करिश्मा होता है जिसके कारण उसका जीवन, दिनचर्या, बातें, आदेश, वचन सब कुछ जन-सामान्य के लिए आदर्श हो जाता है। पैगम्बर नवीन धर्म की घोषणा करता है तथा उसके प्रवचन एवं उपदेश धार्मिक आदेश के रूप में अनुयायियों द्वारा पालन किए जाते हैं। पैगम्बर के लिए नए धर्म की स्थापना करना या नवीन धार्मिक सम्प्रदाय को जन्म देना आवश्यक नहीं है। पैगम्बर समाज सुधारक भी हो सकता है। इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद पैगम्बर इसके उदाहरण हैं।

सामाजिक वर्गों की धार्मिक अभिवृत्तियाँ (Religious attitudes of Social Classes)—वेबर ने विश्व के विभिन्न धर्मों के विश्लेषणों में पाया कि समाज के विभिन्न स्तरों, वर्गों, श्रेणियों आदि के धर्म के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। आपने कहा कि लोगों की जैसी सामाजिक स्थिति होती है उसी के अनुसार उनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण होता है। इसी सपर्य में किसान, कुलीन योद्धा या सैनिक सरदार, अधिकारी, व्यापारिक वर्ग और निम्न वर्ग के धर्म के सम्बन्ध में दृष्टिकोणों की विवेचना प्रस्तुत है।

(1) किसान (Peasant)—वेबर की मान्यता है कि किसान की कृषि बाढ़ और सूखा प्रकृति से जुड़ी होती है, वह प्रकृति के निकट होते हुए भी धर्म के प्रति लगाव नहीं रखता है। वेबर ने ऐसा ऐतिहासिक दृष्टि से भी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि धर्म एक शहरी घटना है। लोग ये समझते हैं कि किसान प्रकृति के निकट होने के कारण धर्म में विश्वास रखता है। वेबर के अनुसार लोगों की यह धारणा गलत है।

(2) कुलीन योद्धा (Noble Warrior)—फ़ुलीन योद्धा, सैनिक सरदार, राजपूत शासकों आदि का जीवन युद्ध के कारण कभी भी समाप्त हो सकता है। उनका जीवन अनिश्चित होता है। इसलिए इस वर्ग के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति वही धर्म कर सकता है जिसमें जीवन की सुरक्षा से सम्बन्धित काला जादू हो, विजय के लिए प्रार्थना-अर्चना हो, मरणोपरान्त स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति की बात हो। योद्धाओं का धर्म लौकिक अधिक होता है। ये सैनिक सरदार मोक्ष, पाप, दया, अहिंसा आदि में विश्वास नहीं रखते हैं।

(3) अधिकारी (Bureaucrats)—अधिकारी, नौकरशाह, दफ्तरशाही और अधिकारियों आदि की अभिरुचि उपयोगितावादी और अवसरवादी धर्म में होती है। इस वर्ग

के लोगों में तार्किकता अधिक होती है। इसलिए इस वर्ग के लोग वेबर के अनुसार धर्म-विमुख होते हैं।

(4) व्यापारिक वर्ग (Business Class)—व्यापारी वर्ग के लोगों का प्रमुख उद्देश्य अधिक-से-अधिक धनोपार्जन करना होता है। ये लोग पारलौकिक दुनिया से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं परन्तु वेबर की मान्यता है कि ऐतिहासिक प्रमाणों में स्पष्ट होता है कि धर्म तथा व्यापारिक और औद्योगिक विकास में पिछली शताब्दियों में परस्पर गहन सम्बन्ध रहा है। आपने लिखा है कि व्यापारिक वर्ग धार्मिक नीतिपरक व्यवहार से जितना अधिक सम्बन्धित होगा व्यापारिक और औद्योगिक विकास उतना ही अधिक होगा। आपने आगे चलकर धर्म और पूँजीवाद के परस्पर सम्बन्ध को अपनी महान् कृति "प्रोटेस्टेण्ट आचार और पूँजीवाद की आत्मा" में विस्तार से विश्लेषित किया है।

(5) निम्न वर्ग (Lower Class)—वेबर ने अपने अध्ययन में देखा कि निम्न वर्ग के लोग, जैसे कि गुलाम और कारखानों में काम करने वाले कामगारों में धर्म के प्रति कोई विशेष उल्लेखनीय सवेग या आकर्षण नहीं होता है। आपने इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि धर्म के प्रति सवेग का अभाव उनकी निर्धनता तथा विपन्नावस्था है। ये वर्ग अपनी समस्याओं से इतने अधिक ग्रसित होते हैं कि इनको धर्म के सम्बन्ध में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। आज का सर्वहारा वर्ग भी धर्म में कोई विश्वास नहीं रखता है। धर्म के सम्बन्ध में यह धारणा मिलती है कि उच्च वर्ग तथा जातियों धर्म के द्वारा अपनी उच्च स्थिति बनाए रखते हैं तथा निम्न जातियों तथा वर्गों को ऊपर उठने नहीं देते हैं। वेबर इसे भी अनिर्वाच्य मानते हैं कि आदिम ईसाई धर्म में यह आग्रहपूर्वक कहा गया है कि कमजोर वर्ग के लोग ईसा मसीह के प्रति सम्पूर्ण सवेदना रखने हैं। धर्म तो गरीबों को गरीब बनाए रखने का प्रभावपूर्ण साधन है। फिर ऐसे धर्म के प्रति गरीबों की आस्था कैसे हो सकती है।

(6) बौद्धिक वर्ग (Intellectual Class)—वेबर ने बौद्धिक वर्ग के लोगों की धर्म के प्रति आस्था तथा अभिवृत्तियों की विवेचना करते हुए लिखा है कि अनेक वर्षों तक बौद्धिक क्षेत्र के विकास ने धर्म को बहुत प्रभावित किया है। यूरोप में स्वाधीनता के आने के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म निरपेक्षता का विकास हुआ है। वेबर के अनुसार बौद्धिक वर्ग के लोगों में धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी विकसित हुई है तो दूसरी ओर आक्रामक मनोवृत्ति के विकास को भी देखा जा सकता है। बौद्धिक वर्ग ने धर्म की व्याख्याएँ भी की हैं।

### वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण

#### (Intellectual Perspective of Weber)

वेबर के धर्म सम्बन्धी बौद्धिक दृष्टिकोण को उनकी कृति 'दा प्रोटेस्टेण्ट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म' में देख सकते हैं। आपने प्रश्न उठाया कि पश्चिमी समाजों में प्रचलित विचार : मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है।" का मूल क्या है? विभिन्न समाजों और सभ्यताओं में इस समस्या का सम्बन्ध धर्म और समाज से है। वेबर ने ससार के छः प्रमुख धर्मों के तुलनात्मक अन्वेषण एवं व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार से कुछ धार्मिक सिद्धान्तों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की तर्कनापरकता में वृद्धि होती है और किस प्रकार से कुछ धार्मिक सिद्धान्तों के द्वारा घटती है। मैक्स वेबर ने निम्न तीन प्रमुख समस्याओं को लेकर धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना का अध्ययन प्रारम्भ किया था—

(1) एक औसत अनुयायी की धर्म-निरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव।

(2) समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव।

(3) विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक नीतियों के कारणों और प्रभावों की तुलना के द्वारा पश्चिमी सभ्यता के तत्त्वों की ज्ञात करना।

वेबर ने उपर्युक्त समस्याओं से सम्बन्धित प्रभावों और कारणों का पता लगाने के लिए पश्चिमी पूँजीवाद के विकास का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया कि पूँजीपति लोगों में धार्मिक झुकाव का क्या प्रारूप है। वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों में एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं और उसे उपयुक्त पुरस्कार भी देते हैं एवं दूसरी ओर बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है। वेबर का कहना है कि व्यक्ति अपनी उन्नति और दीर्घायु के लिए धार्मिक विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। आपने धार्मिक कारकों को परिवर्तनों का कारण माना है। आपके अनुसार आर्थिक और सामाजिक घटनाओं तथा परिणामों का कारण धर्म है। आपने मार्क्स के निष्कर्ष कि 'आर्थिकी धर्म का निर्णायक है' नहीं माना है। बल्कि इसके विपरीत धर्म को आर्थिकी का कारण माना है तथा विश्व के छः महान धर्मों के अध्ययन के आधार पर इसे सिद्ध भी कर दिया। आपकी मान्यता है कि लोग धार्मिक आचारों के अनुसार इसलिए कार्य करते हैं कि उनको विश्वास है कि ऐसा करने से उनकी पगति एवं उन्नति होगी तथा वे दीर्घायु होंगे।

मैक्स वेबर ने गहन अध्ययन करके प्रोटेस्टेण्ट धर्म के उन महत्वपूर्ण आचारों को खोज निकाला जिनके प्रभाव से आधुनिक पूँजीवाद की आत्मा का विकास हुआ है। आपने धर्म को कारण माना तथा सिद्ध किया कि धर्म किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र से सम्बन्धित निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं—

(1) पारस्परिक निर्भरता (Interdependence)—वेबर ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएँ परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित और एक-दूसरे पर आश्रित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था में इनमें से किसी एक को दूसरे का निर्णायक (कारण) मानना अनुचित एवं अवैज्ञानिक है। सत्य तो ये है कि दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं।

(2) बहुवाद (Pluralism)—वेबर बहुवादी थे। आपका कहना था कि सामाजिक वैज्ञानिक को सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में एक-तरफा तथा एक-कारकीय दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। मात्र धार्मिक या आर्थिक आधार पर किसी घटना की व्याख्या और विवेचना नहीं करनी चाहिए बल्कि अन्य कारकों के प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहिए।

(3) एक-कारक की सुविधा (One-factor facility)—अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण तथा निर्णायक के रूप में देखा जा सकता है। किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व या कारण माना जा सकता है, जैसे—मार्क्स ने आर्थिकी को तथा वेबर ने धर्म को समाज में सभी परिवर्तनों एवं परिणामों का कारण सिद्ध किया। वेबर ने धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व या कारक मानकर आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव के विश्लेषण की विवेचना की।

(4) आदर्श प्रारूप (Ideal Type)—वेबर ने प्रमुख धर्मों के केवल आदर्श प्रारूपों को विवेचना की है। आपने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख नहीं किया है। आपने धर्म के अन्वेषण में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है।

### धर्म सम्बन्धी विचार (Views Related to Religion)

वेबर ने 1904 और 1905 में व्यक्ति के आर्थिक व्यवहारों पर धार्मिक कारकों के प्रभावों को व्याख्या सम्बन्धी लेख लिखे थे। इन्हीं लेखों के आधार पर आपने विस्तार से इस समस्या पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियाँ पूँजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। यह सम्पूर्ण सामग्री आपकी कृति 'दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड द स्पिरिट ऑफ कैपीटलिज्म' में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेण्ट नीति एक आवश्यक कारक था जिसके अभाव में आधुनिक पूँजीवाद का विकास नहीं हो सकता था। आपने इन दोनों—आधुनिक पूँजीवाद और प्रोटेस्टेण्ट नीति के 'आदर्श-प्रारूपों' के आधार पर उपर्युक्त गुण-सम्बन्ध के स्थापन की जाँच की थी। वेबर के धर्म सम्बन्धी विचारों एवं धर्म के समाजशास्त्र की पूर्ण जानकारी के लिए इन दोनों अवधारणाओं का ज्ञान आवश्यक है जो निम्नलिखित पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) पूँजीवाद का सार (Essence of Capitalism)—वेबर ने पूँजीवाद की विशेषताओं को अपने पारिवारिक जीवन में देखा। आपने अपने चाचा कार्ल डेविड वेबर में व्यक्तिवाद तथा आर्थिक आचरणों से सम्बद्ध नैतिकता का एक विशिष्ट सम्मिश्रण पाया। उनके चाचा गाँव के घरेलू उद्योग पर आधारित उद्यम के संस्थापक थे तथा वे कठोर परिश्रमी, दिखावा न करने वाले, दयालु और तर्कनापरकता के गुणी व्यक्तित्व वाले थे। ऐसे गुण आधुनिक पूँजीवाद के उद्यमकर्ताओं में मिलते हैं। चाचा के व्यक्तित्व से वेबर प्रभावित हुए तथा वेबर की धारणा बन गई कि पूँजीवाद में एक विशेष प्रकार की नैतिकता का होना आवश्यक है। पूँजीवाद के सार को समझने एवं विवेचना करने के लिए वेबर ने एक अन्य आर्थिक-क्रिया की अवधारणा दी जिसको इन्होंने 'परम्परावाद' कहा। परम्परावाद पूँजीवाद की बिल्कुल विपरीत आर्थिक-क्रिया है। वेबर के अनुसार परम्परावाद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अकस्मात् लाभ प्राप्त करना चाहता है, सिद्धान्तहीन तरीकों से धन-संचय करना चाहता है। व्यक्ति कम काम और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। काम के समय आराम करना अधिक पसन्द करना है। उसमें कार्य की नवीन प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा एवं गुण का अभाव होता है। ये लोग कम आय से ही सन्तुष्ट रहते हैं। वेबर ने दक्षिण यूरोप, एशिया के विशेषाधिकार सम्पन्न समूहों, चीन के अधिकारियों, रोम के अभिजात वर्ग तथा एल्बी नदी के पूर्व के जमींदारों की आर्थिक क्रियाओं को पूँजीवाद नहीं माना है क्योंकि ये अकस्मात् लाभ कमाना चाहते हैं, इनकी आर्थिकी में तर्कनापरकता का अभाव विद्यमान था। आधुनिक पूँजीवाद में परम्परावाद की उपर्युक्त विशेषताओं से विपरीत विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।

वेबर ने आधुनिक पूँजीवाद के निम्न विशिष्ट लक्षण गिनाएँ हैं—

(1) आधुनिक पूँजीवाद में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग बड़े पैमाने में तर्कनापरकता पूर्ण वैज्ञानिकता पर आधारित विधि से व्यवस्थित, संगठित एवं संचालित होता



है। उत्पादन अधिक लोगों द्वारा मशीनों से किया जाता है। (2) उत्पादित वस्तुओं की विक्रय-व्यवस्था संगठित होती है। (3) अधिकतम कार्यकुशलता पर जोर दिया जाता है जिसके लिए श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। (4) पूँजीवादी व्यवस्था का सर्वोच्च उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस व्यवस्था में कार्य ही जीवन, कुशलता एवं धन है। (5) इस व्यवस्था में जोखिम अधिक होती है। व्यक्ति में कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास तथा व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा होना आवश्यक है। व्यवसाय में कुशल व्यक्ति धन और सम्मान दोनों पाता है तथा अकुशल व्यक्ति धन और सम्मान दोनों ही नहीं पाता है। वेबर के पूँजीवाद का यही सार है।

पश्चिमी समाजों के अतिरिक्त अन्य समाजों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यापार के लिए कठोर परिश्रम किया, बचत को व्यापार के विस्तार करने में लगाया, वेबर का कहना है कि उपर्युक्त वर्णित पूँजीवादी विशेषताएँ पश्चिमी समाजों में अधिक मिलती हैं। पश्चिम के समाजों में कठोर श्रम, तर्कनापरकता, तार्किक आधार पर वस्तुओं का उत्पादन, संगठित विनिमय केन्द्र आदि जीवनयापन के सामान्य तरीके बन गए हैं। यह सब कुछ समाज की संस्कृति के अभिन्न अंग एवं विशेषताएँ हैं। व्यापारिक आचार, सार्वजनिक श्रम व्यवस्था, पूँजी का निरन्तर विनियोजन, कठोर परिश्रम आदि पूँजीवाद का सार हैं, जो सामान्य आर्थिकी या परम्परावाद से बिल्कुल विपरीत एवं भिन्न हैं।

(2) प्रोटेस्टेण्ट नीति (Protestant Ethics)—प्रश्न यह उठता है कि आधुनिक पूँजीपति-आर्थिक-व्यवस्था को कौनसी शक्ति या कारक सम्भव बनाती है? वेबर के अनुसार वह शक्ति या कारक प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति या आचार है जो इस पूँजीपति व्यवस्था को नियंत्रित निर्देशित, संचालित तथा सन्तुलित रखती है। आधुनिक पूँजीपति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन आचरणों, मूल्यों, नीतियों की आवश्यकता होती है उनसे सम्यन्धित अनेक प्रवचन, उपदेश, आचार आदि प्रोटेस्टेण्ट धर्म से प्रभावित धार्मिक और सामाजिक नेताओं से प्रचारित होते रहे हैं। ये निम्न प्रकार के हैं—

पेटी (Petty), माण्टेस्क्यू (Montesquieu), बकल (Buckle), कीट्स (Keats) आदि ने वेबर से पूर्व प्रोटेस्टेण्ट धर्म और व्यापारिक प्रवृत्ति के विकास के परस्पर सम्वन्धों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। वेबर ने अपने शिष्य बाडेन (Baden) से शिक्षा के चयन और धार्मिक सम्वन्धों का सर्वेक्षण करवाया जिससे पता चला कि कैथोलिक छात्रों की तुलना में प्रोटेस्टेण्ट विद्यार्थी उन शिक्षण सस्याओं में अधिक जाते हैं जो औद्योगिक जीवन से सम्यन्धित होती हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि यूरोप में कुछ अल्पसंख्यक समूहों ने कठोर परिश्रम करके सामाजिक और राजनैतिक हानियों को पूरा कर लिया। परन्तु कैथोलिक धर्मावलम्बी ऐसा नहीं कर पाए। इन परिणामों के आधार पर वेबर ने यह परिणाम निकाला कि धार्मिक नीति (आचार) और आर्थिक गतिविधियों में परस्पर सहसम्वन्ध होता है। वेबर ने सर्वेक्षण में पाया कि जिन नगरों और प्रदेशों के लोगों ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म अपनाया वहाँ आर्थिक लाभ की प्रोत्साहित किया जा रहा था। प्रोटेस्टेण्ट धर्म पाप के सर्वस्व अधिकार को भी म्वीका नहीं करता है। यूरोप के विभिन्न देशों में पूँजीवाद के विकास का प्रमुख कारण वहाँ पर प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रमुख तत्वों सग्रह की प्रवृत्ति ईमानदारी नैतिकतावादी दृष्टिकोण धर्म के प्रति निष्ठा का होना था। इन देशों में प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनेक आदेशों तथा नानिषों का प्रभाव भी पड़ा। जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।

(1) सेण्ट पाल के प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति से सम्बन्धित निम्न आदेश का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा, "जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, वह रोटी नहीं खाएगा . तथा निर्धन की तरह धनवान भी ईश्वर के गौरव में वृद्धि करने के लिए किसी-न-किसी पेशे में अवश्य जुटे।"

(2) रिचार्ड बैक्स्टर (Richard Baxter) का कथन, "केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है, परिश्रम ही शक्ति का नैतिक एवं प्राकृतिक उद्देश्य है . केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा एवं सम्मान हो सकता है।"

(3) सेण्ट जॉन बनियन का कथन, "यह नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, केवल यह कहा जाएगा कि क्या तुम कुछ परिश्रम भी करते थे या केवल बातूनी थे।"

(4) बेंजामिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin) आधुनिक पूँजीवाद के भौतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक माने जाते हैं। आपने आत्मकथा में उन लोगों के लिए अनेक उपदेश दिए हैं जो धनी होना या व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं। ये उपदेश प्रोटेस्टेण्ट नीतियों या आचारों के अनुरूप हैं। इन उपदेशों में से कुछ महत्त्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर वर्णित किए जा रहे हैं—

- 1 समय ही धन है।
- 2 धन से धन कमाया जाता है।
- 3 एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है।
- 4 इमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
- 5 कार्य ही पूजा है।
- 6 जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रोटेस्टेण्ट नीति में सक्रिय जीवन, परिश्रम, समय का सदुपयोग, व्यर्थ की बातचीत पर प्रतिबन्ध, कम सोना, ईश्वर के ध्यान के स्थान पर परिश्रम एवं कार्य करना, इमानदार एवं उत्साही होना, पैसा बचाने पर जोर देना, मितव्ययी होना आदि हैं, जिन्होंने आधुनिक पूँजीवाद को सम्भव बनाया है।

### प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियाँ एवं पूँजीवाद

#### (Ethics of Protestant Religion and Capitalism)

वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेण्ट धर्म की निम्नलिखित कुछ महत्त्वपूर्ण नीतियाँ हैं जिनके प्रभाव से यूरोप में आधुनिक पूँजीवाद का विकास हुआ है—

(1) कार्य ही पूजा है (Work is Worship)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति है "काम करना ही सबसे बड़ा गुण है।" कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके जीविकोपार्जन करना पाप एवं दण्ड है। इस सम्बन्ध में कैथोलिक धर्म में आदम और ईव की गाथा प्रमाण है। ईश्वर ने आदम और ईव को स्वर्ग में एक पेड़ के फल को खाने से मना कर रखा था। जिसको खाने से अच्छे-बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाता था। इन्होंने ईश्वर के मना करने पर भी शैतान के बहकावे में आकर वह फल खा लिया। ईश्वर ने रष्ट होकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया तथा

पृथ्वी पर भेज दिया और श्राप दिया कि ईव और उसकी पुत्रियों को कष्ट से सन्ताने होगी और आदम और उसके पुत्र परिश्रम करके पसीना बहा कर रोटी-रोजी कमाएँगे। यह श्राप स्पष्ट करता है कि कैथोलिक धर्म में श्रम करके रोटी कमाना बुरी बात है तथा एक दण्ड है वही प्रोटेस्टेण्ट धर्म में परिश्रम एक उत्तम कार्य माना जाता है। "कर्म ही पूजा है" अथवा "परिश्रम से ही ईश्वर की पाप्ता हो सकती है।" प्रोटेस्टेण्ट धर्म की इस नीति के प्रभाव के परिणामस्वरूप पूँजीवाद का विकास सम्भव हुआ है।

(2) कैलविनवाद या व्यावसायिक आचार (Calvinism or Vocational Ethics)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति को दूसरी महत्त्वपूर्ण देन पूँजीवाद का 'व्यावसायिक आचार' है। पूँजीवाद के विकास के लिए परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता अनिवार्य लक्षण है। कैलविनवाद इन्हीं विशेषताओं का समाज में प्रचार और प्रसार निम्न प्रकार से करता है। प्रोटेस्टेण्ट धर्म में मान्यता है कि जो श्रम करेगा, व्यवसाय में सफल होगा वही स्वर्ग में जाएगा तथा जो आलसी होगा, श्रम से डरेगा, व्यवसाय में असफल रहेगा वह नरक में जाएगा। कैलविनवाद प्रत्येक व्यक्ति को यह नैतिक शिक्षा देकर उसे कठोर परिश्रमी बनाता है। गिरजाघर में जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी कठोर परिश्रम तथा व्यावसायिक सफलता से और ईश्वर इसी सफलता से प्रसन्न होता है।

(3) ब्याज की आय को मान्यता (Approval of Interest-income)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति है "धन से धन पैदा होता है।" इसलिए इस धर्म में ब्याज पर पैसा देकर धन को द्विगुणित-त्रिगुणित करना अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत कैथोलिक, इस्लाम, हिन्दू आदि धर्मों में ब्याज लेना पाप माना जाता है। पूँजीवाद के विकास में इस ब्याज कमाने के आचार ने सहयोग किया है।

(4) शराबखोरी पर प्रतिबन्ध एवं ईमानदारी को प्रोत्साहन (Restrictions on Alcoholism and Encouragement to Honesty)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म में शराबखोरी तथा नशेबाजी को बुरा बताया गया है और ईमानदारी को उच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इस आचार संहिता के परिणामस्वरूप लोगो में नशाखोरी घटती गई तथा आलस्य भी कम होता चला गया। इससे कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। इनका प्रभाव पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास पर सकारात्मक पड़ा। व्यक्ति कारखाने में शराब पीकर मशीन नहीं चला सकते। नशे में दुर्घटना घटने की पूर्ण सम्भावना रहती है। उससे जानमाल की हानि होती है। इस पर रोक लगने से तथा ईमानदारी से काम करने से दुर्घटनाएँ घटनी कम हुई तथा उत्पादन बढ़ा जिसने पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया।

(5) अवकाश पर रोक (Restrictions on Leave and Holidays)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म में अगर कोई व्यक्ति लम्बे समय तक अवकाश या छुट्टी पर जाता है तो उसे अनुचित माना जाता है। पूँजीवाद का तो नारा ही "कार्य ही पूजा है" का है उममें न्यूनतम तथा विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश प्रदान किया जाता है। इस अधिक कार्य एवं न्यून छुट्टी की विशेषता के कारण भी पूँजीवाद सफलतापूर्वक विकसित होता चला गया।

टानी (Tawney) ने 'इन्ट्रोडक्शन टू प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड द स्मिथ ट्रॉफ कैपिटलिज्म' में लिखा है, "इस क्रान्तिकारी धार्मिक अवधारणा ने नैतिक मानदण्ड को बदलकर धन-लाभ की प्राकृतिक कमजोरी को आत्मा का आभूषण बना दिया तथा पुनर्धर्म

युगो मे जिन आदतो को बुरा समझा जाता था, उनको आर्थिक गुणो से बदल दिया . पूँजीवाद को कैल्विन के धर्मशास्त्र का सामाजिक प्रतिरूप मानना चाहिए।”

इस प्रकार प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियों—सदुपयोग, अधिक न सोना, व्यर्थ की बातचीत न करना, ईश्वर के ध्यान के स्थान पर कार्य करना, नशाखोरी नहीं करना, ईमानदार होना, मेहनत से कार्य करना, एवं न्यूनतम छुट्टी लेना आदि के परिणामस्वरूप पूँजीवाद सफलतापूर्वक विकसित हुआ है। परन्तु वेबर की यह मान्यता नहीं है कि पूँजीवाद के विकास का एकमात्र कारण प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति (आचार) है। आपके अनुसार अन्य अनेक कारको का भी प्रभाव रहा होगा। मैक्स वेबर इस प्रकार एक-कारकवादी या एक-कारक निर्णायकवादी न होकर बहुकारकवादी माने जा सकते हैं।

वेबर ने अपने निष्कर्षों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। आपने तथ्य प्रस्तुत करके स्पष्ट किया है कि आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम विकास अमरीका, हालैण्ड, इंग्लैण्ड आदि उन देशो मे हुआ है जहाँ पर लोग प्रोटेस्टेण्ट धर्मावलम्बी हैं। उन देशो मे पूँजीवादी व्यवस्था विकसित नहीं हुई है जहाँ के लोग कैथोलिक धर्मावलम्बी हैं, जैसे—स्पेन, इटली आदि।

**पूँजीवाद और प्रोटेस्टेण्ट नीति का सम्बन्ध (Relationship of Capitalism and Protestant Ethics)**—वेबर ने प्रोटेस्टेण्ट नीति को कारण तथा पूँजीवाद को उसका परिणाम मानकर अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में भी पाया कि प्रोटेस्टेण्ट नीति कारण, चलक और चर है तथा पूँजीवाद उसका प्रभाव, चरित्र तथा परिणाम है। आपने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनो मे ‘पूँजीवाद के सार’ एवं ‘प्रोटेस्टेण्ट नीतियो’ मे अनेक समानताएँ देखीं। वेबर ने ऐतिहासिक प्रमाणो, तथ्यो तथा घटनाओ के आधार पर यह स्थापना की है कि यूरोप के कई देशो मे पूँजीवाद की उत्पत्ति, विकास एवं निरन्तरता मे प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियों की प्रमुख भूमिका रही है। प्रोटेस्टेण्ट धर्म की विभिन्न नीतियो के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा के द्वारा इस धर्म के अनुयायियो का विकास हुआ उससे वे कैथोलिक धर्मावलम्बियो की तुलना मे अधिक परिश्रमी, ईमानदार, कर्मठ, पैसा बचाने, ब्याज कमाने, कार्य ही पूजा है, समय ही धन है आदि गुणो से सम्मन हो गए तथा पूँजीवाद के विकास मे सहायक सिद्ध हुए। वेबर ने निष्कर्षत यही स्थापना की है कि पूँजीवाद के विकास के लिए प्रोटेस्टेण्ट धर्म प्रमुख कारण रहा है।

### ससार के महान् धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन : धर्म और पूँजीवाद (Comparative Study of World's Great Religions · Religions and Capitalism)

वेबर ने धर्म और आर्थिक संरचना (पूँजीवाद) के पारस्परिक सम्बन्धो को ज्ञान करने के लिए विश्व के महान् छ धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये छः महान् धर्म—(1) कन्फ्यूशियस (2) बौद्ध, (3) हिन्दू, (4) ईसाई, (5) इस्लाम और (6) यहूदी थे। इन महान् धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आप धर्मों का पूँजीवाद की उत्पत्ति और विकास पर पडने वाले प्रभावो को जानना चाहते थे। आप ये ज्ञात करना चाहते थे कि धर्म का आर्थिक नीति क साध कहाँ तक और क्या गुण-सम्बन्ध है।

संसार के धर्मों की आर्थिक नीति (Economic Ethics of the World Religions)—वेबर का उद्देश्य विश्व के महान् धर्मों का अध्ययन करके ये पता लगाना था कि इन विभिन्न धर्मों के नियम, आचार, प्रवचन, मूल्य, उद्देश्य, लौकिक और पारलौकिक जीवन की व्याख्या आदि कहाँ तक आधुनिक पूँजीवाद के विकास से सम्बन्धित है। आपने उन धर्मों को महान् धर्म माना है जिनके धर्मावलम्बियों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे—हिन्दू, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म। यहूदी धर्मावलम्बी संख्या में कम हैं परन्तु वेबर ने इस धर्म का अध्ययन इसलिए किया क्योंकि इस धर्म में अधिकांश लोग पूँजीपति एवं व्यापारी हैं। वेबर के अध्ययन का उद्देश्य धर्मों की ईश्वरीय मीमांसा का अध्ययन करना नहीं था बल्कि आपका उद्देश्य तो धर्मों की उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक आदि विशेषताओं का पता लगाना था जो आर्थिकों के विभिन्न पक्षों को प्रभावित, नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। धर्म की वे कौन-कौनसी विशेषताएँ हैं जो पूँजीवाद की आत्मा को प्रभावित करती हैं। धर्म का पूँजीवाद पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कितना है? वेबर ने अपने अध्ययन के प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आवश्यक नहीं है कि धर्म ही आर्थिक संगठन का निर्णायक हो।

धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण (Reasons of Comparative Study of Religions)—रेमण्ड एरॉ ने शंका व्यक्त की है कि वेबर ने जब संसार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया तो इसके पीछे कोई-न-कोई प्रमुख कारण रहा होगा। एरॉ ने इसके पीछे प्रमुख निम्न दो कारणों का अनुमान लगाया है—

(1) जब वेबर ने यह देखा कि काल्विनवाद (प्रोटेस्टेंट धर्म) में ऐसी आचार संहिताएँ हैं जिसके प्रभाव से पश्चिमी समाजों में पूँजीवाद का उदय हुआ तो क्या पश्चिमी समाजों के अतिरिक्त भी ऐसे धर्म हैं जिनकी आचार संहिताएँ भी पूँजीवाद को जन्म दे सकें या पूँजीवाद की आत्मा को जाग्रत कर सकें? एरॉ का कहना है कि शायद इसी जिज्ञासा की शान्ति के लिए वेबर ने विश्व के महान् धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था।

(2) एरॉ ने वेबर द्वारा धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का दूसरा कारण यह अन्वेषण करना बताया कि विभिन्न धर्मों में आधारभूत धार्मिक प्रकार कौन-कौन से हैं तथा इन मौलिक धार्मिक प्रकारों के पीछे लोगों की आर्थिक अभिरुचियाँ क्या हैं?

इसी सन्दर्भ में वेबर ने जिन महान् धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन किए हैं वे प्रस्तुत हैं।

### चीन का कन्फ्यूशियस धर्म (Confucious Religion of China)

वेबर ने चीन के धर्म कन्फ्यूशियस और ताओवाद की सविस्तार विवेचना अपनी कृति 'चीन का धर्म' (The Religion of China) में की है। इसमें इस पुस्तक के अन्तिम भाग में आपने कन्फ्यूशियस और प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष दिया है कि इनकी धार्मिक नीतियों में भिन्नता के कारण ही चीन और पश्चिम के समाजों को आर्थिक मनोवृत्तियों में भिन्नता है। वेबर ने इस पुस्तक में चीन के बगरो, पैतृकवाद, अधिकारी वर्ग, चीनी धार्मिक संगठन, प्रारम्भिक इतिहास, राजवंशी सरकार और सामाजिक संरचना, पण्डित वर्ग एवं कन्फ्यूशियस धर्म की रूढ़िवादिता, राजकीय उपासना और जनप्रिय धार्मिकता और कन्फ्यूशियसवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के शुद्धाचारवाद का वर्णन

किया है। यहाँ पर चीन की सामाजिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन दिया जा रहा है—

(1) नगर (Cities)—वेबर ने लिखा है कि चीनी और पश्चिमी यूरोप के नगरों में पूर्ण विपरीतताएँ नहीं थीं। पश्चिम की तरह से चीनी नगर भी अक्सर गदियों और राजकीय निवास स्थानों के रूप में पैदा हुए थे। वे व्यापार और शिल्प के केन्द्र थे। इनके विभिन्न भाग व्यापारिक सगठनों के नियंत्रण में थे। परन्तु चीन के नगरों में पश्चिमी समाज जैसी सुपरिचित राजनैतिक स्वायत्तता किसी भी रूप में कभी भी नहीं रही। ग्रामों की तुलना में स्वायत्त शासन की गारण्टी भी बहुत कम थी। नगर का प्रत्येक निवासी अपने मूल निवास स्थान के परिवार से सब प्रकार से सम्बन्धित रहता था। पारिवारिक सम्बन्धों की रक्षा पूर्वजों की पूजा के अभ्यास से सम्बन्धित थी। नगर के रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में कोई एकता नहीं हो पाती थी। चीनी नगरों के निवासियों का नागरिकों के रूप में कोई एक अलग प्रस्थिति समूह नहीं था जिनके स्पष्ट विशेषाधिकार और कर्तव्य हों और उनके आधार पर सारे नगर पर उनका स्वायत्तपूर्ण अधिकार हो। चीन में नागरिक स्वायत्तता के अभाव का एक और महत्वपूर्ण कारण साम्राज्यवादी प्रशासन का प्रारम्भ से ही केन्द्रीयकरण था। एक स्थान से भर्ती किए हुए सैनिकों को अक्सर बहुत दूर भेज दिया जाता था जिससे प्रशासकीय सत्ता को उनसे कम-से-कम खतरा हो।

(2) पैतृकता (Patrimonialism)—चीन में पितृवंशीय बहिविवाह व्यवस्था थी अर्थात् व्यक्ति अपने परिवार और ग्राम से बाहर ही विवाह कर सकता था। ये गोत्र-समूह पूर्ण रूप से अपनी भूमि से जुड़े होते थे। पूर्वजों की पूजा का महत्त्व था। परिवार में उच्च स्तर की सामूहिक सुदृढता थी। पिता का नियंत्रण बहुत कठोर था। सन्तानों को परिवार के मुखिया के आदेशों का कठोरता से पालन करना होता था। जहाँ यूरोप और अमरीका के समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी वहीं चीनी समाज में इसका अभाव था। सभी दृष्टिकोणों से चीनी समाज में व्यक्ति की तुलना में परिवार एक प्रभावशाली एवं ताकतवर इकाई थी।

(3) स्तरीकरण (Stratification)—चीन में यूरोप जैसी वर्ग व्यवस्था तथा भारत जैसी वर्ण या जाति व्यवस्था नहीं थी। चीन में पद-सोपान जैसी व्यवस्था का अभाव था। सभी व्यक्तियों को व्यवसाय के चुनाव करने का समान अवसर प्राप्त था। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था। व्यवसाय के चयन में परिवार और गोत्र का भी कोई प्रभाव, दबाव अथवा परम्परागत हस्तान्तरण नहीं था। चीन का व्यावसायिक चयन तथा व्यवस्था पश्चिम के पूँजीवादी समाजों जैसी थी।

(4) राज्य व्यवस्था (State System)—चीन में राज्य व्यवस्था एक प्रकार से धर्म-तन्त्र ही थी जो ईसाई राजनैतिक संरचना से भिन्न थी। चीन में राज्य का सम्राट स्वर्ग पुत्र के रूप में सम्मानजनक समझा जाता था। राजा की प्रतिष्ठा और सम्मान समाज और परमात्मा के बीच की थी। राजा के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुँचा जा सकता था। ऐसे में व्यवधान आने पर परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बन्द हो जाता था। चीन के लोगों में सम्राट धार्मिकता का केन्द्र था।

(5) धर्म और प्रशासन (Religion and Administration)—चीन में सभी धार्मिक अधिकार एवं सत्ता सम्राट के हाथ में थी। यहाँ पर न तो कोई पुरोहित था और न ही

पुरोहित व्यवस्था। सम्राट की देखरेख में अधिकारियों का विशेष वर्ग मंदारिन का था जो सम्पूर्ण प्रशासन का संचालन करते थे। सम्पूर्ण राजनैतिक तंत्र का संचालन भी ये ही लोग करते थे। लेकिन इस अधिकारी तंत्र (मंदारिन) में यूरोप जैसे बुर्जुआ पूँजीवाद को विकसित करने की क्षमता नहीं थी। राजकीय अधिकारी (मंदारिन) की नियुक्ति उस क्षेत्र में नहीं की जाती थी जहाँ पर उसका कोई पारिवारिक सम्बन्धी रहता हो। अधिकारी को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। इन नियमों का पालन कड़ाई से किया जाता था। इस प्रकार से अधिकारी केन्द्रीय सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में कभी नहीं रहे। चीन की राजनैतिक व्यवस्था में सामन्तवाद कभी नहीं पनपा। स्थानीय परिस्थितियों के ज्ञान के अभाव में मंदारिन अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर रहता था। मंदारिन रोज के काम-काज, राजकीय क्रिया-कलापों के लिए अधीनस्थों पर निर्भर रहते थे। वेबर ने इस प्रशासन-तंत्र को अधिकारी-तंत्र (पेट्रिम्ोनियल) दफ्तरशाही कहा है।

### कन्फ्यूशियस और प्रोटेस्टेण्ट धर्म में अन्तर

#### (Difference Between Confucious and Protestant Religion)

राइनहार्ड बेण्डिक्स (Reihard Bendix) ने "मैक्स वेबर : एक बौद्धिक व्यक्तित्व" कृति में कन्फ्यूशियस धर्म और प्रोटेस्टेण्ट धर्म के बीच पाए जाने वाले कुछ अन्तरों को सक्षिप्त में निम्न रूप में प्रस्तुत किया है—

कन्फ्यूशियस धर्म	प्रोटेस्टेण्ट धर्म
1 अवैयक्तिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में विश्वास एवं जादू के प्रति सहन-शीलता।	विश्वातीत ईश्वर में विश्वास और जादू का त्याग।
2 पृथ्वी और स्वर्ग में शान्ति बनाए रखने के लिए ससार के साथ अनुकूलन, व्यवस्था का आदर्श।	ईश्वर की दृष्टि में निरन्तर सदाचार की तलाश के लिए ससार पर अधिकार : प्रगति-शील परिवर्तन का आदर्श।
3 आत्म-परिपूर्णता और गौरव के लिए सतर्क आत्म-नियंत्रण।	मनुष्य की पापी प्रकृति को नियंत्रित करने और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सतर्क आत्म-नियंत्रण।
4 अनुल्लङ्घनीय परम्परा से सम्बन्धित भविष्यवाणी की अनुपस्थिति, यदि मनुष्य उचित तरीके से कार्य करे तो वह अच्छा बन सकता है और प्रेतात्माओं के क्रोध को टाल सकता है।	भविष्यवाणी परम्परा का निर्माण करती है और वास्तविक ससार पापी प्रतीत होता है, मनुष्य अपने प्रयत्नों से अच्छा नहीं बन सकता।
5 पारिवारिक धर्म-निष्ठा सभी मानवीय सम्बन्धों के संचालन का सिद्धान्त है।	सभी मानवीय सम्बन्ध, ईश्वर की सेवा के अधीन हैं।

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 6  | बन्धुत्व सम्बन्ध ही वाणिज्यिक लेन-देन, ऐच्छिक समितियाँ, कानून और लोक प्रशासन के आधार हैं। | वाणिज्यिक लेन-देन, ऐच्छिक समितियाँ, कानून और लोक प्रशासन के आधार—तर्कयुक्त नियम और समझौते हैं। |
| 7. | विस्तृत परिवार से बाहर के सभी व्यक्तियों पर अविश्वास।                                     | उन सभी व्यक्तियों पर विश्वास जो "धर्म-भ्राता" हैं।   |
| 8  | धर्म एक प्रकार से प्रतिष्ठा और आत्म-पूर्णता का आधार है।                                   | धर्म एक प्रकार से सदाचारी जीवन का अनचाहा उपोत्पाद और प्रलोभन है।                               |

### चीन में आधुनिक पूँजीवाद के अभाव के कारण (Causes of Lack of Modern Capitalism in China)

वेबर ने चीन के धर्म, परिवार, नगर, स्तरीकरण, राज्य व्यवस्था, धर्म और प्रशासन को विस्तृत व्याख्या करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि चीन के धर्म के लौकिक होने पर भी वहाँ आधुनिक पूँजीवाद क्यों नहीं बन पा। वेबर ने चीन के धर्म की विशेषताओं के सन्दर्भ में उन कारणों, परिस्थितियों, मूल्यों, विश्वासों आदि का मूल्यांकन पूँजीवाद के विकास से सम्बन्धित नीतियों के अभाव के सन्दर्भ में किया है, जो निम्नलिखित हैं।

(1) चीन का कन्फ्यूशियस धर्म अपने धर्मावलम्बियों को संसार के वर्तमान रूप से अनुकूलन करने पर जोर देता था। यह धर्म अपने अनुयायियों को किन्हीं विशेष आदर्शों, जैसे— पूँजीवाद के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने की आज्ञा नहीं देता था। यह धर्म रूढ़िवादी था।

(2) कन्फ्यूशियस धर्म में जन कल्याण से सम्बन्धित आर्थिक और राजनैतिक शिक्षा में अनेक बातों का वर्णन काफी बड़ा-चड़ा कर किया गया है लेकिन उनमें ऐसी कोई उचित आर्थिक और राजनैतिक मनोवृत्ति नहीं है जो जन कल्याण सम्बन्धी धार्मिक नीतियों में परिवर्तन ला सके अर्थात् आधुनिक पूँजीवाद को स्थापित कर सके। चीन के धर्म की तुलना में प्रोटेस्टेण्ट धर्म में श्रम और कर्म की ऐसी नीतियाँ रहीं जिनसे पूँजीवाद का विकास सम्भव हुआ। चीनी धर्म ने पूँजी के संचय और तार्किक विचारों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया।

(3) कन्फ्यूशियस धर्म ने चीन की परम्परागत राजनैतिक व्यवस्था को बनाए रखा। इस व्यवस्था में सम्राट को स्वर्ग का पुत्र माना जाता था। उसको चुनौती देने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था फिर पूँजीवाद कैसे आ सकता था।

(4) यह धर्म पैतृकवाद को विशेष बढ़ावा देता था। यह धर्म पारिवारिक सम्बन्धों की परम्परागत शैली को निरन्तरता पर जोर देता था। इसके प्रभाव के कारण लोग परम्परा और परिपाटी से हमेशा बंधे रहे और उससे स्वतंत्र होने तथा आधुनिक पूँजीवादी मूल्यों को अपनाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया।

(5) समाज के सदस्यों ने पूँजी द्वारा दी गई सामाजिक व्यवस्था को बिना किसी विरोध एवं प्रश्न के स्वीकार किया था। समाज में किसी भी प्रकार के विरोध के लिए कोई स्थान नहीं था।



(6) कन्फ्यूशियस धर्म में तर्कनापरकता थी परन्तु समाज के सदस्यों ने बिना किसी विवाद के सभी परम्पराओं को स्वीकार कर लिया था। सोरोकिन ने लिखा है कि कन्फ्यूशियस धर्म के प्रति इस प्रकार की निष्ठा और कुछ न होकर पूर्ण रूप से रूढ़िवादिता थी। ऐसी परिस्थितियों में पूँजीवाद का विकास कैसे सम्भव हो सकता है।

(7) कन्फ्यूशियस धर्म ने लोकप्रिय जादू की गहरी जड़ों को कभी भी प्रभावित नहीं किया। इसी प्रकार चीनी समाज में मंदारिन का अधिकारी-तन्त्र से भी विशिष्टीकरण का पूर्ण अभाव था। ये कारक पूँजीवाद के विकास में बाधक रहे थे।

(8) वेबर ने अन्त में लिखा है कि चीन में पूँजीवाद के नहीं आने का प्रमुख कारण कन्फ्यूनियस धर्म रहा जिसने अपनी आचार संहिता को विवेकीकरण की दृष्टि से कभी भी नहीं देखा था। अगर विवेकीकरण की दृष्टि से आचार संहिता में परिवर्तन होता तो पूँजीवाद का विकास चीन में भी जाता। चीनी समाज का ज्ञान भी उनके शास्त्रीय ग्रन्थों (क्लासिकल ग्रन्थों) तक ही सीमित रहा। वो इन्हीं ग्रन्थों का अध्ययन करते थे और उसी के अनुरूप रूढ़िवादी जीवन व्यतीत करते रहे। ये कुछ कारण रहे जिनके कारण चीन में आधुनिक पूँजीवाद का विकास नहीं हो पाया।

### भारत का हिन्दू धर्म (Hindu Religion of India)

वेबर ने विश्व के महान् धर्मों में जिस दूसरे धर्म का अध्ययन किया है वह हिन्दू धर्म है। इस धर्म का अध्ययन आपकी मृत्यु के बाद 'भारत का धर्म' (The Religion of India) में प्रकाशित हुआ है। इस हिन्दू धर्म के अध्ययन में आपने उन कारणों की विवेचना की है जिनके कारण भारत में आधुनिक पूँजीवाद का विकास नहीं हो सका। वेबर ने भारतीय समाज, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और इनके प्रभावों से सम्बन्धित विचार—(1) दा रिलिजन ऑफ इण्डिया : दा सोशियोलॉजी ऑफ हिन्दूइज्म एण्ड बुद्धिज्म, (2) ऐसेज इन सोशियोलॉजी, (3) इकोनोमी एण्ड सोसाइटी एवं (4) जनरल इकोनोमिक हिस्ट्री में भी व्यक्त हैं।

वेबर ने दा 'रिलिजन ऑफ इण्डिया' कृति में हिन्दू धर्म की विवेचना चीन के धर्म के समान ही निम्न क्रम में की है—भारतीय समाज की सामाजिक संरचना, हिन्दू धर्म के परम्परावादी सिद्धान्त और बौद्ध धर्म के सिद्धान्त, लोकप्रिय कट्टर धर्म के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन और अन्त में धार्मिक विश्वासों के भारतीय समाज की धर्म निरपेक्ष नीति पर पड़े प्रभावों का विवेचन किया है। इन निम्न पक्षों पर विचार व्यक्त करने से पूर्व वेबर ने भारतीय समाज और धर्म से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उठाए थे—पहिले उनका वर्णन करना उपयुक्त होगा।

भारतीय समाज और धर्म से सम्बन्धित प्रश्न (Question related to Indian Society and Religion)—वेबर भारतीय समाज और धर्म से सम्बन्धित निम्न प्रश्नों का परीक्षण एवं निरीक्षण करना चाहते थे—

(1) क्या हिन्दू धर्म और उसकी पारलौकिक तपश्चर्या की नीति आधुनिक पूँजीवाद के विकास में बाधक हैं?

(2) क्या जाति व्यवस्था, परम्परागत संयुक्त परिवार और धार्मिक सम्प्रदाय भारत में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों के विकास में बाधक रहे हैं?

(3) क्या हिन्दू धर्म की परम्परागत धार्मिक नीतियों के कारण भारत में आधुनिक आर्थिक औद्योगिकरण की गतिविधियाँ गतिशील नहीं हो पाई हैं?

(4) वे कौन-से विशिष्ट विश्वास हैं जो आर्थिक विकास में बाधक रहे हैं?

(5) वे कौन-से विशिष्ट विश्वास हैं जो भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन के साथ सामंजस्य रखते हैं। ऐसे विश्वासों पर जोर कैसे दिया जाए?

वेबर ने इन उपर्युक्त वर्णित प्रश्नों में मुख्यतः सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आधुनिकीकरण के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों का चयन किया है। अथ वेबर द्वारा किया हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन प्रस्तुत है।

### हिन्दू सामाजिक व्यवस्था (Hindu Social System)

वेबर ने भारत में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति की सामाजिक संरचना को उसी प्रकार से एक केन्द्रीय तत्व माना था जिस प्रकार से चीनी राजवंशीय समाज में पैतृकवाद या कौटुम्बिक समूह और कर्मचारी-तन्त्र को केन्द्रीय तथ्य माना था। आपके अनुसार भारत में धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक स्तरीकरण परस्पर एक-दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। वेबर जाति को प्रस्थिति समूह मानते हैं तथा आपने जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है।

### जाति व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics of the Caste System)

जाति व्यवस्था की विशेषताओं, लक्षणों पर भारत एवं विश्व के अनेक विद्वानों ने विस्तार से प्रकाश डाला है तथा इसके लक्षणों में आज अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परन्तु यहाँ पर केवल उन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है जो वेबर ने अपने अध्ययनों में दी हैं—

(1) अन्तर्विवाही समूह (Endogamous Group)—वेबर ने लिखा है कि एक ही जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं जिसे अन्तर्विवाही समूह कहते हैं हिन्दू धर्म में जातियाँ अन्तर्विवाही होती हैं।

(2) वंशानुगत व्यवसाय (Hereditary Occupations)—जाति सामान्यतया वंशानुगत व्यावसायिक समूह होते हैं। जाति के सदस्य अपनी ही जाति के वंशानुगत व्यवसाय को करते हैं।

(3) जन्म से सदस्यता (Membership by Birth)—जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यन्त वह उसकी जाति का सदस्य रहता है। इस प्रकार से जाति की सदस्यता जन्म के द्वारा निश्चित होती है।

(4) सस्तरण (Hierarchy)—जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता के आधार (धार्मिक क्रियाएँ, व्यवसाय, पवित्रता आदि) पर क्रम-विन्यास होता है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण शीर्ष स्थान पर होते हैं। मध्य में क्षत्रिय और वैश्य होते हैं तथा सबसे नीचे दलित

जातियाँ होती हैं। कुछ जातियाँ आपस में समानता का दावा भी करती हैं। वेबर ब्राह्मण जाति को पुरोहित जाति जैसी मानते हैं। जाति व्यवस्था में सभी जातियों के कार्य निश्चित होते हैं।

(5) धार्मिक नियोग्यताएँ (Religious Disabilities)—निम्न एवं दलित जाति के लोग मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धार्मिक ग्रन्थों को नहीं पढ़ सकते हैं। ये अमृश्य माने जाते हैं। इनको दूने से द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार जातियों में कुछ धार्मिक नियोग्यताएँ होती हैं।

### हिन्दू रूढ़िवादिता (Hindu Orthodoxy)

वेबर ने हिन्दू धर्म के धार्मिक विश्वासों, धर्म परायणता या शास्त्र-सम्मत विशेषताओं का अध्ययन किया। आपने हिन्दू धर्म के दो प्रमुख सिद्धान्तों—(1) पुनर्जन्म और (2) कर्म—का वर्णन किया है। इन सिद्धान्तों के द्वारा आपने निम्न दो प्रश्नों का उत्तर दिया है—(1) क्या हिन्दू धर्म का मनुष्य भी दिन-प्रतिदिन की सासारिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव है? और (2) यदि है तो इन विश्वासों की प्रणालियों में आर्थिक व्यवहारों को क्या कोई नई दिशा प्रदान की?

### पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धान्त (Theory of Rebirth and Karma)

वेबर ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म के पापों के अनुसार फल मिलता है। पहिले हिन्दू धर्म में आत्मा को अमर नहीं माना जाता था। परलोक में मनुष्यों और देवताओं का अस्तित्व अनन्त नहीं माना जाता था। बाद में ब्राह्मणों की कल्पना ने दूसरी मृत्यु के विचार के विकसित किया जिसमें मरने वाली आत्मा दूसरा जन्म पाती है। मनुष्यों के अच्छे या बुरे कर्म के फल के विचार को पुनर्जन्म के विचार के साथ जोड़ दिया गया। मनुष्यों के कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में उसके भाग्य पर अनिवार्य रूप से पड़ता है तथा उसकी जाति सम्बन्धी सदस्यता इसी से निर्धारित होती है। वेबर की मान्यता है कि इन विचारों के द्वारा ब्राह्मणों ने व्यक्तियों के कृत्यात्मक और नैतिक पुण्यों और पापों का लेखा-जोखा (बहीखाता) बना दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म में यह रूढ़िवादिता विकसित हो गई कि अगले जन्म में एक व्यक्ति का भाग्य उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में पिछले जन्म के पुण्यों और पापों का चिट्ठा है। जाति व्यवस्था इन विचारों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। किसी व्यक्ति का निश्चित जाति में जन्म लेना उसके पिछले जन्म के कर्मों के परिणामस्वरूप होता है और इस जन्म में कर्तव्य-कृत्यों का श्रद्धापूर्वक प्रत्येक अगले जन्म में उच्च योनि या जाति की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक पुण्य है।

वेबर की मान्यता है कि प्रत्येक हिन्दू ऐसी जीवन पद्धति में फँस गया जिसके लिए इन सिद्धान्तों का बहुत व्यावहारिक अर्थ था। व्यक्ति कर्मों के आधार पर अगले जन्म में एक देवता, एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय बन सकता है लेकिन इस जन्म में वह कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति के लिए धर्म की अपेक्षा इस जन्म तथा अगले जन्म में भी हानिकारक है। मनुष्य का कर्म आत्मा के भाग्य का निर्णायक है।

## हिन्दू धर्म का आर्थिक जीवन पर प्रभाव (Impact of Hindu Religion on Economic Life)

वेबर के अनुसार भारत के हिन्दू धर्म की नीति प्रोटेस्टेण्ट धर्म जैसी नहीं थी। धनोपार्जन के लिए जैसी दौड़कता की आवश्यकता होती है उसका हिन्दू धर्म में अभाव पाया गया। वेबर के अनुसार हिन्दू धर्मानुसार यह ससार एव जीवन एक अस्थाई पड़ाव था जिसका व्यक्ति के आर्थिक जीवन एव व्यवहार पर कोई दबाव नहीं पड़ा। इसी कारण भारत में प्रोटेस्टेण्ट धर्म की तरह पूँजीवादी आर्थिकी का विकास नहीं हुआ। वेबर ने अन्त में निष्कर्ष दिया कि भारत की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक नीति में वे लक्षण विद्यमान नहीं थे जो धर्म-निरपेक्ष व्यवहारों तथा पूँजीवादी विचारधारा को शक्तिशाली बनाते।

**वेबर के निष्कर्ष (Conclusions of Weber)**—वेबर ने हिन्दू धर्म के तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी निम्न परिणाम दिए हैं—

(1) जाति व्यवस्था से सम्बन्धित कर्मकाण्ड वृहद् उद्यमों के विकास में बाधक रहे।

(2) भारत की सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से इसकी परम्पराएँ बहुत अधिक रूढ़िवादी थीं जो भारत में आर्थिक विकास में बाधाएँ बनी रहीं।

(3) पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पाया। ये सिद्धान्त आर्थिक विकास में बाधक रहे जिसमें पूँजीवाद का विकास नहीं हो सका। व्यक्ति वर्तमान जीवन एव जन्म को अस्थाई निवास मानकर धर्म के नाम पर व्यवहार करता था तथा मोक्ष के लिए कर्म करता था।

(4) पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म आदि में धार्मिक विश्वास के कारण लोग लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करते थे। पुनर्जन्म और कर्म की नीति या आचार संहिता ने वर्तमान जीवन के विकास में बाधा खड़ी कर दी।

(5) शिक्षित, पढ़े-लिखे, राजा-महाराजा, पुरोहित, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का विश्वास था कि जादू और धार्मिक अनुष्ठान देश की सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार के सोच ने आर्थिक विकास को अवरुद्ध एव हतोत्साहित किया।

वेबर के अनुसार इन्हीं धार्मिक नीतियों ने भारत में सभी प्रकार के उद्यमों के होते हुए भी आधुनिक पूँजीवाद को कभी भी विकसित नहीं होने दिया।

### प्राचीन यहूदी धर्म

यह पुस्तक मैक्स वेबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में आपने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जो पश्चिमी समाजों में धार्मिक तार्किकता के विकास में सहायक रही हैं। यहूदी धर्म ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म में संस्कार के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाली नैतिकता का विकास किया। यहूदी पैगम्बर ससार को शाश्वत नहीं मानते थे। वे इसे उत्पन्न किया हुआ मानते थे। वो ससार को एक ऐतिहासिक घटना मानते थे। यहूदी धर्मावलम्बियों का विश्वास है कि ईश्वर के द्वारा भविष्य में निश्चित सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति होगी जिसके अनुसार व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ होनी चाहिए।

इन्ही विश्वासों ने यहूदियों में व्यवहार की उच्च तर्कनापरक धार्मिक-सहिता विकसित की। यहूदा (यहूदियों के उपास्य) ने नम्रता एवं आज्ञा पालन को व्यक्ति का विशिष्ट गुण बताया है। इन्होंने यह भी व्याख्या की है कि पुण्य करने की जरूरत एवं अच्छे तथा बुरे भाग्य की आशाएँ निकट भविष्य में ही सम्बन्धित होती हैं। इस प्रकार में यहूदी धर्म एक ऐसे धर्म को महत्त्व देता है जो व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन के जीवन को ईश्वर द्वारा निर्देशित नैतिक नियमों से सम्बन्धित कर देता है। यहूदी धर्म रहस्यमयी कल्पनाओं और परम्परागत लक्षणों से स्वतंत्र रहा है। जहाँ ईसाई धर्म सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने की बात करता है वहाँ यहूदी धर्म ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म में एक ऐसी नैतिकता को विकसित किया है जो आर्थिक व्यवस्था तथा ससार के स्वरूप में परिवर्तन करना चाहती थी। सारासतः यहूदी धर्म के विश्वास, नीति, आचार सहिता, मूल्य, पैगम्बर के उपदेश आदि ने तर्कनापरकता के विकास में योगदान देकर पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया है।

### धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों का निष्कर्ष

#### (Conclusion of Comparative Studies of Religions)

वेबर के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों का उद्देश्य धार्मिक नीतियों का आधुनिक पूँजीवाद के विकास के योगदान को ज्ञात करना था। अपने धार्मिक आचार सहिताओं, पैगम्बरों के उपदेश, विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों, उद्देश्यों आदि के प्रभावों को पूँजीवाद के विकास में देखने का प्रयास किया। अपने सामाजिक स्तरिकरण पर धर्म के प्रभावों का भी विश्लेषण करके स्पष्ट किया कि संस्तरण का निर्णायक धार्मिक नीतियाँ हैं। पारसन्स ने लिखा है कि धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या में वेबर का महत्त्वपूर्ण योगदान एक व्यवस्थित पद्धतिशास्त्रीय अन्तर्दृष्टि है जिसके द्वारा आपने विभिन्न कारकों को एक-दूसरे से अलग करके उनके कारण और प्रभावों को एक-दूसरे की तुलना में स्पष्ट किया। वेबर ने मार्क्स से भिन्न आर्थिकी का निर्णायक धर्म को स्थापित किया। वेबर का विश्व के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र में विशिष्ट महत्त्व रखता है।

### आलोचना

#### (Criticisms)

टानी ने वेबर के सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ की हैं—

- (1) वेबर ने आर्थिक सभ्यता के विकास में मात्र धार्मिक आन्दोलनों के योगदान तक स्वयं को सीमित रखा है। परन्तु यह एक कठिन प्रश्न है कि पूँजीवादी आर्थिक आविष्कार पर कितना काल्बिन का प्रभाव रहा और कितना अन्य शक्तियों का। तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि काल्बिनवाद द्वारा पूँजीवादों अन्तर्गत को उत्पन्न किए जाने के काल्बिनवाद और पूँजीवाद दोनों ही आर्थिक सगठन और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन के भिन्न-भिन्न प्रभाव हैं।
- (2) वैनडानो ने लिखा है पुनर्जागरण काल का राजनैतिक विचार परम्परात्मक अवरोधों को हटाने में उतना ही प्रभावी साधन था जितनी काल्बिन की शिक्षा रही।
- (3) क्या यह तर्क उतना ही सत्य और एक-पक्षीय नहीं होगा कि धार्मिक आन्दोलन स्वयं आर्थिक आन्दोलन का परिणाम है?
- (4) वेबर के लेख से कभी-कभी यह झलकता है कि उन्होंने वैचारिक एवं नैतिक प्रभावों को उन घटनाओं की उत्पत्ति में सहायक माना है जो शक्तियों के परिणाम रहे हैं।

- (5) वेबर विश्व के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में अनेक स्थलों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिगोचर होते हैं। आप भारतीय समाज का विवेचन यूरोपीय समाज की यथार्थ की दृष्टि से करते हैं और इसी प्रकार भारतीय और चीनी समाज में यूरोप की सभ्यता के विवेकीकरण और अधिकारी तन्त्र की खोज करते हैं। आपकी रुचि केवल यूरोप की सभ्यता और धर्म में थी और भारत तथा चीन के धर्मों में आपने यूरोप में स्थापित सिद्धान्तों की जाँच करना चाहा था। इससे पूर्वाग्रह आ गए जिससे आपका अध्ययन पूर्ण वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है।
- (6) वेबर द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि भारतीय हिन्दू धर्म की नीति आधुनिक पूँजीवाद के अनुकूल नहीं थी—को भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक तथा गलत बताया गया है। ऐसा 1960 में भारतीय समाजशास्त्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से कहा गया था तथा निष्कर्ष दिया गया था कि हिन्दू धर्म के परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य भारत के आर्थिक विकास में कभी भी बाधक नहीं रहे।
- (7) वेबर ने हिन्दू धर्म को उसकी सम्पूर्णता में कभी भी नहीं देखा। माइरन की मान्यता है कि हिन्दू धर्म ने लौकिक और पारलौकिक दोनों क्रियाओं एवं व्यवहारों को समान रूप से महत्त्व दिया था। इस हिन्दू धर्म में कई सम्प्रदाय हैं जिनका वेबर ने पूर्ण अध्ययन नहीं किया। आपने तो केवल कुछ सम्प्रदायों के आधार पर सामान्यीकरण स्थापित किए जो उनकी कभी भी नहीं थे। आपने वैष्णव धर्म जो कि पूँजीवाद के विकास में सर्वदा अग्रणी रहा है—का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। मनु ने वैश्य जाति को आर्थिक समृद्धि के लिए सब कुछ करने के अधिकार की बात लिखी है। इन्होंने यह भी लिखा है कि पूँजीवाद के विकास के लिए व्यापारियों को राजा को सलाह भी देनी चाहिए।
- (8) सुरेन्द्र मुशी वेबर की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि गुजरात और पश्चिमी बंगाल में वैष्णव अनुयायियों ने व्यवसाय का विकास किया। सूती कपड़ा मिलें लगाईं। उद्योगों का विकास किया। यह सब पूँजीवादी विकास भारतीय समाज में धर्म की आन्तरिक प्रक्रियाओं तथा नीतियों के द्वारा हुआ था जिसका वेबर ने अध्ययन नहीं किया।
- (9) हेलेन लेम्ब तथा सुरेन्द्र मुशी ने आर्यों के युग के बड़े-बड़े शहरों तथा व्यापारियों का वर्णन किया है। जैन और बौद्ध काल में बड़े-बड़े धनी व्यापारी थे उनके पास अपार धन था। वेबर ने मात्र गीता के कर्म की व्याख्या की परन्तु अन्य कारणों, धर्मों तथा नीतियों का अध्ययन एवं वर्णन नहीं किया जो उनके सिद्धान्त की बड़ी कमी रही है।
- (10) हेलेन लेम्ब लिखते हैं कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया। व्यापार, कर, ब्याज, ऋण आदि की गणना के सम्बन्ध में भारत में पर्याप्त साहित्य प्राचीन कृतियों में मिलता है, गणना के अनेक सूत्र मिलते हैं। इसके उपरान्त भी यह निष्कर्ष देना कि भारत में पूँजीवाद के विकास की परिस्थितियाँ नहीं थीं, गलत है।
- (11) वेबर के कथन कि हिन्दू धर्म में गुप्तोपासना और जादू का बहुत अधिक महत्त्व है को रोजेल (Rose!) ने स्वीकार नहीं किया है। वेबर ने अपने कथन के समर्थन में न तो प्रमाण ही दिए हैं और न ही यह स्पष्ट किया कि हिन्दू अनुयायी मोक्ष प्राप्ति या कर्मकाण्ड में जादू को काम में लेते थे। चंद्रनाथ ने लिखा है कि वेबर ने कभी भी हिन्दू धर्म का गहन अध्ययन नहीं किया।

- (12) श्यामाचरण चरण दुबे ने लिखा है कि हिन्दू धर्म को एकीकृत रूप में रखना कठिन है तथा सांस्कृतिक अर्थों में हिन्दी धर्म कभी भी आर्थिक विकास के प्रतिकूल नहीं रहा। अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी दुबे के निष्कर्ष का समर्थन किया है। इस प्रकार वेबर का निष्कर्ष तर्कहीन, प्रमाणरहित एवं अवैज्ञानिक है।
- (13) मिल्टन सिंगर ने अपने अध्ययन के आधार पर लिखा है कि मद्रास शहर में कभी भी जाति, सयुक्त परिवार, धार्मिक सम्प्रदाय, परमपरागत व्यवसाय आदि उद्यमशीलता में बाधक नहीं रहे हैं। इस आधार पर वेबर का निष्कर्ष गलत है।
- (14) योगेन्द्र सिंह के अनुसार वेबर का निष्कर्ष केवल एक आदर्श प्रारूप हो सकता है। आनुभविक स्तर पर उसे अवलोकित करना कठिन है। योगेन्द्र सिंह के अनुसार धार्मिक आचार संहिता आधुनिक आर्थिक विकास के प्रतिकूल नहीं रही। इस आचार संहिता ने आधुनिक तकनीकी का विरोध कभी नहीं किया। भारत के लोगो ने विशेष रूप से हिन्दू अनुयायियों ने योगेन्द्र सिंह के अनुसार, तर्कनापरकतापूर्ण पद्धतियों का स्वयं स्वागत किया है। निष्कर्षतः भारतीय समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि वेबर का भारतीय समाज और धर्म का अध्ययन गहन नहीं था।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 धर्म एवं पूँजीवाद के पारस्परिक सम्बन्धों पर वेबर के विचारों की विवेचना कीजिए।
- 2 धर्म पर वेबर के विचारों पर निबन्ध लिखिए।
- 3 वेबर के धर्म सम्बन्धी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-

- 1 वेबर के धर्म पर विचार।
2. प्रोटेस्टेण्ट धर्म के किन्हीं तीन आचारों का वर्णन कीजिए।
- 3 वेबर के हिन्दू धर्म से सम्बन्धित विचारों को बताइए।
- 4 वेबर के 'चीन का धर्म' सम्बन्धी विचार बताइए।
- 5 'प्राचीन यहूदी धर्म' से सम्बन्धित वेबर के क्या विचार हैं?

#### चस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके कीजिए—
- (i) यूरोप में आधुनिक पूँजीवाद के लिए वेबर धर्म को उत्तरदायी मानते हैं। (प्रोटेस्टेण्ट/कैथोलिक)
- (ii) वेबर ने विश्व के महान् धर्मों का अध्ययन किया। (चार/पाँच/छः)
- (iii) वेबर ने धर्म सम्बन्धी विचारों की विवेचना में जो विशेष महत्त्व दिया है। (प्रोटेस्टेण्ट नीति/आर्थिकी)
- (iv) वेबर के अनुसार सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। (एक-तरफा/बहु-तरफा)

[उत्तर- (i) प्रोटेस्टेण्ट, (ii) छः, (iii) प्रोटेस्टेण्ट नीति, (iv) बहु-तरफा]



## अध्याय-9

# कार्ल मार्क्स : जीवन चित्रण एवं प्रमुख रचनाएँ (Karl Marx : Life Sketch and Major Works)

1818-1883

मार्क्स सामाजिक-विचारक और राजनैतिक-दार्शनिक होने के साथ-साथ क्रान्तिकारी विचारधारा वाले भी थे। आधुनिक समाजवाद और वैज्ञानिक साम्यवादी विचारधाराओं के जनक के रूप में मार्क्स सदैव स्मरणीय रहे हैं। आपने समाजवादी साहित्य की रचना के साथ-साथ विश्व को ऐसी क्रान्तिकारी विचारधारा प्रदान की, जिसने विश्व के इतिहास की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया। यूँ तो मार्क्स के पूर्व अनेक विद्वानों, जैसे—प्लेटो, सेण्ट साइमन, लुई ब्लॉक, फोरियर रॉबर्ट आवेन, विलियम धाम्पसन, नायल बावेफ आदि ने समाजवादी विचार व्यक्त करते हुए समाज के लिए नवीन व्यवस्था-योजना प्रस्तुत की थी किन्तु इनके विचार प्रमुखतः राजनैतिक अथवा धार्मिकता पर आधारित थे। ये विद्वान आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण तथा विभिन्न वर्गों में सहयोगी सम्बन्धों पर अधिक बल देते थे तथा पूँजीवादी व्यवस्था में उपस्थित धन की विषमता के साथ-साथ स्वतन्त्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप नीति की आलोचना भी करते थे फिर भी ये विद्वान यह न बता सके कि इस विषमता का कारण क्या है और उत्पादन की विधियों के साथ इसका क्या सम्बन्ध है। इन्होंने समाज की प्रगति और विकास को भी समझने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने न तो बदलते घटनाचक्र पर अपने विचार प्रस्तुत किए और न ही उपस्थित स्थिति को सुधारने के लिए कोई व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक आधार प्रस्तुत किया। इसीलिए इन समाजवादियों को “स्वप्नलोकीय समाजवादी” कहा जाता है।

सर्वप्रथम मार्क्स ने ही समाजवाद को एक नवीन और मौलिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने ही समाज की पूँजीवादी व्यवस्था के दोषों को सबके सम्मुख स्मृत किया और इस व्यवस्था का अन्त कर वर्ग-विहीन समाज की स्थापना करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया, जिसे सम्पूर्ण विश्व ने बखूबी स्वीकारा। सम्पूर्ण विश्व के श्रमिक और क्रान्तिकारी मार्क्स के विचारों से प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने न केवल समाज की विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या की, वरन् सम्पूर्ण विश्व व समाजों की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का व्यावहारिक विकल्प भी सुझाया। इसी कारण उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान् नेता एवं शिक्षक के रूप में माना जाता है। ई. स्तेपानोवा ने तो मार्क्सवाद को “मानवता के पथ-प्रदर्शक ध्रुव तारों की भौति कम्प्यूनिन्म का रास्ता दिखाने वाला” कहा है।



इस प्रकार मार्क्स को आधुनिक समाजवाद एवं वैज्ञानिक साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है। इनके विषय में विस्तार से जानने के पूर्व इनके जीवन परिचय को जानना आवश्यक है।

## कार्ल मार्क्स का जीवन चित्रण (Life Sketch of Karl Marx)

कार्ल मार्क्स का जन्म रायन प्रान्त के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और उन्होने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था जब मार्क्स छः वर्ष के थे। बाल्यपन से ही मार्क्स प्रखर बुद्धि के और प्रतिभासम्पन्न थे। मार्क्स की शिक्षा 1830 से 1835 तक ट्रियर के एक स्थानीय और अच्छे विद्यालय "ट्रियर जिमनेजियम" में हुई थी। अपने स्कूल की अन्तिम परीक्षा के लिए उन्होने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था "पेशा चुनने के सम्बन्ध में एक तरुण के विचार"। इस निबन्ध से उन्हें महान् ख्याति मिली। स्कूल की अन्तिम परीक्षा पास करने के पश्चात् वे 17 वर्ष की अवस्था में विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 'बॉन विश्वविद्यालय' गए किन्तु एक वर्ष पश्चात् विधि की शिक्षा को छोड़कर मार्क्स इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने के लिए 'बर्लिन विश्वविद्यालय' गए, दर्शन और इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी। इस विश्वविद्यालय में उस समय प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल के विचारों का बड़ा प्रभाव था—मार्क्स भी हीगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होने 'यंग हीगेलियन' नामक संस्था को सदस्यता को ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक दर्शन को हीगल से ही ग्रहण किया है।

सन् 1841 में "जेना विश्वविद्यालय" से मार्क्स को "डेमोक्रेट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद" विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 1842 में मार्क्स बॉन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की इच्छा से गए किन्तु सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण फ्यूरेवैक और ब्रूनोववेर को विश्वविद्यालय से हटा दिए जाने पर मार्क्स ने वहाँ अध्यापन करने के विचार को ही त्याग दिया और 'राइनिश जाइटुंग' (Rheinische Zeitung) नामक पत्रिका के सम्पादक बन गए। यह पत्रिका कोलोन में राइन प्रान्त के उपवादी पूँजीपतियों द्वारा प्रारम्भ की गई थी जिनका चामपथी हीगेलवादियों से सम्पर्क था। मार्क्स के सम्पादन-समय में पत्रिका का रुख क्रान्तिकारी होता जा रहा था, इस कारण सरकार द्वारा उस पर सेन्सरी बिठानी प्रारम्भ कर दी गई। मार्क्स ने यह अनुभव किया कि "प्रशिया" की स्थानीय सरकार और अधिकारी जनता के हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं अतः उन्होने सन् 1843 में इस पत्रिका के सम्पादक पद से स्तीफा दे दिया और जर्मनी छोड़कर वे पेरिस चले गए।

मार्क्स की विचारधाराओं पर तत्कालीन अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। पूँजीवाद का विकास हो रहा था, इस कारण यूरोप के अनेक देशों में सामन्तो और भूदासों के बीच सम्बन्ध असह्य हो गए थे। बड़े पैमाने पर पूँजीवादी उद्योग विकसित हो रहा था, किसानों और दस्तकारों की स्थिति भी खराब हो गई थी और एक ऐसा वर्ग जन्म ले रहा था जो उत्पादन के साधनों से वंचित था और जिसे सर्वहारा वर्ग (Proletariat) कहा जा सकता है। एक ओर सामन्तवाद का अन्वेषण और दूसरी ओर अपरिपक्व पूँजीवाद जर्मनी की जनता को पीड़ित कर रहा था। मार्क्स पर इन सबका स्पष्ट प्रभाव पड़ा था।

सन् 1843 से पूर्व ही जब मार्क्स बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे उनका परिचय 'जेनी वॉन वेस्टफालेन' नामक लड़की से हुआ—जेनी बचपन से ही उनकी मित्र थी और विद्यार्थी काल में ही मार्क्स के साथ उसकी मैत्री हो चुकी थी—बाद में उनका सन् 1843 में उससे विवाह हो गया। जेनी का जन्म प्रशा के एक कुलीन परिवार में हुआ था—जेनी बड़े उदार व्यक्तित्व वाली महिला थी। वह अपने घर पर तथा कार्य स्थल पर मेहनत करने वालों का बड़ी शिष्टता के साथ स्वागत करती थी, उच्च कुलीन परिवार में उत्पन्न होते हुए भी जेनी में समानता की भावना अत्यधिक थी। अनेक देशों के मजदूर उनके सम्पर्क में आए जिनका उन्होंने बड़ी शिष्टता के साथ स्वागत किया—मार्क्स का साथ देने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था और कभी इसका पश्चाताप भी नहीं किया। मार्क्स अपनी पत्नी को अपना सहयोगी, मित्र और प्रेमिका मानते थे। जेनी मार्क्स की रचनाओं में अपना पूरा-पूरा सहयोग देती थीं उनकी पांडुलिपियाँ देखती थीं और अपनी सम्मति व्यक्त करती थीं तथा प्रेस के लिए पांडुलिपियों की नकले तैयार करती थीं, उनकी बुद्धि और आलोचनाशक्ति बड़ी प्रखर थी, मार्क्स उनकी योग्यता का बड़ा सम्मान करते थे।

मार्क्स की कई सन्तानें हुईं। उनकी दो पुत्रियाँ और एक पुत्र 1848 की तत्कालीन क्रान्ति के बाद की कठिनाइयों के परिणामस्वरूप छोटी उम्र में ही काल का ग्रास बन गए। तीन पुत्रियाँ—जेनी, एल्योनोरी और लौरा जीवित रहीं। मार्क्स अपनी पुत्रियों को अत्यधिक स्नेह करते थे उनकी पुत्रियाँ भी बड़ी आज्ञाकारिणी थीं। मार्क्स अपनी पुत्रियों के साथ खेला करते थे कभी-कभी भ्रमण के लिए जाते थे और कभी भी कोई अप्रिय व्यवहार नहीं करते थे। उनकी पुत्रियाँ उनकी मित्रवत् थीं। मार्क्स की पत्नी भी उनकी सच्ची मित्र थीं जो जीवन पर्यन्त उनकी सहधर्मिणी भी बनी रहीं।

1844 में मार्क्स पेरिस आए और आदर्श साम्यवादी 'केचेट', दार्शनिक अराजकतावादी 'प्राधो' और 'फ्रेडरिक एंजिल्स' से उनका परिचय हुआ। एंजिल्स के साथ उनकी मित्रता अनोखी और ऐतिहासिक थी। उन दोनों के विचार एक-दूसरे से पूर्णतः मिलते थे इसलिए दोनों के मध्य रचनात्मक सहयोग प्रारम्भ हो गया। लेनिन ने इस विषय में लिखा है कि "प्राचीन काल की कथाओं में हमें मित्रता के बहुत से हृदय-द्रावक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा-वर्ग यह दावा कर सकता है कि उसके विज्ञान की रचना ऐसे अध्येताओं और योद्धाओं ने की जिनकी परस्पर मैत्री के सम्बन्ध प्राचीन समय की मानवीय मित्रता की सबसे हृदय द्रावक कहानियों को भी फीका बना देते हैं।

मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने मिलकर साम्यवादी साहित्य की रचना की तथा राजनैतिक कार्यों में भी दोनों एक-दूसरे के सहयोगी रहे। शोध कार्यों में भी वे परस्पर सहायक के रूप में कार्य करते थे—सन् 1845 में ब्रुसेल्स में रहकर दोनों ने एक संयुक्त रचना "दा होली फैमिली" प्रकाशित की जिसमें सर्वहारा-वर्ग से सम्बन्धित विचारों पर सम्पूर्ण प्रकाश डाला गया था। इस कृति में क्रान्तिकारी भौतिकवाद और सर्वहारा-वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा के तत्त्व विद्यमान थे। एंजिल्स मार्क्स के पारिवारिक मित्र थे। मार्क्स की पुत्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक दूसरे पिता के नाम से सम्बोधित करती थीं। जब भी मार्क्स पर गरीबी के बादल मँडराये तब ऐसे समय में एंजिल्स ने ही उनकी यथासम्भव आर्थिक सहायता की। यह कहा जा सकता है कि यदि मार्क्स को एंजिल्स जैसा सहायक न मिला होता तो वे आजैविकों की समस्याओं का ही सामना करते रहते और विश्व को समाजवादी साहित्य देने में सक्षम नहीं हो सकते थे।

इस प्रकार मार्क्स और एंजिल्स दोनों के विचारों में यथिष्टतम एकता थी इसीलिए उन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलन में अपना योगदान दिया—दोनों मिलकर ही कार्य करते थे। पेरिस में मार्क्स का सम्पर्क प्रौधा और चाकुनिन जैसे अराजकतावादियों से हुआ। 1844 में ही माइनेसिया के बुनकरों के विद्रोह का मार्क्स ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया इससे प्रशिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डालकर मार्क्स को फ्रांस से देश निकाला दिलवाया और वे ब्रुसेल्स में रहने लगे। मार्क्स और एंजिल्स ने "जर्मन विचारधारा" नामक कृति की रचना की, जिसमें हीगल के भाववादी और नए-हीगलवादियों की विस्तार से आलोचना की। साम्यवाद के दो आधार स्तम्भ हैं—(1) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और (2) ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिनके निर्माण में "जर्मन विचारधारा" ने सर्वाधिक महत्त्व का कार्य किया।

सन् 1847 में मार्क्स और एंजिल्स ने लन्दन में "साम्यवादी लीग" की स्थापना की और तब उन्हें "साम्यवादी घोषणा-पत्र" तैयार करने का कार्य सौंपा गया। यह "साम्यवादी घोषणा-पत्र" फरवरी 1848 में मार्क्स ने लिखकर लन्दन से प्रकाशित किया। यह पुस्तक साम्यवादियों का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है और मार्क्स की अमर रचना है। इसमें इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि सर्वहारा-वर्ग की क्रान्ति के परिणामस्वरूप पूँजीवाद को समाप्ति होती है, और उसके स्थान पर एक नए वर्ग-विहीन समाज की स्थापना होती है। इस प्रकार साम्यवादी घोषणा-पत्र से ही वैज्ञानिक समाजवाद के युग का उदय हुआ है।

सन् 1848 में फ्रांस में पूँजीवादी क्रान्ति हुई और यूरोप के अन्य देश भी उससे प्रभावित हुए। बेल्जियम सरकार इससे आशंकित हो उठी और उसने मार्क्स को वहाँ से निष्काशित कर दिया। तब मार्क्स पुनः फ्रांस में जाकर रहने लगे और वहाँ की मजदूर सस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर लिया। जून 1849 में पुनः उन्हें देश निकाला दिया गया और वे लन्दन जाकर रहने लगे।

इस प्रकार सन् 1848 में 1850 के मध्य फ्रांस में उन्होंने "वर्ग संघर्ष" (Class Struggle) पुस्तक की रचना की, जिसमें सर्वहारा-वर्ग के विषय में विस्तार से लिखा गया है। सन् 1851 से 1862 तक उनका अधिकांश समय "न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून" नामक पत्र में बीता। 1864 में उन्होंने लन्दन में "अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय" का गठन किया जो विश्व का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लन्दन में उन्होंने एक पत्रिका "न्यू राइनिश जाइट्ज पोलिटिशे—इकोनोमिशे रिब्यू" का प्रकाशन किया, जिसके छ अंक सन् 1850 में हैम्बर्ग से प्रकाशित हुए। मार्क्स की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एंजिल्स ने उनकी आर्थिक सहायता की। कुछ आर्थिक सहायता मार्क्स को पत्रिका के लेखों से मिली। लन्दन में उनके परिवार को भयकर गरीबी का सामना करना पड़ा। 1867 में मार्क्स के जग विख्यात ग्रन्थ "दास कैपिटल" के प्रथम खण्ड का प्रकाशन हुआ—इस ग्रन्थ ने मार्क्स को पूरे ससार का विद्वान घोषित कर दिया किन्तु दुर्भाग्य से इसके दूसरे व तीसरे खण्ड मार्क्स के जीवन-काल में प्रकाशित न हो सके। बाद में एंजिल्स ने उन्हें 1885 और 1894 में प्रकाशित करवाया। "दास कैपिटल" में वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। इसमें सर्वहारा-वर्ग के समाजवाद, उसके ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धान्त व उसके अधिनायकवाद और समाजवादी क्रान्ति आदि की दार्शनिक एवं अर्थशास्त्रीय दृष्टि से विवेचना की गई है। इस रूप में यह मार्क्स की अद्वितीय रचना कही जा सकती है। मार्क्स आजीवन निर्धनता से ग्रसित

रहे। निर्धनता और मानसिक परिश्रम ने उन्हें और दुर्बल कर दिया था। प्रियजनो के आग्रह पर जल चिकित्सा के लिए वे 1874, 1875 और 1876 में कार्ल्सवर्ट गए किन्तु आस्ट्रिया की सरकारों की दण्डित करने की धमकी के कारण उन्हें वहाँ जाना त्यागना पड़ा।

2 दिसम्बर सन् 1881 को उनकी पत्नी का देहावसान हो गया इससे उनको गहरा सदमा लगा, उनका स्वास्थ्य भी और अधिक खराब होता गया। इलाज के लिए वे अल्जीरिया गए किन्तु विशेष लाभ न हुआ। इसी बीच सबसे बड़ी पुत्री जेनी के निधन का समाचार मिला। इससे उनके स्वास्थ्य में और गिरावट आई, उन्हें निमोनिया हो गया और उनको स्थिति लगातार गिरती गई। अन्त में 14 मार्च, 1883 के शाम पीने तीन बजे वे चिर निद्रा में विलीन हो गए। एंजिल्स ने उनकी मृत्यु पर दुःख व्यक्त करते हुए लिखा कि "साइबेरिया की खानों से कैलिफोर्निया के तट पर विस्तीर्ण प्रदेश में श्रमिकों का श्रद्धास्पद प्रिय नेता मृत्यु को प्राप्त हो गया।" मार्क्स के निधन से मजदूर आन्दोलन को बड़ा धक्का लगा क्योंकि वे एक मेधावी, चरित्रवान, प्रकाण्ड पण्डित ही नहीं अपितु सुसंस्कृत इन्सान भी थे।

मार्क्स जनता के नेता थे। वे काल्पनिक स्वप्नद्रष्टा नहीं थे अपितु व्यावहारिक थे। उनके भाषण बड़े तर्कपूर्ण, अकाट्य और सक्षिप्त होते थे जिनमें एक भी शब्द अनर्गल नहीं होता था। मार्क्स बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे और पूँजीवादी समाज से सर्वहारा वर्ग को आजादी दिलाना उनका उद्देश्य था। जीवन की परिशानियों से जूझते हुए भी वे दूसरों की सहायता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते। वे एक बज्ञानिक भी थे, इन्होंने समस्त विशेषताओं के कारण ही एंजिल्स ने उनकी मृत्यु के समय उनकी समाधि के समीप हृदय को दहलाने वाला भाषण देते हुए कहा था, "जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक सम्भव तरीके से पूँजीवादी समाज के अन्त का प्रयत्न करना था। सघर्ष उनके जीवन का मुख्य तत्त्व था और उसने ऐसे उत्साह, साहस और सफलता से सघर्ष किया जिसको बराबरी नहीं की जा सकती। परिणामतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र, व्यक्ति था। उसका नाम युगो-युगो तक 'अमर रहेगा और उसी तरह उसकी कीर्ति भी अमर रहेगी।'"

### मार्क्स की रचनाएँ (Works of Marx)

कार्ल मार्क्स ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित

हैं—

- (1) जर्मन आइडियोलोजी (1845-46)
- (2) एन इन्ट्रोडक्शन टु द क्रिटिसिज्म टु द हीगल्स फिलोसोफी ऑफ राइट।
- (3) द होली फैमिली (1844)
- (4) द पॉवर्टी ऑफ फिलोसोफी (1847)
- (5) द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (1848)
- (6) प्रो कैपिटलिस्ट इकोनोमिक फार्मेशन (1857-58)
- (7) क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकोनोमी (1859)
- (8) द फर्स्ट इण्डियन वार ऑफ इण्डिपेण्डेन्स (1857-58)
- (9) इनॉगरल एड्रेस (1864)

(10) वेल्यू प्राइस एण्ड प्रॉफिट (1865)

(11) दास कैपिटल (1867)

(12) दा सिविल वार इन फ्रांस (1870-71)

(13) ग्रोथा प्रोग्राम, रिबोल्यूशन एण्ड काउण्टर रिबोल्यूशन

मार्क्स की उपर्युक्त रचनाओं में से कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार से दी जा रही है—

(1) जर्मन आइडियोलोजी (German Ideology) (1845-46)—'जर्मन विचारधारा' नामक रचना इतिहास के भौतिकवादी सिद्धान्तों से युक्त समाज विज्ञान की बड़ी स्पष्टता से तथा क्रमबद्धता से प्रस्तुत करती है। इसमें हीगल की विचारधारा एवं दर्शन की कटु एवं विस्तार से आलोचना की गई है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) और ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism) —ये दो साम्यवाद के आधार स्तम्भ कहलाते हैं जिनके निर्माण में 'जर्मन विचारधारा' नामक रचना ने सराहनीय कार्य किया था। वास्तव में यह कृति मार्क्स ने अपने मित्र एजिल्स के सहयोग से लिखी थी।

(2) एन इंट्रोडक्शन टु दा क्रिटिसिज्म टु दा हीगल्स फिलोसोफी ऑफ राइट (An Introduction to the Criticism to the Hegel's Philosophy of Right)—इस पुस्तक में हीगल की अधिकार सम्बन्धी धारणा की पर्याप्त आलोचना की गई है।

(3) दा होली फैमिली (The Holy Family) (1844)—मार्क्स और एजिल्स की संयुक्त रचना 'पवित्र परिवार' में सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्यों में समन्वित विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि निजी सम्पत्ति सभी अर्थिक और राजनैतिक बुराइयों की आधारशिला है—इसमें नवीन क्रान्तिकारी भौतिकवादी दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धान्तिक विचारधारा—दोनों के तत्व विद्यमान हैं।

(4) दा पॉवर्टी ऑफ फिलोसोफी (The Poverty of Philosophy) (1847)—इस पुस्तक में पहली बार द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सूत्रपात किया गया तथा समस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रारम्भिक दुर्बलताओं और कमियों पर प्रकाश डाला गया है। 'दर्शन की दरिद्रता' नामक इस कृति में मार्क्स ने पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों और उनके समर्थक प्राधो (Proudhon) के विचारों का खण्डन करके कहा कि समाज की अर्थव्यवस्था की अनेक मान्यताएँ सामाजिक सम्बन्धों की ही अभिव्यक्ति हैं। ये मान्यताएँ ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील हैं और इसीलिए इन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के समाप्त हो जाने पर वे मान्यताएँ भी समाप्त हो जाएँगी। मार्क्स ने प्राधो को तर्कहीन बताते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब तक पूँजीवादी समाज व्यवस्था रहेगी, तब तक समाज में शोषण, गरीबी और कष्टों का विद्यमान रहना आवश्यक है। इसे दूर किया जा सकता है जब पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली को ही समाप्त हो जाए।

(5) कम्युनिष्ट मैनिफेस्टो (Communist Manifesto) (1848)—सन् 1947 में मार्क्स की लन्दन की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट लीग ने साम्यवादी घोषणा-पत्र तैयार करने का निर्देश दिया। यह मार्क्स की अमूल्य रचना है। इसे वैज्ञानिक साम्यवाद का कार्यक्रम सम्बन्धी

दस्वावज कहा जा सकता है। इस कृति में सर्वप्रथम सर्वहारा-वर्ग के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को सरल एवं मक्षेप में व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि सर्वहारा-वर्ग की क्रान्ति से ही वर्गहीन समाज का उदय होगा और पूँजीवाद की समाप्ति होगी। फ्रांसीसी भाषा में लिखित इस घोषणा-पत्र का अनुवाद अनेक भाषाओं, यथा—हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन आदि में हुआ है।

(6) दास कैपिटल (Das Capital) (1867)—मार्क्स द्वारा रचित 'दास कैपिटल' पुस्तक उनकी विश्वविख्यात कृति मानी जाती है। इस रचना का प्रथम खण्ड ही उनके जीवन काल में प्रकाशित हो सका था, इसका दूसरा और तीसरा खण्ड उनकी मृत्यु के उपरांत उनके मित्र एचिल्स द्वारा सन् 1885 और 1894 में प्रकाशित कराया गया था। यह पुस्तक समाजवादी माहित्य का प्रामाणिक ग्रन्थ है तथा समाजवादी सिद्धान्तों की आधारशिला है। इस कृति में सर्वहारा-वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धान्त, समाजवादी क्रान्ति और सर्वहारा-वर्ग के अधिनायकत्व को बड़े अर्थशास्त्रीय ढंग से स्पष्ट किया गया है। इसी कारण यह पुस्तक सभी देशों के समाजवादियों के लिए महत्त्वपूर्ण एवं पठनीय कृति बन गई है। समाजवादी व मजदूर वर्ग के सभी अखबारों में 'दास कैपिटल' के उद्धरण छपने लगे हैं। अनेक भाषाओं में यह कृति अनूदित हो गई है। जब यूरोप और अमेरिका में मार्क्स के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया तब मार्क्सवादियों ने अपने अकाट्य तर्कों से उन्हें वहीं शान कर दिया। लेनिन का कहना है कि, "यह ग्रन्थ ही वह मुख्य और बुनियादी रचना है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है।"

ई. स्तेपानोवा के मत में "मार्क्स की यह महान् रचना पूँजीवादी गुलामी के विरुद्ध सर्वहारा के वर्ग-सघर्ष में उसका एक शक्तिशाली सैद्धान्तिक अस्त्र है।" इन्हीं गुणों के कारण इसे 'समाजवादियों का बाइबिल' माना जाने लगा है। मार्क्स ने 'दास कैपिटल' पर 40 वर्षों तक कार्य किया किन्तु उसकी तुलना में उन्हे पारिश्रमिक बहुत कम मिला है।

(7) क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस (Class Conflict in France)—इस कृति में 'सर्वहारा अधिनायकत्व' (Dictatorship of the Proletariat) के सूत्र का प्रयोग किया गया है। इस कृति में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद अनेक प्रकार के पूँजीवादी, निम्न पूँजीवादी और कल्याणवादी समाजवाद से पूर्णरूप से पृथक् है, उसे तो 'क्रान्ति के स्थायित्व की घोषणा' कहा जा सकता है, यह सभी वर्ग-विभेदों को दूर करने और उन विभेदों के आधार पर स्थित सभी प्रकार के उत्पादन सम्बन्धों को तोड़ने और नष्ट करने और इनसे उत्पन्न विचारों में क्रान्ति लाने के लिए सर्वहारा के अधिनायकत्व की घोषणा है।

इन उपर्युक्त प्रमुख कृतियों के अतिरिक्त और भी इनकी अनेक कृतियाँ हैं, जो विश्व में सर्वमान्य हैं।

### विभिन्न विचारकों का मार्क्स पर प्रभाव (Impact of Various Thinkers on Marx)

प्रत्येक विद्वान् अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सभी अन्य प्रकार की परिस्थितियों से प्रेरित होता है और उसकी रचनाओं में भी तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब स्पष्ट झलकता है। मार्क्स का युग भौतिक और तकनीकी उपलब्धियों का युग

था। यूरोप में धर्म-का प्रभाव घट रहा था और विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा था—उद्योगों का विस्तार हो रहा था—मशीनों का प्रादुर्भाव हो गया था, मजदूर और मालिकों के दो वर्ग बन गए थे। पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण मजदूरों पर संकट आ गया था इससे मजदूर-आन्दोलन होने लगे थे। मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए उनके एकजुट होकर संगठन बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा था—ऐसे संकट के समय अनेक व्यावहारिक समाजवादी दृष्टिगोचर हुए जिनमें मार्क्स और एंजिल्स प्रमुख थे—इनसे पूर्व के विचारकों ने पूँजीवाद की बुराइयों को बताया और उनको दूर करने के उपाय सुझाए, किन्तु मार्क्स और एंजिल्स ने चूँकि पूँजीवादी व्यवस्था के संकटों को करीब से देखा और अनुभव किया था अतः उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था में सुधार की अपेक्षा समाजवादी उत्पादन प्रणाली की स्थापना करने पर जोर दिया।

मार्क्स ने क्रान्तिकारियों को सत्ताधारियों के द्वारा दी जाने वाली प्रतारणाओं और यंत्रणाओं को देखा था कि समाजवादी विचारों के कारण उन्हें किस प्रकार स्थान-स्थान से निष्कासित किया गया था—वैज्ञानिक साम्यवाद इन्हीं परिस्थितियों को देन है जिनका प्रभाव तत्कालीन समस्त परिस्थितियों पर पड़ा था। इसके अतिरिक्त मार्क्स पर निम्नलिखित विचारों का भी प्रभाव पड़ा था।

### ( 1 ) हीगल के दर्शन का प्रभाव (Impact of Hegelian Philosophy)—

मार्क्स मौलिक रूप से हीगल के विचारों से प्रभावित थे। हीगल पूर्णरूप से बुद्धिमान थे और वे इतिहास में विकास के सैद्धान्तिक अध्ययन से सम्बन्धित थे। वास्तव में मार्क्स हीगल के दर्शन के प्रति ऋणी हैं जिससे उन्होंने तर्क की द्वन्द्वात्मक व्यवस्था सीखी जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में थी। मार्क्स को हीगल का सीधा उत्तराधिकारी माना जा सकता है किन्तु हीगल के अन-आनुभाषिक प्रभाव के अतिरिक्त मार्क्स ने अपने स्वयं के व्यावहारिक विचारों को विकसित किया जो ठोस तत्वों पर आधारित थे। मार्क्स फ्रांस से जर्मनी गए, वहाँ से इंग्लैण्ड गए। इससे अनेक देशों के समाजों के अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला। अपने आनुभाषिक कार्यों के प्रभाव के कारण उन्होंने हीगल की ऐतिहासिक प्रक्रिया के बौद्धिक उपागम के प्रभाव को संशोधित किया जिसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों को भी सम्मिलित किया।

मार्क्स का दर्शन उस समय हीगल की दार्शनिक व्यवस्था से अलग लगता है, जब उनका आनुभाषिक उपागम तार्किक जगत से बाहर आता है। फिर भी मार्क्स आंशिक रूप से द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया की गत्यात्मक विशेषता को बनाए रखते हैं। हीगल और मार्क्स दोनों ही मानव के विकास को एक प्रक्रिया के रूप में अपने विश्लेषण में अभिव्यक्त करते हैं। हीगल के अनुसार प्रत्येक अवस्था पूर्व की अवस्था से अधिक विकसित होती है। इस प्रकार वे विभिन्न अवस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़कर अवलोकन करते हैं, जबकि मार्क्स प्रत्येक अवस्था को पूर्व की अवस्थाओं के परिणाम के रूप में देखते हैं किन्तु उसकी प्रकृति विरोधी होता है, इन दोनों के विचारों में यह प्रमुख अन्तर मिलता है।

हीगल ने 'अलगाव' की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मार्क्स ने इस अवधारणा को अपनाया और उत्पादन की इकाइयों के विश्लेषण में इसकी व्याख्या की। पूँजीवादी व्यवस्था में मजदूर श्रम करते हैं और वह श्रम दूसरे वर्ग अर्थात् मालिक को स्थानान्तरित हो

जाता है और इस प्रकार शक्ति व सत्ता का भी स्थानान्तरण हो जाता है। इस दूसरे समूह अर्थात् मालिक की सत्ता-हस्तान्तरण की प्रक्रिया को ही मार्क्स ने 'अलगाव की प्रक्रिया' बताया है।

हीगल के प्रभावों से मार्क्स अत्यधिक प्रभावित रहे। हीगल से मार्क्स ने यह तथ्य सीखा कि विश्व की प्रगति गतिशील है और यह निरन्तर प्रवाहमान है। यदि विश्व की प्रगति को समझना है तो इसे विकास की प्रक्रिया द्वारा ही समझा जा सकता है। यह विकास क्रमिक और द्वन्द्वात्मक क्रम से होता है जो सीधी रेखा नहीं चरन् टेढ़े-मेढ़े रूप में होता है। हीगल इसी विकास की प्रक्रिया को 'द्वन्द्व' के रूप में मानते हैं। हीगल ने सामाजिक विकास का सूत्र दिया—'वाद, प्रतिवाद और समवाद' (Thesis, Antithesis and Synthesis)—वाद किसी वस्तु का प्रारम्भिक रूप होता है। इसके पश्चात् अन्तर्निहित विरोधाभासों के परिणामस्वरूप प्रतिवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जो पतन का कारण होती है। वाद और प्रतिवाद के निरन्तर सघर्षरत रहने से एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो समवाद है—मार्क्स के अनुसार यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, तत्पश्चात् समवाद—वाद की स्थिति आती है इसी रूप में समाज का विकास चलता रहता है। हीगल का यह 'द्वन्द्ववाद' विचारों अथवा आत्मा-क्षेत्र में तीन अवस्थाओं में समाप्त हो जाता है। मार्क्स ने भी हीगल के द्वन्द्ववाद को स्वीकारा, किन्तु उन्होंने उसके स्थान पर भौतिक द्वन्द्ववाद को जन्म दिया। इस प्रकार हीगल और मार्क्स के विचारों में यह भी अन्तर है कि हीगल जहाँ आत्मा (Spirit) को ही महत्ता प्रदान करते हैं तथा तीन चरण बताते हैं वहीं मार्क्स 'पदार्थ' को मानते हैं, जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है जिसके कई चरण हैं। हीगल की आदर्शवादी व्याख्या के स्थान पर मार्क्स ने विश्व की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की तथा तीन चरणों के स्थान पर अनेक चरणों का उल्लेख किया है।

(2) फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव (Impact of French Socialists)—हीगल के अतिरिक्त मार्क्स के विचारों पर फ्रांस के समाजवादी विचारकों का भी पर्याप्त प्रभाव रहा। जिन विचारकों ने मार्क्स के सामाजिक सिद्धान्त को प्रभावित किया है उनमें 'सेण्ट साइमन' (Saint Simon) का नाम प्रमुख है। मार्क्स की 'वर्ग-विहीन समाज' की कल्पना सेण्ट साइमन के विचारों का रूपान्तरण है। साइमन की मान्यता थी—“श्रम करने वालों को ही जीवित रहने का अधिकार है।” सेण्ट साइमन ने ऐतिहासिक प्रणाली को ग्रहण किया था और स्पष्ट किया था कि औद्योगिक युग की सम्भावनाओं को आर्थिक आधारों पर ही जाना जा सकता है। साइमन के मत में राजनैतिक परिवर्तनों के लिए महत्त्वपूर्ण कारण उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करना है—इस प्रकार मार्क्स के मजदूर वर्ग के सघर्ष की व्याख्या पर फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है—मार्क्स ने अपनी कृति 'जर्मन आइडियोलोजी' में इनकी आलोचना भी की है—साइमन के अतिरिक्त 'केवेट' और 'फोरियर' से भी मार्क्स प्रभावित रहे। फोरियर ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की थी तथा केवेट का विचार था कि 'साम्यवाद तभी स्थापित किया जा सकता है, जब समस्त आवश्यक कार्यों पर राज्य का नियन्त्रण हो' इसी से प्रभावित होकर मार्क्स ने 'साम्यवादी लीग' की स्थापना सन् 1847 में की। इसके अतिरिक्त मार्क्स रिकार्डों, एडमस्मिथ व क्वेन्से आदि अर्थशास्त्रियों से भी प्रभावित रहे। एलेक्जेंडर के मत में "मार्क्स के मूल्यों का सिद्धान्त" रिकार्डों के सिद्धान्त से अधिक नहीं है।



(3) ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव (Impact of British Socialists)—मार्क्स के सामाजिक चिन्ता को प्रभावित करने वाले में ब्रिटिश समाजवादी ओवेन, थाम्पसन, हीजस्किन व अलेक्जेंडर आदि का नाम भी लिया जा सकता है। ओवेन का मत “मानव का चरित्र परिस्थितियों की बनावट है” तथा थाम्पसन आदि के विचार “श्रम ही मूल्य का स्रोत है”—इन दोनों का मत मार्क्स के सिद्धान्त को प्रभावित करता है।

मार्क्स के सामाजिक चिन्तन को प्रभावित करने में उनकी स्वयं की क्रान्तिकारी प्रकृति भी उनके कार्यों के प्रेरक के रूप में मानी जा सकती है। इसका प्रभाव सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान में स्पष्टतया परिलक्षित होता है। सम्पत्ति के मालिकों के वर्ग और सम्पत्तिहीन वर्गों के संघर्ष जो उस यूरोप के समाजों में विद्यमान थे, सम्पत्ति और उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी विचारों के विकास में भी यह संघर्ष उस रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, जो उस समय पूँजीपति वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग में विद्यमान था व जिसे मार्क्स ने ‘सर्वहारा-वर्ग’ कहा है।

इस प्रकार मार्क्स के चिन्तन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उस समय विद्यमान थे जिनसे वे प्रभावित थे।

### कार्ल मार्क्स के मूल समाजशास्त्रीय विचार (Original Sociological thoughts of Karl Marx)

कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान की विवेचना करने से पूर्व यह श्रेयस्कर होगा कि हम मार्क्स की महत्वपूर्ण कृतियों के कुछ प्रमुख अंशों का अध्ययन करें जिसमें उनके उद्देश्यों, अभिग्रहो, अध्ययन प्रणाली, प्रारूप, अवधारणाओं, सिद्धान्तों और सामान्यीकरणों आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी विद्यमान है। सोरोकिन के अनुसार मार्क्स के समाजशास्त्रीय सामान्यीकरणों और सिद्धान्तों आदि का सार मार्क्स द्वारा लिखित “क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनोमी की भूमिका”, 1859, एवं “कम्यूनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र”, 1848, के कुछ अंशों में देख सकते हैं। सोरोकिन के कथनानुसार इन निम्न उद्धरित अंशों के अध्ययन से मार्क्स के समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों की प्रमुख एवं आवश्यक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। ये हिन्दी में अक्षरशः अनुवादित मूल अंश निम्नलिखित हैं—

#### I. ‘क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनोमी’ की भूमिका, 1859 (Preface of the ‘Critique of Political Economy’, 1859)

“जिन सामान्य निष्कर्षों पर मैं पहुँचा हूँ और जो मेरे अध्ययनों की एक सतत शृंखला के निरन्तर आधार रहे हैं वे सार रूप में निम्न हैं—सामाजिक उत्पादन जिन्हे मानव करता है उनमें वह निश्चित प्रकार के सम्बन्धों में प्रवेश करता है वे अपरिहार्य होते हैं तथा उसकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं, ये उत्पादन के सम्बन्ध निश्चित उत्पादन की वस्तुओं की शक्ति के विकास की अवस्था से सम्बन्धित होते हैं। ये उत्पादन के सम्बन्धों के योग समाज की आर्थिक संरचना को निर्मित करते हैं—यह वास्तविक आधारशिला है, जिस पर कानूनी और राजनैतिक अधिसंरचना निर्मित होती है और इसके अनुरूप निश्चित सामाजिक चेतना का विकास होता है। भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि सामाजिक, राजनैतिक और

आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। यह मानव की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व का निर्णय करती है, बल्कि इसके विपरीत सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निर्णय करता है।

उनके विकास की एक निश्चित अवस्था में, समाज में उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ विद्यमान उत्पादन के सम्बन्धों के साथ संघर्ष करती हैं.....सम्पत्ति के साथ संघर्ष करती हैं जिनमें वो पहिले कार्य कर रही थी। उत्पादन की शक्तियों के स्वरूपों के विकास से ये सम्बन्ध उनकी चेष्टियों में बदल जाते हैं। तब सामाजिक क्रान्ति का काल आता है। आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ-साथ सम्पूर्ण बड़ी अधिमर्चना कम-या-अधिक रूप में तेजी से रूपान्तरित हो जाती है। इस प्रकार के रूपान्तरण में इस बात का सर्वथा अन्तर रहना होगा कि उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों के भौतिक रूपान्तरण का निर्णय प्राकृतिक विज्ञान की यथार्थता करती है तथा कानूनी, राजनैतिक, धार्मिक, सौन्दर्यशास्त्रीय या दार्शनिक—सक्षिप्त में आदर्शात्मक स्वरूप जिससे सचयों के प्रति मानव सचेत होता है तथा इनसे वह युद्ध करता है। जिस प्रकार से हमारा मत एक व्यक्ति के सम्बन्ध में इस पर आधारित नहीं होता है कि वह स्वयं के बारे में क्या सोचता है उसी प्रकार से हम किसी काल के रूपान्तरण के सम्बन्ध में उसकी चेतना के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते हैं, इसके विपरीत, इस चेतना की व्याख्या भौतिक जीवन के विरोधों, उत्पादन की सामाजिक शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों के आधार पर करनी चाहिए। कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक लुप्त नहीं होती है जब तक कि सभी उत्पादन की शक्तियाँ जिनके विकास की सम्भावना होती है विकसित नहीं हो जाती हैं, और नवीन उच्चतर उत्पादन के सम्बन्ध कभी भी तब तक उत्पन्न नहीं होते हैं, जब तक कि उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ पुराने समाज के गर्भ में परिपक्व नहीं हो जाती हैं। इसीलिए मानव जाति सर्वदा केवल उन्हीं समस्याओं को लेती है जिन्हें हल कर सकती है, विषय को अधिक निकटता से देखने से हम हमेशा पाते हैं कि समस्या तभी उत्पन्न होती है जब उसे हल करने की भौतिक परिस्थितियाँ पहिले से ही विद्यमान होती हैं अथवा विद्यमान होने की प्रक्रिया में होती है। हम प्रमुख रूपरेखा (बिन्दुओं) के रूप में समाज के आर्थिक विकास के रूपान्तरणों के अनेक कालों में, जैसे—एशियाई, प्राचीन सामन्ती और आधुनिक बुर्जुवा उत्पादन की पद्धतियों में ऐसा पाते हैं। बुर्जुवा उत्पादन के सम्बन्ध उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया के अन्तिम विरोध (संघर्ष) हैं—यह संघर्ष व्यक्तिगत संघर्षवाद के अर्थ में नहीं है बल्कि यह उन परिस्थितियों में से उत्पन्न होता है जो समाज में व्यक्तियों के जीवन को चारों ओर से घेर रहा है। इसी के साथ-साथ इस संघर्ष का समाधान उन उत्पादन की शक्तियों के द्वारा होता है जो बुर्जुवा समाज की भौतिक परिस्थितियों के गर्भ से विकसित होती हैं। यह सामाजिक रूपान्तरण मानव समाज के पूर्व ऐतिहासिक अवस्था के अन्तिम अध्याय को बनाता है।

## II. कम्युनिष्ट पार्टी का घोषणा-पत्र

मार्क्स ने कम्युनिष्ट पार्टी के घोषणा पत्र, 1848 में वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त की जो विवेचना की है, वह इस प्रकार है—

“आज तक अस्तित्व में जो समस्त समाज है उनका इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है।”

“स्वतन्त्र मनुष्य और दास, पेट्रीशियन और प्लेविपन, सामन्ती प्रभु और भूदास, शिल्प-संघ का उस्ताद-कारीगर और मजदूर-कारीगर—संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित (शोषक और शोषित) बराबर एक-दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे, कभी प्रकट रूप से लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लड़ाई का अन्त हर बार या तो पूरे समाज के कान्तिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में हुआ है।”

## मार्क्स के उद्देश्य, अभिग्रह, पद्धतिशास्त्र और प्रारूप (Aims, Assumptions, Methodology and Typology of Marx)

कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान का अध्ययन करने से पूर्व मार्क्स के उद्देश्य, अभिग्रह, पद्धतिशास्त्र और प्रारूप को समझना श्रेयस्कर होगा जो निम्न प्रकार से हैं—

### 1. उद्देश्य (Aims)

मार्क्स का प्रमुख लक्ष्य जीवन की परिस्थितियों और विचारों के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण करना था। आप समाज की आर्थिक उप-संरचना का समाज के मानव अधिसंरचना के साथ परस्पर सम्बन्ध का विश्लेषण एक निरन्तर परिवर्तित समाज के ऐतिहासिक विकास के आधार पर करना चाहते थे। इस प्रकार का पारस्परिक प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध मार्क्स के विचारों का भौतिक आधार था। उन्होंने इसी दृष्टिकोण से 'स्वाभाविक मानव' का 'अलगाव मानव' के रूप में परिवर्तन का अध्ययन किया था। आपका मत है कि यह परिवर्तन औद्योगिकीकरण और पूँजीवाद के शोषण के द्वारा होता है। समाज के पुनर्परिवर्तन के सिद्धान्त के पीछे उनका एक वैचारिक लक्ष्य था। आपने अनुमान लगाया था कि 'अलगाव मानव' पुनः परिवर्तित होगा और एक ऐसे स्वाभाविक मानव के रूप में बदलेगा जो अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से सामंजस्य करेगा। आपने भौतिक द्वन्द्वात्मकवाद के सन्दर्भ में राजनैतिक अर्थशास्त्र के विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन की योजना बनाई। मार्क्स इस प्रकार से एक व्यावहारिक सिद्धान्तवेत्ता थे। आपने जर्मन हीगल परम्परा का उपयोग किया। हीगलवाद के द्वारा अपने जीवनकाल में विद्यमान राजनैतिक और आर्थिक अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मार्क्स ने समाज के एक द्वन्द्वात्मक परिवर्तन के सिद्धान्त का विकास किया। इस सिद्धान्त में प्रमुख जोर आर्थिक उपसंरचना पर था।

### 2. अभिग्रह (Assumption)

प्रत्येक सिद्धान्त अथवा वैज्ञानिक के विचार के कुछ महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इनको समझे बिना सिद्धान्तों अथवा विचारों को समझना कठिन है। मार्क्स के भी द्वन्द्वात्मक, भौतिकवाद, वर्ग-संघर्ष व समाज की ऐतिहासिक व्याख्या आदि के कुछ मौलिक आधार हैं। मार्क्स कुछ बातों को मानकर चलते हैं जिस पर आपके सिद्धान्त तथा व्याख्याएँ आधारित हैं। निम्नांकित कुछ महत्वपूर्ण आधार या अभिग्रह हैं जिन पर मार्क्स के विचार तथा व्याख्याएँ आधारित हैं।

1. चेतना का निर्णायक अस्तित्व (Existence Determines Consciousness)—मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक अभिग्रह है, "अस्तित्व चेतना का निर्णायक है।" इससे आपका तात्पर्य है कि जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ सामाजिक या मानकात्मक चेतना को नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित करती हैं। भौतिक परिस्थितियाँ सामाजिक अन्तर्विद्वेक को परिभाषित करती हैं।

2. भौतिक अभीतिक का निर्णायक (Material Determines the Non-material)—मार्क्स के सिद्धान्त का दूसरा महत्वपूर्ण अभिग्रह है, "भौतिक अभीतिक का निर्णायक है।" आपका मत है, "उत्पादन के प्रकार सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन की प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं।" भौतिक विचारों का निर्धारण करते हैं। भौतिक परिवर्तन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक चेतना तथा आदर्शों में परिवर्तन का कारण भौतिक कारक हैं।

3. भौतिक परिस्थितियों में समाज का उद्गम (Society is rooted in material conditions)—मार्क्स ने इसी प्रकार आगे स्पष्ट किया, "समाज का उद्गम भी जीवन की भौतिक परिस्थितियों है।" मानव अपनी प्रार्थमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास करता है उसके परिणामस्वरूप आर्थिक उप-संरचना का विकास होता है। यही आर्थिक उप-संरचना समाज की राजनैतिक तथा कानूनी उप-संरचनाओं को निर्धारित तथा परिभाषित करती है। मार्क्स के अनुसार समाज, इस प्रकार से, उद्विकास के सन्तुलन को प्रदर्शित करता है जिसमें सामाजिक चेतना तथा सम्बन्धों को उत्पादन के प्राथमिक तरीके (आर्थिक व्यवस्था) निश्चित करते हैं। यह कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त का तीसरा महत्वपूर्ण अभ्युपगम है।

4. द्वन्द्वात्मक उद्विकास (Dialectic Evolution)—मार्क्स का चौथा और अन्तिम महत्वपूर्ण अभ्युपगम है आर्थिक उप संरचना और मानकात्मक अधि-संरचना में परस्पर द्वन्द्वात्मक अन्तर्क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप समाज अनेक उद्विकासीय चरणों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। आपका मानना था कि जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम-विभाजन में भी वृद्धि होती है तथा भूमिकाओं में भी वृद्धि होती है। इस विकास के कारण निजी सम्पत्ति में वृद्धि होती है। औद्योगिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप निजी सम्पत्ति से पूँजीपति व्यवस्था का विकास होता है। मार्क्स का यह भी मानना था कि आर्थिक प्रभुत्व तथा पूँजीवाद से सर्वहारा-वर्ग (श्रमजीवी वर्ग) का प्रकृति तथा उत्पादन के साधनों से अलगाव होगा। उत्पादन के साधनों, उत्पादन के तरीकों तथा सम्बन्धों पर शोषक-वर्ग या पूँजीपति-वर्ग का पूर्ण नियन्त्रण होगा तथा सर्वहारा-वर्ग का शोषण होगा।

सारांश में यह कह सकते हैं कि मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्वात्मकता को अपनाया जिसमें भौतिकवाद को कारण मानकर समाज के इतिहास का अध्ययन किया। मार्क्स का सिद्धान्त भौतिक निर्णायकवाद का सिद्धान्त है।

समाज में श्रम-विभाजन और निजी सम्पत्ति के अधिकारों में वृद्धि के कारण पूँजीवाद का विस्तार होता है। आगे चलकर, मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद में द्वन्द्व होगा जो समाजवाद के लिए एक आन्दोलन के रूप में शुरू होगा जो अन्त में एक ऐसे समाज का निर्माण

करेगा जिसमें मानव प्रकृति और सामाजिक वातावरण के साथ पुनः जुड़ जायेगा तथा एक 'स्वाभाविक मानव' का उदय होगा।

### 3. पद्धतिशास्त्र (Methodology)

मार्क्स अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के लिए विख्यात हैं। अपने समाज के इतिहास का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर अध्ययन किया है। द्वन्द्वात्मक जर्मनी के दर्शन की देन है। विशेष रूप से फ्रेडरिक हीगल की रचनाओं में द्वन्द्वात्मक को देखा जा सकता है। अपने लिखा है कि घटना में परिवर्तन के कारण स्वयं घटना में ही विद्यमान होते हैं। आप परिवर्तन को वाद (मूल अवस्था) और प्रतिवाद (विरोधी अवस्था) से समवाद (प्रथम दोनों अवस्थाओं का समन्वय) के रूप में मानते हैं, जो कि एक नूतनवाद (नई अवस्था) के रूप में प्रनपता है, मानते हैं। यह द्वन्द्वात्मक उद्विकास घटना के गत्यात्मक उद्विकास और परिवर्तन की व्याख्या करता है। इसको हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील होती है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती है। वस्तुओं में परिवर्तन अवश्यभावो है। आपने कहा कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सक्रिय होते हैं। अपने विकास की प्रक्रिया का आधार भौतिक वस्तुओं में विद्यमान आन्तरिक विरोध को बताया है। वस्तुओं में विरोध के कारण पारस्परिक संघर्ष होता है और उसके अनुसार विकास होता है। संघर्ष के द्वारा विश्व का विकास होता है, यह संघर्ष आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार से होता है। इस प्रकार से मार्क्स का यह मान्यता रही है कि भौतिक समाज की भौतिक शक्तियों में परिवर्तन होता है जो उद्विकास व विकास के रूप में सामने आता है। इसी के आधार पर मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या की। आपका कहना है कि प्रारम्भ में समाज आदिम साम्यवाद की अवस्था में होता है। संघर्ष के फलस्वरूप यह दासता की अवस्था में विकसित होता है। विकास का क्रम सामन्तवाद से पूँजीवाद और अन्त में साम्यवाद की अवस्था में पहुँच जाता है। मार्क्स के अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद एक समाजशास्त्रीय उपकरण है जिसके द्वारा समाज के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण करने में उपयोग किया जा सकता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार भौतिक शक्तियाँ परस्पर विरोधी और प्रतिविरोधी शक्तियों के रूप में संघर्ष करती हैं जिससे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है।

इस पद्धति के अनुसार मार्क्स ने ऐतिहासिक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। मार्क्स ने समाज के उत्पादन के तरीकों और सामाजिक संरचनाओं के परस्पर सम्बन्धों के परिवर्तन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। अपने सामाजिक संस्थाओं के इतिहास का विकास किया। मार्क्स ने सामाजिक विश्लेषण में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने का लक्ष्य रखा।

### 4. प्रारूप (Typology)

4.1. जनजातिवाद (Tribalism)—टी. वी. बॉटोमोर की सम्पादित पुस्तक 'कार्ल मार्क्स : सलेक्टेड राइटिंग्स इन सोशियोलॉजी एण्ड सोशियल फिलासॉफी' में मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के प्रारूप का विस्तृत वर्णन दिया गया है। मार्क्स ने सामाजिक विकास

के चरण एक प्रारूप के रूप में दिये हैं, जो निम्न प्रकार से हैं—आपने इस उद्विकासी प्रारूप में सर्वप्रथम अवस्था जनजाति की बताई है। इस अवस्था में शिकार, मछली पकड़ना और कृषि प्रधान होता है। मुख्य रूप से समाज पितृसत्तात्मक होता है। श्रम-विभाजन एक विस्तृत परिवार व्यवस्था के रूप में मिलता है। मार्क्स का कहना है कि इस प्रकार इन जनजाति समाजों में निजी सम्पत्ति और श्रम का विभाजन न्यून होता है।

**4.2. सामन्तवाद (Feudalism)**—जब कुछ जनजातियाँ परस्पर मिल जाती हैं और उनका आकार बढ़ा हो जाता है तो इसके साथ समुदायवाद विकसित हो जाता है। इस अवस्था में दासता, निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन व्यवस्था प्रारम्भ हो जाती है। कृषि में कुछ कमी आती है। सामन्तवाद आ जाता है। भूमि पर आधारित अर्धव्यवस्था विकसित हो जाती है। धनी कृषि का नियन्त्रण करते हैं। मार्क्स के अनुसार यह संरचना भी अपूर्ण होती है और नगरीकरण का विकास होता है। आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन आर्थिकी की आवश्यकता पड़ती है जो विकसित हो कर विश्व में उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है।

**4.3. पूँजीवाद (Capitalism)**—इस उपर्युक्त विकास के फलस्वरूप पूँजीवाद का विकास होता है जिसमें निम्नलिखित तत्त्वों का उदय होता है। मार्क्स का कहना है कि पूँजीवाद ऐसी व्यवस्था है जिसके स्रोतों का एकाधिपत्य हो जाता है। यह एकाधिपत्य उत्पादन के साधनों पर पूँजी के रूप में स्वामित्व के कारण होता है। श्रमिक का श्रम महत्त्वपूर्ण वस्तु बन जाता है। समाज—दो वर्गों में मालिक और श्रमिक में बँट जाता है। जिस प्रकार से जनजातिवाद से सामन्तवाद और सामन्तवाद से पूँजीवाद में परिवर्तन हुआ उसी प्रकार से पूँजीवाद की अवस्था भी स्थिर नहीं रहती है। मार्क्स का मत है कि अधिक उत्पादन और अलगाव के बढ़ने की समस्याओं के फलस्वरूप पूँजीवाद में परिवर्तन आता है। अलगाव के बढ़ने से श्रमिक सर्वहारा वर्ग संगठित हो जाते हैं और पूँजीपतियों के विरुद्ध क्रान्ति करते हैं।

**4.4. कल्पनालौकीय समाजवाद (Utopian Socialism)**—पूँजीवाद अपनी समाप्ति की प्रक्रिया स्वयं प्रारम्भ करता है और समाज अन्ततोगत्वा विकास की चरम सीमा कल्पनालौकीय समाजवाद की अवस्था में पहुँच जाता है, ऐसा मार्क्स का मत है। आपका कहना है कि कल्पनालौकीय समाजवाद की अवस्था में श्रमिक-वर्ग या सर्वहारा-वर्ग की क्रान्तिकारी तानाशाही स्थापित हो जाती है जो निजी सम्पत्ति के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। समाज को इस अवस्था में वर्ग समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पूर्ण रूप से समाजवादी हो जाता है। समाज एवं प्रकृति पुनःसंगठित हो जाते हैं। इस प्रकार से समाजवाद एक प्रकार से समाज को जनजातिवाद की प्रारम्भिक अवस्था में लौटा लाता है, जहाँ व्यक्ति अपने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो जाता है।

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन के विकास के प्रारूप के चरणों को संलग्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत समाज के विकास के प्रारूप

जातिवाद (Tribalism)	सामन्तवाद (Feudalism)	पूँजीवाद (Capitalism)	साम्यवाद (Socialism)
1. शिकार, मछली पकड़ना, कृषि।	1. देहाती आधार	1 श्रम मुख्य वस्तु	1 वर्ग हीन।
2. श्रम का विभाजन = परिवार का विस्तार।	2. भू-आधार।	2. संरचना : मालिक व श्रमिक।	2 निजी सम्पत्ति का लोप।
3. पितृसत्तात्मक संरचना।	3. अभिजात शक्ति।	3. उपयोगितावादी विचारधारा।	3 पूर्ण समाजीकृत व्यक्ति।
		4. अप्राकृतिक भौतिकवाद।	4 पुनर्गठन : व्यक्ति एवं प्रकृति।
		5. अलगाव एवं भोगाधिकार	
		6 अत्युत्पादन का विकास।	

समाजशास्त्र में योगदान

(प्रमुख अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त)

(Contribution to Sociology)

(Major Concepts and Theories)

कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र विषय में विशिष्ट योगदान रहा है। आपने समाज को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझने में विशेष दिशा प्रदान की है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन, समाज के परिवर्तन के प्रारूप, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, समाज के इतिहास की भौतिकवादी (आर्थिक) व्याख्या, वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा आदि महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों को प्रतिपादित करके समाजशास्त्र विषय के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम निम्न महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे।

- 1 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त।
- 2 वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा।
- 3 द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद।
- 4 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
- 5 अलगाव का सिद्धान्त।

## 1. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)

कार्ल मार्क्स ने समाज की जो व्याख्या की है उसका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष, शोषक एवं शोषित, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अलगाव आदि की जो विवेचना की है उनका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। अतः हम मार्क्स के विभिन्न सिद्धान्तों को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें आपके द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त को समझना होगा। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त को अपनी विश्वविख्यात पुस्तक 'पूँजी' (कैपिटल) में प्रतिपादित किया है। आपके अनुसार अतिरिक्त मूल्य का अर्थ यह है, किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और खर्च की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बेची जाती है उसके बीच के अन्तर को कहते हैं। इसको निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है—एक कुर्सी के निर्माण में निम्न मद्दे के अन्तर्गत खर्च किया जाता है। मान लीजिए चार रुपये की लकड़ी लगी, दो रुपये की कोले, बर्दई को कुर्सी बनाने के 10 रुपये दिये गये। इसके अतिरिक्त कुर्सी के निर्माण के लिए पूँजीपति ने स्थान एवं वित्तीय व्यवस्था में दो रुपये खर्च किये। इस प्रकार से कुर्सी की कुल लागत 18 रुपये आयी। पूँजीपति ने इस कुर्सी को बाजार में 28 रुपये में बेचा। एक कुर्सी पर 10 रुपये का लाभ हुआ। मार्क्स के अनुसार यह 10 रुपये अतिरिक्त मूल्य है जिसको पूँजीपति प्राप्त करता है। कुर्सी के निर्माण में बर्दई (मजदूर) ने अधिक श्रम किया है जिसके परिणामस्वरूप 10 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन पूँजीपति श्रमिक को इस 10 रुपये में से कुछ नहीं देता है और स्वयं हड़प कर लेता है। मार्क्स का कहना है कि श्रमिक (बर्दई) के पास उत्पादन के साधनों को जुटाने की शक्ति एवं दक्षता नहीं है, इस कारण श्रमिक (बर्दई) अपना श्रम पूँजीपतियों को बेच देता है। उसके श्रम के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य जो कुर्सी से प्राप्त होता है वह सारा-का-सारा पूँजीपति हड़ लेता है। इस प्रकार से पूँजीपति उत्पादन के साधन जुटाने की क्षमता रखने के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्य के द्वारा विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण करते हैं। शोषक (पूँजीपति) और शोषित (श्रमिक) में संघर्ष का मूल कारण यह अतिरिक्त मूल्य ही है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूँजीपति व्यवस्था की बुराइयों का मूल कारण है।

## 2. वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा (Concept of Class and Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा प्रदान करना है। मार्क्स का मत है कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं। इन वर्गों का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक असमानता ही समाज में दो वर्गों को जन्म देती है। ये दो वर्ग हैं—शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स का कहना है कि व्यक्ति एक वर्ग का प्राणी है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग में हमेशा शोषक एवं शोषित वर्ग रहते हैं। शोषक वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों पर स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक, स्वामी, जमींदार, बुर्जआ, पूँजीपति आदि किसी-न-किसी रूप में होते हैं। इसी क्रम में शोषित वर्ग के विभिन्न रूप दास, गुलाम, किसान, श्रमिक, मजदूर आदि होते हैं। कार्ल मार्क्स ने "कम्युनिस्ट पार्टी का



घोषणा-पत्र" के पृष्ठ संख्या 35 पर लिखा है "आज तक अस्तित्व में जो मजदूर है उनका इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। स्वतन्त्र मनुष्य और दास, पेट्रीशियन और प्लेबियन, सामन्ती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद—कारीगर और मजदूर-कारीगर—संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित बराबर एक-दूसरे का विरोध करते आये हैं।" मार्क्स ने आगे लिखा है कि ये दोनों शोषक व शोषित वर्ग अपनी-अपनी ममम्याओ हितो, लक्ष्यो, परिस्थितियो आदि के लिए एक-दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स का मत है कि मानव इतिहास के आदिम, साम्यवादी युग, दासत्व युग एवं सामन्ती युग में इनमें संघर्ष धीरे होता है और पूँजीपति युग में वर्ग-संघर्ष तीव्र हो जाता है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि वर्ग-संघर्ष के इतिहास में एक समय ऐसा आयेगा जब सर्वहारा-वर्ग (श्रमिक वर्ग) पूँजीपति वर्ग एवं व्यवस्था को समाप्त कर देगा। पूँजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जायेगी, जिसमें शोषक वर्ग का अन्त हो जायेगा। इसके साथ-साथ समाज में असमानता का भी अन्त हो जायेगा। मार्क्स का यह भी कथन है कि धीरे धीरे कल्पनालोकिय समाज की स्थापना हो जायेगी। वर्ग भेद नहीं रहेगा, पूँजीवादी दुःखा से श्रमिको को छुटकारा मिल जायेगा। आपने निम्न नारा दिया है—

"दुनिया के मजदूरो एक हो, तुम्हें तुम्हारी चेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है।"

कार्ल मार्क्स ने वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा प्रतिपादित करके समाजशास्त्र में एक विशिष्ट सम्प्रदाय—संघर्ष-सम्प्रदाय के महत्त्व को और महत्त्वपूर्ण बना दिया है। वर्तमान में जिसका रूप संघर्ष-उपागम से उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र "रेडीकल सोशियोलॉजी" विचारधारा के रूप में विकसित हो गया।

### 3. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism)

कार्ल मार्क्स पर हीगल का प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद को अपने दृष्टिकोण से संशोधित करके समाज के अवलोकन-विरलेपण एवं सिद्धान्तो के निर्माण में अपनाया, जो निम्न प्रकार है। मार्क्स ने हीगल के आत्मा-द्वन्द्ववाद से भिन्न भौतिक द्वन्द्ववाद को प्रतिपादित किया। मार्क्स का कहना है कि मानव समाज के इतिहास में हमेशा पदार्थों में संघर्ष रहा है। आपके अनुसार विश्व का मूल भी पदार्थ ही है। मार्क्स का कहना है, सर्वप्रथम विश्व के पदार्थों (आर्थिकी) में परिवर्तन होता है और उसके बाद सामाजिक धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, कला, साहित्य, विज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के अन्तर्गत मार्क्स की मान्यता है कि समाज में संघर्ष एवं द्वन्द्व होता है। यह संघर्षवाद—प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया में से गुजरता है। कोई वस्तु होती है वह वाद है। उस वस्तु में इस वाद के विरोधी तत्त्व विद्यमान होते हैं, वह प्रतिवाद है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है जिसके कारण एक नवीन स्वरूप विकसित होता है—यह नवीन स्वरूप समवाद कहलाता है। कुछ समय के मोतने के बाद समवाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। इस नवीन वाद के विरुद्ध फिर एक नया प्रतिवाद भी विकसित हो जाता है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके परिणामस्वरूप नवीन समवाद विकसित होता है।

मार्क्स की मान्यता है कि विश्व के भौतिक जगत में पदार्थों में मतभेद एवं संघर्ष निरन्तर चलता रहता है और समाज का विकास होता रहता है। मार्क्स ने भौतिक द्वन्द्ववाद के द्वारा वर्ग-संघर्ष की व्याख्या की है। प्रत्येक युग में शोषक एक वाद के रूप में होता है और शोषित प्रतिवाद के रूप में होता है जिनमें संघर्ष होता है। परिणामस्वरूप नवीन समवाद विकसित होता है जो कुछ समय बाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। यह वाद-प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समाज कल्पनालोकीय समाजवाद की अवस्था में नहीं पहुँच जाता है। यह सार रूप में कार्ल मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है।

#### 4. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History)

कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की व्याख्या का मूल कारण या आधार भौतिक या आर्थिकी बताया है। आपने "क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी" (1859) में अपने ऐतिहासिक भौतिक निर्णायकवाद के सिद्धान्त का सार दिया है। इसमें आपने लिखा है कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के सम्बन्धों के द्वारा समाज व सस्कृति में परिवर्तन होता है। आप उत्पादन की प्रणाली को परिवर्तन का मूल कारण मानते हैं। विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना, सभ्यता और सस्कृति का निर्धारण आर्थिक कारकों के द्वारा होता है। कार्ल मार्क्स आर्थिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण प्रथम और अन्तिम कारण मानते हैं जो सामाजिक घटनाओं को नियन्त्रित, निर्देशित, परिवर्तित और निर्धारित करते हैं। आर्थिक व्यवस्था एवं उत्पादन की प्रणाली निरन्तर बदलती रहती है और इसके साथ-साथ उप-संरचनाएँ, जैसे—राजनैतिक, धार्मिक आदि चलती रहती हैं। ये सब सामाजिक अधिसंरचना को प्रभावित करते हैं और परिवर्तित करते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वप्रथम आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। उत्पादन के साधनों व उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है इन परिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। मार्क्स ने आर्थिक कारक को कारण माना है और अन्य सभी जैसे सामाजिक परिवर्तन को परिणाम माना है। आर्थिक कारक चालक है और सामाजिक परिवर्तन उसमें गति प्राप्त करता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण आर्थिक कारक को मानता है इसलिए इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त आर्थिक निर्णायकवाद का सिद्धान्त कहलाता है। आपने इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की है, इसलिए आपको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कट्टर समर्थक कहते हैं।

#### 5. अलगाव का सिद्धान्त (Theory of Alienation)

कार्ल मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष, वर्ग द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य आदि विभिन्न अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों के अतिरिक्त "अलगाव का सिद्धान्त" भी प्रतिपादित किया है। यह सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त समाजशास्त्र में भी विशेष महत्वपूर्ण अवधारणा है। मार्क्स के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था को अलगाव की अवधारणा के बिना नहीं समझा जा सकता। मार्क्स ने अपनी विश्वविख्यात कृति "पूँजी" (Capital) में अलगाव के

सिद्धान्त की विवेचना की है। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में अलगाव की देन आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। मार्क्स ने लिखा है कि आदिकाल में श्रम का विभाजन नहीं था, मशीनें नहीं थीं। उत्पादन के उपकरण औजार बहुत सादा व सीमित थे। व्यक्ति गिनती के सामानों, उपकरणों और साधनों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ से लेकर अन्त तक करता था। वस्तुओं के बनाने में उसे मानसिक सन्तोष मिलता था। लेकिन जैसे-जैसे श्रम का विभाजन बढ़ा, उत्पादन के साधनों में विकास हुआ वैसे-वैसे व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं, श्रम आदि से अलगाव होता गया। नये-नये उपकरणों के आने से वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति एक छोटा-सा हिस्सा बनकर रह गया। उत्पादन में कच्चा माल, पूँजी, उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों आदि पर पूँजीपति का स्वामित्व स्थापित हो गया। श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं रहा। आधुनिक युग में पूँजीवादी व्यवस्था ने व्यक्ति को कार्य के प्रति महत्त्वहीन बना दिया। उसमें कार्य के प्रति अरुचि पैदा कर दी। मार्क्स का कथन है कि पूँजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों आदि में कान के प्रति अलगाव पैदा कर दिया है, इस अलगाव की भावना के कारण व्यक्ति का स्वयं से तथा दूसरों के साथ उसके सम्बन्धों में अलगाव पैदा हो गया है। मार्क्स का मत है कि व्यक्ति अलगाव अपने स्वयं के प्रति महसूस करता है। स्वयं के परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें अलगाव की भावना पैदा हो गयी है। वह अपने साथियों व समाज के सदस्यों के बीच भी अलगाव का अनुभव करता है। अलगाव की भावना के कारण श्रमिक का जीवन निष्क्रिय हो गया है। वह अपने आपको अलग-थलग महसूस करता है। जब कभी भी कोई आन्दोलन होता है उसमें यह उदास श्रमिक तोड़-फोड़ करता है। मार्क्स का मत है कि पूँजीवादी व्यवस्था ने अलगाव जैसी हानिकारक भावना पैदा कर दी है।

मार्क्स ने समाजशास्त्र में जो योगदान किया है उसके अनुसार उनका महत्त्व समाजशास्त्रियों में बढ़ गया है। एक समाजशास्त्री के रूप में मार्क्स का उपर्युक्त योगदान विशिष्ट है। आपके समर्थकों और आलोचकों ने आपकी अवधारणाओं, सिद्धान्तों, अध्ययन पद्धतियों, निष्कर्षों आदि का समय-समय पर अनुकरण, आलोचनात्मक मूल्यांकन, संशोधन एवं विश्लेषण किया है, जिसके फलस्वरूप भी समाजशास्त्र का विभिन्न प्रकार से विकास हुआ है। कार्ल मार्क्स के जीवन, उद्देश्य, अभिग्रह, पद्धति, प्रारूप, प्रश्न आदि को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।

### कार्ल मार्क्स : एक संक्षिप्त परिचय (Karl Marx : A Brief Introduction) ( 1818-1883 )

#### 1. पृष्ठभूमि (Background)

1. यहूदी परिवार
2. कानून, दर्शन और इतिहास में शिक्षित
3. सक्रियतावाद और पत्रकारिता में कार्यरत
4. प्रबोध शिक्षा
5. जर्मन राजनैतिक अत्याचार

2. उद्देश्य (Aims)  
विचारो और जीवन-परिस्थितियों के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण
3. अभिग्रह (Assumptions)
  - 1 अस्तित्व चेतना का निर्णायक है
  - 2 भौतिक अभौतिक का निर्णायक है
  - 3 समाज का आधार जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ हैं
  - 4 द्वन्द्वात्मक : उप-संरचना और अधिसंरचना = उद्विकासीय विकास
4. पद्धतिशास्त्र (Methodology)
  - 1 ऐतिहासिक समाजशास्त्र
  - 2 द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पद्धति का अनुप्रयोग
5. प्रारूप (Typology)  
सामाजिक विकास के चरण
6. बिन्दु (Issues)
  - 1 सावयवी सिद्धान्त से समानताएँ
  - 2 उद्विकासीय सन्तुलन का विचार
  - 3 भौतिकवादी निर्णायकवाद
  - 4 ज्ञान का समाजशास्त्र
  - 5 भौतिक अभौतिक प्रश्नों का निर्णायक है
  - 6 काल्पनिक समाजवाद का अभिदर्शन

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 कार्ल मार्क्स के जीवन पर एक निबन्ध लिखिये।
- 2 कार्ल मार्क्स को महत्वपूर्ण कृतियों का वर्णन कीजिए व कुछ रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- 3 कार्ल मार्क्स के विचारों पर किन किन विद्वानों, विचारकों एवं वैज्ञानिकों का प्रभाव पड़ा? विवेचना कीजिए।
- 4 कार्ल मार्क्स के योगदान की विवेचना कीजिए।
- 5 कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धान्त व अवधारणाएँ कौन-कौनसी हैं? किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए?
- 6 कार्ल मार्क्स के प्रमुख अभिग्रह क्या-क्या हैं? बताइये।
7. कार्ल-मार्क्स की अध्ययन पद्धति और प्रारूप की विवेचना कीजिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-

1. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त।
2. वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा।

- 3 द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद।
- 4 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
- 5 अलगाव का सिद्धान्त।

चस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 मार्क्स किस देश के निवासी थे?
 

(अ) जर्मनी	(ब) अमरीका
(स) फ्रांस	(द) इंग्लैण्ड

[उत्तर- (अ)]
- 2 मार्क्स का जन्म कब हुआ था?
 

(अ) 1883	(ब) 1818
(स) 1858	(द) 1864

[उत्तर- (ब)]
- 3 मार्क्स का देहान्त कब हुआ था?
 

(अ) 1883	(ब) 1917
(स) 1920	(द) 1912

[उत्तर- (अ)]
- 4 साम्यवादी घोषणा-पत्र किस वैज्ञानिक ने लिखा है?
 

(अ) वेबर	(ब) मार्क्स
(स) दुर्खीम	(द) लेनिन

[उत्तर- (ब)]
- 5 'दास कैपिटल' ग्रन्थ का लेखक कौन है?
 

(अ) वेबर	(ब) दुर्खीम
(स) हीगल	(द) मार्क्स

[उत्तर- (द)]
- 6 मार्क्स ने द्वन्द्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की थी?
 

(अ) फिकटे	(ब) हीगल
(स) स्पेन्सर	(द) कॉम्ट

[उत्तर- (ब)]
- 7 अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है?
 

(अ) मार्क्स	(ब) वेबर
(स) दुर्खीम	(द) हीगल

[उत्तर- (अ)]
- 8 "दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेडियो के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा ससार पड़ा है।" यह कथन किम विद्वान् ने कहा है?
 

(अ) वेबर	(ब) मार्क्स
(स) हीगल	(द) प्लेटो

[उत्तर- (ब)]

## अध्याय-10

# कार्ल मार्क्स : द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Karl Marx : Dialectical Materialism)

कार्ल मार्क्स ने मनत्र की विवेचना द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर की है। आप हीगल के विचारों से बहुत प्रभावित रहे। मार्क्स हीगल के दर्शन के प्रति ऋणी हैं जिनसे इन्होंने तर्क की द्वन्द्वात्मक व्यवस्था सीखी। कुछ विद्वान मार्क्स को हीगल का सीधा उत्तराधिकारी मानते हैं। मार्क्स ने हीगल से द्वन्द्ववाद को प्राप्त किया लेकिन आपने इसमें कुछ संशोधन एवं परिवर्धन करके समाज का अध्ययन, विश्लेषण एवं व्याख्या की है। हीगल और मार्क्स दोनों ही मानव के विकास को एक प्रक्रिया के रूप में अपने विश्लेषण में अभिव्यक्त करते हैं। मार्क्स ने सन् 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में जब प्रवेश लिया उस समय इस विश्वविद्यालय में आत्मा एवं द्वन्द्ववाद से सम्बन्धित विचारों का प्रभाव था। मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद का गहन अध्ययन किया। आपने हीगल के विचारों से भिन्न विचार प्रकट किये। मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद की आलोचना की जिसे उन्होंने के शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है। यह शब्द आपने अपनी कृति "पूँजी" के प्रथम खण्ड में व्यक्त किये हैं—

“मैंने हीगल के द्वन्द्ववाद को मिर ( मस्तिष्क, आत्मा ) के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल ( पृथ्वी ) पर, भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया—। यदि आप रन्स्यमय खोल (Shell) में से तार्किक सार तत्त्व को ढूँढ निकालना चाहते हैं, तो आपको उसे ( हीगल के द्वन्द्ववाद को ) बिल्कुल ही उलट देना होगा।”

मार्क्स ने हीगल के आदर्शवादों विचारों के स्थान पर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को प्रमुख माना है। हीगल के अनुसार प्रत्येक अवस्था पूर्व की अवस्था से अधिक विकसित होती है। हीगल विभिन्न अवस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़कर अवलोकन करते हैं, जबकि मार्क्स प्रत्येक अवस्था को पूर्व की अवस्थाओं के परिणाम के रूप में देखते हैं। मार्क्स हीगल के प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित रहे। मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि पहले द्वन्द्ववाद का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया जाये। इसके बाद हीगल के द्वन्द्ववाद का अध्ययन किया जाये। हीगल द्वारा वर्णित द्वन्द्ववाद के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा, इसके बाद ही मार्क्स के द्वन्द्ववाद के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा, जैसे—मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के लक्षण, मार्क्स एवं हीगल के द्वन्द्ववाद की तुलना, मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का मूल्योपेक्षा, महत्त्व एवं उपयोगिता का अध्ययन किया जायेगा। इसी क्रम में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना प्रस्तुत है।

## द्वन्द्ववाद का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Dialecticism)

द्वन्द्ववाद अंग्रेजी के शब्द 'Dialectics' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। अंग्रेजी में यह शब्द लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा में ग्रीक भाषा के डाइलेक्टिक (Dialektike) शब्द से बना है, जिसका अर्थ 'शास्त्रार्थ करना, वाद-विवाद करना अथवा तर्क-वितर्क करना' है। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग तर्क-वितर्क करने के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोधों को स्पष्ट करना तथा उनका समाधान करना था। इस प्रकार से बातचीत करके आपस में शास्त्रार्थ करके सत्य तक पहुँचने की विधि को द्वन्द्ववाद कहते थे। प्राचीन काल में विद्वानों का यह मत था कि किसी भी प्रकार के विचार में विरोध प्रकट करना ही सत्य तक पहुँचने का श्रेष्ठ मार्ग था। द्वन्द्ववाद को परिभाषित किया जा सकता है कि किसी विषय के पक्ष एवं विपक्ष के सम्बन्ध में जो विचार हैं वही द्वन्द्व कहलाता है।

द्वन्द्ववाद चिन्तन की एक प्रणाली है जिसका प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए किया जाता रहा है। विद्वानों का मानना है कि प्रकृति का विकास प्रकृति में विद्यमान विरोधी शक्तियों की अन्तःक्रिया के फलस्वरूप होता है।

## हीगल का द्वन्द्ववाद (Hegel's Dialecticism)

जिस प्रकार से हीगल के द्वन्द्ववाद का प्रभाव मार्क्स पर पड़ा है और मार्क्स ने द्वन्द्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की है, उसी प्रकार हीगल पर 'फिकटे' के द्वन्द्ववाद का प्रभाव पड़ा और विद्वानों का मत है कि हीगल ने द्वन्द्ववाद की अवधारणा 'फिकटे' से ग्रहण की है। फिकटे का मत है कि प्रत्येक तर्क की तीन अवस्थाएँ होती हैं—प्रथम वाद, द्वितीय प्रतिवाद, और तृतीय समवाद। हीगल ने फिकटे के द्वन्द्ववाद को आगे चढ़ाया। हीगल ने मानव को समझने के लिए द्वन्द्ववाद का उपयोग किया है। हीगल इतिहास में विकास के सैद्धांतिक अध्ययन से सम्बन्धित थे। हीगल ने तर्क की द्वन्द्वात्मक व्यवस्था को स्पष्ट किया और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया। हीगल की मान्यता है कि विश्व की प्रगति गतिशील है और यह निरन्तर प्रवाहमान है। आपकी मान्यता थी कि विश्व की प्रगति को समझना है तो इसे विकास की प्रक्रिया द्वारा ही समझा जा सकता है। यह विकास क्रमिक और द्वन्द्वात्मक क्रम से होता है जो सीधे रेखा में नहीं बरन् टेढ़े-मेढ़े रूप में होता है। हीगल इसी विकास की प्रक्रिया को द्वन्द्व के रूप में मानते हैं। आपने सामाजिक विकास का सूत्र "वाद, प्रतिवाद और समवाद" दिया है। हीगल ने इस सूत्र के अतिरिक्त यह भी कहा है कि विश्व का निर्माण विचारों में होता है। परिवर्तन मात्रात्मक में गुणात्मक होता है तथा परिवर्तन की गति विरोधों के मर्घ्य पर आधारित होती है। अब हम हीगल के इन्हीं सूत्रों एवं नियमों का क्रमवद्ध एवं विस्तृत विवेचन करेंगे।

## हीगल के द्वन्द्ववाद की प्रमुख विशेषता (Main Features of Hegel's Dialecticism)

1. निरन्तर विकास (Continuous Development)—हीगल की मान्यता है कि मानव समाज का विकास निरन्तर होता रहता है, विनास कभी रुकता नहीं है। आपका मत है

कि सम्पूर्ण विश्व एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया है जो अबाध गति से होता रहता है। विश्व के विकास का प्रभाव मानव व उसके समाज पर पड़ता है। विश्व एवं समाज के विकास के साथ-साथ मानव का विकास भी होता रहता है। हीगल इस तथ्य पर विशेष जोर देते हैं कि विकास की प्रक्रिया निश्चित बिन्दु की ओर गतिमान होती है। आपने विकास के इस तथ्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, "यह कोई पागल या अनियन्त्रित अथवा निरर्थक प्रवाह नहीं है बल्कि यह एक व्यवस्थित विकास है, एक उन्नति है।" विकास की प्रक्रिया से सम्बन्धित आपने नियमों पर भी प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया तार्किक एवं क्रमबद्ध होती है। इतना ही नहीं यह परिवर्तन तार्किक नियमों द्वारा नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित होता है। आपने विश्व के विकास की प्रक्रिया को संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद के आधार पर वर्णित व विश्लेषित किया है।

2. संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद (Conflict and Dialecticism)—हीगल घटना प्रवाह को एक विशेष दृष्टि से देखते हैं। इनकी दृष्टि से घटना में उत्थान, परिवर्तन एवं विनाश की प्रक्रिया विद्यमान होती है। आपने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन या विकास का क्रम निरन्तर गतिशील इस कारण रहता है, क्योंकि घटना में, विरोधी शक्तियों में संघर्ष होता रहता है। हीगल के अनुसार, "संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। पहले 'वाद' (Thesis) होता है, तब उसका प्रतिवाद (Antithesis) उत्पन्न होता है। इन दोनों (वाद और प्रतिवाद) के संघर्ष से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे 'समवाद' (Synthesis) कहते हैं।"

हीगल की मान्यता है कि समवाद में—वाद और प्रतिवाद—दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। समवाद विकास का अगला चरण होता है जो स्वयं में एक नई परिस्थिति भी है। समवाद क्योंकि वाद और प्रतिवाद के परस्पर संघर्ष का परिणाम है, इसलिए यह पूर्व के वाद और प्रतिवाद की अवस्था से अधिक उन्नत होता है। यह समवाद की अवस्था अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती है। विकास के क्रम में कुछ समय के बाद यह समवाद स्वयं एक वाद का रूप धारण कर लेता है। जब समवाद एक वाद का रूप धारण कर लेता है, तब धीरे-धीरे इसी में से इसके विरोधी तत्व उभरते हैं और प्रतिवाद का रूप धारण कर लेते हैं। इस वाद और प्रतिवाद में पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। इन दोनों के संघर्ष से पुनः एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे नवीन समवाद कहते हैं। यह नवीन समवाद पहले वाले समवाद से अधिक विकसित और उच्चकोटि का होता है। हीगल का कथन है कि विकास का यह क्रम—वाद, प्रतिवाद और समवाद तथा पुनः समवाद एक वाद बन जाता है और उसके विरुद्ध में प्रतिवाद जन्म लेता है, संघर्ष होता है। नवीन समवाद उत्पन्न होता है। तब तक चलता रहता है, जब तक विश्व अथवा समाज विकास की पूर्ण अवस्था में नहीं पहुँच जाता है। आपने यह भी कहा है कि इस क्रम में विश्व निरन्तर गतिमान रहता है, इसका विकास होता रहता है।

3. गति : विरोधों के संघर्ष पर आधारित (Speed Depends on Conflict and Opposition)—हीगल ने द्वन्द्ववाद से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण नियम यह भी बताया है कि विकास की गति इस तथ्य पर आधारित होती है कि विरोधी तत्वों का आन्तरिक संघर्ष कैसा है? आपका यह मत है कि विरोधी तत्वों का आन्तरिक संघर्ष विकास एवं गतिशीलता का प्रमुख कारण है। हीगल की मान्यता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में विरोधी



तत्त्व और गुण विद्यमान रहते हैं जिनमें परस्पर संघर्ष होता है। अगर यह संघर्ष धीरे-धीरे होगा तो विकास की गति भी धीमी होगी। जब वाद और प्रतिवाद में संघर्ष तीव्र गति से होता है तो उसके परिणामस्वरूप विकास की गति भी तेज हो जाती है और वाद और प्रतिवाद के संघर्ष की गति का सह-सम्बन्ध विकास की गति से सीधा मानते हैं अर्थात् संघर्ष के मन्द और तीव्र होने का प्रभाव विकास की मन्द और तीव्र गति पर सीधा पड़ता है।

4. मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन (Change from quantity to quality)—हीगल ने द्वन्द्ववाद का महत्त्वपूर्ण नियम 'मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन' बताया है। आपकी यह मान्यता है कि जब वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और उसके परिणामस्वरूप समवाद के रूप में परिवर्तन सामने आता है तो यह परिवर्तन उन्नत विकास की समवाद अवस्था मात्र सख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन ही नहीं होता है बल्कि यह गुणों के दृष्टिकोण से भी अधिक उन्नत अवस्था है। हीगल यह कहते हैं कि विकास की प्रत्येक अगली व्यवस्था (समवाद) पूर्व की अवस्था (वाद और प्रतिवाद का संघर्ष) से मात्रा एव गुण दोनों ही दृष्टिकोणों से अधिक विकसित होती है क्योंकि आपने विकास की प्रक्रिया का कारण विचार माना है इसलिए आप द्वन्द्ववाद में विकास के नियम मात्रात्मक से गुणात्मक पर अधिक बल देते हैं।

5. विचार : निर्णायक वाद (Idea Determinism) —हीगल की सबसे महत्त्वपूर्ण मान्यता द्वन्द्ववाद में विचार, विवेक अथवा चिन्तन की प्रक्रिया प्रमुख है। आपकी मान्यता थी कि विश्व का विकास एव निर्माण विवेक द्वारा होता है। आपने सभी परिणामों; परिवर्तनों एव विकास का कारण विवेक को मान्य है। हीगल ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्व का नियन्त्रक और निर्णायक विवेक है। आपके अनुसार सर्वप्रथम विचारों में परिवर्तन होता है। मानव समाज की प्रगति निरन्तर द्वन्द्ववादी विधि से होती है। इस प्रगति में प्रमुख स्थान विचार का है। आपके अनुसार बाह्य जगत का जो भी स्वरूप है वह विचारों का ही प्रतिबिम्ब है। हीगल के लिए चिन्तन एक स्वतन्त्र कारक है, वास्तविक जगत् का सृजनकर्ता और वास्तविक विचार का बाह्य रूप है। हीगल का विश्वास था कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचारों से ही शासित है। हीगल को दार्शनिक प्रणाली आत्मवादी या आदर्शवादी है। हीगल यह कहते हैं कि विचार ही विश्व को नियन्त्रित करता है। आत्मा स्वयं अपनी अन्तर्विरोधी प्रवृत्ति से संघर्ष करती रहती है। आत्मा के सामने आदर्श होते हैं, तथा उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए आत्मा प्रयास करती रहती है। इसको हीगल 'वाद' की सज्ञा देते हैं। विरोधी प्रवृत्तियाँ आत्मा या विश्वात्मा को अपने आदर्शों को प्राप्त नहीं करने देती हैं, इससे दोनों में अर्थात् वाद और प्रतिवाद, विचार और विरोधी प्रवृत्तियों में संघर्ष होता है इस संघर्ष के परिणामस्वरूप भी समवाद विकसित हो जाता है जो विचारों एव विरोधी प्रवृत्तियों के संघर्ष का परिणाम है।

हीगल सभी परिणामों और परिवर्तनों का कारण 'विचार' मानते हैं। सभी परिणामों का निर्धारक और निर्णायक हीगल के अनुसार विचार है। हीगल मानव इतिहास को व्याख्या विचारों के आधार पर करते हैं। आपकी मान्यता है कि बाह्य विश्व आन्तरिक विचारों का ही प्रतिबिम्ब है। मानव इतिहास में सभ्यता की प्रत्येक अवस्था एक वाद है। यह वाद अपूर्ण तथा अपर्याप्त विचार का सूचक है। आपका कहना है कि अपूर्णता का अर्थ है विचार का

दूसरा पक्ष भी कोई-न-कोई विद्यमान है जो पहली अवस्था का विरोध करता है। इन दोनों विरोधी विचारों में संघर्ष होना अवश्यभावो है। मानव मस्तिष्क विरोधों को समाधान किये बिना ग्रहण नहीं करता है। वाद और प्रतिवाद ये दो विरोधी विचारधाराएँ हैं, जिनके पारस्परिक संघर्ष के परिणामस्वरूप तीसरा विचार जिसे समवाद कहते हैं, उत्पन्न होता है। हीगल समवाद को नवीन विचार मानता है जो पूर्व के विचारों से उन्नत होता है। हीगल को द्वन्द्ववादी प्रक्रिया में विचारों में संघर्ष की निरन्तरता देखने को मिलती है। समवाद जो कि एक नया विचार है धीरे-धीरे एक वाद के रूप में विकसित हो जाता है। इसके विरुद्ध में एक नई विचारधारा प्रतिवाद के रूप में संघर्ष करती है, जिसका परिणाम एक नये समवाद को जन्म देता है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि हीगल की मानव समाज की प्रगति की द्वन्द्वत्मक प्रक्रिया 'विचार, विरोधी विचार और समवाद' के परिणाम की प्रक्रिया है। इसीलिए हीगल का द्वन्द्वत्मक सिद्धान्त 'विचार : निर्णायक वाद' कहा जा सकता है।

### कार्ल मार्क्स का द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद (Karl Marx : Dialectical Materialism)

कार्ल मार्क्स मौलिक रूप से हीगल के द्वन्द्वत्मक सिद्धान्त से प्रभावित थे। आपने तर्क द्वन्द्वत्मक व्यवस्था हीगल से ग्रहण की लेकिन कार्ल मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद में एक मौलिक अन्तर विश्व के विकास के कारण से सम्यन्वित है। हीगल विश्व के विकास का निर्णायक कारण 'विचार' मानते हैं और मार्क्स सभी परिवर्तनों का कारण भौतिक (आर्थिक) मानते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद को सशोधित करके अपने अध्ययनों में प्रयुक्त किया है। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से विचारों को परिवर्तन का कारण न मानकर परिणाम माना है। हीगल विचारों को कारण और भौतिक जगत् को परिणाम मानते हैं, इसके विपरीत मार्क्स भौतिक को कारण मानते हैं और विचारों को इसका परिणाम मानते हैं। मार्क्स ने इस तथ्य को, स्पष्ट रूप से हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को, काल्पनिक एवं त्रुटिपूर्ण बताया है जो कि मार्क्स के निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है।

“मेरी द्वन्द्वत्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल धिन्न ही नहीं बल्कि उसके विपरीत है..... हीगल की रचनाओं में द्वन्द्ववाद अपने सिर के बल पर खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्त्व को समझना है तो उसे पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा..... (और) मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है।”

मार्क्स ने हीगल के विचार पर आधारित द्वन्द्ववाद को रहस्यवादी बताया है। मार्क्स की आपत्ति यह है कि हीगल के विचार द्वन्द्ववाद की प्रामाणिकता की जाँच नहीं कर सकते क्योंकि विचार अमूर्त है, उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता, वह अदृश्य है, स्पर्श करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मार्क्स यह भी कहते हैं कि विचार का प्रभाव अच्छा पढ़ा या घुसा, इसकी भी वैज्ञानिक जाँच नहीं कर सकते। इन्हीं अमूर्त विशेषताओं के कारण मार्क्स ने हीगल के विचार द्वन्द्ववाद को अवैज्ञानिक बताया है। मार्क्स हीगल के द्वन्द्वत्मक विकासवाद को मानते हैं लेकिन विकास के कारण विचार, आत्मा, विवेक, चिन्तन आदि को नहीं मानते। आपकी आपत्ति का प्रमुख कारण द्वन्द्ववाद में प्रयोग-सिद्ध तथ्यों का अभाव बताया गया है। मार्क्स सामाजिक अध्ययनों में भौतिकशास्त्र एवं रसायनशास्त्र की तरह

अध्ययन करना चाहते थे। मार्क्स का यही प्रयास रहा कि प्राकृतिक विचारों की तरह सामाजिक अध्ययनों में भी उन कारकों का अध्ययन किया जाए जो मूर्त हैं, जिनका अवलोकन करना सम्भव है, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। आप अदृश्य विचार, विश्वास, विवेक और चिन्तन आदि को कोई महत्त्व नहीं देते हैं जैसा कि हीगल ने किया है। मार्क्स भौतिक पदार्थ—पृथ्वी, पत्थर, मिट्टी अन्य वस्तुओं को सत्य मानते हैं। हीगल को विश्वात्मा रहस्यमयी एवं अगम्य है और पदार्थ मूर्त होने के कारण गम्य है। मार्क्स का विश्वास था कि सतत् प्रयत्नों और परीक्षणों द्वारा भौतिक पदार्थ को समझा जाता है। मार्क्स का कहना है कि हीगल उस वास्तविक दुनिया को भूल गये जिसमें उनका पालन-पोषण हुआ, जिसने उनको साधन उपलब्ध करवाये और जिसके कारण हीगल का दर्शन सम्भव हुआ। मार्क्स ने हीगल को कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि हीगल की यह मान्यता कि दर्शन के कारण ही दुनिया सम्भव हुई है, हीगल की यह बहुत बड़ी भूल है। मार्क्स कहते हैं कि पदार्थ के द्वारा ही विचार सम्भव होते हैं। पदार्थ विचारों का निर्णायक है न कि विचार पदार्थों के निर्णायक हैं। इसी सन्दर्भ में मार्क्स ने कहा कि हीगल का द्वन्द्ववाद सिर के बल खड़ा है। हीगल का द्वन्द्ववाद उल्टा है, मार्क्स ने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा किया है। मार्क्स के द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त का आधार भौतिकवादो है। मार्क्स का लक्ष्य ऐसे भौतिक द्वन्द्ववाद को प्रतिपादित करना था जिसके द्वारा—सामाजिक जीवन और प्रकृति—दोनों को समझा जा सके। मार्क्स ने जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है वह निम्न प्रकार है—

### मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of Marx's Dialectical Materialism)

1. पूर्ण समग्रता (Integrated Whole)—कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि विश्व एक व्यवस्थित पूर्ण है। आप प्रकृति को पूर्ण समग्रता के रूप में देखते हैं जिसमें विभिन्न वस्तुएँ एवं घटनाएँ परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित हैं। यह परस्पर निर्भरता, अपरिहार्यता तथा एकता वैसी ही है जैसी जीव जगत में जीवों में होती है। कार्ल मार्क्स अपने द्वन्द्ववाद में प्रकृति की वस्तुओं को सम्बन्धित और सगठित मानते हैं। आपकी मान्यता है कि प्रकृति की सब घटनाओं को पृथक्-स्वतन्त्र और असम्बद्ध नहीं देखना चाहिए। एक विशिष्ट घटना का प्रभाव अन्य सभी घटनाओं पर पड़ता है और अन्य सभी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी घटना के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित कारकों और घटनाओं का अध्ययन एक पूर्ण समग्रता के रूप में करना अत्यावश्यक है।

2. सतत् गतिशीलता और परिवर्तनशीलता (Continuous Dynamism and Change) —कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु निरन्तर गतिशील रहती है। उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स यह मानते हैं कि प्रकृति में कुछ वस्तुओं का हमेशा उद्भव व विकास होता रहता है तथा कुछ वस्तुओं का विकास एवं विनाश होता रहता है। मार्क्स अपने द्वन्द्ववाद में भौतिक वस्तुओं को विशेष महत्त्व देते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि भौतिक पदार्थों में विरोधी तत्त्व विद्यमान होते हैं, उनमें सघर्ष है। पदार्थ सन्निरुद्ध होते हैं उनमें विकास आन्तरिक विशेषताओं

के कारण होता है जो प्रकृति के विकास के नियम को बनाये रखता है। विकास की प्रक्रिया का आधार मार्क्स के अनुसार संघर्ष है। मार्क्स के साथी एंजल्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की सतत् गतिशीलता और परिवर्तनशीलता की विशेषता निम्न शब्दों में व्यक्त की है—

“समस्त प्रकृति छोटे से लेकर बड़े तक, बालू-कण से लेकर सूर्य तक, वाहकणु से लेकर व्यक्ति तक आने और चले जाने की एक निरन्तर स्थिति में, निरन्तर प्रवाह में, अनवरत गति तथा परिवर्तन की स्थिति में है।”

3. मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन (Change from Quantity to Quality)—मार्क्स की मान्यता है कि विकास की प्रक्रिया को केवल मात्र द्वन्द्ववाद के अनुसार ही समझा जा सकता है। आपका कहना है कि छोटे-छोटे मात्रात्मक परिवर्तन से बड़े-से-बड़ा गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। यह परिवर्तन यकायक भी हो सकते हैं, उनको गति तीव्र भी हो सकती है। परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर आगे अवस्था की ओर जाती है। यह पूर्व की अवस्था को दोहराती नहीं है। विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में होती है जो सरल एवं न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर होती है। द्वन्द्वात्मक परिवर्तन सदैव उन्नति की ओर होता है। मार्क्स के अनुसार, परिवर्तन चक्र के रूप में नहीं होता है वह सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है। परिवर्तन टेढ़े-मेढ़े रूप में होता है। मात्रात्मक परिवर्तन पहले धीरे-धीरे होता है और एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें वह गुणात्मक परिवर्तन की अवस्था में पहुँच जाता है।

मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन को पानी के विभिन्न परिवर्तनों के द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य तापक्रम पर पानी तरल एवं द्रव अवस्था में होता है। जब तापक्रम को बढ़ाया जाता है या पानी को गर्म किया जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें वह भाप बन जाता है। पानी का भाप बनना अर्थात् द्रव से गैस में परिवर्तन होना—मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार जब पानी का तापक्रम घटाया जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें पानी बर्फ बन जाता है। यह परिवर्तन उनसे ठोस पदार्थ का परिवर्तन है जो कि परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। मार्क्स की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन भी आर्थिक कारकों के प्रभाव से परिमाणात्मक से गुणात्मक में परिवर्तन हो जाते हैं।

4. संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद (Conflict and Dialecticism)—मार्क्स का कथन है कि विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा होता है। आप संघर्ष—आन्तरिक और बाह्य—दोनों ही रूपों में होना मानते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का मूल कारण संघर्ष है। इनका कहना है कि संघर्ष आर्थिक तत्त्वों के कारण पैदा होता है। द्वन्द्ववाद के अनुसार सभी वस्तुओं में विरोध विद्यमान है। समस्त प्राकृतिक घटनाओं, वस्तुओं में वाद और प्रतिवाद, भूत और भविष्य, विकास और विनाश दोनों ही प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक तत्त्व एवं पक्ष विद्यमान होते हैं। इन विरोधी तत्त्वों में परस्पर संघर्ष होता है। मार्क्स के अनुसार संघर्ष विकास की प्रक्रिया की मूल विशेषता है। मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थों का विकास सदैव पारस्परिक संघर्षों के कारण होता है।

कार्ल मार्क्स अन्तिम सत्य भौतिक जगत् को मानते हैं न कि विचार। आपका कहना है विश्व का मूल पदार्थों के संघर्ष में छिपा है। मार्क्स का द्वन्द्ववाद भौतिकवादी है। आपका


कहना है कि विकास संघर्ष एवं द्वन्द्व के कारण होता है। सभी वस्तुओं में विरोधी तत्त्व होने के कारण उनमें टकराव और संघर्ष होता है जो कि द्वन्द्ववाद के रूप में चलता रहता है अर्थात् 'वाद, प्रतिवाद और समवाद' के रूप में होता रहता है। मार्क्स के अनुसार यह द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक समाज एक वर्गविहीन समाज की अवस्था में नहीं पहुँच जाता है। मार्क्स ने इसे निम्न रूप में प्रस्तुत किया है।

मार्क्स की मान्यता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं—एक वर्ग वह है जिसका आर्थिक प्रणाली पर स्वामित्व होता है, यह वर्ग उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की शक्तियों को नियन्त्रित करता है। जैसे उत्पादन के साधन होंगे वैसी ही समाज की व्यवस्था एवं विचारधारा होंगी जिसको यह वर्ग निर्धारित करता है जिसका उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य होता है। मार्क्स के अनुसार यह वर्ग शोषक-वर्ग कहलाता है। इस शोषक-वर्ग द्वारा निर्धारित व्यवस्था में विरोधी तत्त्व विद्यमान होते हैं। दूसरा वर्ग जो कि शोषित-वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों एवं आर्थिक प्रणाली पर आधिपत्य नहीं है वह वर्ग शोषक-वर्ग का विरोध करता है। मार्क्स के अनुसार शोषक-वर्ग व शोषित-वर्ग में संघर्ष होता है। वाद का समर्थन शोषक-वर्ग करता है तथा शोषित-वर्ग प्रतिवाद के रूप में विरोध करता है। इन दोनों में संघर्ष के परिणामस्वरूप समवाद उत्पन्न होता है। समाज में एक नई व्यवस्था स्थापित हो जाती है। कुछ समय के बाद यह समवाद जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के स्वरूप विकसित हुआ है धीरे-धीरे एक नये वाद व शोषक वर्ग का रूप धारण कर लेता है। इसके विरोध में इसी में से विरोधी तत्त्व शोषित वर्ग के द्वारा प्रतिवाद के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इन दोनों में संघर्ष होता है, उसके परिणामस्वरूप एक 'नया समवाद' उत्पन्न होता है। मार्क्स की मान्यता है कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के कारण शोषक-वर्ग और शोषित-वर्ग में संघर्ष होता है। यह प्रक्रिया 'वाद, प्रतिवाद और समवाद' के रूप में आर्थिक कारणों से तब तक चलती रहती है जब तक आर्थिक समानता समाज में स्थापित नहीं हो पाती। मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया, विभिन्न वर्गों में वाद, प्रतिवाद और समवाद के क्रम में संघर्ष के रूप में होती रहती है।

**5. भौतिक निर्णायकवाद (Materialist Determinism)**—कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता द्वन्द्ववाद में भौतिकवाद की प्रक्रिया प्रमुख है। आपके द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार सुरुप्रथम परिवर्तन पदार्थों में होता है। पदार्थ विश्व का मूल है। मार्क्स की मान्यता है कि विश्व की वास्तविकता भौतिक जगत् है। सभी अन्य परिवर्तनों का कारण पदार्थ है। आपका मत है कि विश्व और उसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें परिवर्तन एवं गतिशीलता को ध्यान में रखना होगा। विकास हमेशा पदार्थों में पारस्परिक संघर्षों के कारण होता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार मार्क्स का कहना है कि पदार्थ सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। मार्क्स एक ही कारक को सभी परिवर्तनों का कारण मानते हैं। वह कारण पदार्थ (आर्थिक) है। आप भौतिक वस्तुओं को प्रथम, अन्तिम एवं महत्वपूर्ण कारक मानते हैं तथा विकास की प्रक्रिया का आधार इन्हीं भौतिक पदार्थों में आन्तरिक विरोध को मानते हैं।

मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं को अग्र चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है—

### मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएँ



मार्क्स हीगल से विपरीत मत व्यक्त करते हैं। जहाँ हीगल पदार्थों का निर्णायक चेतना को मानते हैं, वहीं मार्क्स चेतना का निर्णायक पदार्थ (आर्थिकी) को मानते हैं। मार्क्स समस्त विश्व का आधार भौतिक पदार्थ को मानते हैं। आप चेतना तक को पदार्थ के अधीन मानते हैं। इतना ही नहीं, मार्क्स पदार्थ को सम्पूर्ण विश्व की निर्णायक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्स सभी परिणामों और परिवर्तनों का कारण भौतिक पदार्थों को मानते हैं। आपने मानव इतिहास की व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर की है। मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद समाज, संस्कृति, विज्ञान, कला-साहित्य, विचार, दर्शन, धर्म और राजनैतिक व्यवस्था आदि का कारण, निर्णायक, नियत्रक भौतिक पदार्थ है।

### मार्क्स तथा हीगल के द्वन्द्ववाद की तुलना

#### (Comparison of Marx's and Hegel's Dialecticism)

मार्क्स ने द्वन्द्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की है। आप हीगल के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं, लेकिन मार्क्स ने हीगल से भिन्न द्वन्द्ववाद प्रस्तुत किया है। मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद की आलोचना की और कहा कि हीगल का द्वन्द्ववाद उलटा था, जिसे उसने सीधा किया। मार्क्स के द्वन्द्ववाद को समझने के लिए आवश्यक है कि इनके द्वन्द्ववाद को हीगल के सन्दर्भ में समानताओं और असमानताओं के आधार पर देखा जाए जो निम्न प्रकार है—

### मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद में समानताएँ

#### (Similarities Between Marx's and Hegel's Dialecticism)

1. संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद (Conflict and Dialecticism)—मार्क्स तथा हीगल के द्वन्द्ववाद में सबसे महत्वपूर्ण समानता विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। आप दोनों की मान्यता है कि विकास की प्रक्रिया 'वाद, प्रतिवाद और समवाद' की स्थितियों में से होकर गुजरती है। मार्क्स और हीगल दोनों ही ये मानते हैं कि परिवर्तन का कारण संघर्ष है। यह घटनाओं में विरोधी शक्तियों में संघर्ष को मानते हैं।

2. निरन्तर विकास (Continuous Development)—मार्क्स और हीगल के विचारों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आप दोनों मानव समाज के विकास को एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। दोनों का ही यह मानना है कि उद्भव एवं विकास सदैव होता रहता है। विकास आन्तरिक लक्षणों, मतभेदों एवं संघर्ष का परिणाम है। विकास की प्रक्रिया का आधार संघर्ष एवं वाद, प्रतिवाद एवं समवाद का परिणाम है।

3. मात्रात्मक-परिवर्तन से गुणात्मक-परिवर्तन (Change from Quantity to Quality)—मार्क्स एवं हीगल के द्वन्द्ववाद में तीसरी समानता मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक-परिवर्तन सम्बन्धी विचारों में मिलती है। दोनों का मत है कि विश्व एवं समाज के विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया में गुणात्मक-परिवर्तन में मात्रात्मक-परिवर्तन का नियम देखा जा सकता है। आप दोनों ही मात्रात्मक-परिवर्तन से गुणात्मक-परिवर्तन पर जोर देते हैं।

4. निर्णायकवाद (Determinism)—मार्क्स एवं हीगल के द्वन्द्ववाद में सबसे प्रमुख समानता इनके विचारों में निर्णायकवाद के सम्बन्ध में देखी जा सकती है। आप दोनों ही विश्व एवं समाज के परिवर्तन का कारण मात्र एक कारक को मानते हैं। मार्क्स एवं हीगल सभी परिवर्तनों, परिणामों व विकास आदि का निर्णायक, निर्धारक एवं नियन्त्रक एक कारक को ही मानते हैं। इसीलिए ये दोनों ही महान् विचारक एकवाद में विश्वास रखते हैं, जो इनकी समानता को व्यक्त करता है। इनमें उपर्युक्त समानताएँ होते हुए भी निम्नलिखित मौलिक भिन्नताएँ मिलती हैं।

### मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद में असमानताएँ

#### (Dissimilarities Between Marx's and Hegel's Dialecticism)

मार्क्स एवं हीगल के द्वन्द्ववाद में—संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद, निरन्तर विकास, मात्रात्मक-परिवर्तन से गुणात्मक-परिवर्तन तथा निर्णायकवाद से सम्बन्धित समानताएँ होते हुए भी इन्हीं क्षेत्रों में समाज के अबलोकन, अध्ययन एवं निष्कर्षों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं—

1. द्वन्द्ववाद का आधार (Basis of Dialecticism)—मार्क्स ने हीगल से द्वन्द्ववाद को ग्रहण किया लेकिन मार्क्स ने सबसे प्रमुख आपत्ति हीगल के द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के सम्बन्ध में आधार को लेकर उठाई है। हीगल द्वन्द्ववाद का आधार विचार, विवेक, चिन्तन और आत्मा या विश्वात्मा को मानते हैं। हीगल की मान्यता है कि विश्व के विकास की प्रक्रिया का कारण विचार एवं चिन्तन है। आपके अनुसार पहले विचार में परिवर्तन आता है, उसके बाद भौतिक जगत् में परिवर्तन आता है। कार्ल मार्क्स की आपत्ति है कि पहले पदार्थ में परिवर्तन आता है और उसके बाद विचार बदलते हैं। मार्क्स ने निम्न शब्दों में इस आपत्ति को व्यक्त किया है, “मेरी द्वन्द्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं, बल्कि उसके विपरीत है..... हीगल की रचनाओं में द्वन्द्ववाद अपने सिर के बल खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्त्वों को समझना है तो उसे पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा..... और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है।”

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मार्क्स का द्वन्द्ववाद भौतिक पदार्थ (आर्थिक) पर आधारित है और हीगल का द्वन्द्ववाद विचार या विवेक पर आधारित है।

2. परिवर्तन का कारण (Cause of Change)—हीगल द्वन्द्ववाद का आधार विचार मानते हुए लिखते हैं कि बाह्य विश्व आन्तरिक विचारों का ही प्रतिरूप है। इसके विपरीत मार्क्स का कथन है कि बाह्य विश्व का प्रभाव ही आन्तरिक विचारों का निर्णायक है। हीगल के अनुसार विचार से पदार्थ में परिवर्तन आता है, जबकि मार्क्स के लिए पदार्थ ही अन्तिम सत्य है। मार्क्स ने अपने ये विचार अग्र शब्दों में व्यक्त किये हैं—

“मनुष्य की चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निश्चित नहीं करती, अपितु उसके विपरीत मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित होती है।”

वेबर ने हीगल और मार्क्स के द्वन्द्ववाद की तुलना की है। वेबर ने पाया है कि हीगल जगत् का मूल तत्त्व आत्मा (Spirit) को मानते हैं लेकिन मार्क्स भौतिक पदार्थ को मानते हैं। वेबर ने ये विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किये हैं—

“हीगल के लिए जगत् का मूल तत्त्व आत्मा है। मार्क्स के लिए दोनों ही पदार्थ (आत्मा और पदार्थ) आन्तरिक द्वन्द्व के कारण निश्चित होते हैं।”

3. अन्तिम लक्ष्य (Ultimate Aim)—हीगल के द्वन्द्ववाद में अन्तिम लक्ष्य विचार की आत्माभिव्यक्ति रहा है, जबकि मार्क्स के द्वन्द्ववाद में अन्तिम लक्ष्य वर्गविहीन समाज की स्थापना रहा है। हीगल के लिए विकास का अन्तिम चरण निरपेक्ष विचार की अनुभूति है। इसके विपरीत मार्क्स के लिए विकास का अन्तिम चरण एक वर्ग-विहीन समाज की स्थापना है।

वेबर ने मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद की तुलना करते हुए इसी भिन्नता को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

“हीगल के लिए अन्तिम लक्ष्य विचार की अभिव्यक्ति है, मार्क्स के लिए यह वर्ग-विहीन समाज की स्थापना है—ऐसे समाज की स्थापना जिसमें उत्पादन पर्याप्त होगा और जिसमें संघर्ष के लिए कोई स्थान न होगा।”

सैंवाइन ने भी हीगल और मार्क्स के विचारों का अध्ययन किया और इन दोनों के लक्ष्यों के सम्बन्ध में भिन्नता को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

“हीगल ने यह माना था कि यूरोप के इतिहास का अन्त जर्मन राष्ट्र के उत्थान में होगा और उनको आशा थी कि यूरोप की सभ्यता में जर्मन का आध्यात्मिक नेतृत्व होगा, तो मार्क्स की मान्यता थी कि इतिहास वर्ग के उत्थान में समाप्त होगा और वह पूँजीवाद के विकास का मुख्य सामाजिक परिणाम होगा। हीगल के लिए ऐतिहासिक विकास का यन्त्र राष्ट्रों के बीच युद्ध था, मार्क्स के लिए यह क्रान्तिकारी वर्ग-संघर्ष था।”

मार्क्स एवं हीगल के द्वन्द्ववाद में प्रमुख अन्तर यही है कि हीगल अन्तिम चरण को आत्म चेतना कहते हैं और मार्क्स उसे साम्यवाद कहते हैं। आप दोनों के द्वन्द्ववाद में एक अन्तर यह भी देखा जा सकता है कि हीगल के द्वन्द्ववाद की प्रक्रिया मार्क्स के द्वन्द्ववाद की प्रक्रिया से सरल है। मार्क्स ने अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को अत्यन्त जटिल बना दिया है। हीगल ने प्रकृति और आत्मा की व्याख्या करते हुए निरपेक्ष आत्मा की विवेचना की है। आपको व्याख्या त्रय (वाद, प्रतिवाद, समवाद) के आधार पर टिकी है, जबकि मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु को हीगल की तुलना में जटिल रूप में प्रस्तुत किया है। आप प्रत्येक वस्तु को बनते-बिगड़ते, आते-जाते, उलझते-टकराते, बदलते-उभरते के क्रमों में देखते हैं।

मार्क्स ने अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में विचार, विवेक, चिन्तन और आत्मा या विश्वात्मा की उपेक्षा की है तो दूसरी ओर हीगल के द्वन्द्ववाद में भौतिक पदार्थ की उपेक्षा दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार दोनों के विचारों में उपर्युक्त अन्तर है।



## मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन<sup>1</sup> (Critical Evaluation of Marx's Dialectical Materialism)

मार्क्स की शब्द-योजना की अस्पष्टता तथा अनेकार्थता के कारण इनके तथा एजल्स के सिद्धान्तों की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ विभिन्न लेखनों मार्क्सवादियों तथा अ-मार्क्सवादियों ने की हैं। अब हम यहाँ पर मार्क्सवाद की विभिन्न व्याख्याओं में से कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं तथा अन्युपगमों की विवेचना करेंगे—

1. इस सिद्धान्त की पहिली कमी है—कारण-सम्बन्ध और निर्णायकवाद की अवधारणा (Its first shortcoming is its Conception of Causal-relation and Determinism)—मार्क्स की मान्यता है, “सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं के सामान्य लक्षणों का निर्धारण उत्पादन की विधियाँ करती हैं।” आप एक-तरफा कारण-सम्बन्ध अवधारणा की पूर्ण-कल्पना करते हैं। इस मान्यता को निकट से देखने से स्पष्ट होता है कि मार्क्स के सिद्धान्त का प्रथम विचार ये है कि आर्थिक कारक मुख्य अथवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो अन्य सभी का निर्धारण करता है। मुख्य कारक के दो अर्थ हो सकते हैं—

(1) कार्यकारण शृंखला में आर्थिक कारक प्रथम कारक है जो अन्य सभी सामाजिक घटनाओं का निर्धारण करता है, अथवा

(2) इस आर्थिक कारक की क्षमता बहुत अधिक है (मान लो इसका प्रभाव 90 प्रतिशत है और अन्य सभी कारकों को तुलना में उनका सम्पूर्ण प्रभाव 10 प्रतिशत है)।

पहिली व्याख्या कि आर्थिक कारक प्रथम तथा प्रमुख कारण है तथा अन्य सभी सामाजिक घटनाएँ उसका परिणाम है एक-तरफा तथा नहीं पलटने तथा अप्रत्यावर्तनीय कारण-सम्बन्ध रखने वाली अवधारणा है। आर्थिक कारण क्रियाशील है जो विभिन्न क्रियाओं, उत्पादनों तथा परिणामों का एक-तरफा निर्धारक है। इस प्रकार का नियम सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि सामाजिक घटनाएँ एक-तरफा न होकर पारस्परिक अन्वयान्वित होती हैं।

विज्ञान का नियम है कि किसी एक कारक को चर मानकर यह अध्ययन किया जाता है कि वह कारक अन्य घटनाओं और परिणामों से किस सीमा तक सह-सम्बन्धित है फिर इसको उलट कर अध्ययन किया जाता है जिसमें परिणाम को कारक तथा कारक को परिणाम के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में आर्थिक कारक को चर मानकर यह अध्ययन किया जाता है कि यह किस सीमा तक धार्मिक घटनाओं का निर्धारक तथा सह-सम्बन्धित है। दूसरे अध्ययन में वैज्ञानिक धार्मिक घटनाओं को चर मानकर अध्ययन करता है कि धार्मिक कारक किस सीमा तक आर्थिक घटनाओं का निर्धारण करता है और सह-सम्बन्धित है। सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में सामाजिक अनुसन्धानकर्ता सर्वदा पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं न कि एक-तरफा निर्भरता का अध्ययन

1 (1) स्रोत : पिट्रिम सोरोकिन (Pitrim Sorokin) कॉन्टेम्पोरेरी सोसियोलॉजिकल थ्योरिज (Contemporary Sociological Theories) में “कार्ल मार्क्स (1818-1883) और एफ एजल्स (1820-1895) के सिद्धान्त” पृ 523-547, 1928।

करता है। एक-तरफा कारण-सम्बन्ध नियम पर आधारित अध्ययन हमें अनेक तार्किक और तथ्यात्मक दोषों की शृंखला में ढकेल देते हैं। मार्क्स की प्रथम व्याख्या इन्हीं दोषों से ग्रसित है। इस एक-तरफा निर्णायक कारण-सम्बन्ध नियम को जब सामाजिक पारस्परिक निर्भर घटनाओं पर लागू करते हैं। कुछ सिद्धान्त में तार्किक और तथ्यात्मक भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं जो मार्क्सवादी समर्थकों तथा आलोचकों में विरोधी व्याख्याओं का कारण है। यह मार्क्स के सिद्धान्त की अनेक कमियों का स्रोत है।

मार्क्स, एञ्जल्स तथा इनके अनुयाइयों में से किसी ने भी विभिन्न कारणों के सामाजिक घटनाओं में तुलनात्मक प्रभावों को मापने के तरीकों को बताने का प्रयास नहीं किया। इस सिद्धान्त के साहित्यिक तथा तार्किक अर्थ के अनुसार आर्थिक कारक का प्रथम अर्थ हो लगाना होगा अर्थात् आर्थिक कारक प्रमुख तथा सबसे आरम्भक महत्वपूर्ण कारक है जो अन्य सभी सामाजिक घटनाओं की कारणीय शृंखला का निर्धारण करता है क्योंकि यह 'चालक' है तो अन्य सभी 'चालित' हैं। एसी मान्यता को अनेक प्रमाणों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक किए गए अनेक अध्ययनों ने इस दोष को स्पष्ट कर दिया है। हम यह भी दावा नहीं कर सकते हैं कि मानव केवल आर्थिकी का दास है और सर्वदा आर्थिक क्रियाएँ करता है। ऐसा शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था जो तथ्यों के आधार पर त्रुटिपूर्ण है।

अनेक अन्वेषकों—एस्पीनास, दुर्खोम, पी. ह्वेलिन, यर्मवालड, मेलीनोव्स्की, ह्वर्ट तथा गाउस ने स्पष्ट किया है कि आदिम अवस्था तक में उत्पादन की प्रविधि तथा सम्पूर्ण आर्थिक जीवन समकालीन धर्म, जादू, विज्ञान तथा अन्य बौद्धिक घटनाओं से बिल्कुल अलग नहीं होता है। मैक्स वेबर ने सिद्ध किया है कि आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण धर्म, जादू, तार्किकता और परम्परावाद करते हैं। आधुनिक पूँजीवाद की उत्पत्ति प्रोटेस्टेण्ट धर्म के द्वारा हुई है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक कारक अन्य कारको जितना प्राचीन नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि सामाजिक घटनाएँ पारस्परिक अन्योन्याश्रित थीं, हैं, और रहेंगी। न तो कभी एक-तरफा थीं और न ही कभी एक-तरफा रहेंगी।

पट्राजिट्के तथा आर. म्टेम्पलर कहते हैं कि कानून तथा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक सम्बन्धों की तार्किकता में तथ्यात्मकपूर्ण आवश्यकता है। व्यवहार के कर्तव्यों के नियमों के अभाव में सामाजिक सम्बन्ध तथा पारस्परिक जीवन असम्भव हैं। अगर आर्थिक कारक चालक हैं तथा अन्य सभी सामाजिक परिवर्तन जीवन के क्षेत्रों में इससे होते हैं तो हम आर्थिक कारको की गत्यात्मकता की व्याख्या कैसे करेंगे। क्या आर्थिक कारक स्वयं आरम्भक है अथवा वे किन्हीं अन्य कारक से चलायमान होते हैं? स्वयं चलायमान की प्राक्कल्पना एक प्रकार का रहस्यवाद है जिसमें आर्थिक कारक एक प्रकार से ईश्वर का रूप है। इस कारण इसे अस्वीकार करना चाहिए।

1.2. दूसरी व्याख्या—एञ्जल्स, लेनिनोला और प्लेचानो जैसे मार्क्सवादियों का कथन है कि द्वैतीयक कारको का प्राथमिक कारक पर वापिस प्रभाव पड़ सकता है। इस व्याख्या के अनुसार आर्थिक कारक का अन्य कारक प्रभावित कर सकते हैं। इस मान्यता के अनुसार आर्थिक कारक की प्रमुखता तथा निर्धारणता का सिद्धान्त अमान्य हो जाता है।

आर्थिक कारक की प्रमुखता के अभाव में सिद्धान्त अपनी विशेषता खो देता है। जो मार्क्सवादी यह मानते हैं कि अन्य कारक भी आर्थिक कारक को प्रभावित कर सकते हैं जो प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता की अवधारणा को स्वीकारते हैं तथा मार्क्स के आर्थिक निर्णायक सिद्धान्त को अस्वीकार करते हैं। ये मार्क्सवादी आर्थिक कारक को अन्य कारकों के साथ सह-सम्बन्धित मानते हैं तथा मार्क्स के आर्थिक निर्णायकवाद की विशिष्टता को समाप्त कर देते हैं।

(2) सिद्धान्त की दूसरी आधारभूत कमी अनेकार्थ तथा अनिश्चित अभिव्यक्ति है। आर्थिक कारक सामाजिक घटनाओं का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं अन्तिम कारक है (The second fundamental shortcoming of the theory is an ambiguity and indefiniteness of the expression 'the economic factor is the last, the final and the most important factor of social phenomena)—मार्क्स के इस कथन को दो व्याख्याएँ की गई हैं जो निम्न हैं—

2.1 मार्क्सवादियों तथा अ-मार्क्सवादियों (प्लिचानो तथा इलवूड) ने इस दावे की यह व्याख्या की है कि आर्थिक कारक सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मार्क्स का भी यही विश्वास था। यह प्रथम व्याख्या एक प्रकार से एकत्वक अवधारणा है जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और सम्पूर्ण इतिहास की प्रक्रिया का कारण एकमात्र आर्थिक कारक से समझने का प्रयास किया गया है। अगर सम्पूर्ण सामाजिक जीवन, युद्ध एवं शान्ति, दुर्दशा एवं खुशहाली, दासता तथा मुक्ति, क्रान्ति एवं प्रतिक्रिया एक ही कारक के परिणाम हैं तो इसके आधार पर निम्न समीकरण बनाता है—

$A$  और  $non - A = f(E)$ , अर्थात् पूर्णतया विरोधी घटनाएँ एक ही कारण का परिणाम हैं।

( $A$  and  $non-A = f(E)$ , that is, the most opposite phenomena are the result of the same cause)

इस सूत्र में  $A$  युद्ध, शान्ति, खुशहाली मुक्ति आदि को तथा  $non - A$  युद्ध, दुर्दशा, दासता आदि को प्रदर्शित कर रहे हैं।  $f(E)$  आर्थिक कारक को प्रदर्शित कर रहे हैं। मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार  $A$  तथा  $non - A$  एक ही कारक 'आर्थिक' के परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का एकत्वपरक (एक कारणीय) अवधारणा से निम्न समीकरण निर्मित होता है—

अ (आर्थिक कारक) कारण है	$\left\{ \begin{array}{l} \text{सहयोग और संघर्ष} \\ \text{विकास और हास} \\ \text{मुक्ति और दासता} \\ \text{शान्ति और युद्ध} \\ \text{दुर्दशा और खुशहाली} \\ \text{-----} \\ \text{आदि-आदि} \end{array} \right.$	अर्थात् सभी प्रकार के व्यवहार, सामाजिक प्रक्रियाएँ और ऐतिहासिक घटनाएँ आर्थिक कारक का परिणाम हैं।

कोई भी गणितवेत्ता, तर्कशास्त्री या वैज्ञानिक ऐसी आधारशिला पर वैज्ञानिक कारण-सम्बन्ध नियम या नियमितता का सूत्र नहीं बनाएगा अगर समीकरण में 'अ' का अर्थ

है एक सार्वभौमिक व्यापक अवधारणा जो 'सम्पूर्ण' अथवा 'भगवान' अथवा 'ब्रह्माण्ड' या 'सम्पूर्ण सामाजिक जीवन' है तब समीकरण पर्यायपद बन जाता है। अर्थात् "सम्पूर्ण" या "भगवान" का कारण "सम्पूर्ण" अथवा "भगवान" है। 'सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का कारण सम्पूर्ण सामाजिक जीवन है।'

आर्थिक भौतिकवाद की अवधारणा की वैज्ञानिक कमियों को स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त सामग्री काफी है। इसी कमी के कारण शायद मार्क्स तथा एजल्स ने अपने बाद के लेखन में दूसरी व्याख्या को अपनाया था जो निम्न है—

2 2 अन्य लेखको—सेलिंगमेन, लाडियोला आदि तथा एजल्स ने अपने बाद के लेखों में यह व्याख्या की थी कि आर्थिक कारक मुख्य कारक है जिसके साथ-साथ अन्य कम महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं। इस दूसरी व्याख्या में अन्य कारको को महत्व देने के कारण मार्क्स के सिद्धान्त का महत्व ही समाप्त हो जाता है। फिर तो यह बहुकारक का सिद्धान्त बन जाता है जिसमें आर्थिक कारक अन्य अनेक कारकों में से एक है। अन्य कारको के प्रभाव के साथ आर्थिक कारक के प्रभावों का वर्णन अनेक विद्वानों ने मार्क्स तथा एजल्स से पूर्व तथा बाद में किया है। अतः मार्क्स का यह दावा आर्थिक निर्णायकवाद उनका मूल विचार है, आधारहीन है।

(3) उनके सिद्धान्त की तीसरी कमी "आर्थिक कारक", "उत्पादन की शक्तियाँ तथा सम्बन्ध", तथा "आर्थिक आधार", प्रत्ययों की परिभाषाएँ सन्तोषजनक रूप से आवश्यकतानुसार अनन्य, एकमात्र (सुनिश्चित) और विशिष्ट नहीं हैं—

(The third shortcoming of the theory is that the definition of the terms "the economic factor", "force and relations of production", and "economic basis" are not sufficiently exclusive and specific")

इन अवधारणाओं को भी दो व्याख्याएँ तथा अर्थ मिलते हैं। के, काउटस्काई (K Kautsky), डब्ल्यू सोम्बार्ट (W Sombart), ए हनसेन (A Hansen) तथा अन्य ने इनको एक प्रकार की तकनीक के रूप में समझा है तथा अन्य व्याख्याकारों, जैसे—एन्वल्स, मसरयेग (Masaryk), सेलिंगमेन आदि ने इनको उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों के रूप में समझा है जिसमें भौगोलिक पर्यावरण, प्राकृतिक स्रोत, यातायात, व्यापार, वितरण की प्रणाली आदि सम्मिलित हैं।

अगर हम पहली व्याख्या को स्वीकार करते हैं तो उससे निम्न प्रस्ताविकी (प्रस्थापना) बनती है : "तकनीक प्रधान कारक है और तकनीक के द्वारा इतिहास के सभी अद्भुत कार्यों, चमत्कारों की व्याख्या करना सम्भव है।" लेकिन सत्य यह है कि तकनीक सामाजिक वास्तविकता का केवल एक भाग है। अतः उपर्युक्त प्रस्थापना तार्किक मूर्छता है। मूर्छतापूर्ण, निरर्थक तर्कवाच्य है। विवेक शून्य प्रस्थापना है। वास्तव में तकनीक के लिए समाज का ज्ञान तथा अनुभव आवश्यक है।

अगर हम दूसरी विस्तृत व्याख्या को स्वीकारते हैं तो आर्थिक कारक की अवधारणा तथा सिद्धान्त में और अधिक अनिश्चितता आ जाती है। यह एक प्रकार का धैला बन जाता है जो भौगोलिक परिस्थितियों, तकनीक, विज्ञान, सम्पूर्ण उद्योग, वाणिज्य तथा

वितरण की सम्पूर्ण जटिल व्यवस्था, और उसमें न्यायिक तथा राजनैतिक संस्थाएँ और क्या कुछ नहीं सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में हम किसी स्पष्ट तथा सुनिश्चित सह-सम्बन्ध को स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे सूत्रों तथा कथनों से बंधे हैं जिनकी अनिश्चित अन्तःवस्तु तथा अर्थों के कारण न तो कुछ सिद्ध ही कर पाते हैं और न ही कुछ असिद्ध कर पाते हैं। मार्क्स के सिद्धान्त को यह दूसरी व्याख्या भी भ्रामक है।

(4) इस अनिश्चित सूचना के परिणामस्वरूप मार्क्स-एंगल्स के द्वारा व्यक्त कारकों का कारण क्रम या उनकी निर्भरता का क्रम भी अनिश्चित हो जाता है—

(As a result of this indicated Indefiniteness, the exact meaning of the Marx-Engel's causal sequence of factors, or the sequence of their dependency also becomes somewhat indefinite )— परिवर्तनों के क्रम भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ये निम्न हैं—

(41) तकनीकी व्याख्या के अनुसार परिवर्तन का क्रम निम्न प्रकार से है—

(1) पहिले उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है जो (2) समाज की आर्थिक संरचना —“उत्पादन के सम्बन्धों” तथा “सम्पत्ति के सम्बन्धों में परिवर्तन” करती है। यह फिर (3) समाज के राजनैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन का निर्धारण करती है। इस निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है—

(3) समाज का राजनैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन



(2) समाज की आर्थिक संरचना

(‘उत्पादन के सम्बन्ध’ तथा ‘सम्पत्ति के सम्बन्ध’)



(1) उत्पादन की तकनीक

(I) परिवर्तन की प्रक्रिया के क्रम : तकनीकी व्याख्यानुसार

(42) आर्थिक कारक की दूसरी भिन्न तथा विस्तृत व्याख्या की गई है। इस व्याख्यानुसार परिवर्तन का क्रम निम्न क्रम से परिवर्तन लाता है। (1) पहिले उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों तथा विनिमय में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन समाज की वर्ग-संरचना में रूपान्तरण करती है जो वर्ग-शत्रुता तथा वर्ग-विरोध में परिवर्तन लाती है जिसका परिणाम समाज की सामाजिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक अधि-संरचना को रूपान्तरित कर देता है। इसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

(4) समाज की अधि-संरचना में रूपान्तरण

(समाज की सामाजिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक अधिसंरचना में परिवर्तन)



(3) वर्ग-शत्रुता तथा वर्ग-विरोध में परिवर्तन



(2) वर्ग-संरचना में रूपान्तरण



(1) उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों तथा विनिमय में परिवर्तन

## (II) परिवर्तन की प्रक्रिया के क्रम : आर्थिक कारक के अनुसार

इन दोनों व्याख्याओं का सापेक्ष महत्त्व है जिसमें आर्थिक कारक सक्रिय तथा आरम्भक है। 'कारणता' की 'प्रकार्यात्मक अवधारणा' तथा सामाजिक घटनाओं की पारस्परिकता के तथ्य के अनुसार हम किसी भी कारक (तरुनोरु ही नहीं बल्कि "विज्ञान", "धर्म", "कानून", आदि) को "चर" के रूप में ले सकते हैं तथा उनके "कार्य" या "प्रभाव" का अध्ययन किसी भी क्षेत्र में, जैसे—तकनीक और आर्थिक घटनाओं में भी कर सकते हैं। मार्क्स तथा एंजल्स का झूठा दावा कि उनके द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन ही एकमात्र सम्भव क्रम है, को स्वीकारा नहीं जा सकता। अन्य विद्वानों द्वारा परिवर्तन के जो क्रम सुझाए गए हैं वो भी निरर्थक नहीं हैं। इससे विपरीत दावा जिसमें कानून, धर्म अथवा "बौद्धिक कारक" को प्रारम्भक रखा गया है तथा आर्थिक कारक उसका कार्य है। विभिन्न अध्ययनों में ऐसे कारण-सम्बन्धों के अध्ययन किए गए हैं तथा गुण-सम्बन्ध सिद्ध किए गए हैं।

(5) मार्क्सवादी सिद्धान्त की अन्य विशेषताओं में इसकी धामक एवं विरोधात्मक ऐतिहासिक निर्णायकवाद की अवधारणा का वर्णन करना चाहिए। यह संकल्प-स्वातंत्र्य के साथ भाग्यवाद के असंगत समाधान का प्रतिनिधित्व करता है—

(Of the other characteristics of the Marxian theory, its fallacious and contradictory conception of historical determinism should be mentioned. It represents an incongruous reconciliation of fatalism with free will.)

मार्क्स के मूल कथन को पुनः ध्यान से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जिन उत्पादन के सम्बन्धों में व्यक्ति प्रवेश करता है वो सम्बन्ध "अपरिहार्य तथा इच्छा शक्ति से स्वतन्त्र" होते हैं। उत्पादन की शक्तियों को स्वतः विकसित होने वाली तथा मानव एवं अन्य सामाजिक कारकों से स्वतन्त्र रूप में व्यक्त किया गया है। आप का कथन है कि मानव आर्थिक कारकों के कारण उत्तेजनापूर्ण व्यवहार करता है। समाजवाद की जीत की आशा आर्थिक कारकों के सर्वशक्तिमान, भाग्यवादी और अनिवार्य भूमिका के विचार पर आधारित है जो पूँजीवाद को नष्ट करेगा तथा समाजवाद को विजयी बनाएगा।

यह निर्णायकवाद की भाग्यवादी व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि वैज्ञानिक निर्णायकवाद और भाग्यवाद में कोई भी समानता नहीं है। "अवश्यम्भावी", "आवश्यक" आदि शब्द विज्ञान अथवा विज्ञान की निर्णायकवादी अवधारणा के अंग नहीं हैं।

(6) अन्त में, मार्क्स-एंजल्स के वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त बहुत पुराना है तथा अनेक कमियों से परिपूर्ण है—

(Finally, the Marx Engel's theory of class-struggle being very old, has a series of defects.)

प्रमाणों के अनुसार यह कहना भ्रान्तिपूर्ण है कि "अब तक के अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास, वर्ग-संघर्ष का इतिहास है।" इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक वर्गों में सहयोग कभी नहीं रहा। यह भी भ्रमपूर्ण है क्योंकि वर्ग-सहयोग वर्ग-विरोध से अधिक सार्वभौमिक घटना है। वर्ग-संघर्ष ही एकमात्र ऐसा गत्यात्मक कारक है जिसके द्वारा मानवजाति की प्रगति हुई है। यह कथन भी गलत है। अनेक अन्वेषणों, जैसे—क्रोपटकिन का

“म्यूचुअलएड” के अनुसार मानवजाति की प्रगति सहयोग और एकता के कारण हुई है न कि वर्ग-संघर्ष, विरोध तथा द्वेष के कारण हुई है। मार्क्स के वर्ग-सिद्धान्त का अर्थ है कि केवल आर्थिक-वर्ग का विरोध ही होता है तथा यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। समाज में वर्ग के अतिरिक्त अनेक प्रकार के विरोध तथा शत्रुता होती है, जैसे—प्रजाति, राष्ट्र, धर्म तथा राज्य के संघर्ष हैं। विद्वानों का कहना है कि जब युद्ध, झगड़े आदि होते रहते हैं उस समय अनेक वैज्ञानिक शान्तिपूर्वक खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं जिससे समाज का विकास होता है। समाज की निरन्तरता, स्थायित्व के लिए संघर्ष से अधिक सहयोग आवश्यक होता है। क्रॉपटकिन (Kropotkin) ने अपनी पुस्तक म्यूचुअल एड में सिद्ध किया है कि समाज में सहयोग आवश्यक होता है। सामाजिक सगठन और संरचना सहयोग के द्वारा नियन्त्रित और संचालित होती हैं। अनेक अन्वेषणों के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि मानव जाति का विकास, सहयोग और एकता के द्वारा हुआ है न कि संघर्ष के द्वारा।

कोहन ने लिखा है कि समाजशास्त्र में एक संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय ने सिद्ध किया कि समाज के स्थायित्व और निरन्तरता के लिए प्रकार्यात्मक एकता, समाज के विभिन्न तत्वों की अपर्यायिता और अन्योन्याश्रिता अत्यावश्यक है। इस सम्प्रदाय के अनुसार मार्क्स की संघर्ष एव द्वन्द्ववाद की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है।

(7) अतार्किक अवधारणा (Illogical Concept)—समाजशास्त्रियों का मत है कि मार्क्स की द्वन्द्वात्मक अवधारणा अतार्किक एव अवैज्ञानिक है। मार्क्स एक स्थान पर कुछ लिखते हैं और दूसरे स्थान पर कुछ और। मार्क्स कहते हैं कि भौतिक पदार्थ विचारों के निर्णायक हैं। अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि समाज के विकास के लिए मजदूरों को जाग्रत करना होगा, उनमें अपने विकास के लिए और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चेतना पैदा करनी होगी। मार्क्स के इन कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वो मानवीय चेतना और विचारों को महत्त्व देते हैं, जबकि उनका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भौतिक पदार्थ के द्वारा मानवीय चेतना को परिवर्तित करने का दावा करता है। इस प्रकार से मार्क्स के साहित्य में विरोधी कथन जगह-जगह पर मिलते हैं, जो कि उनके सिद्धान्त को बड़ी कमी है।

(8) आत्मा की उपेक्षा (Negligence of Spiritualism)—कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त को सबसे बड़ी कमी आत्मा की उपेक्षा रही है। विश्व और समाज के विकास में जितना महत्त्व पदार्थ का है, उतना ही महत्त्व आत्मा और विचारों का है। पदार्थ भौतिक होते हैं, उनका अवलोकन किया जा सकता है। इसलिए मार्क्स ने भौतिक पदार्थों को तो महत्त्व दिया है लेकिन आत्मा और विचारों को अमूर्तता के कारण कोई महत्त्व नहीं दिया है। व्यक्ति पर आत्मा और विचारों का प्रभाव पड़ता है। विचार भी समाज और व्यक्ति के विकास में महत्त्वपूर्ण होते हैं जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। यह उनके भौतिक द्वन्द्ववाद की बड़ी कमी है।

(9) दोषपूर्ण विकास के चरण (Defective Stages of Development)—मार्क्स ने मानव समाज के विकास को अवस्थाएँ ‘खाद, प्रतिवाद और समवाद’ के क्रम में बताई हैं। आपका मत है कि यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक समाज पूर्ण साम्यवाद की अवस्था में नहीं पहुँच जाता। विद्वानों की आपत्ति है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विनाश की ये अवस्थाएँ काल्पनिक और दोषपूर्ण हैं। सामाजिक विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है,

जिसकी अन्तिम अवस्था की कल्पना करना सम्भव नहीं है। समाज की अन्तिम अवस्था साम्यवाद को भविष्यवाणी करना मार्क्स का एक अवैज्ञानिक तथा दोषपूर्ण कार्य है।

(10) उन्नति की अवधारणा दोषपूर्ण (Faulty Developmental Concept)—मार्क्स ने मानवोप इतिहास को व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार करते हुए केवल उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला कहा है जबकि अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि मानव समाज का इतिहास उत्थान और पतन, विकास और हास के क्रम में होता है। अनेक समाजों का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि समाज का विकास और हास दोनों ही होते हैं।

उपर्युक्त सीमाओं के होते हुए भी मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इतना ही नहीं, मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्रदान की है। अनेक विद्वानों ने मार्क्स के सिद्धान्त का मूल्योक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप समाज के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई।

सामान्य निष्कर्ष (General Conclusion)—सोरोकिन के अनुसार मार्क्स तथा एजल्स के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के सम्बन्ध में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि—

(1) पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ मार्क्स के सिद्धान्तों में सत्य प्रमाणित तथा विश्वसनीय तथ्य दिए गए हैं वो कोई नवीन नहीं हैं। इनसे पहिले अनेक विद्वानों ने इनका वर्णन और व्याख्या की है।

(2) जो कुछ मार्क्स के वास्तव में मूल विचार तथा कथन हैं वो वैज्ञानिकता से कोसों दूर हैं।

(3) तीसरी तथा महत्वपूर्ण बात मार्क्स के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह है कि इन्होंने अपने अग्रजों की तुलना में विचारों को बहुत ही प्रभाव पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है।

(4) पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मार्क्स तथा एजल्स को सामाजिक विज्ञानों का डार्विन या गेलिलियो नहीं मानना चाहिए।

(5) इनके वैज्ञानिक योगदान को किसी भी आधार पर औसत से अधिक नहीं समझना चाहिए।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

1. मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए।
2. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर कार्ल मार्क्स के विचारों का वर्णन कीजिए।  
(राज 1993)
3. मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद की तुलना कीजिए।
4. द्वन्द्ववाद को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
5. क्या मार्क्स का 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' का सिद्धान्त एक सामान्य 'विश्व दृष्टिकोण' है अथवा मानव इतिहास का एक विशिष्ट सम्प्रत्यय मात्र? स्पष्ट कीजिए।  
(राज वि 1996)



6. मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वन्द्ववाद क्या है? इसके महत्त्व की विवेचना कीजिए।

लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-

- 1 द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद
- 2 हीगल के द्वन्द्ववाद की कोई दो विशेषताएँ
- 3 मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की कोई दो विशेषताएँ
- 4 मात्रात्मक-परिवर्तन से गुणात्मक-परिवर्तन
- 5 संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद
- 6 भौतिक निर्णायकवाद
- 7 मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद की कोई दो समानताएँ
- 8 मार्क्स और हीगल के द्वन्द्ववाद की कोई दो असमानताएँ

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 मार्क्स ने द्वन्द्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की है?  
(अ) हीगल (ब) फिकटे  
(स) थोरे (द) स्पेन्सर  
[उत्तर- (अ)]
- 2 किस विद्वान् ने सभी परिणामों का कारण विचार माना है?  
(अ) हीगल (ब) मार्क्स  
(स) स्पेन्सर (द) दुर्खीम  
[उत्तर- (अ)]
3. किस विद्वान् ने सभी परिणामों का कारण पदार्थ माना है?  
(अ) मार्क्स (ब) हीगल  
(स) कॉप्ट (द) फिकटे  
[उत्तर-(अ)]
4. "हीगल की रचनाओं में द्वन्द्ववाद अपने सिर के बल खड़ा था" यह कथन किसका है?  
(अ) मार्क्स (ब) फिकटे  
(स) दुर्खीम (द) वेबर  
[उत्तर-(अ)]
5. 'म्युबुअल एंड' पुस्तक के लेखक कौन हैं?  
(अ) मार्क्स (ब) वेबर  
(स) हीगल (द) क्रॉपटकिन  
[उत्तर-(द)]

## अध्याय-11

# कार्ल मार्क्स : वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष (Karl Marx : Class and Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र में अनेक योगदानों में से एक महत्त्वपूर्ण योगदान वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष है। अपने वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर अपने क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करके विश्व में एक नई विचारधारा पैदा की। समाजशास्त्र में वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष का अध्ययन सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन को समझने के लिए आवश्यक है। कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष से सम्बन्धित विचारों के अध्ययन के पूर्व वर्ग की परिभाषा, वर्ग की विशेषताएँ, वर्ग-विभाजन के आधार तथा वर्ग-निर्धारण के आधारों का अध्ययन किया जायेगा। तत्पश्चात् मार्क्स के वर्ग के सम्बन्ध में विचारों की विवेचना की जाएगी।

**वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Class)**—वर्ग की परिभाषा अनेक विद्वानों—ऑगबर्न और निमकॉफ, जिन्सबर्ग, गिसबर्ट, मैकाइवर तथा पेज, लेपियर व मैक्स वेबर आदि ने दी है। इन विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करके वर्ग का अर्थ समझने का प्रयास किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है—

1. ऑगबर्न और निमकॉफ ने सामाजिक वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया है—“एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक प्रस्थिति है।”

2. जिन्सबर्ग के मत में, “वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन-यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक-दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं।”

3. गिसबर्ट के मतानुसार, “सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा श्रेणी (Category) है जिसका समाज में एक निश्चित ‘पद’ होता है और यह ‘पद’ ही अन्य समूहों से उनके सम्बन्ध को स्थाई रूप से निर्धारित करता है।

गिसबर्ट ने वर्ग-निर्माण के लिए ज्ञान, प्रजातीय विशुद्धता, धर्म, सम्पत्ति और शौर्य आदि विशेषताओं को आधार माना है।

4. मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, “एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है।”

5. लेपियर के मत में, “सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे सम्पूर्ण जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थिति (Position) या प्रस्थिति प्रदान की जाती है।”

6. मैक्स वेबर के अनुसार, “एक समूह तब तक वर्ग कहा जा सकता है जब तक कि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों, जहाँ तक कि यह

समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से सम्बन्धित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो।" यह परिभाषा पूर्ण रूप से वर्ग के आर्थिक आधार को महत्त्व देती है।

7. ओल्सन के अनुसार, "सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएँ और सम्मान मिला होता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों की एक-सी संस्कृति, एक-सी सामाजिक परिस्थिति तथा एक-सी परम्पराएँ अथवा रीति-रिवाज होते हैं। मार्क्स ने वर्ग व्यवस्था को दो भागों में बाँटा है—एक बुर्जुआ और दूसरा मजदूर। इसका कारण आर्थिक विषमता है। जिन लोगों के पास साधन-सम्पन्नता है वे पूँजीवादी वर्ग के सदस्य हैं और वे लोग जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वे मजदूर वर्ग के सदस्य हैं।

इस प्रकार से वर्ग प्रत्येक समाज में मिलते हैं। इनके कुछ लक्षण हैं जो इनकी प्रकृति को और स्पष्ट करते हैं, वे निम्नलिखित हैं—

### वर्ग के लक्षण (Characteristics of Class)

वर्ग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर वर्ग के सम्प्रत्यय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा—

(1) एक निश्चित संस्तरण (A Definite Hierarchy)—सामाजिक वर्ग श्रेणियों में विभक्त होते हैं। वे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग हो सकते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे कम किन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक किन्तु प्रतिष्ठा नगण्य होती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च व निम्न वर्ग के सदस्यों में सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है।

(2) वर्ग चेतनता (Class Consciousness)—सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतनता पाई जाती है। यही चेतनता मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करती है अर्थात् सदस्यों में समानता की भावना दृढ़ होती है लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता रहता है इससे उनमें 'प्रतियोगी वर्ग चेतनता' का भाव आ जाता है यही वर्ग-चेतनता वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देती है।

(3) समान प्रस्थिति (Equal Status)—एक ही वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक प्रस्थिति एक जैसी होती है। जैसे—यदि किसी समाज में सम्पत्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता है तो उसी व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति ऊँची मानी जायेगी जिसके पास अधिक सम्पत्ति है। उसी प्रकार यदि राजनीति को महत्त्व दिया जाता है तो राजनीति ही प्रस्थिति का आधार होगी। इस प्रकार प्रस्थिति निर्धारण उसके आधार हो सकते हैं। जब कई व्यक्ति एक-ही प्रस्थिति के होते हैं तो वे एक वर्ग के सदस्य माने जाते हैं।

(4) श्रेष्ठता व हीनता की भावना (Feeling of Superiority and Inferiority)—समाज के विभिन्न समूह परस्पर श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना रखते हैं। सभी इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। जैसे शासक-वर्ग स्वयं को श्रेष्ठ व गरीब वर्ग को स्वयं की तुलना में हीन समझता है।

(5) प्रतिबन्धित सामाजिक सम्बन्ध (Restricted Social Relations)—एक वर्ग के व्यक्ति अन्य वर्गों के व्यक्तियों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उनके सामाजिक सम्बन्ध अपने वर्ग तक ही प्रतिबन्धित अथवा सीमित होते हैं। इसका कारण आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्तर होता है जिससे व्यक्ति अपने ही वर्ग के व्यक्तियों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

(6) मुक्तता एवं स्थानांतरण (Openness and Shifting)—वर्गों की प्रकृति मुक्त होती है अर्थात् किसी विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेने पर कोई व्यक्ति किसी अन्य वर्ग का सदस्य हो सकता है अथवा एक साथ अनेक वर्गों को सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसके साथ ही स्थानान्तरण की स्थिति भी आ सकती है। जैसे—एक व्यक्ति धनी बनकर उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा सम्पन्न व्यक्ति किसी कारण निर्धन बन सकता है और गरीब वर्ग का सदस्य बन सकता है। तात्पर्य यह है कि वर्ग की सदस्यता मुक्त अथवा खुली होती है। जीवन-पर्यन्त एक ही वर्ग की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक नहीं।

(7) वर्ग का वस्तुनिष्ठ पक्ष (Objective aspect of Class)—एक वर्ग दूसरे वर्ग से अनेक पहलुओं में भिन्नता लिए हुए होता है। अनेक पक्ष विद्वानों द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। इनमें मकान का प्रकार, शिक्षा, आय, मोहल्ले की प्रतिष्ठा आदि को लिया जा सकता है। जैसे—निम्न वर्ग के लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, आय व शिक्षा भी कम होती है जबकि उच्च वर्ग शिक्षित, उच्च आय वाला व ऊँचो-ऊँची इमारतों में रहता है। इस प्रकार व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर उस वर्ग की पहिचान हो जाती है।

(8) सम्बन्ध स्थापन (Relation's stability)—एक वर्ग के सदस्यों के सम्बन्ध उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। मित्रों का चुनाव, विवाह में कन्या पक्ष व वर पक्ष का चुनाव आदि आपस में समानता के आधार पर ही किए जाते हैं।

(9) उप-संस्कृति (Sub-culture)—वर्ग की अपनी एक उप-संस्कृति होती है। एक वर्ग के सभी लोगों की एक-सी प्रस्थिति होती है और उस प्रस्थिति के लोगों के साथ ही उनके व्यावहारिक सम्बन्ध होते हैं। उनका रहन-सहन, जीवन-शैली समान होती है। मैक्स वेबर ने ऐसे समूह को प्रस्थिति-समूह (Status-group) कहा है जिनका व्यवहार करने का तरीका, रहने-महने का स्तर आदि समान प्रकार का हो। इस प्रकार हर वर्ग की अपनी एक उप-संस्कृति होती है।

(10) आर्थिक आधार का महत्त्व (Importance of Economic base)—वर्ग का महत्त्वपूर्ण आधार आर्थिक प्रस्थिति है। मार्क्स के मत में तो आर्थिक आधार ही एकमात्र वर्ग-निर्माण का कारक है। इसी के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग बने हैं और प्रत्येक वर्ग अपनी प्रस्थिति के अनुरूप ही वर्ग की सदस्यता प्राप्त करता है।

(11) पूर्णतया अर्जित (Completely achieved)—वर्ग की सदस्यता पूर्णतया व्यक्ति की योग्यता और कार्य-कुशलता पर निर्भर करती है। ये सदस्यता व्यक्ति को प्रयास से प्राप्त करनी पड़ती है। जिस योग्यता के अनुरूप उसका स्तर होता है उसी योग्यता के वर्ग की सदस्यता उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे निम्न वर्ग का सदस्य यदि अपने प्रयास से उच्च वर्ग के अनुरूप बन जाता है तो वह उच्च वर्ग की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है अर्थात् वर्ग सदस्यता का जन्म से नहीं मिलती अपितु यह अर्जित है।

( 12 ) सामान्य जीवन विधि (Common mode of life)—प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के जीवन के जीने की विधि एक जैसी होती है, जैसे—धनाढ्य-वर्ग में धन का अत्यधिक दिखावा, विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करना प्रायः उच्चता का प्रतीक माना जाता है जबकि मध्यम वर्ग परम्पराओं का निर्वाह करना, समाज-सम्मत तरीके पर चलना अपना कर्तव्य मानते हैं। निम्न वर्ग में केवल भरण-पोषण करना ही उद्देश्य रहता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के जीवन-यापन का तरीका एक जैसा ही होता है।

( 13 ) वर्गों की अनिवार्यता (Essentiality of Classes)—प्रत्येक समाज में शिक्षा, व्यवसाय, आय, योग्यता आदि को दृष्टि से व्यक्तियों में विभेदता पाई जाती है। अतः इस विभेदता के आधार पर समाज में अनेक वर्ग स्वतः ही बन जाते हैं, जिनमें उस विशेषता से संयुक्त व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार समाज में वर्गों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है।

( 14 ) वर्गों की स्थायी विशेषताएँ (Stable qualities of the Class)—यद्यपि वर्ग-व्यवस्था व्यक्ति को योग्यता, शिक्षा, व्यवसाय, आय, धन-शक्ति आदि के आधार पर निर्मित होती है और किसी वर्ग के सदस्य योग्यता, शिक्षा आदि में वृद्धि कर अपने से उच्च वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होता है, जीवन में दूसरे वर्ग में कम ही जाता है। जैसे—निर्धन व्यक्ति का धनवान होना या धनवान के निर्धन बन जाने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है और प्रायः व्यक्ति अपने जीवन में एक ही वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर पाता है।

( 15 ) उप-वर्ग (Sub-class)—प्रत्येक सामाजिक-वर्ग में अनेक उप-वर्ग भी मिलते हैं। जैसे उच्च-वर्ग में सभी एक समान स्तर के व्यक्ति नहीं होते अतः उनमें उच्च-उच्च, उच्च-मध्यम वर्ग जैसी विशेषताएँ मिलती हैं। उसी प्रकार मध्यम वर्ग भी कुछ विशेषताओं में उच्च वर्ग के समान व कुछ में निम्न के समान हो सकता है। इस प्रकार मध्यम-उच्च, मध्यम-मध्यम, मध्यम-निम्न वर्ग बन जाते हैं। निम्न वर्ग भी मध्यम वर्ग के समान हो सकता है तो निम्न-मध्यम, निम्न-निम्न आदि अनेक वर्गों का निर्माण हो सकता है।

वर्ग-विभाजन के आधार (Bases of Class-division)—सामाजिक वर्गों की विशेषताओं के स्पष्टीकरण के उपरान्त एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्ग-विभाजन किस आधार पर किया जाना चाहिए। अनेक विद्वानों ने वर्ग-विभाजन के भिन्न-भिन्न आधार बताये हैं।

1. कार्ल मार्क्स ने वर्ग-विभाजन के दो आधार बताये हैं—एक शोषक या पूँजीवादी वर्ग और दूसरा शोषित या मजदूर-वर्ग।
2. मैकाइवर ने भाषात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्ग-विभाजन को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि, "यह केवल यद की भावना ही है जो आर्थिक, राजनैतिक अथवा धार्मिक शक्तियों, जीवन-यापन के विशेष ढंगों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों द्वारा एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक् करती है और इस प्रकार समाज को एक संस्तरण में बाँटती है।"
3. मार्टिण्डेल और मोनाकसी व्यक्ति की आय और आर्थिक साधनों पर उसके अधिकार की मात्रा को वर्ग की कसौटी मानते हैं अर्थात् इनके मत में वर्ग-निर्माण का आधार भौतिकता है।

4. वीसेंज और बीसेंज अपनी पुस्तक 'मॉडर्न सोसाइटी' में सामाजिक वर्ग को कसौटी के लिए संस्कृति के मूल्य को प्रमुखता देते हैं। उनका कहना है, "स्थिति की कसौटियाँ (Criteria) संस्कृति के मूल्य निश्चित करती हैं।" ये कसौटियाँ विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, जैसे—अमेरिका में धन, भारत में जाति हो सकती है।

इस प्रकार वर्ग का आधार धन, आय का साधन, व्यवसाय की प्रकृति, निवास-स्थान आदि हो सकते हैं क्योंकि समाज में प्रायः उच्च वर्ग, शासक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं।

5. हार्टन व हन्ट ने भी सामाजिक वर्ग के आधारों में धन, आय, व्यवसाय, शिक्षा व वर्ग-पस्थिति के प्रति स्वयं की धारणा को प्रमुखता दी है।

6. वारनर ने वर्ग-निर्धारण के आठ आधार बताये हैं। सभी विद्वानों ने धन परिवार, शिक्षा आदि को ही महत्ता दी है।

**वर्ग-निर्धारण के आधार (Bases of Class-determination)**—रॉबर्ट ब्रौरस्टीड का आधार उपर्युक्त सभी विद्वानों का सार-रूप कहा जा सकता है। इन्होंने वर्ग-विभाजन के सात आधार बताये हैं, जो निम्नलिखित हैं—ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधार हो सकते हैं क्योंकि इन आधारों में धन, धर्म, व्यवसाय, परिवार आदि सभी को सम्मिलित किया गया है। ये इस क्रम में वर्णित हैं—

(1) सम्पत्ति, धन और आय (Property, Wealth and Income)—सबसे महत्त्वपूर्ण आधार धन, सम्पत्ति व आय को माना गया है। धन-सम्पत्ति आय पर ही निर्भर करती है क्योंकि जैसा कि मार्क्स को मान्यता है कि भौतिक वस्तुएँ—पूँजो, भूमि आदि निम्न व उच्च वर्ग के विभाजन का आधार हैं। जिसके पास आय के स्रोत जितने अधिक व उच्च-स्तर के होते हैं वह व्यक्ति उतने ही उच्च वर्ग का माना जाता है। किन्तु केवल धन-सम्पत्ति ही एक आधार नहीं है अपितु अन्य आधार भी महत्त्वपूर्ण हैं।

(2) परिवार और नातेदारी (Family and kinship)—परिवार व नातेदारी वर्ग-निर्धारण का महत्त्वपूर्ण आधार है। विवाह-सम्बन्धों में परिवार व नातेदारी प्रमुख मानी जाती है, जैसे—उच्च-स्तर वाले व्यक्तियों की रिश्तेदारी उच्च लोगों से ही होती है। अतः परिवार वालों को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है।

(3) निवास की स्थिति (Location of residence)—कोई व्यक्ति किस स्थान पर रह रहा है, उसके पड़ोसी किस स्तर के हैं—ये बातें भी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण करती हैं। जैसे विकसित ऑलोनी में रहने वाले लोग कच्ची-बस्ती में रहने वाले लोगों से उच्च-स्तर के माने जाते हैं।

(4) निवास स्थान की अवधि (Duration of residence)—कोई व्यक्ति कितने समय से किस स्थान पर रह रहा है? उसका अतीत क्या है? पूर्व में किस स्थान के निवासी थे? आदि-आदि तथ्य भी वर्ग का निर्धारण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निवास-स्थान पर रहता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा अधिक है, उनकी तुलना में जो नौकरी के लिए नवीन स्थान पर जाकर रहते हैं जिनका कोई स्वयं का निवास-स्थान नहीं होता।

(5) व्यवसाय की प्रकृति (Nature of occupation)—व्यवसाय की प्रकृति भी वर्ग-निर्धारण का आधार है, जैसे—प्रशामक, इन्जीनियर, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर आदि को समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है। उनकी तुलना में ठेकेदार, दुकानदार आदि के पास धन होने पर भी सामाजिक-वर्ग में इनको उतनी प्रतिष्ठा नहीं। इस प्रकार व्यवसाय की प्रकृति वर्ग का निर्धारक हो सकती है।

(6) शिक्षा (Education)—शिक्षा, तकनीकी-ज्ञान वर्ग का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा भी है, “स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।” शिक्षित व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा अशिक्षित को तुलना में अधिक होती है।

(7) धर्म (Religion)—धर्म भी वर्ग-निर्धारण में अहम् भूमिका निभाता है। ऋषि-मुनि आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। विशेष रूप से भारतवर्ष में धार्मिक स्थिति को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है।

वर्ग-निर्धारण के आधारों के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग का आधार धन-सम्पत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन-स्तर, संस्कृति आदि हैं और एक समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग में आते हैं।

### कार्ल मार्क्स : वर्ग के सम्बन्ध में विचार (Karl Marx : Views About Class)

कार्ल मार्क्स ने वर्ग से सम्बन्धित अनेक पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किये। इनके विचारों का सामाजिक विज्ञानों में विशेष महत्व है। मार्क्स ने सामाजिक वर्ग के आधार पर मानव समाज के इतिहास व सामाजिक परिवर्तन आदि की व्याख्या की है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम मार्क्स के वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों, वर्ग का अर्थ, इसकी विशेषताएँ, प्रकार व वर्ग के प्रति उनकी दृष्टि और वर्ग-संघर्ष आदि का अध्ययन करें, जो निम्न प्रकार है—

वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Class)—मार्क्स ने वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा बुर्जुआ इतिहासकारों, विशेष रूप से फ्रांसीसी इतिहासकारों से ली है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग से सम्बन्धित अपने विचार विशेष रूप से विश्वविख्यात कृति “दास कैपिटल” के तीसरे खण्ड के अन्तिम अध्याय “सामाजिक वर्ग” (Social Classes) में व्यक्त किये हैं। इस अध्याय में आपने वर्ग की व्याख्या की है लेकिन रेमण्ड ऐरन (Raymond Aron) का कहना है कि मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा तो कहाँ नहीं दी है, किन्तु इन्होंने अपना रचनाओं में अनेक स्थानों पर इसका वर्णन किया है। आपने “सामाजिक वर्ग” अध्याय में आय के विभिन्न स्रोतों के आधार पर तीन वर्गों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है—

1. वेतन भोगी श्रमिक (Wage earner Labourers)—वेतन भोगी श्रमिकों के आय के साधन विभिन्न प्रकार की मजदूरी होती है। इस वर्ग के सदस्य साधारण श्रम-शक्ति के स्वामी होते हैं।

2. पूँजीपति वर्ग (Capitalistic Class)—पूँजीपति वर्ग समाज के घे वर्ग होते हैं जिनके पास बहुत अधिक पूँजी होती है। ये पूँजी के स्वामी होते हैं। इनकी आय का साधन अतिरिक्त मूल्य के द्वारा लाभ कमाना है।

3. भू-स्वामी वर्ग (Land-Owner Class)—भू-स्वामी वर्ग के सदस्य भू-स्वामी होते हैं। इनकी आय का साधन भूमि-कर होता है। यह वर्ग कृषि-प्रधान समाज में पाया जाता है।

मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार की है। आपने अपने वैज्ञानिक उद्देश्य के अनुसार उपर्युक्त तीनों वर्गों का वर्गीकरण आर्थिक संरचना के आधार पर किया है। मार्क्स ने लिखा है कि मानव समाज का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। मानव इतिहास में मानव समूह हमेशा आपस में एक-दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स ने इन्हें संघर्षरत मानव समूहों को वर्ग कहा है। मार्क्स ने वर्ग की विशेषताओं का वर्णन किया है। आपका कहना है कि वर्ग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—(1) शोषक वर्ग, एवं (2) शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर विरोधी होते हैं। रेमण्ड ऐरन ने अपनी पुस्तक 'मेन करण्ट्स इन सोशियोलोजिकल थॉट' में लिखा है कि मार्क्स ने वर्गों की विशेषता 'दो ध्रुवों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति' (Tendency towards a polarization into two blocks and only two) बताई है। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास के संदर्भ में विभिन्न कालों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि सभी समाजों में हमेशा दो वर्ग रहे हैं जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। आपका मत है कि शोषक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन के तरीकों तथा उत्पादन के सम्बन्धों पर नियन्त्रण होता है। शोषित वर्ग वह है जो इन उपर्युक्त विशेषताओं से वंचित होता है। वर्गों के रूप भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न रहे हैं। आज वर्तमान युग में भी मार्क्स के अनुसार दो वर्ग हैं—एक बुर्जुआ (Bourgeois) अर्थात् शोषक वर्ग और दूसरा सर्वहारा अर्थात् शोषित वर्ग। इन्होंने इनके उत्पन्न होने का कारण आर्थिक माना है।

मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को आर्थिक, ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है—

1. आर्थिक परिप्रेक्ष्य (Economic Perspective)—मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्याख्या करते हुए लिखा है कि वर्ग का निर्माण आर्थिक स्रोतों के आधार पर होता है। एक वर्ग वह है जिसका आय के साधनों पर नियन्त्रण होता है, दूसरा वह जो उसके अधीन होता है। इस आर्थिक विशेषता, आय के स्रोत के कारण ही प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाये जाते हैं जिनमें निरन्तर संघर्ष होता रहता है।

2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)—मार्क्स ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्गों की व्याख्या करते हुए कम्यूनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र में लिखा है—“अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है।” आपने वर्गों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनके विभिन्न प्रकार व प्रकृति आदि का वर्णन भी किया है। इन्होंने वर्ग पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला है—“स्वतन्त्र मनुष्य और दास, पेटीशियन और प्लेबियन, सामन्ती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर—संक्षेप में उत्पीड़क (Exploiter) और उत्पीड़ित (Exploitee) बराबर एक-दूसरे का विरोध करते आये हैं।”

3. मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (Psychological Perspective)—कार्ल मार्क्स ने वर्गों का अर्थ मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर भी स्पष्ट किया है। आपकी मान्यता



है कि वर्गों में एकता और चेतना का गुण विद्यमान होता है। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वहारा-वर्ग एक क्रान्तिकारी-वर्ग है। यह सर्वहारा-वर्ग क्रान्ति के द्वारा पूँजीवाद को समाप्त कर देगा तथा ऐसे साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा जिसमें समाज के सदस्यों में समानता होगी, किसी का शोषण नहीं होगा, उत्पीड़ित नहीं होगा। धीरे-धीरे राज्य भी लुप्त हो जायेगा।

लेनिन ने 'सलेक्ट्रेड वर्क्स' के तृतीय खण्ड में मार्क्स और एंजल्स के विचारों के अनुसार वर्ग को निम्नलिखित परिभाषा दी है—

“वर्ग जनता के ऐसे बड़े समूह हैं, जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास द्वारा निर्दिष्ट किसी अवस्था में अपने विशिष्ट स्थान द्वारा, उत्पादन के साधनों के प्रति अपने सम्बन्ध द्वारा, (जो प्रायः कानून द्वारा) स्थिर और निरूपित होते हैं। श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका द्वारा और परिणामस्वरूप इस तथ्य द्वारा कि वे सामाजिक सम्पदा का कितना बड़ा भाग, किस तरीके से अर्जित करते हैं, एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।”

इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्स वर्ग की मुख्य विशेषता उत्पादन के साधन मानते हैं। मैकी (McKee) ने 'इन्ड्रोडक्शन टु सोशियोलोजी' में लिखा है कि मार्क्स वर्गों का आधार आर्थिक मानते हैं। अपने कहे हैं, “सामाजिक वर्ग—ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाई तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियाँ दोनों ही हैं।

रेमण्ड ऐरन का निष्कर्ष (Conclusion of Raymond Aron)—रेमण्ड ऐरन ने अपनी पुस्तक “मेन करण्ट्स इन सोशियोलोजिकल थॉट्स” (Main Currents in Sociological Thoughts) में मार्क्स के वर्ग से सम्बन्धित विचारों के आधार पर निम्नलिखित दो निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं।

(1) निश्चित स्थान (Fixed Place)—मार्क्स के अनुसार एक सामाजिक वर्ग वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है। उत्पादन की प्रक्रिया के दो अर्थ सामने आते हैं—

(1.1.) उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया में स्थान और (1.2) वैधानिक प्रक्रिया में स्थान। वैधानिक प्रक्रिया—तकनीकी प्रक्रिया पर धोपी गई होती है। पूँजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। वह श्रमिकों का संगठनकर्ता एवं तकनीकी प्रक्रिया का स्वामी होता है।

पूँजीपति वैधानिक स्थिति के कारण उत्पादकों से अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करता है।

(2) अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value)—पूँजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। पूँजीपति श्रम-शक्ति के स्वामी होने के कारण अतिरिक्त मूल्य को हड़पते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ वर्ग-सम्बन्ध सरल होते जाते हैं और आय के स्रोत श्रम और लाभ—दो ही रह जाते हैं। श्रम का मालिक श्रमिक वर्ग होता है एवं लाभ (अतिरिक्त मूल्य) का मालिक पूँजीपति होता है। भू-स्वामी वर्ग धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है और उसका स्थान पूँजीपति वर्ग ले लेता है।

वर्ग के लक्षण (Characteristics of Class)—कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति 'दा एटीन्थ ब्रुमेयर' (The Eighteenth Brumaire) में वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताओं का

उल्लेख किया है। आपका कहना है कि वर्ग के लिए बहुत बड़ा मानव समूह या समाज होना चाहिये। इस मानव समूह में समान आर्थिक गतिविधियों का होना आवश्यक है। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में वर्ग तभी होगा जब समाज के सदस्यों की जीवन शैली समान होगी। उनकी मस्कृति और हित समान होने चाहिए। इतना ही नहीं एक वर्ग के लिए एकता की चेतना का होना अत्यावश्यक है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक् होने की भावना का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वर्गों में एक-दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना। इन उपर्युक्त विशेषताओं के होने पर ही समाज में वर्गों का निर्माण होता है। आपका यह भी कहना है कि शोषक वर्ग एवं शोषित वर्ग में अपने-अपने स्वार्थों को लेकर संघर्ष एवं टकराव पाया जाता है। शोषक-वर्ग और शोषित-वर्ग में सामुदायिक चेतना और सामान्य क्रिया की इच्छा भी पाई जाती है। मार्क्स ने वर्ग की आर्थिक विशेषता बताते हुए लिखा है, "वर्ग समाज के सदस्यों का ऐसा समूह होता है जो अपनी जीविका एक विशेष प्रकार से अर्जित करता है।" इसी आर्थिक आधार की भिन्नता के आधार पर आपने वर्गों के प्रकार का उल्लेख भी किया है।

### कार्ल मार्क्स : वर्गों के प्रकार (Karl Marx : Types of Classes)

कार्ल मार्क्स ने वर्गों के प्रकारों का उल्लेख अपनी विभिन्न कृतियों में किया है। आपने वर्गों के प्रकार उस समय बताये हैं जब आपने इनका ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'जर्मनी में क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति' (Revolution and Counter Revolution in Germany) में निम्नलिखित आठ वर्गों का उल्लेख किया है जो जर्मनी की 1848 की क्रान्ति के अध्ययन से सम्बन्धित हैं—

- (1) सामन्ती अभिजात (The Feudal Nobility)
- (2) बुर्जुआ (The Bourgeoisie)
- (3) पेटिट बुर्जुआ (The Petite Bourgeoisie)
- (4) उच्च एवं मध्यम कृषक (The Upper and Middle Peasantry)
- (5) स्वतंत्र निम्न कृषक (The Free Lower Peasantry)
- (6) दास कृषक (The Slave Peasantry)
- (7) कृषि-श्रमिक (The Agricultural Labourers)
- (8) औद्योगिक श्रमिक (The Industrial Workers)

इसी प्रकार मार्क्स ने अपनी कृति 'फ्रांस में वर्ग संघर्ष' (Class-Struggle in France) में निम्नलिखित वर्ग बताये हैं—

- (1) वित्तीय बुर्जुआ (Financial Bourgeoisie)
- (2) औद्योगिक बुर्जुआ (Industrial Bourgeoisie)
- (3) पेटिट बुर्जुआ (Petite Bourgeoisie)
- (4) कृषक वर्ग (Peasant Class)
- (5) सर्वहारा वर्ग (Proletarian Class)
- (6) उपसर्वहारा वर्ग (Lumpenproletarian)

कार्ल मार्क्स ने उपर्युक्त दोनों ही वर्गीकरण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किये हैं कि कौन-कौनसे सामाजिक समूह (वर्ग) थे जिन्होंने ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनैतिक घटनाओं को प्रभावित किया था। मार्क्स ने 'दास कैपिटल' में बड़े समूहों के केन्द्रीयकरण के रूप में दो वर्गों का वर्णन किया है—एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग।

पूँजीवादी व्यवस्था में ये दो वर्ग हैं—पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन वर्गों के वर्गीकरण का आधार श्रम एवं ताब है। जबकि जर्मन में क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति और फ्रांस में वर्ग-संघर्ष में वर्गों के वर्गीकरण के आधार ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनैतिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण समूह रहे हैं।

मार्क्स ने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र' में शोषक और शोषित आधारों को लेकर तथा मानव समाज के इतिहास के सन्दर्भ में वर्गों के दो प्रमुख प्रकारों—शोषक वर्ग और शोषित वर्ग—के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। ये दोनों वर्ग आपके अनुसार परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। आपने निम्न शब्दों में इनका उल्लेख किया है।

“अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन तथा साधारण जनता, सामन्ती प्रभु तथा भूदास, शिल्प-संघ का उस्ताद-कारीगर और मजदूर-कारीगर, संक्षेप में उत्पीड़क (शोषक) और उत्पीड़ित (शोषित) बराबर एक-दूसरे का विरोध करते आये हैं।”

मार्क्स की मान्यता है कि मानव एक वर्ग-प्राणी (Class Animal) है। आपकी मान्यता है कि प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के जैसे साधन होते हैं उन्हीं के अनुसार वर्गों का निर्माण होता है। आपका मत है कि वर्गों के प्रकार, स्वरूप व विशेषताएँ आदि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की विधियों पर आधारित होते हैं। भिन्न-भिन्न युगों में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ है, उसी के अनुसार नये-नये वर्ग विकसित हुए हैं। उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपने उपर्युक्त वर्गों के प्रकार बताये हैं। आपने मानव इतिहास में युगों को ध्यान में रखकर निम्न चार युगों में वर्गों के प्रकारों का उल्लेख किया है।

- (1) आदिम साम्यवादी वर्ग-विहीन समाज (Primitive Communal Classless Society)
- (2) दासत्व समाज में वर्ग (Class in Slave Society)
- (3) सामन्ती समाज में वर्ग (Class in Feudal Society)
- (4) पूँजीवादी समाज में वर्ग (Class in Capitalistic Society)

### वर्गों की उत्पत्ति (Origin of Class)

कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि अगर हम समाज का इतिहास देखें तो पायेंगे कि प्रारम्भ में मानव-समाज में कोई वर्ग-व्यवस्था नहीं थी। आपके अनुसार अति-प्राचीनकाल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर लेता था। मानव की आवश्यकता से सम्बन्धित सभी वस्तुएँ प्रकृति में उपलब्ध थीं। इस काल में जीवित रहने के साधनों की बहुलता थी तथा समाज छोटे-छोटे कर्बालो या बन्धुत्व समूहों के रूप में रहते थे। कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था। मार्क्स के अनुसार प्रारम्भ में मानव-समाज वर्ग-विहीन

अवस्था में था। न कोई शोषक था, न ही कोई शोषित। आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती थी। अतिरिक्त उत्पादन तथा वितरण की असमानता को कोई जानता भी न था। प्रारम्भ में निजी सम्पत्ति जैसी कोई चीज भी नहीं थी। मार्क्स का कथन है कि समाज में सर्वप्रथम वर्गों की उत्पत्ति आदिम साम्यवादी युग के अन्तिम चरण में तब हुई जब जनसंख्या बढ़ गई, अतिरिक्त उत्पादन का विकास हुआ, वितरण में असमानता आ गई, निजी सम्पत्ति की अवधारणा ने जन्म ले लिया, व्यक्तियों को कैदियों की तरह रखा जाने लगा और उनसे गुलामों की तरह काम लिया जाने लगा। इस प्रकार प्राचीन साम्यवादी युग धीरे-धीरे दासत्व-युग में परिवर्तित हो गया। समाज में जैसे-जैसे नये उत्पादन के साधन खोजे जाने लगे, जैसे-जैसे वर्गों के रूप एक युग से दूसरे युग में—दास-स्वामी, सामन्त-किसान, पूँजीपति-श्रमिक के रूप में बदलते गये। मार्क्स की मान्यता है कि समाज प्राचीन साम्यवादी वर्ग-विहीन व्यवस्था से विभिन्न वर्गों के रूपों में से गुजरता हुआ अन्त में राज्य-विहीन, वर्ग-विहीन कल्पनालोकिय समाजवादी समाज व्यवस्था के रूप में विकसित होगा।

आपने वर्ग-व्यवस्था के इतिहास को भी प्रस्तुत किया है—

विभिन्न समाजों में वर्ग (Classes in Various Societies)—कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि सभी समाजों में हमेशा वर्ग रहे हैं। आपने तो यहाँ तक लिखा है कि मानव समाजों का इतिहास वर्ग-सघर्षों का इतिहास है। अर्थात् एक काल में जो वर्ग होते हैं उनमें संघर्ष के फलस्वरूप नये वर्ग का जन्म होता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक वर्ग-विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। मार्क्स ने विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्ग-व्यवस्था के स्वरूपों की विवेचना निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है।

1. आदिम साम्यवादी वर्ग-विहीन समाज (Primitive Communal Classless Society)—मार्क्स ने मानव इतिहास का गहन अध्ययन करके निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि प्रारम्भ में मानव नातेदारी या बन्धुत्व पर आधारित समूहों के रूप में रहता था। इसे मार्क्स ने मानव इतिहास का प्रथम युग कहा है। मानव-समूह का आधार गोत्र-सम्बन्ध होते थे। ये छोटे-छोटे समुदायों या कबीलों के रूप में रहते थे। इन गोत्र-समूहों या कबीलों की एक भाषा और निश्चित लघु भू-क्षेत्र होता था। जीविकोपार्जन के साधनों पर या उत्पादन के साधनों पर सम्पूर्ण गोत्र या कबीले के सभी सदस्यों का अधिकार होता था। सम्पत्ति सामूहिक होती थी। उत्पादन, उपभोग और वितरण सामुदायिक होता था। इनकी आर्थिकी सभरणात्मक होती थी। उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर समुदाय के सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। इनकी आर्थिकी घटत की आदत नहीं होती थी, इसलिए उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था। इस युग में श्रम-विभाजन लिंग-भेद के आधार पर होता था। स्त्री-पुरुष, आयु-भेद और शारीरिक-क्षमता के आधार पर विभिन्न कार्यों को करते थे। मार्क्स ने कहा कि इन सब विशेषताओं के फलस्वरूप मानव इतिहास के प्रथम युग में आदिम साम्यवादी वर्ग-विहीन समाज थे। इस काल में वर्ग-भेद नहीं पाया जाता था।

(2) दासत्व युग में वर्ग (Class in Slave Society)—मार्क्स की मान्यता है कि सर्वप्रथम दासत्व समाज या दासत्व युग में वर्गों का उदय हुआ था। आपने वर्गों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का निम्न प्रकार से उल्लेख किया—आपका कहना है कि मानव इतिहास

में धीरे-धीरे भौतिक परिस्थितियों, उत्पादन के साधनों व व्यवसाय आदि में परिवर्तन हुआ। मानव पशु-पालन, कृषि तथा दस्तकारी के कार्य करने लगा। इस काल में धीरे-धीरे श्रम-विभाजन का भी विकास हुआ। व्यक्तिगत सम्पत्ति भी धीरे-धीरे पनपने लगी। सामाजिक उत्पादन के साधनों पर व सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर व्यक्तिगत स्वामित्व का उदय हुआ। समाज में कुछ लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन, जैसे—भूमि, औजार, बीज व पशु आदि आ गये। ये समाज में स्वामी कहलाने लगे। दूसरी ओर समाज में अधिकतर वे लोग थे जो उपर्युक्त वर्णित उत्पादन के साधनों से वंचित थे। इनके पास केवल श्रम था। इनको साधनसम्पन्न लोग (स्वामी) ने दास बना लिया और इनसे बलपूर्वक काम लेने लगे। मार्क्स का कथन है कि आदिम साम्यवादी वर्ग-विहीन समाज धीरे-धीरे स्वामी-दास वर्ग व्यवस्था वाले दासत्व समाज में विकसित हो गया।

दासत्व युग में साधन-सम्पन्न वर्ग दासों को खरीदता था। स्वामी वर्ग एक प्रकार से परजीवी वर्ग था जो दासों का शोषण करता था। यही शोषक वर्ग उत्पादन-प्रणाली को नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित करता था। स्वामी वर्ग की आय का मुख्य स्रोत दासों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुएँ थीं। इस युग में स्वामी वर्ग दासों को पशुओं की तरह खरीदते थे, बेचते थे और मारते थे। दास परतंत्र और अपने मालिक पर आश्रित थे। मार्क्स ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर कहा है कि दासत्व युग में धीरे-धीरे स्पष्ट रूप से दो वर्ग बन गये। मालिक या स्वामी दासों का शोषण करते थे। इनके पास समाज की आर्थिक और राजनैतिक शक्ति होती थी। ये संख्या में कम होते थे। दूसरी ओर दास संख्या में अधिक होते थे। आदिम समाजों की तुलना में इस युग में अधिक आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है। जैसे—नये-नये नगरों का निर्माण, कृषि और अन्य उत्पादन में धातुओं के उपकरणों का विकास, वाणिज्य एवं व्यापार का विकास, युद्ध के लिए बड़ी-बड़ी सेनाओं का संगठन आदि। इस युग में हस्तशिल्प तथा विलासिता की वस्तुओं का निर्माण भी होने लगा जिसका उपभोग मालिक वर्ग करता था। इस प्रकार मानव-समाज के इतिहास में शोषित और शोषक वर्ग (दास और मालिक) का जो उदय हुआ, उसका मार्क्स ने वर्णन किया।

(3) सामन्ती समाज में वर्ग (Class in Feudal Society)—कार्ल मार्क्स ने वर्ग के विकास के इतिहास में दूसरी अवस्था सामन्ती समाज में दो वर्गों का उल्लेख किया। आपके अनुसार सामाजिक समाज में एक सामन्त वर्ग (Feudal Class) होता था और दूसरा अर्धदास किसान वर्ग (Serf class) होता था। सामन्त वर्ग साधनसम्पन्न होता था। इस वर्ग के उत्पादन के साधन (भूमि) पर स्वामित्व होता था। एक प्रकार से यह शोषक वर्ग होता था और रात्ताधार भी होता था। दूसरी ओर अर्धदास किसान इस समाज के शोषित वर्ग होते थे। यह किसान सामन्तों के अधीन होते थे। सामन्त अर्धदास किसानों में अपनी भूमि पर खेती करवाते थे। सामन्त वर्ग अर्धदास किसानों के श्रम का शोषण करते थे। भू-स्वामी सामन्त किसानों के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं को हड़प जाते थे। अर्धदास किसान दासत्व युग में दासों की तुलना में कुछ अच्छी स्थिति में थे। यह किसान भी सामन्तों की भूमि पर खेती करते थे और उनके घरों का कार्य करते थे। अक्सर आने पर किसान सामन्तों के लिए युद्ध में लड़ते भी थे। सामन्ती युग में निजी सम्पत्ति का स्वरूप और अधिक उन्नत प्रबल और स्पष्ट हो गया था। मार्क्स के अनुसार सामन्त और किसान शोषक और शोषित दो वर्गों में सघर्ष

दासत्व युग की तुलना में अधिक स्पष्ट में रूप देखने को मिलता था। मार्क्स ने सामन्ती समाज में इन दो वर्गों में संघर्ष के परिणामस्वरूप पूँजीपति वर्ग की उत्पत्ति का उल्लेख भी किया।

(4) पूँजीपति समाज में वर्ग (Class in Capitalistic Society)—मार्क्स की मान्यता है कि आधुनिक पूँजीवादी समाज की उत्पत्ति सामन्ती समाज में सामन्तों और विद्वानों में वर्ग-संघर्ष के परिणामस्वरूप हुई है। शुरू में पूँजीपति वर्ग एक प्रगतिशील वर्ग था। उसका उद्देश्य समाज का विकास करना था, लेकिन धीरे-धीरे यह वर्ग शक्तिशाली होता गया। उत्पादन के साधनों और शक्तियों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। पूँजीपति वर्ग की उत्पत्ति मशीनों के अधिकार तथा बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना के फलस्वरूप हुई है। मार्क्स की मान्यता है कि जब समाज में आद्योगिकीकरण हुआ इससे समाज में पूँजीपति वर्ग एक शोषक वर्ग बन गया। पूँजीपतियों ने श्रमिकों से अपने कारखानों में काम करवाया और अतिरिक्त मूल्य को हड़प लिया। मार्क्स ने पूँजीपति समाज के दो वर्गों—शोषक (पूँजीपति) और शोषित (श्रमिक) को विशिष्ट नाम दिए हैं। आपने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा-वर्ग की संज्ञा दी है।

पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों व शक्तियों तथा उत्पादन के सम्वन्धों की नियन्त्रित, निर्देशित व संचालित करता है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा-वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। यह वर्ग अपने श्रम को बेचकर जीविकोपार्जन करता है। इन दोनों वर्गों के निर्माण का आधार अन्य वर्गों की तरह लाभ व आय है। पूँजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है।

मार्क्स ने अपना मत व्यक्त किया है कि मानव समाज का विकास के प्रत्येक स्तर में हमारा दो वर्ग—शोषक वर्ग व शोषित वर्ग रहे हैं। दासत्व युग में शोषक मालिक थे तथा शोषित दास थे। सामन्ती युग में शोषक सामन्त थे और शोषित किसान थे। वर्तमान पूँजीवादी युग में शोषक पूँजीपति (युजुआ) और शोषित सर्वहारा-वर्ग है। इन वर्गों में सदैव संघर्ष रहा।

### कार्ल मार्क्स : वर्ग संघर्ष (Karl Marx Class Struggle)

समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स ने अनेक अवधारणाओं तथा सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है। इसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय अवधारणा वर्ग-संघर्ष की है। आरके इस योगदान के फलस्वरूप समाजशास्त्र में समाज को समझने के लिए एक विशेष संघर्ष सम्प्रदाय (Conflict School) का विकास हुआ जो वर्तमान में उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र (Radical Sociology) के रूप में विकसित हो गया है। इसीलिए कार्ल मार्क्स की वर्ग-संघर्ष की अवधारणा को समझना आवश्यक है।

मार्क्स पर इंग्लैण्ड की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। जिस समय मार्क्स इंग्लैण्ड में थे उस समय यहाँ के कारखानों में बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था। पूँजीपति इन कारखानों के द्वारा खूब धन कमा रहे थे। पूँजीपतियों का वहाँ की सरकार और राजनैतिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव था। ये पूँजीपति सभी प्रकार में श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूँजीपति विशेष प्रभावशाली होने के कारण अपने उद्देश्यों को सभी प्रकार में पूर्ण करने के लिए कानूनी और गैर-कानूनी सभी रास्ते अपना रहे थे। अपने हितों की रक्षा

के लिए सरकार से कानून बनवा रहे थे। सरकार उनके इशारों पर चल रही थी। मार्क्स ने इन परिस्थितियों का अवलोकन किया और अध्ययन करके पाया कि पूँजीपति सर्वहारा-वर्ग (श्रमिक वर्ग) का खूब शोषण कर रहे थे। मार्क्स ने यह भी देखा कि पूँजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोग अधिक गरीब होते जा रहे थे। कार्ल मार्क्स इन सामाजिक परिस्थितियों से बहुत प्रभावित हुए आर इसीलिए वे पूँजीवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी और शत्रु बन गए। आपने सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया और श्रमिकों अथवा शोषित वर्ग के समर्थक बन गए। आपने शोषक और शोषित वर्ग के विभिन्न रूपों का साहित्य में अध्ययन किया और पाया कि इनमें वर्ग सघर्ष होता है। इतना ही नहीं आप सर्वहारा-वर्ग और साम्यवाद के एक महान् समर्थक के रूप में सामने आए।

कार्ल मार्क्स ने वर्ग-सघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन धोरे से ली है। विद्वानों का मत है कि मार्क्स ने वर्ग-सघर्ष की विवेचना प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत की, जिसका विश्व जगत में विशेष प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स के वर्ग-सघर्ष के सम्बन्ध में जो विचार हैं वे भिन्न-भिन्न रूपों में देखे जा चुके हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स के उन्हीं विचारों और दृष्टिकोणों का वर्ग-सघर्ष के सम्बन्ध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जायेगा। मार्क्स की मान्यता रही है कि 'वर्ग-सघर्ष' इतिहास को समझने की कुँजी है। आपने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र' के अध्याय प्रथम 'पूँजीपति और सर्वहारा' में पहली पक्ति लिखते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, जो निम्न प्रकार है—“अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग-सघर्षों का इतिहास रहा है।” इस पक्ति के बाद आपने वर्गों के विभिन्न प्रकार एवं सघर्ष की प्रक्रिया पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला है।

“स्वतन्त्र मनुष्य और दाम, घेटीशियन और प्लेबियन, सामन्ती प्रभु और भूदास, शिल्प-संघ का उस्ताद-कामीगर और मजदूर-कारीगर—संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित (शोषक और शोषित) बराबर एक-दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे, कभी प्रकट रूप से लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लड़ाई का अन्त हर बार या तो पूरे समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन में या सघर्षरत वर्गों की बर्बादी में हुआ है।”

कार्ल मार्क्स के वर्ग सघर्ष के सम्बन्ध जो जिवार 1843 में रहे वे जीवनपर्यन्त बने रहे। आपने वर्ग-सघर्ष को स्पष्ट करते हुए आलोच्य घोषणा-पत्र में निम्न शब्दों में उसे स्पष्ट किया है जिसको यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

“आधुनिक पूँजीवादी समाज में, जो सामन्ती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है, वर्ग-विरोधों को समाप्त नहीं किया। उसने केवल पुराने के स्थान पर नए वर्ग, उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई अवस्थाएँ और सघर्ष के पुराने रूपों की जगह नये रूप खड़े कर दिए हैं।”

### महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ (Major Concepts)

मार्क्स के वर्ग सघर्ष को समझने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं के अर्थों का अध्ययन करें। निम्नलिखित तीन अवधारणाओं—शोषक वर्ग, शोषित वर्ग और सघर्ष को समझने का प्रयत्न करें।

1. शोषक वर्ग (Exploiter-Class)—मार्क्स के अनुसार शोषक वह व्यक्ति है, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। भिन्न-भिन्न कालों में उत्पादन के साधन भिन्न-भिन्न होते हैं, उन्हीं के अनुसार उन साधनों से सम्बन्धित शोषक के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। दासत्व युग में शोषक-स्वामी या मालिक था। वह पशुओं, बोजों, औजारों और भूमि आदि—उत्पादन के साधनों का स्वामी था। सामन्ती युग में शोषक-सामन्त था। उसका भूमि (खेती की जमीन) पर स्वामित्व था एवं वह सत्ताधारी था। पूँजीवादी समाज में यह शोषक—पूँजीपति है, जिसका कारखानों, उद्योग-धन्धों आदि पर स्वामित्व होता है। शोषक का स्वामित्व कच्चे माल, पूँजी, भूमि, कल-कारखानों और कार्य आदि पर होता है। सभी शोषक मिलकर शोषक-वर्ग बनाते हैं, जो साधन-सम्पन्न, शक्तिशाली, सत्ताधारी एवं ऐश्वर्य-सम्पन्न होते हैं। मार्क्स के अनुसार शोषक-वर्ग का एक प्रकार से उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों पर आधिपत्य होता है। शोषकों का उद्देश्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना होता है, अतिरिक्त मूल्य की मात्रा को अधिक-से-अधिक बढ़ाना एवं शोषित का अधिकतम शोषण करना होता है। इस प्रकार से शोषक परजीवी होता है जो शोषित का शोषण करने के लिए व अधिक लाभ कमाने आदि के लिए उत्पादन करता है।

2. शोषित वर्ग (Exploitee Class)—मार्क्स का कथन है कि शोषित वह व्यक्ति है, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है। वह हमेशा अभावग्रस्त होता है। शोषित अपना श्रम शोषक को बेचता है। जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं, उसी के अनुरूप श्रम का रूप एवं प्रकार होता है। शोषित मानव समाज के इतिहास में हर काल में रहे हैं। जिस काल में जैसा उत्पादन का साधन था, उसके अनुसार श्रम बेचने वाले शोषित का भी रूप रहा है। दासत्व युग में शोषित का रूप दास था, सामन्त युग में शोषित का रूप भूमिहीन कृषक था और वर्तमान में पूँजीपति युग में शोषित श्रमिक है। इस श्रमिक को कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा-वर्ग की सज़ा दी है। अनेक शोषित मिलकर जिस बड़े समूह का निर्माण करते हैं, वह शोषित-वर्ग कहलाता है। पूँजीपति व्यवस्था में अनेक श्रमिक या सर्वहारा मिलकर शोषित-वर्ग या सर्वहारा-वर्ग का निर्माण करते हैं। भिन्न-भिन्न कालों में शोषित-वर्ग—शोषक-वर्ग को अपना श्रम जीविकोपार्जन के लिए बेचता रहा। शोषित की मजदूरी का निर्धारण हमेशा शोषक वर्ग ने किया है। शोषक-वर्ग का हमेशा यह प्रयास रहा है कि उसने शोषितों की कम-से-कम मजदूरी निश्चित की है और अधिक-से-अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड़पने का प्रयास किया है। मजदूरी का निर्धारण शोषक की माँग और शोषितों की पूर्ति पर निर्भर करता है। शोषित का जीवन हमेशा दयनीय रहा है इसलिए मार्क्स ने उसे उत्पीड़ित भी कहा है। यहाँ शोषित के विभिन्न रूप—उत्पीड़ित, दास, कृषक, श्रमिक, मजदूर व गुलाम आदि अपने-अपने कालों में बड़े समूहों के रूप में रहे हैं जिनको मार्क्स ने दास-वर्ग, गुलाम-वर्ग, किसान-वर्ग, श्रमिक-वर्ग तथा सर्वहारा-वर्ग आदि की सज़ा दी है।

3. संघर्ष (Struggle)—जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपनी विभिन्न कृतियों में संघर्ष की अवधारणा का प्रयोग किया है, उसके अनुसार संघर्ष से आपका तात्पर्य दो वर्गों के परस्पर विरोध से है। यह विरोध कभी छिपे रूप में होता है तो कभी स्पष्ट और कभी प्रकट रूप में होता है। यह लड़ाई लगातार हो सकती है और रुक-रुक कर भी हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई अथवा संघर्ष का अन्त प्रत्येक धार या तो पूरे समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन के रूप में



सामने आता है अथवा जिन वर्गों में संघर्ष होता है, वे बर्बाद हो जाते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में एक वर्ग आवश्यकता की पूर्ति के साधनों पर नियन्त्रण रखता है। लेकिन दूसरा वर्ग समाज में ऐसा होता है जिसकी आवश्यक आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती। यह असन्तुष्ट वर्ग अपने असन्तोष और विरोध को तरह-तरह से व्यक्त करता है। साधन-सम्पन्न शोषक-वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है और साधनहीन शोषित-वर्ग उन साधनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। जब शोषित-वर्ग को पीड़ा बढ़ जाती है, असहनीय हो जाती है तो यह असन्तोष क्रान्ति का रूप ले लेता है। शोषक-वर्ग की हार होती है और समाज में क्रान्तिकारी पुनर्गठन स्थापित हो जाता है।

कभी-कभी संघर्षरत वर्गों की बर्बादी भी हो जाती है। मार्क्स ने संघर्ष को द्वन्द्ववाद के द्वारा भी समझाया है। आपका कहना है—शोषक-वर्ग का एकवाद है, शोषित वर्ग प्रतिवाद के रूप में उभरकर सामने आता है। शोषक-वर्ग और शोषित-वर्ग या वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और इसका परिणाम समवाद के रूप में सामने आता है। कुछ समय बाद धीरे-धीरे यह समवाद पुनः एक वाद में विकसित हो जाता है। इस वाद के विरोध में एक नया प्रतिवाद उभरकर सामने आता है, इनमें संघर्ष होता है और एक नया समवाद परिणामस्वरूप समाज में स्थापित हो जाता है। मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष की प्रक्रिया 'वाद, प्रतिवाद और समवाद' के रूप में तब तक चलती रहती है, जब तक समाज साम्यवादी समाज के रूप में स्थापित नहीं हो जाता।

### पूँजीवाद एवं वर्ग-संघर्ष (Capitalism and Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि सामन्तवाद में सामन्तो एव भूदासों के संघर्ष के फलस्वरूप आधुनिक पूँजीवाद की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से आधुनिक पूँजीवाद सामन्तवादी समाज के विनाश का परिणाम है। मार्क्स की मान्यता है कि बुर्जुआ वर्ग ने सामन्तवाद का अन्त किया है। आपने यह भी लिखा है कि पूर्व के कालों में वर्ग-संघर्ष इतना तीव्र और स्पष्ट नहीं था जितना कि पूँजीवादी समाज में है। अन्य युगों की तुलना में पूँजीवादी व्यवस्था में श्रम का विभाजन काफी उन्नत अवस्था में होता है। बड़ी मात्रा में उत्पादन फैक्ट्री, कल-कारखानों और बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों पर होता है। उत्पादन के साधनों, यन्त्रों व उपकरणों आदि पर पूँजीपति का आधिपत्य होता है। मार्क्स ने पूँजीवादी समाज के शोषकों या पूँजीपतियों को बुर्जुआ की संज्ञा दी है। ये बुर्जुआ वर्ग श्रम जीवियों पर कार्य की शक्ति लगाता है। इनके उत्पादन का लक्ष्य अधिक लाभ कमाना है, श्रमिकों के कार्य के घण्टों को बढ़ाना है—कम-से-कम मजदूरी देना है और सभी प्रकार से अधिक से अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड़पना है। मार्क्स के द्वन्द्ववाद एव वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्तों के अनुसार पूँजीपति समाज-व्यवस्था में पूँजीपति या बुर्जुआ-वर्ग के विरुद्ध दूसरा वर्ग स्वतः उत्पन्न होता है। ये दूसरा शोषित-वर्ग श्रमिक-वर्ग है जिसे मार्क्स ने विशिष्ट नाम—सर्वहारा-वर्ग दिया है। आपका मत है कि यह सर्वहारा-वर्ग पूँजीपति-वर्ग पर आश्रित रहता है। इन श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। ये अपना श्रम पूँजीपतियों को बेचते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में बुर्जुआ-वर्ग और सर्वहारा-वर्ग एक-दूसरे से सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित होते हैं। इन दोनों वर्गों को एक-दूसरे की आवश्यकता होती है।

पूँजीपति अपने कारखाने व फैक्ट्रियाँ आदि श्रमिकों के द्वारा चलाते हैं। अगर श्रमिक कारखानों में काम नहीं करें तो कारखाने बन्द हो जाएँ। पूँजीपति यदि श्रमिकों को कारखानों में काम न दे तो श्रमिक भूखे मर जायेंगे। मार्क्स का कहना है कि ये दोनों वर्ग एक-दूसरे के पूरक एवं आवश्यक होते हुए भी अपने-अपने उद्देश्यों व हितों के लिए परस्पर सघर्ष करते हैं। श्रमिक वर्ग अपना वेतन बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, काम के घण्टे कम करने के लिए पूँजीपति-वर्ग से सघर्ष करता है। दूसरी ओर पूँजीपति अपना लाभ बढ़ाने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रमिकों को कुचलता है व उनकी माँगों का विरोध करता है। मार्क्स लिखते हैं कि यह विरोध कभी छिपे रूप में व कभी प्रकट रूप में अथवा कभी रक-रककर या लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध सघर्ष के रूप में होता रहता है। श्रमिक-वर्ग पूँजीपतियों के विरुद्ध क्रान्ति की गर्जना करेगा। मार्क्स यह भविष्यवाणी भी करते हैं कि इन दोनों वर्गों का परिणाम पूँजीवाद का विनाश होगा। पूँजीपति वर्ग का विनाश अवश्यम्भावी है। आपने द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के आधार पर यह भविष्यवाणी भी की है कि पूँजीपति वर्ग के विनाश के बीज स्वयं पूँजीपति व्यवस्था में ही विद्यमान होते हैं और ये ही विकसित होकर पूँजीपति-वर्ग का विनाश उसी प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से बुर्जुआओ (पूँजीपतियों) ने सामन्तवाद का विनाश किया था।

मार्क्स ने यह भी भविष्यवाणी की है कि जिन शस्त्रों से बुर्जुआओ ने सामन्तवाद का अन्त किया है उन्हीं शस्त्रों से सर्वहारा-वर्ग बुर्जुआ-वर्ग का नाश करेगा। मार्क्स की मान्यता है कि पूँजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है (Capitalism digs its own grave)। मार्क्स ने यह भी कहा है कि वर्ग-सघर्ष की गति इस बात पर निर्भर करती है कि शोषक वर्ग—शोषित-वर्ग का किस तीव्रता से शोषण करता है। आपने सूत्र दिया है कि “शोषण की गति जितनी तीव्र होगी वर्ग-संघर्ष की गति भी उतनी ही तीव्र होगी।” मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि बुर्जुआ-वर्ग की समाप्त के बाद साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। यह समाज वर्ग-विहीन होगा व इस समाज में वर्ग-सघर्ष भी नहीं होगा। आपने यह भी लिखा कि वर्ग सघर्ष की जो प्रक्रिया दासत्व युग से चली आ रही है, उसके पुराने रूपों के स्थान पर नए रूप, उत्पीड़न की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई अवस्थाएँ और सघर्ष के पुराने रूपों की जगह जो नए रूप खड़े होते रहे हैं, वह ब्रह्म साम्यवादी समाज की स्थापना के साथ समाप्त हो जायेंगे।

### समाजवाद की स्थापना के तरीके (Ways of Establishing Socialism)

कार्ल मार्क्स ने “कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र” के पृष्ठ 62 पर लिखा है कि सर्वहारा-वर्ग अपना राजनैतिक प्रभुत्व पूँजीपति-वर्ग से धीरे धीरे सारी पूँजी छीनने के लिए उत्पादन के साँरे औजारों को राज्य अर्थात् शासक-वर्ग के रूप में सर्वहारा वर्ग के हाथों में केन्द्रित करने के लिए तथा समग्र उत्पादन शक्तियों, ये यथार्थोक्त शक्ति के लिए इस्तेमाल करेगा। पूँजीवाद को समाप्त करके आपने समाजवाद को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके सुझाए हैं—

(1) भू-स्वामित्व का उन्मूलन और समस्त लगान का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग।

- (2) भारी वर्द्धमान या आरोही आय-कर।
- (3) उत्तराधिकार का उन्मूलन।
- (4) सभी उत्प्राप्तियों और विद्वैतियों को सम्पत्ति की जन्ती।
- (5) सरकारी पूँजी और पूर्ण एकाधिकार से सम्पन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य के हाथ में उधार का केन्द्रीयकरण।
- (6) संचार और यातायात के साधनों का राज्य के हाथों में केन्द्रीयकरण।
- (7) राजकीय कारखानों और उत्पादन के औजारों का विस्तार करना, एक आय योजना बनाकर परती जमीन को जोतना और खेत की मिट्टी का सामान्यतः सुधार करना।
- (8) हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाना। विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएँ कायम करना।
- (9) उद्योग और कृषि को मिलाना : धीरे-धीरे देहातों और शहरों का अन्दर मिटा देना।
- (10) सार्वजनिक पठशालाओं में तमाम बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था। वर्तमान रूप में बच्चों से कारखानों में काम लेना खत्म कर देना, शिक्षा और औद्योगिक उत्पादन को मिलाना आदि।

कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इन उपर्युक्त वर्णित तरीकों के द्वारा उन्नतिशील पूँजीपति देशों में समाजवाद को जल्दी लाया जा सकता है। अपने पूँजीवाद समाप्त करने की विधि का उल्लेख भी किया।

### समाजवाद की स्थापना की विधि (Method of Establishing Socialism)

कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के उपर्युक्त वर्णित तरीकों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए एव योजनाबद्ध क्रान्ति की तैयारी के लिए निम्नलिखित विधि का सुझाव दिया—

(1) संगठन की स्थापना (Establishment of Organisation)—मार्क्स ने कहा है कि समाजवाद को लाने के लिए शोषित और निर्धन व्यक्तियों का संगठन बनाना चाहिए। इसका नेतृत्व श्रमिकों के हाथ में होना चाहिए। आपके अनुसार श्रमिक वर्ग ही क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व कर सकता है। सम्पत्ति व साधनहीन व्यक्ति को युजुआ को पूँजीपति-व्यवस्था को बनाए रखने में भी कोई रुचि नहीं होगी।

(2) साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार (Propagating Principles of Socialism)—मार्क्स ने कार्य-पद्धति की सफलता के लिए दूसरा सुझाव छात्रों में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार करने का दिया। आपका कहना है कि छात्र उत्साही होते हैं इसलिए वे क्रान्ति में गहरी रुचि रखते हैं। छात्रों को प्रचार द्वारा साम्यवाद के आन्दोलन का अनुयायी भी बनाना चाहिए।

(3) निरन्तर आन्दोलन (Continuous Movement)—मार्क्स ने कहा कि साम्यवाद की स्थापना के लिए जो आन्दोलन चलाया जाए उसे किसी प्रकार से बन्द नहीं करना चाहिए। आन्दोलन को निरन्तर जारी रखना चाहिए, जनता का विश्वास प्राप्त करना

चाहिए और पूँजीपति समर्थक व सरकार के विरुद्ध जनता की क्रान्ति करने के लिए तैयार करना चाहिए।

(4) साम्यवादी कार्यक्रम (Socialistic Programme)—मार्क्स ने कहा कि विश्व में विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं। कोई देश स्वतन्त्र है तो कोई देश परतन्त्र है। इसलिए जिस देश की जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार साम्यवादी कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसे—यदि कोई देश स्वतन्त्र है तो चुनाव के घोषणा-पत्र के द्वारा चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो देश परतन्त्र है वहाँ पर अन्य दलों के साथ मिलकर स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। मार्क्स ने लिखा है कि साम्यवादियों का कार्यक्रम और उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से पूँजीवाद का विनाश करना होना चाहिए तथा सर्वहारा-वर्ग की सत्ता को स्थापित कराना होना चाहिए।

(5) शक्ति और हिंसा का प्रयोग (Use of Force and Violence)—मार्क्स शक्ति और हिंसा का प्रयोग करने के समर्थक थे। आपकी मान्यता थी कि पूँजीपति शासक वर्ग कभी भी शान्ति और स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग को सत्ता में आने के लिए तथा पूँजीपतियों को हटाने के लिए शक्ति, हत्या व हिंसा आदि का प्रयोग करना चाहिए। अपने बल-प्रयोग के द्वारा गृह-युद्ध का मान्य माना जिसके द्वारा सर्वहारा-वर्ग बुर्जुआ-वर्ग को हटाए तथा उनके उत्पादन के साधनों को छीन ले।

मार्क्स की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन क्रान्ति है। समाज में परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से जल्दी लाया जा सकता है। आपने कहा है कि जिन समाजों में पूँजीवाद के विनाश के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास नहीं किए जायेंगे उनमें भी अन्ततोगत्वा निम्नलिखित कारणों से स्वतः ही पूँजीवाद का विनाश अवश्यम्भावी है।

### पूँजीवाद के विनाश के कारण (Causes of Decline of Capitalism)

कार्ल मार्क्स ने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र', 'पूँजी', 'क्रिटिक ऑफ इकोनोमी' आदि कृतियों में पूँजीवादी-व्यवस्था के विनाश के कारणों का उल्लेख किया है। आपने विचार व्यक्त किये हैं कि पूँजीवाद स्वयं सर्वहारा-वर्ग को लड़ने के लिए यंत्र प्रदान करता है। श्रमजीवी-वर्ग क्रान्ति करके अपना शासन स्थापित करेगा और धीरे-धीरे पूँजीवाद के सभी लक्षण समाप्त हो जायेंगे। आपने पूँजीवाद के विनाश के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया।

(1) अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value)—कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूँजीपति श्रमिकों के श्रम के द्वारा अधिक-से-अधिक अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतिरिक्त मूल्य वह लाभ है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल को वाम्बविक मूल्य और उस माल के बाजार के माल के अन्तर के रूप में होता है। पूँजीपति इस अन्तर (अतिरिक्त मूल्य) को हड़प लेता है। कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि इस अतिरिक्त मूल्य में श्रमिक का हिस्सा है जो उसे नहीं मिलता है एवं पूँजीपति इस मूल्य के द्वारा श्रमिक का शोषण करता है। पूँजीपति जितना अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड़पता है, श्रमिक का उतना ही अधिक शोषण होता है जो उसी अनुपात में श्रमिकों में असन्तोष पैदा करता है। आगे चलकर यही असन्तोष पूँजीपति वर्ग-व्यवस्था का विनाश का कारण बन जाता है।

(2) व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन (Production for Individual Profit)—मार्क्स का मत है कि पूँजीवादी-व्यवस्था में पूँजीपति वस्तुओं का उत्पादन अधिक-से-अधिक व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। उसके सामने समाज के हित एवं उपभोग का आधार नहीं होता है। इससे समाज की माँग और उत्पादन में असन्तुलन पैदा हो जाता है। वह अस्थायी आर्थिक संकट पैदा कर देता है जिससे श्रमिकों को हानि होती है। श्रमिकों में निर्धनता बढ़ जाती है जो आगे चलकर पूँजीवाद के विरुद्ध सघर्ष पैदा करती है।

(3) विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूँजी का संचय (Large Production, Monopoly Cumulation of Capital)—मार्क्स ने कहा कि पूँजीवाद के विनाश के अनेक कारण हैं, जिसमें पूँजीपतियों का एकाधिकार और पूँजी संचय के साथ-साथ विशाल उत्पादन प्रमुख कारण है। पूँजीवाद फैक्ट्री प्रणाली पर आधारित है। फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन की गति-तीव्र होने के कारण उत्पादन भी जितनी अधिक मात्रा में चाहे किए जा सकते हैं। बड़े पूँजीपति अधिक उत्पादन करके अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे एवं मध्यम पूँजीपति टिक नहीं पाते। ये अपनी फैक्ट्री बड़े पूँजीपतियों को बंध देते हैं, इससे बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में फैक्ट्रियों, औद्योगिक केन्द्रों आदि का केन्द्रीयकरण हो जाता है। मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पूँजीपतियों की संख्या कम हो जाती है और जो पूँजीपति प्रतिस्पर्धा में जीत जाते हैं, वे अधिक पूँजीपति हो जाते हैं। दूसरी ओर श्रमिक अधिक निर्धन हो जाते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। छोटे और मध्यम वर्गीय पूँजीपति प्रतिस्पर्धा में हारकर निर्धन हो जाते हैं और श्रमिक वर्ग में मिल जाते हैं। मार्क्स का यह भी कहना है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ने और अधिक निर्धन होने से उनमें एकता और संगठन बढ़ जाता है। सर्वहारा-वर्ग की एकता एवं संगठन को पूँजीपति वर्ग बढ़ाता है और यही आगे चलकर पूँजीपति-वर्ग का विनाश करता है।

(4) आर्थिक संकट (Economic Crisis)—मार्क्स ने लिखा है कि पूँजीपति अतिरिक्त मूल्य, व्यक्तिगत लाभ, उत्पादन व बाजार की प्रतिस्पर्धा आदि के द्वारा समय-समय पर अनेक आर्थिक संकट पैदा करते हैं। पूँजीपति धन का अधिक-से-अधिक संचय करते हैं जो श्रमिकों में गरीबी बढ़ाता है। श्रमिकों में बेरोजगारी में वृद्धि होती है, काम के घण्टे बढ़ जाते हैं, उनको श्रम के बदले में कम वेतन मिलता है, यह सब समाज के बड़े वर्ग श्रमिकों में अनेक आर्थिक संकट पैदा करता है। अधिक उत्पादन होने से बाजार में उत्पादित वस्तुओं की माँग कम हो जाती है। पूँजीपति ऐसी स्थिति में अपनी फैक्ट्रियों, कल-कारखाने, औद्योगिक केन्द्र आदि बन्द कर देते हैं—इससे श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, पौर आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, उनमें पूँजीपतियों के विरुद्ध असन्तोष बढ़ जाता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक-संकट, बेरोजगारी, निर्धनता व तालाबन्दी आदि के कारण सर्वहारा वर्ग युजुआ वर्ग के विरुद्ध सघर्ष एवं क्रान्ति की ओर अग्रसर होता है।

(5) श्रमिक-यन्त्रों का दास (Labour Creatura of Tools)—मार्क्स का कथन है कि फैक्ट्री प्रणाली में जो उत्पादन-व्यवस्था होती है उसमें श्रमिक केवल यन्त्रों का

दास रह जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम-विभाजन अनेक व्यक्तियों में बँटने के कारण श्रमिक का वैयक्तिक महत्त्व एवं स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। श्रमिक की उत्पादन की प्रक्रिया में सृजनात्मक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इस असन्तोष के कारण श्रमिकों में पूँजीवाद के विनाश के लिए चेतना जागृत हो जाती है और वह सगठित होकर पूँजीपति व्यवस्था के विरुद्ध सघर्ष करता है।

(6) श्रमिकों में एकता (Unity in Labourer)—पूँजीपति व्यवस्था में उत्पादन वृहद् स्तर पर होता है। बड़े-बड़े औद्योगिक कन्द्रों की स्थापना और विकास होता है। औद्योगीकरण और केन्द्रीयकरण के कारण श्रमिक भी एक स्थान पर बड़ी सख्या में साथ-साथ कल-कारखानों में काम करते हैं। वे लोग परस्पर मिलते-जुलते हैं, अपने सुख-दुःख की चर्चा करते हैं, उनकी समस्याएँ, आर्थिक स्थिति, कष्ट व उद्देश्य आदि समान होने के कारण उनमें एकता पैदा हो जाती है व सहयोग की भावना का उदय होता है। यह सहयोग और एकता व्यक्तिगत सघर्ष को सामूहिक एवं सगठित सघर्ष में विकसित कर देती है। श्रमिक सगठित होकर अपने कल-कारखानों में पूँजीपतियों से अपनी माँगे मनवाने के लिए सगठित रूप से बातचीत करते हैं व हड़ताल करते हैं। यही आगे चलकर क्रान्ति का रूप धारण कर लेता है और पूँजीवाद को उखाड़ फेकता है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आन्दोलन (International Labour Movement)—मार्क्स ने ठीक ही लिखा है कि जो वर्ग शोषण करता है वह अपने विनाश के कारण को स्वयं उत्पन्न एवं पोषित करता है। पूँजीपति वर्ग-व्यवस्था में भी यह बात निम्न प्रकार से मार्क्स ने स्पष्ट की है। आपका मत है कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की व्यवस्था की जाती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा उत्पादित वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाने के लिए पूँजीवादी व्यवस्था ने संचार एवं यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास किया। इन संचार और यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप विश्व के सभी श्रमिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीपति वर्ग को समाप्त करने के लिये सगठित कर दिया है। पूँजीपतियों द्वारा लाभ कमाने के लिये यातायात और संचार के साधनों का विकास करना उन्हीं के विनाश का कारण बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर सगठित हो सके हैं। इन संचार और यातायात के साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिकों को सगठित कर दिया है। पहले जहाँ श्रमिकों का विरोध स्थानीय स्तर तक ही संगठित था, उसको इन नए साधनों ने श्रमिकों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का नारा—“दुनिया के मजदूरों एक हो!” बुलन्द हो गया है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि विश्व के सभी श्रमिक सगठित होंगे और क्रान्ति के द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे।

सारांश में ये कार्ल मार्क्स के क्रान्तिकारी विचार, वर्ग, वर्ग-सघर्ष, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, अतिरिक्त मूल्य, समाजवादी व्यवस्था के स्थापना के तरीके, पूँजीवाद के विनाश के कारण व पूँजीवाद और वर्ग-सघर्ष आदि से सम्बन्धित हैं। सामाजिक विज्ञान और विशेष रूप से समाजशास्त्र में मार्क्स के अनेक समर्थक होने के साथ-साथ अनेक कटु आलोचक भी हैं जिन्होंने इनकी निम्नलिखित आलोचना की है।

## वर्ग-संघर्ष की आलोचना (Criticism of Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष से सम्बन्धित विचारों की समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों ने कटु आलोचना की है। मार्क्स के विचारों से सम्बन्धित निम्नलिखित कुछ प्रमुख आपत्तियाँ उठाई गई हैं—

(1) समस्त समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है (History of All Societies is the History of Class-Struggle)—डैलिबस्की (J Delevsky) ने अपनी कृति 'सोशियल एन्टागोनिज्म' (Social Antagonism) में लिखा है कि कार्ल मार्क्स का यह कथन कि "अभी तक आविर्भूत समस्त समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा" गलत एवं अवैज्ञानिक है। आपका कहना है कि समाज में संघर्षों के अनेक स्वरूप होते हैं, केवल वर्ग-संघर्ष ही नहीं होता है प्रजातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष व राज्य समूहों में संघर्ष आदि उदाहरण हैं जो आर्थिक वर्ग के संघर्षों से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त ये संघर्ष कभी-कभी आर्थिक संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाजशास्त्र में यदि हम देखें तो जातीय संघर्ष, साम्प्रदायिक संघर्ष व भाषा के आधार पर संघर्ष आदि अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त मानव समाज का इतिहास मात्र वर्ग-संघर्ष का इतिहास नहीं है।

(2) संघर्ष की अवधारणा (Concept of Struggle)—कार्ल मार्क्स का वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त मूल रूप से शोषक एवं शोषित वर्गों के परस्पर संघर्ष के आधार पर सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास को व्याख्या करता है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था, सन्तुलन व सगठन समाज के विभिन्न समूहों (वर्गों) के परस्पर संघर्ष पर आधारित नहीं होता है बल्कि समूहों में पारस्परिक सहयोग एवं एकता पर आधारित होता है। मार्क्स का यह कथन कि केवल वर्ग-संघर्ष ही एक गत्यात्मक कारक है और वह मानव समाज का विकास करता है, त्रुटिपूर्ण कथन है।

क्रोपोटकिन (Kropotkin) की कृति 'म्यूचुअल ऐड' (Mutual Aid) एक विश्वविख्यात कृति है जिसमें आपने अनेक अन्वेषणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि मानवता की प्रगति सहयोग और एकता के कारण हुई है न कि वर्ग-संघर्ष, घृणा या द्वेष के कारण।

टार्डे (Tarde) ने कटाक्ष किया है कि "इतिहास के प्रारम्भ से वर्ग एवं सेनाएँ परस्पर लड़ती रही हैं, लेकिन इन्होंने रेखागणित, रसायन शास्त्र व यांत्रिकी विज्ञान आदि का निर्माण नहीं किया है। इनके बिना मानव के लिए उद्योग एवं युद्ध कला का विकास नहीं होता। यह सब इसलिए सम्भव हुआ कि कुछ विचारक एवं मत्स्य के खोजी शान्तिपूर्वक अपनी प्रयोगशाला में काम करते रहे एवं अध्ययन करते रहे।"

मार्क्स का यह कथन कि केवल संघर्ष (आर्थिक वर्गों में) विशेष महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्रियों के अनुसार आधारहीन कथन एवं निष्कर्ष है।

मैकाइवर और पेज (Maciver and Page) ने अपनी कृति 'समाज' में लिखा है कि मानव समाज में कोई भी क्रिया सहयोग के बिना नहीं हो सकती। दो परलवान जब तक सहयोग नहीं करेंगे, उनमें गल्लयुद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार शोषक एवं शोषित वर्ग जब

तक सहयोग नहीं करेंगे, उत्पादन भी सम्भव नहीं होगा। मैकाइवर व पेज ने कहा है कि 'समाज सहयोग है जो संघर्ष को पार करता है' (Society is Co-operate crossed by Conflict)।

(3) केवल दो वर्ग (Only Two Classes)—माक्स ने अपनी कृतियों, विचारों, लेखों एव पत्रों में हमेशा दो वर्गों—शोषक एवं शोषित का ही विवेचन किया है। लेकिन कुछ विद्वान माक्स के इन वर्गों को कल्पित मानते हैं। फ्रांसीसी श्रमिक संघवादी सोरल (Sorel) ने कहा है कि माक्स द्वारा वर्णित वर्गों की अवधारणा एक अमूर्त कल्पना है। माक्स की यह धारणा कि समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, प्रमाणों के आधार पर असत्य सिद्ध होती है। डेविलोस्की ने कई प्रकार के सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया है। जन साधारण भी जानते हैं कि समाज में अनेक वर्ग हैं। इन वर्गों की भिन्नता के कारण ही अमेरिका के विश्वविद्यालयों के परिसर में शोषण से सम्बन्धित अनेक प्रकार के वर्गों का अध्ययन उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र (Radical Sociology) के अन्तर्गत किया जाता है। यह सम्प्रदाय संघर्ष उपागम के अन्तर्गत आर्थिक वर्ग को महत्त्व न देकर सामाजिक स्तर, रंग-भेद तथा अनेक प्रकार के वर्गों एव शोषण के विरोध में अभियान चला रहा है।

(4) सामाजिक और आर्थिक वर्ग (Social and Economic Classes)—कार्ल माक्स ने अपने वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त में सामाजिक और आर्थिक वर्ग को एक माना है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आपका ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में वर्ग-निर्धारण के आधार पार्सन्स एव अन्य विद्वानों ने नानेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएँ, अर्जित उपलब्धियाँ, द्रव्यजात, सत्ता, शक्ति, धर्म, शिक्षा व योग्यता आदि को माना है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कार्ल माक्स को वर्ग की धारणा के आधार—सामाजिक और आर्थिक को एक मानना—पार्सन्स, किंग्स्ले डेविस व मैकाइवर और पेज आदि के अनुसार अपूर्ण है। ऐसा लगता है कि माक्स ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको एक माना है और केवल दो ही वर्गों की वकालत की है।

(5) सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रान्ति (Revolution by Proletariate Class)—माक्स की यह कल्पना है कि सर्वहारा-वर्ग क्रान्ति करके समाज में साम्यवाद स्थापित करेगा। आपने यह भी कहा है कि सर्वहारा-वर्ग बुर्जुआ-वर्ग को उखाड़ फेंकेगा, शोषित वर्ग क्रान्ति द्वारा समाज को बदलता है। अगर हम माक्स के साहित्य का अध्ययन करें तो, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रान्ति के सूत्रधार बुद्धिजीवी लोग होते हैं। 19वीं शताब्दी में स्वयं माक्स ने अपनी कृतियों के द्वारा श्रमिकों में जागृति पैदा की। आपने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र' में बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकने के योजनाबद्ध तरीकों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। इस बात के अनेक साक्ष्य हैं कि विश्व में जितनी भी क्रान्ति हुई हैं, उसके सूत्रधार बुद्धिजीवी रहे हैं। अतः माक्स की यह मान्यता कि 'क्रान्ति श्रमिक वर्ग करेगा' अवैज्ञानिक है।

(6) अवधारणा सम्बन्धी आपत्ति (Objections Against Concepts)—कार्ल माक्स के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की एक प्रमुख आपत्ति यह रही है कि माक्स ने अनेक ऐसी अवधारणाओं एवं शब्दों का प्रयोग किया है, जो वैज्ञानिक अध्ययनों, निष्कर्षों तथा सिद्धान्तों में आपत्तिजनक हैं। माक्स ने लिखा कि साम्यवाद की स्थापना अवश्यम्भावी है, श्रमिक संघर्ष



तथा क्रान्ति करके बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकेगे व समाज के विकास के क्रम में अन्त में वर्ग-विहीन एवं राज्य-विहीन समाज की स्थापना होगी, आदि मार्क्स की अवधारणाएँ एवं कथन अवैज्ञानिक हैं। विज्ञान केवल 'क्या है', 'क्यों है', 'कैसे है' व 'क्या होगा' आदि का अध्ययन करता है। मार्क्स के अध्ययन में इन लक्षणों का अभाव है इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार मार्क्स की शब्दावली एवं निष्कर्ष अवैज्ञानिक हैं।

(7) वर्ग-संघर्ष के परिणाम असत्य (False Results of Class-Struggle)—कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ग-संघर्ष के द्वारा पूँजीवाद समाप्त हो जायेगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। आपने पूँजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की। वर्तमान परिस्थितियाँ मार्क्स की इस भविष्यवाणी को प्रमाणित नहीं करती हैं। विश्व के अनेक देशों में श्रमिकों की स्थिति में अनेक सुधार किये गये हैं। पश्चिम राष्ट्रों—इंग्लैण्ड व अमेरिका आदि में कानून द्वारा श्रमिकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किये गये हैं। इससे सर्वहारा वर्ग में असन्तोष दूर हो गया है और सर्वहारा-वर्ग तथा बुर्जुआ-वर्ग में संघर्ष कम हो गया है व श्रमिक पूँजीपतियों से सहयोग कर रहे हैं। ये तथ्य मार्क्स के वर्ग-संघर्ष से सम्बन्धित परिणामों को अप्रमाणित एवं असत्य सिद्ध कर रहे हैं।

(8) वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया असत्य (False Process of Class-Struggle)—कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया दासत्व युग, सामन्ती युग व पूँजीपति युग से होती हुई साम्यवादी अवस्था में पहुँचेगी। आपका कहना था कि औद्योगीकरण और पूँजीवाद के बाद क्रान्ति द्वारा साम्यवाद स्थापित होगा लेकिन रूस और चीन में सामन्तवाद के बाद ही साम्यवाद की स्थापना हो गई। ये देश पूँजीपति अवस्था से नहीं गुजरे हैं। मार्क्स के अनुसार पूँजीपति देशों में श्रमिक क्रान्ति होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार से अनेक प्रमाण एवं तथ्य मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग-संघर्ष के क्रमिक चरणों को असत्य सिद्ध करते हैं। इसके उपरान्त भी निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त का समाजशास्त्र में एक विशिष्ट स्थान है। इसके सिद्धान्त ने अन्य समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया है, जिससे समाजशास्त्र के साहित्य में विकास हुआ है।

### कार्ल मार्क्स : अलगाव (Karl Marx · Alienation)

कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को अलगाव की अवधारणा देकर अध्ययन के एक महत्वपूर्ण पक्ष को स्पष्ट किया है। आपने अलगाव की विभिन्न पक्षों, परिभाषा, स्वरूप तथा सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना की है। मानव समाज में अलगाव का प्रादुर्भाव तब हुआ, जब उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा। मार्क्स के अनुसार प्राचीन काल में अलगाव नहीं था। अलगाव के विभिन्न पक्षों का विवेचन मार्क्स के सम्बन्ध में निम्नलिखित हैं—

अलगाव की परिभाषा एवं अर्थ (Meaning and Definition of Alienation)—अलगाव अंग्रेजी शब्द 'एलिनेशन' (Alienation) का हिन्दी रूपान्तर है। हिन्दी भाषा में अलगाव के पर्यायवाची विलगता और पृथक्करण आदि भी हैं। समाजशास्त्र में एलिनेशन शब्द का पूर्ण रूप से सही अर्थ कोई भी शब्द प्रकट नहीं करता है। विगत वर्षों में

समाजशास्त्र के साहित्य में 'अलगाव' शब्द का ही अधिक प्रयोग किया गया है। पहले कभी इस शब्द का प्रयोग 'पागलपन' के लिए किया जाता था लेकिन अब अलगाव शब्द का प्रयोग चिन्ताग्रस्त मनोदशाओं तथा प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है। 'अलगाव' वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने आप से उदासीनता महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति समाज और पर्यावरण से भी अपने आपको उदासीन महसूस करता है, अपने को अमुरक्षित, अकेला और बेमहारा अनुभव करता है, तो यह अवस्था अलगाव की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों के बन्धनों से अपने आपको स्वतन्त्र करने की बात मोचने लगता है।

अलगाव की परिभाषा जॉन स्टुअर्ट मिल, टोकियाविले, हीगल, मार्क्स एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने दी है। ये निम्न हैं—

1. **जॉन स्टुअर्ट मिल**—समाजशास्त्र में 'अलगाव' शब्द की व्याख्या जॉन स्टुअर्ट मिल ने की है। आपका कथन है कि जब श्रमिक अपने कार्यों के प्रति पृथक्ता महसूस करते हैं तो वे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असन्तोष व्यक्त करते हैं। इसी को मिल ने अलगाव कहा है।

2. **टोकियाविले**—टोकियाविले के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम विभाजन बढ़ता है तो उसके साथ-साथ श्रमिक का अलगाव भी बढ़ता जाता है।

3. **कार्ल मार्क्स**—कार्ल मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा, इसके स्वरूप व परिभाषा आदि पर अपनी कृति 'दास कैपिटल' में प्रकाश डाला है। मार्क्स ने हीगल से ही 'अलगाव' की अवधारणा ग्रहण की है लेकिन मार्क्स के अलगाव से सम्बन्धित विचार हीगल के विचारों से बिल्कुल भिन्न हैं। हीगल की व्याख्या दार्शनिक और आदर्शवादी है, जबकि मार्क्स की व्याख्या व्यावहारिक एवं भौतिकवादी है।

मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य एक पराई शक्ति बन जाते हैं जो कि उसके द्वारा शासित न होकर, उससे ऊँची शक्ति (शोषक) द्वारा शासित होते हैं। य शक्ति व्यक्ति के विरुद्ध भी होती है।

मार्क्स ने अलगाव का और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अलगाव कोई आत्मिक अथवा प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित ऐतिहासिक अवस्था में मानवीय शोषण के कारण उत्पन्न गरीबी, दुःख, अन्याय और अज्ञान का परिणाम है।

**अलगाव की उत्पत्ति (Origin of Alienation)**—अलगाव की उत्पत्ति मानव समाज में तब हुई, जब उत्पादन में श्रम के विभाजन में वृद्धि हुई तथा मशीनीकरण आया। मार्क्स का कहना है कि प्रारम्भ में मनुष्य अपने हाथों से उत्पादन करता था, उसके पाम उत्पादन के बहुत मॉर्मित साधन थे, मनुष्य स्वयं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक वस्तुओं का निर्माण करता था। उम काल में व्यक्ति का उत्पादन के साधनों, उत्पादन की विधियों, उत्पादित वस्तुओं और उपभोक्ताओं या ग्राहकों से सीधा सम्बन्ध होता था। उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं, पूँजों व उत्पादित वस्तु आदि पर स्वयं का स्वामित्व होता था। इन विशेषताओं के कारण व्यक्ति का उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति विशेष लगाव था। उत्पादन के द्वारा उसे मानसिक एवं आर्थिक सन्तोष मिलता था। इस काल में 'अलगाव' जैसा कोई असन्तोष विद्यमान नहीं था।

मार्क्स ने लिखा है कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में श्रमिक का योगदान बहुत कम होता है। उत्पादन की प्रक्रिया पर पूँजीपति का स्वामित्व होता है श्रमिक का इस प्रक्रिया पर कोई अधिकार नहीं होता है। उत्पादन के साधनों, औजारों, कच्चे माल, पूँजी, उत्पादित की हुई वस्तु आदि पर पूँजीपति का आधिपत्य होने के कारण श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रहता है। ये परिस्थितियाँ मार्क्स के अनुसार श्रमिक में अलगाव पैदा कर देती हैं। श्रमिक की अपने श्रम के प्रति भी जो अरुचि पैदा हो जाती है उसका प्रभाव श्रमिक के अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी पड़ता है। वह सामाजिक क्रिया-कलापों में रुचि नहीं लेता है, उत्पादित वस्तु और ग्राहक से उसका सीधा-सम्बन्ध नहीं होता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका स्वयं के प्रति और अपने सगे-सम्बन्धियों के प्रति भी अलगाव पैदा हो जाता है। मार्क्स ने इन विभिन्न प्रकार के अलगाव के स्वरूपों पर भी प्रकाश डाला है।

### अलगाव के स्वरूप (Forms of Alienation)

मार्क्स ने 'इकोनोमिकल एण्ड फिलोसोफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट', 1844 (Economic and Philosophical Manuscript, 1844) कृति में अलगाव से सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस्तवान मैसजारोस (Istvan Meszaros) ने "मार्क्स थ्योरी ऑफ एलीनेशन" में मार्क्स के अलगाव सम्बन्धी विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। आपने मार्क्स के अलगाव की अवधारणा के चार प्रमुख पक्ष बताए हैं, जो निम्न हैं—

- (1) उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव।
- (2) स्वयं के प्रति अलगाव।
- (3) मानव जाति से अलगाव।
- (4) व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव।

(1) उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव (Alienation towards Production Commodity)—मैसजारोस लिखते हैं कि मार्क्स का कहना है कि मजदूर जानता है कि जो कुछ वह उत्पादन करता है, वह उत्पादन उसका नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक की उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया में एक छोटे-से भाग की भूमिका अदा करता है इसलिए वह अपने आपको वस्तु का एकमात्र निर्माता नहीं कह सकता। श्रमिक का वस्तु की क्रय-विक्रय सम्बन्धी प्रक्रिया पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है। ये सब परिस्थितियाँ श्रमिक में उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव पैदा करती हैं।

(2) स्वयं के प्रति अलगाव (Alienation towards Himself)—मार्क्स ने अलगाव का दूसरा स्वरूप व्यक्ति की अपने स्वयं के प्रति अलगाव की भावना बताया है। आपका कहना है कि पूँजीपति व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया में एक छोटा-सा हिस्सा होता है। वह अपना श्रम बेचता है व जीवनपर्यन्त उत्पादन की प्रक्रिया में एक ही कार्य को बार-बार करता है इससे श्रम के प्रति उसकी अरुचि इतनी बढ़ती जाती है। मार्क्स ने श्रम को एक मानवीय क्रिया कहा है जो मानव की मानवता को परिभाषित करती है। पूँजीपति व्यवस्था में श्रम मानवीय क्रिया न रहकर बौद्धिकोपार्जन का या अस्तित्व को बनाये रखने का साधन रह जाता है। श्रमिक को कार्य

सम्बन्धी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। उसका श्रम एक वस्तु बन जाता है। श्रम आन्तरिक सन्तुष्टि न रहकर याह्य मजबूती हो जाती है, जो व्यक्ति में अलगाव पैदा कर देती है। मार्क्स ने इसी अलगाव को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

"... ..श्रम मजदूर के लिए ब्याह्य है, कि यह उसके स्वभाव का एक अंग नहीं है, परिणामस्वरूप वह अपने कार्य में अपने को सन्तुष्ट नहीं पाता है, वरन् अपने को नकारता है, दरिद्रता का अनुभव करता है, शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का विकास नहीं कर पाता है, वरन् शारीरिक थकान और मानसिक रूप से उखड़ापन अनुभव करता है।.....उसका काम ऐच्छिक नहीं वरन् लादा गया है, वेगारी का श्रम है।.....अन्त में मजदूर के लिए काम का अलगाव लक्षण इस तथ्य में प्रकट होता है कि यह काम उसका नहीं, वरन् किसी दूसरे के लिए है और काम में वह अपने से नहीं, वरन् किसी दूसरे से जुड़ा होता है।"

( 3 ) मानव जाति से अलगाव (Alienation from Mankind)—मार्क्स ने तीसरे प्रकार का अलगाव श्रमिक एव मानव जाति के बीच बताया है। आपका कहना है कि पूँजीपति व्यवस्था में श्रम-विभाजन एव उत्पादन की प्रकृति व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा कर देती है। आप लिखते हैं कि श्रमिक को समाज में रहकर अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक दशाओ का सामना करना पड़ता है। पूँजीवादी व्यवस्था में उसकी इतनी अधिक अरुचि पैदा हो जाती है कि वह अपने से ही नहीं वरन् अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, समुदाय और मानव जाति से अलगाव अनुभव करता है। वह इन सब प्रकार के सदस्यों से दूर हटता जाता है। उसका इतना अधिक शोषण होता है कि वह अपने जीवन और ससार के प्रति निष्क्रिय हो जाता है। पूँजीपति व्यवस्था श्रमिक को मुद्रा और उत्पादन के साधनों का निष्क्रिय दास बना देती है और यही निष्क्रियता व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा करती है।

( 4 ) व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव (Alienation between Individuals)—मार्क्स ने चतुर्थ रूप जो प्रस्तुत किया है, वह तीसरे प्रकार के अलगाव का ही पर्याय है। मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक और सामाजिक लक्षणों से अलग-थलग पड़ जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से भी अलगाव की स्थिति में आ जाता है।

मार्क्स ने अलगाव के उपर्युक्त स्वरूप एक प्रकार के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार लिखे हैं। समाजशास्त्र में पूर्ण समाज का अध्ययन व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का समूह के साथ, समूह का समूह के साथ किया जाता है। मार्क्स ने इसी प्रकार के अलगाव के स्वरूप व्यक्ति के स्तर पर, समूह के स्तर पर और समाज के स्तर पर भिन्न-भिन्न बताये हैं। एक प्रकार से पूँजीवादी व्यवस्था समाज में विभिन्न प्रकार के अलगावों को पैदा करके व्यक्ति, समूहों और समाज में असन्तुलन पैदा करती है। मार्क्स के अध्ययनों में अलगाव की अवधारणा एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

### सामान्य निष्कर्ष (General Conclusion)

कुछ समाजशास्त्रियों ने मार्क्स के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि—(1) मार्क्स ने जो कुछ शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा है वह नया नहीं है।

मार्क्स से पहले भी अनेक लेखकों और विचारकों ने इस प्रकार के सिद्धान्त एवं अवधारणाएँ प्रस्तुत की हैं। (2) मार्क्स ने जो कुछ मौलिक विचार व्यक्त किये हैं, वे वैज्ञानिकता से बहुत परे हैं। (3) मार्क्स के विचारों का केवल एक गुण यह है कि इन्होंने जो कुछ लिखा है उसे वे बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। इतने प्रभावशाली तरीके से पहले किसी ने विचार प्रस्तुत नहीं किये।

### अभ्यास प्रश्न

#### निम्नव्यात्मक प्रश्न

- 1 वर्ग की परिभाषा दीजिए और इसके निर्धारण के आधार बताइये।
- 2 कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की परिभाषा एवं निर्धारण के आधारों की विवेचना कीजिये।
- 3 "अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है।" मार्क्स के सन्दर्भ में इसकी विवेचना कीजिये।
4. वर्ग-संघर्ष पर मार्क्स के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
5. कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिये।  
(राज वि 1993)
- 6 अलगाव की परिभाषा देते हुए उसके कारणों की विवेचना कीजिये।
- 7 मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाज के वर्ग-प्रारूप को स्पष्ट कीजिये  
(राज. वि 1996)
- 8 मार्क्स ने अलगाव के क्या स्वरूप एवं कारण बताये हैं? क्या अलगाव की समस्या का कोई समाधान है?  
(राज वि 1996)

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-

- 1 अलगाव
- 2 वर्ग की परिभाषा
- 3 वर्ग की कोई तीन विशेषताएँ
- 4 वर्ग-विभाजन के कोई तीन आधार
- 5 वर्ग के प्रकार गिनाइए
- 6 दासत्व युग में वर्ग
- 7 पूँजीपति समाज में वर्ग
- 8 शोषक वर्ग
- 9 शोषित वर्ग
- 10 पूँजीवाद के विनाश के कोई दो कारण
- 11 अलगाव के किसी एक स्वरूप का वर्णन
12. मानव जाति से अलगाव

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों में सही स्थानों की पूर्ति के लिए कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए—
  - (i) मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष की अवधारणा..... से ग्रहण की है।  
(फिकटे/हीगल)
  - (ii) मार्क्स वर्ग निर्माण का . . . आधार मानते हैं। (आर्थिक/सामाजिक)
  - (iii) मार्क्स ने पूँजीपतियों के लिए ... शब्द का प्रयोग किया।  
(बुर्जुआ/प्रोलिटेरियट)
  - (iv) मार्क्स के अनुसार वास्तविक जगत का निर्माण ..... से होता है।  
(विचार/पदार्थ)
  - (v) मार्क्स पूँजीवाद के विनाश के बाद समाज की स्थापना की  
वकालत करते हैं। (साम्यवादी/समाजवादी)
  - (vi) मार्क्स समाज में धर्म के .. .. रहे हैं। (समर्थक/विरोधी)
 [उत्तर- (i) हीगल, (ii) आर्थिक, (iii) बुर्जुआ, (iv) पदार्थ; (v) साम्यवादी, (vi) विरोधी]
2. "दुनिया के मजदूरों एक हो!" का नारा किसने दिया है?
 

(अ) मार्क्स (ब) हीगल (स) फिकटे (द) वेबर

 [उत्तर- (अ)]
3. मार्क्स ने द्वन्द्ववाद सम्बन्धी विचार किससे ग्रहण किए हैं?
 

(अ) हीगल (ब) फिकटे (स) स्पेन्सर (द) थोरे

 [उत्तर- (अ)]
4. 'इकोनोमिकल एण्ड फिलोसोफिकल मैनुस्क्रिप्ट' का लेखक कौन हैं?
 

(अ) हीगल (ब) मार्क्स (स) वेबर (द) दुर्खीम

 [उत्तर- (ब)]
5. मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा के कितने प्रमुख पक्ष तार हैं?
 

(अ) चार (ब) तीन (स) पाँच (द) दो

 [उत्तर- (अ)]
6. मार्क्स ने किस कृति में अलगाव पर प्रकाश डाला है?
 

(अ) दास कैपिटल (ब) जर्मन आइडियोलॉजी  
(स) दा होली पैमिली (द) दा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो

 [उत्तर- (अ)]
7. मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा किससे ग्रहण की है?
 

(अ) फिकटे (ब) स्पेन्सर  
(स) हीगल (द) किसी से भी नहीं

 [उत्तर- (स)]
8. मार्क्स की अलगाव की व्याख्या है—
 

(अ) व्यावहारिक (ब) भौतिकवादी  
(स) उपरोक्त दोनों (द) कोई भी नहीं

 [उत्तर- (स)]

## अध्याय-12

# राधाकमल मुकर्जी : सामाजिक मूल्य, सामाजिक विज्ञान का सिद्धान्त (Radhakamal Mukerjee : Social Values, Theory of Social Science) (1889-1968)

समाजशास्त्र और सामाजिक विचारधारा के विकास में जिन भारतीय विद्वानों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें राधाकमल मुकर्जी का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। समाजशास्त्र में उनका महत्त्व सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित विचारों के कारण है। उनके विचार उनकी कृति "इन्स्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोशियोलोजी" में निहित हैं। उन्होंने अपने विचार "ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी" में दिए हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके विषय में बोगार्टस ने अपनी कृति "दा डवलपमेण्ट ऑफ सोशियल थॉट" में कहा है कि "मुकर्जी ने सामाजिक मूल्यों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह केवल—पूर्व और पश्चिम—दोनों का ही समन्वय नहीं करता, अपितु सार्वभौमिक सामाजिक अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में पूर्वीय तथा पश्चिमी सामाजिक विचारधारा के एक समन्वय का परिणाम है।"

पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं को समन्वित करने की योग्यता प्राप्त करने का कारण यह था कि मुकर्जी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में रहे हैं।

### जीवन चित्रण एवं रचनाएँ (Life-Sketch and Works)

राधाकमल मुकर्जी का जन्म 7 दिसम्बर सन् 1889 को पश्चिमी बंगाल के बरहामपुर (मुर्शिदाबाद) जिले में हुआ था। उनके पिता गोपालचन्द्र मुकर्जी एक सुविद्यार्थक वकील थे। उनका परिवार बौद्धिक दृष्टि में सम्पन्न था, बड़े भाई की रचि पूर्व और पश्चिम के साहित्य के अध्ययन में विशेष थी, घर में पुस्तकों का वाहल्य था, इसका प्रभाव यह हुआ कि मुकर्जी को भी भारतीय दर्शन के सम्यन्ध में अपने ज्ञान की वृद्धि का अवसर पर्याप्त रूप से मिल सका। उन्होंने इतिहास का भी अध्ययन रचिपूर्वक किया। मुकर्जी की शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में हुई। सन् 1910 में आप बरहामपुर के कृष्णाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रध्यापक बन गये और पाँच वर्ष तक उसी पद पर रहे। इस काल के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र से सम्बन्धित कई शोध कार्य किये, जिनके आधार पर सन् 1916 में आपकी प्रथम कृति "दा फाउन्डेशन ऑफ इण्डियन इकोनॉमिक्स" का प्रकाशन हुआ।

सन् 1915 में उन्हें बंगाल में सहकारिता आन्दोलन पर सामाजिक सर्वेक्षण व शोध कार्य के लिए 'प्रेमचन्द्र-रामचन्द्र छात्रवृत्ति' प्रदान की गई।

सन् 1916 में मुकर्जी की नियुक्ति लाहौर (पंजाब) के सनातन धर्म कॉलेज में एक वर्ष के लिए प्राचार्य पद पर हुई। सन् 1917 में उन्होंने 10 व्याख्यान "भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धान्त" विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय में दिए। सन् 1917 से 1921 तक पाँच वर्ष तक आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनैतिक दर्शनशास्त्र विषय का अध्यापन किया। सन् 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही उन्होंने "भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन" विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन् 1921 से 1952 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। वहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के शोध-कार्य और अध्ययन-कार्य में भी समन्वित दृष्टिकोण और पद्धतिशास्त्र का शुभारम्भ किया। उन्होंने ग्रामीण अर्थशास्त्र, श्रमिक अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थितिशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान एवं सामाजिक दर्शनशास्त्र से सम्बन्धित अनेक लेखों एवं अध्ययन-प्रतिवेदनो का भी प्रकाशन कराया। इन विषयों को उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान कराया, जिनको कि उस समय तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था।

सन् 1945 से 1947 तक आप ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। मुकर्जी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सरकारी व शैक्षिक सगठनों के चेयरमैन व सदस्य भी रहे। 1946 में आप एफ. ए. ओ. के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमिशन के अध्यक्ष चुने गए। सन् 1955 से 1958 की अवधि में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भार सम्भाला। उस पद से अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त वे उसी विश्वविद्यालय के "जे. के. इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियोलोजी एण्ड ह्यूमन रिलेशन्स" के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किये गये और इस पद पर कार्य करते हुए आप सन् 1968 में दिवंगत हो गए।

**रचनाएँ (Works)**—मुकर्जी ने अनुमानतः 53 पुस्तकें लिखी हैं और अनेक पत्र-पत्रिकाओं में आपने शोध लेखों का प्रकाशन कराया है। अनेक विद्वानों की विचारधाराओं व कृतियों का भी उनकी कृतियों पर प्रभाव पड़ा है। मुकर्जी ने आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए सस्थागत उपागम अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही भारतीय ग्रामीण समस्याओं का आनुभविक अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप ही आपकी कृति "लेण्ड प्रोब्लम इन इण्डिया" प्रकाशित हुई। सामाजिक कल्याण में उनकी रुचि थी, इसी कारण सन् 1906 से ही आपने ऋण समितियों और सहकारी समितियों में जन-समस्याओं का निराकरण करने में सहायता देना आरम्भ कर दिया था। मुकर्जी अनेक विद्वानों, जैसे—ब्रजेन्द्र नाथ सील, नेन्द्र सेन गुप्ता, रॉबर्ट पार्क, बर्गेस, ऑगबर्न, रॉस व पैट्रिक गेडिस आदि से प्रभावित रहे। उनकी कृतियों और विचारधाराओं पर इन विद्वानों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। सील जैसे विद्वानों का प्रभाव उनकी कृति "दा प्रिसिपल्स ऑफ कम्पैरेटिव इकोनोमिक्स" पर स्पष्ट रूप से पड़ा है, जिसमें तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया गया है। सेन गुप्ता के साथ मिलकर आपने "माइण्ड इन सोसाइटी : इंट्रोडक्शन टू सोशियल साइकोलोजी" नामक कृति की रचना की। "वॉर्डरलेण्ड ऑफ इकोनोमिक्स" का लेखन मुकर्जी ने गेडिस द्वारा प्रारम्भ की गई "समाजशास्त्र में ऊर्जा की अवधारणा" के आधार पर किया है। आपने अपनी कृति "रोजनाल



सोसाइटी" के लेखन में ई ए रॉस से तथा "इन्स्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स" के लेखन में प्रो कॉमन्स का भरपूर सहयोग एवं परामर्श प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अनेक पाश्चात्य मनोविधियों व समाजशास्त्रियों, जैसे—सोरोकिन, ब्रॉड, रॉबर्ट इडलिंग आदि की मित्रता का भी उन्हें अध्ययन क्षेत्र में भरपूर सहयोग व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

मुकर्जी ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, परिस्थितिकोशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, सस्कृति, कला, धर्म, रहस्यवाद, प्रतीको व मूल्यों का समाजशास्त्र व आचार जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन कार्य किया। जीवन के अन्तिम वर्षों में आपका रुझान अध्यात्मवाद की ओर हो गया था। उन्होंने "भगवद् गीता" पर एक विस्तृत टीका लिखी जो उनकी मृत्यु के उपरान्त "दा संग ऑफ दा सैल्फ सुप्रीम" नाम से प्रकाशित हुई।

आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं—

1. 'दा फाउन्डेशन ऑफ इण्डियन इकोनॉमिक्स' (1916)
2. 'दा प्रिंसिपल्स ऑफ कम्पैरेटिव इकोनॉमिक्स' (1922)
3. 'डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट' (1923)
4. 'बॉर्डरलेण्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स' (1925)
5. 'रोजनल सोशियोलोजी' (1926)
6. 'माइण्ड इन सोशियोलोजी : इन्ट्रोडक्शन टू सोशियल साइकोलोजी' (1928)
7. 'दा थ्योरी एण्ड आर्ट ऑफ द मिस्टिसिज्म' (1937)
8. 'मैन एण्ड हिज हेबिटेसन' (1940)
9. 'सोशियल इकोलोजी' (1945)
10. 'दा सोशियल फक्शन ऑफ आर्ट' (1948)
11. 'दा सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज' (1949)
12. 'दा इण्डियन स्कीम ऑफ लाइफ' (1949)
13. 'दा डाइनेमिक्स ऑफ मोरल्स' (1951)
14. 'ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन' (1956)
15. 'दा हॉरिजन ऑफ मैरेज' (1956)
16. 'दा कल्चर एण्ड आर्ट ऑफ इण्डिया' (1959)
17. 'दा फिलोसोफी ऑफ सोशियल साइन्स' (1960)
18. 'दा फिलोसोफी ऑफ पर्सनेलिटी' (1963)
19. 'दा डाइनेमिक्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन' (1964)
20. 'दा डाइनेमिक्स ऑफ वैल्यूज' (1964)
21. 'दा डेन्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन' (1964)
22. 'वननेस ऑफ मैनकाइण्ड' (1968)
23. 'दा क्रास्मिक आर्ट ऑफ इण्डिया' (1968)
24. 'दा कम्प्यूनिटी ऑफ कम्प्यूनिटीज' (1966)

25. 'दा फिलोसोफी ऑफ मैन' (1966)

26 'दा सोस ऑफ दा सैल्फ सुप्रीम' (1971)

राधाकमल मुकर्जी के प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदानों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है।

### सामाजिक विज्ञान का सिद्धान्त (Theory of Social Science)

मुकर्जी के मत में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मानवशास्त्र और मानव परिस्थिति शास्त्र में हुई प्रगतियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अब सामाजिक विज्ञानों का एक घनिष्ठ एकीकरण होने और समाज के एक सामान्य सिद्धान्त के निर्माण करने का समय आ गया है। समाज का यही सामान्य सिद्धान्त सामाजिक सम्बन्धों और संरचनाओं के सम्बन्ध में सभी समाज-विज्ञानों से प्राप्त सिद्धान्तों, नियमों व व्याख्याओं का संग्रह ही है। यह एक समग्ररूप में समाज से सम्बन्धित एकीकृत और समन्वित ज्ञान का समूह है। मुकर्जी का कहना है कि "यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच पाई जाने वाली खाई को पाटा नहीं जायेगा और यदि अलग-अलग सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के उस पक्ष से ही अपने को सम्बन्धित रखेंगे, तो समाज का एक समग्र रूप और समाज का एक सामान्य विज्ञान कभी भी उभरकर सामने नहीं आयेगा। क्योंकि समाज अन्तःसम्बन्धित वास्तविकताओं की समग्रता है। समाज इसीलिए विभाजन के योग्य नहीं है और समाज के विषय में कोई वास्तविक बोध तभी सम्भव हो सकता है, जब एक समग्रता के रूप में समाज की आदतों, मूल्यों और प्रतीकों का अध्ययन किया जाए।"

मुकर्जी के मत में समाज के सामान्य सिद्धान्त के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, कि सामाजिक तथ्यों, सामाजिक सम्बन्धों और अनुभवों की सामान्यता को अमूर्त औपचारिक प्रतिमान के रूप में तर्कयुक्त क्रमबद्धता में प्रस्तुत किया जाए।" मुकर्जी के मत में इसका कारण यह है कि "सामाजिक जीवन में कोई शुद्ध, प्राणिशास्त्रीय इच्छाएँ एवं सवेग नहीं होते, बल्कि इनका समीकरण, समन्वय व रूपान्तरण अर्थात्, मूल्यों और प्रतीकों के रूप में हो जाता है। मुकर्जी के मत में समाज का सामान्य सिद्धान्त दो बातों पर निर्भर है—एक तो यह कि सामाजिक तथ्यों और अनुभवों की बहु-विधित्व प्रकृति को स्पष्ट स्वीकार किया जाए और दूसरा यह कि सामाजिक तथ्यों के समन्वित स्वरूप को मूल्यों तथा प्रतीकों के सन्दर्भ में समझने व विश्लेषित करने का प्रयास किया जाए। इसके लिये प्राकृतिक विज्ञानों एवं समाज-विज्ञानों की सहायता ली जा सकती है।"

### महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषाएँ (Definitions of Important Concepts)

मुकर्जी के मत में समाज के सामान्य सिद्धान्त में मूल्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि "समस्त मानव-सम्बन्ध और व्यवहार अपनी ही प्रकृति के कारण मूल्य हैं।" इन मूल्यों को मानव में, मानव से और मानव के लिए ही खोजा जाता है। समाज मूल्यों का ही संगठन और सकलन है अतः समाज के सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन मूल्यों के सन्दर्भ में ही सम्भव है और समाज के सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के दौरान कई समाजशास्त्रीय

अवधारणाओं, जैसे—संस्था, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध, समूह व समाज आदि को भी मुकर्जी ने परिभाषित किया जो निम्नलिखित है—

1. संस्था (Institution)—संस्था को उन अधिक संगठित, औपचारिक तथा सुगन्धिर सामाजिक सम्बन्धों व व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मनुष्यों के कतिपय सामान्य व स्थाई लक्ष्यों एवं मूल्यों की पूर्ति करते हैं।

2. संस्कृति (Culture)—संस्कृति एक समाज के सदस्यों के विश्वासों, मूल्यों तथा व्यवहारों का पूर्णयोग अथवा समष्टि है, तथा उन प्रतीकों की समष्टि है, जो इन विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों को संचालित करते हैं।

3. सामाजिक सम्बन्धों (Social Relations)—इनको परिभाषित करते हुए मुकर्जी ने लिखा है कि सामाजिक सम्बन्धों को मनुष्यों की एक-दूसरे के प्रति अभिव्यक्त उन मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उनके सामान्य लक्ष्यों तथा मूल्यों के द्वारा प्रस्तुत व निर्देशित होते हैं।

4. समूह (Group)—समूह सहयोगी व्यक्तियों का वह क्रमबद्ध सामाजिक सम्बन्ध व व्यवहार है, जिनका उद्भव उनके सामान्य लक्ष्यों तथा मूल्यों के समन्वय तथा आपूर्ति के कारण होता है।”

5. समाज (Society)—समाज को परिभाषित करते हुए मुकर्जी का कहना है कि समाज सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों का वह योग है जो लोकाचारों, विश्वासों, सम्बन्धों और व्यवहारों के एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध प्रतिमान को प्रस्थापित, रक्षा तथा संचालित करता है।”

समाज से सम्बन्धित मुकर्जी के विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, “समाज संरचनाओं व प्रकारों का वह योग है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण के तीन आयामों अथवा स्तरों—परिस्थितिगत, मनोसामाजिक तथा लक्ष्यपूर्ण नैतिक सत्कार के साथ अपना अनुकूलन करता है एवं अपनी जीविका, प्रस्थिति तथा मूल्य-पूर्ति सम्बन्धों अपनी-अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।” परिस्थितिगत सत्कार में विकास के लिए सन्तुलन घटित होता है। मनो-सामाजिक सत्कार में उसके अन्तर्गत आने वाली सभी संस्थाओं और संस्कृति में एक प्रकार का सन्तुलन उत्पन्न होता है, तथा लक्ष्यपूर्ण नैतिक सत्कार में व्यक्ति की विभिन्न प्रस्थितियों, प्रत्याशाओं और मूल्यों के मध्य समायोजन स्थापित होता है। यह संस्कृति का कार्य है जो संस्थागत जीवन के विभिन्न भागों के मध्य एक प्रकार के सन्तुलन को बनाए रखने हुए समाज के संरक्षक के रूप में कार्यरत रहता है।

### समाज का सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Society)

मुकर्जी ने मूल्यों के आधार पर समाज का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। आपका मानना है कि समाज मूल्यों का ही संगठन एवं सकलन है। मुकर्जी ने समाज का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित करने से पूर्व समाज की विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषाएँ दी हैं, जो अग्र प्रकार हैं—

1. परिस्थितिशास्त्र—परिस्थितिशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज एक प्रदेश है।

2. अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज एक वर्ग है।

3. नीतिशास्त्र—नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज चरित्र निर्माण के लिए सहभागिता अथवा समागम है।

4. समाजशास्त्र—समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज एक संस्था है।

निष्कर्ष—मुकर्जी का कहना है कि समाज के सामान्य सिद्धान्त में इन सभी आधारभूत पक्षों—प्रदेश, वर्ग, सहभागिता और संस्था को समाविष्ट करना आवश्यक है।

### समाज : एक मुक्त-व्यवस्था (Society : An Open System)

मुकर्जी का समाज के सम्बन्ध में यह सामान्य सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि समाज एक मुक्त-व्यवस्था (Open System) है। जबकि इससे पूर्व के विद्वानों के मत में समाज को एक बन्द-व्यवस्था के रूप में माना जाता था। मुकर्जी के मतानुसार समाज के सामान्य विज्ञान में मुक्त-व्यवस्था के सिद्धान्त को इस प्रकार प्रतिपादित करना होगा कि उसके द्वारा जीवन-निर्वाह, प्रस्थिति, जीवनस्तर व्यवस्था एवं चरित्र को यह गतिशीलता प्रकट हो जिसके द्वारा सामाजिक-सम्बन्धों को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे वे अधिकाधिक उद्देश्यपूर्ण बनें। उन्होंने मुक्त-व्यवस्था के निम्नलिखित तीन पक्षों पर प्रकाश डाला है।

### मुक्त-व्यवस्था के प्रमुख पक्ष (Major Aspects of Open System)

( 1 ) प्रदेश एवं जीवन-निर्वाह की मुक्त-परिस्थितिगत व्यवस्था (The Open Ecological System of Region and Sustenance)—इसमें समाज के सदस्यों को अपने जीवन-निर्वाह के लिए अपनी परिस्थितिगत व्यवस्था अर्थात् भूमि, पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों आदि से अनुकूलन करना पड़ता है। परिस्थितिगत नियम भी व्यवस्थित, सार्वभौमिक एवं स्थित होते हैं, फिर भी व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार उन्हें अपने पक्ष अथवा विपक्ष में बदल सकता है। अपनी पारस्परिक अन्तःक्रियाओं के द्वारा वह अपने जीवन-निर्वाह को अनेक नवीन परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है और करता भी है। यही परिस्थितिगत खुलापन है अथवा मुक्त-व्यवस्था है।

( 2 ) संस्था एवं प्रस्थिति की मुक्त-समाजशास्त्रीय व्यवस्था (The Open Sociological System of Institution and Status)—मुक्त-व्यवस्था का द्वितीय पक्ष यह है कि संस्था ही संचार, नियन्त्रण तथा प्रस्थिति के प्रतिमानों को एक नियमित एवं क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान करती है, इसके उपरान्त भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों, रचियों एवं मूल्यों के सन्दर्भ में भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं प्रस्थिति-योजनाओं को इस प्रकार बनाता और बनाए रखता है कि उनमें पर्याप्त लचीलापन हो।

( 3 ) समूह और मूल्य की मुक्त-नैतिक व्यवस्था (The Open Ethical System of Group and Value)—मुक्त व्यवस्था का तृतीय पक्ष यह है कि मानव और समाज दोनों मिलकर परिवर्तित अवस्थाओं के अनुरूप नवीन नैतिकताओं को विकसित करने में सक्षम होते हैं। यद्यपि मानव-मूल्य और ऐच्छिक समिति के बीच अन्तःक्रियाएँ एवं आदान-प्रदान अत्यधिक सगठित एवं प्रतिमानबद्ध होता है।

## समाज के प्रकार्य (Functions of Society)

मुकर्जी ने उन प्रकार्यों का भी वर्णन किया है जिनको प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पूर्ण करते रहना चाहिए ये प्रकार्य निम्नलिखित हैं—

(1) प्रत्येक समाज को जीवन-निर्वाह व भरण-पोषण के लिए परिस्थितिगत सन्तुलन को बनाए रखना आवश्यक होता है अर्थात् जीवित रहने की पर्याप्त जनसंख्या दा को बनाए रखना पडता है। क्योंकि यदि मृत्युदर अधिक होगी तो कभी समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा और इसी प्रकार यदि साधनों के अनुपात में जन्मदर अत्यधिक हो जायेगी तो भी समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ जायेगा।

(2) प्रत्येक समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह परिस्थितिगत एव जनसंख्यात्मक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था को बनाए रखे। क्योंकि किसी भी समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियन्त्रण, कानूनी एवं नैतिक व्यवस्था और सस्थागत स्थिरता का होना अत्यावश्यक है।

(3) प्रत्येक समाज का यह भी कार्य है कि वह जीवन के सीमित मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं का समुचित चुनाव करे, उन्हें बाँटे, उनका उपयोग करे। साथ ही अपने सदस्यों को वर्गों में व्यवस्थित रखते हुए उनके लिए उचित जीवन-स्तर को बनाए रखे।

(4) समाज के अस्तित्व के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के सामान्य-वर्ग और अभिजात-वर्ग (Elite) के मध्य मत्ता और स्वतन्त्रता का उचित विभाजन हो। आय व सम्पत्ति पर अधिकार, सीमित वस्तुओं के व मूल्यों के उत्पादन एव वितरण आदि की भी समाज उचित व्यवस्था करे।

(5) समाज का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह व्यक्तियों व समूहों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने एव नियमित करने के लिये उचित व्यवस्था करे। कानून, शिक्षा एव उचित मूल्यों की व्यवस्था को विकसित करे एव स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्तों को स्वीकारे।

(6) समाज को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये यह भी आवश्यक है कि वह सर्वोच्च मूल्यों की व्यवस्था करे। उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सस्थाओं को व प्रस्थिति-प्रतिष्ठा के अधिकार को, स्वतन्त्रता व प्रतिबन्धों के अधिकार व कर्तव्य को व्यक्तित्व के विकास के सन्दर्भ में ही विचार करना चाहिए।

निष्कर्षतः मुकर्जी बन्द-व्यवस्था के स्थान पर समाज की मुक्त-व्यवस्था के समर्थक हैं। बन्द-व्यवस्था में मानव की पतिशीलता और प्रगति दब जाती है और मनुष्य की सृजनत्मक प्रवृत्तियों को आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिल पाता।

## समाज का महाविज्ञान (Master-Science of Society)

मुकर्जी की कल्पना समाज का एक महाविज्ञान बनाने की थी जिसमें मानव परिस्थितिशास्त्र (Human Ecological), समाजशास्त्रीय सिद्धान्त और मूल्यों व प्रतीकों

के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। इन तीनों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व भी रहेगा और परस्पर आदान-प्रदान के घनिष्ठ सम्बन्ध भी होंगे। इस आदान-प्रदान से सभी को लाभ होगा और महाविज्ञान के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जो समग्र रूप में समाज के सम्बन्ध में व्यवस्थित ज्ञान दे मकेगा। इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न सामाजिक विज्ञान एकता के सूत्र में बँध जायेंगे और उनके मध्य की दूरियाँ भी कम हो जायेंगी। इस दृष्टि से यह महाविज्ञान स्वयं समाजशास्त्र से ज्यादा विस्तृत एक विज्ञान होगा। मुकर्जी ने अपनी कृति 'ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी' में समाजशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया है—समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धान्त का एक ऐसा पक्ष है, जिसका सम्बन्ध समाजों की संरचना के अन्तर्गत संचार और प्रस्थिति के सामाजिक सम्बन्धों से है।" समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक प्रस्थिति-सम्बन्ध हैं, जैसे—नातेदारी, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व आधिपत्य आदि। समाजशास्त्र का प्रचार्य सामाजिक मूल्यों का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। अर्थात् पुराने व नए मूल्यों का मूल्यांकन करना और पनपते हुए मूल्यों की प्रवृत्तियों को सामाजिक परिस्थिति, आवश्यकता और अनुभव के सन्दर्भ में समझने का प्रयास करना है।

मुकर्जी के मतानुसार मानवीय सम्बन्धों के वास्तविक अध्ययन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में एकता हो और यह कार्य समाज का महाविज्ञान ही कर सकता है। मानवीय सम्बन्धों के ये विविध स्वरूप—सामाजिक आविष्कारों, जीवन की विविध अभिव्यक्तियों, उच्चतर मूल्य अनुभव की प्राप्ति के लिए किए गये प्रयासों तथा मानव-जीवन के स्पष्ट अर्थ को ढूँढने में प्रकट होते हैं।

मुकर्जी के अनुसार आज समाज को एक ऐसे समाज-विज्ञान के सिद्धान्त की आवश्यकता है, जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को मापा जा सके, साथ ही ऐसे महाविज्ञान की भी आवश्यकता है जो मानव-जाति से सम्बन्धित व अभी तक न खोजे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। यह विज्ञान समाजशास्त्र से भी विस्तृत होगा। यद्यपि आज समाजशास्त्र का अध्ययन-क्षेत्र काफी बढ़ रहा है। समाज की अनेक शाखाएँ, जैसे—मूल्यों का समाजशास्त्र, प्रतीकों का समाजशास्त्र, कलाओं का समाजशास्त्र तथा धर्म का समाजशास्त्र आदि मिलकर कार्य कर रही हैं, फिर भी यह महाविज्ञान और भी उच्चतर आदर्श की ओर अग्रसर होगा।

मुकर्जी के मत में समाज के इस महाविज्ञान का दृष्टिकोण विश्वव्यापी होगा, जो विश्व-समुदाय की समस्याओं को सुलझायेगा और मानव जाति के समान मूल्यों का समादर करेगा, चाहे वे मूल्य विभिन्न देशों व समाजों के ही क्यों न हों। यह महाविज्ञान एक ऐसे दर्शन को भी अपनाएगा जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाए जाने वाले पूर्वानुमानों का परीक्षण एवं पुनर्निर्माण, परिवर्तित हो रहे सामाजिक—पर्यावरण सम्बन्धों सम्बन्धों व मूल्यों के सन्दर्भ में करेगा तथा स्वयं को सुधारने की पद्धति को भी अपनाएगा।

मुकर्जी का मानना है कि समाज का यह महाविज्ञान उन समस्याओं का भी समाधान खोजेगा कि समाज में एकता, व्यवस्था, सुरक्षा, स्वतन्त्रता एवं सहभागिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। यह मानव सम्बन्धों के सामाजिक और नैतिक पक्षों के पारस्परिक सम्बन्धों को भी स्पष्ट करेगा। यह उन प्रक्रियाओं को भी परिभाषा करेगा, जिनके द्वारा एक सस्कृति विशेष के आदर्श-मूल्यों को प्रौद्योगिकी द्वारा नवीन स्वरूप प्रदान होता है, अथवा वे

समाप्त हो जाते हैं। यह महाविज्ञान ईश्वर को परिपूर्णता और पवित्रता के साथ-साथ सौन्दर्य और सदाचार के समन्वित प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और वे धीरे-धीरे किन्तु लगातार मानवता को सार्वभौम स्वतन्त्रता और पूर्णता की ओर ले जाते हैं।

### सामाजिक मूल्य (Social Values)

राधाकमल मुकर्जी ने मूल्य सम्बन्धी विचारों का जो सिद्धान्त विकसित किया है उसके कारण उनको छात्रों देश व विदेश में पर्याप्त रूप से दुई है। मूल्यों के सम्बन्ध में उनके विचार "द सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज" एवं "दा डायमोन्स ऑफ वैल्यूज" में व्यक्त किए गए हैं। "द सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज" नामक कृति में आपने मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जिसमें मूल्यों की उत्पत्ति एवं विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों एवं मूल्यों की सुरक्षा आदि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरी कृति "दा डायमोन्स ऑफ वैल्यूज" में मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया गया है जिसमें मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, दर्शनशास्त्र व तत्त्व मीमांसा आदि में पाये जाने वाले मूल्यों को व्याख्या प्रस्तुत की गई है। मूल्यों के सम्बन्ध में आपका मानना है कि मूल्यों का एक सामाजिक-सांस्कृतिक आधार होता है इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में एक भिन्नता दिखाई पड़ती है। आपका मत है कि मूल्यों के बारे में जब तक कोई सार्वभौम सिद्धान्त विकसित नहीं किया जाता, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मुकर्जी के मत में मूल्य वे सामाजिक मानक या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों एवं विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य सामाजिक जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है इनमें विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, समूह, लक्ष्य अथवा साधन आदि कुछ भी हो सकता है। मूल्यों का एक भावात्मक आधार होता है। अर्थात् मूल्य ही व्यक्तियों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं अतः जब कोई व्यक्ति किसी चीज के विषय में विचार करता है, निर्णय लेता है अथवा मूल्यांकन करता है तो उस पर भावनाओं (Emotions) अथवा उद्देश्यों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

मूल्य सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित होते हैं, उदाहरणार्थ—परिवार के मूल्य अलग हैं तो राष्ट्र के स्तर पर वे अलग प्रकार के होंगे। इसी प्रकार राजनीति, धर्म, आर्थिक जीवन व सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। मूल्यों का एक बोधात्मक तत्व होता है—जो यह निर्धारित करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित? क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इस दृष्टि से मूल्यों का सम्बन्ध आदर्शों व नियमों से होता है। कभी-कभी तो मूल्यों और आदर्शों में अन्तर करना भी कठिन हो जाता है। जॉनसन का मानना है कि विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर मूल्य और आदर्श के बीच पाए जाने वाला अन्तर स्वतः ही गायब हो जाता है।

### सामाजिक मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Values)

मुकर्जी ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है, "मूल्य समाज द्वारा मान्यता-प्राप्त इच्छाएँ अथवा लक्ष्य हैं, जिनका अन्तरीकरण सीखने अथवा सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है तथा जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मानक तथा अभिलाषाएँ

बन जाते हैं।" मुक्तियों के मत में मूल्य मानव-समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक ससार से सामंजस्य करने के उपकरण हैं। ये ऐसे प्रतिमान हैं जो मनुष्य को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। इन्हे सामाजिक अस्तित्व का केन्द्रीय तत्व कहा जा सकता है जिनकी रक्षा के लिए समूह के सदस्य हर सम्भव त्याग करने को तत्पर रहते हैं। मूल्यों के प्रति सदस्यों की स्वाभाविक आस्था होती है अर्थात् मुक्तियों के मत में मूल्य "समाज द्वारा स्वोक्ति-प्राप्त आकाशाएँ और लक्ष्य" हैं। इसे इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—मूल्य समाज के नियम, कानून, प्रथा, नीति, प्रतीक एवं सस्थाओं में व्याप्त होते हैं—जिसे समाज उचित मानता है वही मूल्य होते हैं। मुक्तियों का कहना है कि मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप से, समाज और संस्कृति से ही नहीं, अपितु मानव अस्तित्व व अनुभव से प्राप्त होते हैं। मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, अपने भरण-पोषण एवं जीवन-निर्वाह के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपने समाज एवं समूह के लोगों के साथ सम्बन्ध बनाए रखने पड़ते हैं, अपनी संस्कृति के मध्य आदान-प्रदान की प्रक्रिया में भागोदार होना पड़ता है। इन सबके कारण समाज के सदस्यों के लिए समाज द्वारा अधिमान व मानदण्ड निर्धारित करने आवश्यक होते हैं जिन्हे व्यक्ति सामाजिककरण की प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है अर्थात् मूल्य समाज के सदस्यों के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे-धीरे उत्पन्न होते हैं। मुक्तियों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी मूल्यों को अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, जो निम्नलिखित हैं—

1. फिचर के मतानुसार, "समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में माना जा सकता है, जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों उद्देश्यों और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्त्व का निर्णय करते हैं।" इस प्रकार फिचर मूल्यों को सम्पूर्ण संस्कृति और समाज को अर्थ एवं महत्त्व प्रदान करने वाली कसौटियाँ मानते हैं।

2. वुड्स ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है कि "सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धान्त हैं, जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियन्त्रित करते हैं। ये मानव-व्यवहार को दिशा प्रदान करने के साथ-साथ अपने आप में आदर्श एवं उद्देश्य भी हैं।"

3. जॉनसन ने अपनी कृति 'संश्लेषणशास्त्र' में कहा है, "मूल्यों को एक साधारण या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि सांस्कृतिक हो सकता है अथवा केवल व्यक्तिगत। इसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जाती है और वह एक-दूसरे के सन्दर्भ में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, चाँछित अथवा अवाँछित, अच्छी अथवा बुरी, अधिक या कम उचित मानी जाती है।"

4. हारालाम्बोस के मत में, "मूल्य एक विश्वास है, जो यह बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है। क्या महत्त्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है।"

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की भावनाओं, व्यवहारों, गुणों, लक्षणों एवं साधनों आदि को उचित अथवा अनुचित, अच्छा अथवा बुरा माना जा सकता है।

### मूल्य और प्रतीक (Value and Symbols)

मुक्तियों ने मूल्यों के साथ-साथ प्रतीकों को भी परिभाषित किया है जिसे मूल्यों के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। मुक्तियों के मत में मानवीय संस्कृति प्रतीकात्मक रूपान्तरण




का फल है। मूल्य-समाज के नियम, कानून, प्रथा व नीति आदि में विद्यमान होते हैं। जिसे समाज उचित समझता है, वही मूल्य है। सीखने की प्रक्रिया से मूल्य प्रतीक के रूप में उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाते हैं। व्यक्ति और समाज की अन्तःक्रिया से मूल्यों की अनुभूति के तीन स्तर हैं—

(1) भीड़ (Crowd)—पहला स्तर भीड़ है, जिसमें संगठन और एकता अस्थायी होती है। मूल्यों का कार्य केवल संवेगों को जाग्रत करना है।

(2) हित-समूह (Interest-Group)—दूसरा हित-समूह है, जिसमें सहानुभूति और सहयोग अधिक मात्रा में होता है। संगठन तुलनात्मक दृष्टिकोण अधिक स्थाई होता है, और मूल्यों की मात्रा अधिक और गहन होती है। प्रत्येक व्यक्ति का हित दूसरे से जुड़ा हुआ होता है।

(3) समुदाय या समाज (Community or Society)—तीसरा स्तर समुदाय या समाज है जिसमें एकता अधिक होती है। बाद में यह स्तर सार्वलौकिक हो जाता है जिससे व्यक्ति अपने सीमित दायरे से निकलकर, सामाजिक बन्धनों को भी पार कर जाता है। धर्म और कला के प्रतीकात्मक मूल्य व्यक्ति को सार्वत्रिक बन्धनों से मुक्त कराके इसको सृजनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख कर देते हैं। इस प्रकार मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवेश से समायोजन स्थापित करता है—मुकर्जी के मतानुसार पहला नैविकीय और भौतिक स्तर है, दूसरा प्रतीकात्मक स्तर है। मनुष्य में प्रतीकों का निर्माण कर सकने की क्षमता है जिसके परिणामस्वरूप सस्कृति का निर्माण हुआ है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और आचरण भी प्रतीक का रूपान्तरण है। मुकर्जी के प्रतीकात्मक रूपान्तरण की प्रक्रिया को अप्रलिखित क्रम में बताया जा सकता है—



विज्ञान, कल्पना, भाषा, नैतिकता, धर्म, कला, दर्शन आदि जो कुछ व्यक्ति पर निर्मित किया गया है, वह इस ससार का प्रतीकात्मक आयाम है। साथ ही मनुष्य द्वारा भौतिक परिवेश को नियन्त्रित करने के लिए जो प्रयास किये गये हैं, वे भी प्रतीकात्मक सृजन

के अन्तर्गत ही आते हैं। मुकर्जो प्रतीको मे सम्प्रेषण (Communication) को भी सम्मिलित करते हैं—इस प्रकार प्रतीको के गुण पर ही नैतिकता की पृष्ठभूमि रखी जा सकती है।

### मानवीय मूल्यों का उद्विकास (Evolution of Human Values)

मुकर्जो के मत में मूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के मध्य होने वाली अन्तःक्रियाओं के परिणामस्वरूप शनैः-शनैः होती है। मुकर्जो का विश्वास है कि मानवीय जीवन का आधार तो जैविकीय है, किन्तु उद्विकास के साथ मनुष्य में कल्पना, बुद्धि, तर्क व प्रतीक-निर्माण की क्षमताएँ विकसित हो गईं। इन क्षमताओं के कारण मनुष्य का नैतिक उद्विकास हो जाता है और इसके बाद व्यक्ति में लोकातीत होने का गुण आ जाता है अर्थात् जैसे-जैसे व्यक्ति सार्वलौकिक मूल्यों को आत्मसात् करता जाता है, वैसे-वैसे उनका उद्विकास होता जाता है। मनस, मूल्य और सस्कृति के विकास के साथ मनुष्य में नैतिक उद्विकास की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। मानवीय मूल्य यद्यपि अद्वन्द होते हैं, लेकिन उनका प्रकटीकरण अपरिवर्तनशील सामाजिक जगत् में ही हो सकता है। उद्विकास की प्रक्रिया अनवरत है तथा इस प्रक्रिया में सोपानों का श्रेणीक्रम प्राकृतिक रूप में उनका प्रमाण बन जाता है—जैविकीय-परिस्थितिकीय, सामाजिक और लोकातीत। मुकर्जो ने नैतिकता के आयामों, मूल्यों और उद्गुणों की सारिणी इस प्रकार प्रस्तुत की है—

#### मूल्यों एवं नैतिकता के उद्विकास के आयाम

उद्विकास क्रम	मूल्य	सामाजिक संकुल	नैतिकता प्रतिमान	व्यवस्था के गुण
1. जैविकीय	रक्षण, प्रभुत्व	हित-समूह	पारस्पर्य	व्यवहार-बुद्धि
	परिस्थितिकीय	एव सातत्य		
2. सामाजिक	प्रस्थिति	समुदाय	न्याय	निष्ठा
3. लोकातीत	व्यक्तित्व	सम्पूर्ण मानव	प्रेम	श्रद्धा
	और चरित्र	समुदाय		

उपर्युक्त तालिका को इस रूप में समझा जा सकता है। नैतिकता के मूल्यों की उत्पत्ति अह की सीमा को पार करने पर होती है। दूसरों के साथ सम्वन्ध और पारस्पर्य से मूल्यों का विकास होने लगता है। परा-अह के मूल्य अन्तःकरण और निष्ठा से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति का सम्वन्ध जैसे-जैसे अपने से विस्तृत सामाजिक क्षेत्र से जुड़ता जाता है, उसके मूल्य भी उद्विकसित होने लगते हैं। मुकर्जो ने सामाजिक संकुल और मूल्यों का श्रेणीक्रम स्थापित करते हुए हित-समूह, समुदाय और सम्पूर्ण मानव-समुदाय के तीन स्तर बताए हैं।

1. हित-समूह (Interest Group)—हित-समूह में भीड़ की तुलना में स्थायित्व अधिक होता है। राजनैतिक-दल व समिति आदि इसके उदाहरण हैं—मानव के निजी हित दिना पारस्पर्य के पूरे नहीं हो सकते अतः सहयोग, सहानुभूति और दूसरों के हितों को ध्यान

में रहने से न्यूनतम मूल्य उत्पन्न होते हैं और अपने सीमित हितों की पूर्ति के लिए सहयोग व सहर्ष आदि करते रहते हैं। इस समूह का प्रमुख गुण 'ध्यावहारिक बुद्धि' है।

2. समुदाय (Community)—समुदाय अथवा समाज के अन्तर्गत हित पूरे समुदाय के सहयोगात्मक जीवन में जुड़ जाते हैं। ये हित-समूह की अपेक्षा अधिक व्यापक होते हैं। इस संगठन का प्रमुख गुण 'निष्ठा' है।

3. सम्पूर्ण मानव समाज (Total Human Society)—जब मानव का तादात्म्य सम्पूर्णता से हो जाता है तो मूल्य सार्वलौकिक हो जाते हैं। प्रेम, समानता, बन्धुत्व आदि ऐसे उच्च गुण हैं जिनके पालन में व्यक्ति को त्याग व तपस्या करनी होती है। इस समूह का प्रमुख गुण 'श्रद्धा' है।

मुकर्जी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों का उद्विकास हित-समूह के माध्यम से 'आदर्श समाज' अथवा ससार के मुक्त समाज की ओर हो रहा है। व्यक्ति मूल्य और परम्परा के स्तरों पर पक्ष और प्रतिपक्ष में जो द्वन्द्व होता है, उससे सत्य का सश्लेषित रूप सामने आता है। मुकर्जी के मत में यही उद्विकास की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया है।

### मूल्यों का वर्गीकरण (Classification of Values)

मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया है।

1. स्प्रेगर ने मूल्यों को छः प्रकार का बताया है—

- (i) सिद्धान्तिक अथवा बौद्धिक मूल्य (Theoretical or Intellectual Values)
- (ii) आर्थिक अथवा व्यावहारिक मूल्य (Economic or Practical Values)
- (iii) सौन्दर्यात्मक मूल्य (Aesthetic Values)
- (iv) सामाजिक अथवा परार्थवादी मूल्य (Social or Altruistic Values)
- (v) राजनैतिक अथवा सत्तावादी मूल्य (Political or Power-seeking Values)
- (vi) धार्मिक अथवा रहस्यात्मक मूल्य (Religious or Mystical Values)

2. मुकर्जी मूल्यों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं— (i) साध्य मूल्य, एवं

(ii) साधन मूल्य।

साध्य मूल्य (Intrinsic Values)—ये लक्ष्य तथा सन्तोष (Goals and Satisfaction) हैं जिन्हें मनुष्य और समाज जीवन और परिस्थितियों के विकास के लिए स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार में अन्तर्निहित होते हैं और जो स्वयं साध्य होते हैं।

साधन मूल्य (Instrumental Values)—ये वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के अर्थात् साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए व उन्हें उन्नत बनाने के लिए साधन के रूप में मानते हैं। स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सुरक्षा, सत्ता एवं प्रसिद्धि आदि से सम्बन्धित मूल्य 'साधन मूल्य' हैं जिनका उपयोग किन्हीं लक्ष्यों व सन्तोषों की प्राप्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मुकर्जी साध्य मूल्यों को अमूर्त अथवा लौकिक (Transcendent) मूल्य

और साधन मूल्यों को विशिष्ट (Specific) अथवा अस्तित्वात्मक (Existential) मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि साध्य, लोकातीत या अमूर्त मूल्य समाज एवं व्यक्ति के जीवन के उच्चतम लक्ष्यों से सम्बन्धित होते हैं; जबकि साधन, विशिष्ट अथवा अस्तित्वात्मक मूल्यों को लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साधन मूल्यों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के बिना साध्य मूल्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य का सम्बन्ध भी साध्य मूल्यों की तुलना में साधन मूल्यों से ज्यादा होता है। इसी कारण साधन व मूल्यों की विवचना सामाजिक विज्ञानों द्वारा अधिक की जाती है।

3. सी. एम. केस ने सामाजिक मूल्यों को निम्नांकित चार भागों में विभाजित किया है—

(i) सावयवी मूल्य (Organic Values)—ये मूल्य अन्न, पानी और धार आदि से सम्बन्धित होते हैं।

(ii) विशिष्ट मूल्य (Specific Values)—प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रचियाँ व विचार आदि होते हैं जिनके आधार पर वह किसी चीज का मूल्यांकन करता है।

(iii) सामाजिक मूल्य (Social Values)—ये मूल्य समाज की परम्पराओं, व्यवहार व आदतों आदि से सम्बन्धित होते हैं।

(iv) सांस्कृतिक मूल्य (Cultural Values)—ये मूल्य संस्कृति से सम्बन्धित होते हैं। उपकरण, प्रतीक, सत्य, सुन्दरता आदि के मूल्य इससे सम्बन्धित होते हैं।

4. लीविस ने मूल्यों के दो प्रकार बताए हैं— (i) साध्य या अन्तर्निष्ठ (Intrinsic or Inherent) मूल्य तथा (ii) बाह्य या साधन (Extrinsic or Instrumental) मूल्य।

5. गोलाइटली ने मूल्यों के दो प्रकार— (i) मौलिक (Essential) एवं (ii) क्रियात्मक (Operational) बताये हैं—लीविस और गोलाइटली दोनों के वर्गीकरण पर ही आधुनिक मुकर्जी का वर्गीकरण है।

6. पैरी ने मूल्यों को चार भागों में विभाजित किया है— (i) नकारात्मक, (ii) सकारात्मक, (iii) विकासवादी एवं (iv) वास्तविक।

कुछ विद्वानों के मत में मूल्य सौन्दर्यवादी, सुखवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक और तार्किक आदि अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार मूल्यों के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारों और वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

### सामाजिक मूल्यों की विशेषताएँ (Characteristics of Social Values)

1. सामूहिकता (Collectiveness)—सामाजिक मूल्यों की विशेषता यह होती है कि इनका सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से होता है और सम्पूर्ण समूह द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इनका निर्माण भी सामूहिक होता है अर्थात् सामाजिक मूल्य अन्तःक्रिया की उपज एवं परिणाम होते हैं।

2. सामाजिक मानक (Social Standard)—सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु, व्यवहार व लक्ष्य आदि को उचित अथवा अनुचित, अच्छा अथवा बुरा ठहराया जा सकता है। ये उच्चस्तरीय सामाजिक मानदण्ड हैं।

3. भावात्मकता (Emotionality)—सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित न होकर सम्पूर्ण समाज से सम्बन्धित होते हैं। इन मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई होती हैं अतः व्यक्तिगत हितों को त्यागकर भी लोग इन मूल्यों की रक्षा करते हैं। देश-भक्ति के लिए प्राणोत्सर्ग करना, सतीत्व की रक्षा करने के लिए जीहर करना इसी प्रकार के मूल्य हैं।

4. एकमतता (Unanimity)—सामाजिक मूल्यों के विषय में समाज के सभी लोगों में एकमतता पाई जाती है—ये सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों की अनुपालना नहीं करता तो समूह द्वारा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है।

5. गतिशीलता (Mobility)—सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता गतिशीलता होती है अर्थात् समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। जब-जब समाज की आवश्यकताएँ बदलती हैं, तब-तब सामाजिक मूल्य भी बदल जाते हैं क्योंकि मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होते हैं।

6. सामाजिक-सांस्कृतिक आधार (Social-Cultural Cases)—मूल्यों की एक विशेषता यह है कि मूल्यों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। भारतीय मूल्य पाश्चात्य मूल्यों से पूर्णतया भिन्न हैं। भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र धार्मिक बन्धन है जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता जबकि अमरीका के समाज में विवाह से सम्बन्धित मूल्यों का महत्त्व न होने से वहाँ विवाह-विच्छेद आसानी से किया जा सकता है।

7. विभिन्न प्रकार (Various Types)—मूल्य सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित और विभिन्न प्रकार के होते हैं—परिवार से सम्बन्धित मूल्य, राष्ट्र से सम्बन्धित मूल्य और उसी भाँति विवाह, सामाजिक मान्यता, धर्म, राजनीति आदि अनेक विषयों से सम्बन्धित अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं।

8. बोधात्मक तत्व (Cognitive Element)—मूल्य की एक विशेषता यह है कि सभी मूल्यों में एक बोधात्मक तत्व होता है अर्थात् मूल्य आदर्श नियमों से अधिकांशतः सम्बन्धित होते हैं। कभी-कभी तो मूल्यों और आदर्शों में अन्तर करना सम्भव नहीं होता। मूल्य 'क्या उचित है?' की धारणा से सम्बन्धित होते हैं, इसी कारण जॉन्सन का मानना है कि विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर मूल्य और आदर्श नियम के बीच पाए जाने वाले अन्तर स्वतः गायब हो जाते हैं।

9. सार्वभौमिकता (Universality)—मूल्यों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि मूल्य सभी समाजों में विद्यमान होते हैं मूल्यों के आधार पर ही किसी समाज के व्यक्तियों के व्यवहार व क्रियाएँ स्पष्ट की जा सकती हैं। सामाजिक प्रगति का मूल्योत्पन्न किया जाता है व समाज का निर्माण किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहारों को मूल्य ही निर्देशित करते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसके अपने मूल्य न हों अर्थात् मूल्य सार्वभौमिक होते हैं।

10. सामाजिक-कल्याण के लिए आवश्यक (Necessary for Social welfare)—सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता यह है कि समाज के कल्याण के लिए उनका

होना भी आवश्यक है। मूल्य ही समाज में एकरूपता, एकमतता व संगठन लाते हैं। यदि किसी समाज के कोई मूल्य ही न हों तो वह समाज निरंकुश-स्वच्छंद हो जायेगा, उनके सम्बन्धों में भी प्रगाढ़ता नहीं आ सकेगी। अतः समाज के कल्याण के हितार्थ मूल्य आवश्यक है।

### मूल्यों का सोपान व संस्तरण (The Scale and Hierarchy of Values)

जैसाकि पिछले पृष्ठों में मानवीय मूल्यों के उद्विकास के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है, मूल्यों में एक संस्तरण देखने को मिलता है सभी मूल्य समान स्तर के नहीं होते हैं—इस संस्तरण का सम्बन्ध मूल्यों के आयामों से है। मुकर्जी ने मूल्यों के तीन आयाम बताए हैं—(i) जैविक (Biological), (ii) सामाजिक (Social), तथा (iii) आध्यात्मिक (Spiritual)।

1. जैविक मूल्य (Biological Values)—जैविक मूल्य स्वास्थ्य, कुशलता व सुरक्षा आदि से सम्बन्धित होते हैं। मानव-जीवन जैविक आधार पर ही निर्भर है। जब शरीर स्वस्थ व उपयुक्त होगा तभी वह जीवन-निर्वाह करने में सक्षम होगा, इसलिए मूल्यों के संस्तरण में सर्वप्रथम जैविक मूल्यों का स्थान है।

2. सामाजिक मूल्य (Social Values)—जैविक-जीवन समाज की सहायता के बिना सम्भव नहीं हो सकता। इस कारण जैविक मूल्यों के परचात् सामाजिक मूल्यों का स्थान है। सामाजिक मूल्यों में सम्पत्ति, प्रेम, न्याय आदि को लिया जाता है।

3. आध्यात्मिक मूल्य (Spiritual Values)—जैविक और सामाजिक मूल्यों की वास्तविकता 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की प्राप्ति में निहित है जिसे जैविक और सामाजिक स्तर से गुजरते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण आध्यात्मिक मूल्य सबसे उच्च स्तर के होते हैं—सत्य, सुसंगति, सुन्दरता तथा पवित्रता से सम्बन्धित होते हैं—इन्हे साध्य, अन्तर्निष्ठ अथवा लोकातीत मूल्य कहा जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च मूल्य कहा जाता है, सामाजिक और जैविक मूल्यों का स्थान इसके उपरान्त है, जिनका उद्देश्य सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था को बनाये रखना है इसीलिये ये साधन मूल्य, बाह्य मूल्य अथवा क्रियात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैविक मूल्यों को जीवन को बनाये रखने के लिये आवश्यक माना जाता है, ये भी साधन मूल्य ही हैं। मुकर्जी ने इन मूल्यों को अपनी कृति "दा डाइमेन्शन्स ऑफ वैल्यूज" में निम्नलिखित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

#### मूल्यों का सोपान व संस्तरण

मूल्यों के आयाम	मूल्यों के गुण	मूल्यों का संस्तरण
1. जैविक : स्वास्थ्य, उपयुक्तता, कुशलता, सुरक्षा एवं निरन्तरता।	साधन मूल्य, बाह्य मूल्य क्रियात्मक मूल्य।	जीवन-निर्वाह तथा अग्रगति।
2. सामाजिक : सम्पत्ति, प्रस्थिति, प्रेम, एवं न्याय।	साधन मूल्य, बाह्यमूल्य, क्रियात्मक मूल्य।	सामाजिक संगठन एवं सुव्यवस्था।

एवं न्याय।	क्रियात्मक मूल्य।	एवं सुव्यवस्था।
<b>3. आध्यात्मिक :</b>		
सत्य, सौन्दर्य, सुरांगति, एवं पवित्रता।	साध्यमूल्य, अन्तर्निष्ठ मूल्य, लोकातीत मूल्य।	आत्म-लोकाती- करण।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में मुकर्जी ने निम्नलिखित सामान्यीकरण प्रस्तुत किया है—

(1) साध्य-मूल्य साधन-मूल्यों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि साध्य मूल्य ही मानव-जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं।

(2) साध्य-मूल्य और साधन-मूल्य परस्पर घुलते-मिलते एवं एक-दूसरे में व्याप्त होते रहते हैं। साधन-मूल्य साध्य-मूल्यों के साथ संयुक्त रहकर अपना क्रियारूप बनाए रखते हैं।

(3) व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों की द्वन्द्वात्मक गति होती है।

(4) वास्तविकता में जैविक मूल्यों से उच्चतर मूल्यों को कुछ सीमा तक तो प्राप्त किया जा सकता है किन्तु व्यक्ति उन श्रेष्ठ मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है।

(5) उच्चतर अथवा आत्म-लोकातीकरण मूल्यों का कार्य जीवन को बनाए रखने के कार्य से उच्च श्रेणी का है।

(6) सार्वभौम मूल्य वे आदर्श-नियम हैं जो कि मूल्यों की संस्तरणात्मक व्यवस्था को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं।

### मूल्यों का श्रेणीकरण (Gradation of Values)

मुकर्जी की कृति "दा सोशियल स्ट्रक्चर एण्ड वैल्यूज" के मतानुसार सभी मूल्य समान स्तर के नहीं होते अर्थात् इनमें संस्तरणात्मकता होती है और यह स्तर सामाजिक संगठन के स्तरों पर निर्भर करता है। उन्होंने सामाजिक संगठन के चार स्तर बताए हैं। इन स्तरों के आधार पर ही नैतिकता का विकास होता है। मूल्यों का श्रेणीकरण इस प्रकार है—

(1) भीड़ (Crowd)—यह सर्वाधिक अस्थायी समूह है। यह रचनात्मक नहीं होता और आदिम प्रकार के सम्बन्धों एवं व्यवहारों को प्रदर्शित करता है। यह आदिम प्रवृत्तियों व संवेगों से परिपूर्ण होता है, नैतिकता का अभाव होता है। इसलिए यह विनाशकारी होता है। मुकर्जी का मानना है कि भीड़ का रचनात्मक कुछ इस प्रकार का होता है कि इसके द्वारा व्यक्ति सीधी कार्यवाही द्वारा बुराइयों का समाधान तत्काल चाहता है। आधुनिक समय में राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने अथवा आर्थिक लाभ के लिए भीड़ का प्रयोग क्रान्ति की स्थिति को उत्पन्न करने के लिये किया जाता है अतः इसके कोई आदर्श-नियम नहीं होते हैं, न ही इसके कोई मूल्य अथवा मानदण्ड होते हैं।

(2) स्वार्थ-समूह (Interest Group)—सामाजिक संगठन का दूसरा प्रारूप स्वार्थ-समूह है। इसका गठन कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है अतः स्वार्थ-समूहों का सम्बन्ध प्रायः ऐसे आंशिक, भाव्य तथा साधन मूल्यों से होता है, जिसके भागीदार

समुदाय के सभी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। श्रमिक-संघ, व्यापार संघ, राजनैतिक दल एवं क्लब आदि इसके उदाहरण हैं, जिनका गठन पारस्परिक सहयोग, एकता, निष्पक्षता एवं सहयोग आदि मूल्यों के आधार पर तो हो सकता है, किन्तु वे मूल्य संघ के सदस्यों और उनके निजी उद्देश्यों की पूर्ति तक ही सीमित होते हैं। अतः कुछ लोग ही इसके भागीदार होते हैं।

(3) समाज या समुदाय (Society or Community)—यह संगठन स्वार्थ-समूह की तुलना में सामाजिक संगठन के अधिक विस्तृत, तार्किक और नैतिक आधारों को प्रस्तुत करता है। समाज में व्यक्ति अन्य सदस्यों की इच्छाओं, संबंधों और स्वार्थों को ध्यान में रखकर सहयोगी व्यवहार करता है। इसमें व्यक्ति के साथ व्यक्ति व स्वार्थ के साथ स्वार्थ का अधिक समझन देखने को मिलता है।

(4) सामूहिकता (Collectivity)—सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम रूप सामूहिकता में देखने को मिलता है। यह एक सुदृढ़ और सार्वभौमिक रूप है जो सचेत, अनुशासन व उच्चस्तरीय विवेक का परिणाम होता है। इसमें व्यक्ति प्रेम, समानता, विश्वबन्धुत्व, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को ग्रहण करता है। इसमें स्वार्थवाद पर परार्थवाद की विजय देखने को मिलती है।

### मूल्य के नियम (Laws of Values)

मुकर्जी ने अपनी कृति "दा सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज" में मूल्यों के कुछ नियमों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं—

(1) समाज के नियंत्रण अथवा अनुमोदन के कारण समस्त मानवीय अभिप्रेरणाएँ मूल्यों में रूपान्तरित हो जाती हैं। समाज इन प्रेरणाओं को टालता है, और उनकी अभिव्यक्ति के साधनों को निश्चित करता है।

(2) आधारभूत अथवा मौलिक मूल्यों की सन्तुष्टि हो जाने पर उन मूल्यों के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में समाज और सस्कृति द्वारा नवीन लक्ष्य एवं साधन प्रस्तुत किये जाते हैं जिनके कारण पुनः नये मूल्यों का जन्म होता है। इसे 'मूल्यों के चक्र का नियम' (Law of the Cycle of Values) कहा जाता है।

(3) मूल्य परस्पर घुलमिल जाते हैं और उनके सम्मिलन से निरन्तर बदलाव दिखाई देता है। यह सम्मिलन कभी सन्तुलित और कभी असन्तुलित रूप में देखने को मिलता है।

(4) विभिन्न मूल्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, इससे मूल्यों में एक सस्तरण विकसित हो जाता है जिसके अन्तर्गत साध्य-मूल्यों को साधन-मूल्यों की तुलना में उच्चतर स्तर प्रदान किया जाता है।

(5) समाज अथवा सस्कृति व्यक्ति को मूल्यों के मौलिक प्रतिमान प्रदान करती है। मानवीय मूल्य मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के द्योतक हैं। यह सस्कृति, परम्परा व प्रशिक्षण ही हैं जो उन मौलिक मूल्यों का निर्माण करते हैं।

(6) मनुष्य का विवेक एवं निर्णय और समाज का अनुभव मूल्यों के एक सोपान का निर्माण करते हैं जिससे उत्तम, मध्यम और अधम मूल्यों के बीच भेद पैदा हो जाता है।



(7) मूल्यों में वैयक्तिकता, विभिन्नता एवं अनोखापन पाया जाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि, आदत, आवश्यकता और क्षमता के आधार पर उनका चयन करता है।

(8) अनेक मूल्य परस्पर संघर्ष करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी शिक्षा, अनुभव और आदर्श नियमों के आधार पर उपयुक्त मूल्यों का चयन करता है।

(9) सामाजिक पर्यावरण, समूह, संस्थागत सम्बन्ध एवं अनुभव की सामाजिक परिस्थिति में ही मूल्यों में गुणात्मक सुधार घटित होता है। जैसे-जैसे एकात्मकता से सामूहिकता की ओर आगे बढ़ा जाता है, वैसे-वैसे मूल्य भी अधिकाधिक सम्पूर्ण, आत्मनिर्भर और स्थाई होते जाते हैं।

(10) प्रत्येक समूह और संस्था व्यक्ति के अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार की द्वैतीयकता को प्राप्त कर लेते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति एक उद्देश्य को प्राप्त कर एक आदर्श तक पहुँच जाता है।

(11) कला, संगीत, साहित्य एवं धर्म से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि और सहानुभूति के गुण महान् व्यक्तियों में बहुतायत से होते हैं जिसके कारण उनके मौलिक मूल्यों को जाना जा सकता है और उन्हें अन्य व्यक्तियों तक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित किया जा सकता है।

(12) व्यक्ति का आदर्श-मूल्य, उसकी अन्तर्दृष्टि, सौन्दर्यात्मक एवं धार्मिक बोध, उसका व्यावहारिक आविष्कार एवं उत्साह आदि का प्रमुख स्रोत सामाजिक संस्कृति होती है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है।

### मूल्य और व्यक्तित्व (Value and Personality)

मुकर्जी का मानना है कि मूल्यों का विशेष महत्त्व व्यक्तित्व का निर्माण करने में है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना अधिक आदर्श मूल्यों को अपनाता है, उतना ही अधिक व्यक्ति समाज से अपना समंजन कर पाता है। प्रत्येक समाज के लिए भी यह आवश्यक है कि वह व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों का निर्माण करे क्योंकि यदि किसी समाज के मूल्य व्यवस्थित, नियमित एवं श्रेष्ठ नहीं होंगे, तो वह समाज जीवित नहीं रह पाएगा और उसके अभाव में उसकी सभ्यता का भी शीघ्र अन्त हो जायेगा क्योंकि सभ्यताओं का उत्थान-पतन उनके द्वारा व्यक्ति के विकास पर दिए जाने वाले बल पर ही सम्भव होता है। अतः मुकर्जी का मानना है कि किसी समाज को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्णता का प्रयास करना चाहिए।

### सामाजिक मूल्यों का महत्त्व या कार्य (Importance or Functions of Values)

मुकर्जी के मत में समाज और व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्त्व है। उनके अनुसार भौतिकशास्त्र के लिए गति और गुहत्वाकर्षण का जो महत्त्व है व शरीर विज्ञान के लिए पाचन-प्रक्रिया और रक्त-संचार का जो महत्त्व है, वही महत्त्व सामाजिक विज्ञान के लिए मूल्यों का है। मूल्यों को समाज से पृथक् नहीं किया जा सकता। मुकर्जी कहते हैं, "समाज मूल्यों का एक संगठन एवं संकलन है।" सामाजिक क्रिया में सामूहिक अनुभव होते हैं, जिनका निर्माण—व्यक्तिगत एवं सामाजिक—दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियों और

प्रत्युत्तरो द्वारा होता है। ये मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक सम्बन्धों को संगठित भी करते हैं।

मुकर्जी का मत है कि यदि कोई समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्ति अवश्य करनी चाहिये। मानव कल्याण के लिए भी मूल्यों का पालन एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। समाज में एकता, संगठन एवं नियन्त्रण भी मूल्यों द्वारा ही सम्भव होगा है। मूल्यों के अभाव में समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुकर्जी के मतानुसार मूल्यों का महत्व अधना कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण (Important for the Individual)—व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्त्व है। मुकर्जी का कहना है कि मूल्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनुरूप स्थिर और सगुणपूर्ण तरीके से उसके आवेगों एवं इच्छाओं को संगठित करके, व्यक्ति के उद्विकास और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिम्मे द्वारा मनुष्य को स्वकेन्द्रित, तात्कालिक तथा अस्थिर आवरणों को एक स्थायी मानसिक समूहों में रूपान्तरित किया जाता है। हॉव्य के शब्दों में जिसके बिना जीवन धिक्कना, पशुवत् एवं सक्षिप्त बन जायेगा। व्यक्ति मूल्यों के आधार पर ही अपनी सामाजिक परिस्थितियों से सरलता से अनुकूलन कर लेता है। मूल्यों के कारण ही व्यक्ति समूह के अंग के रूप में स्वयं को मानने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति को जीवन-मूल्यों के कारण ही अर्थपूर्ण माना जा सकता है। व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में भी मूल्यों का अत्यधिक महत्त्व है।

(2) समाज में एकरूपता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण (Important in bringing Unanimity in the Society)—व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आवरण करते हैं इसके परिणामस्वरूप सभी के व्यवहारों में एकरूपता आ जाती है। इस प्रकार मूल्य समाज में एकरूपता को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।

(3) समाज के आदर्श विचारों व व्यवहारों के निर्धारक (Determinant of Ideal Values and Behaviour for the Society)—मूल्य समाज के विचारों व व्यवहारों का निर्धारण करते हैं क्योंकि सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। इन्हें सामाजिक स्वीकृति व मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए सामाजिक मूल्यों का आदर्श विचारों व व्यवहारों का प्रतीक माना गया है।

(4) व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में सहायक (Helpful in the Deveopment and Organisation of the Personality)—सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण और संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मुकर्जी के मतानुसार मूल्य व्यवस्था व्यक्तित्व की संरचना को परिभाषित एवं नियन्त्रित करते हैं और इसके बदले में व्यक्ति अपने आचरणों द्वारा मूल्यों की परिशुद्धि और उनका परिमार्जन करता है। इस प्रकार दोनों के आपसी सम्बन्ध के कारण ही मूल्यों में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं परिमार्जन होता रहता है।

(5) भौतिक संस्कृति के महत्त्व को बढ़ाने वाले (Increases the importance of the Material Culture)—सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति, जैसे—कार, मकान, टेलीफोन व टेलीविजन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सामाजिक मूल्य इन भौतिक वस्तुओं को उपयोगी एवं प्रतिष्ठामुचक मानते हैं।

(6) सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation of Social Potentiality)—मूल्य ही समूह और व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इन मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति यह जानने में सक्षम होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं अथवा संस्तरण में वे कहाँ स्थित हैं।

(7) सामाजिक नियन्त्रक (Social Controller)—मुकर्जी का मत है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक नियन्त्रण में सहायक होते हैं। मूल्यों में आदेश-सूचक और अनिवार्यता के तत्व होते हैं जिन्हें समाज में प्रचलित जनरीतियों, प्रथाओं और नैतिक नियमों के कारण बल मिलता रहता है। परिणामस्वरूप समाज द्वारा विपरीत आचरण करने वालों को दण्ड एवं समाज के अनुरूप आचरण करने वालों को पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है।

(8) अनुरूपता और विपथगमन को स्पष्ट करते हैं (Specify unanimity and Devpation)—जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं, उन्हें अनुरूपता और इनके विपरीत व्यवहारों को विपथगमन कहा जाता है। सामाजिक मूल्य, सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और कोई भी समाज इनके उल्लंघन की आज्ञा नहीं देता, ऐसा करने वाले को दण्डित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक विचटन को रोकने के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

(9) सामाजिक संगठन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण (Important for Social organisation and Integration)—सामाजिक मूल्य समाज में संगठन और एकीकरण को जन्म देते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार आचरण करते हैं तो उससे समाज में एकीकरण व संगठन बना रहता है—समाज में समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण सामुदायिक भावना का जन्म होता है। समान मूल्यों को स्वीकार करने वाले अपने आपको निकट का मानते हैं अतः परस्पर सहयोग करते हैं उससे समाज में भी संगठन बना रहता है।

मुकर्जी का मानना है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित मूल्यों में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों में तालमेल बना रहता है और समाज में व्यवस्था और सन्तुलन बना रहता है। उदाहरणार्थ—परिस्थितिगत स्तर पर प्राकृतिक साधनों के उपयोग सम्बन्धी मूल्य होते हैं, आर्थिक स्तर पर—आय का वितरण, समाज-कल्याण व जीवन-स्तर से सम्बन्धित मूल्य होते हैं, राजनैतिक स्तर पर समानता, सत्ता व स्वतन्त्रता आदि से सम्बन्धित मूल्य होते हैं, वैधानिक स्तर पर न्याय, समानता, स्वतन्त्रता व सुरक्षा आदि से सम्बन्धित मूल्य होते हैं। उसी भाँति सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था से सम्बन्धित मूल्य होते हैं। नैतिक स्तर पर सहयोग, सहानुभूति, प्रेम व न्याय आदि से सम्बन्धित मूल्य होते हैं—इस प्रकार मुकर्जी के मत में सुसंस्कृत समाज का प्रथम सक्षम सर्वश्रेष्ठ मूल्य ही होते हैं। मूल्यों के साथ सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

## सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्य और मूल्य

क्र स	सामाजिक विज्ञान	प्रकार्य	संस्थानिक मूल्य
1	मानवीय परिस्थितिकी	प्रभुत्व, आरक्षण, सातत्य	उपयुक्तता
2	मनोविज्ञान	व्यवहार	समग्रता
3	समाज विज्ञान	सम्प्रेषण और प्रस्थिति	संगठनात्मक एकता
4	अर्थशास्त्र	विकल्प चयन	जनकल्याण
5	राजनैतिकशास्त्र	स्वतन्त्रता एवं नियन्त्रण	समानता
6	न्यायशास्त्र	सुरक्षा, सामाजिक सम्बन्ध	सुरक्षा
7	नीतिशास्त्र	नैतिक मूल्यों का उत्थान	निःस्वार्थता

मुकर्जी ने व्यक्ति, समाज और मूल्य में पाए जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों को दर्शाने के लिए दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसमें व्यक्ति को बत्ती, समाज को तेल और मूल्यों को ज्योति कहा गया है। तेल (समाज) के बिना बत्ती (व्यक्ति) अधूरी है, और ज्योति (मूल्यों) के बिना बत्ती और तेल (व्यक्ति और समाज) निरर्थक हैं। अर्थात् मूल्य ही अन्ततोगत्वा व्यक्ति और समाज के जीवन में ज्योति लाते हैं। मुकर्जी का कहना है कि “मनुष्य और समाज—तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनन्त आदान-प्रदान से मूल्य अनुभव की उजली, स्थिर ज्योति बनती है, जो कि हमारे नीरस और निरानन्द विश्व को निरन्तर प्रकाशित करती रहती है।”

मुकर्जी के मतानुसार यदि समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह सर्वोच्च मूल्यों की नियमित पूर्ति करता रहे। व्यक्तित्व की सर्वोत्तम खोज सुन्दरता, अच्छाई और प्रेम के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्य (Higher Spiritual Values of Beauty, Goodness and Love) है। इन्हीं के आधार पर संस्थाओं की सृष्टि और पुनःसृष्टि होती है। अतः सम्पूर्ण मानव-समाज और मानव-कल्याण के लिए मूल्य अति महत्वपूर्ण हैं।

### मूल्य और विमूल्य (Values and Disvalues)

राधाकमल मुकर्जी ने मूल्यों के साथ-साथ विमूल्यों का भी उल्लेख किया है। आपने नकारात्मक मूल्यों को ही विमूल्य या अपमूल्य कहा है—मुकर्जी का कहना है कि सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मूल्यों के साथ विमूल्य भी उपस्थित रहते हैं।

सामाजिक मान्यताओं की अवमानना करना अथवा सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही विमूल्य कहलाता है। अपराध, भ्रष्टाचार, ड्रेप, हिंसा, विघटन व शोषण आदि विमूल्य ही हैं। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है।

मूल्य और विमूल्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए मुकर्जी का मानना है कि 'सत्य की सदा विजय होती है' यह एक श्रेष्ठतम मूल्य का उदाहरण है, किन्तु 'राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता है' यह विमूल्य का उदाहरण है। 'क्षमा कर देना ही सबसे बड़ी सजा है' यह मूल्य है किन्तु 'खून का बदला खून' यह विमूल्य है। 'परिश्रम का फल मीठा होता है' यह एक उच्चतर मूल्य है, किन्तु 'जिओ और जीने दो' यह विमूल्य का उदाहरण है। इस प्रकार व्यक्ति मूल्योंकी अवहेलना करके विमूल्यों को स्वीकार कर लेता है। वैयक्तिक स्तर पर यैर्दमानों, हिंसा, घृणा व अवहेलना आदि विमूल्यों के उदाहरण हैं। "अपने पड़ोसी से प्रेम करो" सामाजिक मूल्य है, जबकि "दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो" विमूल्य का उदाहरण है। इसी प्रकार हिंसा, शोषण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और राजद्रोही गतिविधियाँ आदि विमूल्यों के उदाहरण हैं। विमूल्य उन संस्थाओं या व्यवहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, जो कानून और सामाजिक-संहिताओं की अवमानना करते हैं।

मुकर्जी के मतानुसार विमूल्यों की उत्पत्ति तीन कारणों से होती है—

(1) शारीरिक अथवा जैविकीय आवश्यकताएँ (Physical or Biological Necessities)—विमूल्यों की उत्पत्ति का प्रथम कारण जैविकीय है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं, जैसे—भोजन, आवास और वस्त्र आदि की भी पूर्ति नहीं कर पाता अर्थात् शारीरिक कष्ट, कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र व आवास की अपर्याप्तता, बीमारी व सुरक्षा का अभाव आदि असुविधाएँ उसे सताती हैं तो विमूल्यों की उत्पत्ति होती है।

(2) मानसिक आवश्यकताएँ (Mental Necessities)—मानसिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति को प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रस्थिति एवं सुरक्षा विषयक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में वह मानसिक तनावों एवं संघर्षों का शिकार हो जाता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसन्तोष के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है—इसके अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम एवं विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं, जो उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं—यही विमूल्य होते हैं।

(3) सामाजिक आवश्यकताएँ (Social Necessities)—सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति हो जाती है। जब व्यक्ति के समक्ष सघर्षात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो वह उनको सहन करने अथवा भुलाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। शराब पीना, पारिवारिक सन्तुलन में बाधा डालना आदि स्थितियाँ समाज में विघटन पैदा करती हैं—क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुःख-दर्द को भुलाने के लिए अत्यधिक शराब का सेवन करता है तो इससे उसके परिवार की सुख-शान्ति भंग होती है, आर्थिक कष्ट होता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है—इन सबसे पारिवारिक और फिर सामाजिक सन्तुलन विकृत हो जाता है—उससे उत्पन्न समस्याएँ समाज में विमूल्यों को विकसित करती हैं। इस प्रकार आवश्यकताओं का अभाव ही विमूल्यों का कारण होता है।

मुकर्जी के मत में विमूल्यों की वृद्धि से समाज में वैयक्तिक एवं सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है तथा रचनात्मक उपायों में विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यों की लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

सुधारात्मक उपायों में विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है तथा रचनात्मक उपायों में विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यों को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

### सामाजिक परिस्थिति विज्ञान (Social Ecology)

सामाजिक परिस्थिति सम्बन्धी विचार मुकर्जी ने अपनी कृति "सोशियल इकोलोजी" में स्पष्ट किए हैं। मुकर्जी का मानना है कि अर्थशास्त्र, जनताकिकी और प्रादेशिक समाजशास्त्र के सामान्य निष्कर्षों को परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। वास्तव में मुकर्जी अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपने अपने अमूल्य विचार व्यक्त किये हैं। आपने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच पाए जाने वाले भेद को कम करके, दोनों को निकट लाने का इस पुस्तक में प्रयास किया है। आपके सामाजिक परिस्थिति विज्ञान या परिस्थितिकी से सम्बन्धित विचारों का सविस्तार वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

### प्रादेशिक समाजशास्त्र (Regional Sociology)

"रीजनल सोशियोलोजी" (1926) मुकर्जी की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उन्होंने प्रादेशिकता के विषय में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी प्रदेश को प्राकृतिक विशेषताएँ वहाँ के वासियों की मनोवृत्तियों, प्रथाओं, आचारों, सस्थाओं और चरित्र को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने प्रादेशिक अर्थशास्त्र को ऐसे विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका सम्बन्ध एक भौगोलिक क्षेत्र का मानव व्यवहार और मानव जीवन के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के अध्ययन से है। इसमें विभिन्न प्रदेशों के लोगों के सामाजिक जीवन और उनके व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। वे प्रादेशिकता को भी मानव-व्यवहार की एक विशेष अभिव्यक्ति मानते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित, नियंत्रित और निर्देशित होती है। इस प्रकार प्रादेशिक समाजशास्त्र भी विज्ञान की एक शाखा है।

मुकर्जी प्रादेशिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन करने पर जोर देते हैं—

- (i) प्रादेशिक जीवन के जाल का अध्ययन।
- (ii) प्रदेश तथा प्रादेशिक समूह के सन्दर्भ में मानव परिस्थितिकी का अध्ययन।
- (iii) सामाजिक प्ररूपों के प्रादेशिक आधार का अध्ययन।
- (iv) आर्थिक एवं सामाजिक प्ररूपों के बीच अनुकूलन का अध्ययन।

- (v) राजनैतिक सम्बन्धों पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन, तथा,  
 (vi) प्रादेशिक समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन।

मुकर्जी के विचार में प्रत्येक प्रदेश वहाँ के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण को प्रस्तुत करता है, जो समान तथा स्थिर होता है। साथ ही प्रत्येक प्रदेश स्पष्टतया पहचाने जाने वाली विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं को जन्म देता है, तथा विशिष्ट सामाजिक प्ररूपों को भी जन्म देता है। इस प्रकार मुकर्जी अपने इस नवीन विज्ञान में प्रदेश के लोगों को एक साथ के रूप में स्वीकारते हैं।

प्रादेशिक समाजशास्त्र के सन्दर्भ में मुकर्जी तीन सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं।

(1) एक प्रदेश विशेष का प्रभाव सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं वैधानिक संस्थाओं पर सामान्य रूप से पड़ता है, इस कारण प्रादेशिक समाजशास्त्र इन सभी संस्थाओं को परस्पर घुली-मिली मानता है।

(2) प्रादेशिक समाजशास्त्र का कार्य-स्थान, कार्य और जनता (Place, Work and Folk) के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करना और उनके निष्कर्षों से नगरों और प्रदेशों में पाए जाने वाले नवीन जीवन का अध्ययन करना है।

(3) प्रादेशिक समाजशास्त्र जो सामाजिक अनुसन्धान करता है, उसका आधार सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि मुकर्जी अपने प्रदेश के साथ मानव का मात्र प्राकृतिक ही नहीं, अपितु मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध भी मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति को अपने जन्म-स्थान के प्रति अपनत्व एवं लगाव होता है इसी कारण वह वहाँ की भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, जीवन का तरीका, शिल्पकला व संस्कृति को सरलता से ग्रहण कर लेता है और उस जीवन से अपना समायोजन शीघ्रता से कर लेता है। व्यक्ति का जन्म-स्थल ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। प्रदेशों के मानव की सम्पूर्णता पर प्रभाव का अध्ययन करना प्रादेशिक समाजशास्त्र का लक्ष्य है। यद्यपि आधुनिक समय की परिस्थितियाँ मानव-जीवन को विपन्न बनाती जा रही हैं, फिर भी प्रदेश का प्रभाव उस पर विद्यमान है।

आर्थिक दृष्टि से देखे तो प्रत्येक प्रदेश का आर्थिक विकास और अवरोध दो कारणों से प्रभावित रहा है।

(i) उस क्षेत्र में प्राप्त प्राकृतिक सम्पदा और साधन, तथा

(ii) उस सम्पदा का उपयोग करने की मानव की क्षमता और संगठन का स्तर।  
 कृषि अथवा उद्योग, पशुपालन आदि सभी आर्थिक विकास के साधन मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और मानव को अपने प्रदेश की जलवायु, पशु-पक्षी, वनस्पति व खनिज पदार्थ आदि से अनुकूलन करना पड़ता है। यद्यपि आज विज्ञान के प्रभाव व नवीन आविष्कारों ने पर्यावरण के प्रभाव को क्षीण कर दिया है जो कि कुछ समय पूर्व तक अत्यधिक रूप में था।

मुकर्जी का मानना है कि प्रदेश विशेष में एक विशिष्ट संस्कृति जन्म लेती है जिसका कारण पर्यावरण और सामाजिक कारणों के बीच की अन्तःक्रिया होता है। प्रत्येक प्रदेश की संस्कृति अलग होती है और इसके कारण कोई भी दो प्रदेश परस्पर भिन्नता लिए

हुए होते हैं। यह भिन्नता उन्हे राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग कर देती है जिसके कारण प्रान्तवाद अथवा संकुचित प्रादेशिकता की भावना विकसित होती है। यह संकुचित प्रादेशिकता की भावना अपने प्रदेश की भाषा और संस्कृति को श्रेष्ठ और अन्य को हीन मानती है। परिणामस्वरूप उस प्रदेश के लोग अपने लिए राजनैतिक और आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय हितों को कोई महत्त्व नहीं देते। परिणाम यह होता है कि प्रादेशिक भक्ति तो चढ़ती जाती है और राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होती जाती है।

अतः मुकूर्जी की मान्यता है कि जब प्रदेशवाद की भावना बलवती हो जाती है तो वह नियंत्रण के बाहर हो जाती है और एक विद्रोह के रूप में उभरती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि उसे सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए।

### सामाजिक पुनर्निर्माण (Social Reconstruction)

मुकूर्जी ने सामाजिक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में भी अपने महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए व इसके लिए एक योजना प्रस्तुत की है। मुकूर्जी का कहना है कि जय समाज में सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है अथवा संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो ऐसी समस्यात्मक स्थिति में सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है जिससे समाज को पुनः सगठित किया जा सके, किन्तु सामाजिक पुनर्निर्माण सभी समाजों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक समाज की समस्याएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। आधुनिक समय में समाजों में व्याप्त पक्षपात, घृणा, सन्देह आदि के कारण समस्याओं की अधिकता हो गई है। परिणामस्वरूप असन्तुलन एवं विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मानव में अहवाद व आक्रामक व्यवहार की अधिकता हो गई है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण की अतीव आवश्यकता है। मुकूर्जी के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण निम्नलिखित रूप से हो सकता है।

(i) सामाजिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण (Reconstruction in Social Field)—वर्तमान समय में औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चात्त्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, इसका प्रभाव यह हुआ है कि अद्य समाज के मूल्यों में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। मानव-मनोवृत्ति व आदतें भी बदल रही हैं। समाज का नियंत्रण ढीला होता जा रहा है। इसका प्रभाव परिवार व जाति प्रथा पर भी पड़ रहा है। जाति प्रथा समाप्त हो रही है। ग्रामीण-समुदायों का हास हो रहा है, संयुक्त परिवार समाप्त हो चले हैं। इन सबका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है, सामाजिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के अन्तर्गत उन कारणों की खोज करनी होगी जो सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं व उनमें सन्तुलन ला रहे हैं। पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण से इन समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है। परिवर्तन के कारण जो समस्याएँ आ गई हैं उनको दूर करके परिवार व समाज के आदर्शों, मूल्यों को विकसित करना आवश्यक है जिससे सामाजिक अनुकूलन हो सके। साथ ही ऐसे नियमों को विकसित करना आवश्यक है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सके।

(ii) आर्थिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण (Reconstruction in Economic Field)—आर्थिक दृष्टिकोण से भी पुनर्निर्माण की अतीव आवश्यकता है, इसके लिए अनेक महत्त्वपूर्ण



कार्य किए जा सकते हैं, जैसे—ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकाधिक विकास करना आवश्यक है तथा समाज की अनेक कुरीतियों, जैसे—दहेज, बालविवाह, पर्दाप्रथा व विधवा पुनर्विवाह निषेध आदि के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए। नगरों में श्रमिक और पूँजीपतियों के सम्बन्धों में सुधार, श्रमिकों को शोषण-मुक्त कराकर उन्हें उनके अधिकारों को दिलवाना आवश्यक है। श्रमिकों के लिए सामाजिक कल्याण व सुरक्षा आदि की सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iii) राजनैतिक पुनर्निर्माण (Political Reconstruction)—मुकुर्जी राजनैतिक पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 'मानव जाति के राष्ट्रमण्डल' की स्थापना करने का सुझाव देते हैं जिससे विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवादों को निपटाने, प्रतिस्पर्द्धा को कम करने, गलतफहमियों को दूर करने और राष्ट्रों में परम्पर भाई-चारे की भावना पैदा करने का कार्य हो सके। इससे राष्ट्रों के बीच का संपर्क कम होगा और सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली बन सकेंगे किन्तु इन सबके लिए कुछ राजनैतिक मूल्यों का विकसित करना आवश्यक है, यथा—प्रत्येक देश अपने पड़ोसी देश के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्वीकारे तथा समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, राजभक्ति और सत्ता आदि के मूल्यों को अपनाए। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग और न्याय की वृद्धि होगी व विश्वस्तर पर सबकी उन्नति होगी।

(i) औद्योगिक पुनर्निर्माण (Industrial Reconstruction)—मुकुर्जी का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि की जाए किन्तु श्रमिकों का आर्थिक शोषण न हो, न ही उनकी छँटनी की जाए। इस प्रकार मुकुर्जी मशीनों का विरोध नहीं करते किन्तु वे श्रमिक और मशीनों के मध्य ऐसा तालमेल चाहते हैं जिससे श्रमिकों का शोषण भी न हो और उत्पादन में वृद्धि हो सके। श्रमिकों को उनकी सेवा का उचित भुगतान मिल सके, जिससे वे सुखी रह सकें।

मुकुर्जी पाश्चात्य देशों की नकल का भी विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ का पर्यावरण यहाँ से भिन्नता लिए हुए है। अतः पाश्चात्य देशों की नकल करके हम अपनी आर्थिक व सामाजिक परम्पराओं को अवहेलना ही करेंगे, जो देश की उन्नति में बाधक होगा।

इस प्रकार मुकुर्जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह कहना चाहा है कि आज जो मूल्यों का हास हो रहा है, जीवन-शैली में बदलाव आ रहा है, उसमें व्यक्ति को क्या भूमिका होनी चाहिए। मुकुर्जी समाज-विज्ञान के अग्रज रहे हैं, वे ऐसे समाज-विचारक रहे हैं जिनके विचारों का महत्त्व सर्वव्यापी है। वे एक दार्शनिक, विचारक, रहस्यवादी एवं समाज वैज्ञानिक के रूप में सर्वमान्य रहे हैं।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

1. मुकुर्जी की जीवनी एवं कृतियों पर प्रकाश डालिए।
2. 'मूल्यों का समाजशास्त्र' पर मुकुर्जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
3. समाजशास्त्र के क्षेत्र में राधाकमल मुकुर्जी के योगदान को चतुर्दश।

4. मुकर्जी का "सामाजिक विज्ञान का सिद्धान्त" स्पष्ट कीजिए।
5. प्रादेशिकता एवं प्रादेशिक समाजशास्त्र पर मुकर्जी के विचार स्पष्ट कीजिए।
6. मुकर्जी कृत मूल्यों के उद्द्विकासो को स्पष्ट करते हुए मूल्यों की विशेषताएँ बताइए।
7. 'मूल्यों का सस्तरण' में आपका क्या अभिप्राय है? सामाजिक मूल्यों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
8. राधाकमल मुकर्जी के समाज विज्ञान के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।  
(राज. वि 1996)
9. राधाकमल मुकर्जी के सामाजिक मूल्यों के सिद्धान्त की आलोचनात्मक जाँच कीजिये।  
(राज. वि 1996)

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

1. मुकर्जी के अनुसार मुक्त-व्यवस्था के प्रमुख
2. मुकर्जी के अनुसार समाज के तीन प्रमुख प्रकार्य
3. समाज का महाविज्ञान
4. सामाजिक मूल्य की दो परिभाषाएँ
5. सामाजिक मूल्यों की तीन विशेषताएँ
6. सामाजिक मूल्यों का महत्त्व
7. प्रादेशिक समाजशास्त्र
8. सामाजिक परिस्थितिकी
9. सामाजिक पुनर्निर्माण

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राधाकमल मुकर्जी किस राज्य के निवासी थे?  
(अ) राजस्थान (ब) उत्तरप्रदेश  
(स) पश्चिमी बंगाल (द) बिहार  
[उत्तर- (स)]
2. राधाकमल मुकर्जी का जन्म कब हुआ था?  
(अ) 1889 (ब) 1893  
(स) 1894 (द) 1844  
[उत्तर- (अ)]
3. राधाकमल मुकर्जी का देहान्त कब हुआ था?  
(अ) 1983 (ब) 1968  
(स) 1962 (द) 1964  
[उत्तर- (ब)]
4. 'इन्स्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोशियोलॉजी' किसने लिखी है?  
(अ) राधाकमल मुकर्जी (ब) डॉ. डी. पी. मुकर्जी  
(स) दुर्खॉम (द) वेबर  
[उत्तर- (अ)]

5. 'सोशियल इकोलोजी' 1945 के रचयिता कौन हैं?  
 (अ) ग्रुये (ब) श्रीनिवास  
 (स) राधाकमल मुकर्जी (द) चेंबर  
 [उत्तर-(स)]
6. मूल्यों के आधार पर समाज का सामान्य सिद्धान्त किस भारतीय समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया है?  
 (अ) डॉ. डी. पी. मुकर्जी (ब) राधाकमल मुकर्जी  
 (स) जी. एस. ग्रुये (द) एम एन श्रीनिवास  
 [उत्तर-(ब)]
7. निम्नांकित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए—  
 (1) राधाकमल मुकर्जी के अनुसार परिस्थितिशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज एक प्रदेश है।  
 (2) राधाकमल मुकर्जी ने लिखा है कि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज एक वर्ग नहीं है।  
 (3) राधाकमल मुकर्जी का कहना है कि नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज चरित्र निर्माण के लिए सहभागिता है।  
 (4) राधाकमल मुकर्जी के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज एक संस्था है।  
 [उत्तर-सत्य कथन— (1); (3), (4)]
8. 'दा डायमेन्शन्स ऑफ वैल्यूज' के लेखक कौन हैं?  
 (अ) राधाकमल मुकर्जी (ब) रामकृष्ण मुकर्जी  
 (स) डॉ. पी. मुकर्जी (द) श्रीनिवास  
 [उत्तर-(अ)]
9. राधाकमल मुकर्जी ने मूल्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है?  
 (अ) दो (ब) चार (स) छः (द) पाँच  
 [उत्तर-(अ)]
10. मूल्यों को दो वर्गों—(1) साध्य-मूल्य, और (2) साधन-मूल्य में किस विद्वान ने विभाजित किया है?  
 (अ) चेंबर (ब) दुर्खीम  
 (स) पैरी (द) राधाकमल मुकर्जी  
 [उत्तर-(द)]
11. सामाजिक परिस्थितिकी के प्रमुख दो पहलू—(1) व्यावहारिक परिस्थितिकी और (2) समुदाय परिस्थितिकी—किसने बताए हैं?  
 (अ) डॉ. पी. मुकर्जी (ब) चेंबर  
 (स) राधाकमल मुकर्जी (द) दुर्खीम  
 [उत्तर-(स)]

## राधाकमल मुकर्जी : सामाजिक पारिस्थितिकी (Radhakamal Mukerjee : Social Ecology)

राधाकमल मुकर्जी ने विश्वविख्यात पुस्तक 'Social Ecology' सन् 1945 में लिखी थी। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। मूलतः आप अर्थशास्त्री थे। आपने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र में भी पुस्तकें एवं अनेक लेख लिखे थे। आपकी पुस्तक Regional Sociology भी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अनेक पुस्तकों एवं लेखों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मतभेदों को कम करने एवं इनमें परस्पर निकटता लाने का प्रयास किया है। सामाजिक पारिस्थितिकी (Social Ecology) कृति में भी आपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ साथ जीव विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थिति विज्ञान के अनेक उदाहरण देकर इनमें परस्पर सम्बन्धों तथा निर्भरता पर भी प्रकाश डाला है। राधाकमल मुकर्जी की इस पुस्तक 'सामाजिक पारिस्थितिकी' में कुल पन्द्रह अध्याय हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक में भूमिका एवं अनुक्रमणिका भी दी गई है। आपने पुस्तक की भूमिका में विस्तार से परिस्थितिकी एवं समाजशास्त्र के परस्पर सम्बन्धों, अन्तर तथा परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डाला है। पुस्तक में जो विषय लिए गए हैं वे अध्यायवार क्रम से निम्न प्रकार हैं— अध्याय I समाज और सहजोचितता, II प्रतिस्पर्धा और विशेषीकरण की सीमाएँ, III प्रभुत्व और दूरी के प्रकार्य; IV पारिस्थितिक एवं सामाजिक पिरामिड, V मानवीय समूहों की गतिशीलता एवं परिचालन, VI जनसंख्या का पारिस्थितिक संतुलन, VII प्रस्थिति—पारिस्थितिक और सामाजिक, VIII मानव की सामाजिक और नैतिक सीमाएँ, IX पारिस्थितिक एवं सामाजिक गतिशीलता, X समय, तकनीक एवं समाज, XI सामाजिक गतिशीलता की स्वतंत्रता, XII पारिस्थितिक एवं सामाजिक संगठन के सांस्कृतिक प्रतिमान, XIII आर्थिकी के पीछे पारिस्थितिकी, XIV राजनीति के पीछे पारिस्थितिकी, और XV सामाजिक संतुलन।

### पुस्तक का उद्देश्य (Aim of the Book)

राधाकमल मुकर्जी का इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना, और ऐसी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विकास करना रहा है जिसके द्वारा सामाजिक पारिस्थितिकी को नवीन प्रक्रियात्मक और परिमाणात्मक समाजशास्त्र का आधार बनाया जा सके। मुकर्जी ने इस कृति में प्रमुख पारिस्थितिकी-अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो समाजशास्त्र के ढाँचे को पुनः निश्चित करने में सहायक हो सकेंगे। मुकर्जी के अनुसार, समाजशास्त्र के अध्ययन को भौतिक इकाई, क्षेत्र होती है। क्षेत्र एक प्रकार से व्यक्तियों का

पारिस्थितिकी समूहन है, एक आर्थिक ढाँचा और सांस्कृतिक व्यवस्था है। आपने लिखा है, "एक अर्थ में, इस पुस्तक को तुलनात्मक सामाजिक पारिस्थितिकी को लिखने का एक प्रयास माना जाए जिस पर तुलनात्मक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की आधारशिला स्थित है।" आपकी मान्यता है कि—प्रदेश, जनसंख्या और समाज—तीन पृथक् कारक नहीं हैं। ये परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक स्वाभाविक प्राकृतिक सन्तुलन बनाते हैं। प्रत्येक को दूसरे के सन्दर्भ में समझना चाहिए।

### सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र (Scope of Social Ecology)

राधाकमल मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र स्पष्ट करते हुए लिखा है, "सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र मानव की सामाजिक संरचनाओं और कार्यों का व्यवस्थान, प्रदेश, व्यवसाय और समाज की अन्तःक्रिया की प्रक्रियाओं—पर्यावरण के प्रकार्य और जीव के समाजशास्त्रज्ञों समकक्ष—जिनसे सभी सामाजिक घटनाएँ उत्पन्न होती हैं, का अध्ययन करना है।"

### प्रमुख अवधारणाएँ (Major Concepts)

मुकर्जी ने अपनी कृति में सामाजिक पारिस्थितिकी तथा इससे सम्बन्धित निम्न प्रमुख अवधारणाओं की परिभाषाएँ दी हैं—

(1) सामाजिक पारिस्थितिकी (Social Ecology)—मुकर्जी के अनुसार, सामाजिक पारिस्थितिकी स्थान, व्यवसाय और समय, व्यक्तियों और समूहों की प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्थान और उत्तराधिकार की प्रक्रियाओं के सम्बन्धों का अध्ययन करती है। दूसरी ओर समाज व्यक्ति का सीमित पर्यावरण में संख्या वृद्धि के लिए पारिस्थितिक अनुकूलन है और इसीलिए सभी मानवीय अन्तःक्रियाओं को व्याख्या पारिस्थितिकी प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है।

मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी का समाज से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए लिखा है, "सामाजिक पारिस्थितिकी समाज को मानव की जनसंख्या वृद्धि के प्रति अनुक्रिया मानती है, जो श्रम के विभाजन और सामाजिक संगठन की पहल एवं सुधार करती है और उपकरणों की सम्पदा, व्यवसायों, जीवन के प्रतिमानों और परम्पराओं का संचारण करती है। प्रत्येक क्षेत्र में समाजशास्त्र के अन्वेषण की इकाई समुदाय होती है न कि मानव, सम्बन्ध होते हैं न कि व्यक्ति। मानव सम्बन्ध पारिस्थितिकी और संस्कृति से व्यवस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(2) मानव पारिस्थितिकी (Human Ecology)—मुकर्जी ने मानव पारिस्थितिकी के सम्बन्ध में लिखा है, "सामाजिक पारिस्थितिकी पर्यावरण से मानव के व्यवस्थान के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन करती है।" मानव पारिस्थितिकी की दो उप-शाखाएँ हैं— (1) संपारिस्थितिकी और (2) स्वपारिस्थितिकी। आपने इन दो उप-शाखाओं का वर्णन इस आधार पर किया है कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण के कारक—व्यक्ति एवं समुदाय—दोनों को प्रभावित करते हैं।

2.1 संपारिस्थितिकी या सामुदायिक पारिस्थितिकी (Synecology)—मुकर्जी ने मानव पारिस्थितिकी के समुदाय पक्ष को सामुदायिक पारिस्थितिकी या संपारिस्थितिकी

कहा है। इसमें पर्यावरण सम्बन्धी कारकों का प्रभाव समुदाय पर तथा समुदाय की पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मुकर्जी का कहना है, मानव पारिस्थितिकी के सामुदायिक पक्ष को भी सामुदायिक पारिस्थितिकी कह सकते हैं। इसके अन्तर्गत मानव जीवशास्त्र, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान तथा तकनीकी के साथ पारिस्थितिकी की अन्तःक्रिया के कारण प्राप्त अन्तःवैज्ञानिक दृष्टिकोण आते हैं। सामाजिक प्रगति को पारिस्थितिकी या पर्यावरण सम्बन्धी कारक प्रभावित करते हैं। इनका अध्ययन लाभकारी है।

**2.2 स्वपारिस्थितिकी या वैयक्तिक पारिस्थितिकी (Autecology)**— स्वपारिस्थितिकी पर्यावरण सम्बन्धी कारकों के प्रति व्यक्ति को प्रतिक्रिया का अध्ययन करती है। मुकर्जी ने लिखा है कि स्वपारिस्थितिकी व्यक्ति का अध्ययन पर्यावरण, भौतिक और जैविक के सम्बन्ध में करती है।

स्वपारिस्थितिकी और मपारिस्थितिकी—दोनों परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर एवं अन्तर्सम्बन्धित हैं। मुकर्जी का मानना है कि जैसे-जैसे समाज की प्रगति होती है, वैसे-वैसे मानव मस्तिष्क का कार्य और महत्त्व बढ़ता जाता है और पारिस्थितिकी अवस्थाओं का महत्त्व व कार्य घटता जाता है, किन्तु मानव प्रगति के साथ पर्यावरण का प्रभाव समाप्त नहीं होता है बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कारकों का प्रभाव तो मानवीय सम्बन्धों तथा उसकी मृजन करने की क्षमता पर पड़ता ही है जो सामाजिक प्रगति को भी निर्देशित एवं नियन्त्रित करता है। इस रूप में पारिस्थितिकी—व्यक्ति और समुदाय—दोनों को प्रभावित करती है। वैयक्तिक-पारिस्थितिकी और समुदाय-पारिस्थितिकी दोनों परस्पर अन्तर्सम्बन्धित हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण सम्बन्धी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसका प्रभाव समुदाय पर पड़ता है और समुदाय की पर्यावरण के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति व समुदाय दोनों को ही कुछ सीमा तक पर्यावरण से भी अनुकूलन करना होता है—निष्कर्षतः पारिस्थितिकी के कारक—व्यक्ति और समुदाय—दोनों को ही प्रभावित करते हैं। पर्यावरण से अनुकूलन व्यक्ति और समुदाय दोनों करते हैं।

**(3) व्यावहारिक पारिस्थितिकी (Applied Ecology)**—यह सामाजिक पारिस्थितिकी का वह पक्ष है जो जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशुजगत् के पारिस्थितिकी सन्तुलन के साथ कारण-प्रभाव सम्बन्धों का अध्ययन करता है। यह उपयोगी एवं व्यावहारिक पक्ष का विशेष ध्यान रखता है अर्थात् समाज के विकास के स्वरूपों के सन्दर्भ में अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना है एवं सामान्यीकरण करता है।

**(4) अध्ययन की इकाई : मानव प्रदेश (Unit of Study Human Region)**—मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन की इकाई मानव प्रदेश बताई है। आपने इसके महत्त्व को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है—“मानव सम्बन्धों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक-दूसरे के साथ अन्तःक्रिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों तथा पौधे, पशु एवं अन्य निर्जीव पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अन्तर्सम्बन्धों को ठीक तरह से समझ सकते हैं। सम्भवतः मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समन्धाओं को प्रादेशिक संकुल से पृथक् करके पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है।”

## सामाजिक पारिस्थितिकी के कार्य (Functions of Social Ecology)

राधाकमल मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के तीन महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार हैं—

(1) अनुकूलन (Adaptation)—मुकर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य मानव और मानवीय सस्थाओं का एक विशिष्ट प्रदेश के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया का चयन करना होता है। इस अनुकूलन में—प्राकृतिक और जैविक—दोनों प्रकार के कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक कारकों के अन्तर्गत प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, भूमि की रचना, जैसे—पठार, पहाड़, दलदल क्षेत्र, समतल भूमि आदि आते हैं उनके साथ अनुकूल के साथ-साथ जैविक कारकों, जैसे—पेड़-पौधे, एवं पशुजगत के साथ अनुकूलन करना भी सम्मिलित है।

(2) संगठनात्मक सम्बन्ध (Integrating relations)—मानव की क्रियाओं को संगठित करने वाली कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनका पता लगाना सामाजिक पारिस्थितिकी का द्वितीय कार्य है। ये संगठनात्मक शक्तियाँ स्थानिक, भोजन सम्बन्धी एवं पर्यावरण सम्बन्धी कारक होती हैं। इन कारकों एवं शक्तियों को खोज निकालना ज्ञान-विज्ञान का कार्य है।

(3) सन्तुलन को मापना (To measure equilibrium)—सामाजिक पारिस्थितिकी का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य एक प्रदेश विशेष में मानव एवं अन्य सजीव और प्राकृतिक कारकों में परस्पर दबावों का अध्ययन करके सन्तुलन की स्थिति को ज्ञात करना है। मानव के स्थायित्व, अस्तित्व और प्रभुत्व की स्थिति ज्ञात करना कि उसके ऊपर अन्य कारकों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है अथवा प्रतिकूल। मानव समाज की स्थिति कैसी है? ये कुछ बतते सामाजिक पारिस्थितिकी द्वारा ज्ञात की जाती हैं।

### पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन (Ecology and Adaptation)

मुकर्जी पारिस्थितिकी के अन्तर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं के महत्व को मानते हैं, क्योंकि इनके साथ आज भी व्यक्ति को अनुकूलन करना पड़ रहा है, भले ही उसने विज्ञान की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली हो।

मुकर्जी का मानना है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि मानव प्रकृति का अनुसरण नहीं करेगा तो उसमें (प्रकृति में) अगन्तुलन पैदा हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक विपत्तियों के आने की सम्भावना रहेगी। इस कारण पारिस्थितिगत ताल-मेल अत्यावश्यक है। मुकर्जी का कहना है कि किसी रूतु-विशेष एवं प्रदेश-विशेष में कुछ विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण दिखाई देता है, जिसके साथ व्यक्ति को अनुकूलन करना पड़ता है। उन्होंने सामंजस्य को चर्चा करते हुए कहा है, "जीवन के जाल के जटिल, बहुविध तथा विस्तृत धारों जोवित विश्व के विभिन्न अंशों को एक साथ बाँधते हैं, इसीलिए उनमें सामंजस्य का बना रहना अत्यन्त आवश्यक है। एक प्रदेश के पेड़-पौधों की निर्मम कटाई करके देखिए अथवा खरीफ के स्थान पर रबी की फसल की बुवाई करके देखिये अथवा मच्छरों की वृद्धि को रोकिये तो इन सबकी विपरीत प्रतिक्रिया दिखाई देगी। भारत में मच्छरों के प्रकोप के कारण असम और बंगाल में मलेरिया का प्रकोप अत्यधिक होता

है—इन परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए वहाँ की जलवायु में चाय की खेती खूब होती है जिसके सेवन से मलेरिया के फैलने पर रोक लगती है।” इस प्रकार मुकर्जी के मत में परिस्थितिगत विशेषताएँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं और असन्तुलन को रोकती हैं।

मुकर्जी ने धर्म, जादू-प्रथा, परम्परा और विश्वास आदि सभी पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। आदिम समाज में एक प्रथा ‘टोटम’ प्रचलित है। जिसमें कुछ विशेष प्रकार के पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों को मारना निषिद्ध होता है। इसका कारण यह है कि पेड़-पौधों अथवा पशु-पक्षियों को माने से पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण ‘टोटम’ के माध्यम से इस प्रकार का निषेध लगाया गया है। आदिम समाजों में तूफान को रोकने व वर्षा लाने के लिए जादू का प्रयोग किया जाता है इसके पीछे भी उद्देश्य पर्यावरण पर मनुष्य का नियन्त्रण स्थापित करना है। टोडा जनजाति में भैंसों से सम्बन्धित कई प्रथाएँ व कर्मकाण्ड प्रचलित हैं, जैसे—ये लोग भैंसों को पवित्र मानते हैं और भैंस-पालन से ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं इन सबके पीछे भी सभी का उद्देश्य पशु-जगत से सम्बन्ध बनाए रखना ही होता है। कृषि कार्य के पूर्व खेतों की पूजा करना, विवाह में सभी देवी-देवताओं का आह्वान करना आदि का उद्देश्य भी पर्यावरण की विभिन्न शक्तियों के साथ मानवीय सम्बन्धों के सन्तुलन को ही प्रकट करता है। इसी प्रकार प्रथाएँ भी पर्यावरण के सन्तुलन को स्पष्ट करती हैं, उदाहरण के लिए हिन्दुओं में विवाह के अवसर पर ‘घृत’ पूजने की प्रथा है। उसका उद्देश्य भी प्राकृतिक शक्तियों को मान्यता प्रदान करना है।

मुकर्जी ने परिस्थिति की अवस्थाओं एवं शक्तियों के साथ मानव के अनुकूलन की निम्नलिखित तीन स्तरों पर चर्चा की है—

(1) प्राचीन समय में ज्ञान, विज्ञान का विकास कम था। अतः उस समय लोग पर्यावरण पर अत्यधिक निर्भर थे क्योंकि प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था।

(2) इसके पश्चात् व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ तार्किक और क्रमवद्ध अनुकूलन किया।

(3) इसके बाद की स्थिति आधुनिक काल की है जिसमें पर्यावरण को मानव का सहयोगी माना जाता है। वह (व्यक्ति) पर्यावरण में छिपी असोमित सम्भावनाओं की खोज करके उनका उपयोग जन-कल्याण के लिए कर सकता है। व्यक्ति आज चन्द्रमा पर जा पहुँचा है। इससे स्पष्ट है कि आज व्यक्ति पारिस्थितिकी के साथ अपने प्रगाढ़ सम्बन्धों को बनाए हुए है। आज व्यक्ति प्रकृति का दास नहीं, उसका सहयोगी है।

### मानव समाज में पारिस्थितिकीय प्रक्रियाएँ (The Ecological Processes in Human Society)

इस आलोच्य पुस्तक में आपने अनेक स्थलों पर पहले जीव-जन्तुओं और पारिस्थितिकी तथा वनस्पति और पारिस्थितिकी की विषय-वस्तु, अध्ययन के क्षेत्र, महत्व आदि पर प्रकाश डाला है। इसके बाद आपने मानव, मानव समाज, संस्कृति, आर्थिकी, स्तरीकरण, जनसंख्या, वितरण, सन्तुलन, क्षेत्रीय एवं सामाजिक गतिशीलता, सहयोग आदि अनेक समाजशास्त्रीय एवं सामाजिक विज्ञान की प्रक्रियाओं पर पारिस्थितिकी के सन्दर्भ में प्रकाश डाला है। भाषका दृढ़ विश्वास है कि अर्थशास्त्र, जनािकी और प्रादेशिक समाजशास्त्र



के निष्कर्षों, सामान्यीकरणों तथा ज्ञान का उपयोग पारिस्थितिकी के क्षेत्र में किया जा सकता है और इसी प्रकार से पारिस्थितिकी का प्रभाव अर्थशास्त्र, जनान्तिकी और समाजशास्त्र से सम्बन्धित अवधारणाओं, अध्ययन-विषयों एवं प्रक्रियाओं पर देखा जा सकता है। आपने समाजशास्त्र की संरचना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो निम्न हैं—

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| (1) वितरण           | (2) श्रम का विभाजन         |
| (3) गतिशीलता        | (4) प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग |
| (5) स्तरीकरण        | (6) अनुक्रमण एवं आक्रमण    |
| (7) सामाजिक सन्तुलन |                            |

मुकर्जी ने उपर्युक्त प्रक्रियाओं का विवेचन प्रथम अध्याय : समाज और सहजीवन के अन्तर्गत किया है। आपके अनुसार ये प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं—

(1) वितरण (Distribution)—बहुत समय से भूगोल उन भौतिक कारकों का अध्ययन करता रहा है जो जनसंख्या के वितरण और स्रोतों को संसार में नियन्त्रित करते हैं। अर्थशास्त्र ने इसके ज्ञान में बड़े उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और बाजार के स्थानीयकरण के कारणों, आधुनिक संचार और यातायात के साधनों के प्रकारों तथा उत्प्रवास जो किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के संकेन्द्रण का नियन्त्रण करते हैं, का अन्वेषण करके वृद्धि की है। नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों का नियन्त्रण प्राकृतिक सम्पदा और फसलों के वितरण द्वारा होता है। मानव पारिस्थितिकी जीवन के प्रतिमानों का पूर्णता में अध्ययन करती है जिसमें वनस्पति, जीव-जन्तु और मानव संगठनों का अध्ययन भी सम्मिलित है। सभ्यता जलवायु, स्थलाकृति और खाद्य वनस्पति, जीव तथा दूसरी सम्पदाएँ जो जनसंख्या वितरण, वास स्थान, उद्योग और जीवन की कला को नियन्त्रण करती है, के अध्ययन करने के साथ-साथ संचार और यातायात के साधनों, रेल और जलमार्ग, रेल-इन्जन, भाप-जहाज और स्वचालित वाहन, दैनिक-समाचार, और टेलीफोन का भी अध्ययन करती है। इसके अतिरिक्त सभ्यता सामाजिक अभिवृत्ति, प्रथाएँ, टैरिफ सूची और उत्प्रवास कानून जो मानव परिचालन को नियंत्रित करता है, जनसंख्या का विसर्जन या संकेन्द्रण का भी अध्ययन करती है। ये सभी पारिस्थितिकी शक्तियाँ हैं जो मानव समूहों का वितरण और उत्प्रवास तथा पृथक्करण का नियन्त्रण आवास और व्यवसाय के आधार पर करती है। प्रतिस्पर्धा, सम्पदाओं के दोहन में श्रम के विभाजन और विशेषीकरण के द्वारा मानव समुदाय—उपग्राम (दाण्डी), ग्राम, कस्बा और नगर में अपने को वितरित करती हैं। ये सभी सम्बन्धित इकाइयाँ—उपग्राम, ग्राम, कस्बा और नगर पारिस्थितिकी प्रक्रिया, जैसे—श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, परिचालन और संकेन्द्रण के परिणाम हैं।

(2) श्रम का विभाजन (Division of Labour)—प्राग्जन्म समाज में श्रम का विभाजन आयु, लिंग, प्रजाति और वर्ग और व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न क्षमताओं पर आधारित होता है। मानव समुदायों में रुचियों की भिन्नता एवं क्षमता तथा आविष्कारशीलता के कारण श्रम का विभाजन बहुत अधिक विस्तृत, बहुत अधिक स्टीरियोटाइप (रूढ़िबद्ध) और बहुत अधिक परिवर्तनीय हो गया है। सभी पारिस्थितिक कारक एवं शक्तियाँ, जैसे—मौसम या जलवायु सम्बन्धी कारक, खाद्य पदार्थों को उपलब्धि, प्रजनन की क्रिया, रिक्तियों का पालन-पोषण एवं सन्तानों की संख्या, महामारियाँ आदि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि आदि मानव के क्षेत्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों का प्रभाव जनसंख्या

के घनत्व पर भी पड़ता है। पर्यावरण की अनुकूलनता की मात्रा का प्रभाव एक-विवाह और बहुपत्नी एवं बहुपति विवाह की परम्परा पर भी पड़ता है। मुकर्जी ने लिखा है कि गतिशीलता एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है जो जीवों की जनसंख्या के उपयुक्त घनत्व और वितरण को बनाती है।

(3) गतिशीलता (Mobility)—गतिशीलता या उत्प्रवास का नियम जीवों एवं मानव जगत में हमेशा रहा है। कमजोर को परिधि या बस्ती के बाहर ढकेल दिया जाता है तथा शक्तिशाली केन्द्र पर कब्जा कर लेते हैं। जी. टायलर के अनुसार सभी प्रजातियों का उद्भव केस्पियन समुद्र के पास सामान्य शैशव भूमि में हुआ था। प्रमुख प्रजातियाँ एशिया के पाँच क्षेत्र मण्डलों में स्थित हो गईं तथा बहुत अधिक आदिम प्रकारों को दुर्गम स्थान में ढकेल दिया गया। उत्प्रवासन की पारिस्थितिकी हमें पूर्व-ऐतिहासिक काल के प्रारम्भिक मानवों के भटकने और भिन्नताओं को समझने में सहायता करती है। भोजन की उपलब्धता तथा खाद्य सामग्री के क्षेत्रों के अनुसार मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। मुकर्जी लिखते हैं कि व्यावहारिक पारिस्थितिकी ने हमें आयात किए गए पेड़-पौधों, जीवों और कोट-पतंगों का नवीन आवास-स्थल में सफलता और असफलता के सम्बन्ध से अवगत कराया है। विल्कुल भिन्न स्थिति में पौधे, जीव या मानवों का पतन हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक पारिस्थितिकी प्रभवी जाति, वर्ग, प्रजाति आदि से सम्बन्धित भौगोलिक गतिशीलता का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है।

(4) प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग (Competitive Co-operation)—मुकर्जी, रूसी जीव-वैज्ञानिक गाँस (Gause) एवं हल्डेन (Haldane) ने जीवों में परस्पर सघर्ष, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा पर नवीन दृष्ट्य एवं विचार व्यक्त किए हैं। डार्विनवाद में सघर्ष को मानव-व्यवहार की व्याख्या के सम्बन्ध में एक-तरफा तथा आज गुमराह करने वाला माना जाता है। हल्डेन ने अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि जब तक एक जाति (स्पीशीज) मुख्य रूप से दूसरी जाति अथवा बाह्य प्रकृति से सघर्ष करती है तब तक वह सामान्यतया फिट्टर बन जाती है। जब जाति के अन्दर सघर्ष होता है तब ऐसा नहीं होता है। आकार में वृद्धि, हथियारों एवं मूल प्रवृत्ति में विकास, इस प्रकार की लड़ाइयों में लाभकारी होते हैं, लेकिन इनका अन्त सामान्यतया जाति का अन्य परिस्थितियों में कुसमायोजन के रूप में होता है या इनका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक आदिवासी लोगों ने जब अनेक पशुओं को पूर्णतः नष्ट कर दिया था तो उनको अकाल का सामना करना पड़ा था और उनको सभ्य सस्कृतियों के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा अथवा अछूते बौहड जंगलों में जाना पड़ा। सामाजिक पारिस्थितिकी प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग को समुदायों के संगठन की विशेषता मानती है। इस विज्ञान की मान्यता है कि भोजन और रहने के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा अथवा सघर्ष होना व्यवस्था के कार्य से सम्बन्धित होता है। मुकर्जी लिखते हैं कि एक रेवड, पशुओं का झुण्ड या मानव समूह एक दुश्मन को डराने या लड़ने में अधिक सफल होते हैं अपेक्षाकृत एक अकेले के। इसी सन्दर्भ में मुकर्जी की मान्यता है कि मानव समाज में प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका अध्ययन पर्यावरण अथवा पारिस्थितिकी के सन्दर्भ में करना आवश्यक है।

(5) स्तरीकरण (Stratification)—मुकर्जी के अनुसार प्रत्येक समुदाय में प्रतिस्पर्धा और सहजीवन के द्वारा एक या एक से अधिक प्रभुत्व जातियाँ बन जाती हैं। स्तरीकरण के द्वारा प्रत्येक श्रेणी या वर्ग के जीवों या मानव समुदायों में प्रतिस्पर्धा नियंत्रित की

जाती है। मानव समाज के पारिस्थितिकी प्रतिमानों में विभिन्न सामाजिक श्रेणियाँ, वर्ग, जातियाँ तथा व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सम्बन्ध देखे जा सकते हैं। सामाजिक श्रेणियों के निर्धारक धन और सत्ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक वर्ग में स्थिति को निरन्तर चुनौतियाँ गतिशीलता अथवा दूसरे के उत्प्रवासन से मिलती रहती है। पारिस्थितिक गतिशीलता अथवा तेजी से एक क्षेत्र में अन्य सामाजिक खण्ड, श्रेणी या समूह का आक्रमण स्तरीकरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार सामाजिक पारिस्थितिकी में स्थान, व्यवसाय और समय के आधार पर व्यक्तियों एवं समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों का विशेष महत्व है। उत्प्रवास, जनसंख्या नियंत्रण, उत्पादन में विकास आदि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय कारक हैं जो सामाजिक स्तरीकरण का नियंत्रण, संचालन एवं सन्तुलन करते हैं।

(6) अनुक्रमण एवं आक्रमण (Succession and Invasion)—सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण को व्याख्या और मापन किया जाता है। समय-समय पर नए महत्वपूर्ण केन्द्रों की सख्या और गुणवत्ता तथा सेवाओं के वितरण की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। नए सामाजिक व्यवस्था के विकास और आक्रमण की गति को मापा जाता है जो सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण को स्पष्ट करती है। मानव पारिस्थितिकी में हम अनुक्रमण देख सकते हैं जो देश के स्थानीय केन्द्रों एवं शहरों में सर्वाधिक स्थिति, सेवाओं और संस्थाओं के रूप में उभरते हैं। सामाजिक जगत में आर्थिक इतिहास अनुक्रमण के उदाहरण स्पष्ट करता है। यहाँ पर प्रवृत्ति विकासात्मक व्यवस्था की ओर होती है। अनुक्रमण वानिकी से कृषि और अपरिष्कृत कृषि से गहन खेती, उद्योग, वाणिज्य, जन-संख्या के पुनः वितरण एवं सामाजिक संरचनाओं तथा संस्थाओं के पुनर्गठन के क्रम में होता है।

अनुक्रमण क्षेत्र, क्षेत्र का उप-विभाजन, ग्राम और नगर के आधार पर होता है। कस्बों एवं नगरों में जनसंख्या वृद्धि से गिरजाघर, मन्दिर, पाठशालाएँ, औपधालय, भोजनशाला एवं अन्य सेवाओं के संस्थानों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। इसी प्रकार से आबादी के बढ़ने से कपड़ों की दुकानें, परचूनी एवं पंसारी की दुकानें आदि के आकार और विक्री में वृद्धि होती है। जितनी अधिक गतिशीलता होगी उतनी ही तेजी से सभी क्षेत्रों में अनुक्रमण होगा। नगर से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, वाणिज्य प्रतिष्ठान, दुकानें, सांस्कृतिक संस्थाएँ, दैनिक समाचार पत्र, रेडियो आदि पहुँचते हैं जो ग्रामीण जीवन व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक पारिस्थितिकी समाज से सम्बन्धित अनेक पक्षों में अनुक्रमण और आक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन एवं मूल्यांकन करती है।

(7) सामाजिक सन्तुलन (Social Equilibrium)—मुकुर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक सन्तुलन की प्रक्रिया पर अनेक प्रकार से प्रकाश डाला है। आपने सामाजिक सन्तुलन को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया है। समाजशास्त्र सामाजिक सन्तुलन को न केवल जैविक या आर्थिक सन्तुलन के रूप में देखता है बल्कि यह संस्थाओं की समरसता और मानव के विभिन्न आदेशों, रुचियों, मूल्यों, सद्गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार देखता है। समाजशास्त्र सामाजिक सन्तुलन को सामाजिक समरसता और प्रस्थिति, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता एवं नियंत्रण के वितरणों में न्याय के आधार पर व्यक्त करता है। यह भी समाजशास्त्र समुदाय के अनुसार देखता है। सामाजिक सन्तुलन एक जैविकीय एवं अर्थशास्त्रीय वास्तविकता के रूप में निश्चित व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। पारिस्थितिक सन्तुलन को आर्थिक सन्तुलन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जब अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं न्याय प्राप्त कर लिए जाते हैं तब आर्थिक सन्तुलन भी स्थापित हो जाता है। समाज में अचानक जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है तब असन्तुलन

आ जाता है। उत्पादन, धन, वस्तुओं, सेवाओं आदि में परिवर्तन पारिस्थितिक, आर्थिक एवं समाजशास्त्रीय कारणों से आते हैं जो व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक आदि सन्तुलन को प्रभावित करते हैं। अनेक राजनैतिक कारक, जैसे—दीर्घ राजनैतिक अनिश्चितता, युद्ध, सम्पत्ति सम्बन्धी असुरक्षा, उच्च कर, कर्ज में वृद्धि, साख पर दबाव, मुद्रा स्फूर्ति, व्यापार में अनिश्चितता आदि असन्तुलन पैदा कर देते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे—फैशन, जीवन के तरीको, दृष्टिकोण, श्रमिक एवं धन सम्बन्धी धारणाओं के कारण भी असन्तुलन पैदा होता है।

समाज ने सर्वदा मानव की जैविक इच्छाओं और पर्यावरण में सम्पत्ति, प्रस्थिति, स्वतन्त्रता और नियन्त्रणों को संस्थाओं द्वारा सन्तुलन बनाया है। सामाजिक सहयोग, प्रस्थिति, सम्पत्ति और नियन्त्रण के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आवश्यकताओं और सीमित साधनों के मध्य सन्तुलन बनाए रखा है। इतना ही नहीं इसके द्वारा आर्थिक रुचियों और समाज कल्याण तथा न्याय में भी सन्तुलन बनाए रखा है। संस्थाओं ने व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और वस्तुओं के बीच या लोगों की पारस्परिक सेवाओं में भी सन्तुलन बनाया है।

मुकर्जी ने इस प्रकार से सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्त्वपूर्ण पक्षों पर समाज, आर्थिकी, पर्यावरण, व्यक्ति, जीव, पेड़-पौधों आदि के सन्दर्भ में प्रकाश डाला है।

### अभ्यास प्रश्न

#### निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 सामाजिक पारिस्थितिकी के सम्बन्ध में राधाकमल मुकर्जी के विचारों को विवेचना कीजिए।
- 2 राधाकमल मुकर्जी की कृति 'सोशियल इकोलॉजी' के उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाओं, सामाजिक पारिस्थितिकी के कार्य, अनुकूलन, प्रक्रियाओं का सक्षिप्त विवरण दीजिए।
- 3 मानव समाज में पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की सक्षिप्त विवेचना कीजिए।
- 4 सामाजिक पारिस्थितिकी या सामाजिक पारिस्थिति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
- 5 सामाजिक पारिस्थिति विज्ञान पर निबन्ध लिखिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

- 1 'सोशियल इकोलॉजी' कृति का उद्देश्य
- 2 सामाजिक पारिस्थितिकी की परिभाषा
- 3 सामुदायिक पारिस्थितिकी
- 4 व्यावहारिक पारिस्थितिकी
- 5 पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन
- 6 कोई एक सामाजिक पारिस्थितिकी की प्रक्रिया
- 7 सामाजिक सन्तुलन
- 8 अनुक्रमण एवं आक्रमण

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सोशियल इकोलॉजी के रचयिता कौन हैं?  
 (अ) एस. सी. दुवे (ब) डी. एन. मजूमदार  
 (स) राधाकमल मुकर्जी (द) जी. एस. घुर्वे  
 [उत्तर- (स)]

2. राधाकमल मुकर्जी की पुस्तक 'सोशियल इकोलॉजी' या 'सामाजिक पारिस्थितिकी' में कितने अध्याय हैं?  
 (अ) बारह (ब) आठ  
 (स) पन्द्रह (द) दस  
 [उत्तर- (स)]
3. सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन को इकाई 'मानव प्रदेश' किस विद्वान ने बताया है?  
 (अ) डी. पी. मुकर्जी (ब) राधाकमल मुकर्जी  
 (स) वेबर (द) मार्क्स  
 [उत्तर- (ब)]
4. कस्यो एवं नगरो मे जनसख्या वृद्धि से किन संस्थानो एवं सेवाओं में वृद्धि होती है?  
 (अ) मन्दिर (ब) गिरजाघर  
 (स) पाठशाला (द) औषधालय  
 (य) भोजनालय (र) उपर्युक्त सभी में  
 [उत्तर- (र)]
5. निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए—  
 (i) 'सोशियल इकोलॉजी' के लेखक राधाकमल मुकर्जी हैं।  
 (ii) 'सामाजिक पारिस्थितिकी' कृति में कुल 16 अध्याय हैं।  
 (iii) सपारिस्थितिकी और सामुदायिक पारिस्थितिकी पर्याय हैं।  
 (iv) स्वपारिस्थितिकी और संपारिस्थितिकी दोनों परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर और अन्तर्सम्बन्धित नहीं हैं।  
 (v) सामाजिक पारिस्थितिकी की अध्ययन को इकाई 'मानव प्रदेश' है।  
 (vi) सामाजिक पारिस्थितिकी के कार्य—अनुकूलन और सन्तुलन को मापना है।  
 (vii) सन्तुलन, वितरण, गतिशीलता और स्तरीकरण पारिस्थितिक प्रक्रियाएँ नहीं हैं।  
 (viii) 'रीजनल सोशियोलॉजी' के लेखक डी. पी. मुकर्जी हैं।  
 (ix) राधाकमल मुकर्जी के अनुसार क्षेत्र एक प्रकार से व्यक्तियों का पारिस्थितिकी समूहन है, एक आर्थिक ढाँचा और सांस्कृतिक व्यवस्था है।  
 (x) राधाकमल मुकर्जी ने लिखा है, "एक अर्थ में इस पुस्तक (सोशियल इकोलॉजी) को तुलनात्मक सामाजिक पारिस्थितिकी को लिखने का एक प्रयास माना जाए जिस पर तुलनात्मक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की आधारशिला स्थित है।"

[उत्तर- सत्य कथन : (i), (iii), (v), (vi), (ix), (x);

असत्य कथन : (ii), (iv), (vii), (viii)]

## अध्याय-14

### डी. पी. मुकर्जी : परम्पराओं का द्वन्द्व (D.P. Mukerji : Dialectic of Traditions) (1894-1962)

भारतीय समाजशास्त्र में धूर्जटि प्रसाद मुकर्जी (Dhurjati Prasad Mukerji) का विशेष स्थान है। आप डी पी मुकर्जी के नाम से जाने जाते हैं। डी पी मुकर्जी राधाकमल मुकर्जी के समकालीन रहे हैं। भारत के सामाजिक वैज्ञानिक आपको डी पी के नाम से पुकारते हैं। डी पी मुकर्जी का समाजशास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। समाजशास्त्र का सर्वाधिक लाभ आपके द्वारा प्रतिपादित अनेक अवधारणाओं, सिद्धान्तों, मौलिक विचारों, मौखिक बातचीत और विचारों की अद्वितीय अभिव्यक्ति के कारण हुआ है। अब हम व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से डी पी मुकर्जी के जीवन-चित्रण, प्रमुख रचनाओं, लेख, विचारों, समाजशास्त्र में योगदान, कार्य प्रणाली आदि का अध्ययन करेंगे।

#### डी. पी. मुकर्जी का जीवन-चित्रण (Life Sketch of D. P. Mukerji)

डी पी मुकर्जी का जन्म बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में सन् 1894 में हुआ था। आपके व्यक्तित्व के निर्माण पर परिवार एवं जाति के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। आपने 1918 में एम ए इतिहास तथा 1920 में एम ए अर्थशास्त्र की परीक्षा पास की। आपने ये उपाधियाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। आपकी शिक्षा अच्छी हुई। आगे चलकर आपने अपने परिवार के वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षण-कार्य व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया। पहले आप इतिहास के विद्यार्थी रहे। उस काल में इतिहास में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। बाद में आपने इतिहास में उपाधि प्राप्त की। आपने वर्षों तक समाजशास्त्र और इतिहास का अध्यापन किया। ज्ञान के क्षेत्र में सभी विषयों में आप रुचि लेते थे। आपका विवाह छायादेवी के साथ हुआ। बाद में आप एक समाजशास्त्री के रूप में उभरे तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आपको एक समाजशास्त्री के रूप में माना जाने लगा।

धूर्जटि प्रसाद मुकर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मौलिक विचारक व भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता रखने वाले समाजशास्त्री थे। आपके शिक्षण काल में बंगाल में अनेक महान् हस्तियाँ थीं। उस समय बकिम चन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं शरत् चन्द्र आदि के साहित्य का विशेष प्रभाव था। उस समय बंगाली साहित्य का भी पुनर्जागरण हो रहा था। इस वातावरण का डी पी. के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा। डी पी पर संगीत, राजनीति, चित्रकला, साहित्य और विज्ञान आदि का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि आपने समाज और

अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अनेक विषयों पर अधिकार के साथ काफी कुछ लिखा। डॉ. पी. को संगीत से सम्बन्धित अच्छा ज्ञान था। आप भक्तर उस्तादों के साथ बैठा करते थे और राग-रागिनियों को आपको अच्छी पहचान व पकड़ थी। आपने भारतीय संगीत के परिचय के सम्बन्ध में बाद में सन् 1945 में एक पुस्तक 'इन्ट्रोडक्शन टू इण्डियन म्यूजिक' लिखी। बाद में आपने मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया। आपके विचारों पर समस्याओं के अध्ययन, निवारण आदि के सम्बन्ध में मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। आपके लिए राजनैतिक आन्दोलन और इसकी दशा और दिशा मात्र सामाजिक परिवर्तन के अंग थे। आपके ज्ञान का लाभ एकीकरण को प्राप्त करने में सहायक रहा। डॉ. पी. जो कुछ कहते, लिखते अथवा करते वह बहुत प्रभावशाली होता था।

आपने अपना अध्यापक जीवन अपने निवास स्थान के ब्रंगवारी कॉलेज से प्रारम्भ किया। यहाँ से आप सन् 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता बने। यहाँ आपने अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के व्याख्याता पद पर कार्य आरम्भ किया तथा इस विख्यात विश्वविद्यालय में 32 वर्षों तक खूब पढ़ा, पढ़ाया, सीखा और सिखाया। इस कार्य काल में आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समाजशास्त्री के रूप में सामने आए। आपने इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था एवं संगठन के निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। यद्यपि आपके शिक्षण का कार्यकाल लखनऊ विश्वविद्यालय में ख्यतीत हुआ किन्तु बीच-बीच में आप अन्यत्र भी जाते रहे। आपने प्रथम उत्तरप्रदेश सरकार के समय में 1937 से 1940 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो आप सूचना-विभाग के निदेशक बने। इस काल में आपने जन-सम्पर्क को बौद्धिक दृष्टिकोण से पुनर्गठित किया। डॉ. पी. ने "अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो" की स्थापना की और उसके द्वारा आपने समाज के अनेक महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सूचनाओं और तथ्यों को एकत्र करने, वर्गीकृत करने तथा विश्लेषित करने का कार्य प्रारम्भ किया। इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रारम्भ करने का श्रेय आपको ही जाता है। आप इस क्षेत्र में और भी कार्य करते लेकिन उत्तरप्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अंग्रेजों के साथ द्वितीय महायुद्ध की समस्या पर मतभेद होने के कारण त्याग-पत्र दे दिया गया जिसके परिणामस्वरूप डॉ. पी. मुकर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर लौट आये।

सन् 1947 में डॉ. पी. को उत्तरप्रदेश जौंच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति के सदस्य के नाते आपने अपने ज्ञान के आधार पर अमूल्य सुझाव देकर बहुमूल्य योगदान दिया।

सन् 1951 में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया। एम. सी. राव (M. Chalapathi Rao) ने अपने लेख 'डॉ. पी. मुकर्जी : ए पोर्ट्रेट' (D.P. Mukerji A Portrait) में लिखा है कि आपको प्रोफेसर बहुत पहले ही बना देना चाहिए या लेकिन डॉ. पी. को पदों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। प्रोफेसर नहीं बनने का उन्हें कभी दुःख नहीं हुआ और बनने से कोई खुशी भी नहीं हुई।

सन् 1953 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद के लिए आपको नियुक्ति प्राप्त हुआ जिसे आपने स्वीकार किया तथा वहाँ 5 वर्षों तक कार्यरत रहे। बाद में पूर्ण रूप से स्वस्थ न रहने के कारण वे कार्य नहीं कर सके। इसके उपरांत भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने आपसे पद पर

बने रहने का आग्रह किया, जिससे एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व वहाँ बना रहे। लेकिन आपने इस आग्रह को अस्वीकृत कर दिया।

डी.पी. मुकर्जी समाजशास्त्र के 'विजिटिंग प्रोफेसर' बनकर हेग में 'इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल स्टडीज' में कार्यरत रहे। डी.पी. मुकर्जी 'इण्डियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन' के संस्थापक सदस्य थे। आप इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। आप इस समिति के संस्थापक मण्डल के भी सदस्य थे तथा इसकी स्थापना में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। इस समिति द्वारा 1955 में आपने प्रथम 'अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सगठन' की बैठक की अध्यक्षता की। डी.पी. मुकर्जी को यूनेस्को ने पेरिस में व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया था। आपने पेरिस में ओजस्वी व्याख्यान दिया।

डी पी. मौखिक बातचीत बहुत अधिक करते थे। आपसे बुद्धिजीवी खूब मिलते थे। आपके लेखन से अधिक महत्वपूर्ण व्याख्यान, वार्तालाप और विचार-विमर्श होते थे। आप धूम्रपान बहुत अधिक करते थे। वे अपने छात्रों से कहा करते थे "मेरे पास पुस्तकें लिखने को समय कहाँ है?" आप विचारों की अभिव्यक्ति में अद्वितीय थे। "संस्कृति का समाजशास्त्र" विषय के आप अधिष्ठाता थे। आपने मौखिक बातचीत के द्वारा एक पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, सोचने के लिए तैयार किया। आप कहा करते थे, "मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है।" जब आप हेग में थे, उस समय अधिक धूम्रपान के कारण आपके गले में कैंसर हो गया था, इसके उपचार के लिए आप ज्यूरिख गये, वहाँ शल्य चिकित्सा की गई इससे आपको कुछ आराम तो मिला लेकिन आपकी आवाज खराब हो गई। आप धाँपिस अलीगढ़ लौट आये तथा अपने पद पर तब तक कार्यरत रहे जब तक शरीर ने साथ दिया। शिक्षा जगत् के लोगों को आपकी आवाज के खराब होने का हार्दिक दुःख रहा। आपके वार्तालाप पर अंकुश लग गया तथा मौखिक बातचीत के द्वारा आपके ज्ञान का संचार व हस्तान्तरण प्रतिबन्धित हो गया। 5 दिसम्बर, 1962 को उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत किया। इस प्रकार से कॉफी हाउस के चर्चा-जगत् का सुकरात इस संसार से उठ गया।

### डी. पी. मुकर्जी की रचनाएँ (Works of D. P. Mukerji)

1. 'बेसिक कन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी'  
(Basic Concepts in Sociology) 1932
2. 'पर्सनैलिटी एण्ड द सोशियल साइंसेज'  
(Personality and the Social Sciences) 1924
3. 'टैगोर : ए स्टडी' (Tagore A Study) 1943
4. 'मॉडर्न इण्डियन कल्चर' (Modern Indian Culture) 1942
5. 'ऑन इण्डियन हिस्ट्री' (On Indian History) 1945
6. 'इंट्रोडक्शन टु इण्डियन म्यूजिक'  
(Introduction to Indian Music) 1945
7. 'प्रोब्लम्स ऑफ इण्डियन यूथ'  
(Problems of Indian Youth) 1946



8. 'व्यूज एण्ड काउण्टर-व्यूज'  
(Views and Counter-Views) 1946
9. 'डाइवर्सिटीज' (Diversities) 1958
10. 'सोशियोलोजी ऑफ इण्डियन कल्चर'  
(Sociology of Indian Culture) 1942
11. 'इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड सोशियल चेंज'  
(Indian Tradition and Social Change)

'भारतीय परम्परा और सामाजिक परिवर्तन' विषय पर आपने 'इण्डियन सोशियोलोजिकल कॉन्फ्रेंस', देहरादून, 1955 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया। इसके अतिरिक्त आपके तीन उपन्यास प्रकाशित हुए। आपने एक कहानी संकलन भी प्रकाशित कराया। रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ आपने एक संगीत की पुस्तक लिखी और एक पुस्तक संगीत में ही अलग से भी लिखी। आपके बंगाली भाषा में लिखे निबन्धों के दो खण्ड भी प्रकाशित हुए।

### डॉ. पी. मुकर्जी के सामाजिक विचार (D. P. Mukerji's Social Views)

डॉ. पी. मुकर्जी ने अनेक विषयों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। आपके सामाजिक विचार समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में विशेष रूप से अध्ययन किये जाते हैं। कला, संगीत और साहित्य से सम्बन्धित लेखों एवं विचारों को सम्बन्धित विषय में सम्मान की दृष्टि से पढ़ा जाता है। यहाँ उनके उन सामाजिक विचारों का उल्लेख किया जायेगा जिनका समाजशास्त्र में विशेष महत्त्व है।

#### सम्पूर्णवादी दृष्टिकोण

डॉ. पी. मुकर्जी का मत है कि विभिन्न विज्ञान, जैसे—समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व इतिहास आदि परस्पर घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। इन विज्ञानों की सामग्री के आदान-प्रदान को आप आवश्यक मानते हैं। डॉ. पी. मुकर्जी का मत है कि पूँक अर्थशास्त्र की जड़े सामाजिक वास्तविकता में विद्यमान होती हैं इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति समाजशास्त्रीय है। आप यह भी कहते हैं कि सम्पूर्णवादी दृष्टिकोण ही समाज विज्ञान की व्याख्या का आधार होना चाहिए। आप लिखते हैं कि व्यक्ति, वैयक्तिकता और समाजोत्करण का समन्वय है। वैसे आपका कहना है कि व्यक्तित्व पूर्ण एकता है और ज्ञान इस एकीकृत पूर्णता का आधार है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन-वस्तु को अलग-अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। आपका कहना है कि आज ज्ञान का विभाजन हो गया है। वह कई शाखाओं उप-शाखाओं में बँट गया है अतः उसकी पूर्णता समाप्त हो गई है। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष होते हैं, डॉ. पी. मुकर्जी के अनुसार इन विभिन्न पक्षों को एक पूर्णता मानकर अध्ययन करना चाहिए। आपने निष्कर्ष दिया है कि ज्ञान के विभिन्न पक्ष अवश्य होते हैं लेकिन समाज विज्ञान को पूर्णता एवं एकीकरण आवश्यक है और अगर हम समाजशास्त्र विषय का विकास करना चाहते हैं तो हमें सम्पूर्णवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।

डॉ. पी. मुकर्जी ने 'व्यूज एण्ड काउण्टर-व्यूज' में लिखा है, "इस विषय को ज्ञान से काट दिया गया है, ज्ञान को जीवन से पृथक् कर दिया गया है और जीवन, जीवित

सामाजिक दशाओ से अलग कर दिया गया है।" आपने यह कथन समाजशास्त्र की बिछरी सामग्री के सम्बन्ध में कहा है। आप सामाजिक जीवन को पृथक्-पृथक् खण्डों में अध्ययन करने के विरुद्ध थे तथा सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे।

### मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक (Supporter of Marxian Ideology)

डी. पी. मुकर्जी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। आपके विचारों, अध्ययनों, मतों, अध्ययन पद्धति व भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान आदि में किसी-न-किसी रूप में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। कुछ विद्वानों ने तो आपको भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रज तक कहने का साहस किया है।

योगेन्द्रसिंह ने अपनी पुस्तक, 'मॉडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन' की पाद-टिप्पणी में लिखा है, "डी पी मुकर्जी अपने आपको मार्क्सवादी होने का दावा करते हैं।" डी पी ने भारत के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन द्वन्द्वात्मक उपागम के अनुसार किया है—आपका द्वन्द्ववाद हीगल और मार्क्स के प्रभाव का परिणाम है। योगेन्द्रसिंह ने भी अपनी कृति में लिखा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के उपागमों में द्वन्द्वात्मक उपागम अपना विशेष स्थान रखता है। भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रारम्भ में एम एस रॉय, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण जैसे बुद्धिजीवियों के विचारों में मिलता है, जिन्होंने बाद में इसे त्याग दिया। समाजशास्त्र में इस उपागम का प्रभाव अधिक प्रभावशाली नहीं रहा जिसका कारण ब्रितानिया समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रभुत्व अध्ययन पद्धति और क्षेत्र में होता रहा। इसके उपरान्त भी कुछ समाजशास्त्री द्वन्द्वात्मक अथवा मार्क्सवादी समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से प्रभावित हुए जिनमें एक डी पी मुकर्जी हैं। डी पी के साहित्य में भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध-परिधि (Dialectical Frame of Reference) पाई जाती है। आपने भारतीय समाज के परिवर्तन का विश्लेषण भारत की परम्पराओं के संघर्ष के आधार पर किया। डी पी का द्वन्द्ववाद हीगल और मार्क्स के द्वन्द्ववाद से इस प्रकार भिन्न है कि हीगल विचारों में संघर्ष का अध्ययन करते हैं, मार्क्स भौतिक पदार्थों को आधार मानकर संघर्ष द्वारा परिवर्तन का विश्लेषण व व्याख्या करते हैं, वहीं डी पी परम्पराओं में संघर्ष के द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण एवं व्याख्या करते हैं।

### पद्धतिशास्त्र (Methodology)

डी पी मुकर्जी की अध्ययन की पद्धति के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। डी पी को मुख्यतया समाजशास्त्री माना जाता है, लेकिन आप अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत, चित्रकला व साहित्य आदि में भी अधिकार के साथ लिखते थे इसलिए आपकी अध्ययन-पद्धति ऐतिहासिक रही है। इसके अतिरिक्त किन्हीं विषयों के अध्ययन की आपने मनो-समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक पद्धति का भी समर्थन किया है।

1. द्वन्द्वात्मक-पद्धति (Dialectical Method)—भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आपने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। आपने भारत की परम्पराओं के इतिहास में कालक्रमिक अध्ययन पर जोर दिया। इसमें आपने द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय

परम्पराओं के संघर्ष के अध्ययन को प्रस्तुत किया है। आपने लिखा है कि भारतीय समाज में परम्पराओं का संघर्ष (द्वन्द्व) घृहदस्तर और लघुस्तर की परम्पराओं में होता है। वृहदस्तर की परम्पराएँ संस्कृत भाषा में मिलती हैं तथा लघुस्तर की परम्पराएँ स्थानीय भाषाओं में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय परम्पराओं का संघर्ष बाहर से आई इस्लामी एवं पश्चिमी समाजों की परम्पराओं में भी बताया है। डॉ पी ने भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन की पद्धति हीगल और मार्क्स के द्वन्द्ववाद को राशोधित करके प्रस्तुत की है जिसे भारतीय समाजशास्त्र में 'डॉ. पी. मुकर्जी के द्वन्द्वात्मक उपागम' (D P Mukerji's Dialectical Approach) के नाम से जाना जाता है।

2. मनो-समाजशास्त्रीय पद्धति (Psycho-Sociological Method)—डॉ पी. मुकर्जी की अध्ययन पद्धति के सम्बन्ध में काफी कुछ लिखा जा सकता है। आपने विभिन्न विज्ञानों में अपने विचार व्यक्त किये हैं, इसलिए आपने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर भी यथास्थान मत व्यक्त किया है, आप सत्य को जानने के लिए विभिन्न मार्गों के पथधर थे। आपने समाजशास्त्रीय अवधारणा का तत्त्व—व्यक्तित्व बताया है तथा विभिन्न प्रकार से इस तथ्य को सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। आप लिखते हैं कि "व्यक्तित्व पूर्ण एकता है तथा ज्ञान इस पूर्णता का आधार है।"

आप ज्ञान को व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख साधन मानते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि डॉ पी मुकर्जी का दृष्टिकोण सम्पूर्णतावादी है, उसी के अनुसार आपकी अध्ययन-पद्धति व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को पूर्णता में देखती है। चूँकि आप व्यक्तित्व पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए आपकी अध्ययन-पद्धति मनो-समाजशास्त्रीय है।

3. दार्शनिक-पद्धति (Philosophical Method)—डॉ पी मुकर्जी दार्शनिक पद्धति के भी समर्थक रहे हैं। डॉ पी की दार्शनिक प्रवृत्ति का आधार तर्क और विवेक है। आपकी दार्शनिक पद्धति का मूल बिन्दु बुद्धिवाद और व्यावहारिक तर्क है। आप एक ओर तर्क या विवेक को घटनाओं के अध्ययन का यन्त्र मानते हैं तो दूसरी ओर तर्क या विवेक को व्यक्तित्व के विकास का साधन भी मानते हैं। डॉ पी मुकर्जी की अध्ययन की पद्धति में हीगल का द्वन्द्ववाद भी मिलता है।

4. विभिन्न विज्ञानों में सम्बन्ध (Relationship Between Various Sciences)—डॉ पी. मुकर्जी क्योंकि सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे इसलिए आप अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र के परस्परिक सम्बन्धों और ज्ञान के आदान-प्रदान को आवश्यक मानते हैं। आपने समाजशास्त्र को प्रकृति को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र में साम्प्रतिक विशिष्टताओं का विशेष महत्त्व होता है इसलिए समाजशास्त्र को प्रकृति ऐतिहासिक है। आपने लिखा है कि अर्थशास्त्र को जड़े सामाजिक वास्तविकता में हैं। इस कारण इसको प्रकृति समाजशास्त्रीय है। आपने इतिहास की प्रकृति को दार्शनिक बताया है। इस मत को स्पष्ट करते हुए आप लिखते हैं, "इतिहास मात्र अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि अतीत की घटनाओं के अध्ययन के आधार पर इतिहास, समाज के भविष्य का अनुमान भी लगाता है इसलिए इतिहास की प्रकृति दार्शनिक है। आप सामाजिक विज्ञानों के परस्पर आदान-प्रदान के समर्थक थे।"

निष्कर्षतः डॉ पी मुकर्जी के सामाजिक विचार—व्यक्तित्व का अध्ययन, सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण, मनो-समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति, दार्शनिक पद्धति, हीगल के द्वन्द्ववाद व मार्क्सवादी विचारधारा आदि के समर्थक और पोषक थे।

## भारतीय समाजशास्त्र में योगदान (Contribution to Indian Sociology)

डी पी मुकर्जी ने 'भारत के लिए समाजशास्त्र' में भारतीय समाजशास्त्र की विषय-वस्तु, भारतीय समाजशास्त्र की अध्ययन-पद्धति, अवधारणाएँ व सिद्धान्त आदि से सम्बन्धित निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं—

1. **भारतीय समाजशास्त्र की विषय-वस्तु (Subject Matter of Indian Sociology)**—डी पी मुकर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की अध्ययन-सामग्री को भारतीय परम्पराओं का अध्ययन बताया है। आपने कहा कि भारतीय सस्कृत का विकास विभिन्न प्रजातियों एवं सस्कृतियों की चुनौतियों एवं संश्लेषण का परिणाम है। आपने हिन्दू सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिए भी परम्पराओं के अध्ययन को आवश्यक बताया। आपने भारतीय समाज की अध्ययन सामग्री के अन्तर्गत परम्पराओं में आन्तरिक और बाह्य दबाव से उत्पन्न परिवर्तनों के अध्ययन को भी सम्मिलित करने पर जोर दिया है। मानव तथा समाज के हिन्दू सिद्धान्त की व्याख्या के लिए परम्पराओं का अध्ययन महत्वपूर्ण बताया है। आपका कहना है कि भारतीय परम्पराओं में परिवर्तन की समाजवादी व्याख्या के लिए भी भारतीय परम्पराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। डी पी मुकर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की विषय-सामग्री भारतीय परम्पराओं को बताते हुए यहाँ तक लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री का प्रथम कर्तव्य इनका अध्ययन करना है।

2. **भारतीय समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक पद्धति (Explanatory Method for Indian Sociology)**—डी पी मुकर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के सम्बन्ध में काफी लिखा है। आपने कहा कि भारत का समाजशास्त्र अभी इस अवस्था में नहीं पहुँचा है कि वह आनुभविक तथ्यों को एकत्र करके अनुसंधान करे। आपने सन् 1955 में भारतीय समाजशास्त्र तथा उसके अनुस्थापन के विषय पर अपने विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किए हैं।

“एक भारतीय के रूप में तथाकथित शोध प्रबन्धों के जंगल में कोई भी जीवन-अर्थ खोज निकालना असम्भव पाता है। ..... भारतीय समाजशास्त्र ..... केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है जिसमें अधिकतर निर्भरता अन्तर्दृष्टि की पद्धति पर है जो 19वीं शताब्दी के विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक क्रिया की भारतीय प्रणाली में भाग लेने से उत्पन्न होती है। अन्वेषण तो सदैव ही किया जायेगा, किन्तु इसे प्रेक्षित वस्तुओं की भावना के आधार पर करना होगा।”

आपने लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्र आगे आने वाले कुछ वर्षों तक केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है।

3. **पाश्चात्य वैज्ञानिक तकनीक का विरोध (Opposition of Western Scientific Technology)**—डी पी मुकर्जी ने लिखा है कि भारतीय समाज पश्चिम के समाजों से भिन्न है। पश्चिम के समाज काफी विशृंखलित हो चुके हैं। भारतीय समाज परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन यह कम विशृंखलित है इसलिए पाश्चात्य वैज्ञानिक तकनीक, अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों के द्वारा भारतीय समाजशास्त्री भारतीय समाज को भली-भाँति नहीं समझ सकते। आप पश्चिमी परम्परा के आदर्श पर भारतीय समाजशास्त्र को

विकसित करने के पक्ष में नहीं हैं। आपने मत व्यक्त किया है कि हमें भारत की सामाजिक घटनाओं की विशिष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए तथा पश्चिम के अध्ययन के प्ररूप, अवधारणाओं, सिद्धान्तों व तकनीक आदि को नहीं अपनाना चाहिए। पश्चिम में जो वैज्ञानिक तकनीक विकसित एवं निर्मित की गई है, वह अन्य समाजों तथा संस्कृतियों को ध्यान में रखकर की गई है, उनके द्वारा भारतीय-समाज तथा संस्कृति के तत्वों व स्वरूपों को नहीं समझा जा सकता। आप भारतीय समाजशास्त्र को पश्चिम के समाजशास्त्र की अनुकृति बनाने के विरोधी हैं। आपने मत व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्रियों ने प्रगति, समानता और सामाजिक नियन्त्रण आदि का अध्ययन पश्चिमी दृष्टिकोण की सहायता से किया है। यह भारतीय समाज के सन्दर्भ में बिल्कुल अनुपयुक्त है। भारतीय समाज को समझने के लिए आपने सुझाव दिया कि भारत के समाजशास्त्रियों को अपने समाज की संरचना, व्यवस्था, परम्परा और समस्याओं आदि को समझने के लिए उपयुक्त अवधारणाएँ, अध्ययन-पद्धति दृष्टिकोण व सिद्धान्त आदि निर्मित करने चाहिए।

#### 4. मार्क्स के द्वन्द्ववाद के पक्षधर (Follower of Marx's Dialecticism)—

डॉ. पी. मुकर्जी मार्क्स के द्वन्द्ववाद के पक्षधर हैं। आपने कहा कि भारत के सामाजिक सन्दर्भ में व्यक्तित्व और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए मार्क्स की द्वन्द्वत्मक अध्ययन-पद्धति को अपनाना चाहिए। आपने कहा कि मार्क्स की द्वन्द्वत्मक पद्धति भारत के लिए उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा भारत की विशिष्ट परम्पराओं, प्रतीकों, सांस्कृतिक प्रतिमानों व सामाजिक क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जा सकता है। आप लिखते हैं कि भारतीय समाज की वास्तविकता को मार्क्स के द्वन्द्ववाद के द्वारा ही अच्छी तरह समझा जा सकता है।

डॉ. पी. मुकर्जी के भारत के लिए समाजशास्त्र के सन्दर्भ में व्यक्त किये गये विचारों का प्रभाव भारत के अनेक समाजशास्त्रियों पर पड़ा।

#### 5. भारतीय सामाजिक परिवर्तन में परम्पराओं का महत्त्व (Importance of Traditions in Indian Social Change)—

डॉ. पी. मुकर्जी ने भारतीय परम्परा एवं सामाजिक परिवर्तन पर अपने विचार 1955 में 'अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन', देहरादून में अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किये हैं। बाद में यह भाषण आपकी कृति 'डाइवर्सिटीज' 1958 में 'इण्डियन ट्रेडीशन एण्ड सोशियल चेंज' में प्रकाशित हुआ। इसमें आपने भारतीय परम्परा एवं सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में इसके अध्ययन के महत्त्व, परम्परा का अर्थ, परम्पराओं में परिवर्तन, परिवर्तन के सिद्धान्त, परम्परा और आधुनिकता में सम्बन्ध, आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं गाँधीजी द्वारा प्रस्तावित आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना आदि से सम्बन्धित विचार प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हैं—

#### 5.1 परम्परा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Tradition)—

डॉ. पी. मुकर्जी ने 'परम्परा' शब्द की व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करत हुए इस शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। डॉ. पी. ने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द 'ट्रेडिशन' (Tradition) की उत्पत्ति 'ट्रेडर' (Tradere) शब्द से हुई है। 'ट्रेडर' शब्द का अर्थ है—हस्तान्तरण करना। संस्कृत भाषा में अंग्रेजी के ट्रेडिशन का समानार्थक शब्द 'परम्परा' है 'परम्परा' शब्द का अर्थ है—उत्तराधिकार या 'ऐतिह'—जिसका अर्थ 'इतिहास' है। रोमन कानून के अनुसार 'ट्रेडर' शब्द का अर्थ मूलस्वामि वस्तुओं को जमा करना तथा सुरक्षित रखना

है। उसके अनुसार, नागरिक का यह नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखे।

ब्राह्मणों को संस्कृत साहित्य में परम्पराओं का संरक्षक माना गया है। जाति प्रथा भी एक प्रकार से परम्परा है जिसके संरक्षक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण परम्पराओं को धार्मिक पुस्तकों द्वारा सुरक्षित रखते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। डी पी के अनुसार, ब्राह्मण परम्परा को सामाजिक संरचना के रूप में बनाये रखते हैं। आपने भारतीय समाज की निरन्तरता का बना रहना भी परम्पराओं के कारण बताया। आपने लिखा है कि परम्पराएँ भारतीय समाज का इतिहास हैं।

**5.2 भारतीय समाजशास्त्र में परम्परा का अध्ययन (Study of Tradition in Indian Sociology)**—डी पी मुकर्जी ने विस्तार से यह स्थापना की है कि भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु परम्पराओं का अध्ययन है। आप भारतीय समाजशास्त्रियों का प्रथम कर्तव्य 'भारतीय परम्पराओं का अध्ययन' मानते हैं। सन् 1955 में अखिल भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन में आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत के समाजशास्त्रियों को भारत की सामाजिक परम्पराओं का अध्ययन करने की सलाह दी। आपने कहा कि हमारा जन्म भारतीय परम्पराओं में हुआ है, हमारा अस्तित्व भी इन्हीं में निहित है। हम अपनी परम्पराओं से भाग नहीं सकते। भारत की समाज-व्यवस्था में समूह की क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। समूह की क्रियाएँ, मत, सम्प्रदाय व जाति आदि के रूप में होती हैं, इसलिए हमें पहले भारतीय होना चाहिए, अपनी समाज व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय समाजशास्त्रियों को अपनी जनरीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं और परम्पराओं में भाग लेना चाहिए। निष्कर्षतः, डी पी मुकर्जी का मत, आग्रह एवं सलाह है कि भारत का समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान तभी हो सकता है जब वह भारत की परम्पराओं का अध्ययन करे।

**5.3 संस्कृत भाषा एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है (Knowledge of Sanskrit and Local Dialects is Necessary)**—डी पी मुकर्जी ने मत व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्रों के लिए संस्कृत भाषा तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आप लिखते हैं कि अपनी समाज व्यवस्था का अध्ययन करने एवं समझने के लिए उसे जन-रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों एवं परम्पराओं आदि में भाग लेना होगा। उसे भारत की निम्न तथा उच्च विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा। भारतीय समाजशास्त्री उच्च अथवा वृहद्-स्तरीय परम्पराओं का ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि यह ज्ञान संस्कृत साहित्य में ही उपलब्ध है। तापु-स्तरीय विद्याओं के ज्ञान के लिए समाजशास्त्रियों को स्थानीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपने कहा है कि जिन भाषाओं में परम्पराएँ प्रतीकों के रूप में मूर्तिमान हैं उनके ज्ञान के बिना भारतीय परम्पराओं का अध्ययन एवं परिवर्तन का विश्लेषण सम्भव नहीं है। अब तक भारत में अध्ययन पश्चिम के अनुकरण द्वारा हो रहा है। इस सम्बन्ध में डी पी मुकर्जी ने अग्र शब्दों में दुःख प्रकट किया है।

"मुझे यह देखकर दुःख होता है कि किस प्रकार हमारे भारतीय विद्वान उन आधुनिक (वैज्ञानिकों की) तकनीकों के आकर्षण के सामने बिना किसी प्रतिरोध अथवा सम्मान के झुक जाते हैं जिन्हें बाहर से प्राविधिक सहायता या क्रियात्मक ज्ञान के अंग के रूप में आगाह किया जाता है। बौद्धिक लेन-देन में जो कुछ चल रहा है,

डो पी मुकजी : परम्पराओं का द्वन्द्व

उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास प्रस्तुत करने की वही कुछ शक्ति है और खड़े होने के लिए आधार ही।”

5.4 परम्पराओं के परिवर्तन के तत्त्व (Elements of Change/ Tradition)—डो पी मुकजी ने परम्पराओं के परिवर्तन के प्रमुख तीन तत्त्व-युक्तार्थ हैं— (1) श्रुति, (2) स्मृति, और (3) अनुभव। अनुभव को परिवर्तन का कारण माना जाता है, अनुभव दो प्रकार का है—(1) व्यक्तिगत और (2) सामूहिक। व्यक्तिगत अनुभव ही परिवर्तन का मूल कारण है किन्तु वह शीघ्र ही सामूहिक अनुभव का रूप ले लेता है। सामान्य अनुभव सदैव ही परिवर्तन का कारण रहा है। उदाहरण के लिए विभिन्न सम्प्रदायों और धार्मिक ग्रन्थों की उत्पत्ति बड़े-बड़े सन्तों के व्यक्तिगत अनुभव से हुई है और कालान्तर में वे सामूहिक अनुभव के रूप में फैल गये। परम्पराएँ भी उच्च और निम्न दोनों ही प्रकार की होती हैं। उच्च परम्पराएँ—प्रमुखतया बौद्धिक थीं जो श्रुतियों और स्मृतियों में केन्द्रित थीं जिनमें तर्क-वितर्क, वाद-विवाद व परिवर्तन होता था। जिसका कारण बुद्धि-विचार था। बुद्धि-विचार अनुभव से उच्च परिवर्तन का साधन है, अनुभव को निम्न माना गया है। इन उच्च और निम्न बौद्धिक परम्पराओं में जब संघर्ष होता है तो अमूर्त विचार एवं भावनाएँ उन्हे समीप लाने का प्रयास करती हैं।

6. आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण (Modernity and Modernization)—डो पी मुकजी ने आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अपने विचार, अपने लेख 'इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड सोशियल चेंज' में व्यक्त किये हैं। आपने कहा कि भारत के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन तभी पूर्ण माना जायेगा जब भारतीय परम्पराओं एवं आधुनिकता के द्वन्द्व या संघर्ष एवं इनके परिणामों का अध्ययन किया जायेगा। आपने यह भी लिखा है कि आधुनिकीकरण एक ऐतिहासिक एवं गत्यात्मक अवधारणा है। परम्परा एवं आधुनिकीकरण परस्पर सापेक्ष अवधारणाएँ हैं। इसलिए परम्परा के ज्ञान के अभाव में आधुनिकीकरण का अध्ययन नहीं किया जा सकता। आप यह भी लिखते हैं कि हम भारत के वर्तमान (आधुनिकीकरण) को अतीत (परम्परा) के सन्दर्भ में ही समझ सकते हैं। आपने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि आधुनिकीकरण व परम्परा समय-सापेक्ष अवधारणाएँ हैं। परम्पराएँ अतीत से सम्बन्धित हैं और आधुनिकीकरण वर्तमान से सम्बन्धित हैं। आपने आधुनिकीकरण को समझते हुए लिखा है कि परम्परा और आधुनिकता के अन्तर्खेल (Inter Play) से परम्परागत मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतिमानों में जो विस्तार और परिमार्जन होता है, वह आधुनिकीकरण है। आपकी मान्यता है कि आधुनिकता और परम्परा दोनों गत्यात्मक अवधारणाएँ हैं। आपके अनुसार परम्पराएँ ही आधुनिकीकरण को प्रेरित करती हैं। परम्पराएँ अनेक विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। आधुनिकता में नवीन मूल्य और संस्थाएँ होती हैं जिनकी उत्पत्ति का आधार परम्पराएँ प्रदान करती हैं। आप द्वन्द्ववाद के पक्षधर हैं इसलिए आपने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को परिभाषा भी द्वन्द्व या संघर्ष के आधार पर दी है। आप लिखते हैं कि परम्परा और आधुनिकता में टकराव होता है, परम्परा वाद है, आधुनिकता प्रतिवाद है, इन दोनों के संघर्ष से जो सरासि अथवा समन्वित स्थिति उत्पन्न होती है वह आधुनिकीकरण है जिसे समता के रूप में देखा जा सकता है।

7. भारत का विकास (Development of India)—डी. पी. मुकर्जी एक बहुमुखी प्रतिभावान समाजशास्त्री रहे हैं। आपने भारत की प्रगति तथा विकास के सम्बन्ध में भी विचार व्यक्त किये हैं। आपके ये विचार एवं सुझाव सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अपना विशेष महत्व एवं स्थान रखते हैं। भारत की प्रगति के लिए योजनाओं के निर्माण में आपका यह आग्रह रहा है कि योजनाओं का आधार भारत की सांस्कृतिक परम्पराएँ होनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में आपने गाँधीजी के विचारों का अध्ययन करने का सुझाव दिया और कहा कि विकास की योजनाएँ बनाने से पहले गाँधीजी द्वारा सुझाए गए विन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। डी. पी. ने कहा कि गाँधीजी के सुझावों का अन्यायपूर्ण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गाँधीजी ने भारतीय परम्पराओं के साथ पश्चिमीकरण के समन्वय के सम्बन्ध में व्यावहारिक एवं उपयोगी बातें नहीं बताईं। डी. पी. ने भारत के विकास के सन्दर्भ में गाँधीजी के कुछ विचारों का विरोध भी किया है। आपने एक ओर गाँधीजी के रामराज्य की कल्पना को इतिहास-विरोधी बताया है तो दूसरी ओर उनके परम्परावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अगर हम पश्चिम के समाजों की बुराइयों से बचना चाहते हैं तो भारतीय परम्पराएँ ही हमें उनकी बुराइयों से सुरक्षित रख सकती हैं। डी. पी. मुकर्जी ने भारत की विकास की योजनाओं के लिए परम्पराओं को महत्त्वपूर्ण बताया है तथा आपने लिखा है कि परम्पराओं का विकास द्वन्द्व एवं संघर्ष के द्वारा होता है। आपने परम्पराओं के द्वन्द्व पर विस्तार से लिखा है जो भारतीय समाजशास्त्र में महान् योगदान माना जाता है।

### डी. पी. मुकर्जी : परम्पराओं का द्वन्द्व (D. P. Mukerji : Dialectic of Traditions)

डी पी मुकर्जी का 'भारत के समाजशास्त्र में परम्पराओं का द्वन्द्व' से सम्बन्धित विचार महत्त्वपूर्ण है। आपने भारत में सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक परिवर्तन के अध्ययन के लिए द्वन्द्वात्मक-उपागम का प्रयोग किया है। डी पी ने कहा कि भारत के समाजशास्त्रियों को परम्पराओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए। आपने परम्पराओं के अध्ययन के महत्त्व, उपागम, पद्धति, व्याख्या एवं विश्लेषण आदि पर प्रकाश डाला है, जो निम्न प्रकार है—

परम्पराओं के द्वन्द्व के अध्ययन का महत्त्व (Importance of Study of Dialectic of Tradition)—डी पी मुकर्जी ने अपने विभिन्न भाषणों, वार्तालापों, लेखों एवं पुस्तकों में परम्परा एवं परम्परा के द्वन्द्व के अध्ययन पर जोर दिया है। आपको मान्यता है कि यदि हम भारतीय समाज एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना चाहते हैं तो हमें पहले परम्पराओं को समझना होगा। डी पी ने परम्पराओं के अध्ययन के लिए द्वन्द्वात्मक-पद्धति का सुझाव दिया। आपका कहना है कि परम्पराओं में द्वन्द्व या संघर्ष होता है। ये द्वन्द्व भारत की वृहद्-स्तरीय परम्पराओं तथा लघु-स्तरीय परम्पराओं के मध्य होता है। इनमें परस्पर अनुकूलन भी हो सकता है। भारत की आन्तरिक परम्पराओं एवं बाह्य परम्पराओं में भी संघर्ष, द्वन्द्व, टकराव, अनुकूलन व समन्वय आदि होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ये भारत की सामाजिक संरचना को परिवर्तित करती हैं। डी पी मुकर्जी ने इसी संदर्भ में परम्पराओं के अध्ययन के महत्त्व को बताते हुए लिखा है कि भारतीय संस्कृति का विकास अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उनके संश्लेषण के परिणामस्वरूप हुआ



है। इसको समझने के लिए आपने परम्पराओं के अध्ययन का समर्पण किया है और लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री व्याख्यात्मक पद्धति से परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक उपागम से अध्ययन कर सकता है।

डॉ. पी. मुकर्जी ने लिखा है कि भारतीय समाज परिचम के समाजों की तुलना में कम विश्रुंखलित है। इसमें परिवर्तन अवश्य हो रहा है, इस समाज का अध्ययन आयातित आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से नहीं कर सकते। व्याख्यात्मक-पद्धति से ही इसका अध्ययन करना चाहिए। आप भारतीय समाज को परिचम के समाज की आकृति देने के विरोधी थे। भारतीय समाज की विशेषता यहाँ की परम्पराओं का अध्ययन करके ही बनाई रखी जा सकती है।

### 'परम्पराओं का द्वन्द्व' का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of 'Dialectic of Tradition')

डॉ. पी. मुकर्जी का 'परम्पराओं का द्वन्द्व' के उपागम को समझना अत्यावश्यक है। अपने परम्पराओं और द्वन्द्व को परस्पर भारत के समाज को समझने तथा भारतीय समाज के परिवर्तन के अध्ययन के लिए काम में लिया है। इनके इस उपागम एवं सिद्धान्त को समझने के लिए आवश्यक है कि हम—परम्परा, द्वन्द्व एवं 'परम्पराओं का द्वन्द्व'—तीनों को क्रम से समझें, जो अग्र प्रकार हैं।

(1) परम्परा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ (Meaning, Definition and Characteristics of Tradition)—डॉ. पी. मुकर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण एवं लेख, 'इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड सोशियल चेंज' जो 'डाइवर्सिटीज' कृति में प्रकाशित हुआ है, में परम्परा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आपने 'परम्परा' शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति व परिभाषा ऐतिहासिक दृष्टि से दी है जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। मुकर्जी के अनुसार परम्परा से तात्पर्य हस्तांतरण करना, कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उत्तराधिकार व इतिहास आदि से है। डॉ. पी. ने लिखा है कि परम्परा का लोग आदर-सम्मान करते हैं और इनका समाज में लम्बे समय से प्रचलन चल रहा होता है। परम्पराएँ भारतीय समाज-व्यवस्था का इतिहास होती हैं जिनके द्वारा भारतीय समाज की निरन्तरता बनी रहती है। परम्पराएँ समाज में सन्तुलन व दृढ़ता बनाये रखती हैं। इस प्रकार परम्पराएँ उन स्रोतों से समुत्पन्न हैं जिनके पीछे ऋषियों की कल्पना की गई है। सारांशतः ये परम्पराएँ अनुदान क्रियाओं की सूचक होती हैं।

डॉ. पी. मुकर्जी ने परम्परा के अर्थ को उसकी विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालकर स्पष्ट किया है। आपने लिखा है कि परम्पराओं में विरोध करने एवं सीखने की महान् शक्ति निहित होती है। ये समाज में सन्तुलन, दृढ़ता एवं संगठन को बनाये रखती हैं। डॉ. पी. के अनुसार परम्पराएँ कभी मरती नहीं हैं। परम्पराओं में अनुकूलन एवं सामंजस्य करने का गुण निहित होता है इसलिए ये नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने-आपको ढाल लेती हैं। आपका कहना है कि परम्पराओं में निरन्तरता का गुण निहित होता है अर्थात् एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है इसलिए आपके अनुसार परम्परा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये गतिशील होती हैं। आपने परम्पराओं की क्षमता के गुण पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इनमें अवरोध एवं

समावेश की अपार क्षमता पाई जाती है। परम्पराएँ समाज के सदस्यों को अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए अनेक विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। आपने परम्परा की एक महत्वपूर्ण विशेषता द्वन्द्ववाद के सन्दर्भ में बताते हुए लिखा है कि परम्पराओं में प्राचीन और नवीन का समन्वय मिलता है। आपने कहा है कि परम्पराएँ कभी नष्ट नहीं होती हैं परम्पराएँ केवल तभी नष्ट होती हैं, जब समाज में परम्परा-विरोधी तीव्र आर्थिक परिवर्तन होता है। आपने अपने आलोच्य भाषण में कहा कि परम्परा तब तक नष्ट नहीं होती जब तक कि आर्थिक शक्ति विशेष रूप से बहुत बलशाली न हो और ऐसी भी न हो कि वह समाज में प्रचलित उत्पादन की प्रणाली को ही बदल डाले। आपने ये भी बताया कि समाजशास्त्री परम्परा की शक्ति का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जो परम्परा जितने अधिक विरोधों का सामना करती है व अनुकूलन करती है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी रहती है, वह परम्परा उतनी ही शक्तिशाली है। सार रूप में डी पी ने परम्परा की उपर्युक्त विशेषताएँ बताई हैं।

(2) द्वन्द्व की अवधारणा (Concept of Dialectic)—डी पी मुकर्जी ने द्वन्द्व की अवधारणा हीगल और मार्क्स से ग्रहण की है। योगेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डी पी ने तो यह दावा भी किया है कि वे स्वयं मार्क्सवादी हैं। आपके परम्परा के द्वन्द्व को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि द्वन्द्व का अर्थ क्या है और आप किस रूप में उसे व्यक्त करते हैं। 'द्वन्द्व' व 'द्वन्द्ववाद' की विस्तृत विवेचना हम पिछले अध्याय 'कार्ल मार्क्स : द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' में कर चुके हैं फिर भी पाठकों की सुविधा के लिए संक्षिप्त में यहाँ उस पर पुनः प्रकाश डाला जा रहा है। द्वन्द्ववाद अंग्रेजी के शब्द (Dialectic) का अनुवाद है, जिसका अर्थ वाद-विवाद करना, शाम्बार्थ एवं तर्क-वितर्क करना आदि है। हीगल ने 'फिक्टे' से द्वन्द्ववाद की अवधारणा ग्रहण की। फिक्टे ने तर्क की तीन अवस्थाएँ बताई हैं—वाद, प्रतिवाद और समवाद। पोपर ने लिखा है कि प्रत्येक तार्किक समवाद दो विरोधी विचारों—वाद और प्रतिवाद—से प्राप्त होता है। हीगल ने विश्व के विकास को संघर्ष एवं द्वन्द्ववाद के आधार पर विश्लेषित किया है। आपने द्वन्द्ववाद में परिवर्तन की तार्किक प्रक्रिया को एक 'त्रैत' (Trait)—वाद, प्रतिवाद और समवाद—के द्वारा स्पष्ट किया है। हीगल ने विचारों में द्वन्द्व के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की है। मार्क्स ने भौतिकता से द्वन्द्ववाद के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या की है। डी पी मुकर्जी ने 'परम्पराओं में द्वन्द्व' (संघर्ष और समन्वय) के परिणामों के द्वारा भारतीय समाज के परिवर्तन की व्याख्या की है। हीगल ने द्वन्द्व की प्रक्रिया निम्न प्रकार बताई है। आपका कहना है कि पहले वाद होता है जो अपने में से ही विरोधी विचारों को जन्म देता है, जिसे आप प्रतिवाद कहते हैं। इन दोनों—वाद और प्रतिवाद (विचार और विरोधी विचार) के संघर्ष के द्वारा एक तीसरी वस्तु 'समवाद' या 'नया विचार' उत्पन्न होता है। यह क्रम चलता रहता है।

कार्ल मार्क्स ने मत व्यक्त किया है कि भौतिक पदार्थ विचारों को निर्धारित करते हैं। आपने हीगल के विचारों का विरोध किया कि विचार भौतिक पदार्थों का निर्धारण नहीं है। मार्क्स ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था और भौतिक पदार्थ के द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। आपने वाद, प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया को शोषक और शोषित के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों के परस्पर संघर्ष के फलस्वरूप बताया है। यह परिवर्तन का क्रम वर्गों में द्वन्द्व के द्वारा आदिम साम्यवादी वर्ग-विहीन समाज से दासत्व युग, सामन्ती युग व पूँजीपति

युग से होता हुआ वर्ग-विहीन एव राज्य-विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना पर जाकर समाप्त होगा।

डॉ पी मुकर्जी ने द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त से प्रभावित होकर भारतीय समाज व्यवस्था के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त परम्पराओं के द्वन्द्व का दिया है। आपका मत है कि भारतीय समाज के इतिहास में वैदिक काल से लेकर आज तक समय-समय पर पुरानी परम्परा और नई परम्परा, बृहद् परम्परा और स्थानीय परम्परा, आन्तरिक परम्परा व बाह्य परम्परा आदि में परस्पर संघर्ष होता रहा है। अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो हमें भारतीय इतिहास में परम्पराओं के द्वन्द्व, संघर्ष व विरोध आदि का क्रमबद्ध एव व्यवस्थित अध्ययन करना होगा। डॉ. पी मुकर्जी की दृष्टि में धर्म से सम्बन्धित परम्पराएँ, जो आज भी अपनी निरन्तरता बनाये हुए हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की नवीन परम्पराओं के मध्य द्वन्द्व या संघर्ष का अध्ययन करना चाहिये। वर्तमान में आपने परम्परा और आधुनिकता के परस्पर द्वन्द्व के अध्ययन पर भी जोर दिया है। इनमें संघर्ष के अध्ययन के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को व्याख्या की जा सकती है। आपका कहना है कि परम्पराएँ रुढ़िवादी होती हैं और इनके विरोध में सुधार-आन्दोलन द्वारा नये मूल्य संघर्ष करने के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार से आपने द्वन्द्व या संघर्ष के आधार पर परम्पराओं का अध्ययन करके भारतीय समाज एवं संस्कृति में सामाजिक परिवर्तन की विवेचना की है।

डॉ पी मुकर्जी द्वारा वर्णित परम्परा और द्वन्द्व की अवधारणाओं को समझने के बाद अब हम 'परम्पराओं का द्वन्द्व' की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे।

**3. परम्पराओं का द्वन्द्व (Dialectic of Traditions)**—डॉ पी मुकर्जी ने 'परम्पराओं का द्वन्द्व' उपागम के द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की विवेचना की है। इसको आपने अपने अध्यक्षीय भाषण 'इण्डियन ट्रेडिशन इन सोशियल चेंज' व 'वेस्टर्न इम्प्लूमेंट्स ऑन इण्डियन कल्चर' ('न्यू डेमोक्रेट', 1948), 'मैन एण्ड प्लान इन इण्डिया', 'इकोनॉमिक वीकली, बॉम्बे, 1953' आदि में प्रस्तुत किया है।

डॉ. पी मुकर्जी ने विचार व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्री परम्पराओं के अध्ययन के द्वारा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों का पता लगा सकते हैं। आपने परम्पराओं के अध्ययन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को निम्न कारणों से परम्पराओं के अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका आग्रह है कि भारतीय समाजशास्त्री को उन सामाजिक परम्पराओं का अध्ययन करना चाहिए जिनके बीच उसने जन्म लिया है, पला है, बड़ा हुआ है और आज भी रह रहा है। डॉ पी का कहना है कि इन परम्पराओं का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक तथा लाभदायक है। भारतीय समाजशास्त्री को पहले भारतीय होना चाहिए, उसके बाद उसे अपनी जनसंस्कृतियों, लोकतत्त्वों, प्रथाओं तथा परम्पराओं में भाग लेना चाहिए तथा अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप में समझना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्री के लिए केवल समाजशास्त्री होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे भारतीय जनसंस्कृतियों को ठीक तरह से समझना भी चाहिए। आपने यह भी लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री को परम्पराओं में आन्तरिक एव बाह्य दबावों (द्वन्द्व) से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। डॉ पी की मान्यता है कि भारतीय परम्परा का संघर्ष अदिकाल से लेकर अब तक अनेक परम्पराओं—आन्तरिक एव बाह्य, उच्च जनसंस्कृतियों एव स्थानीय परम्पराओं में होता

रहा है। आपने निष्कर्ष दिया कि भारतीय परम्पराओं के इतिहास से स्पष्ट होता है कि इनमें अवरोध एवं समावेष्टन की अपूर्व क्षमता है। भारतीय परम्पराओं में अनुकूलन की विशेष क्षमता है, जिसके कारण वह आज भी बनी हुई है।

भारत की परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने से पहिले यहाँ डी पी के कुछ मौलिक सुझावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। आपका सुझाव है कि भारतीय समाजशास्त्री को अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप में समझने के लिए संस्कृत तथा स्थानीय बोलियों का ज्ञान होना चाहिए। इस बात को आपने निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। आपका कहना है कि भारतीय परम्पराएँ—परम्पराओं का ज्ञान संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। जनश्रुतियों को समझने के लिए स्थानीय बोलियों का ज्ञान आवश्यक है। आपने अपने समकालीन समाजशास्त्रियों में पाया कि उन्हें संस्कृत तथा स्थानीय बोलियों का ज्ञान नहीं है। भारतीय परम्पराओं का द्वन्द्व (संघर्ष) इस्लाम की परम्पराओं के साथ रहा है। इन परम्पराओं का परस्पर संघर्ष एवं समन्वय के अध्ययन के लिए अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। डी पी का कहना है कि इन भाषाओं के ज्ञान की तो शायद ही कोई परवाह करता है। आपने लिखा है कि परम्पराओं के द्वन्द्व का अध्ययन इन परिस्थितियों में निराशाजनक है। आपका आग्रह है कि भारत में समाजशास्त्रीय शिक्षा संस्कृत या ऐसी भाषा को आधार मानकर दी जानी चाहिए जिनमें परम्पराएँ प्रतीकों के रूप में विद्यमान हों। ऐसा जब तक नहीं किया जायेगा तब तक भारत में सामाजिक अन्वेषण द्वैतीयक स्रोतों पर-आश्रित रहेगा। अर्थात् जो कुछ दूसरे कर रहे हैं, उनका मात्र अनुकरण होगा। भारत के सामाजिक वैज्ञानिक व शोधकर्त्ता आदि वैज्ञानिक प्रविधियाँ बाहर से आयात कर रहे हैं ऐसा भी वे बिना सोचे-समझे, उपयोगिता पर बिना ध्यान दिये कर रहे हैं, इसलिए परम्पराओं का द्वन्द्वात्मक अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं हो पा रहा है।

डी. पी. मुकर्जी ने तथ्य प्रस्तुत करके स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज को समझने के लिए परम्पराओं से स्वतन्त्र होने का कोई पथ नहीं है। आपने कहा—भारत को धर्म जीवन व्यतीत करने का परम्परागत तरीका है यही बात भारतीय संस्कृति के लिए भी लागू होती है। भारत की सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से समूह अथवा जाति क्रिया के लिए प्रतिमानात्मक आधार प्रस्तुत करती है। आपका मत है कि यह सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से क्रिया करने का प्रतिमान नहीं है। आपका ये भी कहना है—भारत में मुसलमानों, ईसाइयों तथा बौद्धों में भी समूह के लिए प्रतिमानात्मक आधार उनकी परम्पराएँ प्रदान करती हैं अतः परम्पराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। चूँकि भारत में हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान व ईसाई आदि अनेक परम्पराएँ हैं जिनमें परस्पर द्वन्द्व होता रहा है, इसलिए आपने इनके अध्ययन की समाजशास्त्रीय पद्धति द्वन्द्वात्मक बताई है।

मुकर्जी ने परम्पराओं में अनेक प्रकार के विरोध देखे और इसके आधार पर परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन की वकालत की। आपका कहना है कि नगरो एवं कसबों में स्वेच्छावाद पनप रहा है। इनका निकट से अध्ययन किया जाये तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इन लोगों में परम्परा-विरोधी प्रवृत्ति विकसित हो रही है। इनमें व्यक्तिवाद की परम्परा विकसित हो रही है। ये लोग समूहवादी परम्परा के विरोधी बनते जा रहे हैं। अतः परम्पराओं में परस्पर विरोध का अध्ययन करना आवश्यक है।

मुकर्जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि आज भी धर्म से सम्बन्धित परम्पराएँ अपनी निरन्तरता बनाये हुए हैं। धार्मिक परम्पराओं का द्वन्द्व या संघर्ष नगरीय मध्यम वर्ग की नूतन परम्पराओं के साथ हो रहा है। आपका सुझाव है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को इन परम्पराओं का विकास संघर्ष या द्वन्द्व के दृष्टिकोण से करना चाहिए। मुकर्जी लिखते हैं कि जब भारत के समाजों में स्वेच्छावाद या व्यक्तिवाद नहीं पनपा था, तब भारतीय किसान तथा परिवार के मुखिया आदि की आकांक्षाओं का स्तर निम्न था। भारतीयों के जीवन में निराशा तथा कुम्हटाओं का अभाव था। आपने कहा है कि आकांक्षाओं के स्तर का निर्धारण परम्पराएँ करती हैं। इसी सन्दर्भ में आपने यह भी लिखा है कि भारत की प्राचीन परम्पराओं में मनुष्य की अवधारणा पुरुष है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए भारतीय समाजशास्त्रियों को अपने अध्ययन की इकाई समूह को चुनना होगा जिनके आचरणों और व्यवहारों को परम्परा नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित करती है। इसी सन्दर्भ में डॉ. पी ने परम्परा की परिभाषा देते हुए लिखा कि "परम्परा वास्तव में आचरण या व्यवहार का नियम है।"

### परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूप (Typologies of Dialectical Study of Tradition)

डॉ. पी. मुकर्जी ने भारतीय समाज की परम्पराओं का अध्ययन किया और आपने कहा कि यदि समाजशास्त्रियों को भारतीय समाज को समझना है तो इसकी परम्पराओं का द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न कालों में अध्ययन करना चाहिए। आपने भारतीय समाज की परम्पराओं के द्वन्द्व के आधार, प्रकार एवं रूप सुझाये हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

1. लघु एवं बृहद् परम्परा में संघर्ष (Dialect of Great and Little Tradition)—सर्वप्रथम आपने यह कहा कि भारतीय संस्कृति के अन्दर ही आन्तरिक दयावो के फलस्वरूप बृहद्-परम्परा और लघु-परम्परा में संघर्ष होता है। ऐसा लगता है कि हीगल ने द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के सम्बन्ध में लिखा है कि जो वाद होता है उसके विरोध के तत्व उसी में से उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की बृहद्-परम्परा में विरोध लघु-परम्परा के रूप में इसके विरोध में उत्पन्न हुए हैं। समय-समय पर भारतीय संस्कृति की परम्पराओं के विरुद्ध भारतीय समाज में ही विरोध उत्पन्न हुए हैं। भक्तिकाल में चैतन्य, कबीर, दादू, नानक व बिस्ती आदि ने परम्पराओं के विरुद्ध सुधारात्मक प्रयास किये। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने परम्पराओं के विरुद्ध सुधारात्मक आन्दोलन किये जो उस काल में विद्यमान परम्पराओं के विरुद्ध थे।

2. पुनर्जागरण की शृंखलाएँ (Series of Renaissance)—डॉ. पी. मुकर्जी ने एक स्थान पर लिखा है कि भारतीय परम्पराओं का अध्ययन हमें पुनर्जागरण के रूप में भी करना चाहिए। आप ही के शब्दों में, "----- 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण केवल एक है, जो कि भारत में पुनर्जागरण की शृंखला की अन्तिम कड़ी है। हम कम-से-कम पहले के पाँच प्रमुख कालों को जानते हैं जिसमें परिवर्तन हुए हैं और सभी में नवजीवन के लक्षण मिलते हैं।" इन पंक्तियों के बाद आपने भारतीय परम्पराओं के संघर्ष के आधार पर निम्न पाँच प्रमुख कालों का उल्लेख किया है। छठे ब्रितानिया काल का आपने उल्लेख बाद में किया है—

1. वैदिक-आर्यकाल

- 2 बुद्ध-काल
- 3 गुप्त-काल
- 4 हर्ष एव विक्रमादित्य काल
- 5 मुस्लिम काल ( भक्ति काल)
- 6 ब्रितानिया काल

इन कालों में परम्परा के सम्यन्ध में जो सघर्ष, अनुकूलन और परिवर्तन-आदि मिले उसका उल्लेख आपने किया है।

3. उच्च एवं निम्न आरोही व अवरोही प्रक्रियाएँ (Ascending and Descending Processes)—मुर्कजो ने परम्पराओं के अध्ययन के सम्यन्ध में टर्नर (Turner) के वर्गीकरण का अनुकरण किया है। इनके अनुसार परम्पराएँ दो भागों में बाँटी गई हैं, जो निम्न हैं—

(1) उच्च (High)

(2) निम्न (Low)

आपने इस वर्गीकरण के अनुसार परम्पराओं के द्वन्द्व के अध्ययन की योजना का उल्लेख किया है जिसमें गुरविच (Gurvitch) के विचारों का भी समावेश किया है। आपने कहा है कि मुख्य बात यह है कि समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए जिसमें सम्यन्धित क्रियाएँ शिखर से नीचे की ओर जाती हैं और धरातल से शिखर की ओर जाती हैं, जिनको आपने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—(1) नीचे गहराई में जाना (Descent to the Deeps), और (2) ऊपर ऊँचाई की ओर जाना (Ascent to the Heights)। इसको हम परम्पराओं की आरोही एवं अवरोही प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें परस्पर सघर्ष, अनुकूलन, सामंजस्य व समन्वय होता है। आपने लिखा कि " और मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय समाज एवं भारतीय समाजशास्त्र—हमारे सभी शास्त्र समाजशास्त्रीय हैं। " इस कथन को आपने इस सन्दर्भ में कहा है कि भारतीय समाज के सम्यन्ध में बहुमूल्य समाजशास्त्रीय ज्ञान हमारे शास्त्रों में देखा जा सकता है।

4. आन्तरिक एवं बाह्य परम्पराओं में द्वन्द्व (Dialectic in Endogenous and Exogenous Traditions)—डॉ पी मुर्कजो ने भारतीय समाज की परम्पराओं के द्वन्द्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारतीय परम्पराओं का टकराव समय समय पर बाहर से आई परम्पराओं से होता रहा है, इनमें मुख्य रूप से इस्लाम एवं पश्चिमी बाह्य परम्पराएँ हैं। इन बाह्य परम्पराओं के कारण भारतीय परम्पराओं में काफी परिवर्तन आया है। पश्चिम की परम्पराओं का विश्लेषण आपने अपने लेख 'वैस्टर्न इन्फ्लूएस ऑन इण्डियन कल्चर डाइवर्सिटीज' में किया है।

5. परम्परा एवं आधुनिकता में द्वन्द्व (Dialectic in Tradition and Modernity)—डॉ पी ने लिखा है कि परम्परा और आधुनिकता में टकराव होता है, इसको आपने द्वन्द्ववाद के रूप में प्रस्तुत किया है। आपने एक प्रकार से परम्परा को वाद और आधुनिकता को प्रतिवाद माना है। इन दोनों के द्वन्द्व से जो संशोधित एवं समन्वित परिणाम निकलता है, उसी को आपने आधुनिकता कहा है। इसे अग्र प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

वाद ←→ प्रतिवाद = समवाद


परम्परा ←→ आधुनिकता = आधुनिकीकरण

डी. पी. मुकर्जी ने लिखा है कि वर्तमान का अध्ययन अतीत के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है। इसलिए आधुनिकीकरण को समझने के लिए परम्परा को समझना आवश्यक है। परम्परा और आधुनिकता के अन्तर्खेल से परम्परागत मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतिमानों में जो विस्तार और परिमार्जन होता है, वही आधुनिकीकरण है।

योगेन्द्रसिंह ने 'मॉडर्नाइजेशन एण्ड ट्रेडिशन' में 'मोशियल चेञ्ज इन इण्डिया : एन अप्रोच' में लिखा है कि डी. पी. मुकर्जी की कृतियों में हम परम्पराओं के प्रकारों एवं स्तरों का सम्पूर्ण विवेचन पाते हैं, जिसमें परिवर्तन, अन्तःक्रिया तथा टकराव के द्वारा परिवर्तन होता है। योगेन्द्रसिंह ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि डी. पी. ने अपना ध्यान अधिकांशतः बृहद् परम्पराओं (इस्लाम, हिन्दूवाद और आधुनिक पश्चिम) पर केन्द्रित रखा है तथा परम्पराओं की लघु-संरचना की विवेचना अति न्यून है।

डी. पी. मुकर्जी द्वारा अपने विभिन्न लेखों, अध्यक्षीय भाषणों एवं कृतियों में परम्पराओं के अध्ययन से सम्बन्धित द्वन्द्व के रूपों का जो वर्णन किया है, उनको सार रूप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

### परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूप



### भारतीय परम्पराओं का द्वन्द्वात्मक अध्ययन (Dialectical Study of Indian Traditions)

डी. पी. मुकर्जी ने भारतीय परम्पराओं का जो द्वन्द्वात्मक विवेचन किया है उसे संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपने परम्पराओं के दो प्रकार के द्वन्द्व बताए हैं—(1) आन्तरिक द्वन्द्व और (2) बाह्य द्वन्द्व। इन्हें निम्न क्रम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. आन्तरिक परम्पराओं का द्वन्द्व (Dialectic of Endogenous Traditions)—डी. पी. मुकर्जी ने परम्पराओं के द्वन्द्व का प्रमुख प्रकार आन्तरिक द्वन्द्व का स्वरूप बताया है। इसमें आपने भारतीय समाज और संस्कृति में जितने भी प्रकार के परम्पराओं

के द्वन्द्व हुए हैं, उन सभी को इसमें समाहित किया है। आपने भारत के इतिहास में द्वन्द्व की प्रक्रिया को काल-क्रमिक दृष्टिकोण से वर्णित करते हुए लिखा कि परम्पराओं का द्वन्द्व वैदिक—आर्य काल, बुद्धकाल, गुप्तकाल, हर्षवर्धन तथा विक्रम काल और भक्ति काल में हुआ है। इन सभी कालों में विद्यमान परम्पराओं का समाज के प्रमुख लोगो ने विरोध किया और सुधार के रूप में कुछ-न-कुछ परिणाम सामने आए। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि डी पी भारतीय इतिहास में मात्र 19वीं शताब्दी को ही पुनर्जागरण नहीं मानते बल्कि आप विभिन्न कालों को भारत में पुनर्जागरण की शृंखलाएँ मानते हैं। जिसकी अन्तिम कड़ी उन्नीसवीं शताब्दी का पुनर्जागरण है। आपने मुस्लिम काल को भी पुनर्जागरण की शृंखला की एक कड़ी माना, जिसमें भक्ति काल में परम्पराओं का सघर्ष अधिक स्पष्ट प्रकट हुआ।

डी पी ने आन्तरिक दबावों, टकरावों एवं द्वन्द्व के अध्ययन पर बल दिया है। परम्पराएँ सामजस्य एवं अनुकूलन आदि के द्वारा जीवित रही हैं। आपने लिखा है कि भारतीय परम्पराएँ प्रतीकों के रूप में संस्कृत तथा स्थानीय बोलियों में विद्यमान हैं। संस्कृत साहित्य में आपके अनुसार ब्राह्मणों को परम्पराओं का संरक्षक माना गया है। ब्राह्मण पवित्र पुस्तकों के माध्यम में भारतीय परम्परा की सद्दिशा को बनाए रखते थे। ये सामाजिक संरचना को परम्परा के रूप में सुरक्षित रखते हैं। डी पी ने लिखा है कि जाति-प्रथा भारतीय परम्परा है। ब्राह्मणों ने परम्पराओं की रक्षा के द्वारा भारतीय समाज व्यवस्था का इतिहास बनाए रखा। पीढ़ी-दर-पीढ़ी वे परम्पराओं को स्थानान्तरित करते रहे।

डी. पी ने लिखा है कि ऐसा होते हुए भी भारतीय परम्पराओं में श्रुति, स्मृति और अनुभव से स्पष्ट होता है कि इनमें परिवर्तन हुए हैं। यदि हम विभिन्न सम्प्रदायों, धार्मिक ग्रन्थों की उत्पत्ति का अध्ययन करें तो पायेंगे कि उच्च परम्पराएँ मुख्यरूप से वृहद् एवं बौद्धिक थीं और सन्तों के वैयक्तिक अनुभव, लघु तथा निम्न बौद्धिक परम्पराओं के रूप में समय-समय पर प्रतिवाद के रूप में उत्पन्न होते रहे। इन उच्च और निम्न परम्पराओं और वृहद् और स्थानीय परम्पराओं में द्वन्द्व होता रहा। उच्च या वृहद् परम्पराएँ संस्कृत भाषा से सम्बन्धित थीं, लघु या निम्न परम्पराएँ स्थानीय बोलियों के रूप में थीं। इसी सन्दर्भ में आपने लिखा कि भारतीय परम्पराओं में अपूर्व समावेश की क्षमता रही है, इसी कारण इसकी परम्पराओं में जब भी विरोध हुआ इसने उनको अपने में समाविष्ट कर लिया। विभिन्न कालों में अनेक सम्प्रदायों के सन्त-संस्थापकों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परम्पराओं के विरुद्ध विचार व्यक्त किए। उनका मन्दिरों तथा पुजारियों से कोई सम्बन्ध न था। इन्होंने निम्न जातियों एवं वर्गों को ही अपने पथ से सम्बन्धित रखा। इन्होंने स्त्रियों को समान स्थिति प्रदान की एवं प्रेम, स्नेह तथा सहजता या स्वाभाविकता का उपदेश दिया। सन्तों का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने से परम्पराओं में परिवर्तन हुआ। आपने बताया कि विभिन्न कालों में मानव, बौद्धिकता एवं विचारों का प्रचार हुआ। कला, हस्तकला व साहित्य आदि का विकास हुआ। आपका कहना है कि आन्तरिक शक्तियों एवं दबावों से परम्पराओं में जो परिवर्तन हुआ है इसका अध्ययन करके ही भारतीय परम्पराओं को समझा जा सकता है। आपने पूर्व उल्लेखित विभिन्न कालों में परम्पराओं का गहन अध्ययन नहीं किया। योगेन्द्रसिंह ने भी अपने निष्कर्ष में डी पी. के बारे में यही लिखा है।



2. बाह्य परम्पराओं से द्वन्द्व (Dialectic with Exogenous Traditions)— डी. पी. मुकर्जी ने लिखा है कि वैसे तो भारत में समय-समय पर बाहर से अनेक प्रजातियाँ और संस्कृतियाँ आईं लेकिन भारतीय परम्परा पर सबसे अधिक बाहर से आई इस्लामी और पश्चिमी ब्रितानिया परम्परा का प्रभाव पड़ा। इस्लामी परम्परा भारत में बाहर से आए मुसलमानों के साथ आई। डी पी ने लिखा कि पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी में इस्लाम ने हिन्दूवाद पर पूर्ण रूप से प्रहार किया। इसके द्वारा हिन्दूवाद में परिवर्तन आया।

डी पी. मुकर्जी ने अपने लेख 'वेस्टर्न इन्फ्लूएंस ऑन इण्डियन कल्चर' अर्थात् 'भारतीय संस्कृति पर पश्चिम के प्रभाव' की बहुत विस्तार से विवेचना की है। आपने लिखा है कि भारतीय समाज पर पश्चिम के प्रभाव को परम्पराओं के द्वन्द्व में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रभाव मुस्लिम शासन से प्रारम्भ हुए थे, ब्रितानिया साम्राज्य ने उसमें व्यवधान डाला। डी पी. ने अंग्रेजों द्वारा भारत में नवीन आर्थिकी, राजनीति, न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं को परिवर्तन का कारण माना है। आपका यह भी कहना है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ। इस काल में पुनर्जागरण की प्रक्रिया एवं समाज-सुधार आन्दोलन को डी पी पश्चिमी प्रभाव मानते हैं। आपने व्यक्तिवाद का उदय, स्वतन्त्रता की भावना व बाह्य सत्ता से मुक्ति आदि का कारण पश्चिम का प्रभाव माना है। इसी काल में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज व रामकृष्ण समिति आदि ने भी समाज सुधार के प्रयास किए जो एक प्रकार से भारतीय परम्परा के विरुद्ध थे। ये सभी नवीन धार्मिक आन्दोलन पुरातन-समाज द्वारा अपने में समाहित कर लिए गए। डी पी ने भारतीय परम्पराओं पर पश्चिम के प्रभावों का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसे हम अलग से निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं—

### भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव (Western Influence on Indian Culture)

डी पी मुकर्जी ने अपने इसी शीर्षक के लेख में भारतीय परम्परा, संस्कृति और समाज पर बाह्य परम्परा अर्थात् पश्चिम के प्रभाव का विश्लेषण किया है। इसमें आपने भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक कारकों का प्रभाव, शिक्षा, राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष व ईसाई मिशनरियों का प्रचार, पुनर्जागरण आदि पर प्रकाश डाला है।

डी पी मुकर्जी ने मार्क्स के विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारत वर्ष में आपुनिकीकरण (पश्चिमोकरण) की प्रक्रिया ब्रितानिया प्रशासन के द्वारा प्रारम्भ हुई। एक प्रकार से अंग्रेजों ने ही भारतवर्ष में बहुमुखी परिवर्तनों की प्रक्रिया का श्रीगणेश किया, ऐसा डी. पी. और मार्क्स का मानना है। आपने लिखा है कि बाहर से अनेक प्रजातियाँ एवं संस्कृतियाँ भारत में आईं और यहाँ बस गईं, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर बसने के उद्देश्य से नहीं आए। डी पी ने लिखा कि पश्चिम के प्रभाव को समस्या स्वोक्ति या अस्वोक्ति की नहीं है, बल्कि इसको भारतीय परम्पराओं के सन्दर्भ में समझने की है। अंग्रेजों का उद्देश्य लाभ कमाना था। उन्होंने अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया। डी. पी ने लिखा भी है कि किसी समाज की परम्परा को सबसे अधिक धक्का आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होने का पड़ता है। अंग्रेजों ने भारत में अनेक नवीन परिवर्तन किए। ब्रितानिया प्रशासन ने भारत की ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विखंडित कर दिया। भू-व्यवस्था

के अनेक नये कानून बनाकर उसे नवीन रूप दिया। भारत की अर्थव्यवस्था ग्राम, नगर, महानगर से होती हुई विश्व अर्थव्यवस्था में जुड़ गई और इस प्रकार से आत्मनिर्भरता पारस्परिक निर्भरता में बदल गई। यहाँ से कच्चा माल विदेश जाने लगा और उत्पादित वस्तुएँ यहाँ बिकने लगीं।

ब्रितानिया सरकार ने अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए भारत में शिक्षा का विस्तार किया। भारतीय लोग राजनीति, तत्त्व-दर्शन तथा यूरोप के इतिहास के सम्पर्क में आए। भारतीयों पर पश्चिमी विज्ञान एवं दर्शन का प्रभाव पड़ा, उनके सोचने-विचारने में व्यक्तिवाद एवं तर्क का समावेश हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षित भारतीय लोग प्राचीन परम्पराओं और प्रथाओं को महत्त्वहीन मानने लगे। मुस्लिम काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज में विकसित हो गई थीं। उनका विरोध पश्चिम में प्रभाविन शिक्षित भारतीयों ने किया, जिसका परिणाम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज व रामकृष्ण समिति आदि की स्थापना व समाज-सुधार के रूप में हुआ। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत के साहित्य, चित्रकला, संगीत, कला आदि की प्रगति पर भी पड़ा। वैज्ञानिक शोध, पत्रकारिता, विश्वविद्यालयी शिक्षा, क्लब, समितियों का गठन, नारी स्वतन्त्रता, सतीप्रथा पर रोक व विधवा पुनर्दिवाह आदि परिवर्तन आए।

डी पी तथा अनेक विद्वानों का कहना है कि भारत में राष्ट्रीयवाद की भावना व राष्ट्रीयता की लहर पश्चिम के प्रभावों का परिणाम है। शिक्षित भारतीयों में स्वतन्त्रता, मानवता एवं राष्ट्रीयता के मूल्य विकसित हुए। ये लोग मानवतावाद के प्रति जागरूक हो गए। अब तक जो पुनर्जागरण प्रजातियों एवं संस्कृतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चल रहा था, वह ब्रितानिया सरकार के कारण बहुत गत्यात्मक हो गया। ब्रितानिया साम्राज्य के साथ-साथ भारत में ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया। यह धर्म-प्रचार मानवतावाद पर आधारित रहा है। इन मिशनरियों ने भारतीय परम्पराओं से सम्बन्धित अन्धविश्वासों से लोगों को मुक्ति दिलाई। यहाँ के लोग अपने विकास एवं प्रगति की ओर सजग हो गए। भारतवर्ष में पश्चिम के प्रभाव का एक परिणाम यहाँ पर व्यक्तिवाद का उदय होना है। डी पी ने लिखा है कि भारतीय बुद्धिजीवी अपने स्वयं के बारे में सोचने लगे, व्यक्तियों में स्वतन्त्रता की भावना का उदय हुआ। स्त्रियाँ अपने पति व परिवार से मुक्ति की बात सोचने लगीं। सार रूप में डी पी मुकर्जी ने ब्रितानिया साम्राज्य के रूप में पश्चिमों संस्कृति एवं परम्पराओं के प्रभावों का विवेचन किया। आपने यह भी लिखा कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि भारतीय लोग इस बाह्य सत्ता (ब्रिटिश शासन) से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे।

डी पी मुकर्जी ने यह भी बताया कि भारतवर्ष में जाति-प्रथा ने कभी वर्गों की विकसित नहीं होने दिया लेकिन पश्चिम के प्रभाव के कारण वर्ग के लक्षण उभरे और एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय हुआ। डी पी मुकर्जी ने इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को भी उद्धरित किया है, जो निम्न प्रकार हैं—

टैगोर ने भारतीय परम्पराओं पर पश्चिम के निम्न तीन प्रभावों का उल्लेख किया है—

- 1 भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ जो पहले जाति प्रथा के कारण एक सौम्य तक सीमित था।

2. मानव के सम्मान में विश्वास पैदा हुआ।
3. मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए मानव स्वयं सक्षम है, इस विचार को स्वीकार किया गया।

डॉ पी मुकर्जी ने लिखा है कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत के सामाजिक मामलों में योजनावद्ध दखल नहीं दिया। ब्रितानिया सरकार की नीति सामाजिक मामलों के प्रति प्रशासकीय तटस्थता की रही इसीलिए ब्रितानिया सरकार ने जाति-व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अन्य नवाचारों के कारण भारतीयों में अपने प्राचीन इतिहास एवं सभ्यता को समझने एवं देखने के प्रति जागृति पैदा हो गई और उसे समझने का उन्होंने प्रयास किया।

डॉ पी मुकर्जी ने लिखा कि ब्रितानिया सरकार एवं पश्चिम के प्रभाव से पश्चिम पूर्व के निकट आया। इस निकटता का श्रेय अंग्रेजों के व्यापार एवं उद्योग को जाता है। अंग्रेजों के माध्यम से पूर्व एवं पश्चिम की सस्कृतियों में आदान-प्रदान हुआ। पश्चिम के सम्पर्क से भारत में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति हुई। भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई। डॉ पी. का कहना है कि सामाजिक विज्ञानों के सम्बन्ध में भारत में अधिक प्रगति नहीं हुई क्योंकि भारतीय सामाजिक संस्थाएँ इनके प्रति विरोधी रहीं। शिक्षित लोगों ने विशेष रूप से महात्मागाँधी और उनके अनुयायियों में नई मशीनों और औद्योगीकरण के प्रति विरोध रहा। डॉ पी मुकर्जी ने अपना यह लेख 'भारतीय सस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव' 1948 में लिखा था, इसलिए भारतीय परम्परा एवं पश्चिमी संस्कृति में जो आदान-प्रदान सन् 1948 के बाद हुए उसका इसमें उल्लेख नहीं है। विगत वर्षों में पूर्व और पश्चिम में सस्कृति व सभ्यता से सम्बन्धित अनेक उल्लेखनीय आदान-प्रदान हुए हैं जिसके सम्बन्ध में डॉ पी मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत की गई पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है।

### अभ्यास प्रश्न

#### नियन्त्रात्मक प्रश्न

- 1 डॉ पी मुकर्जी के जीवन-चित्रण एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए।
- 2 डॉ पी मुकर्जी के सामाजिक विचारों, अध्ययन के दृष्टिकोण, मार्क्सवादी विचारधारा, अध्ययन पद्धति और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए।
- 3 डॉ पी मुकर्जी का भारत के समाजशास्त्र में योगदान का वर्णन कीजिए।
- 4 भारतीय सामाजिक परिवर्तन में परम्पराओं के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
- 5 डॉ पी मुकर्जी के 'परम्परा का द्वन्द्व' से सम्बन्धित विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
- 6 डॉ पी. मुकर्जी के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूपों की विवेचना कीजिए।
- 7 भारतीय सस्कृति पर पश्चिम के प्रभावों की विवेचना कीजिए।

#### लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-

- 1 डॉ पी मुकर्जी : परम्पराओं का द्वन्द्व (राज वि 1996)
- 2 डॉ पी मुकर्जी के अनुसार परम्परा का अर्थ
- 3 लघु एवं बृहद् परम्परा में द्वन्द्व

- 4 पुनर्जागरण की शृंखलाएँ
- 5 उच्च एवं निम्न आरोही व अवरोही प्रक्रियाएँ
- 6 परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूप
- 7 भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव
- 8 विभिन्नता की अवधारणा

(राज वि 1994)

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 डी पी मुकर्जी का जन्म कब हुआ था?  
(अ) 1894 (ब) 1895 (स) 1869 (द) 1889  
[उत्तर- (अ)]
- 2 डी. पी. मुकर्जी का देहान्त कब हुआ था?  
(अ) 1958 (ब) 1962  
(स) 1968 (द) 1983  
[उत्तर- (ब)]
3. 'व्यूज एण्ड काउण्टर-व्यूज' रचना के लेखक कौन हैं?  
(अ) डी. पी. मुकर्जी (ब) राधाकमल मुकर्जी  
(स) जी एस घुर्गे (द) दुर्खीम  
[उत्तर- (अ)]
- 4 निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए—  
(i) डी पी मुकर्जी के अनुसार भारतीय समाज में परम्पराओं का सपर्य (द्वन्द्व) वृहदस्तर और लघुस्तर की परम्पराओं में होता है।  
(ii) डी. पी. मुकर्जी की अध्ययन पद्धति मनो-समाजशास्त्रीय है।  
(iii) डी. पी. मुकर्जी का दृष्टिकोण सम्पूर्णतावादी नहीं है।  
(iv) डी पी मुकर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री के लिए संस्कृत भाषा तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है।  
(v) 'परम्पराओं का द्वन्द्व' की अवधारणा राधाकमल मुकर्जी ने प्रतिपादित की है।  
[उत्तर-सत्य कथन : (i), (ii), असत्य कथन : (iii), (iv), (v)]
5. 'परम्पराओं का द्वन्द्व' के प्रारूप लघु-वृहद, उच्च-निम्न, आन्तरिक-बाह्य परम्परा-आधुनिकता किसने दिए हैं?  
(अ) राधाकमल मुकर्जी (ब) डी पी मुकर्जी  
(स) गुरविच (द) मजूमदार  
[उत्तर- (ब)]
- 6 परम्परा को वाद, आधुनिकता को प्रतिवाद और समवाद को आधुनिकीकरण किसने कहा है?  
(अ) डी पी मुकर्जी (ब) श्रीनिवास  
(स) घुर्गे (द) राधाकमल मुकर्जी  
[उत्तर- (अ)]

## अध्याय-15

### डी. पी. मुकर्जी : कला तथा साहित्य का विकास (D.P. Mukerji : Development of Art and Literature)

डी. पी. मुकर्जी ने भारत में साहित्य और कला के विकास पर अपने विचार निम्न तीन लेखों में व्यक्त किये हैं।

1 'सोशियल प्रोब्लम्स इन फिक्शन', 20वीं शताब्दी कलकत्ता, 1935,

2. 'सोशियोलोजी ऑफ इण्डियन लिटरेचर', 1950-52, और

3 'सोशियल चेन्जेज एण्ड इण्टेल्लेक्चुअल इन्टरेस्ट', आपने यह लेख दिल्ली में यूनेस्को विचारगोष्ठी में सन् 1956 में प्रस्तुत किया था।

आपके ये तीनों लेख 'डाइवर्सिटीज' पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों में आपने भारतवर्ष में विद्यमान साहित्य का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया है। डी पी ने 'भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र' लेख में साहित्य का विकास विभिन्न भाषाओं में साहित्य की स्थिति, संस्कृत, हिन्दी, बंगाला व उर्दू आदि भाषाओं में गद्य-पद्य, नाटक व उपन्यास इत्यादि का विश्लेषण करके स्पष्ट किया कि इनमें समाज व संस्कृति का चित्रण किस प्रकार किया गया है। उन्होंने भाषाई क्षेत्र के आधार पर भारतीय साहित्य पर प्रकाश डाला। साहित्य में विपथगमन, कर्तव्य, भावुकता, नेतृत्व, पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता, देश-भक्ति, प्रकृति-प्रेम व ईश्वर-प्रेम आदि के आधार पर साहित्य का काल्पनिक विकास बताया गया है। आपने भारतीय साहित्य पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव और अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया है। आपने हिन्दी साहित्य में सामाजिक समस्याओं के चित्रण एवं साहित्य के द्वारा समाज-सुधार पर भी प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि भारत एक बहु-भाषाई एवं बहु-क्षेत्रीय राष्ट्र है इसलिए भारतीय साहित्य एवं कला के विकास की पूर्ण जानकारी के लिए भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। आपने बंगला, हिन्दी और उर्दू साहित्य के विख्यात साहित्यकारों व उनकी रचनाओं तथा उनकी विषय-सामग्री को सक्षिप्त पाद-टिप्पणी में प्रस्तुत किया है। यहाँ हम उपयुक्त क्रम से ही भारतीय साहित्य एवं कला के विकास को डी पी मुकर्जी द्वारा प्रदान की गई सामग्री के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

#### भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र (Sociology of Indian Literature)

डी पी मुकर्जी ने 'भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र' को अपने लेख 'सोशियोलोजी ऑफ इण्डियन लिटरेचर' में वर्णित किया है। आपने लिखा है कि अगर हम भारतीय साहित्य का सामान्य सर्वेक्षण करें तो पायेंगे कि इस साहित्य में निम्नलिखित समाजशास्त्रीय विशेषताएँ हैं। इन्होंने कहा कि साहित्य में संस्कृति और समाज का गत्यात्मक

वर्णन मिलता है जो एक प्रकार से समाजशास्त्रीय है। आपके अनुसार भारतीय साहित्य की परम्पराएँ—साहित्य के इतिहास और साहित्य—दोनों में ही विषय-वस्तु के रूप में विद्यमान होती हैं। डी पी का मत है कि सांस्कृतिक परम्पराएँ एवं प्रयोग सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और सामाजिक क्रियाएँ सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रभावित करती हैं अर्थात् ये दोनों परस्पर घनिष्ठतया सम्बन्धित, अन्योन्याश्रित व सगुणित हैं। आपने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा कि समाज के साहित्य की प्रकृति का समाज की संस्कृति और सामाजिक प्रक्रिया से सीधा, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध होता है। आपने पाद-टिप्पणी में लिखा कि अब तक जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें निम्न कमियाँ मिलती हैं—

- 1 समाजशास्त्रीय पद्धतियों एवं सिद्धान्तों से अपरिचितता।
- 2 मार्क्सवादी व्याख्या का अति-सरलीकरण, और
- 3 लेखक की अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में होने वाली भटनाओं के प्रति तटस्थता।

डी पी ने आगे लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित प्रथम दो कमियों को तो समाजशास्त्र के ज्ञान के विस्तार के द्वारा हल किया जा सकता है लेकिन तीसरी कमी को समाप्त करने के लिए ऐसी अन्वेषण योजनाओं का संचालन करना होगा जिनमें विभिन्न भारतीय साहित्य के प्रतिनिधियों को एक साथ एकत्र किया जा सके और इस आधार पर अखिल भारतीय दृष्टिकोण एवं यथार्थ परीक्षण के द्वारा सामाजिक एवं साहित्यिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। आपने कहा कि भारतीय साहित्य के विकास की उस समग्रता का अन्वेषण करना होगा जो भारत के सांस्कृतिक परिवर्तन के सामान्य रूप को प्रकट करे, इतना ही नहीं, आगे चलकर वह सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया की व्याख्या करने में योगदान करे।

## ( 1 ) साहित्य का विकास (Development of Literature)

डी पी मुकर्जी ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का मुख्य स्रोत माना है। इसलिए भारतीय साहित्य एवं कला के विकास का अध्ययन प्राचीनकाल में संस्कृत साहित्य से शुरू होना चाहिए। प्राचीनकाल में संस्कृत ही समाज की परम्पराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, सगठन, सामाजिक एकता, मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों का आधार थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। उसके बाद भक्तिकाल का प्रभाव पड़ा और बाद में पश्चिम के अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा। डी. पी द्वारा इन कालों में भारतीय साहित्य के विकास को इन्हीं शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा।

1. **संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)**—डी पी मुकर्जी ने लिखा है कि विभिन्न साहित्य के स्वरूपों का स्रोत संस्कृत साहित्य रहा है जिसका निर्माण सम्भ्रान्त-वर्ग के द्वारा हुआ। जो भिन्नताएँ थीं, उनका कारण लोक कथाएँ, गीत, कविताएँ आदि थीं जो जन-सामान्य में विद्यमान थीं। संस्कृत भाषा ने इन भिन्नताओं को अपने में समाहित किया और एकीकृत साहित्य का निर्माण किया जो शताब्दियों तक बना रहा। सम्भ्रान्त-वर्ग में जो जीवन की सामान्य सामाजिक परम्पराएँ थीं वे साहित्य के स्वरूपों की निरन्तरता के लिए प्रमुख रूप में उत्तरदायी थीं। ये लोग अपने को जनसाधारण के साहित्य से अलग रखते थे। साहित्य के न्यून परिवर्तन का कारण विभिन्न जनजातियों एवं लोगों को राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के रूप

में अलग-अलग लेकिन सर्गातित रूप से जीवन व्यतीत करना था। वे लोग अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र रूप से पास-पास रहते थे। उनको आर्थिकी आत्मनिर्भर थी तथा संचार के साधन कम विकसित थे इसलिए साहित्य पर नगरीय जीवन का प्रभाव कम पड़ा।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में स्वरूप एवं अन्तर्वस्तु में विनिमय हुआ। स्वरूप एवं अन्तर्वस्तु को संस्कृत साहित्य ने अपने में समाहित कर लिया। भारत के सौन्दर्य-शास्त्रियों की कविताओं में स्थानीय विशेषताएँ मिलती हैं। 16वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा प्रभावशाली थी। एक बंगाली लेखक ने अपनी रचना का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया, जिससे उसे भारतीय लोग समझ सके।

2. इस्लाम का प्रभाव (Impact of Islam)—मुस्लिम शासन जो ब्रितानिया शासन की तुलना में भारत में बहुत लम्बे समय तक रहा, उसने भारतीय संस्कृति और साहित्य के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। मुस्लिम शासन काल में सांस्कृतिक समन्वय हुआ। भारतीय साहित्य में उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। डी पी ने कहा, "उर्दू निश्चय ही भारतीय भाषा है।" यह भाषा कस्बों तथा उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रों एवं दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में फैली। मुस्लिम शासन काल में न्यायालयों की भाषा उर्दू होने के कारण धीरे-धीरे सुदूर क्षेत्रों में भी यह फैल गई। भारतीय साहित्य में हिन्दुस्तानी और उर्दू भाषा में अन्तर करना मुश्किल होगा। राजनीति के कारण हिन्दू-मुसलमान अलग हो गये। उर्दू भाषा अधिक फ़ारसी हो गई और हिन्दी भाषा अधिक संस्कृतमय हो गई। अदालतों की भाषा होने के कारण उर्दू अन्तर्देशीय भाषा बन गई।

3. भक्ति एवं साहित्य पर प्रभाव (Impact on Devotion and Literature)—क्षेत्रीय भाषाओं के पुनर्जागरण तथा भक्ति का साहित्यिक महत्त्व बढ़ने से भारतीय साहित्य के विकास पर प्रभाव पड़ा। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण के राम और सीता भी तुलसीदास के राम-सीता से भिन्न थे। वैदिक काल के साहित्य एवं आध्यात्मिक साहित्य के कारण मुस्लिम शासनकाल में भारतीय साहित्य में एकता में भिन्नता बनी रही। सम्भ्रांत वर्ग में संस्कृत साहित्य व्याप्त रहा और अदालतों के सम्पर्क वाले में उर्दू भाषा व्याप्त रही। जब भारतीय पृथ्वी पर पश्चिम का प्रभाव आया उस समय तक भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य समृद्ध एवं स्थिर और औपचारिक भी था। भारतीय साहित्य पर इस्लाम की तुलना में पश्चिम का प्रभाव अधिक पड़ा।

4. पश्चात्य प्रभाव (Western Influence)—मुसलमानों के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी आई जिसने यहाँ के स्थानीय उद्योग एवं व्यापारों को हानि पहुँचाई। इस कम्पनी के स्थापित होते ही उन्होंने यहाँ की पचायतों को समाप्त किया, सामन्तवादी सम्बन्धों को बनाये रखा व अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा को ऐसे वर्ग के निर्माण के लिए प्रारम्भ किया, जो सरकार की सहायता कर सके। इन भूमिपतियों (सामन्तों) और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों से मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। मुकर्जी ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि ये पश्चिम के युर्जुआओं से भिन्न थे तथा ये वर्ग अपने समाज से दूट गये और 'त्रिराकु' की स्थिति में आ गये। "They were an Uprooted class who were kept hanging in mid air" इससे साथ-साथ इस वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "लेकिन इन अंग्रेजी प्रशिक्षित मध्यम वर्गों ने पश्चिमी संस्कृति के हस्तान्तरण के माध्यम के रूप में

कार्य किया।" राजा राममोहन राय ने दोनों संस्कृतियों को देखा और योजनाबद्ध तरीके से पश्चिम आह्वान को स्वीकार किया। पश्चिम के सम्पर्क का सर्वोत्तम उदाहरण उनका नया साहित्य था। भारत में त्रिनानिया काल में भारतीय साहित्य नई दिशा में विकसित होने लगा। संस्कृत साहित्य के स्वरूप का प्रभाव अन्ततोगत्वा कमजोर पड़ गया। यद्यपि पश्चिम के साहित्य का सम्पर्क भारतीय जनता के एक वर्ग से ही था।

## ( 2 ) भारतीय साहित्य में सामान्य तत्त्वों का विकास (Development of General Features in Indian Literature)

डॉ पी मुकर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन किया और उसके आधार पर अपने भारत के अनेक नवीन साहित्य में समय के साथ-साथ सामान्य लक्षणों का वर्णन किया, जिनका उस समय विकास हुआ था। अपने साहित्य में विकसित निम्न चार प्रमुख लक्षणों को विवेचना की है—

- 1 क्षेत्र का विकास
- 2 नूतन मूल्यों का उत्तरोत्तर अधिग्रहण
- 3 नये वर्ग की उत्पत्ति
- 4 उद्योग एवं तकनीक का प्रभाव

1. क्षेत्र का विकास (Enlargement of Scope)—डॉ पी. मुकर्जी ने लिखा है कि मुद्रण सुविधा, पुस्तकालीन शिक्षा के विस्तार से साहित्य में विकास हुआ। इसके विकास पर अंग्रेजी साहित्य के राजनैतिक दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। अब जो नया साहित्य विकसित हुआ उसमें उपन्यास, नाटक, यात्रा-वर्णन, निबन्ध, डायरी, कहानी, काव्य एवं महाकाव्य आदि की रचना हुई। पौराणिक नाटक लिखे जाने लगे तथा मंच पर खेले जाने लगे। उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाने लगा। बंगाल में महाकाव्य यूरोपीय नमूनों के अनुसार लिखे जाने लगे।

2. नूतन मूल्यों का उत्तरोत्तर अधिग्रहण (Gradual Acquisition of New Values)—भारतीय साहित्य में अनेक नये मूल्यों का स्थान रातो-रात पश्चिम के मूल्यों ने ले लिया। मुकर्जी ने स्पष्ट किया है कि स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व, राष्ट्रीयतावाद, विज्ञान तथा तर्कपूर्ण विचार व विशेष रूप से नये मूल्य भारतीय साहित्य में आये। ये मूल्य राजनीतिक समस्या व नागरिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित थे लेकिन जो धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन थे, उन्होंने सामाजिक मामलों में इनके द्वारा हस्तक्षेप किया। तर्कपूर्ण विचारों का विकास विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण तिरस्कृत हो गया। पश्चिम के ईसाई धर्म ने भौतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। भारतीय साहित्य में अनुकरण, सघर्ष, व्यवस्था, सामंजस्य और आत्मसात् आदि सभी सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ विकसित हो गईं। इस नये साहित्य में समाजवाद, जिसमें प्रेम, स्नेह, धैर्य, तार्किक विचार व अन्वेषण की भावना आदि का विकास हुआ।

3. नये वर्ग की उत्पत्ति (Origin of a New Class)—डॉ पी मुकर्जी ने कहा कि ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी भारत में आई और ब्रितानिया शासन की स्थापना यहाँ हो गई तो उन्होंने भारत के सामन्तों, जागीरदारों व भूमिपतियों को सरक्षण दिया। अपने प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ को लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाई। इन दोनों ही प्रकार के



लोगो—सामन्तों तथा अंग्रेजी-प्रशिक्षित लोगों का डी पी मुकर्जी के अनुसार भारत में एक विशिष्ट वर्ग बन गया जिसे आपने बुर्जुआ-वर्ग कहा है, लेकिन ये पश्चिम के बुर्जुआ-वर्ग से भिन्न विशेषताओं वाला वर्ग है। अंग्रेजी-प्रशिक्षित इन सम्प्रान्त लोगो ने भारत में अंग्रेजी साहित्य का विकास व विस्तार किया। ये एक प्रकार से भारत और पश्चिम के साहित्य को जोड़ने वाले माध्यम बन गये। इन लोगो ने पश्चिम के साहित्य का अनुकरण किया, अपनाया और उसी प्रकार के साहित्य का निर्माण किया। भारत में यह सामाजिक व सांस्कृतिक द्वन्द्व की परिस्थिति अंग्रेजी साहित्य के स्वरूप, विश्वास और दृष्टिकोण में मिलती है।

4. उद्योग एवं तकनीकी का प्रभाव (The Effects of Industrialism and Technology)—डॉ. पी. ने बताया कि भारतीय साहित्य में उद्योगवाद को प्रथम महायुद्ध के बाद पहचाना गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रविधि को भी माना जाने लगा, पूर्व के काल में इन दोनों कारकों ने अंग्रेजी भाषा में आर्थिक साहित्य में सामाजिक परिवर्तन किया था, जिसमें भारत की धन-सम्पत्ति का बहाव ब्रिटेन की ओर रहा। उस काल के दो भारतीय अर्थशास्त्रियों ने ऐतिहासिक उपन्यासों का इतिहास लिखा, जबकि पहले उपन्यास प्रायः भौतिक सफलता एवं विकास के सम्बन्ध में ही लिखे जाते थे। प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय साहित्य में भारतीय समाज पर पूँजीवाद की घटनाओं का वर्णन किया जाने लगा। ग्रामीण रोमांचवाद से शास्त्रीय मार्क्सवाद तक सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन साहित्य में मिलने लगा। मार्क्सवादी विचारधारा में सामाजिक न्याय सम्बन्धी बातें साहित्य की अन्तर्वस्तु में आने लगीं।

### ( 3 ) मिथ्या-व्यक्तिवाद का विस्तार (Spread of Pseudo-Individualism)

ब्रिटानिया सरकार के अनेक प्रभावों के फलस्वरूप भारतीय समाज के अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में व्यक्तिवाद की उत्पत्ति और विकास हुआ। मध्यम वर्ग जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था, वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था क्योंकि उसकी स्थिति समाज में उखड़े वर्ग जैसी थी। डॉ पी ने लिखा कि इन लोगो की स्थिति में मिथ्यावाद पनपा जो बंगाली साहित्य से भारत के अन्य भागों में फैला तथा बंगाली साहित्य का प्रभाव अन्य भारतीय साहित्य पर पड़ा। रोमांचकारी व्यक्तिवाद ने एक प्रकार से सुखकर सामाजिक शक्ति का कार्य किया। इसके प्रभाव को बताते हुए डॉ पी ने लिखा कि पुरुषों ने महिलाओं का, जमींदारों ने किसानों का, उच्च वर्ग ने निम्न-मध्यम वर्ग का तथा मालिकों ने श्रमिकों का शोषण किया। इनका वर्णन भी भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त होने लगा। आपने निष्कर्ष रूप में लिखा कि यह भी सत्य है कि क्षेत्रीय साहित्य अभी भी एक-दूसरे से भिन्न था जिसके पर्यावरण सम्बन्धी कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी थे, जो निम्नलिखित हैं— 1 अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा तथा प्रारम्भ के यूरोप के वाणिज्य का ऐतिहासिक प्रभाव। 2 वाणिज्य के केन्द्र और कच्चे माल के निर्यात के बदरगहों का प्रभुत्व। 3 औद्योगिक क्षेत्रों एवं नगरों का विकास—इन दोनों ने ग्राम-नगर-संस्कृति के प्रसार को दिशा तय की। 4 विद्यमान साहित्य में संस्कृत अथवा फारसी परम्पराओं का न्यूनाधिक वर्चस्व—संस्कृत और उर्दू के इस वर्चस्व को भारत के सुदूर क्षेत्रों के हिन्दी साहित्य तथा दिल्ली, लखनऊ तथा हैदराबाद की अदालतों

के केन्द्रीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। 5 अन्तिम कारण आपने विशेष रूप से संचार एवं मुद्रण के प्रसार को बताया है। इन भिन्नताओं के विद्यमान होने के उपरान्त तथा ब्रितानिया शासन के विकास के प्रभाव के कारण भारत में एक अखिल भारतीय साहित्य को पहचाना जा सकता है। आधुनिक भारतीय संस्कृति का विस्तार तो हुआ लेकिन वह मध्यम वर्गों के मूल्यों से आगे विस्तृत नहीं हो सकी।

#### (4) भारतीय साहित्य में सामान्य सामाजिक विश्वास (General Social Faiths in Indian Literature)

डॉ पी मुकर्जी ने कहा कि उपर्युक्त वर्णित सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निम्नलिखित सामान्य सामाजिक विश्वास देखे गये हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य के विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित किया है—

- 1 प्रगति में विश्वास
- 2 व्यक्ति में विश्वास
- 3 तर्क में विश्वास

इन तीनों सामाजिक विश्वासों की व्याख्या डॉ पी ने इस प्रकार प्रस्तुत की है—

1. प्रगति में विश्वास (Faith in Progress)—डॉ पी मुकर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास से सम्बन्धित उन तत्त्वों पर प्रकाश डाला है जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुए हैं। आपका कहना है कि भारतीय साहित्य में प्रगति के प्रति विश्वास पश्चिम ने पैदा किया। प्रगति में विश्वास लगभग सार्वभौमिक था। ऐसा मानना है कि भारत के साहित्य में 'प्रगति में विश्वास' के तत्त्व का संदेश भारत में पश्चिम ने पहुँचाया, अन्यथा यह विशेषता शायद ही भारत में पनप पाती। वैसे तो साहित्य में मुख्य रूप से विज्ञान ही इस विशेषता को लाता। भारत में ब्रितानिया सरकार ने लोगों के लिए सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी ली थी, इसी के परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में परिचयीकरण हुआ, जिसका साहित्य की रचनाओं पर भी प्रभाव पड़ा।

2. व्यक्ति में विश्वास (Faith in the Individual)—डॉ पी मुकर्जी ने लिखा है कि भारतीय साहित्य में व्यक्ति के प्रति विश्वास का अध्ययन हमें भारतीय व्यक्तिवाद के आधार पर करना चाहिए। आपने भारतीय व्यक्तिवाद को —(1) आदि-भारतीय व्यक्तिवाद और (2) नव-भारतीय व्यक्तिवाद के रूप में बाँटा है।

आदि-भारतीय व्यक्तिवाद से आपका तात्पर्य प्राचीन साहित्य में विद्यमान वैष्णव पदावली और सन्तो के गीतों में विद्यमान व्यक्तिवाद से है। इन गीतों और पदावलियों में व्यक्ति अन्त में अपने को भगवान को समर्पित करता है। नूतन व्यक्तिवाद से तात्पर्य जाति, परिवार और राजनैतिक सत्ताओं के विरुद्ध नकारात्मक कार्यों से है तथा व्यक्ति में अधिकारों के प्रति सकारात्मक रुख से है। इस प्रकार के वातावरण में धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से अराजकता का वातावरण पनपा। राष्ट्रीय आन्दोलन के गाँधी-युग में जो साहित्य लिखा गया वह भी इस अराजकता की विचारधारा से बाहर नहीं आ सका। समाजवादी विचारधारा के अन्तर्गत जो साहित्य लिखा गया उसमें भी इसी प्रकार के व्यक्तिवाद की झलक मिलती है।

3. तर्क में विश्वास (Faith in Reason)—डॉ. पी. मुकर्जी ने कहा कि तर्क एक प्रकार के नहीं थे। भारतीय साहित्य में तर्क-वितर्क थे, लेकिन वे लोगो की पुस्तको तक ही सीमित थे। तर्कों का उत्तम उपयोग पुराने लेखो, अभिलेखों तथा वर्णनो की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए किया जाता था। तर्क-विश्लेषण द्वारा उत्तम बौद्धिक साहित्य रचे गये। लेकिन यह ऐतिहासिक तर्क नहीं था। या तो यह वैज्ञानिक तर्क था या भारत की संस्कृति के गुण-गान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तर्क था। कुल मिलाकर भारतीय साहित्य में तर्क अनिश्चर तथा छोटे-छोटे खण्डो में मिलता था। यह सल्तनतो व राजनीति से सम्बन्धित था। दार्शनिक साहित्य में भी तार्किक विचार मिलते हैं। इस प्रकार तार्किक उपागम अनेक धार्मिक अन्धविश्वासो और सामाजिक विश्वासो के विरुद्ध मिलता है।

### ( 5 ) साहित्यिक विश्वासों का विकास (Development of Literary Beliefs)

डॉ. पी. मुकर्जी ने इस लेख के अन्त में विस्तार से अनेक विश्वासो और मूल्यो के विकास का कालक्रमिक विवेचन किया है। आपने लिखा है कि प्रारम्भ के इतिहास में आवा से सम्बन्धित मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता था। पश्चिम के साहित्य में अनेकता श्म करने योग्य थी जबकि भारत में यह क्षम्य नहीं थी। संस्कृत अथवा वैष्णव साहित्य में विद्यमान प्रेम-सम्बन्धी तथा कामुक तत्त्व धीरे-धीरे भुला दिये गये अथवा धार्मिक प्रतीकात्मक रूप से वर्णित किये जाने लगे। इस प्रकार बहुत ही न्यून औपचारिक आलोचना की जाती थी। यह सब नये साहित्यिक विश्वासो को व्यक्त करता है। अब कला, कला के लिए थी। साहित्यिक प्रतिबन्धो को कुछ छुटकारा भी दिया गया जो प्रभावशाली भी था इससे नये सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुए। सुधारवादियो ने साहित्य में पत्नियों क पतियो का तथा सासों के विरुद्ध बहुओ का, पुत्रो का पिताओ के विरुद्ध, युवाओ का वृद्ध के विरुद्ध, उत्पीड़ितों का उत्पीड़को के विरुद्ध, दलितों का अत्याचारियो के विरुद्ध अथवा शोषितों का शोषको के विरुद्ध परिस्थितियों का वर्णन किया। प्रथम महायुद्ध के बाद साहित्यिक मूल्यों में और परिवर्तन आया। जिन लोगो ने कभी कालिदास अथवा भवभूति के विषय में नहीं सुना था वे भी अब इनके विषय में जानने लगे। विभिन्न साहित्यो का यह प्रभाव पडा कि भारत के साहित्य में मानवतावाद का प्रसार हुआ। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मूल्यो के इस रुझान में दिशा एव अन्तर्वस्तु स्पष्ट रूप से विकसित हो गई। भारतीय साहित्य के मूल्यो पर रूप भी 17वीं शताब्दी का भी प्रभाव पडा। इस वृत्ति से भारत तथा अन्य उपनिवेशो में मार्क्सवाद का अध्ययन किया जाने लगा, जिसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रक्रिया शुरू की तथा समाजवादी राष्ट्रवाद का स्वरूप ग्रहण किया। धीरे-धीरे भारत में लोक-साहित्य की भी खोज की जाने लगी, चेतन या अचेतन रूप से संस्कृति का प्रसार हुआ और एक सामान्य आधार विकसित हुआ। इस साहित्य में स्त्रियों, बच्चो, अनुसूचित जातियो, निर्धन कृषको, औद्योगिक श्रमिको, श्वेत-वस्त्रधारी बाबुओ तथा दलितों की आकाशाओ के लिए आवाज उठाई गई। इस प्रकार से डॉ. पी. मुकर्जी ने भारतीय साहित्य के इतिहास का वर्णन करने के उपरान्त लिखा कि सामाजिक कार्यों तथा साहित्य के प्रभाव को पहले की तुलना में अब अधिक व्यापक एवं गहन रूप से समझा जाने लगा।

## विशिष्ट सन्दर्भ (Special References)

डो पी मुकर्जी ने लिखा कि निम्नलिखित प्रसंग पूर्ण नहीं है, यदि कोई महत्त्वपूर्ण नाम छूट जाता है तो वह लेखक (डो पी) की स्मरणशक्ति की कमी के कारण है। आपने लिखा कि बंगला भाषा, हिन्दी भाषा और उर्दू भाषा में प्रमुख साहित्यकारों व उनकी कृतियों, विषय-सामग्रियों आदि का विशेष सन्दर्भ दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय साहित्य के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए एक वृहद्, पूर्ण, अनुसंधान व भोजन आवश्यक है। हम यहाँ हिन्दू, उर्दू और बंगला साहित्य का वर्णन करेंगे।

### ( 1 ) हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)

1 उपन्यासकार (Novelist)—हिन्दी साहित्य के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लेखक हैं। 'प्रेमचन्द' की कुछ कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। अन्य हिन्दी रचनाओं का अनुवाद नहीं हुआ।

1 पी. एन. श्रीवास्तव ने 'विदा' लिखा, जिसमें आपने नव-विवाहित दम्पति के सघर्ष का वर्णन किया।

2 उग्र ने 'दिल्ली का दलाल' तथा 'बधुआ की बेटा' उपन्यास लिखे जिसमें आपने स्त्री व अस्पृश्यता की समस्या का वर्णन किया। विख्यात कवि निराला की 'अप्सरा', विलेखर की 'बकरिया' में क्रमशः स्त्री की कहानी तथा सामाजिकता को लिया गया है। प्रेमचन्द के सेवासदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गवन, गोदान व कफन आदि उपन्यासों में उन्होंने लडकी की परिस्थिति, कृषि, गरीबी और एक भारतीय ईसाई लडकी और हिन्दू परिवार, भूमिपति और कृषक, सामाजिक, आर्थिक सघर्ष, मध्यम वर्ग के सम्मान आदि का वर्णन किया है। प्रेमचन्द की कहानियाँ बहुमूल्य रत्न हैं। इनमें सर्वाधिक मूल्यवान कफन है। प्रेमचन्द ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में समाजवाद पर लिखा। प्रेमचन्द ने हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर खूब लिखा, वे आधुनिक गद्य के—हिन्दी और उर्दू—दोनों के ही महानतम लेखक थे।

यशपाल ने 'दादा कामरेड' और 'मनुष्य के रूप' लिखे हैं जिनमें राजनैतिक उग्रवादी और सामाजिक वर्ग का दास है—विषय पर प्रकाश डाला। भगवती चरण वर्मा ने 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में राजनीतिक सघर्ष और गाँधीवादी उपागम को विषय बनाया है। 'अज्ञेय' ने 'शेखर : एक जीवनी' में आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों में युद्धिजीवी के उद्विकास का वर्णन किया है तथा 'नदी के द्वीप' में महिला की स्थिति का वर्णन किया है। 'जैनेन्द्र' के विशिष्ट उपन्यास 'सुनीता' में लिंग-तृष्णा और ऋन्ति के सघर्ष को दर्शाया गया है। 'त्याग-पत्र' और 'परख' में मध्यम वर्ग के जीवन और सघर्ष का चित्रण किया गया है। इलाचन्द्र जोशी ने 'संन्यासी' और 'प्रीत और छाया' लिखे हैं जिन पर फ्राँयड का प्रभाव है। उपेन्द्रनाथ 'अशक' ने 'गिरती दीवार' में युद्ध के बाद की गरीबी और मृत्यों के हास का वर्णन किया है। 'अमृता नागर' ने 'महाकाल' में प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया है।

'सेठ बांकेमल' कृति में प्राचीन सामन्तवादी मूल्यों पर व्यंग्य किया गया है। 'धर्मवीर भारती' ने 'सूरज का सातवां घोड़ा' में राजनैतिक और सामाजिक संघर्षों का चित्रण किया है।

2. कहानीकार (Story Writer)—डी पी मुकर्जी ने लिखा कि निम्नलिखित छोटी कहानियाँ मूल्यवान् निष्कर्ष प्रदान करती हैं—सुदर्शन, कौशिक, प्रेमचन्द, यशपाल, बेनी प्रसाद, अमृता नागर, अमृत राय, बी एस उपाध्याय, पहाडी, महेन्द्र स्थाना, प्रकाश गुप्ता, प्रभाकर, श्रीमती चन्द्रकिरण, राधाकृष्ण प्रसाद, चन्द्र आदि ने अपनी कहानियों में नए आन्दोलन को दर्शाया है। मार्क्सवाद का प्रभाव भी इनमें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इनकी प्रतिक्रियाओं में भिन्नता है। चात्स्यायन तथा जैनेन्द्र ने सामाजिक अन्तर्वस्तु के परिवर्तनों से सम्बन्धित दार्शनिक प्रश्न उठाए हैं।

3. कवि (Poet)—डी पी. मुकर्जी ने लिखा कि निम्नलिखित कवियों—निराला, दिनकर, चात्स्यायन, केदारनाथ अग्रवाल, बच्चन, नेमीचन्द्र जैन, नागार्जुन, गिरिजाकुमार माधुर, भवानी प्रसाद मिश्रा आदि की कविताएँ समाजशास्त्रीय निष्कर्षों से सम्बन्धित थीं।

सुमित्रानन्दन पन्त और महादेवी वर्मा की कविताओं में सामाजिक समस्याओं का ही सदैव चित्रण नहीं हुआ है लेकिन इन लोगों की कविताओं को इन समस्याओं से अछूता कइना गलत होगा।

4. नाटककार (Play-writer)—हिन्दी साहित्य में बहुत कम लेखक थे। बाद में आकाशवाणी ने उन्हें प्रसारित किया। उपेन्द्रनाथ 'अरक' (आदिमार्ग), जगदीश सी. माधुर (कोनार्क), अमृतलाल नागर (चक्करदार सीढ़ियाँ और गूँगी), बी. प्रभाकर (जहाँ दया पाप, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण), पृथ्वीराज—विख्यात चलचित्र अभिनेता एवं संसद-सदस्य (पठान, गद्दर और दीवार) नाटक खेले।

5. पत्र-पत्रिकाएँ—कुछ रचिकर पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होने लगीं। डी पी के अनुसार इनका प्रभाव इनके वितरण से अधिक है। 'नया साहित्य', 'नया समाज', 'प्रतीक', 'मासिक', 'हंस', 'नई धारा', 'आलोचना' व 'न्याय' महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं जिनमें लेख, कहानियाँ व कविताएँ उपर्युक्त वर्णित लेखकों की हैं।

6. आलोचक—निम्नलिखित प्रतिष्ठित आलोचक—हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन्द्र, एस. एस. चौहान, प्रकाश सी. गुप्ता, चन्द्रावली सिंह, नामवर सिंह, विनय शर्मा, देवीराज और रामविलास शर्मा आदि हैं—

## ( 2 ) उर्दू साहित्य (Urdu Literature)

डी पी मुकर्जी ने उर्दू साहित्य की निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएँ बताई हैं—

(1) उर्दू में कोई महत्वपूर्ण आधुनिक साहित्यिक उपन्यास नहीं है।

(2) हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विभाजन के उपरान्त भी उर्दू साहित्य भारत और पश्चिमी पाकिस्तान में लगभग समान सामाजिक चेतना को व्यक्त करता है। इन दोनों ही राष्ट्रों में उर्दू में सामाजिक समस्याएँ भी समान रूप से ही मिलती हैं।

(3) डी पी ने तीसरी बात यह बताई कि प्रेमचन्द, किशन चन्दर अख्तर गगपुरी और अशक हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार के माथ लिखते हैं।

(4) उर्दू एवं हिन्दी साहित्य की पङ्क्तियों की प्रवृत्ति—उर्दू का अधिक फारसी बनना तथा हिन्दी का अधिक संस्कृत-मय होना है। आगे भी सम्भवतः चलता रहे। इस अवधि में भारत के उर्दू लेखक अपनी भाषा का राजनतिक एवं समाजशास्त्रीय कारणों से सरलीकरण कर रहे हैं। उर्दू साहित्य सामाजिक समस्याओं को मुख्य रूप से लघु कहानियों, नाटकों और निबन्धों में ही चित्रित करता है।

1. कवि (Poet)—पुरानी पीढ़ी के कवियों—'हाली' और 'इकबाल' में सामाजिक चेतना थी। इकबाल में राष्ट्रीय तन्त्र हाली की तुलना में अधिक सशक्त थे। इकबाल का विख्यात राष्ट्रीय गीत 'हिन्दुस्तान हमारा' विख्यात है। उनका धर्म इस्लाम था लेकिन उन्होंने मानवीय समस्याओं और विश्व समस्याओं को चित्रित किया। वे अन्याय के विरोधी थे। 'अकबर इलाहाबादी' कवि कम और तीखे, चटपटे, रोचक, उत्तेजक व्यंग्यकार अधिक थे। आधुनिक कवियों में 'जोश मलीहाबादी' क्रान्तिकारी कवि कहलाते हैं। दूसरे जागरूक कवि 'अली सरदार जाफरी', 'मिजाम', 'सधर मिजाली', 'मजरूह', 'फिराक', 'आनन्द नारायण मुल्ला, (दोनों हिन्दू) तथा 'कैफ़ी' हैं। और भी अधिक युवा कवि 'जन्वी', 'राही' और 'तवन' (इनमें से कुछ उपनाम) हैं।

2. कहानीकार (Story-writer)—प्रेमचन्द के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने आधुनिक उर्दू लघु कहानियों के प्रतिमान को निश्चित किया है। उर्दू के उत्तम लेखक कृष्ण चन्दर (हिन्दू), राजेन्द्रसिंह बेदी (सिख), असमत चुगताई, मण्टो, करतारसिंह दुग्गल (सिख), ए. ए. हुसैनी, के. ए. अब्बास, एस. जहीर, सुहेल, कुरेट-उल-इन और रामानन्द सागर (हिन्दी) आदि हैं। उर्दू की कहानियाँ सामाजिक असमानता को प्रभावशाली, बधी हुई, नाजुक सन्दर्भशील रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये सामान्यतया मार्क्सवादी विचारधारा का उल्लेख करती हैं तथा मुख्य रूप से ये मानवतावादी हैं।

इस्लामी विश्वास का वर्ग-चेतना के प्रति मर्ष उठा नहीं है। अथवा इस्लाम के द्वारा इसे सामाजिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया है।

3. आलोचक (Critics)—उर्दू साहित्य में आलोचक पिछले दो दशकों (1930-1950) में क्रियाशील हुए हैं। इसमें विख्यात आलोचक कलमुद्दीन, मजनु, फिराख, ए. ए. सरूर, ऐतहम हुसैन, अली सरदार जाफरी, अब्दुल अलीम, आबिद हुसैन, अब्दुल्ला और इबादत वरेल्वी (पाकिस्तान) हैं।

4. निबन्धकार (Essayist)—उर्दू निबन्धकारों ने हिन्दू-इस्लामिक संस्कृति तथा भाषा की नाजुकता को दूसरों तक पहुँचाया। इनके व्यंग्य बहुत मूल्यवान व प्रभावशाली हैं। रशीद ए. सिद्दीकी, कन्हैयालाल कपूर (हिन्दी), ए. वोखारिया (पाकिस्तान) ने हास्य-व्यंग्य से पूर्ण निबन्ध लिखे हैं। एस. मुजीब तथा आबिद हुसैन ने गम्भीर निबन्ध लिखे हैं।

5. नाटक एवं उपन्यास (Drama and Novel)—उर्दू साहित्य में नाटक एवं उपन्यासों का विकास नहीं हुआ, कुछ एकाकी व नाटक उपेन्द्र नाथ 'अशक', राजेन्द्रसिंह बेदी और कृष्णचन्दर (सभी हिन्दू), मुजीब, आई. एच. कुरेशी तथा इन्तिसार हुसैन आदि ने लिखे हैं। इनमें सामाजिक दृष्टि महत्वपूर्ण है जबकि स्वरूप को आकाशवाणी प्रदान करती है।

इस प्रकार डॉ पी. मुकर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विवेचना की है। आपने हिन्दी साहित्य और उर्दू साहित्य के समान ही बंगला साहित्य का भी सन्दर्भ प्रस्तुत किया है।

### ( 3 ) बंगला साहित्य (Bengali Literature)

सामाजिक उपन्यास, नाटक, कहानियाँ और निबन्ध की परम्परा उतनी ही पुरानी है, जितना कि भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव। रवीन्द्रनाथ टैगोर से पहले पिछले पचास से अधिक वर्षों में माइकल, मधुसूदन दत्त, दीनबन्धु मित्रा और काली प्रसन्ना सिन्हा ने नाटक लिखे। राममोहन राय, विद्यासागर, भूदेव मुकर्जी, बकिम चटर्जी, शिवनाथ शास्त्री ने निबन्ध लिखे। माइकल, मधुसूदन दत्त, हेमचन्द्र, रंगालाल ने कविताएँ लिखीं। इस साहित्य में राजनैतिक और सामाजिक सुधारों को दर्शाया गया है। राजनैतिक लेखक तो अनेक हैं। टैगोर भारतीय साहित्य के महान् विचारक हैं।

1. रवीन्द्रनाथ ठाकुर—आपके उपन्यास, कहानियाँ, कुछ कविताएँ तथा निबन्ध, भारतीय साहित्य में अति-महत्त्वपूर्ण हैं। आपके साहित्यिक योगदान के बिना भारतीय साहित्य का अध्ययन अपूर्ण है। टैगोर के नाटकों में प्रायः सामाजिक समस्याओं का उल्लेख हुआ है। इनके निम्नलिखित उपन्यास पढ़ने योग्य हैं—'छोकरवाली', 'नौका डूबी', 'गोरा', 'घरे बायेर', 'चार अध्याय', 'चतुरंगा' आदि। आपने प्रारम्भ में उपन्यास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखे थे। 'घरे बायेर' उपन्यास में राष्ट्रीय भावना का चित्रण हुआ है। 'गोरा' उपन्यास भारतीय साहित्य में श्रेष्ठतम माना जाता है जिसमें सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण हुआ है।

2. शरत् चन्द्र चटर्जी—डॉ पी. के अनुसार आपके सभी उपन्यास एवं कहानियाँ समाजशास्त्रीय रुचि के हैं। आपकी रचनाओं में 'दलितों' एवं 'धूमन्तों' के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। आपने जीवन के सभी रूपों का स्पष्ट चित्रण किया है।

3. प्रयथा चौधरी—प्रयथा चौधरी ने कहानी और निबन्ध 'वीरवल' उपनाम से लिखे हैं। इनमें सामाजिक और बौद्धिक पाखंड का चित्रण मिलता है। 'चार यारी कथा' (Char Yari Katha) का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है, इसमें आपने इंग्लैण्ड से वापिस आये उच्च वर्ग के पुरुष की विशेषताएँ—कल्पना, मूर्खता और चरित्र की दुर्बलता आदि का वर्णन किया है। डॉ. पी. के अनुसार इनमें निबन्ध साहित्य के बहुमूल्य रत्न हैं, जिनका अनुवाद होना चाहिए।

4. 'नरेश सेन गुप्ता', 'प्रेमन मित्रा', 'धुद्धदेव घोस', 'अचिन्त्य कुमार सेन गुप्ता', 'एम. बन्धोपाध्याय', 'विभूति बन्दोपाध्याय', 'दिलीप कुमार रे', 'वनफूल', 'अनन्त शंकर राँय', 'सुबोध घोष' और 'डॉ. पी. मुकर्जी' स्वयं समकालीन उपन्यासकार और लघु-कहानी लेखक हैं जिनका साहित्य समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

5. बंगाली साहित्य में कविताओं की भरमार है, टैगोर इसके सिरमौर हैं। टैगोर बंगाली कविताओं में, साहित्यिक कविताओं और जीवन से सम्बन्धित कविताओं के सशक्त एवं प्रभावशाली कवि रहे। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ 'गीतांजलि' है। इसके

अतिरिक्त 'सत्येन दत्त', 'जेतेन्द्र वागची' भी बंगाली साहित्य में हुए हैं। इनके अतिरिक्त डी पी ने 'काजी नजरूल इस्लाम', 'मोहित लाल मजूमदार', 'सुधीन्द्र दत्त', 'प्रेमीन मित्रा' आदि की कविताओं के अध्ययन पर जोर दिया।

6. नाटक के क्षेत्र में टैगोर के समकालीन नाटककार 'गिरीशचन्द्र घोष', 'के. विद्या विनोद', 'डी. एल. रॉय' और 'अमृतलाल बोस' उल्लेखनीय हैं। इन लोगों के पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक आधुनिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं का चित्रण करते हैं। वास्तविक सामाजिक नाटककार दीनबंधु गुप्ता, सचिन गुप्ता आदि हैं। एम रे का 'एकांकी' परम्पराओं पर आधारित है। भारतीय साहित्य के विकास के सन्दर्भ में डी पी ने लिखा कि जहाँ तक रंगमंच की बात है—सार्वजनिक रंगमंच केवल बंगाल और महाराष्ट्र में ही मिलते हैं; गजशेखर बोस (परशुराम) के नाटक कहानी के रूप में मिलते हैं। इनकी बंगला भाषा बड़ी क्लिष्ट है लेकिन इन्होंने सामाजिक बुराइयों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया है।

7 डी पी मुकर्जी ने लिखा है कि साहित्यिक निबन्धकार व आलोचक तो बंगला साहित्य में बहुत अधिक हुए हैं—इनमें टैगोर, सुरेश समाजपति और प्रयथा चौधरी प्रमुख हैं। जीवित निबन्धकारों में गोपाल हलधर, निसि चौधरी, अमित सेन और डी. पी. मुकर्जी स्वयं हैं। इन लोगों के निबन्धों में निश्चय रूप से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण मिलता है।

'अतुल चन्द्र गुप्ता', 'सुधीन्द्र एन. दत्त', 'बुद्धदेव बोस', 'आनन्द शंकर रे', 'मोहितलाल मजूमदार', 'विष्णु दा', 'रजनीकांत दास', 'हिरन के. सान्याल', 'विमल प्रसाद' उपाध्याय ने भी उत्तम साहित्यिक निबन्ध लिखे हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्दर्भ का वर्णन मिलता है। अन्त में डी पी ने बंगला साहित्य के विशिष्ट सन्दर्भ में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन सदैव सभी के साथ रहा है। इस प्रकार डी पी मुकर्जी ने समाजशास्त्रीय सन्दर्भ में भारतीय साहित्य का विकास प्रस्तुत किया तथा उपन्यास, कहानी, कविताएँ, नाटक, पत्र-पत्रिकाओं व आलोचनाओं इत्यादि का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है।

## कला का विकास

### (Development of Art)

भारतीय कला का विकास विविध परम्पराओं से निर्मित एवं समन्वित होकर हुआ है। कला के विकास का अध्ययन करने से पूर्व इसका अर्थ और अध्ययन के कुछ आधार निश्चित करना श्रेयस्कर होगा। विद्वानों ने लिखा है कि "ललित कला का आकलन ही कला है।" भगवतशरण उपाध्याय ने कला की परिभाषा देते हुए लिखा है, "अभिराम अंकन चाहे भोग-विलास के क्षेत्र में हो, चाहे रेखाओं में, चाहे वास्तुशिल्प में हो, वह कला ही है।" सार रूप में यह कहा जा सकता है कि, "कला अपनी दृष्टि से प्रकृति को देखती है। कलाकार कला की दृष्टि से दृश्य में पंथकर और प्रायः उससे अपने आपको एकीभाव करके देखता है, समझता है तथा अपनी तूलिका, छैनो अथवा लेखनी से सवार देता है, इसी को कला कहते हैं।" इस प्रकार कला के विभिन्न रूप—चित्रकला, संगीतकला, मूर्तिकला व स्थापत्य कला आदि अनेक रूप हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय कला का विकास लगभग सिंधु सभ्यता के बाद से देखा जा सकता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद वैदिक उदासीनता के कारण भारतीय कला की प्रगति टूट गई थी और उस सभ्यता तथा मौर्य काल की कला के बीच 1500 वर्षों का दीर्घ कालान्तर पड़ गया था। मौर्य युग से जो कला का



विकास प्रारम्भ होता है, वह निरन्तर चलता रहा है। कला के विभिन्न क्षेत्रों, रूपों, प्रकारों और अभिप्रायों पर विदेशी सस्कृति के प्रभाव पड़ते रहे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय कला मुख्यतः हिन्दुओं से ही सम्बन्धित रही हो क्योंकि इस पर समय-समय पर प्रभाव पड़ते रहे।

कला के अनेक रूप हैं, इनको मुख्यतया स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत व रंगमंच आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय कला के विकास के अध्ययन में स्थापत्य कला का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। भारतीय कला और उसके दृष्टिकोण के विरुद्ध कुछ भारतीय विद्रोही हुए हैं, उनकी दृष्टि में भारतीय कला कमजोर, ऊबाने वाली, गीतात्मक, अभीतिक और उद्योग के लिए अनुपयुक्त है। डी पी ने यह भी लिखा है कि भारत में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो पारचात्य तरीके से कला के सृजन में लगे हुए हैं। दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय कला के केवल प्रशंसक हैं। आपका कहना है कि भारतवासी मूलतः एक आध्यात्मिक प्रजाति के रूप में रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय कला आध्यात्मिक मूल्यों की खान रही है। भारतवासी सदैव ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपनी प्रारम्भिक परम्पराओं, पौराणिक कथाओं तथा प्रतीकों के प्रति जागरूक व विशेष रचि लेते रहे हैं। दुःख की बात है कि आज मध्यम वर्ग के भारतवासी महाभारत के कथानकों से भी अपरिचित रहे हैं। लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में दूरदर्शन के रामायण, महाभारत व चाणक्य आदि धारावाहिकों के द्वारा अनेक भारतवासी इनसे परिचित हुए हैं। अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने भी लिखा है कि अनेक मांगलिक उत्सवों में सामूहिक पूजा के लिए सम्पूर्ण भारत में मिट्टी की प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। ये प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं की विशेषता ये है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी परम्पराओं के अनुसार इनका निर्माण किया जाता है। बंगाल में दुर्गा माता की हजारों प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। दक्षिण भारत के केरल ग्राम में विभिन्न उत्सवों पर विशेष जातियों द्वारा उच्च कोटि के नृत्य एवं नाटक प्रदर्शित किये जाते हैं।

भारत में कला के विकास एवं महत्व को क्षेत्रों के आधार पर ग्राम और नगर में बाँटा जा सकता है तथा काल के आधार पर प्राचीन एवं नवीन कला के रूप में बाँटा जा सकता है। डी पी ने कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में कला को जितना महत्व पहले दिया जाता था उतना आज नहीं दिया जाता है। ग्राम और नगर के सन्दर्भ में कला का महत्व नगरीय समाजों में अधिक है। नगरीय समाजों में मध्यमवर्गीय लोग कला के प्रति अधिक उदासीन पाये जाते हैं।

कला के विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि लोगों में पहले की तुलना में अब कला के प्रति रचि अधिक बढ़ी है। इसका प्रभाव कलात्मक उत्पादन तथा चित्रों पर पड़ा है, इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विकास की दिशा में एक आन्दोलन कहा जा सकता है। कला के प्रशंसक—गाँव और नगरीय—दोनों में ही काफी हैं। कला के क्षेत्र में प्रतिभाराली कलाकारों का अभाव नहीं है। जैसे-जैसे भारत का विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है उसका प्रभाव कला के विकास पर भी पड़ा है। डी पी ने लिखा है कि कलात्मक वस्तुओं व चित्रों का उत्पादन बढ़ा है और इसमें खरीददारों की संख्या भी बढ़ी है।

आधुनिक सिनेमा या चलचित्रों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी विषय-वस्तु अधिकांशतः पौराणिक है। चल-चित्रों में बुद्ध, अशोक, चैनन्य एव अन्य सन्तो तथा कवियों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। चल-चित्रों में अनेक लोकप्रिय उपन्यास, नाटक, निबन्ध, कहानियों का भी चित्रण किया गया है, जैसे—शाकुन्तलम्, मेघदूत, जप्तक कथा, रामायण, महाभारत, उमर छैयाम आदि चलचित्रों के द्वारा भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं, ऐतिहासिक घटनाओं, साहित्यिक रचनाओं, कृषकों का शोषण, स्त्रियों की समस्याओं व अस्पृश्यता आदि का चित्रण मिलता है।

भारतीय कला विविध परम्पराओं से प्रभावित हुई है, लेकिन चित्रकला पर प्रधानतः हिन्दुओं का वर्चस्व रहा है क्योंकि इस्लाम अधिकांशतः चित्रकला के विरुद्ध रहा है। भारतीय चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों के चित्र प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ राग-रागिनियों को भी चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। विगत वर्षों में रागिनी चित्रों के नीचे दोहे लिखने की प्रथा भी रही है। बंगाल में चित्रों पर टैगोर की कविताएँ लिखी हुई मिलती हैं।

भारत में सभी प्रकार की कलाओं में वास्तुकला सबसे अधिक सामाजिक रही है। नृत्य कला की दृष्टि से भारत में यह कला विभिन्न क्षेत्रों में रही है लेकिन पिछले वर्षों में इसके प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। नृत्य के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ भी मिलती हैं। इन क्षेत्रीय शैलियों ने नृत्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ग्रामों या कस्बों में नृत्य मण्डलियों के अभिनय को स्थानीय लोग उत्साह एवं रस के साथ देखते हैं। गुजरात में 'गर्बा-नृत्य' बहुत प्रसिद्ध है। नृत्य कला में स्त्री-पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। क्षेत्रीय आधार पर 'भरत नाट्यम्', मणिपुरी व कथकली आदि क्षेत्रीय शैलियों के नृत्य हैं जिनका देश-विदेश में योजनाबद्ध रूप में प्रदर्शन किया जाता है।

भारत में लोक-नृत्यों की भी अधिकता है। इन नृत्यों में कलाकार हाथों में तलवार, डडियाँ, प्रत्यचा, लेजियम, मजीरे आदि लेकर नृत्य करते हैं। भारत में जनजातियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों के अवसर पर लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। होली के अवसर पर भी विशेष प्रकार के नृत्य का आयोजन किया जाता है और नृत्य के दौरान ही विवाह भी सम्पन्न किये जाते हैं। लोक-नृत्यों की मुख्य विशेषता यह है कि सभी लोग नृत्यों में भाग लेते हैं और नर्तक और दर्शक का भेद नहीं होता है। भारत में लोक-नृत्य और उनकी शैली अपना विशेष स्थान रखती है।

कलाकारों तथा कला के विकास के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की गयी हैं। कलाकारों को समाज में सम्मान प्रदान किया गया है। इनको समाज में प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। स्टूडियों की स्थापना के फलस्वरूप कलाकारों को स्टूडियों में उच्च पदों पर नियुक्तियाँ दी जाती हैं, कला के विकास के क्षेत्र में कला केन्द्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, कलाकारों को सम्मान, पुरस्कार व प्रदर्शन के सम्मान में प्रीति-भोज दिये जाते हैं। एक प्रकार से भारत में विभिन्न कलाओं के विकास में इनकी अहम भूमिका है। विगत वर्षों में भारत में चित्रकला, संगीत कला, नृत्य-कला आदि सामाजिक वास्तविकता के निकट आती जा रही हैं। अनेक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कलाओं के द्वारा सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं।

डी. पी. मुकर्जी ने अपने लेख 'उपन्यास' में सामाजिक समस्याओं के अन्त में कला से सम्बन्धित निम्नलिखित निष्कर्ष दिये हैं।

1. कलाकार स्वरूप को मुश्किल से ही अन्तर्वस्तु पर आरोपित करता है।
2. अन्तर्वस्तु सदैव सामाजिक होती है।
3. अन्तर्वस्तु और स्वरूप दोनों ही सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं, समाज को प्रतिबिम्बित नहीं करते।
4. सामाजिक प्रक्रियाएँ द्वन्द्वात्मक होती हैं। इसमें विरोध के द्वारा प्रत्येक चरण पर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
5. समस्याएँ सम्पूर्ण सामग्री होती हैं और उनका समाधान सम्पूर्ण काल्पनिक साहित्य द्वारा होता है।

6. समाधान समझ या ज्ञान के द्वारा होता है न कि विशिष्ट सकाय के द्वारा।

7. डाउने (Downey) लिखते हैं कि "प्रमाणित सृजनात्मक निर्माण का विकास वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि से होता है।"

8. कला और दस्तकारी में परस्पर बहुत कम अन्तर होता है। उनमें अन्तर्भाग समान होता है। तकनीकी कठिनाइयों की समस्याओं का समाधान तथा वस्तुओं के विरोध पर विजय पाना—कला और कला-वस्तु—दोनों में समान रूप से मिलता है। कला में जो वस्तु विरोध करती है, वह कला का आदि-रूप है, जिसको निश्चित एवं प्रमाणित समाज का आदि-स्वरूप करता है।

इस प्रकार डी पी. मुकर्जी ने भारतवर्ष में साहित्य और कला की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना की है।

### अभ्यास प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्न

1. डी पी मुकर्जी के भारतीय कला तथा साहित्य से सम्बन्धित विचारों को विवेचना कीजिए।
2. भारतीय साहित्य से सम्बन्धित डी पी के विचारों पर प्रकाश डालिए।
3. डी पी मुकर्जी के भारतीय कला से सम्बन्धित विचारों का उल्लेख कीजिए।
4. 'भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र' विषय पर डी पी मुकर्जी के विचार व्यक्त कीजिए।
5. डी पी मुकर्जी द्वारा भारतीय साहित्य में सामान्य तत्त्वों के विकास का वर्णन कीजिए।
6. भारतीय साहित्य में 'सामान्य सामाजिक विश्वास' तथा 'साहित्यिक विश्वासों का विकास' से सम्बन्धित विचार स्पष्ट कीजिए।
7. डी पी मुकर्जी के विशेष सन्दर्भ के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू एवं बंगला साहित्य का जो समाजशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया है, उसका मूल्यांकन कीजिए।

## लघुउत्तरात्मक प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

- 1 भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र
- 2 भारतीय साहित्य में सामान्य तत्त्वों का विकास
- 3 साहित्यिक विश्वासों का विकास
- 4 हिन्दी साहित्य
- 5 उर्दू साहित्य
- 6 बंगला साहित्य

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1 "सोशियल प्रोब्लम्स इन फिक्शन, 20वीं शताब्दी" लेख किसने लिखा है?  
 (अ) डी पी मुकर्जी (ब) राधाकमल मुकर्जी  
 (स) जी एस घुर्ये (द) श्रीनिवास  
 [उत्तर- (अ)]
- 2 "सोशियोलोजी ऑफ इण्डियन लिटरेचर" के रचयिता कौन हैं?  
 (अ) रामकृष्ण मुकर्जी (ब) एस सी दुवे  
 (स) एम एन श्रीनिवास (द) डी पी मुकर्जी  
 [उत्तर- (द)]
- 3 भारतीय व्यक्तिवाद को आदि-भारतीय व्यक्तिवाद और नव-भारतीय व्यक्तिवाद के रूप में किसने बाँटा है?  
 (अ) जी एस घुर्ये (ब) डी पी मुकर्जी  
 (स) दुर्लोक (द) वेबर  
 [उत्तर- (ब)]
- 4 बंगला भाषा, हिन्दी भाषा और उर्दू भाषा के प्रमुख साहित्यकारों व उनकी कृतियों, विषय-सामग्रियों आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण एवं वर्णन किस विद्वान ने किया है?  
 (अ) डी एन मजूमदार (ब) के एम कापडिया  
 (स) ए के सरन (द) डी पी मुकर्जी  
 [उत्तर- (द)]



## अध्याय-16

जी. एस. घुर्ये  
(G. S. Ghurye)  
(1893-1983)

### जीवन-चित्रण (Life Sketch)

जी एस घुर्ये का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 12 दिसम्बर, 1893 में महाराष्ट्र के मालवा प्रान्त में हुआ था। आप बाल्यकाल से ही एक प्रतिभाशाली और कुशाग्रबुद्धि थे। आपका शैक्षणिक जीवन उच्च कोटि का रहा। आपने सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थीं। आपने सस्कृत में एम ए 1918 में और बाद में अंग्रेजी में एम ए एल्फिन्स्टन महाविद्यालय, मुम्बई से प्रथम श्रेणी-प्रथम स्थान में उत्तीर्ण करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मुम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गेड्डिस को 1919 में समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। उस समय घुर्ये एल्फिन्स्टन महाविद्यालय में सस्कृत के प्राध्यापक थे तथा गेड्डिस के भाषणों को सुनने जाया करते थे। ब्रिटिश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गेड्डिस ने घुर्ये का चयन किया। इनकी सिकरिश पर घुर्ये को लन्दन भेजा गया। घुर्ये पहिले तो प्रो एल टो हाबहाउस के साथ कुछ समय तक अध्ययन करते रहे। उसके बाद आप डब्ल्यू आर एच रिक्स के पास अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ आपने अनेक लेख लिखे। आपने रिक्स के निर्देशन में "Ethic Theory of Caste" विषय पर शोध कार्य किया परन्तु घुर्ये का शोध कार्य पूर्ण होने से पहिले ही रिक्स का देहान्त हो गया था। घुर्ये पर रिक्स का बहुत प्रभाव पड़ा जिसने घुर्ये की रुचि मानवशास्त्रीय विषयों, जैसे—नातेदारी, प्रसारवाद आदि की ओर पैदा की।

घुर्ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके 1923 में वापिस भारत आए। आपको समाजशास्त्र विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय के रीडर एवं विभागाध्यक्ष पद पर 1924 में पैट्रिक गेड्डिस के बाद नियुक्त किया गया। दस वर्ष बाद 1934 में आपको पदोन्नत कर प्रोफेसर का पद प्रदान किया गया। आप इस पद से 1959 में सेवानिवृत्त हुए थे। आपकी प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए मुम्बई विश्वविद्यालय ने एक नवीन पद—प्रोफेसर एनपेटेन्स का प्रावधान करके यह पद आपको 1960 में प्रदान किया जिस पर आप अपना मृत्यु (1983) तक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहे। आपने 30 पुस्तकें अंग्रेजी तथा एक पुस्तक मराठी में लिखी हैं। आपकी तत्कालीन पुस्तक 'The Burning Cauldron of North-East India 1980 है। घुर्ये ने लिखा था कि वेस्टरमार्क की पुस्तक History of Marriage ने उन्हें समाजशास्त्र के लिए प्रभावित किया। आपने एम ए स्तर के 800 विद्यार्थियों को शोध कार्य का निर्देशन प्रदान किया। आपके निर्देशन में 87 विद्यार्थियों ने डॉक्टरेट की उपाधि के लिए शोध कार्य किया। आपके शिष्य विश्वस्तार के समाजशास्त्री बने

उनमें कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक एम एन श्रीनिवास, के एम कापडिया, ए आर. देसाई, वाई बी डामले, एम एस ए राव आदि हैं। आपने भारत के अनेक समाजशास्त्र के प्राध्यापकों को शिक्षा दी थी। आप 1945-50 तक 'एन्थ्रोपोलॉजिकल सोसायटी ऑफ बाम्बे' के अध्यक्ष रहे। भारतवर्ष में समाजशास्त्र के विकास और विस्तार के लिए अत्रर्णनीय कार्य किए हैं, तथा इण्डियन सोशियोलॉजिकल सोसायटी की स्थापना की। इस सोसायटी के तत्वावधान में आपने भारतीय स्तर की प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका 'सोशियोलॉजिकल बुलेटिन' के प्रकाशन का शुभारम्भ किया जो आज की पत्रिकाओं में गिनी जाती है। आप इसके 1966 तक प्रथम अध्यक्ष रहे।

जी एस घुर्ये ने भारत में समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया तथा अपनी कार्यकुशलता, वैज्ञानिक सोच, लेखन, निर्देशन की अभूतपूर्व क्षमता, अध्ययन-अध्यापन एवं सगठन के द्वारा भारत में समाजशास्त्र को अल्पकाल में उचित स्थान प्रदान करवाया है। आपने भारतीय समाज से सम्बन्धित समाजशास्त्रीय शोध तथा सिद्धान्तों के निर्माण द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य का विकास किया तथा अपने शिष्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसन्धान करवाकर भारतीय समाजशास्त्रियों की एक समृद्ध पीढ़ी का विकास किया। घुर्ये के सम्बन्ध में एक बार डी पी मुखर्जी ने कहा था, "आज घुर्ये ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री हैं। अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं।" घुर्ये ने स्वयं भी उच्च स्तर के अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ 30 विश्व विख्यात पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन प्रस्तुत है—

### घुर्ये की प्रमुख रचनाएँ (Major Works of Ghurye)

जी एस घुर्ये ने अपने दीर्घ कार्यकाल में अनेक रचनाएँ ऐतिहासिक तथा भारत-शास्त्रीय विधि के अनुसार लिखी हैं उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएँ निम्न हैं—

- 1 दा एवोरिजिन्स—सो काल्ड एण्ड देयर फ्यूचर, 1943
- 2 इण्डियन साधुज, 1953
- 3 कॉस्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया का सशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित हुआ। कॉस्ट एण्ड रेस इन इण्डिया और इसका सशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित हुआ कॉस्ट, क्लास एण्ड आक्यूपेशन, 1961। इसका हिन्दी संस्करण है—जाति, वर्ग और व्यवसाय।
- 4 सिटीज एण्ड सिविलाइजेशन, 1962
- 5 फेमिली एण्ड किन इन इण्डो-यूरोपियन कल्चर, 1962
- 6 दा शैड्यूल्ड ट्राइब्स, 1963
- 7 कल्चर एण्ड सोसायटी, 1963
- 8 एन्थ्रोपो-सोशियोलॉजिकल पेपर्स, 1963
- 9 सोशियल टेन्शन्स इन इण्डिया, 1968
- 10 रेस रिलेशन्स इन नोर्दो अफ्रीका।

घुर्ये की उपर्युक्त वर्णित प्रमुख कृतियों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है—

(1) अनुसूचित जनजातियाँ (The Scheduled Tribes) 1963—घुर्ये की कृति 'The Scheduled Tribes' में भारत की जनजातियों की समस्याओं और उनके समाधान के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है। यह कृति आपकी पहिले प्रकाशित पुस्तक "The Aborigines so called and their Future" का सशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण

है। इसमें भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के सामाजिक संगठन, धर्म, नातेदारी, परिवार, विवाह आदि का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है।

पुस्तक की अध्यायवार विषय-योजना निम्नानुसार है। प्रथम अध्याय में घुर्ये ने जनजातियों के विभिन्न नामों—जनजाति, आदिवासी, मूल निवासी, अनुसूचित जनजातियों आदि की विवेचना की है। भारत में विभिन्न जनगणना प्रतिवेदनों में इनके लिए प्रयुक्त किए गए नामों का भी उल्लेख किया गया है। अध्याय दो और तीन में जनजातियों का अन्य लोगो, जैसे—हिन्दू, ईसाई आदि से सम्पर्क के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं और तनावों का वर्णन किया गया है; जनजातियों के प्रति अंग्रेजों की नीति का वर्णन अध्याय चार और पाँच में किया गया है। अध्याय सात में विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोणों को देने के साथ-साथ घुर्ये ने अपना मत भी व्यक्त किया है। अध्याय आठ में ग्यारह में घुर्ये ने भारत की प्रमुख जनजातियों के सामाजिक-धार्मिक जीवन, उनकी सामाजिक संरचना एवं संगठन, विवाह, परिवार एवं नातेदारी की विवेचना की है। आपने बेरियर एल्विन, हट्टन, और मजूमदार आदि वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए जनजातियों की समस्याओं के समाधान का मूल्यांकन किया है तथा स्वयं ने समस्या के समाधान का सुझाव आत्मसात् बताया है। आपके अनुसार जनजातियों को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी समस्याओं के समाधान के लिए हिन्दू समाज के साथ आत्मसात् करना चाहिए।

(2) नीग्रो अफ्रीका में प्रजातीय सम्बन्ध (Race Relations in Negro Africa) —घुर्ये ने इस पुस्तक में अफ्रीका में प्रजाति पर आधारित भेदभाव तथा नीग्रो समस्याओं का विश्लेषण किया है। आपने दक्षिण अफ्रीका के प्रजातीय तनावों पर भी प्रकाश डाला है।

(3) भारतीय साधु, (Indian Sadhus) 1953—घुर्ये ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन साधुज' में भारत में साधुवाद तथा साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य एवं वर्तमान में हिन्दू साधुओं के संगठन पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक के कुल 13 अध्यायों में भारतीय साधुओं के सम्बन्ध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। पुस्तक में महत्वपूर्ण ग्रन्थों एवं पुस्तकों की सूची भी दी गई है। घुर्ये ने भारत के विभिन्न सम्प्रदायों एवं पथों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। आपने भारत के प्रमुख साधु पथों एवं सम्प्रदायों—शंकर सम्प्रदाय के साधुओं या दशनामी, दशनामी नागा या लड़ाकू साधु, नाथ पथी या कनफडा जोगियों, बैरागी या वैष्णव साधुओं, सुधारवादी सन्यासियों, केतु समुदायी नागा या लड़ाकू बैरागियों आदि का समाजशास्त्रीय विवेचन किया है।

(4) नगर और सभ्यता, (Cities and Civilization) 1962—घुर्ये की पुस्तक 'सिटिज़ एण्ड सिविलाइजेशन' नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस पुस्तक के ग्यारह अध्यायों में नगरो के प्राकृतिक इतिहास, अमरीका और इंग्लैण्ड के नगरो का इतिहास, भारत के नगरो की स्थिति तथा वृद्धि-नगर की राजधानियों तथा विशाल नगरो के रूपों की विवेचना की गई है। पुस्तक के अन्तिम अध्याय में मुम्बई नगर के सम्बन्ध में सविस्तार विवरण दिया गया है।

(5) मानवशास्त्रीय-समाजशास्त्रीय पत्र, (Anthropo Sociological Papers) 1963—घुर्ये ने समय-समय पर जो पत्र एवं लेख मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों से सम्बन्धित लिखे थे जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे उनका संकलन 'एन्थ्रोपो-सोसियोलॉजिकल पेपर्स' पुस्तक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है। इस संकलित पुस्तक में सत्रह विषयों पर सत्रह अध्यायों में लेख प्रकाशित किए गए हैं। इसमें जो लेख प्रकाशित किए गए हैं वे—'भारत में द्वै-संगठन', 'काठियावाड़ में ममेरे-फुफेरे-भाई-बहिन एवं द्वै-संगठन', 'नातेदारों का नामकरण', 'विवाह की आयु', 'भारत में विवाह और वैधव्य',

'मिश्र की नातेदारी प्रथा एव भारत की दाह-क्रियाएँ', 'मानव नाल को पृथक् करना'; सामाजिक कार्य एव समाजशास्त्र', 'सामाजिक श्रेणों के रूप में मित्रता', 'भारतीय परम्परा'; 'भारतीय एकता', 'मूल्य और समाज', 'शैली और सभ्यता', 'नवाचार और गतिशीलता का समाजशास्त्र' आदि हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

(6) संस्कृति और समाज, (Culture and Society) 1963—घुर्ये ने 'कल्चर एण्ड सोसायटी' पुस्तक में सामाजिक विघटन के कारण संस्कृति के समक्ष आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया है। आपने हवेली तालुका के 111 गाँवों का लोक-नगरीय-अविच्छिन्नक (Folk-Urban-Continuum) की परम्परा में पारिस्थितिकीय को ध्यान में रखकर अध्ययन किया है, उसे इस पुस्तक में प्रकाशित किया है तथा जनसंख्या के आधार पर गाँवों का वर्गीकरण किया है। सम्पूर्ण हवेली तालुका को आपने समुदाय कहा है जिसका वर्गीकरण निम्न है—

### हवेली तालुका ( समुदाय ) का वर्गीकरण

प्रकार →	कृषिपुरा	ग्राम राजा	महाग्राम	खेतका
जनसंख्या →	(3,000 से अधिक जनसंख्या)	(2,000 - 3,000)	(1,000 - 2,000)	(500 से कम)

1 कृषिपुरा—हवेली में आठ गाँव तीन हजार या उससे अधिक जनसंख्या के थे उन्हें कृषिपुरा की सजा दी गई।

2 ग्राम राजा—जिनकी जनसंख्या दो हजार से तीन हजार के बीच थी उन्हें आपने ग्राम राजा की सजा दी। ऐसे ग्राम-राजा दस थे।

3 महाग्राम—जिनकी जनसंख्या एक हजार से दो हजार के बीच थी उन्हें महाग्राम की सजा दी गई है। ऐसे 34 महाग्राम थे।

4 खेतका (छोटे गाँव)—जिनकी जनसंख्या 500 से कम थी उन्हें आपने खेतका (छोटे गाँव) कहा। ऐसे बीस गाँव थे।

घुर्ये ने हवेली तालुका के अध्ययन में 1891 से 1951 तक के जनसंख्या के आँकड़ों का उपयोग किया। जनसंख्या के घनत्व का भी विश्लेषण किया। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं आर्थिक परिवर्तन के पक्षों का विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

(7) जाति, वर्ग और व्यवसाय, 1961—घुर्ये की पुस्तक 'कास्ट, क्लास एण्ड आक्यूपेशन' का हिन्दी अनुवाद जाति, वर्ग और व्यवसाय है। यह पुस्तक Caste and Class in India और Caste and Race in India का संशोधित एवं विस्तृत रूप है।

इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं जिसमें जाति-व्यवस्था के लक्षण, जाति समूहों का स्वरूप, युग-युग से जाति, जाति में परिवर्तन। प्रजाति और जाति, भारत के बाहर जाति के तत्वों, जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, जाति तथा ब्रिटिश शासन, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय और जाति, वर्ग तथा उसके कार्यों तथा जाति के भविष्य आदि जाति से सम्बन्धित विविध विषयों को विवेचना की गई है। यह कृति भारत में जाति व्यवस्था से सम्बन्धित तथ्यों का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

घुर्ये ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है, "भारतीय जाति और वर्ग" इस नाम के मेरे ग्रन्थ का यह (जाति, वर्ग और व्यवसाय) परिवर्द्धित संस्करण है और मेरे 'भारतीय जाति और प्रजाति' नामक ग्रन्थ का चौथा संस्करण है। 'व्यवसाय' के सम्बन्ध में लिखे हुए एक नए प्रकरण को इस संस्करण में सम्मिलित करने से इसका विस्तार हो गया है। इस



विस्तार से यह ग्रन्थ भारतीय समाज संरचना का एक विशेष अध्ययन प्रस्तुत करता है। अन्य परिवर्तन आनुवंशिक है। 9वें, 10वें एवं 11वें अध्यायों में नवीन सामग्रियों का समावेश किया गया है। अन्तिम अध्याय के शीर्षक को उपयुक्ततानुसार (प्रासंगिकतानुसार) परिवर्तित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस ग्रन्थ के पाठकों को ये कुछ परिवर्तन विषय की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने में सहायक होंगे।”

इस पुस्तक में वर्णित जाति, वर्ग और व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है—

### जाति-व्यवस्था

जब हिन्दू समाज जाति के सामाजिक दर्शन के द्वारा शासित होता था और आधुनिक विचारधारा के अधिकारों और कर्तव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उस समय घुर्वे के अनुसार हिन्दू समाज के निम्न छः प्रधान विशिष्ट लक्षण देखे जा सकते हैं—

#### जाति द्वारा शासित हिन्दू समाज के विशिष्ट लक्षण

1. समाज का खण्डात्मक विभाजन	2. श्रेणी-बद्धता	3. भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबन्ध	4. विभिन्न खण्डों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएँ व विशेषाधिकार	5. अप्रतिबन्धित व्यवसायों के चयन का अभाव	6. विवाह पर नियंत्रण
-----------------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------

1. समाज का खण्डात्मक विभाजन (Segmental Division of Society)—हिन्दू जाति समाज न्यूनाधिक रूप में समरूप समुदाय नहीं था। यह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न समूह (जातियाँ) थे, जिनका अपना सुविकसित जीवन होता था और जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों की भाँति उसके धन पर निर्भर नहीं होती थी। ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊँची जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों की नियमित तथा स्थाई परिपदे या प्रशासनिक सस्थाएँ (पचायत) होती थीं। ये जाति पंचायतें उप-जाति के साथ निपिथ खान-पान, पारस्परिक व्यवहार, स्त्री को रखल या उप-पत्नी के रूप में रखना, स्त्री का अपहरण या व्यभिचार, अवैध संभोग करना, पत्नी का भरण-पोषण नहीं करना, कर्ज नहीं चुकाना आदि अपराधों पर निर्णय दिया करती थी। जाति पंचायत अपने अपराधों सदस्य को दण्ड के रूप में स्थाई या अस्थायी रूप से जाति से बहिष्कृत करती, जुर्माना, जाति के सदस्यों को भोज, शारीरिक दण्ड आदि दिया करती थी। घुर्वे ने लिखा है कि इन विशेषताओं के कारण “जाति स्वयं अपनी शासक है।” विभिन्न जातियों के मध्य एक सांस्कृतिक खाई देखी जा सकती है। आपने निष्कर्ष में लिखा है, “अतः जातियाँ छोटी तथा अपने आप में समूची सामाजिक दुनियाएँ होती हैं और विशाल समुदाय में सम्मिलित रहते हुए भी एक-दूसरी से भिन्न होती हैं।” हिन्दू समाज जाति के द्वारा अनेक खण्डों (जातियों व उपजातियों) में विभाजित होता है।

2. श्रेणीबद्धता (Hierarchy)—घुर्वे के अनुसार जाति-समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों (जातियों) की श्रेणीबद्धता है। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक बरिष्ठता देखने को मिलती है। इसमें ब्राह्मण उच्चतम प्रस्थिति प्राप्त होते हैं और हरिजन या अस्पृश्य जाति निम्नतम प्रस्थिति वाली होती है। अन्य जातियाँ प्रतिष्ठानुसार इनके मध्य क्रम से स्थित होती हैं।

3. भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Feeding and Social Intercourse)—इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम विद्यमान हैं कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन-किन जातियों से ग्रहण कर सकता है

और किन-किन से नहीं। इस सम्बन्ध में भारत में बहुत अधिक अनेकता विद्यमान है। घुर्ये ने भोजन और सामाजिक समागम सम्बन्धी नियमों के आधार पर भारत को दो भागों में विभाजित किया है। आपने उत्तर भारत में जातियों का विभाजन निम्न पाँच समूहों में किया है—(1) पहला स्थान द्विज यानी ब्राह्मणों का है। (2) दूसरा स्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण 'पक्का' भोजन ग्रहण कर लेते हैं। (3) तीसरे स्थान पर वे जातियाँ आती हैं जिनके हाथ से ब्राह्मण मात्र जल ग्रहण कर सकते हैं। (4) चौथा स्थान उन अछूत जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। (5) अन्तिम स्थान पर वे जातियाँ आती हैं जिनका स्पर्श मात्र किसी भी कट्टर हिन्दू को अपवित्र कर सकता है। सिद्धान्त रूप में ऊँची जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति के सदस्य द्वारा स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हो जाता है। परन्तु व्यवहार में इस नियम का इतनी दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है। दूसरा दक्षिण भारत में मद्रास और विशेषतः मलबार में इस सिद्धान्त को और भी अधिक विस्तृत रूप में देखा जा सकता है। एक निश्चित दूरी से कम दूरी होने पर उच्च जातियाँ अपवित्र हो जाती हैं।

4 विभिन्न खण्डों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएँ एवं विशेषाधिकार (Civil and Religions Disabilities of the Different Sections)—जाति संरचना में उच्चतम जाति (ब्राह्मण) को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएँ होती हैं। इसके विपरीत निम्नतम जाति (अस्पृश्य या हरिजन) पर अधिकतम असमर्थताएँ होती हैं और न्यूनतम विशेषाधिकार। घुर्ये ने लिखा है, "विशिष्ट जातियों या जाति-समूहों का गाँव में पृथक्करण नागरिक विशेषाधिकारों तथा असमर्थताओं का अत्यन्त ही स्पष्ट चिह्न है और यह सारे भारत में न्यूनतम रूप में विद्यमान रहता आया है।" नियमों की कठोरता में दक्षिण भारत का विशिष्ट स्थान है आपने लिखा है, "उत्तर भारत, महाराष्ट्र और तेलगू कन्ड प्रदेशों में केवल अपवित्र जातियों को ही पृथक् किया जाता है और उन्हें गाँवों की बाहरी सीमा पर रहने के लिए विवश किया जाता है।" तमिल व मलायालम प्रदेशों में प्रायः ऐसा होता है कि विभिन्न जातियाँ पृथक् भागों में रहती हैं या कभी कभी किसी गाँव को ही तीन भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में प्रमुख जाति या ब्राह्मण, दूसरे में शूद्र और तीसरे में पचम यानी अछूत निवास करते हैं। ब्राह्मणों, शूद्रों और पचमों के मोहल्ले पृथक् होते हैं।

ब्राह्मणों के संस्कार विशिष्ट—वैदिक-क्रिया पद्धति की सहायता से सम्पादित होते थे जबकि अन्यो के संस्कार पौराणिक क्रिया पद्धति, जिसे कम पवित्र माना जाता है, के द्वारा सम्पन्न किए जाते थे। अत्यन्त पवित्र साहित्य का अध्ययन शूद्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रतिबन्ध निम्न जातियों पर लगे हुए रहे हैं। मन्दिरों के अन्तरंग भागों में मात्र ब्राह्मण ही जा सकते थे। शूद्रों तथा अन्य जातियों का पवित्र स्थानों में प्रवेश निषिद्ध था।

घुर्ये ने लिखा है, "ऐसा वर्णन पाया गया है कि मराठों तथा पेशवाओं के शासन काल में महार और माँग जातियों को पूना के दरवाजों के अन्दर दोपहर 3 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहिले प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि इस समय में उनके शरीरों की लम्बी छाया पड़ती थी, जो ऊँची जातियों के सदस्य पर गिरकर उन्हें अपवित्र कर देती थी। महाराष्ट्र प्रदेश में अछूतों को सड़क पर धुंके नहीं दिया जाता था क्योंकि कहीं ऊँची जाति के किसी हिन्दू का पैर उससे छू जाने से वो अपवित्र हो जाते थे।

मलबार तथा पूर्वी सीमा के ताड़ी बनाने वाले इझवा तथा शानारो को छाता, जूता या सोने के गहने पहिनने, गाये दुहने या देश की साधारण भाषा का भी उपयोग करने की

अनुमति नहीं दी जाती थी। सन् 1865 तक ऐसा ही कानून था कि तिया या अन्य नीची जातियों को स्त्रियों को कमर से ऊपर अपने शरीर को नहीं ढक सकती थी। उन्हें अपने शरीर का ऊपरी भाग बिल्कुल खुला रखने को विवश होना पड़ता था। सश्रम कारावास या मृत्युदण्ड प्रायः नीची जातियों के अपराधियों को ही दिया जाता था।

फारबस ने लिखा है, "भारत के अधिकांश भागों की भाँति त्रावनकोर के ब्राह्मणों ने अपने आपको यथासाध्य दण्ड से मुक्ति पाने में पूरी सावधानी प्रदर्शित की। कम-से-कम एक ही अपराध में अन्य जातियों की अपेक्षा उन्हें बहुत ही अल्प दण्ड दिया जाता था।" बंगाल में भी भूमि भोगने वाली जाति के अनुसार कर या लगान की राशि प्रायः परिवर्तित होती रहती थी। जाति प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक असमानताएँ एवं विशेषाधिकार उनकी जाति संरचना में उच्चता और सिद्धान्त के क्रम विन्यास के आधार पर भिन्न-भिन्न थे।

5. अप्रतिबन्धित व्यवसायों के चयन का अभाव (Lack of Unrestricted Choice of Occupation)—सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता-जुलता जाति-समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे। उस पैतृक व्यवसाय को वे किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। ब्राह्मण यह सोचता था कि उसके लिए पुरोहित बनना या बने रहना उचित है। घमार जूते बनाना और चमड़े के कार्य को करना अपना परम कर्तव्य समझता था। घुर्गे ने टिप्पणी लिखी है कि यह मात्र सामान्य रूप से ही सत्य था क्योंकि व्यापार, कृषि, कृषि-श्रम, सैनिक सेवा जैसे व्यवसाय समूह थे जो किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए खुले हुए थे। अधिकार जातियाँ इनमें से किसी भी एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। इसके साथ आपने यह भी लिखा है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों को ऐसा धन्या अपनाने की अनुमति नहीं देती थी जो प्रतिष्ठाघातक हो, जैसे—ताड़ी या शराब बनाना, मलमूत्र या कूड़ा-करकट उठाना या चमड़े का गन्दा कार्य करना। व्यक्ति के व्यवसाय के चयन करने में दो प्रकार के प्रतिबन्ध होते थे—(1) अपनी जाति-बन्धुओं का नैतिक नियंत्रण, तथा (2) अन्य जातियों एवं सामाजिक प्रतिबन्ध भी व्यवसाय के चयन में प्रभावी रहते थे। घुर्गे ने उदाहरण दिया है कि जन्मजात ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण पुरोहित का कार्य का पूर्ण अधिकार परम्परागत एवं आनुवांशिक रूप से ब्राह्मणों का रहा है। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र प्रदेश में ब्राह्मणों को अनेक लौकिक कार्यों जैसे लेखापाल, और सैनिक सेवा में देखा जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय विद्रोह से पूर्व ब्राह्मण बंगाल की सेना में सेवारत थे। राजपूताना के कुछ ब्राह्मण मारवाड़ी सेठों की सेवा करते थे। बुचनन (Buchanan) के अनुसार, कर्नाटक में अनेक ब्राह्मण राजस्व एकत्र करने तथा दूत या सदेशवाहक का कार्य भी करते थे। राजपूताने में ब्राह्मण अपने खेत पर आवश्यक श्रम करने तथा अपने श्रम को भूमिधरो को बेचा भी करते थे।

घुर्गे ने लिखा है कि कृषि में अनेक जातियाँ लगी हुई हैं। व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बिना अपनी सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन किए या जाति के अन्दर विवाह का अधिकार खोए चले जाना असम्भव नहीं है। रसेल (Russel) ने लिखा, "अनेक जातियों का एक-सा ही परम्परागत व्यवसाय है। मध्य प्रान्त की लगभग चालीस जातियों का वर्गीकरण कृषकों के रूप में, ग्यारह का बुनकरों के रूप में, सात का मछुओं के रूप में और ऐसे ही अन्यो का किया गया है।" घुर्गे ने निष्कर्ष में लिखा है कि यह सामान्य कथन स्वीकार किया जा सकता है कि प्रत्येक जाति के लिए जो व्यवसाय निश्चित है उसे अधिमान्यता पाने का अधिकार है। कतिपय अपवादा को छोड़कर प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक

प्रकार के व्यक्ति के लिए खुला है। आपने इरविंग (Irving) का कथन उद्धरित किया जो इस प्रकार है, "यदि हम पुरोहित के कार्य को छोड़ दे तो जाति का भी आवश्यक प्रभाव जीवन की उस दिशा पर नहीं पड़ता है जिस ओर कोई व्यक्ति जाना चाहे। घुर्गे की टिप्पणी है कि इरविंग का उपरोक्त कथन स्थिति को कुछ बड़ा-घड़ा कर प्रस्तुत करता है। आपने इस सम्बन्ध में बेन्स (Baines) के कथन को सही बताया है जो निम्न है, "फिर भी व्यवसाय जो जाति के लिए परम्परागत-सा है किसी भी प्रकार से आवश्यक रूप से वही नहीं है जिससे उस समूह के सभी या अधिकांश लोग वर्तमान समय में अपनी जीविका अर्जन करते हैं।"

6 विवाह पर नियंत्रण (Restrictions on Marriage)—हिन्दू समाज अनेक उप-समूहों में विभक्त होता है। प्रत्येक उप-समूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता है। यह प्रत्येक उपजाति अपने रहस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उप-जाति से बाहर विवाह नहीं करने देती है। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अन्तर्विवाही होता है। जाति-व्यवस्था का अन्तर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता है। वेस्टर मार्क ने तो अन्तर्विवाह को 'जाति-व्यवस्था का सार' माना है। घुर्गे ने लिखा है, "फिर भी अन्तर्विवाह यानी अपनी ही उपजाति में विवाह करने के इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और उनका कारण अनुलोम विवाह को प्रथा का होना है। पंजाब में विशेषतः पर्वतीय प्रदेश में ऊँची जाति का पुरप किसी भी निम्न जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। मलाबार में जम्बुद्री तथा अन्य ब्राह्मणों के कनिष्ठ पुत्र क्षत्रिय व नैयर स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक समूह को विवाह सम्बन्ध अपनी सीमाओं के अन्दर करने होते हैं। किसी भी कोकणस्थ ब्राह्मण को कोकणस्थ ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न कन्या से ही विवाह करना होता है। विवाह अपने निजी समूह में ही होना आवश्यक है। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसको सदस्यता समूह से निष्कासन ही इसका सामान्यतः दण्ड होता है जिसे अपराधी पक्षों को भोगना पड़ता है।

जाति और उप-जाति . एक समीक्षा (Caste and Sub-Castes A Review)

घुर्गे ने जाति और उपजाति के तुलनात्मक महत्त्व को अनेक तथ्यों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपने लिखा कि अन्तर्विवाह को जाति का मुख्य लक्षण मान लेने का अर्थ है कि इन उपजातियों को वास्तविक जातियाँ मान लिया जाए। गेट (Gait) ने इस पर निम्न दो आपत्तियाँ उठाई हैं। पहिला ऐसा करना "इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों को जो भावना है उसके विपरीत होगा।" दूसरा यह कि "व्यवहार में यह बहुत ही असुविधाजनक होगा क्योंकि इससे जातियों की मर्यादा अत्यधिक हो जावेगी।" घुर्गे ने दूसरी आपत्ति की उपेक्षा करते हुए लिखा कि सत्य मात्र प्रशासनिक कठिनाई है। प्रथम आपत्ति के सम्बन्ध में आपने निम्न प्रमाण दिए हैं। आपने लिखा कि महाराष्ट्र में अन्य लोगों के लिए सारस्वत ब्राह्मण केवल सारस्वत नाम से विख्यात है परन्तु एक सारस्वत की दृष्टि में वह शेणवी या पेडनेकर है। यद्यपि समूचे समाज के द्वारा जाति को ही मान्यता दी जाती है, तथापि जाति विशेष तथा व्यक्ति द्वारा जाति उपजाति मानी जाती है। एक ब्राह्मण की दृष्टि में अधिकांश अन्य लोग शूद्र हैं, चाहे उनकी प्रस्थिति ऊँची या नीची हो। घुर्गे की मान्यता है कि हम किसी भी बड़ी भाषायी प्रान्त की सारी जनसंख्या को ब्राह्मण तथा शूद्र नामक दो जातियों या उन स्थानों में तीन जातियों में विभक्त कर देंगे जहाँ अनिच्छापूर्वक क्षत्रियों का भी पृथक् अस्तित्व माना जाता है। निष्कर्ष में आपने लिखा है, "इसके लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है कि समाजशास्त्र की दृष्टि से इस संस्था का सही रूप समझने के लिए हमें उपजातियों को वास्तविक जातियाँ मानना चाहिए।

## वर्ग-व्यवस्था (Class System)

घुर्गे के अनुसार वर्गों में सदस्यता स्वैच्छिक होती है तथा जन्म से निर्धारित नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों में उसके धन पर निर्भर करती है। आपने जाति और वर्ग के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए मेकाइवर के निम्न कथन को उद्धरित किया है, "पूर्वी सभ्यता में जब कि वर्ग और प्रस्थिति का मुख्य निर्धारक तत्व जन्म था, पश्चिमी सभ्यता में आज धन ही वर्ग-निर्धारक के रूप में उतना ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और धन की अपेक्षा जन्म कम कठोर निर्धारक तत्व है। धन अधिक दृढ़ है। अतः इसके दावों को सरलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है, यह एक आशिक विषय है इसमें पृथक्करण, उपार्जन या हस्तान्तरण अथवा जातिगत भेदभावों को पैदा करने की क्षमता है तथा यह भेदभाव की स्थायी दृष्टि उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कि जन्म से उत्पन्न होती है।" घुर्गे ने लिखा है कि हिन्दू समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है तथा वह अन्य व्यवसाय करने पर भी उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती है। वर्ग-व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होती है। आपने आगे लिखा है, "समस्त समुदाय के कानून को छोड़कर वर्ग के सदस्यों के आचार को नियंत्रित करने के लिए तथा उसकी नैतिकता का मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्थायी या सामाजिक परिषद नहीं होती है। एक ही वर्ग के सदस्य भिन्न-भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं, जो संगठित होने पर स्थाई कार्य संचालक का समितियों के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके सदस्यों पर अपने नियमों के अनुसार शासन करती हैं। ये नियम सामान्य रूप से विशाल समुदाय के न्यायोचित अधिकार-क्षेत्र को पृथक् रखते हुए केवल अपने व्यवसाय सम्बन्धी शिष्टाचार या आर्थिक लाभ का ध्यान रखते हैं। बुद्धिजीवी व्यवसायों में ये सामान्य नियम तथा प्रशासनिक आदेश ऐसे विषयों को निश्चित करते हैं, जैसे—प्रवेश सम्बन्धी योग्यताएँ, प्रशिक्षण का स्वरूप, पारिश्रमिक के तरीके, नौकरी की शर्तें, सहकर्मियों तथा जनता के प्रति व्यवहार के नियम, सार्वजनिक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों की योग्यताएँ, सेवा की शर्तें, निष्कासन के अधिकार आदि।" जाति व्यवस्था में जाति पचायत अपनी जाति के लगभग सभी मामलों पर निर्णय देती है जिनका सविस्तार विवेचना अपनी कृति 'जाति, वर्ग और व्यवसाय' के ग्यारहवें अध्याय में 'वर्ग तथा उसका कार्य' शीर्षक के अन्तर्गत निम्नानुसार की है—

### वर्ग तथा उसकी भूमिका (Class and its Role)

घुर्गे ने वर्ग का महत्त्व, विशेषताएँ, भूमिका, गतिशीलता, निर्णायक कारकों आदि का विवेचन जाति के सन्दर्भ में किया है। घुर्गे ने स्पष्ट किया है कि जाति की भाँति वर्ग-व्यवस्था भी अर्गतिशील और विवाह आदि से सम्बन्धित प्रतिबन्धों से युक्त प्रथा रही है। आपने इस सम्बन्ध में विद्वानों के कथन उद्धरित किए हैं जो निम्न हैं— सी. ए. मसे (C A Mace) ने वर्ग के मनोवैज्ञानिक आधार पर किए गए प्राचीन किन्तु गहरे विश्लेषण के बाद निम्न उद्गार प्रकट किए, "भिन्न राष्ट्रीयता या भिन्न धर्म की पत्नी से विवाह करने की अपेक्षा यदि कोई युवक अपने वर्ग से बाहर विवाह कर लेता है तो वह अत्यधिक गम्भीर विषय हो जाता है।"

घुर्गे ने बेंनेडिटो क्रोसे (Benedetto Croce) के विचार अपने इस अध्याय में उद्धरित किए हैं जो निम्न हैं, "पिछली शताब्दी से, विशेषतः पिछले पचास वर्षों से ऐसा प्रतीत होता है कि मसार सर्प के शीपवाली देवियों के दुःस्वप्न से आक्रान्त, उत्पीड़ित,

भूतोपप्लित तथा आतंकित हो गया है, जो कुछ मध्यकालीन माँडो या विदूषको की टोली या शैतानो की चढ़ाई की भाँति है जिसे 'सामाजिक वर्ग' कहते हैं।

1956 में काराडोग जोन्स और जोहन हाल (Caradog Jones and John Hall) ने सामाजिक गतिशीलता पर जो अन्वेषण किया था उसमें विवाह को प्रासंगिक लक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया था और उसके आधार पर जरजी बैरन्ट (Jergy Berent) ने निम्न कथन लिखा, "जिस सीमा तक विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के मध्य विवाह होता है, यह सामाजिक संरचना के खुलेपन की कमोटी है।" इसमें वर्ग अन्तर्विवाह अर्थात् व्यक्ति अपने वर्ग में ही विवाह करने की प्राथमिकता देता पाया गया। 5,100 विवाहों में जीवनसाथी के सामाजिक मूल के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री को चार वर्ग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और यह पाया कि (1) 44.9% विवाहों में पति और पत्नी का सामाजिक मूल एक ही समूह का था। (2) वे विवाह जिनमें पत्नी-पति के वर्ग से तुरन्त नीचे वाले वर्ग की थी 30.6% थे। (3) वे विवाह जिनमें पत्नी-पति के वर्ग से दो स्थान नीचे वाले वर्ग की थी 18.6% थे। (4) 38.9% मामलों में पत्नी का वर्ग पति के वर्ग से निम्नतर था। घुर्गे ने निष्कर्ष दिया कि, "घुर्गे में गए बिना यह संकेत किया जा सकता है कि सन् 1915 से पूर्व हुए विवाहों की तुलना में वे विवाह जो सन् 1940 तथा उसके बाद हुए उनमें अगतिशीलता या वर्ग-अन्तर्विवाह का अनुपात उल्लेखनीय रूप से कम था। जहाँ 1915 के पूर्व एक वर्ग के विवाह 48.7% थे वहाँ 1940 तथा उसके बाद ऐसे विवाह केवल 42.9% पाए गए। इस प्रकार वैवाहिक गतिशीलता में वृद्धि देखी जा सकती है।

घुर्गे का कहना है कि प्रचलित ब्रिटिश वर्ग-व्यवस्था का विकास पूर्ववर्ती सामन्तीय ब्रिटिश वर्ग-व्यवस्था से हुआ जो यूरोप में सामान्य रूप से विद्यमान थी और सैद्धान्तिक दृष्टि से भारतीय इतिहास के हिन्दू-युग के अन्त में जो जाति-व्यवस्था थी, वह बहुत कुछ उसके जैसे ही थी। आपका कहना है कि यद्यपि इनमें समानता गहरी है तथापि इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी हैं जिसको आपने इस व्यवस्था के वर्णन के द्वारा स्पष्ट किया है। यह इस प्रकार से हैं—

**ब्रिटिश वर्ग-व्यवस्था (British Class System)**—सामन्तीय समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग तीन से लेकर बारह प्रकार के थे। अधिकतर इनकी सामान्य संख्या चार थी—(1) सरदार, (2) पाद्री, (3) स्वतंत्र कृषक, तथा (4) भू-दास। सामन्तीय प्रथा भूमि एवं सामाजिक पद दोनों के लिए कानून के रूप में थी। जाति-व्यवस्था में भू-धारणाधिकार का तत्त्व नहीं था। जाति के प्रारम्भिक काल में और सैद्धान्तिक दृष्टि से उसके बाद भी जाति समूहों को चार या पाँच तक सीमित कर दिया जाता था। जाति समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च थे वही यूरोपीय वर्ग समाज में योद्धा या सरदार जो क्षत्रियों के अतिरूप थे पहिले स्थान पर थे। सामन्तीय समाज का विभाजन तथा भेदभाव धार्मिक आदेश से रहित था जबकि जाति-व्यवस्था में धर्म प्रधान तत्त्व था। यही इन दोनों व्यवस्थाओं में प्रमुख अन्तर रहा है। पाद्री समाज के सभी वर्गों से भर्ती किए जाते थे। पाद्री कँवारे रहते थे और अविवाहित ही मरते थे।

सामन्तीय वर्ग की सदस्यता अन्य वर्गों के लिए प्रतिबन्धित थी। जो जातियों के जैसा ही बन्द वर्ग था। पाद्री वर्ग सामाजिक गतिशीलता प्रधान था जो जाति से भिन्न था। क्षत्रियों ने अनेक बार ब्राह्मण से उच्च पद प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्त में क्षत्रियों को ब्राह्मण के दाद वाली श्रेणी से ही सन्तोष करना पड़ा।

दूसरा अन्तर यूरोपीय वर्ग-समाज और जाति-समाज के मध्य संख्या का है। वर्ग-समाज में समूहों की संख्या बहुत ही कम थी तथा इनकी श्रेणीबद्धता तथा घरिष्ठता जाति-समाज की अपेक्षा बहुत कम जटिल थी।

प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों के सदस्य एक-दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह होने पर उस पत्नी को पति के वर्ग का व्यवहार प्राप्त नहीं होता था। उनकी सन्तानों को निम्न वर्ग में जाना पड़ता था। ये विशेषता जाति-व्यवस्था जैसी ही थी। वर्ग-व्यवस्था में सरदार लोगों का कर्त्तव्य रक्षा करना, पाद्री का सबके लिए प्रार्थना करना तथा सामान्यजनों का कर्त्तव्य जाति-व्यवस्था के शूद्रों की भाँति सबके लिए अन्न उत्पन्न करना था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना वर्ग-परिवर्तन करना मूर्खता मानी जाती थी।

वर्ग-व्यवस्था में परिवर्तन या सर्वश्रेष्ठ सामाजिक रूपान्तर महारानी एलेजाबेथ काल (1400 से 1800) के मध्य दिखाई देता है।

ट्रेवेलियन इस परिवर्तन को निम्न शब्दों में व्यक्त करते हैं, "एलिजाबेथ के समय के इतिहास एवं साहित्य के अध्ययन से पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा वर्गों में अत्यधिक सामंजस्य तथा विमुक्त पारस्परिक व्यवहार का प्रभाव उत्पन्न होता है। यह युग न तो कृषकों के विद्रोह का था, न समतलन (Levelling) के सिद्धान्त का था, न जेम्स प्रथम के शासन काल के विरोधियों के भय का था और न उच्च वर्ग की उस एकात्मिकता तथा सभ्यमान्यता का था जिसका चित्रण परवर्ती काल में जेन आस्टिन ने किया है। शेक्सपीयर के समय में वर्ग-विभाजन को सामान्य रूप में ही ग्रहण किया जाता था। उसमें न तो निम्न वर्गों में ईर्ष्या-द्वेष की भावना थी, न उच्च तथा मध्यम वर्ग में निम्न वर्ग को आधीनता के महान् नियम मिटवाने की गहरी चिन्ता थी जो अठारहवीं तथा डनीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इतने कष्टदायक रूप से प्रकट होती है।"

वाणिज्य का विकास तथा कस्बों की उन्नति ने लोगों के नवीन वर्ग उत्पन्न कर दिए। ये वर्ग व्यापारियों, शिल्पकारों और श्रमिकों के थे। नवीन वर्गों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वर्ग सौदागरों तथा व्यापारियों का था। ये भद्र वर्ग की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे और प्रायः उसको प्राप्त भी कर लेते थे। घुर्गे ने लिखा है कि व्यापारी, सौदागर, ठेकेदार, बैंक और बँक-संचालक और वित्त प्रबन्धक और आगे चलकर निर्माता, उद्योगपति या फैक्ट्री के स्वामी—ये सब मिलकर पूँजीपति वर्ग की रचना करते हैं। मूल रूप में ये मध्य वर्ग के नाम से प्रसिद्ध थे।

लगभग 18वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में और 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने वाले कृषि सम्बन्धी रूपान्तर एवं औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ब्रिटिश समाज के वर्ग रचना में उल्लेखनीय परिवर्तन प्रदर्शित किया। श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ गया था तथा यह समाज के अन्य विभागों से, विशेष रूप से नियोजक वर्ग (Employing Class) में अधिकाधिक रूप से पृथक् हो गया। यह दृश्य 19वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश तक इतना अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया कि डिजबॉयली ने ब्रिटिश समुदाय को दो राष्ट्रों यानि संघर्ष के लिए समृद्ध धनी और निर्धन लोगों से निर्मित बताया। घुर्गे का मत है कि इसके बाद ही मार्क्स और इन्जल्स ने अपने दो वर्गों तथा उनके संघर्ष के सम्यन्ध में विचार प्रकट किए।

घुर्गे ने लिखा है कि वेतनभोगी लोगों और मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों में भेदभाव यही है जो वेतन और मजदूरी के मध्य है। वेतनभोगी कार्यकर्ता होने के कारण किसी भी व्यक्ति को श्रमिक वर्ग से पृथक् होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है क्योंकि श्रमिक वर्ग की कसौटी मजदूरी के लिए कार्य करना तथा हस्त कार्य करना है।

नामकरण जो प्रारम्भिक 'इस्टेट' व्यवस्था में प्रचलित था वह न केवल स्थिर था बल्कि उस समय के उत्पादन के प्रमुख साधन अर्थात् भूमि के विशिष्ट प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार भद्र लोग वह वर्ग था जो भूमि का स्वामी था और भू-दास वह वर्ग था जिसका कर्त्तव्य किन्हीं रीति-रिवाजों या कानूनी धाराओं के अधीन उस भूमि पर कृषि कर्म करना था।

जब कस्बों की बड़ोतरी से व्यापारी सौदागर और शिल्पकारों के नवीन वर्गों का उदय हुआ तो श्रेणीबद्ध समाज में उनकी उचित स्थिति तथा उनकी उपाधि के विषय में कुछ

गडबड या कम से कम हिचकिचाहट तथा भ्रम विद्यमान था। समय व्यतीत होने पर शिल्पकारों ने कच्चे माल तथा उन्हे तैयार वस्तुएँ तथा उनमें परिवर्तित करने के साधनों पर नियंत्रण खो दिया और वे अपनी विशिष्टता को भी श्रमिकों या मजदूरों कमाने वालों के सामान्य जनसमूह में खो बैठे। इसी काल में व्यापारी, सौदागर और ठेकेदार समृद्ध हो गए तथा उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। प्रत्येक मोड़ पर उनमें से ये लोग एक संख्या में भद्र लोग यानी उच्च वर्ग में आत्मसात् हो गए। किन्तु उनकी बहुत बड़ी संख्या पृथक् रही और धनोपार्जन के कार्य में लगी रही। ग्रेटन ने इस वर्ग को मध्य वर्ग की सजा दी है और घुर्से ने इसे ऐतिहासिक मध्य वर्ग कहा है।

ग्रेटन के अनुसार मध्य वर्ग का आधारभूत लक्षण यह है कि, “वह स्वतंत्र हो या कम से कम स्वतंत्र होने की सामर्थ्य रखता हो।” सोम्वार्ट मध्य वर्ग का सादृश्य स्थानीय उत्पादन तथा वितरण के प्रतिनिधियों के रूप में देखते हैं। जब अर्थशास्त्री तीन वर्गों की योजना का उपयोग करते हैं तो उनका मध्य वर्ग मध्य आय-समूहों का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता है।

लॉकवुड ने लिखा है, वर्ग प्रस्थिति तथा विशेष रूप से कार्य स्थिति क्लर्क तथा श्रमिक के मध्य प्रस्थिति विषयक प्रतिद्वन्द्विता को प्रोत्साहित करती रहती है और प्रस्थिति-विषयक प्रतिद्वन्द्विता वर्ग एकरूपता की चेतना को दुर्बल बना देती है।

सभी आधुनिक राज्यों में सेवा की शर्तें अपने कल्याणकारी पक्ष के साथ सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की ओर आगे बढ़ने में प्रवृत्त हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद नियमित अनुक्रमों (Grades) तथा सेवा सम्बन्धी सगठन में हैं जिनमें प्रारम्भिक वेतन तथा अभिवृद्धियाँ सम्मिलित हैं। किसी भी कार्य में लगा हुआ कोई भी क्लर्क अधीक्षक या उससे भी अधिक उच्चतर पद तक पहुँचने की आकांक्षा रख सकता है। कुछ निश्चित रूप से इस आकांक्षा की पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार के आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों करने वाले श्रमिक को अपने वर्ग, कार्य तथा सामान्य पदों से बाहर जाना पड़ता है और वह इस कार्य को तभी कर सकता है जबकि उसमें असाधारण योग्यता हो।

नवीन मध्य वर्ग के रहन-सहन के आदर्श तथा प्रतिमान मजदूरों कमाने वाले श्रमिकों तथा प्राचीन या ऐतिहासिक मध्य वर्ग से भिन्न हैं।

अभी कुछ ही समय पहिले मलिन वस्त्रधारी (Black Coated) सर्वहारा वर्ग, निम्न अनुक्रमों के क्लर्क, दुकानों के गुमास्तों तथा ऐसे ही अन्य लोगों ने अपने आपको सघों (Unions) में सगठित कर लिया है। सभी अनुक्रमों के अध्यापक समस्त पेशों की अपेक्षा शिक्षा के सोपान के अनुसार अपने-अपने सघ बना रहे हैं। पेशेवर लोग तो प्रारम्भ से ही सगठित हैं। अभी तक ऐसा कोई सघ नहीं है जो वेतनभोगी व्यवसायों को अपने में लाने का प्रयास कर रहा हो। बुद्धिजीवियों का कोई सघ नहीं बना है। बुद्धिजीवी लोग एक शताब्दी पूर्व की स्थिति की अपेक्षा बहुत ही भिन्न-भिन्न समूहों में से भरती किए जाते हैं। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक दृढ़ स्थिति रखते हैं। जी एम ट्रेवेलियन ने इनकी वस्तुस्थिति निम्न कथन में प्रकट की है, “यह उदारवादी स्पष्ट वक्ता युग है जिसका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले न तो कुलीन परिवारों के हैं और न दुकानदार हैं बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त, पेशेवर बुद्धि के प्रशिक्षित लोग हैं जो मिल, हक्सले मैथ्य अर्नाल्ड, जार्ज इलियट तथा ब्राउनिंग के पाठक हैं। ये ऐसे दाढ़ी वाले बुद्धिजीवी भद्र लोग हैं जिनके पारिवारिक जीवन का पच के पृष्ठों में चित्रित करने में ड्यूमरियर (Dumartier) को आनन्द आता है।



समाज के अन्य वर्गों से श्रमिक वर्ग का पृथक्करण बिल्कुल नवीन घटना नहीं है। इनका संघर्ष इतना तीव्र था कि एन्जिल्स जो मार्क्स के साथ वर्ग युद्ध की तैयारी में या श्रमिक वर्ग के द्वारा मध्यवर्ग को गिराकर सत्ता हस्तगत करने के संघर्ष में विश्वास रखते थे तथा उसका समर्थन करते थे। 1844 में निम्न भविष्यवाणी की जो सही नहीं निकली। उन्होंने कहा, "मध्य वर्ग ऐसी भूमि पर निवास करता है जिसकी जड़े खुदी हुई हैं। जिसका द्रुतगति से पतन होना उतना ही निश्चित है जितना गणित सम्बन्धी प्रत्यक्ष निरूपण समस्त श्रमिक वर्ग का गहरा दोष थोड़े ही समय पश्चात् इस प्रकार क्रान्ति के रूप में फैल जाएगा कि जिसकी तुलना फ्रांसिसी राज्य क्रान्ति बालकों का खेल सिद्ध होगी।"

निष्कर्ष में घुर्ने ने वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्रीय व्याख्याओं को प्रस्तुत किया है। व्यक्तियों तथा समूहों के कुछ ऐसे हित हो सकते हैं जो सदृश होते हुए भी दूसरों के लिए सामान्य नहीं हो सकते। इनकी सन्तुष्टि के लिए प्रयास करने में प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के मार्ग में कुछ कठिनद्वयों उपस्थित होती हैं। चूँकि प्रतिस्पर्धा बहुत होते हैं। यह प्रतिस्पर्धा की स्थिति है जो शीघ्र ही विरोध और उसके आगे संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकती है। किन्तु सभ्य समाज में ऐसी अनेक स्थितियाँ किन्हीं परम्परागत या कानूनी नियमों द्वारा तय की जा सकती हैं। फिर भी समूहों के आचरण में ऐसी स्थिति प्रचलित नियमों से सरलतापूर्वक नहीं तय हो पाती है और लम्बे संघर्ष का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रमिक वर्ग बनाम नियोजक वर्ग की स्थिति समय पर इतिहास के दौर में इस सीमा तक गिर जाती है कि केवल विस्फोटन ही उसका हल प्रस्तुत कर सकता है।

घुर्ने ने इस प्रकार से प्राचीन वर्ग-व्यवस्था का विवेचन करते हुए वर्तमान में वर्गों के विकास और स्थिति का जाति-व्यवस्था के सन्दर्भ में सारगर्भित विवेचन किया है।

### व्यवसाय

#### (Occupation)

घुर्ने ने अपनी कृति 'जाति, वर्ग और व्यवसाय' में व्यवसाय के अनेक पक्षों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना की है। आपने जाति-व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए आलोच्य पुस्तक के प्रथम अध्याय में जाति का पाँचवा लक्षण "अप्रतिबन्धित व्यवसायों के चयन का अभाव" पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जिसका वर्णन उपर्युक्त पृष्ठों में 'जाति-व्यवस्था' शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है। आपने वर्ग-व्यवस्था शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि वर्ग-व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होता है। आपने वर्ग-व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका एवं महत्त्व पर सविस्तार प्रकाश डाला है तथा व्यवसायों के आधार पर वर्गों के निर्माण, उनमें परस्पर उच्चता-निम्नता का क्रम, इनमें काल-क्रमिक परिवर्तन का जो सारगर्भित वर्णन किया है उसे संक्षेप में उपर्युक्त पृष्ठों में 'वर्ग-व्यवस्था' और 'वर्ग तथा उसकी भूमिका' शीर्षकों के अन्तर्गत दिया जा चुका है। व्यवसाय से सम्बन्धित तथ्यों के अतिरिक्त घुर्ने ने अध्याय 10 'व्यवसाय तथा जाति' में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यवसाय सम्बन्धी तथ्य जाति और वर्ग के सन्दर्भ में प्रस्तुत किए हैं जो निम्न हैं—

1. जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के अध्यापकों के अनुसार इसके लक्षणों में केवल थोड़ा सा बन्धन व्यवसाय के सम्बन्ध में था। घुर्ने के अनुसार, "इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो भिन्न-भिन्न व्यवसाय करती थी तथा एक ही जाति के सदस्य भी भिन्न-भिन्न व्यवसाय करते थे।" सिद्धान्त रूप में बहुत प्राचीन काल से न केवल वर्णानुसार व्यवसाय या व्यवसायों के समूह निर्धारित किए गए बल्कि उनमें से अनेक जाति के अनुसार भी निश्चित हुए।

2 उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह कट्टर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परम्परागत व्यवसाय था और सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय होता था जिसे त्याग देना अनुचित माना जाता था।

3 सभी समाजों—सभ्य, आदिवासी आदि समाजों में व्यवसायों का विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन होता रहा है। सामाजिक वरिष्ठता एवं व्यवसायों व व्यवसाय समूहों की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्मत योजना भारत के जाति समाज में विद्यमान थी।

4 व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्य को उच्चतर मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जैसा कि समकालीन ब्रिटेन और अमेरिका में मौन रूप से था।

5 भारत में कार्य के सामाजिक मूल्यांकन का दूसरा स्वरूप कार्य या उससे सम्बन्धित पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध, पवित्र है या अपवित्र, भ्रष्टाकारक है अथवा नहीं को विशेष रूप से 19वीं शताब्दी से सामाजिक मूल्य का निर्धारक माना जाता रहा है।

6 पिछली शताब्दी तक व्यवसायों में कृषि को उत्तम माना जाता रहा है। घुर्वे ने इसे इस रूप में उद्धरित किया है, "व्यवसायों में कृषि उत्तम है, जबकि व्यापार मध्यम और नौकरी सबसे निकृष्ट है।" इसी तथ्य को गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृति रामचरित मानस में इस प्रकार से स्पष्ट किया है, "उत्तम खेती मध्यम दान, अधम चाकरी भीख समान।"

7 ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद ही नौकरी के अवसरों में निरन्तर वृद्धि होती रही। ब्रिटिश काल से वेतन बहुत कम मिलता था। तथा नौकरी लोगों के विकसित आत्मसम्मान से मेल नहीं खाती थी। मनु ने घोषणा कर दी थी कि नौकरी कुत्ते का जीवन है।

8 घुर्वे ने व्यावसायिक समूहों की रचना के तीन अनुक्रमों : उच्च, मध्य तथा निम्न वर्गों का उल्लेख किया है। तीसरे निम्न वर्ग के लोगों में मानसिक श्रम करने वाले तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं के लक्षणों का मिश्रण मिलता है। आपने वकालत के व्यवसाय को ब्रिटिश शासन काल की देन बताया है। अन्य व्यवसायों : इंजिनियर तथा भवन निर्माणकर्ता, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, शिक्षक, क्लर्क तथा अन्य अनेक व्यवसायों का आपने वर्णन एवं मूल्यांकन किया है। इस सम्बन्ध में आपने निष्कर्ष इस प्रकार है :

8 1 अध्यापन का व्यवसाय भारत में सदैव एक आदरणीय व्यवसाय के रूप में रहा है।

8 2 इंजिनियरों तथा भवन निर्माणकर्ताओं का कार्य भारत के प्राचीन तथा मध्य युगों के विशाल निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन व्यवसायों में विशिष्ट जातियों के बाहर के लोग थे जो लकड़ी या पत्थर से सम्बन्धित परम्परागत व्यवसाय करते थे। मनु के अनुसार वह ब्राह्मण जो इन कार्यों का करते थे वे श्राद्ध भोज में आमंत्रित करने योग्य नहीं होते थे।

8 3 डॉक्टरों व चिकित्सकों का व्यवसाय ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भी भारत में विद्यमान था। मनु के अनुसार, "चिकित्सक का धन्य ब्राह्मण को इतना भ्रष्ट कर देता था कि वह श्राद्ध भोज के अयोग्य हो जाता था।

9 घुर्वे ने उन व्यवसायों का वर्णन किया है जो भारतीय जाति समाज में विद्यमान थे तथा जो ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए थे। आपने लिखा है कि अनेक व्यवसायों का विकास इंग्लैण्ड में सामन्तवाद के पतन और वाणिज्यवाद और उद्योगवाद के विकास के

समय हुआ था। आपने व्यवसाय के विकास और वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है कि सर्वप्रथम राजा ग्रेगरी ने इंग्लैण्ड की जनसंख्या का व्यावसायिक और प्रस्थिति वितरण सम्बन्धी अनुमान 1688 में किया। समस्त जनसंख्या (आवारा एवं भिखारियों को छोड़कर) को पन्द्रह श्रेणियों में विभाजित किया गया। इस वर्गीकरण में क्लर्कों को पृथक् नहीं रखा गया। अगले पचास वर्षों के आर्थिक विकास के कारण छोटे जमींदार लोप हो गए और उनका स्थान भद्र एवं पैसेवर लोगो ने लिया।

10. 1801 में पेट्रिक कोलकुहोन ने व्यवसायो की स्थिति का विवरण दिया। आपने राजा के पन्द्रह के वर्गीकरण के स्थान पर बीस प्रकार दिए हैं। 1851 में इंग्लैण्ड की पहिले सरकारी जनगणना में सात हजार व्यवसाय दिखाए गए हैं। 1901 की जनगणना में व्यवसायो को 22 प्रमुख व्यवसाय समूहो में वर्गीकृत किया गया था।

11 घुये ने इंग्लैण्ड की 1951 की जनगणना को उस व्यावसायिक चित्र का वर्णन किया है जो भारत में जाति से वर्ग के परिवर्तन को समझने में सहायक है। इस जनगणना में से तेरह व्यावसायिक समूहों का चयन किया गया है जो 82.7 प्रतिशत कर्मचारियों का वर्णन प्रदान करती है। इसमें नियुक्त व्यक्तियों की पूर्ण संख्या 30.8 प्रतिशत स्त्रियाँ थी। घुये ने 1951 की जनगणना के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं—

11.1 क्लर्कों की जीवनयात्रा में परिनिरीक्षक प्रबन्धक और निर्देशक बनने की सम्भावनाएँ हैं।

11.2 इनके व्यवसाय को भारत में ब्रिटिश लोगों द्वारा अत्यन्त ही लोकप्रिय बना दिया गया है।

11.3 यही एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें प्रवेश पाने के लिए साज-सज्जा की दृष्टि से सरलतापूर्वक शोर मचाया जा सकता है।

11.4 समाज-कल्याण को अपनी सोची-समझी हुई नीति में राज्य इन स्थानों को संरक्षण के साथ भरता है।

11.5 यह व्यवसाय विभिन्न जातियों के आगे बढ़ने में प्रयत्नशील तथा बुद्धिमान सदस्यों का मिश्रित पात्र बन जाता है और इसे नगरो तथा कस्बो में अधिक ग्रहण किया जाता है।

12. घुये ने राष्ट्र संघ की सांख्यिक विरोधो की संनिगत के 1938 के जनसंख्या वर्गीकरण के सिद्धान्त को उद्धरित किया है। जो निम्न हैं—(1) आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणियाँ, (2) व्यक्तिगत प्रस्थिति, और (3) व्यक्तिगत व्यवसाय। भारत में 1951 की जनगणना इन सिद्धान्तों पर आधारित वर्गीकरण का उपयोग किया गया था। लेकिन भारत के जनगणना अधिकारी को यह उचित सलाह दी गई कि वो हमारे देश की दशाओं के अनुकूल वर्गीकरण में संशोधन करे।

डॉ. आर. पाडगिल ने 1954 में व्यावसायिक (सामाजिक-आर्थिक) अनुवर्गों की योजना प्रकाशित की। तेरहवा अनुक्रम बेकारों के लिए था। आपने 12 अनुक्रमों को तीन पृथक् आर्थिक समूहो में विकसित किया। इनमें से तीन अनुक्रमों में (1) अनुशत श्रमिक, (2) कुशल श्रमिक, और (3) अत्यधिक कुशल एवं परिनिरीक्षक हाथ से कार्य करने वाले श्रमिक आते हैं। अन्य 9 अनुक्रमो में इस प्रकार है (4) छोटा कारोबार, (5) मध्यकारोबार, (6) फैक्ट्रियों, विशाल निर्माण-गृहो आदि के स्वामो, (7) निम्नतम पेशे तथा प्रशासकीय पद, प्राथमिक अध्यापक आदि, (8) क्लर्क तथा दूकानों के गुमास्ते, (9) मध्यवर्ती पेशे-संवैतनिक पद, माध्यमिक अध्यापक आदि, और (10) उच्चतर पेशे तथा संवैतनिक पद, (11) निवृत्त घेतनधीनी, (12) भिक्षुकी एवं वैश्याओ का है।

गाडगिल के वर्गीकरण पर 1951 के भारतीय जनगणना अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एन जी सोवनी ने गाडगिल के तत्त्वावधान में 1954 में पूना में सर्वेक्षण किया जिसके निष्कर्ष घुर्से ने निम्न रूप में प्रस्तुत किया है—

1 जाति के व्यावसायिक रचना के सापेक्षित अनुपात में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। अकुशल हस्तकार्य में 'अन्य हिन्दुओं' बुनकर जातियों की अत्यधिक प्रतिशतता है। अनुसूचित जातियों की भी 1937 के व्यावसायिक दृश्य की अपेक्षा कुछ अधिक हो प्रतिशतता है।

2 अन्य हिन्दुओं, बुनकर जातियों, मालियों तथा अनुसूचित जातियों में प्रत्येक का योगदान 1937 की तुलना में दुगुना हो गया है।

3 माध्यमिक पेशे तथा प्रशासकीय पदों में 15 प्रतिशत कर्मचारी 'अन्य हिन्दुओं' में से आते हैं।

4 केवल ब्राह्मण जाति ऐसी है जिसके सदस्य सभी 9 अनुसूची क्रमों में पर्याप्त प्रतिशतता में हैं। अकुशल हस्तकार्य के अतिरिक्त सभी आठो अनुक्रमों में इस जाति के परिवार 5 प्रतिशत से अधिक हैं। इनकी उच्चतम प्रतिशतता क्लर्क तथा दुकानों के गुमास्तों में है। ब्राह्मण किसी एक परम्परागत व्यवसाय में सीमित नहीं है।

5 अनुसूचित जातियों के बन्धनयुक्त होने से इनका निम्नतम पेशे तथा प्रशासकीय पदों में प्रतिशत बढ़ा है।

6 माली जाति का छोटे कारोबार में उच्च प्रतिशतता है। इनकी प्रतिशतता अन्य सभी समूहों से अधिक है तथा मराठों से दुगुनी है।

7 आठ अनुक्रमों में प्रत्येक में 'अन्य हिन्दुओं' की प्रतिशतता पाँच से अधिक है। अन्य किसी जाति की इतनी प्रतिशतता नहीं है।

8 ब्राह्मणों की प्रतिशतता छोटे कारोबार में घटी है।

घुर्से की मान्यता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य द्वारा प्रारम्भ किया गया औद्योगीकरण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में तेजी से वृद्धि हुई है। आपने सुझाव दिया है कि गाडगिल और सोवनी के अध्ययन नगरीय क्षेत्रों की स्थिति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। आपने एन जी चाफेकर के बदलापुर गाँव-कस्बे का उल्लेख किया है। आपने इनके अध्ययन का सार देते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के कुछ थोड़े से गाँवों की फैक्ट्री का कार्य इस बदलापुर गाँव की विशेषता है। इसे न केवल नगरीय प्रभाव अपितु नगरीय प्रवृत्ति माना जा सकता है। घुर्से ने चाफेकर के सम्बन्ध में लिखा, "श्री चाफेकर का निम्नलिखित सार्थक कथन आज के ग्रामीण महाराष्ट्र की व्यावसायिक स्थिति का सारांश देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक समुदाय परम्परागत कार्य की अपेक्षा नौकरी को अधिक पसन्द करता है।"

इस प्रकार से घुर्से ने व्यवसाय में परिवर्तन को भारतीय समाज के सन्दर्भ में स्पष्ट किया है।

(8) भारत में सामाजिक तनाव (Social Tension in India)—गोविन्द सदाशिव घुर्से की भारत में सामाजिक तनाव पर पुस्तक सोशियल टेन्शन इन इण्डिया (Social Tension in India), 1968 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं। इन अध्यायों में तनाव, संघर्ष और एकीकरण का भारतीय सन्दर्भ में विवेचन किया गया है। इस पुस्तक की पाठ योजना निम्नानुसार है—प्रथम अध्याय : संघर्ष, तनाव और एकीकरण के सम्बन्ध में समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण, द्वितीय अध्याय : अल्पसंख्यक और सामाजिक तनाव, तृतीय अध्याय : मानव अधिकार और अल्पसंख्यक, चतुर्थ अध्याय : भारत का

संविधान और अल्पसंख्यक; पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति (इसमें मुसलमानों एवं ईसाई प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दिया है), अष्टम अध्याय : हिन्दू तथा मुस्लिम का कला एवं भवन निर्माण का मिश्रण, नवम् अध्याय : भारतीय कृष्ण, दशम् अध्याय : हिन्दू-मुस्लिम दंगे; एकादश अध्याय : भारतीय मुसलमानों के विचार और कार्य (I); द्वादश अध्याय : भारतीय मुसलमानों के विचार और कार्य, (II), त्रयोदश अध्याय : भाषाई तनाव; और चतुर्दश अध्याय : एकीकरण या राष्ट्रीय एकता। अध्यायों के शीर्षकों से सम्बन्धित विषयों, अवधारणाओं एवं समस्याओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। घुर्गे द्वारा व्यक्त विचारों का सार निम्नानुसार है—

### तनाव, संघर्ष और एकीकरण (Tension, Conflict and Integration)

घुर्गे के अनुसार तनाव सामाजिक जीवन की सार्वभौमिक घटना है। हन्स मोरगेन्थ्यू (Hans Morgenthau) का कहना है कि तनाव घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। तनाव संघर्ष का सूचक तथा परिणाम है। तनाव खुले संघर्ष की पूर्वस्थिति है जिसमें हिंसा, गाली-गलौज, अपशब्द, उग्र दलीलो आदि के बाद शत्रुता, विरोध, तोड़फोड़, असहयोग अथवा मात्र पिड़चिड़ापन पाया जाता है। समाजशास्त्र में विगत वर्षों में ही तनाव को अवधारणा पर ध्यान दिया जाने लगा है। इस शताब्दी के तीसरे दशक के अन्त तक तनाव पर ध्यान नहीं दिया गया। फेयर चाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में तनाव पर चौथे दशक में लिखा है जिसे समाजशास्त्र का प्रथम कार्य कहा जा सकता है। आर. एम. मैकीवर ने समाजशास्त्र की पुस्तक सोसायटी में सजातीय और प्रजातीय समूहों की चर्चा करते समय अन्तर-समूह तनाव पर प्रकाश डाला। आपका कहना है कि समूहों में परस्पर उच्च स्तर का पूर्वाग्रह, तनाव और भेदभाव मिलता है। घुर्गे ने इन अवधारणाओं के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारत में 1860 से 1910 को अवधि में तनाव और उच्च तनाव को समाज के कुछ वर्गों में देखा जा सकता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन इसके वास्तविक उदाहरण हैं। केशवचन्द्र सैन, विद्यासागर, रानाडे, ज्योतिबा फूले, महर्षि कर्वे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण की जीवनियों में अनेक अवसरों पर तनाव और उच्च तनाव के अस्तित्व को देखा जा सकता है। घुर्गे ने तनाव की अवधारणा के संक्षिप्त इतिहास के बाद इसकी तथा अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं की परिभाषाओं की विवेचना की है।

### अवधारणाओं की परिभाषाएँ (Definitions of Concepts)

घुर्गे ने तनाव, सामाजिक तनाव, संघर्ष तथा एकीकरण आदि की परिभाषाओं की विवेचना की है जो निम्न है—

1. तनाव की परिभाषा (Definition of Tension)—घुर्गे ने स्पष्ट किया है कि तनाव की अवधारणा समाजशास्त्र में कैसे आई और इसका अर्थ क्या है। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र में मूल रूप से तनाव की अवधारणा शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया मनोविज्ञान से आई है। तनाव जीवों का एक गुण, क्षमता अथवा लक्षण है। यह स्वायत्त तंत्रिका यंत्र के विभिन्न खण्डों में उत्पन्न होता है। जब इनमें से कोई एक क्रियाशील हो जाता है तो तनाव ध्येयस्था के निश्चित खण्ड में एकत्र हो जाता है और वह अशान्ति और अनिर्दिष्ट क्रियाओं को उत्पन्न करती रहती है। जब तक कि वह उपयुक्त क्रिया द्वारा शान्त नहीं हो जाता है। तनाव के चरम चालक पोषणता और लैंगिकता है। फ्रायड सम्प्रदाय के

अनुसार लैंगिकता सभी तनावों और इच्छाओं में सर्वोपरि कारण है। समाजशास्त्र में कुर्टलेविन (Kurt Lewin) ने सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धान्त का विकास किया जिसे तनाव मनोविज्ञान भी कहा जाता है। आपने तनाव के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं—सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। घुर्ये ने लिखा है कि तनाव कोई अभिवृत्ति नहीं है लेकिन बुद्धि की अवस्था या स्थिति जैसे, “अपमानता, गवारपन, सरक्षकता, अकखडपन, घृणा, विमुखता, विद्वेषता और सन्देह। मैकीवर द्वारा बताई गई 51 अभिवृत्तियाँ “तनाव” में स्थान रखती हैं। आपके अनुसार, “तनाव बुद्धि की एक अवस्था है जो समूह अथवा समूह के एक सदस्य को अलग-थलग कर देती है और जो तनाव या अप्रियता का कारण है तथा एक व्यवहार के प्रतिमान को पैदा करता है जिसे उपर्युक्त वर्णित एक मा मिश्रित अभिवृत्तियों के रूप में देखा जा सकता है।”

2 समाज और सामाजिक तनाव (Society and Social Tension)—सामाजिक तनाव की परिभाषा देने से पूर्व आपने समाज की परिभाषाएँ उद्धरित की हैं जो निम्न हैं—एल. टी. हाबहाउस ने समाज को “सम्बन्धों का ऊतक” बताया है। मैकीवर ने समाज “सामाजिक सम्बन्धों का जाल” बताया है। घुर्ये ने समाज को समूहों का और उन समूहों के सदस्यों का एकीकृत रूप बताया है। सभी मानव समाजों में व्यक्ति और समूह प्रमुख है। पार्क और बर्गोस ने दो प्रकार के समूह बताए हैं—(1) सघर्ष समूह, और (2) व्यवस्थापन समूह। घुर्ये ने लिखा है, “जापान के समाजशास्त्रियों आदि ने अपने समाज में भी विशिष्ट तनाव के समूह बताया है, ये हैं—(1) पारिवारिक जीवन में तनाव, (2) समुदायों में तनाव, (3) साहित्यिक सघर्षों में तनाव, (4) ‘ईटा’ बहिष्कृत जाति की समस्या के इर्द-गिर्द तनाव, (5) प्रजातीय तनाव, (6) धार्मिक जीवन में तनाव, (7) आर्थिक जीवन में तनाव, (8) वैचारिक तनाव, और (9) युवा लोगों में तनाव। घुर्ये ने आलोच्य कृति में सामाजिक तनाव से तात्पर्य इन्हीं अन्तर वैयक्तिक तनावों और अन्तर समूह तनावों से लगाया है।

3 सघर्ष (Conflict)—घुर्ये ने सघर्ष की अवधारणा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह अवधारणा तनाव की तरह व्यक्तिगत, अन्तर-वैयक्तिक और अन्तर-समूह घटना है। इस पर मोगेन्थू के विचार महत्वपूर्ण हैं। मोगेन्थू के अनुसार राजनैतिक दल, धार्मिक एवं प्रजातीय समूह, क्षेत्र तथा बस्तियाँ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक लेन देन एवं सघर्ष करती हैं। इसके बाद आपने सामाजिक कार्य विधि का वर्णन किया है जिसमें सघर्ष पैदा होता है जिसका कारण विरोधी दावे होते हैं। माल्थस और चार्ल्स डार्विन ने अस्तित्व के लिए व्यक्तियों और समूहों में सघर्ष की चर्चा की है।

जार्ज सिमेल ने चार प्रकार की सामाजिक अन्तःक्रियाओं के प्रकार बताए हैं—(1) सघर्ष, (2) प्रतिस्पर्धा, (3) व्यवस्थान, और (4) आत्मासातकरण। इनसे सम्बन्धित चार प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया है जो सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं ये निम्नानुसार हैं—(1) सन्तुलन प्रतिस्पर्धा से सम्बन्धित हैं। (2) राजनैतिक व्यवस्था-सघर्ष से सम्बन्धित है, (3) सामाजिक सगठन व्यवस्थान से सम्बन्धित है, (4) आत्मसातकरण व्यक्तित्व तथा सांस्कृतिक विरासत से सम्बन्धित है।

सिमेल ने सघर्ष के चार प्रकार बताए हैं—(1) युद्ध, (2) वैर एवं झगड़े, (3) मुकदमेबाजी, और (4) बहस या परिचर्चा। इ एस रॉस (E A Ross) ने अपनी कृति “प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सघर्ष” से सम्बन्धित निम्न सात पक्ष लिखे हैं—(1) युगों का सघर्ष/युग-सघर्ष, (2) प्रजाति सघर्ष, (3) कस्बा देश/समुदाय/सघर्ष, (4) अन्तर्जातीय सघर्ष, (5) प्रौद्योगिक सघर्ष, (6) धार्मिक सघर्ष, और (7) पढ़े-लिखे

एवं अनभिज्ञों में संघर्ष। मैकोवर ने मात्र दो सामाजिक प्रक्रियाओं (1) सहयोग, और (2) संघर्ष को माना है। मैकोवर कहते हैं, "समाज सहयोग है जो संघर्ष से रेखित होता है (Society is Co-operation Crossed by Conflict)।"

धुर्ये के अनुसार यंग ने सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष के निम्न आठ प्रकार बताए हैं—(1) प्रौद्योगिक, (2) प्रजातीय, (3) धार्मिक, (4) राजनैतिक, (5) अन्तर-समुदाय एवं अन्तः-समुदाय, (6) अन्तर-वर्ग और अन्तः-वर्ग, (7) लिंग एवं आयु संघर्ष, और (8) बौद्धिक अथवा आचार सिद्धान्तों का संघर्ष। संघर्ष की अवधारणा के विकास में ध्यान देने योग्य बात ये है कि संघर्ष मात्र दुष्कार्यात्मक एवं विघटनकारी ही नहीं है बल्कि यह संगठनात्मक कार्य भी करता है। फॉलेट (Follet) ने एक लेख "कन्स्ट्रिक्टिव कॉन्फ्लिक्ट" लिखा जिसमें आपने संघर्ष के संगठनात्मक एवं निर्माणात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला। आपने कहा कि संघर्ष को अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं मानना चाहिए। इसका अध्ययन पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं करना चाहिए। संघर्ष को विचारों और हितों की भिन्नता के अनुसार देखना चाहिए। इस प्रकार से संघर्ष का अर्थ है मतभेद।

राबर्ट एंगील (Robert Angell) ने संघर्ष की एकात्मपरक भूमिका पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला है, "हमने इस पर जोर दिया है कि संघर्ष एकीकरण के साथ तब अनुरूपता रखता है जब संघर्ष केवल समस्त मापदण्डों के अनुसार होता है।" इसी प्रकार से एम. एम. सेविस कहते हैं, "युद्ध बिना, शान्ति अन्दर, शान्ति बिना, युद्ध अन्दर आज के समाज की परिवर्तित विशेषता है।"

धुर्ये ने संघर्ष की परिभाषा की विवेचना की है। आपने रॉबिन एम. विलियम्स द्वारा दी गई संघर्ष की परिभाषा उद्धरित की है जो निम्न है, "संघर्ष मूल्यों (चित्रणात्मक या अविहरणात्मक) में द्वन्द्व है जिसमें शत्रुओं का तत्काल उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धियों को प्रभावहीन, पीड़ित, अथवा हटाना है।" विलियम्स का कहना है कि सभी परिचित सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं को किसी समूह का सदस्य मानता है जिसे बौद्धिक एवं व्यावहारिकता के अनुसार "हम समूह" कहते हैं तथा अन्य समूहों को "वे समूह" अथवा "अ-हम-समूह" कहते हैं। इस प्रकार की शत्रुता समूह-संघर्ष का स्रोत होता है। किसी भी प्रकार की कुष्ठ (वास्तविक अथवा काल्पनिक) संघर्ष की प्रकृति को कठोर जनाने में 'आग में घी' का काम करती है।

रेमण्ड एरोन (Raymond Aron) ने संघर्ष की निम्न परिभाषा दी है, "समूह संघर्ष दो समूहों और व्यक्तियों में निश्चित सीमित वस्तु को प्राप्त करने अथवा पारस्परिक असंगत मूल्यों को पाने के लिए विरोध अथवा द्वन्द्व है।"

किंगस्ले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसायटी में प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण प्रकारों में संघर्ष को प्रथम स्थान पर रखते हुए इसको दो प्रकारों का उल्लेख किया है—आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष, जिसमें समझौते की सम्भावना किसी भी स्तर पर नहीं होती है।

फॉलेट (Follet) का कहना है कि संघर्ष अथवा मतभेद को हल करने के तीन प्रमुख तरीके हैं—प्रभुत्व, (2) समझौता, और (3) एकीकरण। धुर्ये का कहना है कि फॉलेट का समझौता और समाजशास्त्रियों का व्यवस्थापन की प्रक्रियाएँ समान हैं। जब संघर्ष का हल एकीकरण के द्वारा किया जाता है तो स्वीकृति उसका परिणाम निकलता है जो निर्माणात्मक है। प्रभुत्व के द्वारा केवल एक पक्ष को यह मिलता है जो वह चाहता है, समझौते के द्वारा किसी को भी वो नहीं मिलता जो वह चाहते हैं तथा एकीकरण के द्वारा दोनों ही पक्षों को वो

मिल जाता है जो वो चाहते हैं। इस प्रकार से एकीकरण व्यक्ति और सामाजिक समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।


4 एकीकरण (Integration)—धुर्य का स्वभाव रहा है कि वे अवधारणा की विवेचना में सर्वप्रथम उसके इतिहास पर अवश्य प्रकाश डालते हैं। एकीकरण के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए आपने लिखा है कि फॉलेट ने एकीकरण की अवधारणा का प्रयोग राजनैतिक विज्ञान में 1921 और 1927 में किया था। अमरीका में एकीकरण की अवधारणा का उल्लेख 1931 तक 'एन्साइक्लोपीडिया ऑफ द सोसियल साइन्सेज' में नहीं हुआ था। यद्यपि एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वें संस्करण में एकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी गई। लेकिन इस अवधारणा की प्रक्रिया और महत्व को हर्बर्ट स्पेन्सर ने 1862 में अपनी पुस्तक में प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया था। आपने जोर देकर कहा कि विभेदीकरण के साथ एकीकरण निर्जाव, जैविक और सामाजिक उद्विकास का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

1931 में मेकीवर ने अपनी पुस्तक सोसायटी में फॉलेट एकीकरण की अवधारणा को प्राथमिक समूह के सिद्धान्त में समूह-प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। मैकीवर ने विचारों का उपयोग किया तथा एकीकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाया। बाद में सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की विवेचना में मैकीवर ने हर्बर्ट स्पेन्सर के उद्विकास से सम्बन्धित एकीकरण के विचारों का भी उपयोग किया। आपने लिखा कि यह सामान्यतया कहा जाता है कि उद्विकास विभेदीकरण और एकीकरण की एक प्रक्रिया है लेकिन विभेदीकरण की जब ठीक से समझा जाता है तो वह एकीकरण को व्यक्त करता है।

डेविड एफ. अबेर्ले (David F. Aberle) ने एकीकरण की निम्न परिभाषा दी है, "एकीकरण से हमारा तात्पर्य है समाज की क्षमता जिससे वह बार-बार खुले संपर्क में पतन होने या स्वतंत्र छोटी व्यवस्थाओं की शृंखलाओं में बिखरे बिना एक प्रकार से संगठित पूर्णता में कार्य कर सके।"

वेर्नर एस. लेण्डेकर (Werner S. Landecker) ने एकीकरण की परिभाषा न देकर इसके चार प्रकार दिए हैं—

### एकीकरण के प्रकार



(1) सांस्कृतिक एकीकरण (Cultural Integration)—सांस्कृतिक मानदण्डों में एकीकरण।

(2) मानकीय एकीकरण (Normative Integration)—सांस्कृतिक मानदण्डों और मानव के व्यवहारों में एकीकरण।

(3) संप्रेषणपरक एकीकरण (Communicative Integration)—अर्थों के विनिमय द्वारा एकीकरण।

(4) प्रकार्यात्मक एकीकरण (Functional Integration)—सेवाओं के विनिमय द्वारा एकीकरण जिसे अर्थशास्त्री 'श्रम का विभाजन' कहते हैं।

श्रम विभाजन की व्यवस्था की इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता की मात्रा में प्रकार्यात्मक एकीकरण होता है। यह दूसरे प्रकार के एकीकरणों में सहायक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अन्य तीनों प्रकार के एकीकरण एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। संचार अथवा अर्थों का आदान-प्रदान समूह में संप्रेषणपरक (संचार सम्बन्धी)



एकीकरण की मात्रा निर्धारित करता है जिसका सम्बन्ध सांस्कृतिक एकीकरण और मानकीय एकीकरण के साथ है। लेण्डेकर के अनुसार संप्रेषणपरक एकीकरण अन्य प्रकार के एकीकरणों का केन्द्रीय और प्रमुख आधार है। एम. एम. गोडेन ने दो स्तरों पर एकीकरण की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक समूह के सन्दर्भ में किया है—(1) सामुदायिक एकीकरण स्तर, और (2) बहुवादी एकीकरण स्तर। 1959-60 में पीटर एम. ब्लॉग ने दो लेख "सामाजिक एकीकरण" पर लिखे और उससे सामाजिक एकीकरण समाजशास्त्र में स्थापित हो गया। एक लेख में आपने समूह में व्यक्तियों का एकीकरण—अन्तर-वैयक्तिक एकीकरण की विवेचना की है तथा इसके सूचकों को स्पष्ट किया है। दूसरे लेख में आपने "ए थ्योरी ऑफ इन्टीग्रेशन" शीर्षक से लिखा। इसमें आपने बताया कि एकीकरण का निर्धारण समूह के सदस्यों में एक-दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति सम्पर्क करने की क्षमता तथा ऐसा करने की इच्छा करती है। फॉलेट का कहना है कि एकीकरण स्पष्ट करता है कि "समाधान मिल गया है जिसमें दोनों पक्षों को स्थान मिल जाता है तथा किसी भी पक्ष को कुछ भी त्यागना नहीं पड़ता है।"

रॉबर्ट स्कोटस् ने भौतिक और मनोवैज्ञानिक एकीकरण में योगदान दिया। कार्ल जे. फ्रेडरिक ने दो प्रकार के एकीकरण बताए हैं—एकताकारी और एकीकरण, तथा (2) 'राष्ट्रीय निर्माण'। जेम्स एस. कॉर्लमैन ने तथा कार्ल जी. रासबर्ज ने प्रथम पुस्तक "राष्ट्रीय एकीकरण" पर 1964 में लिखी जिसमें आप दोनों ने (1) राजनैतिक एकीकरण, और (2) भूभागीय एकीकरण पर प्रकाश डाला। पी. ई. जेकब ने यूरोप के आर्थिक समुदाय की परिस्थितियों के आधार पर एकीकरण ने निम्न चार प्रकार निर्धारित किए—(1) राजनैतिक एकताकारी के रूप में एकीकरण, (2) आर्थिक एकताकारी के रूप में एकीकरण, (3) आर्थिक एवं राजनैतिक सहयोग के रूप में एकीकरण, और (4) स्वतंत्र व्यापार के रूप में एकीकरण।

घुर्वे लिखते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एकता की परिस्थिति प्राप्त की जाती है वे सभी जटिल तकनीकें एकीकरण कहलाती हैं। इसके दो घटक हैं—(1) राजनैतिक एकीकरण जिसमें—(अ) भूभागीय एकीकरण, और (ब) आर्थिक एकीकरण सम्मिलित हैं। (2) सामाजिक एकीकरण, भूभागीय एकीकरण में सभी भौगोलिक क्षेत्रों की एकताकारिता आती है, तथा उनमें जैविक एकता होती है। जो यातायात एवं संचार में बाधा बन सके। आर्थिक एकता में सभी आर्थिक क्रियाएँ सभी लोगों व एक सामान्य प्रशासन के अधीन होती हैं।

दूसरा घटक सामाजिक एकीकरण है जिससे तात्पर्य है—व्यक्तियों और समूहों का ऐसा एकीकरण जिसमें व्यक्तियों में सामान्य साझा मूल्य होते हैं। इस सामाजिक एकीकरण का आधार और परिणाम मनोवैज्ञानिक एकीकरण होता है जो संप्रेषणपरक एकीकरण के द्वारा होता है। संचार या संप्रेषणपरक के द्वारा विभिन्न लोग परस्पर एक-दूसरे के सम्पर्क में सामान्य मूल्यों के द्वारा आते हैं। यह प्रत्येक नागरिक में भावात्मक पहचान स्थापित करता है जिसे राष्ट्र-राज्य के द्वारा आदर्शपूर्ण रूप में प्रदर्शित किया जाता है। घुर्वे इस पूर्ण जटिलता को सामाजिक एकीकरण कहते हैं जिसका कारण आपने इसमें राजनैतिक पक्ष, प्रशासनिक एकता और राजनैतिक सहभागिता का होना बताया है जो प्रत्येक नागरिक का राजनैतिक एकीकरण है और उसके मिलने से राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण जो जटिलपूर्ण बनता है वह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है।

5. सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक (Social Tension and Minorities)—घुर्वे ने अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सामाजिक तनाव की विस्तृत विवेचना की है। आपने भाषा

के आधार पर अल्पसंख्यकों में तनाव का निर्धारण किया है। इसे आपने भाषाई तनाव कहा है। एक भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक पूरे भारत में बसे हैं। वे अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी पूरे देश में फैले हुए हैं उनमें धर्म के आधार पर अन्य धर्मावलम्बियों के साथ धार्मिक तनाव या साम्प्रदायिक झगड़े देखे जा सकते हैं। घुर्वे ने सामाजिक तनाव के तीसरे रूप अल्पसंख्यकों में प्रान्तीयता के आधार पर भी संघर्ष की विवेचना की है। आपने यह पुस्तक 1968 में लिखी थी उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में बारह भाषाओं का उल्लेख किया गया था तथा भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। भारतीय संविधान के अधिनियम, 30 (1), (2) 350 (ब) (1) में "भाषाई अल्पसंख्यक समूह" और "भाषाई अल्पसंख्यक" का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण संस्कृति या प्रजाति या राष्ट्रीयता के अनुसार नहीं है। यह केवल भाषा या धर्म अथवा दोनों पर आधारित है।

मुस्लिम भारतीय जो उर्दू भाषाई हैं, उनका भिन्न धर्म है तथा वे भाषा और धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक हैं। भारत में धर्म के आधार पर ईसाई एक और अल्पसंख्यक हैं परन्तु वे कोई विशिष्ट भाषाई नहीं हैं। ये लोग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं जहाँ उनका जन्म एवं पालन-पोषण हुआ है तथा वे अपने-अपने राज्यों की भाषा बोलते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा भारतीय ईसाइयों की विशिष्ट भाषा नहीं मानी जा सकती है।

अल्पसंख्यक द्वितीय महायुद्ध के बाद एक प्रकार के रूप में राजनीतिशास्त्र में और एक अवधारणा के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा कानून में प्रस्फुटित हुआ था। एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटानिका के 1964 के संस्करण में अस्पृश्य अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। कोहन के अनुसार, "अल्पसंख्यक वो समूह हैं जो सामान्य घशज के बन्धन, भाषा या धार्मिक विश्वास और इन क्षेत्रों में अपने को निश्चित राजनैतिक क्षेत्र में बसे बहुसंख्यकों से भिन्न अनुभव करते हैं।"

लुईस विर्थ (Louis Wirth) ने अल्पसंख्यक की निम्न परिभाषा दी है, "एक लोगो का समूह अपने शारीरिक अथवा सांस्कृतिक लक्षणों के कारण जिस समाज में रहते हैं उसमें असमान अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए दूसरों से पृथक् कर दिए जाते हैं और इसलिए वो अपने को सामूहिक भेदभाव का विषय मानते हैं। अल्पसंख्यक प्रस्थिति के साथ समाज के जीवन में पूर्ण सहभागिता सम्बन्धी अपवर्जन जुड़ा होता है।"

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक किसी समाज में एक छोटा समूह है जिसे उनके शारीरिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राजनैतिक लक्षण या लक्षणों के कारण समाज के बहुसंख्यकों में अलग-थलग या पृथक् कर दिया जाता है। अल्पसंख्यक अपने को भेदभाव व्यवहार का विषय मानते हैं। समाज को सभी गतिविधियों में वे भाग नहीं ले सकते हैं। उन पर अनेक प्रतिबन्ध होते हैं। उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है अथवा उन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट किए हैं जिनका घुर्वे ने उल्लेख किया है।

### अल्पसंख्यकों के प्रमुख अधिकार (Principal Rights of Minorities)

घुर्वे ने लिखा है कि राष्ट्रसंघ केवल प्रजातीय, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानता है। इसमें कहीं पर भी राष्ट्रीय अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं मिलता है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्र संघ ने प्रजातीय, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों के निम्न प्रमुख अधिकारों का वर्णन किया है—

1. राष्ट्रीयता (Nationality)—एक व्यक्ति का निश्चित सीमा में आदतन आवास है अथवा वह आदतन आवास करने वाले को सन्तान है तो उसे उस राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीयता

प्राप्त हो जाती है जिसकी सीमा में वह क्षेत्र आता है। (2) जीवन, स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता उन सभी निवासियों का अधिकार है, चाहे उसकी प्रजाति, धर्म या विश्वास वहाँ की जनता की व्यवस्था अथवा जनता के आचार से मेल नहीं खाते हो, (3) कानून के सामने सभी समान हैं। प्रजाति, भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र या देश में नौकरियों, व्यवसायों और उद्योगों में भेदभाव नहीं बरता जाएगा। (4) जो अल्पसंख्यक राष्ट्र है उन्हें पूरा अधिकार है अपने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, पाठशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने चन्दा द्वारा चलने आदि का अधिकार है। (5) राज्य उन पर उनकी भाषा के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं करेगा। (6) राज्य उन्हें मौखिक अथवा न्यायालय द्वारा उनकी भाषा के बोलने के लिए राजकीय भाषा के अतिरिक्त सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा। (7) राज्य उन्हें कस्बों और जिलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करेगा। (8) राज्य उन्हें सम्पूर्ण बजट में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय सहायता देगा जिसे वो शिक्षा, धर्म तथा दान के उद्देश्यों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। (9) अल्पसंख्यकों और यूनान में मुसलमानों के परिवार के कानून और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए राज्य कदम उठाएगा और वहाँ मुसलमानों के परम्पराओं के अनुसार व्यवस्था करेगा।

**सांस्कृतिक बहुवाद और बहु-समाज (Cultural Pederalism and Pleural Society)**—घुर्वे ने सांस्कृतिक बहुवाद और बहु-समाज, समाज में विभिन्नता के पक्षों का तनाव के सन्दर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। इससे सम्बन्धित विद्वानों के विचारों को आपने क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। किसी एक समाज में एक से अधिक प्रजाति या सांस्कृतिक मूल की जनसंख्या होने से वह बहु-समाज नहीं बन जाता है। बहु-समाज के लिए विभिन्नता एक आवश्यक लेकिन सन्तोषजनक स्थिति नहीं है। सभी तथा अधिकतर राष्ट्र, जिनमें भिन्नता वाली जनसंख्याएँ होती हैं आवश्यक नहीं हैं वे बहु-समाज हो। उनकी प्रमुख जनसंख्याओं के समूहों में जाति, भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र तथा संस्कृति में अवश्य भिन्नता होनी चाहिए। बहु-समाज में विभिन्नता की समस्या का समाधान प्रभावी जनसंख्या के अलग अस्तित्व की पहिचान, सम्पर्क के तत्वों के क्षेत्र विशेष रूप से बाजार और राजनीति, सीमित होने चाहिए। एक बहु समाज तभी बनता है जब समाज में एक छोटा प्रमुख समूह होता है, जिसके पास समाज के अन्य सांस्कृतिक समूहों पर शक्ति एवं नियंत्रण रहता है। राष्ट्रवादियों की मान्यता है कि राजनैतिक और सांस्कृतिक विषय अपरिहार्य हैं। कोई भी संस्कृति तभी बनो रह सकती है जब उसके पास राजनैतिक सत्ता एवं शक्ति हो। इसीलिए बहु-समाज, बहु-संस्कृति तथा बहु-जनसंख्या, बहु-आर्थिकी आदि में तनाव की समस्याएँ विद्यमान होती हैं।

घुर्वे ने लिखा है कि बहुवाद में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच की खूबसूरती उद्देश्यों को बनाए रखने के कारण संघर्ष की कुछ मात्रा का बने रहने का खतरा सर्वथा बना रहता है। सर्वोच्च महत्त्व के विषय, जैसे—याहल से आक्रमण के अतिरिक्त बहु-समाज में सर्वजन इच्छा नहीं होती है। आपने अन्त में लिखा है कि समुदायों के मध्य सम्बन्धों को सुधारने के लिए सभी प्रकार के सम्भव प्रयास किए जाते हैं तब भी उन लोगों के बीच तनाव विद्यमान रहते हैं जो मौखिक प्रश्नों पर अपने भिन्न विश्वास व्यक्त करते हैं और उनमें भी जिनका जीवन एवं विचार विभिन्न भाषाओं द्वारा व्यक्त होते हैं।

घुर्वे के उपर्युक्त योगदान एवं चिन्तन ने भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उत्तम योगदान दिया है।

### अभ्यास प्रश्न

निबन्धात्मक प्रश्न

1. जी. एस. पुर्वे की प्रमुख समाजशास्त्रीय कृतियों का वर्णन कीजिए।

2. जी. एस. घुर्गे के जीवन एवं कृतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. घुर्गे के जाति, वर्ग और व्यवसाय से सम्बन्धित विचारों की समीक्षा कीजिए।
4. घुर्गे द्वारा वर्णित जाति द्वारा शामिल हिन्दू समाज के विशिष्ट लक्षणों की विवेचना कीजिए।
5. घुर्गे की कृति 'भारत में सामाजिक तनाव' की समीक्षा कीजिए।

#### लघूत्तरात्मक प्रश्न

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

1. घुर्गे की प्रमुख रचनाएँ,
2. घुर्गे के अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विचार,
3. विभिन्न खण्डों की नागरिक और धार्मिक असमर्थताएँ व विशेषाधिकार,
4. अप्रतिबन्धित व्यवसायों के चयन का अभाव
5. वर्ग-व्यवस्था,
6. व्यवसाय,
7. एकीकरण के प्रकार,
8. सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक।

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्न में से घुर्गे ने कौन-कौन सी कृतियाँ लिखी हैं—

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| (अ) कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया | (ब) कल्चर एण्ड सोसायटी    |
| (स) कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया   | (द) जाति, वर्ग और व्यवसाय |
| (क) मोशियल टेन्शन इन इण्डिया    | (ख) द शेड्यूल्ड ट्राइब्स  |
| (ग) उपरोक्त सभी                 |                           |

[उत्तर—(ग)]

2. निम्न के उपयुक्त जोड़े बनाइए—

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (i) 1893-1983                                    | (अ) जाति-व्यवस्था     |
| (ii) विवाह पर नियंत्रण                           | (ब) गोस्वामी तुलसीदास |
| (iii) "उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान" | (स) वर्ग-व्यवस्था     |
| (iv) धन का महत्व                                 | (द) जी. एस घुर्गे     |

... को श्राद्ध भोज के अयोग्य बनाता है।

[उत्तर—(i) द, (ii) अ, (iii) ब, (iv) स]

3. पैट्रिक गेड्डिस के बाद 1924 में मुम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रथम भारतीय विभागाध्यक्ष निम्न में से कौन बने थे—

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| (अ) के. एम कापडिया | (ब) एम एन श्रीनिवास |
| (स) जी एस घुर्गे   | (द) डी. पी मुकर्जी  |

[उत्तर—(स)]

- 4. निम्न में से घुर्गे किस पुस्तक से प्रभावित हुए थे—

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (अ) ह्यमन सोसायटी | (ब) हिस्ट्री ऑफ मेरेज |
| (स) सोसायटी       | (द) द स्युसाइड        |

[उत्तर—(ब)]